राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का अट्ठाइसवां दिवस [संख्या : 18

सोमवार

27 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसर देव बाबर।

हर्ष पर्वत (सीकर) पर पवन ऊर्जा के स्थापित संयंत्र

259. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले के हर्ष पर्वत पर पवन ऊर्जा के कितने संयंत्र कब-कब स्थापित किये गये एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पवन संयंत्रों से पिछले दो वर्ष में कितने-कितने यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ एवं उत्पादन पर प्रति यूनिट कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उत्पादन लागत के बराबर राशि का भुगतान सरकार द्वारा अब तक किया जा चुका है? यदि नहीं, तो अब तक इन पवन ऊर्जा संयंत्रों से बिजली क्रय करने पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) हर्ष पर्वत पर लगाये गये उक्त पवन ऊर्जा संयंत्रों को किन शर्तों पर स्थापित करने की अनुमति दी गई एवं क्या उनकी अक्षरश: पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): (1) सीकर जिले के हर्ष के 20 संयंत्र निजी क्षेत्र में 16 पवन ऊर्जा उत्पादकों द्वारा स्थापित किये गए जिनकी स्थापना का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। इन पर राज्य सरकार ने कोई राशि व्यय नहीं की है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(2) इन पवन संयंत्रों से दिसम्बर, 2004 से मार्च, 2005 तक 35.11 लाख यूनिट तथा अप्रैल, 2005 से जनवरी, 2006 तक 1.79 करोड़ यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ है। उपरोक्त संयंत्र निजी क्षेत्र द्वारा लगाए गए हैं जिससे राज्य सरकार पर कोई उत्पादन लागत नहीं आई है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार पर कोई उत्पादन लागत नहीं आई है। तथापि अब तक इन पवन ऊर्जा संयंत्रों से बिजली क्रय करने पर व्यय की गई राशि का फर्मवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(4) हर्ष पर्वत पर लगाए गए पवन ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा घोषित पवन ऊर्जा नीति, 2003 में निहित शर्तों पर दी गई जिनकी पालना की जा रही है। पवन ऊर्जा नीति की प्रति परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्डवार जवाब दिया है, मैं थोड़ी जानकारी मंत्री महोदय से और चाहूंगा। आपने 16 संयंत्रों का जिक्र किया है, जो चार संयंत्र बच गये इसमें इनका जिक्र नहीं है, एक तो यह स्पष्ट कर दें कि इनकी क्या स्थिति है?

दूसरा, क्या निजी क्षेत्र में अन्य लोग यदि ऐसे संयंत्र लगाना चाहें तो उनके लिए सरकार की अनुमति है? यदि है तो किन शर्तों पर? तीसरा, क्या पवन ऊर्जा लगाने के मामले में निजी क्षेत्र के लोग अपने प्रदेश की ओर कम आकर्षित हो रहे हैं? सरकार इनको आकर्षित करने के लिए क्या अच्छी नीति या अनुदान देने का विचार रखती है ताकि इनसे प्रदेश को अच्छी बिजली मिल सके?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने पूछा है कि 20 पवन चक्कियां लगी हैं लेकिन 16 पार्टीज के नाम हैं, इसमें कई पार्टियों की दो-दो यूनिट्स लगी हुई हैं। टोटल पवन चक्की तो 20 लगी हुई हैं और नाम 16 हैं क्योंकि कई फर्म ने दो-दो लगायी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ओर पवन ऊर्जा के अंदर अभी अच्छा थ्रस्ट आ रहा है। हमने केप खोला है 550 मेगावाट जैसलमेर के लिए और इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के बाहर जो क्षेत्र हैं इनके अंदर 250

(श्री गजेन्द्र सिंह)

मेगावाट का केप खाला है। हमें पूरी आशा है कि शीघ्र ही यह केप एक साल के अंदर रियलाइज कर लिया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो बातें जानना चाहता हूं, एक तो यह है कि पॉलिसी फार प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्राम विंड, 2003 जिसका आपने जिक्र किया है, राज्य में वसुंधराजी की सरकार आने के बाद इस पालिसी की पालना कब रोकी गयी और कब वापस शुरू की गई? रोकने के क्या कारण थे और वापस शुरू करने के क्या कारण थे?

नम्बर दो, यह जो इन्वेस्टर या डवलपर हैं इन्होंने थर्ड पार्टी को बिजली बेचने के लिए किस-किस ..(व्यवधान) आपने अपने उत्तर में जिन 16 का जिक्र किया किस-किस ने थर्ड पार्टी को बिजली बेची है? किस-किस ने आरईआरसी से लाइसेंस लिया है और कितनी बेची है और बिना लाइसेंस के कितनी बिजली बेची गई?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, 1999 से लेकर 2003 तक कुल 285 मेगावाट पावर जनरेट किया गया पवन ऊर्जा से। हमारी सरकार तीन और साढे तीन साल के बीच में ..(व्यवधान) अभी मैं बता रहा हूं हमारे जो टार्गेट हैं हम 500 मेगावाट पवन ऊर्जा से बिजली जनरेट कर देंगे within a period of three to three-and-a-half years.

माननीय विधायक महोदय ने जो पूछा 2003 की पालिसी के बारे में, पहली चीज तो आपको कहना चाहूंगा कि प्रश्न पूछा गया है सीकर हर्ष पहाड़ी के अंदर जो विण्ड मिल्स लगी हैं उनके बारे में। ये पालिसी के अंदर जा रहे हैं तो भी मैं इसका जवाब दूंगा। 2003 के अंदर हमने रेट 2.91 कर दी क्योंकि जो 1999 की कांग्रेस की पालिसी थी, जब इन्होंने शुरू किया, आज वही बिजली एक रिकार्ड 4 रुपये 04 पैसे की रेट की हो गई है, बहुत महंगी बिजली हो गई है। तो सरकार ने चाहा, 2.91 रेट करके सरकार की बचत की जाए। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के समय ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं थे, पंखे चल रहे थे, पीपीए साइन हो गए थे, लेकिन बिजली का उपयोग नहीं हो रहा था। इसलिए 2003 की पालिसी में हमने संशोधन किया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 2 रुपये 91 पैसे हमने कर दी और आपका जवाब यह है कि आपने बिजली

(श्री संयम लोढ़ा)

खरीदी है 2004-05 में 3 रुपये 38 पैसे पर और 2005-06 में 3 रुपये 44 पैसे से। यह कहां से ले आये आप 2 रुपये 91 पैसे? मैंने यह पूछा है कि इस पालिसी पर क्रियान्वयन कब रोका, क्यों रोका और वापस इसी कांग्रेस सरकार की पालिसी को आपने लागू कब किया और क्यों किया?

एक माननीय सदस्य: यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई अलग से प्रश्न नहीं है। आपने उत्तर में पालिसी का जिक्र किया है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं आरोप लगाना चाहता हूं। यह बंद की गई है इसके पीछे सरकार का भ्रष्टाचार का आचरण था और वापस चालू की गई उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह प्रश्नकाल है या कोई भाषण काल है? ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ऐसे ही आरोप लगा रहे हो। आपके पास कोई तथ्य हैं क्या?..(व्यवधान) आपके पास कोई तथ्य हैं या ऐसे ही आरोप लगा रहे हो?..(व्यवधान) आपने आरोप लगाये कैसे?

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): आरोप लगाना है तो नियमों में आओ। ..(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): कोई सबूत है क्या? ..(व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): आरोप लगाना तो इनका धंधा हो गया है। इनको तो आरोप लगाना ही है। ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आपने किस आधार पर आरोप लगाया है, आप स्पष्ट करें?

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): हम इसे सुधारना चाह रहे हैं। आपका धंधा है आरोप लगाना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आरोप लगाने का माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सत्ता पक्ष के कितने ही विधायक खड़े होकर मुझे इंटरप्ट करें, सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, प्राइस फार पावर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय विधायक ने जो आरोप लगाया है, नियमों में आना चाहिए। सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, यह मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को मखौल बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं वो।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई मामला नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जवाब तो दे रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): इनको जानकारी सरकार देती है। ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस तरह से इंटरप्ट करने का नहीं चलेगा। बीच में खड़े हो जाते हैं। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। ..(व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ): नियमों में आइए, नियमों में सरकार इसकी जानकारी देगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मर्जी आए जो बोल दो ...(व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इनका आरोप लगाने का काम है और कुछ नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह खाली ब्लैकमेल करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किस आधार पर किये हैं? ...(व्यवधान) मेरा आरोप है सरकार के ऊपर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्टाचार की क्या बात करते हैं, इन्होंने 3.32 की ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, यह भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा दिया? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने जवाब तो यह दिया था कि पहले की रेट ज्यादा थी, हमने कम की है उसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं वही बात फिर दोहराना चाहता हूं।...(व्यवधान) पहले उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बात तो सुनिए आप।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या बात है? अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, स्वयं
+++ हैं और दूसरों की बात करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि ये स्वयं कहते हैं तो इनको भी सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, पूरा ट्रैजरी बैंच पैरों पर खड़ा हो गया, एक चीफ व्हिप ही काफी हैं किसी को सज़ा दिलवाने के लिए। गवर्नमेंट चीफ व्हिप का दायित्व बनता है कि अपनी ट्रैजरी बैंचेज को।

श्री समर्थ लाल मीणा (राजगढ़) : हम नहीं दें, आपको सलाह देनी चाहिए। मदनजी दिलावर उठ रहे हैं। राजेन्द्रजी राठौड़ का तो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है, उनको तो उठना चाहिए। घनश्यामजी तिवाड़ी उठ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं तो नहीं उठा रहा हूं साहब। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, मैं निवेदन यह करना चाहता था, गवर्नमेंट चीफ व्हिप का दायित्व है कि सत्ता पक्ष को संभाले रखे। उनके एक मंत्री जवाब दे रहे थे, सारा सदन, सत्ता पक्ष वाला, अपने पैरों पर खड़ा था और हमारे गवर्नमेंट चीफ व्हिप +++ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी वाणी से, इससे बड़ा असंसदीय आचरण कोई हो नहीं सकता। आप देख लीजिए। आपसे आग्रह करूंगा कि मुख्य सचेतकजी ने जो असंसदीय अभद्र भाषा, आपत्तिजनक भाषा +++ जैसी बात कही है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष: +++ शब्द को हटा देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, निकाल दो और उसके लिए मुझे खेद भी है। पर आप यह सुनिए कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा है उसके प्रति मैं बहुत ही संवेदनशील भी हूं और इनका सम्मान भी करता हूं और इनको मानता भी हूं। सदन में इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। अपने यहां सदन में व्यवस्था है कि कोई पक्ष भ्रष्टाचार का आरोप लगाए या किसी के ऊपर आरोप लगाए तो बाकायदा प्रमाणित आरोप लगाए, नोटिस देकर लगाए। इसमें कोई मनाही नहीं है। मतलब, कड़ी से कड़ी बात यहां पर कही जा सकती है चाहे किसी को बुरी लगे। लेकिन बिना प्रमाण के, बिना कोई बात के आप इस सदन में व्यवधान डालने के लिए या उत्तेजना करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें इसलिए मजबूर होकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आज भी राजस्थान पत्रिका में पढ़ा है, यह टिप्पणी पढ़ी है कि मुख्य सचेतक ने भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। उससे भी मुझे आघात लगा है, आप कह रहे हो जिससे भी मुझे आघात लगा है और मुझे खुद को भी आघात लगा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन परनाला वहीं गिरेगा। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन में रूकावट आती है, जब उत्तेजना फैलती है तो मुझे उसको रोकने के लिए कभी-कभी ऐसा आवश्यक लगता है। आदमी स्वयं के ऊपर नहीं देखता, स्वयं देखता नहीं है। अनाप-शनाप आरोप लगाए और वह व्यक्ति आरोप लगाए। मैं इस बात को, आपने शब्दों को निकालने का जो किया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं और मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस सब के बावजूद भी लेकिन मैं यह चाहूंगा कि इस सदन का दुरूपयोग नहीं हो और कहीं दुरूपयोग होता है तो वह रूके।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके भ्रष्टाचार के आरोप हैं वे हमने सुन लिए, अब मेरी बात सुनिए आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय पहली चीज, यह जो प्रश्न पूछा गया है, इसके जो चारों भाग हैं, it has nothing to do with wind policy. यह हर्ष की पहाड़ी के ऊपर लगा है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मैं इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगाना चाहूंगा, कि जो बिजली के इन्होंने उस टाइम लाइसेंसेज दिये, पहली चीज यह है कि वही बिजली 4 रुपये 4 पैसे में आज पड़ रही है। हम सरकार में 3.25 के अन्दर संशोधन की बात कर रहे हैं, उस ऊंची रेट को हम 2.91 पर लाये सरकार का पैसा बचाने के लिए। पहली बात, आपकी पालिसी तो 4 रुपये 4 पैसे हो गई थी, हम 2.91 पर लाये, in the interest of the State- दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के समय तीन बारी ये नई पालिसी लाये, हमने चेंज किया उसमें ये रो रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि इन्होंने लाइसेंसेज दे दिये लेकिन 2003 के अन्दर प्राइवेट में विंड मिल्स चल रही थीं, पीपीएस साइन हो गया था उसके बावजूद ग्रिड के अन्दर पावर इंजेक्ट नहीं हो रहा था, it was waste of resources, waste of money. ये इनकी सरकार के कारनामे बता रहा हूं और आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ? Please come with facts & figures before the House.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोड़ारायसिंह): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह रिकार्ड नहीं हो रहा है आपका। आप विषयांतर हो रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इन्होंने रेट में 5 परसेंट इंक्रीमेंट किया, हमने खाली 2 परसेंट किया। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता तो खड़े हैं और ये बोल रहे हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस प्रश्न से आपका संबंध नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह आपका प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

एक माननीय सदस्य: बिलकुल सम्बन्धित नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...यह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने यह स्पष्ट कर दिया था, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

एक माननीय सदस्य: आसन पैरों पर है फिर भी खड़े हैं। फिर आप क्यों खड़े हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): इनको बिठाओ। आप खड़े हैं और ये खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बत्ती लाल। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। पूछिये आप, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य। पूछने दीजिये। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत ऊर्जा मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या सीकर जिले में ऐसे और भी स्थान.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सीकर से सम्बन्धित है, I have allowed him.

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं...

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): कि क्या सीकर जिले में ऐसे और भी स्थान हैं जहां पवन ऊर्जा संयंत्र लगाये जा सकते हैं? (व्यवधान) क्या सरकार ऐसे स्थान को चिह्नित करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सीकर जिले में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए ऐसे और भी स्थान हैं? (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठ जाएं। बीच में नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आसन से व्यवस्था चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय बिजली मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं....

श्री जयराम जाटव (खैरथल): गलत तथ्यों के आधार पर आरोप लगाये जा रहे हैं सरकार के ऊपर और मूल प्रश्नकर्ता खड़ा था उसको कोई आसन से व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये आप।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जब मूल प्रश्नकर्ता संतुष्ट है तो आगे का प्रश्न क्यों नहीं लेते? (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): आप सारे ही अध्यक्षता कर रहे हो क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मूल प्रश्नकर्ता को अवसर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) ठहरिये आप। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): मैं भी इनकी इजाजत से ही बोल रहा हूं, आपके कहने से नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह संसदीय परम्पराओं की आवश्यकता है कि मूल प्रश्नकर्ता को तीन प्रश्न पहले पूछने की इजाजत दी जानी चाहिए और उसके बाद जिस जिले का सम्बन्ध है उनको मौका दिया जाना चाहिए। आप इसको सख्ती से रोकें मान्यवर। मूल प्रश्नकर्ता को तीन प्रश्न पूछने दीजिये और उसके बाद महादेव सिंह जी को मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: अभी इनको पूछने दो फिर आप पूछ लेना। अभी इनको पूछने दो फिर आप पूछना।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सीकर जिले में ऐसे और भी स्थान हैं जहां पवन ऊर्जा संयंत्र लगाये जा सकते हैं? सरकार ऐसे स्थानों को चिह्नित करना चाहती है क्या? यदि चाहती है तो कब तक, और नहीं तो क्यों?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम साइट्स के बारे में तय करते हैं, इसकी स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट पार्टीज अपने विंड मास लगाकर हवा को देखती हैं कि प्लांट लोड फैक्टर अगर विंड मिल लगाई जाए तो कितना होगा, क्योंकि यह जो पवन ऊर्जा का इश्यू है यह प्लांट लोड फैक्टर पर डिपेंड करता है। तमिलनाडु के अन्दर प्लांट लोड फैक्टर 30 प्रतिशत तक यानि अगर आप हजार मेगावाट लगाएंगे तो आपको 300 मेगावाट पूरे साल में एवरेज मिलेगा। राजस्थान के अन्दर जो पी एल एफ है वह 18-19 प्रतिशत के करीब है। अभी सीकर में और कोई साइट आइडेंटिफाई नहीं हुई है, विंड मास की कोई रिपोर्ट नहीं है तो अभी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

कोई विचार नहीं है। लेकिन प्राइवेट पार्टीज जैसे विलिंग नहीं है, लोग जैसलमेर में अपना तंत्र लगा रहे हैं और वो बिजली व्हील करके जयपुर में कुछ होटल्स हैं वो ले रहे हैं, यह ओपन टू पब्लिक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका प्रश्न रिलेवेंट नहीं है। (व्यवधान) आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से ले रहे हैं। आपने कह दिया कि कोई भ्रष्टाचार... (व्यवधान) रिलेवेंट नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, आपने इस हाउस में कुछ निर्देश दिये हैं, आपने एक दिशा बताई कि पहले मूल प्रश्नकर्ता, फिर जिले का लें, अब आपके सदस्य नहीं मान रहे हैं। आपके सदस्य नहीं मान रहे हैं। वो मूल प्रश्नकर्ता खड़े हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता की वो मानते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, नियमों का पालन करवाने का दायित्व आपका और मुख्य सचेतकजी का है कि आप आसन से उसकी पालना करवाएं। मैंने अपनी बात कह दी और वो नियमों के अनुकूल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): आप जैसे कद्दावर आदमी की परवाह नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी तकलीफ है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब सब लोग मस्त हो रहे हैं, मैं क्या करूं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य मान ही नहीं रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आपका जवाब आ गया करीब-करीब।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया लेकिन आसन की बात सुनी नहीं, आसन की बात मानी नहीं, इतने सीनियर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वह छोड़ो बात। श्री बत्ती लालजी। नैक्स्ट क्वेश्चन। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): ठीक है उपाध्यक्ष महोदय।

टोडाभीम की स्वीकृत सड़कें

260. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2004-05 में कौन-कौनसी सड़कें किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गईं?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में और कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं? प्रस्तावित सड़कों को सरकार कब तक स्वीकृति देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2004-05 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव केन्द्र सरकार एवं आर आई डी एफ XI के प्रस्ताव नाबार्ड को भेज दिय गये हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह संलग्न किया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्री पूछना ही क्या। राष्ट्रीय क्या यह तो अन्तरराष्ट्रीय कीर्तिमान है दो साल के अन्दर सारी सड़क बना देना, यह कोई मामूली सरकारों का काम नहीं है। 40 सड़कें हैं। (व्यवधान) शब्द ही नहीं हैं क्या प्रश्न पूछें, जो धन्यवाद दे सकें आपको। यह तो अन्तरराष्ट्रीय कीर्तिमान है। यह तो आने वाले टाइम में

(श्री बत्तीलाल)

गिनीज बुक में लिखा जाएगा। 40 बताई हैं, दो साल में 40 सड़कें, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा लोकप्रिय और बात क्या हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष: श्री सांगसिंह भाटी।

छायण, टोटा, अजासर एवं दिधू ग्राम का उपनिवेशन तहसील में परिवर्तन

261. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जैसलमेर जिले के कई लोग पाकिस्तान चले गये थे? यदि हां, तो ऐसे कितने लोगों की कृषि भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई ? अधिग्रहीत की गई कृषि भूमि का सरकार द्वारा क्या उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जैसलमेर के कितने व कौन-कौन से गांवों को परिसीमन के बाद राजस्व गांव घोषित किया गया व कौन-कौन से गांव प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित राजस्व गांवों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसान महासभा नाचना में पोकरण तहसील के गांव छायण, टोटा, अजासर, दिधू को उपनिवेशन तहसील बाप से उपनिवेशन तहसील नाचना में लिये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक आदेश जारी कर दिये जाएंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी): (1) जी हां। वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान जाने वाले 145 काश्तकारों की कुल 7753.18 बीघा कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई थी। अधिग्रहीत की गई कृषि भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 (1) (8) के तहत सिवाय चक घोषित किया गया। जिला जैसलमेर डी पी ए पी के अन्तर्गत होने से आबंटन पर रोक के कारण तहसील जैसलमेर की 4135.03 बीघा भूमि आबंटित नहीं की जा सकी। तहसील पोकरण के गांव उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाने के कारण 3618.15 बीघा भूमि में से 1105.02 बीघा भूमि का आबंटन किया जा चुका है। शेष भूमि आबंटन की प्रक्रिया जारी है।

(श्री रामनारायण डूडी)

(2) जिला जैसलमेर के 69 गांवों को परिसीमन के बाद राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। वर्तमान में 10 प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर परीक्षणाधीन है। सूची परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(3) जी हां। आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेश क्रमांक प.6(18) समु./द/98/ 443 दिनांक 16.2.2006 के द्वारा पोकरण तहसील के उक्त गांवों को उपनिवेशन तहसील बाप से उपनिवेशन तहसील नाचना-2 में सम्मिलित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सन् 1971 की लड़ाई में भारत से निकलकर जो लोग पाकिस्तान गये, उनके पीछे बची हुई भूमि, जैसा आपने उत्तर दिया है, यह जवाब मेरे पास आपने नहीं भेजा है, यह पढ़ा हुआ नहीं है इसमें, नहीं है मेरे पास लेकिन वह जमीन ऐसी कितनी है जो नाजायज तरीके से उनके वारिस बनकर बैठे हैं, यह सूचना आपके पास नहीं पहुंची, न मेरे पास भेजी। जो पाकिस्तान चले गये उनके पीछे नाजायज वारिस बनकर, राज्य सरकार की भूमि पर कितने परिवार बैठे हैं, नम्बर एक ?

नम्बर दो, जैसलमेर में राजस्व ग्राम आपने घोषित किये, बहुत-बहुत धन्यवाद, 65 गांव राजस्व ग्राम घोषित किये, लेकिन जैसलमेर का भू-भाग, उपनिवेशन विभाग में हजारों बीघा जमीन का नये सिरे से एरिया आबाद हो रहा है, उस नये सिरे से आबाद एरिया में कितने राजस्व ग्राम घोषित करने की आप मंशा रखते हैं ? रखते हैं तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भाग (1) के बाबत जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य को बताया कि आपके यहां से पाकिस्तान लोग चले गये और पाकिस्तान जाने के बाद में जो भी उनकी भूमि यहां बचती है, रहती है, नियम 63(1)(8) के अन्दर सीधा प्रावधान है कि जो लोग चले जाते हैं तो यह सारी सिवाय चक हो जाती है। और सिवाय चक होने के बाद में वह जमीन किसी की नहीं रहती, वह सिवाय चक सरकार के खाते में आ जाती है। खाते में आने के बाद के अन्दर नियमानुसार ही उनका नियमन किया जाता है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये, जो नियम है, वही मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। आप जवाब देने दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नियमानुसार ही नियमन किया जाता है। मगर जैसलमेर जिला 1974 में डीपीएपी में घोषित कर दिया गया था और डीपीएपी में होने के कारण वहां किसी प्रकार का जमीन का आबंटन नहीं किया गया। जहां तक पोकरण का सवाल है, पोकरण के अन्दर 12 गांव की जमीन गई है 3618 बीघा, उसमें से यह प्रक्रिया शुरू की है। 1105 बीघा जमीन जो उस श्रेणी के अन्दर योग्य थे, जो पात्रता रखते थे, उनको अलाट की जा रही है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का कारण यह है कि गये हुए पाकिस्तान से वापस कितने परिवार आकर बसे हैं? क्या बसे हैं या नहीं?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, यह इस सवाल के अन्दर आपका जवाब नहीं है। सदस्य महोदय, पहला तो यह है कि तीन तरह के सवाल एक ही सवाल में आपने पूछे हैं एक तो पाकिस्तान चले गये उनका विवरण। दूसरा, कितने गांव राजस्व गांव घोषित किये गये, जो अलग नेचर का है। पहला अलग नेचर का है। और तीसरा, कोलोनाइजेशन से सम्बन्धित है, वह भी एक अलग नेचर का है। सारे सवालों को सम्मिलित करते हुए जो हमारे पास सूचना थी, उसके अनुसार मैंने आपसे यह निवेदन किया कि डीपीएपी 1974 में होने की वजह से हम जैसलमेर जिले के अन्दर किसी प्रकार का आबंटन नहीं कर सकते। जो यहां से चले गये, जो बिना सूचना दिये हुए पाकिस्तान चले गये, उनकी जितनी भी जमीन, जो खाता था, उस खाते को सारा सिवाय चक में घोषित कर दिया गया जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1)(8) के अन्तर्गत निहित है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके विभाग से सम्बन्धित नहीं है क्या? रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित नहीं है क्या? अलग प्रश्न क्या हुआ? भूमि से सम्बन्धित है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये उनमें से नाजायज परिवार कितने आकर उस जमीन पर बैठे हैं और उस जमीन को क्या उपयोग में आपने लिया है? यह सारा रेवेन्यू विभाग का मामला है, अलग से कौनसा प्रश्न है, नम्बर एक ? (व्यवधान) आप मेरा सुन लीजिये, मेरा प्रश्न सुन लीजिये। सुनिये आप, मेरा प्रश्न सुनिये।

दूसरा उपनिवेशन विभाग का है। तीन मेरे प्रश्न है, तीनों ही आपके विभाग से सम्बन्धित हैं। रेवेन्यू विभाग का है, उपनिवेशन विभाग का है और

(श्री सांगसिंह भाटी)

एक पाक आउस्टीज का है जो चलाकर पाक चले गये, उनके परिवार वापस कितने आकर उस जमीन पर बसे हैं, यह है। नाचना क्षेत्र में उपनिवेशन के गांव मेरे चार हैं जो बाप में चले गये-इट्टू, टोटा, अजासर, आसकलरा, इन क्षेत्रों में क्या पानी लगेगा? पानी नहीं लग रहा तो उन गांवों को बाप में देने का क्या औचित्य है? ये सारे आपके उपनिवेशन विभाग के, रेवेन्यू विभाग के मामले हैं। मेन प्रश्न मेरा यह है कि पाकिस्तान चले गये विस्थापितों की जमीन पर कितने परिवार वापस आकर बसे हैं और कितने नाजायज बैठे हैं, और उनको हटाना है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो प्रश्न का पहला खण्ड है, उसके अन्दर मैंने निवेदन किया कि 145 काश्तकार थे, 7753.18 बीघा जमीन उनके काश्त में थी, वे पाकिस्तान चले गये और उनकी लिस्ट मेरे पास है। आपके पास नहीं पहुंची हो तो मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): नहीं पहुंची है मेरे पास।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): पोकरण, जैसलमेर, फतेहगढ़, ये सारे 145 काश्तकार हैं, वे पाकिस्तान चले गये बिना सूचना दिये हुए। बिना सूचना दिये वे माइग्रेट कर गये तो माइग्रेट करने के बाद में वैसे ही उनकी जमीन का अवसान हो जाता है, उनके खाते निरस्त हो जाते हैं और उनको सिवाय चक घोषित कर दिया जाता है। अब कितने लोग वापस आये, कितने लोग उन पर काबिज हैं, सिवाय चक होने के बाद के अन्दर हो सकता है उन पर अतिक्रमण हो गया या उनके वारिस बनकर...(व्यवधान) उनके लिए यदि यह अलग से बता दें कि कितने वारिस यहां रह गये या जिनके ओरिजिनल खाते थे, जैसे मैं रामनारायण डूडी, मेरा खाता था, मैं कहीं बाहर चला गया हूं तो मेरी जमीन सिवाय चक में अवसान हो गई और जमीन सिवाय चक हो गई।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मुद्दा है यह। भारत से उठकर 8000 परिवार पाकिस्तान गये, बहुत गम्भीर मुद्दा यह है और करोड़ों रुपयों की जमीन के ऊपर आज की तारीख में कितने नाजायज बैठे हैं, क्या उनको रकबा राज में वापस लेने की मंशा रखते हैं? रखते हैं तो कब तक और नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सप्लीमेंट्री के तौर पर माननीय सदस्य ने मुझे जो पूछा है, इन्होंने केवल इतना पूछा था कि कितने लोग चले गये, तो मैंने उनको सूची बता दी कि 145 काश्तकार चले गये, जिनकी आन रिकार्ड 7053 बीघा जमीन है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय मंत्रीजी, ये 8000 लोग बता रहे हैं कि 8000 लोग बाहर गये हैं, उनके खाते की जमीन हैं, वह सिवाय चक हो गई, उस पर अनधिकृत लोग बैठे हैं, उनको हटाने की क्या योजना है आपकी? आप माननीय सदस्य का सवाल समझ ही नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं समझ पा रहा हूं। जितना आप कह रहे हैं, उतनी ही बात समझ पा रहा हूं और उतना ही समझ पा रहा हूं जितना मुझे कहना है। कहना इसलिए है कि रिकार्ड के अन्दर 1145 लोग यहां से पाकिस्तान चले गये बिना इन्फार्मेशन दिये हुए, जिनके खाते रजिस्टर्ड थे। उन रजिस्टर्ड खातों को आइडेंटिफाई किया गया तथा काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अनुसार जमीन को अवसान करके सिवाय चक घोषित कर दिया गया। आपने जैसा पूछा, इसका जवाब यह है। हमारे रिकार्ड में अभी तक 8000 की बात नहीं आई है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मेरी बात सुनिये, मेरी बात सुनिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि जो आन रिकार्ड है पुलिस थानों में, पुलिस थानों से पूरा रिकार्ड मंगवाया जाए सही ढंग से जांच करके तथ्य सामने लाये जाएं, नम्बर एक। मेरा जैसलमेर जिला सीमांत जिला है, यह संवेदनशील जिला है, आज की तारीख में उपनिवेशन विभाग में एक नियम है कि राजस्थान के बाहर का व्यक्ति जैसलमेर जिले के अन्दर जमीन नहीं ले सकता। उसकी वोटरलिस्ट नहीं है तो वह जमीन नहीं ले सकता। मूल निवास राजस्थान का नहीं है तो जमीन नहीं ले सकते। लेकिन आज की तारीख में, माननीय मंत्री महोदय, बाहर के कितने हैं? जैसलमेर जिला मेरा सीमांत जिला है, उसमें हजार-हजार, दो-दो बीघा की मांग करके गरीबों से जमीन छीनी जा रही है जबकि, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) सभी का मामला है यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप सुन लें। मेरी बात सुनिये।

श्री सांगसिंह भाटी: इसको वोटर लिस्ट के आधार पर, मूल निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर लेकर बारली, कतली जैसलमेर जिले में कोई भी एक बीघा जमीन नहीं लेवे, इस बात का आप ध्यान रखें, सीमांत जिला है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : मंत्रीजी, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, बात बहुत सिम्पल है, इतना-सा बता दें, युद्ध शुरू हुआ, लोग छोड़कर चले गये पाकिस्तान, सरकार ने सिवाय चक घोषित कर दी जमीन, वापस वे आकर उस पर ट्रेसपासर होकर बैठ गये युद्ध खतम होते ही...(व्यवधान) दूसरे जो भी हैं, तो आज की डेट में वह गवर्नमेंट लैण्ड हुई, गवर्नमेंट क्या कार्यवाही कर रही है? कितने लोग हैं, कितने लोगों को निकालने की क्या व्यवस्था कर रही है? कैसे ट्रेसपासर्स को हटाने की व्यवस्था कर रही है? इतना आप बता दें, खतम हुआ मामला। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : यही मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। माननीय, हो रही है। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी: कहां हो रही है? यह तो कहीं नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): उजाड़ने की बात हो रही है, बसाने की बात कोई नहीं कर रहा, रैगुलराइज करने की बात नहीं कर रहा कोई।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा है, स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो जैसलमेर का पूछा था।

श्री रामनारायण डूडी: यह सिम्पल-सा प्रश्न था, कितने लोग चले गये, कितनी जमीन हुई और यदि किसी प्रकार के वे अवैध रूप से वहां बैठे हैं, उनके वारिसान के अलावा, उनके जो वारिस हैं या दूसरे हैं जिनका खाता मैं जो निवेदन कर रहा हूं...

श्री सांगसिंह भाटी: आप बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे देना।

श्री रामनारायण डूडी: इसको कितना क्या है, यह सारी स्थिति मंगा लूंगा और उसके मुताबिक कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप बता देवें, आप सूची दे देवें। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी: सही तथ्य मंगाकर बाद में सही ढंग से रिकार्ड आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सूची दे देंगे, अपन कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत (शिव): क्योंकि जैसलमेर जिले का मामला है, मैं जैसलमेर का रहने वाला हूं, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, बहुत गम्भीर है। मेरा इसमें इतना पूछना है कि जो लोग पाकिस्तान गये और वापस भारत में आये, उनको वापस बसाने में और उनको उस जगह स्थापित करने में किन-किन नेताओं का हाथ हैं और वे किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसका पता करना भी जरूरी है, इसका उत्तर भी आना चाहिए, यह ऑन रिकार्ड है जिला प्रशासन के यहां और पुलिस थानों में यह भी रिकार्ड है कि कांग्रेस के लोगों ने ही उनको बसाया, कांग्रेस के लोगों ने ही उनको प्रोत्साहित किया।

श्री उपाध्यक्ष: शिव से आने वाले माननीय सदस्य, यह प्रश्न अलग है। (व्यवधान) श्री प्रहलाद गुंजल, नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: जैसलमेर का है यह। (व्यवधान) कासनियाजी, जैसलमेर से संबंधित है यह। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: जैसलमेर से संबंधित तो है पर इस इश्यू का थोड़ा ज्ञान है मुझे।

श्री लालचन्द मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो लोग 25-30 सालों से लगातार नाजायज काश्त कर रहे हैं, क्या सरकार उनको रैगुलराइज करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: पहले से ही प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, बहुत सीधा-सीधा है और...

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा जिले के पोषाहार वितरण केन्द्र

262. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमंडी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(1) कोटा जिले के कितने केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण किया जाता है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक केन्द्र पर प्रति दिन कितने बालकों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषाहार वितरित किया जाता है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): (1) वर्तमान में कोटा जिले में कुल 992 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 848 केन्द्रों पर पोषाहार वितरण किया जा रहा है। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

रामगंजमंडी 143, पीपल्दा 127, दीगोद 124, सांगोद 123, लाडपुरा 110, कोटा शहर 221, कुल 848 । तहसीलवार केन्द्रों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले में 848 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुल 75,764 बालकों एवं गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया है जिन्हें प्रति दिन पूरक पोषाहार वितरण किया जाता है। केन्द्रवार लाभान्वित बालकों एवं गर्भवती महिलाओं का संख्या विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रहलाद गुंजल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या पोषाहार वितरण में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना हो रही है ? आपने कोटा जिले में 848 केन्द्रों पर पोषाहार वितरण की जो सूचना दी है, क्या यह सच है कि इसमें 40 से 50 प्रतिशत केन्द्र बंद पड़े हैं ? आपने प्रत्येक केन्द्र पर जो बालकों की और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार वितरण की व्यवस्था और संख्या बताई है, क्या यह भी सच है कि यह संख्या मिथ्या है और 20 परसेंट से अधिक संख्या पोषाहार केन्द्रों पर पोषाहार प्राप्त करने के लिए नहीं आती है? इस बारे में आपने कभी भौतिक सत्यापन भी कराया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री कनकमल कटारा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार पोषाहार वितरण किया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पोषाहार निश्चित रूप से वितरित किया जा रहा है और नियमित रूप से बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। आपने जो बताया है कि पंजीकृत किये हुए 75,764 कुल 992 केन्द्रों पर जो हैं, इसमें 136 केन्द्रों पर नहीं हो रहा है, उसमें यह प्रक्रियाधीन है अभी।

(श्री कनकमल कटारा)

आंगनबाड़ी सेंटर ग्यारह हजार स्वीकृत हुए हैं, नये आंगनबाड़ी सेंटर भी यहां पर स्वीकृत हुए हैं, इनकी कार्यवाही अभी चल रही है और निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही इन केन्द्रों पर आंगनबाड़ी सेंटर पर पोषाहार वितरण किया जा रहा है।

श्री प्रहलाद गुंजल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने परिशिष्ट अ पर जो सूची संलग्न की है उसमें लाडपुरा तहसील में क्रम संख्या 21, 22 और 31 पर मेरे गांव के संदर्भ में वर्णन किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कियह जो संख्या बताई है, एकदम मिथ्या है, कभी भी किसी केन्द्र पर दस-बारह से ज्यादा बालक नहीं आते और महीने में पन्द्रह दिन केन्द्र बंद पड़े रहते हैं, क्या आप इस बारे में जांच करवाना चाहते हैं ? पहले भी मैंने यह मामला उठाया था, पचास परसेंट से ज्यादा केन्द्र लगातार बंद रहते हैं। जो चालीस-चालीस, पचास-पचास की संख्या तीन साल के बच्चों की, छह साल के बच्चों की और गर्भवती महिलाओं की बताई है, यह हण्ड्रेड परसेंट मिथ्या है, किसी भी केन्द्र पर बताई गई संख्या की 25 परसेंट से ज्यादा संख्या नहीं आती। इस दिशा में सरकार क्यों नहीं जांच करवाना चाहती कि तीस परसेंट से ज्यादा संख्या नहीं आती?

श्री कनकमल कटारा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना पर अवगत कराना चाहूंगा कि वाकई में अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप निश्चित रूप से मेरे ध्यान में यह लाएं, मैं इसकी निश्चित रूप से जांच करवाकर उसमें आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलने दें।

श्री हरिमोहन शर्मा: पहले भी, माननीय, इस विषय पर गम्भीरता से बहुत चर्चा हुई और जिस जांच की माननीय गुंजल साहब बात कर रहे हैं सदन की समिति बनाई गई, उस सदन की समिति का क्या निर्णय आया, जांच का क्या आया, माननीय मंत्री महोदय वह बता दें ताकि दोबारा जांच आपको नहीं करवानी पड़े।

श्री राजेन्द्र राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, सवाल का स्कोप अगर आप देखे, एक लाडपुरा और उससे संबंधित पूछा है कि कितने पोषाहार केन्द्र हैं, ये गांव की जांच की बात कर रहे हैं। मतलब, स्कोप में ही नहीं है कोई बात।

श्री उपाध्यक्ष: इसी से संबंधित है, बता देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: इसी की जांच की मांग माननीय सदस्य कर रहे हैं और जांच सब एक है, प्रकरण सब एक हैं, उस प्रकरण से क्यों मुंह मोड़ना चाहती है सरकार ?

श्री कनकमल कटारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच पूरी विभागीय, जैसे अभी करनी थी, कर ली। पूरी तरह से उसका वक्तव्य मैं पहले भी दे चुका हूं, अभी इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं। उसके अनुसार कार्यवाही पूरी हो रही है और उसमें पोषाहार वितरण किया जा रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा: विभागीय जांच का नहीं है, संसदीय समिति बनी थी विधान सभा की, उसकी जांच का है, उसने क्या रिपोर्ट दी?

एक माननीय सदस्य: पैसे का आरोप झूठा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: वह सदन के पटल पर रखो आप, क्या हुआ उसमें, क्या किया?

श्री रामनारायण मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कि सदन की कमेटी बनी, वह की, उसके बारे में माननीय सदस्य जानें और आप सब लोग जानें, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, मंत्रीजी, फील्ड में जाने का हमारा सभी माननीय सदस्यों का काम पड़ता है, हम देखते हैं कि जो संख्या फील्ड के रजिस्टर में बताई जाती है, वास्तव में वह संख्या वहां नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से भी जानना चाहूंगा, क्या सेन्ट्रल कोई मानीटरिंग का या एट रैण्डम चैकिंग का आपने अभी तक कोई सिस्टम नहीं बनाया ? इस तरह का सिस्टम यदि सरकार बनाएगी तो जो शिकायतें आती हैं, हर जिले में आती हैं, हर सेंटर में उन पर आपका कंट्रोल भी होगा और सरकार भी इसके बारे में सतर्क रहेगी।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की कंट्रोलिंग की जहां तक बात है, विभाग बिलकुल इसकी व्यवस्था कर रहा है। डिप्टी डाइरेक्टर जिले का होता है, सीडीपी होता है इसके नीचे एलएस होती है, सुपरवाइजर होती है, आंगनबाड़ी उसकी बराबर नियमित रूप से मंथली जांच करती हैं। लेकिन जैसा आपने निवेदन किया है कि आंगनबाड़ी सेन्टर पर बच्चों की संख्या कम पायी जाती है, वो तो आपको अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से ध्यान में आता होगा कि जो बच्चे सौ की संख्या का आकलन किया है इसमें से 18 तो गर्भवती धात्री माता और दो किशोरी, जो

(श्री कनकमल कटारा)

3 से 6 वर्ष की आयु के हैं ऐसे 40 बच्चों का साप्ताहिक एक साथ और पन्द्रह दिन में पूरा, जिसमें चालीस बच्चे ही सेन्टर पर रहते हैं, नियमित रूप से इनको ही, जीरो से तीन वर्ष के बच्चों को ही, लिया जाता है और बाकी को उनको दिया जाता है, इसलिए सौ का पूरा टारगेट आंगनबाड़ी सेन्टर पर है इनको दिया जाता है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमारा तो यह कहना है कि जितने पोषाहार का आप खर्च बताते हो, उतना खर्च होता नहीं है, रिकार्ड में मेन्टेन करना पड़ता है क्योंकि संख्या ज्यादा बतायी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका यह है कि जो छोटे-मोटे बच जाते हैं उनको अगले महीने दिया जाता है। इसमें कहां ऐसा...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, ये आंगनबाड़ी केन्द्र अब नहीं, जब से ये आंगनबाड़ी केन्द्र खुले हैं, इनमें लगातार बच्चों की जो संख्या है वो बिलकुल असत्य है, सही नहीं है, अगर सौ बच्चे अंकित हैं तो मौके पर चालीस बच्चे मिलेंगे।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने निवेदन किया कि चालीस बच्चे नियमित रूप से आते हैं बाकी को...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): दूसरा प्रश्न मेरा, कुए में भांग पड़ी हुई है। मंत्री महोदय, आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के अन्दर स्कीम तो बहुत अच्छी है, पर इसके अन्दर जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है उसको आप बंद करने का विचार रखते हैं क्या? ये पचास प्रतिशत सेन्टर बिलकुल कागजों में चल रहे हैं, और अब से नहीं वर्षों से चल रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी में अगर कोई विषय ऐसा आता है, कोई केन्द्र ऐसा है तो मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से जांच कराके दंडित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न, श्री कैलाश त्रिवेदी।

सहाड़ा के चिकित्सालयों में जांच सुविधाएं

263. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

(I) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कौन-कौन से चिकित्सालयों में एक्सरे एवं अन्य कौन-कौन सी जांच मशीनें उपलब्ध हैं?

(2) पिछले एक वर्ष में किन-किन चिकित्सालयों में कितने-कितने एक्सरे हुए एवं किन-किन रोगियों की जांच की गई? माहवार संख्या विवरण जनवरी, 2000 से आज तक का सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री भवानी जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर व रायपुर में एक्सरे मशीन, ई.सी.जी., माइक्रोस्कोप, हीमोग्लोबीन मीटर, ई.एस.आर. स्टेण्ट, न्यूबार्स चैम्बर आदि उपकरण उपलब्ध हैं। शेष सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सिर्फ माइक्रोस्कोप, हीमोग्लोबीन मीटर, ई.एस.आर. स्टेण्ट, न्यूबार्स चैम्बर आदि उपकरण उपलब्ध हैं। सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पिछले एक वर्ष (सन् 2005) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर में 768 रोगियों के 803 एक्सरे एवं रायपुर में 32 रोगियों के 32 एक्सरे किये गये। जिन रोगियों की एक्सरे जांच की गयी उनकी सूची परिशिष्ट–ब पर संलग्न है। जनवरी, 2000 से माहवार एक्सरे का विवरण परिशिष्ट–स पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, आपने परिशिष्ट–स पर जो बताया है- वर्ष 2000 में गंगापुर में 1282, 2001 में 1846, 2002 में 1813, 2003 में 1056 और 2004 में 1064 व रायपुर में 252, 2005 में गंगापुर में 803 और रायपुर में 32, ये एक्सरे और सारी जांचें डाक्टरों के द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं, नंबर-1। डाक्टरों द्वारा जो जांचें प्रस्तावित की जाती हैं, वर्ष 2000 से दिन-ब-दिन रोगियों की संख्या मेरे क्षेत्र में कम पड़ती जा रही है, क्या उस क्षेत्र में सारे डाक्टरों को हटा कर यह उपलब्धि आपके विभाग ने हासिल की है? रायपुर में सामुदायिक भवन में पांच डाक्टरों के पद थे, वो पांचों के पांचों रिक्त पड़े हैं, क्या पांचों रिक्त पदों को भरने के लिए पूरी तहसील के लोगों ने आंदोलन किया, पांच दिन तक मार्केट बंद रहे? क्या रायपुर की सरपंच ने पांच-सात दिन तक भूख हड़ताल की उसके बाद भी आपने कोई वहां डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की? गंगापुर में 10 में से 3 डॉक्टर हैं, वहां भी

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

आपने नियुक्ति नहीं की। इन मशीनों को क्या आप जंग लगाने का विचार रखते हैं? जिन मशीनों को हमने दानदाताओं से लिया, उनको आप वापस लौटाने का विचार रखते हैं? (व्यवधान) इतना होने के बावजूद आपने सारे डॉक्टरों को हटा करके जो उपलब्धि हासिल की है और जो विभाग ने अपनी उपलब्धियां किताब में लिखी हैं, रायपुर सामुदायिक भवन के चिकित्सा अधिकारी की जगह कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारी को उसमें नाम छाप कर मेरे यहां भेजा है, क्या यह आपकी सरकार की उपलब्धि है? इन सब पर आप बताइये।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवा दो वर्षों में राज्य सरकार के आने के बाद में जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि रोगियों की संख्या कम हूई है तो अच्छी बात है, रोगियों की संख्या कम ही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): डाक्टर हट गये तो रोगी आने ही नहीं हैं, जांच कौन प्रस्तावित करेगा? (व्यवधान) धर्मशाला हो गयी, कौन आएगा?

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): दूसरा 369 चिकित्सकों का आरपीएससी से चयन हो चुका है और सूची प्राप्त होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। उन पीएचसीज पर जहां एकमात्र चिकित्सक है एवं पद खाली है, उन पर भरने को प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में रेडियोग्राफर आपरेटर के अभाव में जो मशीनें संचालित नहीं हो पा रही हैं उन पर 30 जून, 2006 तक प्रशिक्षित आपरेटर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आपके केबिनेट मंत्री महोदय ने पिछले साल में चार बार मैंने क्वेश्चन लगाया तो चार बार सदन में आश्वस्त किया कि डाक्टर लगाएंगे, ढाई साल तो हो गये, आपने क्या ढाई साल और नहीं लगाने की कसम खा रखी है? ...(व्यवधान) आपकी आरपीएससी होगी और नहीं होगी +++ थे उनको आपने क्यों हटाया? लगे हुए थे उनको क्यों हटाया? मुझे तो नये लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आपने लगे हुए थे उनको क्यों हटाया? इसके बारे में जवाब दें। जो हटाये उनको वापस लगाने का विचार रखते हो कि नहीं? या उस क्षेत्र के लोगों को आप मौत के मुंह में सुलाने का विचार

रखते हो? उस क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया, महिला सरपंच भूख हड़ताल पर बैठी लेकिन आपने कोई सुनवाई नहीं की।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ...(व्यवधान) रोगी हमारे यहां कम हो गये, आपने पहले ही बोला है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आपके मंत्री जी दे देंगे न।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा बताया ...

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीलवाड़ा रैफर होते हैं, रास्ते में मौत के मुंह में जा रहे हैं और ये मंत्री कसम खाकर बैठे हुए हैं, सरकार कसम खाकर बैठी है कि डाक्टर नहीं लगाना। अगर नहीं लगाना है तो आप खुला कहो कि नहीं लगाएंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप उन होस्पिटलों को सामुदायिक नाम हटाकर उनको धर्मशाला कर दें, जो दानदाताओं ने अस्पताल बनाया है मेरे यहां ...(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): हां, मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रमोद जैन भाया।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मंत्रीजी जवाब दें। मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रमोद जैन भाया। अब ये जवाब आ गया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आपने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मंत्री महोदय, आप जवाब दें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इनसे जवाब दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष: आ गया जवाब।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हुए हैं आप इनसे जवाब दिलवा दीजिये क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ लगाना है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) जवाब दे दिया मंत्री महोदय ने, जल्दी पोस्टिंग हो रही है। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं इनसे जवाब दिलवाइये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) सदन में और सदन के बाहर नियुक्ति बताते हैं और नियुक्ति में कोई डाक्टर नहीं रहता है वहां।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): राज्य मंत्री के हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए इनसे जवाब दिलवाने से क्या फायदा है?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): राज्य मंत्री के हाथ में नहीं है, केबिनेट मंत्रीजी के हाथ में है और केबिनेट मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइये। साहब लोग मर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आप जवाब नहीं दिलवा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आप एक्सरे मशीन का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो मशीनों पर जंग लग रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) राज्य मंत्री से केवल प्रश्नों का जवाब दिलवा रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई अधिकार नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):...(व्यवधान) यह सरकार की उपलिब्ध है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ...(व्यवधान) राज्य मंत्रीजी, आपको पावर ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): मैं जवाब दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चिकित्सा मंत्रीजी को कहिये, जवाब दें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): बड़े मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें, बगैर पावर के हो आप तो।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप तो बगैर पावर के हो, मंत्रीजी, आप क्या जवाब दे रहे हैं? बड़े मंत्रीजी से दिलवाते जिनको पावर है।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): क्यों, मैं दूंगा न? वो डाक्टर ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): दिलवा दो। जवाब दिलवा दो।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आपको डाक्टर लगाने का अधिकार ही नहीं है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चिकित्सा मंत्रीजी जवाब दें...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): चिकित्सा मंत्री लगाएंगे डाक्टर, आपको कोई अधिकार ही नहीं है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) इससे कोई फायदा ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप काहे के लिए? सब हो चुका है। माननीय सदस्य।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): उन्होंने तो आश्वासन दे दिया मैं थक गया, अब आप काहे को परेशान हो रहे हो? आपके पावर में ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री तो खुद ही दुःखी हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है केवल ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): केबिनेट मंत्री को चाहिए...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये क्या जवाब देंगे, इनके पास कोई पावर नहीं है। ये घोषणा भी कर देंगे तो चिकित्सा मंत्रीजी नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

(समय : 12.00 बजे)

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो भी कहूंगा वह करके दिखाऊंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री मोहम्मद माहिर आजाद एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था के साथ खिलवाड़ से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में ।

स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं फिर भी माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य श्री माहिर आजाद को दो मिनट में अपनी बात रखने की अनुमति होगी।

2. श्री हरिमोहन शर्मा एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से जहाजपुर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन को विफल करने के संबंध में।

गृह विभाग की मांग पर आज चर्चा हो रही है, माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध है, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से शक्करगढ़-बिजौलियां सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।
2. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के विद्यालयों के भवन जीर्ण शीर्ण होने के संबंध में।
3. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से अफीम में हुए भारी नुकसान में किसानों की मदद करने के संबंध में ।
4. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से तहसील फागी में बिजली का 132 केवी ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के संबंध में ।
5. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर के चिकित्सालयों में सुविधाओं एवं उपकरणों का अभाव होने के संबंध में ।
6. श्री बाबूसिंह राठौड, सदस्य की ओर से तहसील शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बेलवा व चांमू में समाज कल्याण छात्रावास के भवन हेतु बजट स्वीकृत करने के संबंध में ।
7. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार के धार्मिक स्थलों को डामरीकृत सड़कों से जोडने के संबंध में ।
8. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से उप नगर नियोजक का मुख्यालय जयपुर की बजाय सीकर में करने के संबंध में ।
9. श्री हरज़ान सिंह, सदस्य की ओर से महवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने के संबंध में ।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से तहसील पीपल्दा के कस्बा इटावा की सड़कों की स्थिति खराब होने के संबंध में।

11. श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से ग्राम जवानपुरा पंचायत श्यामगढ़ तहसील नावां के आग दुर्घटना पीडित लोगों को सहायता प्रदान करने के संबंध में।

12. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से पाठ्य पुस्तकों में 'हरावल' नाम के पाठ को पुन: शामिल करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री मोहम्मद माहिर आजाद ।

अनुरोध एवं मांग

ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर शासकीय वक्तव्य की मांग

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई थी, माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले थे। बीच में सदन तीन-चार दिन चला नहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, उनके संबंध में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं, इस संबंध में कुछ व्यवस्था दे रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वैसे तो अकाल पर चर्चा के लिये ...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट ऑफ इन्फारमेशन ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, परसों रात को गंगानगर जिले में तेज आंधी-तूफान और वर्षा के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव ततारसा और करणपुर में ओलावृष्टि से सरसों की कटी हुई फसल और गेहूं की खडी फसल को भारी नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल इसकी गिरदावरी करवा कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, आज समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि इस सदन के तीन बार सदस्य रहे, संसद के सदस्य रहे, इस प्रदेश के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नामी किसान नेता श्री श्योपत सिंहजी का देहांत हो गया है। मैं निवेदन करुंगा चूंकि सदन चल रहा है तो उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : दाह संस्कार से पहले ही दे दोगे क्या ? मुख्य मंत्री जी और विधान सभा अध्यक्ष वहां गई हैं, आज एक बजे तो उनका दाह संस्कार है, उससे पहले ही दे दोगे क्या आप ? वाह भाई संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो स्थगन प्रस्ताव था ओलावृष्टि से नुकसान के संबंध, आसन ने निर्देश दिये थे माननीय मंत्री महोदय को कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी से वक्तव्य दिलाया जाए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के संबंध में आप कुछ कह दें सरकार की तरफ से क्या मदद हो रही है, क्या करने जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री श्योपत सिंहजी के निधन की अभी तक अधिकृत सूचना सदन को नहीं मिली है और दाह संस्कार भी आज हो रहा है इसलिए इसको कल लिया जा सकेगा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था उस संबंध में हमारे स्थगन प्रस्ताव पर आसन ने मंत्री महोदय को निर्देश दिया था वक्तव्य देने का, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनो तो सही ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी एक बात सुनें। श्योपत सिंहजी इतने वरिष्ठ आदमी का देहावसान हुआ, मुख्य मंत्रीजी और स्पीकर वहां जा रही है, इस सदन को सूचित करने के लिये कौन व्यक्ति दोषी है जिसने सूचना नहीं दी आपको और आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं मुख्य मंत्रीजी वहां पहुंच गईं और आपको सूचित तक नहीं किया गया इसके लिये कौन दोषी है?

श्री उपाध्यक्ष: कलक्टर से लिखित में सूचना आती है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): तो कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही कीजिए कि उन्होंने विधान सभा को सूचित क्यों नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: पुरानी परम्परा रही हुई है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि पर सदन में पहले चिंता व्यक्त की गई थी, आज भी है। आप कोई समय तय कर दें उसी समय मैं ओलावृष्टि पर अपना वक्तव्य दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अकाल के संबंध में एक दिन पूरी विस्तृत चर्चा होगी उसमें ये सारे विषय लिये जा सकते हैं, अकाल और आपदा दोनों आ जाएंगे उसमें ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह ओलावृष्टि का मामला है और किसान के नुकसान का मामला है, बहुत गंभीर मामला है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अलग से तो कोई होगा नहीं ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अलग से देने में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मिलनी चाहिये सरकार कहां-कहां पर किसानों को क्या दे रही है ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार की तरफ से कोई राहत पहुंचाई जा रही है हम यह जानना चाहते हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और जब मंत्रीजी तैयार हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप टाइम तय कर दीजिए चार बजे का ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप वक्तव्य दिलवाइए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई समय तय कर दें (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी तैयार हैं तो क्या दिक्कत है?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं पर कोई समय तय कर दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो आज का चार बजे का कर दो, आज चार बजे दिलवा दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: अकाल पर चर्चा के लिये दिन तय है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अकाल पर चर्चा सात दिन बाद है।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर काफी सदस्य बोलने वाले हैं ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, इसका अकाल से ताल्लुक नहीं है। किसान बर्बाद हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम तय करो । आज चार बजे करवा दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: अभी तय कर देते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप कल का समय तय कर दो ।

श्री उपाध्यक्ष: आप बात सुनिए । कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय हो गया है कि अकाल और प्राकृतिक आपदा के संबंध में पूरी चर्चा की जाएगी इस सदन में, और यह बेहतर होगा ..(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अकाल का ओलावृष्टि से क्या संबंध है साहब?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने निर्देश दिये थे मंत्रीजी को कि वह सदन में वक्तव्य देंगे, हम आपसे आसन के निर्देशों की पालना का अनुरोध कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: उस पर चर्चा होगी और उस चर्चा में सब सदस्यों को कहने का मौका मिलेगा ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ओलावृष्टि पर वक्तव्य देने के लिये मंत्रीजी तैयार हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आप वक्तव्य दिलवाओ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो गये 10 जिलों में और मंत्रीजी गुमसुम बैठे हैं। आप जब पहले एम एल ए नहीं थे तब कैसे दहाडते थे, बहुत आंदोलन करते थे किसानों के लिये, अब आपको क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या आपको?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जब पहले मैं दहाडता था तब आप नहीं थे, अब आप आ गये हो इसलिए मुझे डर लगता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो टाइम तय करो आज जो भी आप टाइम देना चाहें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर अकाल के अलावा इसमें व्यवस्था देना चाहते हैं आज या कल में तो मैं तैयार हूं ओलावृष्टि पर स्टेटमेंट देने के लिये आप मेरे को समय दे दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आज चार बजे करवा दें। किसान से जरूरी है क्या होम? आधे घंटे में क्या जा रहा है, आप 12 बजे तक बैठना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसको अकाल से अलग चर्चा के लिए जितना आवश्यक समझते हैं, अकाल और प्राकृतिक आपदा पर पूरी चर्चा होगी और पूरा दिन यहां हाउस के अंदर सब सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। इसके बावजूद अगर यह चाहते हैं तो मंत्री महोदय कल स्टेटमेंट दे देंगे। (व्यवधान) आज गृह मंत्रालय की मांग है इसलिए थोड़ा समय इसके अंदर लगेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन को इंगित करके यार शब्द कहा है, अनपार्लियामेंट्री है इसलिए एक्सपंज किया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके निरन्तर सम्पर्क में रहने बाद भी यह स्थिति है ?(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भरतपुर की सिंचाई व्यवस्था से खिलवाड़

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है- एक शुष्क जिसमें पश्चिमी राजस्थान आता है, दूसरा आर्ड जिसमें मेवाड़ और हाडौती क्षेत्र आता है, और तीसरा अर्धशुष्क जिसमें भरतपुर सम्भाग-भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा का कुछ हिस्सा आता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी तो नहीं हैं लेकिन सिंचाई राज्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ, बाकी के राजस्थान में हजारों, करोड़ों रुपये खर्च करके इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा, माही, चम्बल और गंग कैनाल का निर्माण कर वहां के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा में बाकी के राजस्थान के मुकाबले केवल पार्वती डैम, धौलपुर, जगरका बांध, हिण्डौन, जमवारामगढ़,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जयपुर, जयसमंद, अलवर, बंध बारेठा, भरतपुर हैं जो भी रियासत काल के बने हुए हैं। आजादी के बाद भरतपुर सम्भाग के किसानों की प्यासी धरती माता की प्यास बुझाने के लिए सिंचाई के साधनों का कोई विकास नहीं किया गया, बल्कि गुडगांवा कैनाल से भरतपुर जो पानी मिलना चाहिये था वह भी किसी भी तरह से हासिल नहीं किया गया।

इतना ही नहीं, यह जो कुछ चंद पानी के स्रोत थे, इनका उपयोग भी पेयजल के लिए किया जाता रहा है, जबकि पेयजल के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जानी चाहिये थी। सम्वत् 1956 और सम्वत् 1962 में जब भयंकर अकाल पड़ा, तब भी हमारे इस क्षेत्र ने इतना दुःख नहीं झेला जितना आज। गम्भीर, बाणगंगा, रूपारेल नदियां, जिनसे भरतपुर को पानी मिलता था, आज जिसको संसार का यूनिक इरिगेशन सिस्टम कहा जाता था आज स्थिति यह हो गई कि गम्भीर पर पाचना में बांध बनाकर पानी रोक दिया गया, बाणगंगा पर महावीरजी में एनिकट बनाकर पानी रोका जा रहा है और रूपारेल पर तरुण भारत संघ ने अलवर में लरकाबांस पिछले वर्षों में बांध बनाकर हमारे सीकरी सिस्टम और ककड़ा बांध जिसमें डीग, नगर और नदबई तहसील का पानी मिलता था, इसको पूरी तरह प्रभावित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर को जो पानी मिलता था, रूपारेल का पानी रोका गया, पाचना से गम्भीर का पानी रोका गया और अब जो बची-खुची बाणगंगा है उस पर महुवा के पाली और हुडियाना में और उधर महावीरजी में एनीकट्स की स्वीकृति दी जा रही है। अगर यह पानी भी रोक दिया गया तो न हमारी हरेला कैनाल में पानी मिलेगा न घना पक्षी विहार जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर का ख्यातिप्राप्त एक पर्यटन स्थल है, उसको पानी मिलेगा। (व्यवधान) वह आप लाओगे तब तक आपका कोई नामोनिशान ही नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन केवल इतना है कि भरतपुर जो काश्तकारों का प्रधान जिला है, सरसों और दूसरी खेतियों में राज्य में राजस्व का बड़ा हिस्सा देता है, केवलादेव घना पक्षी विहार वहां पर है, उसका अगर पानी रोका गया, और भरतपुर को रेगिस्तान बनाने की जो साजिश की जा रही है, इसको भरतपुर जिले का किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके

माध्यम से सिंचाई राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, यहां चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं जो कुम्हेर से आते हैं, यहां पर भरतपुर के डीग के माननीय सदस्य भी बैठे हैं, पूरे जिले के किसानों में इस चीज को लेकर भंयकर आक्रोश है। अगर समय रहते भरतपुर जैसे शांतिप्रिय जिले के किसानों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। भरतपुर रेगिस्तान में तब्दील होने की स्थिति में आ गया तो भरतपुर के किसानों को मजबूरन कानून और व्यवस्था की स्थिति को हाथ में लेना पड़ेगा और जीवन-मरण के इस प्रश्न के ऊपर कुछ न कुछ आंदोलित रूख अख्तियार करना पड़ेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई राज्य मंत्रीजी इस सदन के जरिये भरतपुर जिले के किसानों को यह आश्वस्त करें कि भरतपुर को किसी भी सूरत में रेगिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। उसकी सिंचाई की व्यवस्था को यथावत रख, उस जिले के पानी को नहीं रोका जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मंत्रीजी जवाब तो दें। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): न तो सिंचाई मंत्रीजी है न राज्य मंत्री... (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): भरतपुर में उद्योग बंद पड़े हुए हैं... (व्यवधान) उसका भी पानी रोक दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बार्डर इलाका होने के नाम पर....

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): पांचना डैम से भी पानी नहीं मिल पाता (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो अभी एनीकट बन रहे हैं उनकी स्वीकृति है, क्या उनको रूकवाकर रेगिस्तान होने से बचाएंगे? (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): काम भी चालू हो गया, उस पर रोक लगाई जाए। इसकी चर्चा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी भावना से सदन को अवगत कराया, निश्चित तौर पर इनकी भावना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आ गया। आपकी बात....(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक वर्ष हो गया, भारत सरकार को 109 करोड़ रुपये की योजना राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई है केवलादेवी को चम्बल से पानी देने के लिए। भारत सरकार इस पर अभी तक गम्भीर नहीं है और इसके कारण यह समस्या बन रही है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के नेता को भी कि भारत सरकार को इसके बारे में आप कन्विंस करें ताकि 109 करोड़ की योजना जो केवलादेवी की बनाकर राजस्थान सरकार ने एक वर्ष पूर्व भेजी थी, उसको स्वीकार करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब तो आर्थिक स्थिति राज्य की बहुत बढिया है, भारत सरकार पर डिपेण्ड क्यों कर रहे हैं, आप अपना काम शुरू कीजिए। (व्यवधान) आप हर चीज के लिये भारत सरकार को कहते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): भारत सरकार इसमें एहसान नहीं कर रही है। भारत सरकार को राजस्थान सरकार वन विभाग की तरफ से जो योजना भेजी गयी, ऊंट के मुंह में जीरे के समान, मात्र 16 प्रतिशत की स्वीकृति जारी की है, मात्र 16 प्रतिशत।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों सरकारों के सहयोग से अच्छा हो सकता है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घना एक नेशनल पार्क है और वर्ल्ड में फेमस चिड़ियों का एक स्थान है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार के ऊपर क्यों देखें। नेशनल पार्क में तो केन्द्र सरकार के बिना कुछ हो नहीं सकता है, इसलिये केन्द्र सरकार को..(व्यवधान) उसमें पानी लगातार रहे, इसकी व्यवस्था

(डा. दिगम्बर सिंह)

के लिये केन्द्र सरकार को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने जो भी प्रस्ताव वहां भेजे हैं, एक बार आप मेहरबानी करके बात करके उसको निश्चित रूप से करवाएंगे तो भरतपुर का घना बच सकेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बड़े आदर के साथ, मैं आपको कंट्राडिक्ट करने के लिये नहीं या ह्यूमिलिएट करने के लिये नहीं कह रहा, अगर आप इस साल के प्लान में इसको डलवा देते तो बेहतर रहता। आप कब तक इंतजार करेंगे भारत सरकार से? भागेश्वरी की कृपा से आज राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति, केन्द्र सरकार के सहयोग से, 12वें वित्त आयोग और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के से जो अनुदान प्राप्त हो रहा है, एक तरफ तो आप डींग हांकते हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और एक तरफ हर चीज के लिये भारत सरकार, हमने फलां योजना भारत सरकार को भेज दी, सरिस्का की योजना भारत सरकार को भेज दी, केवलादेवी की योजना भारत सरकार को भेज दी, रणथम्भौर की योजना हमने भारत सरकार को भेज दी। आप तो हर चीज के लिये भारत सरकार के ऊपर रहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: भारत सरकार कोई अलग से थोड़े ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसलिये, जब आप एडिशनल प्लान की बात करते हैं तो आपको अपने सोर्सेज के आधार पर उसको प्लान में डलवाना चाहिए और इस पार्क को सुरक्षित रखने की दृष्टि से आपको कार्य करना चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने प्रपोजल तो भेज ही रखे हैं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को ध्यान है कि राजस्थान पत्रिका में अभी एक कार्यक्रम हुआ था उसमें केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री नमोनारायणजी ने बारबार कहा था कि राजस्थान की सरकार जो भी, जितने भी हमको प्रस्ताव भेजेगी उतना हम सैंक्शन करेंगे। ये भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, भरतपुर के माननीय सदस्य भी कह रहे हैं, दिगम्बरजी भी कह रहे हैं, आप कृपया जोर लगाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी नमोनारायणजी से तकलीफ तो मैं समझ सकता हूं। इसलिये आप जो कह रहे हैं वह आपकी तकलीफ... (व्यवधान) लेकिन यह जो बात चली थी राजस्थान पत्रिका फंक्शन में, यह सरिस्का को लेकर चली थी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मात्र नमोनारायणजी नहीं, वन एवं पर्यावरण मंत्रीजी नहीं, भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी जब रणथम्भौर में आये थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राजस्थान सरकार के द्वारा भेजी जाएगी, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, स्वीकार कराइये।

श्री उपाध्यक्ष: कोई अस्वीकार थोड़े ही कर रहे हैं, ये? इनका सहयोग होगा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ भी कहा है...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार कोई एहसान करती है क्या? राज्य से टैक्स का हिस्सा नहीं लेती है, सेण्ट्रल एक्साइज का हिस्सा नहीं लेती है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार जो कुछ भी धनराशि खर्च करती है, वह योजनानुसार खर्च होता है। राजस्थान सरकार के भी लिमिटेड फण्ड हैं, भारत सरकार के पास भी लिमिटेड फण्ड हैं। वहां भी अनलिमिटेड नहीं है। आप जो काम करवाना चाहते हैं, अपनी योजना में शामिल करके मंजूरी ले लीजिए। कर रहे हैं ना राजेन्द्रसिंहजी राठौड़। गांवों में सड़कों को जोड़ रहे हैं। एक योजना है उस योजना के हिसाब से फायदा उठा रहे हैं। अब आप योजनाओं का तो फायदा उठाते नहीं हैं और भाषण यह दिया कि भारत सरकार को बनाकर भेज दी थी 12 महीने पहले। भारत सरकार कोई पोस्ट आफिस है जो आपने लैटर डाल दिया था? भारत सरकार कोई लैटर बाक्स नहीं है जहां आप डाल आये। आपको जो प्लान के पैसे मिलते हैं उस प्लान के अन्दर एडजस्ट कीजिए उसको। आपके राजेन्द्रजी राठौड़ करते हैं, कायदे से करते हैं। यहां आकर थोड़े ही कहते हैं, भारत सरकार, भारत सरकार।

श्री उपाध्यक्ष: नया टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दा दूसरा था।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसकी जानकारी आपको नहीं है। यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

इसमें प्लान में नहीं हो सकता है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, भारत सरकार देती है, तो कोई एहसान नहीं करती है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया को जो प्रस्ताव भेजे मात्र 16 प्रतिशत स्वीकृति दी है। प्रधान मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था, नमोनारायणजी, केन्द्रीय मंत्री ने बारबार कहा था, आप हमको प्रस्ताव बनाकर भेजो। जो प्रस्ताव भेजे हैं, अभी तक केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मुद्दा यह था, बाणगंगा नदी के ऊपर जो 2 एनिकट बनने जा रहे हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय वन मंत्रीजी, आप यह बताने की कृपा करें कि सरिस्का और रणथम्भौर में केन्द्र सरकार ने इतना पैसा दिया, आप उसको खर्च भी नहीं कर पाये और यू.सी. भी नहीं दे पाये, जिससे अगला बजट और आता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। श्री शिवजीराम मीणा। (व्यवधान) माहिर साहब, विराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजिये। (व्यवधान) एक मिनट, आप विराजिये, विवाद की बात नहीं कह रहा हूं मैं।

हमारा मुद्दा यह नहीं था। माननीय वन मंत्रीजी, हमारा मुद्दा यह नहीं था कि आप स्पेशली घना के लिये कौनसी योजना भारत सरकार को भेज रहे हैं और स्वीकृत करवाकर ला रहे हैं। (व्यवधान) यह अलग बात हो सकती है आपकी, पहले सुनिये। माननीय वन मंत्रीजी, हमारा मुद्दा यह है कि भरतपुर का प्राकृतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से, न्यायिक रूप से जिन नदियों पर अधिकार है, जो पानी सदा से, जिन नदियों के जरिये भरतपुर को आता रहा है, उनके ऊपर एनिकट बनाकर भरतपुर का पानी रोका जा रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वह पानी नहीं रुकना चाहिए। यह हमारा मुद्दा है। उसके बारे में क्या कह रही है सरकार, हम तो यह जानना चाहते हैं। (व्यवधान) आपने तो उसको उलझा दिया कि हम यह कर देंगे, वहां से आ रहा है, यह कर देंगे। उलझाइये मत, हमारा जो पानी आज तक हमको पिछले सौ साल से मिलता रहा है, वह क्यों रोका जा रहा है, यह बताइये?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है, इस पर गम्भीर चिन्तन होना चाहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता का इस और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा क्यों?

श्री उपाध्यक्ष: आप लीडर हैं इसलिये, आप नेता हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आप विपक्ष के नेता हैं इसलिये। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं इसलिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): न मैं भारत सरकार में हूं न राजस्थान सरकार में हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): नहीं, वह सरकार की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रतिपक्ष के नेता हैं इसलिये आपको कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो यह नियम की बात कही है। आप भी वही कर सकते हैं जो प्लान में है। ये भी वही कर सकते हैं जो प्लान में दिया है। घनश्याम तिवाड़ीजी भी वही स्कूल खोलेंगे, जो प्लान में इनको पैसा मिला है। यह भी वही काम करें, जो प्लान में पैसा मिला है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): नहीं, मैं निवेदन ही दूसरी बात कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसके बाद में उससे ऊपर आप प्लान ही क्यों बनाकर भेजते हैं? क्यों लोगों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं? उनको समझा दीजिए कि अगले वर्ष आएगा, हम ऐसा कर देंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): यह सैस की और केन्द्र के प्लान की बात नहीं है। मैं इतना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राइपेरियन थ्योरी में कैचमेंट एरिया एज-ए-होल को डवलप किया जाता है, एक पर्टीकुलर पार्ट को नहीं, बांध या बांध की डाउन-स्ट्रीम को नहीं। डैम की अप-स्ट्रीम को भी नहीं किया जाता है। जहां-जहां उसका उल्लंघन हुआ है, वहीं पर नुकसान हुआ है। यह सदन इस बात का साक्षी है। रिकार्ड है कि पाचना बांध की जब हाइट बढ़ाई जा रही थी तब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कि भरतपुर चोक होगा, तब माना सुनाई नहीं दिया। आज भी हम निवेदन करना चाहेंगे, सदन इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि राइपेरियन थ्योरी के आधार पर, सभी एरिया को थोड़ा पानी मिल जाए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, दोनों चोक नहीं हों। तब तो पार पड़ जाएगी, वर्ना वहां पर चाहे केन्द्र से पैसा ले आएं, चाहे कहीं से ले आएं, न तो भरतपुर सुरक्षित रह पाएगा, न अलवर और न वहां पर डैम सुरक्षित रह पाएंगे, हकीकत तो है यह। केन्द्र से पैसे का नहीं है, हमारी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह किसके हाथ में है? यह किसके हाथ में है? राजस्थान सरकार के हाथ में है, आपके हाथ में है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): वह बांध तोड़ना हमारे हाथ में है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आप तो यह बताओ, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने समर्थन तो किया है, समाधान क्या है? सरकार उसके लिये आश्वस्त करे हमको कि भरतपुर के साथ ना-इंसाफी नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): जो पाचना बांध बन गया, उसको तो निश्चित मात्रा में पानी छोड़ा जाए। (व्यवधान) भविष्य में और नये एनिकट नहीं बनाये जाएं, यह इसका समाधान है, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हो गयी। चर्चा बहुत हो गयी।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एरिये का पानी जो जा रहा था उसमें नदियों में सब जगह एनिकट बना रहे हैं। अब एनिकट नहीं बनें, हमारा पानी कैसे रुकेगा, सारा पानी बहकर भरतपुर में जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: नियम 295 के तहत सूचनाएं, श्री शिवजीराम मीणा, अनुपस्थित। श्री जोगाराम पटेल। (व्यवधान) बीच में नहीं, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चार जिलों का मामला है और माननीय मंत्रीजी ने हमारी बात का समर्थन किया है। (व्यवधान) आप जवाब तो दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय सदस्य, क्या जवाब सुनना चाहते हैं?

श्री नरपत राजवी (उद्योग मंत्री): मैंने राइपेरियन थ्योरी की बात कही है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): पूर्वी राजस्थान में स्टेट टाइम के बांध बने हुए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी, हमको आश्वासन दें, नहीं तो हम धरना देते हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इस सरकार ने एक भी बांध बनाया हो तो बता दें। पूरे स्टेट टाइम के बांध हैं, सारे सूखे पड़े हैं। पानी रोका जा रहा है रेगिस्तान बनता जा रहा है। आप नदबई में रहते हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी, हमको आश्वासन दिलाएं ना। चिकित्सा मंत्रीजी, भरतपुर की जनता माफ नहीं करेगी आपको। कुम्हेर रिजर्व हो गया है, आपको नदबई और डीग में भी माफ नहीं करेगी।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह ढपोरशंख सरकार कोई जवाब तो दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब तो दे। यह ढपोरशंख है। मंत्री नहीं है इनका कोई? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जब उद्योग मंत्रीजी समर्थन कर सकते हैं तो आप भी तो बता सकते हैं या नहीं? यह सही है कि भरतपुर का पानी नहीं रोका जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): ... (व्यवधान) कोई भी पानी नहीं छोड़ा जाए, यह हमारी मांग है आपसे । ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान के साथ भयंकर शोषण किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पाचना बांध बांधा जा रहा था तो पूरे भरतपुर ने उसका समर्थन किया था और आज उसका विरोध कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): यह कह रहे हैं एनिकट, आपने समर्थन किया था तब पाचना ... (व्यवधान) हम सबको इसका दु:ख है। ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इस सरकार के उद्योग मंत्री समर्थन कर रहे हैं। जवाब दिलवाइये आप। ... (व्यवधान)

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): भरतपुर ने समर्थन किया तब पाचना बांध बांधा गया । ... (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): जो एनिकट बन रहे हैं उनको रोका जाए। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ... (व्यवधान)

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा यह। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर चर्चा समाप्त हुई। आगे अलाउ नहीं करूंगा मैं। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? चर्चा समाप्त हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी कोई तय थोड़े ही हो रहा है यहां पर। विराजिये। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दिया मंत्रीजी ने। माननीय सदस्य, विराजिये। आज कोई इस पर ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर के साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। हम सब मिल बैठकर जो भी रास्ता निकल सकता है वह रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।... (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

लूणी विधान सभा के क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों की मरम्मत

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत शिक्षा विभाग के जीर्ण-शीर्ण भवनों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, नींव बिना भवन नहीं, शिक्षा बिना जीवन नहीं। शिक्षाविहीन नर पशु समान होता है। शिक्षा से मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बिना शिक्षा के मानव एक अनगढ़ पत्थर के समान है। शिक्षा रूपी औजार से गढ़कर शिक्षक रूपी कारीगर उस अनगढ़ पत्थर को मनचाही साकार मूर्ति के रूप में तैयार कर लेता है।

शिक्षा व शिक्षा मंदिरों अर्थात् विद्यालयों की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य व दायित्व है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस क्षेत्र में पांच वर्ष में कुछ नहीं किया। सिर्फ 'खजाना खाली है' का रोना रोती रही। पांच वर्ष में एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं की। राजीव गांधी पाठशालाओं में पैरा टीचर के नाम पर बेरोजगार शिक्षकों का शोषण किया व उनका अपमान करती रही। जीर्ण-शीर्ण, टूटी-फूटी व जर्जर अवस्था में स्थित विद्यालय भवनों की मरम्मत तक नहीं करवाई गई, नये विद्यालय भवन बनाना तो दूर की बात है।

वर्तमान भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी राजे के नेतृत्व में राज्य की बागडोर सम्भालते ही अपने घोषणा-पत्र में किये गये वादे के मुताबिक 40 हजार शिक्षकों की भर्ती कर पूरे भारत में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। आज तक आजादी के बाद पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शिक्षकों की भर्ती नहीं की गयी। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मुख्य मंत्रीजी व शिक्षा मंत्रीजी साधुवाद के पात्र हैं। मेरी व प्रदेश की जनता की तरफ से इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): 295 है क्या यह?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, बीच में नहीं, 295 हो रहा है।... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लूणी विधान सभा के अधिकांश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण व जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे हैं। भवन विस्तार की आवश्यकता है। जोधपुर क्षेत्र की लूणी विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत करवाने की महती आवश्यकता है। कई विद्यालयों में भवन की कमी है, उसको भी पूरा किया जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूणी का भवन आजादी से पूर्व निर्मित हुआ था। लम्बे अरसे से इस भवन की मरम्मत नहीं होने से पूरा भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया है और किसी भी वक्त गिर कर भारी जान-माल की हानि कर सकता है। विधान सभा क्षेत्र लूणी की नव-क्रमोन्नत एक मात्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूणी में भवन की कमी है, जिससे छात्राओं को अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। यह स्थिति लगभग सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों की है। इन विद्यालय भवनों की तुरन्त मरम्मत करवाना व आवश्यकता वाले विद्यालयों में भवन विस्तार का कार्य करवाना बहुत ही आवश्यक, न्याय संगत व जनहित में जरूरी है। आशा है इस संबंध में भी सरकार ध्यान देकर कार्य योजना बनाएगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बद्रीलाल जाट। (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ।

फागी में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत तहसील फागी में बिजली की 132 के.वी. ग्रिड स्थापित करने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील फागी जिला जयपुर में कई वर्षो से बिजली की गम्भीर समस्या है। यहां पर 40-50 किलोमीटर लम्बी बिजली की लाइन झूल रही है जिसके कारण जब तेज हवाएं चलती हैं तो बिजली के तार आपस में भिड़ जाते हैं जिसके

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

कारण तारों में फाल्ट हो जाता है। फाल्ट होने पर करीब दो-तीन दिनों तक बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। बिजली की लम्बी लाइन होने के कारण एक जगह भी फाल्ट हो जाने पर सम्पूर्ण तहसील की बिजली बंद करनी पड़ती है। पूरा पावर सप्लाई नहीं होने के कारण ग्रामीण किसानों की मोटरें प्राय: जल जाती हैं। बिजली नहीं आने के कारण ग्रामीण जनता, किसानों व व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया एवं ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तहसील फागी में बिजली की गम्भीर समस्या को देखते हुए बिजली की 132 के.वी. ग्रिड अतिशीघ्र स्थापित करवाने की कृपा करें ताकि ग्रामीण जनता, किसानों व व्यापारियों की बिजली की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन मेघवाल।

जोधपुर के चिकित्सालयों में सुविधाओं का अभाव

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्री एवं कालेज शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जिसमें लगभग 10 लाख की आबादी निवास कर रही है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जोधपुर जिला मुख्यालय सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान का मुख्यालय है। इस जिला मुख्यालय पर व्याप्त सुविधाओं का फायदा राज्य के लगभग 13-14 जिलों को सीधे तौर पर मिल रहा है। जोधपुर जिला मुख्यालय पर वर्तमान में सबसे बड़ा अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सालय के नाम से स्थित है। इसके अतिरिक्त उम्मेद महिला चिकित्सालय एवं एम.डी.एम. चिकित्सालय भी स्थित है। जोधपुर में स्थित चिकित्सालयों में यदि रोगियों की आवक को दृष्टिगोचर रखा जाए तो सभी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रोगी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचते हैं जिनकी विभिन्न जांचें व उपचार की सम्पूर्ण सुविधा नहीं होने से अन्यत्र राज्यों अथवा एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर तक आना पड़ता है।

(श्री मोहन मेघवाल)

अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदया, चिकित्सा मंत्री एवं कालेज शिक्षा मंत्री के जोधपुर प्रवास के दौरान इन चिकित्सालयों में व्याप्त सुविधाओं एवं उपकरणों की जानकारी प्राप्त की गई जिसमें आपने यह माना कि एस.एम.एस. चिकित्सालय के मुकाबले महात्मा गांधी चिकित्सालय में सुविधाओं एवं उपकरणों का अभाव है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया, चिकित्सा मंत्री एवं कालेज शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बराबर जोधपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अतिरिक्त जोधपुर के अस्पातालों में रोगियों की तादाद को देखते हुए कम से कम दो मेडिकल यूनिट बढ़ाई जाएं तथा इन अस्पतालों में रोगियों के अनुपात में नव पद सृजित करते हुए रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाए।

साथ ही मैं एक सुझाव यहां और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी अस्पताल में वर्तमान में भूमि की कमी महसूस की जा रही है। इस हेतु मेरा निवेदन है कि अस्पताल परिसर में स्थित आवासीय कालोनी को एम.डी.एम. अस्पताल परिसर में स्थानान्तरित कर दिया जाए तथा आवासीय कालोनी के स्थान पर अस्पताल भवन का विस्तार किया जाए ताकि जोधपुर शहर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सके तथा रोगियों को अनावश्यक रूप से राज्य के बाहर एवं जयपुर स्तर पर उपचारार्थ नहीं भटकना पड़े। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बेलवा व चामू छात्रावास भवन निर्माण हेतु बजट की स्वीकृति

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में ग्राम पंचायत बेलवा व ग्राम पंचायत चामू, पंचायत समिति बालेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में समाज कल्याण छात्रावास के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृति बाबत् निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, लेख है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत बेलवा व ग्राम पंचायत

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

चामू, पंचायत समिति बालेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु क्रमश: वर्ष 1991 व 2005 से छात्रावास एक किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं, जिसमें बेलवा छात्रावास तीन कमरे व एक झोपड़ा तथा एक रसोई घर में संचालित हो रहा है तथा चामू छात्रावास पांच कमरे, एक रसोई घर तथा एक स्नानघर में संचालित हो रहा है। उक्त दोनों ही छात्रावास में शौचालय का अभाव होने के कारण छात्रावास के छात्रों को खुले में शौच को जाना पड़ता है। इसके कारण छात्रों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में बेलवा छात्रावास में 35 एवं चामू छात्रावास में 25 छात्र अध्ययनरत हैं।

बेलवा छात्रावास के राजकीय भवन हेतु जिला कलक्टर महोदय द्वारा गांव में दो बीघा भूमि का नि:शुल्क आबंटन वर्ष 1998 में किया जा चुका है, परन्तु विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु आज दिनांक तक बजट जारी नहीं किया गया है। जबकि गत वर्ष जिला जोधपुर में चार छात्रावास नये स्वीकृत किये गये जिसमें वर्ष 1991 से ग्राम पंचायत बेलवा में चल रहे पुराने छात्रावास के भवन निर्माण को प्राथमिकता न देकर नव सृजित नवीन छात्रावास के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे यहां के स्थानीय ग्रामवासियों में गहरा रोष व्याप्त है एवं ग्रामीणों ने प्रमुख समाचार पत्रों में इस खबर को सचित्र छपवाकर अपना रोष व्यक्त किया है।

चामू छात्रावास हेतु ग्राम पंचायत द्वारा चार बीघा भूमि आबंटित है लेकिन छात्रावास भवन हेतु बजट आबंटन के अभाव में आज दिनांक तक आबंटित भूमि पर छात्रावास का भवन नहीं बन पाया है। भूमि आबंटन के पश्चात् भी समय पर बजट आबंटन नहीं होने से स्थानीय ग्रामवासियों में भंयकर रोष व्याप्त है।

आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2006-07 के बजट में भवनविहीन समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये प्रति छात्रावास 35 लाख रुपये बजट देने की घोषणा की है।

अत: उक्त दोनों छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु अविलम्ब 35-35

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

लाख रुपये का बजट स्वीकृत करवाकर किराये के मकान में रह रहे छात्रावास के छात्रों को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

गंगरार विधान सभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों तक डामर-सड़क

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों को डामरीकरण सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अति-महत्व के धार्मिक स्थलों को भी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना अति आवश्यक है, अत: विभाग को निर्देश दिलवाकर निम्न धार्मिक स्थलों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की राशि स्वीकृत कराने का अनुरोध करता हूं:-

1. मितिया महादेव बल्दरखा 2. सगरा माता मेडीखेड़ा 3. चावण्डा माता बोरदा 4. मतवाली माता राश्मी 5. जाड़ेश्वर महादेव राश्मी 6. मोती सिंह जी बावजी पहुंना 7. देवदण्डा जी भालोटा की खेड़ी 8. दाता का बावजी रतन खेड़ी 9. खाखल कावली मिरदाखेड़ी 10.गोल टेकरी खारखन्दा 11.रूचला माता रूद 12.देवनारायण जी देवदा

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजकुमारी शर्मा।

उप नगर नियोजक का मुख्यालय सीकर में खोलने बाबत

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर नगर के विकास में उप नगर नियोजक की भूमिका के संबंध में निवेदन करना चाहूंगी।

सीकर नगर परिषद् के विकास, वित्त एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उप नगर नियोजक की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे पट्टे जारी करने हेतु पेराफेरी का प्रकरण हो, कार्यों के मूल्यांकन का प्रकरण हो या अधिक राशि के चैक जारी करने का प्रकरण हो, उप नगर नियोजक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीकर नगर परिषद् के ज्यादातर मामले टिप्पणी हेतु या समीक्षा हेतु उप नगर

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

नियोजक के पास ही आते हैं। इन मामलों के निस्तारण हेतु बार बार नगर परिषद् के स्टॉफ को उप नगर नियोजक से ही सम्पर्क करना पड़ता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का कार्य हो, वह भी उप नगर नियोजक से सम्पर्क करना चाहता है।

परन्तु प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि उप नगर नियोजक का मुख्यालय सीकर के बजाय जयपुर में है। उप नगर नियोजक सीकर प्रवास पर जाते नहीं हैं। मात्र जब उनकी मीटिंग होती है तभी सीकर प्रवास पर जाते हैं, जिसके कारण आम लोगों के कार्य होने में या किसी को भुगतान मिलने में बड़ी परेशानी होती है तथा सीकर की जनता को जयपुर आकर कार्य करवाने के लिये मजबूर होना पड़ता है तथा स्थल पर कार्यो की तकनीकी रिपोर्ट भी दी जानी सम्भव नहीं हो पाती है व कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता रहता है। सीकर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य क्षेत्र सीकर ही है जिसमें नगर परिषद् के कार्य मुख्य हैं। ऐसे यदि उप नगर नियोजक का मुख्यालय जयपुर हो तो ये कार्य होने दुर्लभ होते हैं व जनता को परेशानी होती रहती है। सीकर की जनता बार-बार कार्य करवाने हेतु विधायक के यहां भी सम्पर्क करती रहती है तथा यह मांग भी करती है कि उप नगर नियोजक का मुख्यालय सीकर होना चाहिये। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मांग करना चाहूंगी कि उप नगर नियोजक का मुख्यालय या तो सीकर किया जाए। यदि अन्य जिलों का कार्य भी उप नगर नियोजक के पास है तो कम से कम लगातार 15 दिवस इनका प्रवास सीकर किया जाकर यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि वे सीकर प्रवास पर रहकर ही अपने कार्य निपटाएं जिससे बार-बार इनके पास न केवल नगर परिषद् सीकर के कार्मिकों को अपितु सीकर की जनता को भी कार्य करवाने के लिये जयपुर नहीं आना पड़े तथा कार्य में अनावश्यक विलम्ब भी न हो।

अन्त में, मैं पुरजोर शब्दों में उप नगर नियोजक का मुख्यालय जयपुर के बजाय सीकर में करने व जयपुर के बजाय सीकर मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ही नगर परिषद् सीकर के कार्यों के निपटारे बाबत उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार से निवेदन करती हूं। इससे एक तरफ तो नगर परिषद् सीकर के कार्मिकों को बार-बार जयपुर प्रवास पर नहीं आना पड़ेगा तथा

दूसरी ओर सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने कार्य करवाने के लिये जयपुर नहीं आना पड़ेगा व कार्य भी समय पर सम्पन्न हो सकेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरज्ञान सिंह।

महुआ मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र महुआ मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि तत्कालीन राजा-महाराजाओं के जमाने में निर्मित भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जो बिलकुल जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है जहां डाक्टरों को बैठने हेतु पर्याप्त जगह नहीं है। सरकार ने उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेशनल हाइवे 11 पर स्थित होने एवं आये दिन भयंकर एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर ट्रोमा यूनिट स्वीकृत की है। तत्कालीन सरकार के नुमाइंदों ने अपने निजी व्यक्तियों की दुकानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उसी जीर्ण-शीर्ण भवन के कोने में ट्रोमा यूनिट संचालित करवा दी जबकि इसके लिये भारी बजट स्वीकृत किया है, लेकिन भवन एवं पर्याप्त जगह के अभाव में आमजन को पूर्ण सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि महुआ मुख्यालय पर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह, जो कि काफी दिनों से उपयोग में नहीं आ रहा है, को चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरण करवा दें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण इस स्थान करवाया जाकर आमजन को पूर्ण सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल वर्मा।

इटावा कस्बे में सी.सी. रोड का निर्माण

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा इटावा तहसील पीपल्दा, जिसकी आबादी करीब 28,000 है, यहां से अनेक बसें, जीपें,

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

ट्रक, ट्रैक्टर कस्बे के मध्य होकर गुजरते हैं। इटावा कस्बे के मध्य रोड की दशा खराब है, जगह-जगह पर गड्डे पड़े हुए हैं, इससे आवागमन में भारी परेशानियां आती हैं। रोड पर जगह-जगह पानी भरा रहता है तथा दो पहिया वाहन की तो इतनी दशा खराब हो जाती है कि देखते ही पता चलता है कि यह इटावा से आये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कस्बे इटावा में सी.सी. रोड मय नाली के प्रस्ताव 247 लाख के बना कर भिजवाये जा चुके हैं लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अत: मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इटावा कस्बे की तहसील पीपल्दा का मुख्य कस्बा है, यहां मण्डी भी लगती है, इससे ट्रैफिक का भारी दबाव बना रहता है, उपरोक्त भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृत कर सी.सी. रोड मय नाली के निर्माण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीश्चन्द्र कुमावत।

नावां तहसील के जवानपुरा ग्राम में अग्नि पीड़ित परिवारों को सहायता

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम जवानपुरा पंचायत श्यामगढ़ तहसील नावां (नागौर) में आग दुर्घटना से पीडित लोगों को सरकारी सहायता प्रदान कराने के सम्बन्ध में कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 20.03.2006 को ग्राम जवानपुरा में लगी आग से एक मेघवाल परिवार तथा 23 गुर्जर परिवार को काफी नुकसान हुआ है। ये अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के निर्धन, असहाय एवं कमजोर पीडित परिवार निम्न हैं:-

1.	श्री ज्यूताराम गुर्जर	2.	श्री बाबू लाल गुर्जर
3.	श्री जेताराम गुर्जर	4.	श्री लादूराम मेघवाल
5.	श्री जीवाराम गुर्जर	6.	श्री गोमाराम गुर्जर
7.	श्री बाबूराम गुर्जर	8.	श्री छोटूराम गुर्जर
9.	श्री भागीरथ गुर्जर	10.	श्री मोतीराम गुर्जर

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

11.	श्री मोनाराम गुर्जर	12.	श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री मानाराम गुर्जर
13.	श्री श्रवणराम पुत्र बन्नाराम गुर्जर	14.	श्री दीपाराम गुर्जर
15.	श्री बाबूराम गुर्जर	16.	श्री बन्नाराम गुर्जर
17.	श्री बाथाराम गुर्जर	18.	श्री हेमाराम गुर्जर
19.	श्री किसनाराम गुर्जर	20.	श्री मांगूराम गुर्जर
21.	श्री सुन्नाराम गुर्जर	22.	श्री प्रेमाराम गुर्जर
23.	श्रीमती राजेश्वरी		

इनमें श्री ज्यूताराम गुर्जर, बाबूराम गुर्जर, लादूराम मेघवाल, श्री सीताराम पुत्र मानाराम गुर्जर के अत्यधिक नुकसान हुआ है तथा निम्न सात परिवार ऐसे हैं जिनके कच्चे मकान थे, वे पूर्णतया जलकर राख हो गये हैं श्री बाबूलाल गुर्जर, श्री लादूराम मेघवाल, श्री सीताराम पुत्र श्री मानाराम गुर्जर, बन्नाराम पुत्र श्री जेताराम गुर्जर, छोटूराम पुत्र श्री सुजाराम गुर्जर, श्री किसनाराम गुर्जर, श्री मांगूराम गुर्जर के कच्चे मकान थे, वे पूर्णतया जलकर राख हो गये हैं और वे बेघर हो गये हैं। इनमें दो परिवार बी.पी.एल. चयनित हैं परन्तु जिनके घर जलकर सब कुछ समाप्त हो गया उनकी स्थिति आज बी.पी.एल. से भी कमजोर हो गयी है।

मैं स्वयं मौके पर जाकर आया हूं। दांतारामगढ़ की स्वयं सेवी संस्था तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों ने तात्कालिक सहायता देकर सांत्वना दी है। श्रीमान् जिला कलक्टर, अतिरिक्त कलक्टर, तहसीलदार नावां, उप पुलिस अधीक्षक कुचामन, नावां व मारोठ के थानेदार, पटवारी, राजस्व अधिकारी, विकास अधिकारी, सरपंच व श्यामगढ़ व मारोठ के लोगों ने आग बुझाने में तत्परता से कार्य किया व श्रीमती रामेश्वरी गुर्जर ने तत्काल सूचना भिजवा कर सराहनीय कार्य किया है।

ऐसे पीड़ित परिवारों को वहां के स्वयंसेवी, समाजसेवी लोगों ने तात्कालिक सहायता देकर सांत्वना दी है परन्तु जो नुकसान हुआ है, सरकारी सहायता के रूप में जिनके घर जलकर बिलकुल नष्ट हो गये, ऐसे सभी अग्नि पीड़ितों को बी.पी.एल. परिवारों की भांति ही मानकर मकान बनवाये जावें तथा शेष सभी पीड़ितों को दस-दस हजार रुपये प्रत्येक की सहायता दी जाकर इस संकट के समय में अनुसूचित एवं पिछड़ी एवं निर्धन परिवारों को सहायता प्रदान करावें। इस ओर इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

"हरावल" विषयक पाठ का पाठ्यपुस्तकों में समावेश

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्षों पूर्व तक पाठ्य पुस्तकों में 'हरावल' नाम से एक पाठ होता था जो हम सब ने अपने बचपन में पढ़ा होगा। उस पाठ में जिस सच्ची घटना का वर्णन किया गया था वैसी ही घटना विश्व में और कहीं नहीं घटी थी। देश के ऊपर बलिदान होने में होड़ लगाने की यह अनूठी मिसाल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के राज के दौरान शक्तावतों और चुण्डावतों में ठन गई कि हरावल में, यानि कि युद्ध में अगली पंक्ति में कौन रहे। शुरू से हरावल में चुण्डावत रहते आये थे और शक्तावतों ने इसके लिए अपना दावा पेश किया। महाराणा ने कहा कि ऊंटाला दुर्ग जो कि मुगलों के कब्जे में था, उस पर जो पहले कब्जा करके अन्दर घुसेगा उसी को हरावल में रहने का दर्जा मिलेगा। शक्तावत और चुण्डावत दोनों दुर्ग पर टूट पड़े और मुगलों से खूब जोर आजमाइश कर लड़ाई की। शक्तावत दुर्ग के द्वार पर पहुंचे और हाथी की टक्कर से दुर्ग का द्वार खुलवाने लगे परन्तु द्वार पर लगे लोहे के कांटों की चुभन से हाथी जोर नहीं लगा पाये। बल्लू शक्तावत कांटों के आगे खड़े हो गये और फिर हाथी से टक्कर लगवाई और द्वार टूट गये। बल्लूजी शक्तावत शहीद हो गये। दूसरी ओर चुण्डावत सरदार बांस की सीढ़ी की सहायता से किले पर चढ़ गये और अपना सिर कटवा कर किले के अन्दर फेंक दिया। दुर्ग पर कब्जा हो गया।

ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन उस पाठ में था परन्तु पूर्व सरकार ने इसे हटा दिया जो कि इतिहास के पुरुषों का अपमान है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पाठ पुन: पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये ताकि आने वाली पीढ़ी देश के लिए समर्पित होने की भावना से ओत-प्रोत हो जावे और इसको उदाहरण की तरह लेकर नौजवानों में देश के लिए मर-मिटने की होड़ लग जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री संयम लोढ़ा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर के पास यांत्रिक बूचड़खाने की स्वीकृति का प्रकरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित कर रहा हूं जो न-केवल जयपुर बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक यांत्रिक बूचड़खाने से सम्बन्धित मसला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2000 के जुलाई माह में रीको की आई.डी.सी. कमेटी की मीटिंग हुई उसमें इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पर चर्चा की गयी और राज्य सरकार से प्रस्ताव की अनुमति की अपेक्षा की गयी। रीको की आई.डी.सी. कमेटी ने इस यांत्रिक बूचड़खाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लिया, मैं उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं- "The committee discussed the position as brought out in the agenda note. The Committee discussed the proposal of the company for allotment of land for setting up of a slaughter house. After detailed discussions the Committee observed that although the public opinion is against the setting up of a slaughter house, however since 40,000 animals are slaughtered per day under the unhygienic conditions it would be in the interest of the environment and the health of the people, that the slaughtering of the animals is done at the specified place under controlled conditions. In view of the above, the Committee decided to make provision for allotment of land for establishment of slaughter houses provided that applicant obtains permission from Local Authority, District administration, and Rajasthan Pollution Control Board, and the land would be allotted only in the Leather Complex."

यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में आई.डी.सी., जो रीको की कमेटी है उसने प्रपोजल लिया। 2003 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, इस प्रस्ताव को किसी तरह की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी। लेकिन जैसे ही हिन्दुत्व के नाम पर पूरे देश में राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की सत्ता पर काबिज हुई, गोवध संरक्षण के नाम पर पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान के जनमानस को प्रभावित करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की सत्ता पर काबिज हुई, राजस्थान की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उन लोगों

(श्री संयम लोढ़ा)

के साथ एक सांठगांठ की और इस पूरे प्रस्ताव को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाए, इसमें पूरी सरकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लग गयी।

2004 में सरकार के आने के साथ ही चर्चा हो गयी, लेकिन ब्यूरो ऑफ प्रमोशन से रीको को एक रिकमण्डेशन पत्र सबसे पहले इसके लिए लिखवाया गया कि इसको भूमि आबंटित कर दी जाए। लेकिन रीको के जो रूल्स लैण्ड अलाटमेंट के सम्बन्ध में बने हुए हैं उसकी शर्त संख्या पांच कहती है कि ऐसा कोई भी उद्योग जिससे जन-भावनाएं आहत होने की सम्भावना हो, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, तो इन्होंने आई.डी.सी. के अन्दर उस रूल को भी चेंज करवा दिया और मानपुर माचेड़ी में कत्लखाने की स्थापना के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि आबंटित कर दी। अब मैं रीको के क्लॉज नम्बर पांच के सम्बन्ध में जो प्रोसिडिंग है, उसका एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं:-

"Further keeping in view the sentiments of the local people, it was stipulated that the allottee will furnish an undertaking (Clause No. 5) to the effect that it will not at any stage takes such action which affects the sentiments of the local people. The company has objected to this condition on the ground that such undertaking may become a constant source of trouble leading to unnecessary harassment and blackmail by any small group of local people. BIP has also requested for suitable amendment in the undertaking."

(समय :13.00 बजे)

मतलब, अगर इस कत्लखाने की स्थापना से स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत होती हों तो उसके सम्बन्ध में एक अंडरटेकिंग ली गई थी कि वह कम्पनी ऐसा नहीं करेगी। पर क्या कमाल किया रीको ने? उसको हटा दिया और जैसा वह कम्पनी चाहती थी वे सारे प्रावधान उसको करके दे दिये। राजस्थान की जनता सोई हुई नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने तो अपने जो कर्म करने थे, कर दिये। कत्लखाने के लिए भूमि आबंटित कर दी, ग्राम पंचायत से दबाव डलवाकर उसकी एन ओ सी दी, काम चालू करवा दिया, लेकिन लोग सड़क पर आये और सड़क पर आकर सरकार के इस धर्म विरोधी कृत्य का विरोध किया। जिस हिन्दुत्व की बुनियाद पर यह सरकार काम कर रही है उसका विरोध किया। काम रुक गया। लेकिन उस यांत्रिक कत्लखाने के लिए जो भूमि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की जन

(श्री संयम लोढ़ा)

भावनाओं पर कुठाराघात करते हुए आबंटित की गई है, सरकार ने आज तक वह भूमि निरस्त नहीं की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2000 में जो प्रस्ताव भेजा गया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसका अनुमोदन नहीं किया। फिर इस सरकार को क्या जरूरत पड़ गई थी? जनता के बीच में आपके दावे आपके दूसरी तरह के, जनता के बीच में आपकी बातें दूसरी तरह की। खाली एक उस कम्पनी नेशनल नैचुरल फ्रोजन फ्रूट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के इस एफीडेविट के आधार पर कि वह गायों का कत्ल नहीं करेगा, सरकार ने यह कैसे मान लिया? उस कत्लखाने के अन्दर गायें कत्ल नहीं हों यह बात सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? खाली एक एफिडेविट उसका आधार। जो बकरियों को काट सकता है, भेड़ों को काट सकता है उस आदमी की मानसिकता किस तरह की होगी, वह गायों को क्यों नहीं काट सकता? आपने किस तरह की व्यवस्था की इसको रोकने के लिए?

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसी तरह का कोई भी मामला हुआ हो, वे कौनसे कारण हैं कि सरकार को इस लाबी के सामने घुटने टेकने पर विवश होना पडा? हजारों हजार, लाखों लाख राजस्थान के लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए भूमि आबंटन के लिए विवश होना पड़ा? इतना जबर्दस्त विरोध होने के बाद, आज वह सिद्धराजजी ढड्ढा इस दुनिया में नहीं हैं जिन्होंने राजस्थान और हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और उस आन्दोलन के अन्दर वह भी शामिल थे, आज उनकी पुण्य स्मृति को याद करते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर उस यांत्रिक कत्लखाने के लिए जो भूमि आबंटित की गई है उसको निरस्त करने की घोषणा करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): बूचड़खाने की स्वीकृति निरस्त होनी चाहिए। आदरणीय उद्योग मन्त्रीजी इस विषय में अभी निर्देश दें। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्यों बीच में ....

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कोई व्यवस्था करें, यह बहुत अहम सवाल है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या

(श्री नरपत सिंह राजवी)

का समाधान जरूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह जमीन अलॉट अभी नहीं हुई है, पैकेजिंग के लिए 1996 में हुई थी और 2000 में सबसे पहले तत्कालीन उद्योग मंत्री की सहमति से, उनकी नालेज में लाने के बाद यह हुआ है। मेरे तो न तो नालेज में लाया गया, उस समय मैं था नहीं, न चेंज की आज तक कोई अनुमति हमने दी है। जहां तक स्लाटर हाउसेज का प्रश्न है, स्लाटर हाउस रीको इंडस्ट्रियल एरिए में हम डिसकरेज करना चाहते हैं आई डी सी के अन्दर दुबारा इस विषय को ले जाकर। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, पैकेजिंग वाला पार्ट इसमें आ सकता है लेकिन स्लाटर हाउसेज न तो हमारे बायलाज में है न हम यह चाहते हैं और न हम यह होने देंगे।

जहां तक प्रश्न 2000 के आई डी सी का कहा, उसमें एक पत्र भी आप डी सी सामन्त साहब का पढ़ लेते जो 29 जुलाई को लिखा गया, 5 जुलाई, 2000 को आई डी सी से एप्रूव हुआ एजेंडा नम्बर 21, कि "Accordingly, we propose that the Office Order as per the draft enclosed be issued. Considering the sensitivities involved in the matter, I request you to apprise the Hon'ble Minister on the issue before the order is issued."

तो उनकी जानकारी में इश्यू हुआ और जानकारी में इश्यु हुआ है तो उस समय चाहे प्रत्यक्ष रूप से मानें या परोक्ष रूप से मानें, सरकार की उस समय सहमति थी । स्लाटर हाउसेज के सम्बन्ध में न हमारी सहमति आज है। यह इसलिए अटका हुआ है कैंसिलेशन का मामला कि जीव कल्याण परिषद से माननीय उच्च न्यायालय में 3359/05 का पी आई एल दायर हो चुकी है। उसकी बाउण्ड्री वाल का निर्माण आरम्भ किया था उस समय मैंने स्वयं इनीशिएटिव लेकर मुख्य मंत्रीजी से बात करके उसको रुकवाया। यह क्या निर्णय कोर्ट का होता है, इसमें जीव कल्याण परिषद ने किया है, और भी कई संस्थाओं ने किया है, निश्चित तौर पर उनकी क्रियान्विति होगी और मैं डिसकरेज करूंगा। मैं स्लाटर हाउसेज को रीको एरिया में नहीं होने दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्लाज नम्बर 5 तो आपने हटाया न, यह जो मैं पढ़ रहा हूं "Keeping in view the sentiments of the local people, it was stipulated that the allottee will furnish an undertaking (Clause No. 5) to the effect that it will not at any stage takes such action which affects the sentiments of the local people."

यह आपने हटाया, आपकी 10.11.2004 की मीटिंग में आपने हटवाया

(श्री संयम लोढ़ा)

और आप कह रहे हो हम प्रमोट नहीं करना चाहते। सदन को गुमराह कर रहे हो आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): सदन को गुमराह करने की स्थिति नहीं है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यह, उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो सदन की टेबल पर रख सकता हूं। आप साफ-साफ घोषणा क्यों नहीं करते कि आप निरस्त करोगे उस आबंटन को? अगर आपकी सरकार की मंशा नहीं है तो ...

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे न तो मैं किसी के दबाव में आकर घोषणा करूंगा..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दबाव की क्या बात होती है? आप सपोर्ट कर रहे हो। यह डाकूमेंट जाहिर करता है कि राजस्थान सरकार मिली हुई है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं हो इसके ऊपर हम एक्शन अभी लेने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई स्टे है क्या हाई कोर्ट का कि आप निरस्त नहीं करेंगे लैण्ड अलॉटमेंट?...(व्यवधान) स्टे है क्या?...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उद्योग मन्त्रीजी, आपसे तो उम्मीद है। आप तो रामजी की गाय नहीं हो, आप तो स्पष्ट कहो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अब तो बोलो, दिलावर साहब ...(व्यवधान) गोशाला का मामला है, बराबर में बैठे हो, करवाओ घोषणा।...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): स्पष्ट कहो भावना। धर्म की बात करते हो, आप इस बूचड़खाने को तो रोको। आपसे तो भारी उम्मीद है हमको।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इन्होंने वह क्लाज भी हटा दिया...(व्यवधान) वह क्लाज भी हटा दिया जो जनता की भावनाओं को आघात पहुंचाने देने के लिए रुका हुआ था। इसका मतलब आप वहां गायें कटवाना चाहते हो।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसका साफ मतलब यही है...(व्यवधान) इसका साफ मतलब यही है, आप वहां पर गोवंश को कटवाना चाहते हो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अब सही कर लो।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): मुंह में राम बगल में छुरी। आप तो रामजी की गाय नहीं हो, दबंग आदमी हो, आप घोषणा करो कि इन बूचड़खानों को बंद करेंगे। इस जयपुर को भी सड़ाओगे क्या?...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): कत्लखाने का मामला है, सरकार को कहकर बंद करवाओ।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात तो सुनें ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, वह जवाब दे रहे हैं, जवाब तो देने दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को मन्त्रीजी गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपके सामने वह क्लाज पढ़कर सुना दिया कि इन्होंने वह क्लाज हटाया है। जन भावनाओं को आहत करने के सम्बन्ध में जो क्लाज था उस कम्पनी के मालिक के कहने से वह हटाया है, इसका मतलब साफ है कि यह गायों को कटवाना चाहते हैं, मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह माननीय सदस्य कहना चाहते हैं परन्तु इनकी भावना को दबा दिया। हमारी मांग है, इस पर निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष: क्या कहना चाहते हैं, पहले सुनें तो सही आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, 2002 में स्लाटर हाउस की रीको के द्वारा अलॉट करने की पहल इन्होंने की, उसके बाद में कंडीशन हटाने की बात कहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 2003 तक कोई स्वीकृति नहीं दी गई।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनो तो ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी सरकार में आने के बाद कन्स्ट्रक्शन की पंचायत से एन ओ सी दिलवाई है, यह जन भावनाओं को आहत करने वाला क्लाज आपने हटवाया है ...(व्यवधान) और इसलिए हटवाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गायों को काटने की छूट देना चाहती है। इसलिए आपने उस क्लाज को हटवाया है ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): यह बोल दें उसके बाद जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें तो सही ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप ही परेशान हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज इनकी अन्तरात्मा को क्या हो गया है, आज इस केसरिया कपड़े को क्या हो गया है? यह क्लाज हटा दिया, यह क्लाज हटा दिया, कल गायें कटेंगी, कौन रोकेगा उनको?...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्लाज हटा दिया, हटा दिया होगा ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): क्लाज हटाया, सरकार का उसमें कुछ नहीं है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कटारिया साहब, आज आपकी आत्मा को क्या हो गया? आर.एस.एस. के वीरों, आपको क्या हो गया है? आपकी आत्मा कहां जा रही है? यह आपकी सरकार ने क्लाज हटा दिया, महंतजी, आप तो कुछ करो। यह सरकार गायों को काटने जा रही है, बाबाजी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, वह बता रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं आपके पक्ष में हूं और जो उद्योग मंत्रीजी ने कहा कि उसको डिसकरेज करेंगे ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): गाय तो आप लोगों ने कटवायी है। गाय किसी भी कीमत पर नहीं कटेगी, राजस्थान में नहीं कटेगी ... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपकी भावनाएं ऐसी लगीं कि कटेंगी। आपकी भावनाएं बता रही हैं, कटेंगी, जरूर कटेंगी। और मंत्रीजी का यह कहना कि...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): नहीं कटेंगी।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आप एक दिन पहले तैयार करा रहे हो। गर्व से कहो हम हिन्दू हैं...(व्यवधान) बाहर कटेंगी।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले हम कटेंगे, गायें बाद में कटेंगी...(व्यवधान) पहले हम कटेंगे, राजस्थान में गायें बाद में कटेंगी।...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इनवैस्ट के नाम पर, गाय की रक्षा के नाम पर, तुरन्त प्रभाव से सदस्य महोदय को आश्वासन दिया जाना चाहिये मंत्री महोदय द्वारा...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): गाय काटने वालों, बूचड़खाने वालों। बूचड़खाने बनाओगे गायों को काटने के लिये। ऐसे ही राम का नाम लेते हो? गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। हिन्दू राष्ट्र बनाया ही नहीं, कहां गया आपका ढोंग?...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम पहले कटेंगे, गाय बाद में कटेंगी। राजस्थान में गाय नहीं कटेगी। गाय के साथ हम कट जाएंगे... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शर्म आनी चाहिये, सिर्फ आपकी विचारधारा कि...(व्यवधान) इस गाय ने आपका हर तरह से पोषण किया है...(व्यवधान) सत्ता में आने के बाद राजस्थान के छह करोड़ लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम आप लोग कर रहे हैं, आपको जनता माफ करने वाली नहीं है...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. के सभी कार्यकर्ता दुःखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य दुःखी हैं। इनकी आत्मा दुःख रही है। परन्तु यह सरकार फिर भी इनके इशारे पर कार्य कर रही है। सरकार का निर्णय है...(व्यवधान) सरकार के दो चेहरे हैं... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह सरकार ऐसा लगता है कि हर जिले में एक बूचड़खाना खोल देगी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में किसी की परमीशन से बोल रहे हैं? माननीय सदस्य, आप क्यों बिना परमीशन के बोल रहे हैं? आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: परमीशन से नहीं बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ×××

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।...(व्यवधान) किसी का अंकित नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। आप स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को आप सुनना नहीं चाहते हैं, गलत बात है यह। आप स्थान ग्रहण करिये। एक एक आदमी को सुनेंगे हम, बैठिये आप।...(व्यवधान) अब सुनिये पहले आप। जवाब नहीं सुनना चाहते हैं आप। आप स्थान ग्रहण कीजिये। सुनना नहीं चाहते आप...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले आप स्थान ग्रहण करें।... (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आप 2004 का आदेश बता रहे हैं, 2004 के बाद तो काफी समय निकल चुका। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम इसके ऊपर पूरी कार्यवाही करेंगे, किसी प्रकार की कोई परमीशन देने की मंशा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद की परमीशन का बता रहे हैं आपको। सुनिये आप, बता देंगे।...(व्यवधान) तो सुनिये आप। माननीय मंत्री महोदय।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं यह लेकिन घुमा फिराकर गो हत्या पर लाना चाहते हैं। राजस्थान में हम जब तक हैं, हमारी गर्दन कट सकती है, गो हत्या नहीं होगी, चाहे कितनी कोशिश कर लें। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): गो हत्या नहीं होगी हमारी सरकार में...(व्यवधान) वह सबसे पहले आप लेकर आये हो...(व्यवधान) हम सुना रहे हैं उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): सरकार की नीयत आपकी तरह नहीं है, सरकार की नीयत बहुत साफ है। न पहले स्लाटर हाउस हमने अलाट किया, आपने 2000 में पहले...(व्यवधान) किया है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): कौन गुमराह कर रहा है? कौन डिनाय कर रहा है? उसके बाद में रोका भी हमने है...(व्यवधान) खानपुरा, माचेड़ी में सबसे पहले परमीशन आपकी सरकार ने दी है। सबसे पहले आपकी सरकार के टाइम पर हुआ है...(व्यवधान) 2000 से पहले कभी था क्या इस प्रकार का? आपकी सरकार ने किया ही क्यों ऐसा गलत काम? आपने अगर गलत काम किया है, उसको सुधारेंगे हम।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप काहे के लिये बीच में बोल रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): महीपाल जी, आपको पता नहीं है, 1996 में यह मिल गयी थी। उसके बाद यह लैंड अलाट 1996 में हो गयी थी। आपको जानकारी पूरी नहीं है। ... (व्यवधान) 2000 में आईडीसी ने स्लाटर हाउस के लिए परमीशन दी है। उसमें अगर क्लाज किया है और क्लाज चेंज करने से होता है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आप कोशिश करके इस सरकार की भी परमीशन की अगर प्रति ला देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने बहुत समय ले लिया।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप दूसरे तरीके से आएं। श्री मांगीलाल गरासिया।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कोटड़ा में कक्षा-कक्षों का निर्माण

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटड़ा का निवेदन करना चाहता हूं। कोटड़ा में भारत सरकार के माध्यम से शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए और कक्षा-कक्षों का निर्माण करने के लिए स्वीकृतियां जारी की गयी थीं। राज्य सरकार के माध्यम से सहभागिता प्राप्त करके स्वीकृतियां जारी करके सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने का काम किया गया है। कोटड़ा का पूरा ही क्षेत्र दूरगामी क्षेत्र है और बिखरी आबादी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बालकों की संख्या बढ़ी। जीर्ण अवस्था में कक्षा-कक्ष थे उनको ठीक करने और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किये जाने की स्वीकृतियां सर्व शिक्षा अभियान से करने के लिए हमें 50 स्वीकृतियां मिल गयीं। स्वीकृतियां मिलने के बाद में दस कक्षा-कक्षों की स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया गया, बड़े अफसोस की बात है। प्राथमिक विद्यालय खेकरा, मगरा, बड़ला, गांधी सरना, पावटी खुर्द, कुंती का लेवा, कुकड़ा खेड़ा, पड़लाई और उच्च प्राथमिक विद्यालय बाढ़ेर, लुकड़, माण्डवा ये निरस्त किये गये। ये क्यों निरस्त किये गये? मुझे खेद इसलिए है कि जो कक्षा-कक्षों का निर्माण निरस्त किया गया उनकी हमें स्वीकृतियां मिल गयी थीं सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से। इनका निर्माण जो एसडीएमसी के माध्यम से किया जाना था, वह उसके माध्यम से काम नहीं करके सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा-कक्षों का निर्माण और क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत करने के लिए सभी काम ठेके पर दिये गये। एसडीएमसी के माध्यम से काम होना था परंतु ठेके पर हुआ। उससे पहले भी कई कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य ठेके पर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ मुझे इस बात की है कि सुलाव जो आजना फलां में विद्यालय है उसमें 3 लाख 60 हजार की स्वीकृति मिली, और जो ठेकेदार है उसको कक्षा-कक्षों के निर्माण का ठेका 2 लाख 60 हजार पर दे दिया गया। लाखों का उसमें घोटाला करवाया गया। यही नहीं, पड़ावली कलां में विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति 3 लाख 60 हजार में मिली, लेकिन वहां अध्यापक भूरसिंह है उसी को ठेके पर दिया गया 2 लाख 75 हजार में। मुण्डावली में रोहिला कलां जो है, पड़ावली कला का यह विद्यालय है, उसमें

(श्री मांगीलाल गरासिया)

मोहनसिंह को ठेकेदार नियुक्त किया गया और उसको 3 लाख 60 हजार के बजाय 2 लाख 60 हजार के ठेके पर दे दिया। वास में राघूणा में 3 लाख 60 हजार की स्वीकृति मिली और इंद्रलाल को 1 लाख 50 हजार में ठेके पर दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से कई विद्यालयों को ठेके पर देकर बहुत बड़ा घोटाला किया गया। 10 कक्षा-कक्षों के निर्माण कराने की स्वीकृतियां मिल गयीं, 50 में से 10 को निरस्त किया वह निरस्त इसलिए किया कि उनको जो 15 प्रतिशत कमीशन मिलने का मामला था वह तय नहीं हुआ। 15 प्रतिशत कमीशन को एसडीएमसी के लोगों ने मना कर दिया कि काम को ठेके पर नहीं कराया जाएगा, उनको इसलिए निरस्त किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा-कक्षों के निमार्ण का कार्य कोटड़ा पंचायत समिति, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में हो रहा है, वहां पर घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है।इस तरह आने वाले टाइम में कक्षा-कक्षों का निर्माण किस तरह से हो पाएगा और वहां जो माल घटिया उपयोग में लिया जा रहा है, पढ़ने वाले बालिक-बालिकाएं उसके नीचे आ नहीं जाएं, मुझे चिंता है इस बात की।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे कौन आने देगा?

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ है। उसमें कई तरह की तकलीफे हुई हैं। प्राथमिक विद्यालय भँवरा खेत का सर्व शिक्षा अभियान में काम किया गया, उन लोगों को पेमेंट नहीं किया। उन मजदूरों का भी पेमेंट नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे कार्यों की जब तक जांच नहीं की जाएगी तो आने वाले वक्त में उन बच्चों के हित में यह काम ठीक नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी बात। कह दिया आपने जो कहना था।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 50 कक्षा-कक्षों के निर्माण में से 10 कक्षा-कक्षों को जो निरस्त किया गया, उसमें पुन: काम शुरू करवाया जाए, जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं। वहां पर जो कमीशन के माध्यम से काम हो रहा है, ठेकेदारों के माध्यम से काम हो रहे हैं उससे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खामियाजा उस एरिये को भुगतना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी यहां विराज रहे हैं, पंचायत मंत्रीजी यहां नहीं है, इस तरह से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है वह ठीक नहीं है। पंचायत समिति कोटड़ा में सर्व शिक्षा अभियान में जो काम हो रहा है ठेके के माध्यम से, बहुत बड़ी तकलीफ मुझे और उस एरिये के लोगों को है। यह घपला कम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पूरी बात आ गयी। विस्तार से आ गयी है।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है, उसे रोकने का काम करें। यह पूरा आदिवासी अंचल का क्षेत्र है।

श्री उपाध्यक्ष: पूरी बात आ गयी।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा, हमारी सरकार की ओर से मुझे जो उत्तर दिया गया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लाखों का मसला...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर संभाग से जुड़ा हुआ मामला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार की तरफ से उत्तर दिलाया जाए।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे जरूरत होगी तो, आप बीच में न बोलें।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच ए सी डी से कराएं या सदन की कमेटी बनाकर उससे जांच कराने की घोषणा करें। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप विराज जाएं।...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ...(व्यवधान).

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है। प्रधानाध्यापक ही वहां ठेका लेकर कक्षा कक्ष बनवा रहा है, सारा प्रमाण है। सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है और सरकार सुन रही है, 3 लाख का काम 2 लाख में हो रहा है, 1 लाख रुपए कमीशन का है। ...(व्यवधान)...

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यही नहीं, जहां 3 लाख 60 हजार रुपए का काम है और 1 लाख रुपए कमीशन का है, उस काम का क्या होगा? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने कह दिया न।... (व्यवधान)...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र का ही मामला नहीं है, पूरे ट्राइबल सब प्लान एरिया में यही हालत चल रही है। इसके लिए प्रभावी तरीके से कोई कदम उठाए जाएं वर्ना आने वाले समय में पूरे सम्भाग में, जनजाति सम्भाग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने पर्ची के मार्फत ध्यान आकर्षित कर दिया इस पर, सरकार जो उचित होगी वह कार्यवाही करेगी। ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र का मामला नहीं है, पूरे राजस्थान का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के साथ खिलवाड़ है।...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सदन की कमेटी बनाने की यहां खड़े होकर घोषणा करें।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा मंत्रीजी से चाहेंगे कि घटिया सामग्री से जो निर्माण हो रहे हैं, वह गोगुन्दा में ही नहीं पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, हालत बड़ी खराब है, हम आसन से चाहेंगे...(व्यवधान).

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान की समस्या है, आप जनता के लिए आखिर क्या व्यवस्था कर रहे हैं? कक्षा कक्ष निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है।...(व्यवधान) आपका एक मास्टर वर्षों से वहां ऐसे ही लगा हुआ है, इसलिए आप कोई शिक्षा की व्यवस्था कराएं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। कोई बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि कोटड़ा में 50 कार्य हुए हैं, 50 नहीं आपके 111 कार्य स्वीकृत हुए हैं 107.55 लाख रुपए की लागत से। पूरे उदयपुर जिले में 1440 कार्य स्वीकृत हैं। जहां तक तीन-चार जगहों का आपने नाम लिया है, यह सही है कि तीन-चार जगहों पर जो काम स्वीकृत हुए थे, वे निरस्त हुए हैं। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। एक काम खोकरा मगरा में हुआ, वह विद्यालय अस्तित्व में नहीं होने के कारण से हुआ। एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बड़ला में हुआ, यहां भी विद्यालय अस्तित्व में नहीं होने के कारण से हुआ। और भी दो-तीन काम हुए हैं। लेकिन जो बात माननीय सदस्य ने कही, वह बहुत गम्भीर है। सारा काम जो कराना था वह शाला विकास समिति के माध्यम से होना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान में जो काम होता है उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, इसकी सारी गाइड लाइन भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में तय है, उसके अन्दर एक एस डी एम सी, स्कूल डवलपमेण्ट एण्ड मैनेजमेण्ट कमेटी का गठन होता है, उसमें 13 आदमी होते हैं, उसमें माननीय विधायकों द्वारा नियुक्त आदमी भी हैं।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सुनो तो सही। यह नियम है लेकिन इस नियम की जिन-जिन जगहों पर पालना नहीं हुई है ...(व्यवधान) सुनो तो सही, आप सुनना चाहते हो?

समस्त जो नई प्राथमिक पाठशालाएं खुलेंगी, उच्च प्राथमिक पाठशालाएं खुलेंगी, उनमें जो निर्माण का काम होगा और जो शाला विकास समिति बनेगी उसमें एक-एक सदस्य माननीय विधायकों के द्वारा नियुक्त आदमी होगा। दूसरा, इन सारे की जांच होती है उसमें जो प्रधान होता है वह संस्था प्रधान होता है। वह जो प्रधानाध्यापक है वह होता है। सचिव उसका अध्यापक होता है और दो सदस्यों की नियुक्ति जन प्रतिनिधियों के कहने से

होती है, उसमें एम एल ए और एम पी होते हैं। इसी प्रकार महिला सदस्य, एस सी और एस टी के सदस्य की नियुक्ति भी होती है और कम्यूनिटी कंस्ट्रक्शन सहभागिता के आधार पर उसका काम कराया जाता है। उसको ब्लॉक लेवल पर देखने के लिए कनिष्ठ अभियंता नियुक्त है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने के लिए सहायक अभियंता नियुक्त है और स्टेट लेवल पर देखने के लिए मुख्य अभियंता को नियुक्त कर रखा है। ये सब प्रतिनियुक्ति पर हमारे पास आए हुए हैं और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है जो इन सारे कामों को देखती है। फिर भी कोटड़ा की जो आपकी शिकायत आई है ठेके पर देने वाली, वह मैंने नोट की है। कल सर्व शिक्षा अभियान की मीटिंग है, उसकी जांच भी मैं करा लूंगा, और आगे से इस अभियान के अन्तर्गत बढिया कंस्ट्रक्शन हो, उसके लिए जो भी समुचित व्यवस्था की जा सकती है वह कल डिमाण्ड पर बहस के जवाब देते समय इसकी व्यवस्था करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्रीजी, अन्य जिलों में भी है। उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सारे राजस्थान के लिए करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, माननीय मंत्रीजी, आज तक जो डाइरेक्शन आपने जारी किए हैं, एक भी जिले में, किसी भी स्थान पर किसी भी प्राइमरी स्कूल में उसको इम्प्लीमेण्ट जिला कलेक्टर ने और किसी ने नहीं किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कल मैं डिमाण्ड पर शाला विकास समिति का ढांचा और कराए जाने वाले काम और भविष्य में इसकी किस प्रकार रूपरेखा बनाई जाए ताकि ठीक ढंग से आप लोगों की देखरेख में काम हो सके, इसकी व्यवस्था करूंगा। प्रदेश स्तर पर मैं आज ही एक सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा करता हूं जो माननीय सदस्यों के द्वारा किसी भी विद्यालय भवन के बारे में शिकायत प्राप्त होगी, तुरन्त उसकी जांच सात दिन में करने के आदेश करे और मुझे अवगत कराए, इसके लिए सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी कर रहे हैं और कोटड़ा का आपने जो मामला उठाया है, उसकी विशेष जांच कराने का आपको निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): डी पी ई पी के माध्यम से भी काफी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में भी आप कोई व्यवस्था कराएं। डी पी ई पी के ऊपर भी कोई चैक लगे। जन प्रतिनिधियों को भी आप कम से कम जानकारी तो दें कि आप कहां-कहां काम करा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वे दोनों शामिल हो जाएंगे, डी पी ई पी और सर्व शिक्षा अभियान। ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सारे अध्यापक एक ही काम करते हैं, पट्टियां खरीद रहे हैं, टेण्डर दे रहे हैं, इसको आप रोकें। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कल मैं इसकी सारी रूपरेखा आपको बताऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह बहस का विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात बिलकुल सही है कि अभी तक जन प्रतिनिधियों को इस बात की सूचना नहीं थी कि जन प्रतिनिधियों के कहने से...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जन प्रतिनिधियों का मतलब उसमें डिफाइन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अब हम यह व्यवस्था करेंगे कि माननीय विधायकों के कहने से एक-एक आदमी, पंचायत के लोग होते हैं, जिला परिषद के लोग होते हैं, सब होते हैं, अध्यापक और सारे जो मिलकर नियुक्त करते हैं, कल सारी विस्तृत रूपरेखा बता देंगे।

माननीय सदस्य, इसमें मैम्बर होते हैं, एक प्रधानाध्यापक होता है अध्यक्ष, अभिभावकों की सभा द्वारा मनोनीत 3 सदस्य होते हैं, इनमें एक महिला है और एक एस सी और एक एस टी का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार निर्वाचित जन प्रतिनिधियों में पंचायती राज व्यवस्था के, नगरपालिका व्यवस्था के सदस्य, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत तीन सदस्य जिनमें भी एक महिला, एक एस सी और एक एस टी का होता है। इसी प्रकार राज्य और सम्भागीय, जिला स्तर पर सम्मानित सर्वाधिक राशि देने वाले भामाशाह भी होते हैं, एक उनमें से होता है, संस्था प्रधान द्वारा सदस्य मनोनीत होता है। कुल मिलाकर एम एल ए और एम पी द्वारा भी इसके अन्दर व्यवस्था हो तो कल मैं सारी व्यवस्था करके आपको बता दूंगा ताकि...

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर खुद संस्था प्रधान है उसी ने ठेका ले लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह अलग मामला है, इसकी जांच भी करा लेंगे। संस्था प्रधान ठेका ले नहीं सकता। यह बात जो कही... (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबकी जांच कराने की घोषणा कराएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: शिकायत जहां होगी, वहां सब जगह जांच होगी। जहां शिकायत होती है वहां जांच तो होती ही है।...(व्यवधान) श्री बाबूसिंह राठौड़।

पश्चिमी राजस्थान में गौशालाओं को अनुदान व अकाल राहत के कार्य

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विशेषकर पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में 90 से 10 प्रतिशत तक अकाल घोषित हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सीमावर्ती जिलों में, जोधपुर जिले में भी, सभी जगह जहां मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, इस वजह से वहां पर गौशालाओं को अनुदान मिलना चाहिए, लेकिन वह अनुदान आज दिन तक नहीं मिल रहा है। मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछले अकाल के समय में गौशालाओं और कैटल कैम्पों को जो अनुदान राशि दी जा रही थी, उसे बढ़ाकर बड़े पशुओं को 12 से 18 रुपए और छोटे पशुओं के लिए 9 से 18 रुपए किया। हालत यह है कि रेगिस्तान के अंदर आंधियां चल रही हैं, गर्मियां पड़ रही है, पशुओं की हालत दयनीय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां अकाल है वहां पर पशु शिविर खोलकर पशुओं को बचाने की कार्यवाही सरकार को अविलम्ब करनी चाहिए। और जहां पर अकाल नहीं है वहां पर जो गोशालाएं हैं उन गौशालाओं को सरकार की तरफ से अनुदान 1 अप्रैल से शीघ्र देना चाहिए जो अनुदान अभी नहीं मिल रहा है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि जो चारा डिपो अभी खुले हैं, उन चारा डिपो के अंदर 50 हजार रुपये बिना ब्याज देने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी वह 50 हजार रुपये चारा डिपो के लिए नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए भी शीघ्र घोषणा होनी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो अकाल राहत के काम पूर्व में चले हैं उनमें व्यक्तिगत लाभ योजना के कार्य करवाये जाने चाहिए। उपाध्यक्ष

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

महोदय, पिछली बार अकाल राहत में बहुत जोरदार काम हुआ है और बहुत ही अनुशासित तरीके से काम हुआ। उस काम के अंदर जितना गेहूं पिछले वर्ष दिया गया, उससे पहले अकाल में इतना गेहूं नहीं दिया गया था और इतने अकाल राहत कार्य भी नहीं खोले गये थे। जितने काम और गेहूं नाड़ियां खोदने के लिए दिये गये हैं, नाड़ियों पर जितना गेहूं दिया गया उतनी तगारी रेत नहीं डाली। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादातर व्यक्तिगत लाभ योजना के कार्य दिये जाने चाहिए। पूर्व में ऐसे कार्य किये जा चुके हैं। व्यक्तिगत लाभ योजना में जैसे टीनशैड के कार्य हैं, टांके के कार्य हैं, मकान बनाने के कार्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां कई जगह गर्मी पड़ने की वजह से आग स्वत: लगती है और जो कच्चे झूंपे हैं, कच्ची ढाणियां हैं, पूरी की पूरी ढाणियां जल जाती हैं। पूर्व में जो अकाल राहत में व्यक्तिगत लाभ योजना के काम हुए हैं, टांके के अंदर 18 क्विंटल गेहूं श्रम मद में दिया है और जो मैटीरियल कंपोनेंट होता है वह व्यक्ति ने स्वयं वहन किया है। इसी प्रकार टीनशैड और मकानों के अंदर भी 36 क्विंटल गेहूं श्रम मद से दिये हैं और आगे सामग्री मद का पैसा वह व्यक्ति स्वयं देता है। गेहूं तो 18 क्विंटल, 36 क्विंटल, 40 क्विंटल हर घर में गया है, लेकिन वह दिख नहीं रहा है। मुख्य मंत्रीजी की भी घोषणा है, उनकी अपील है, उनका आह्वान है कि स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्तिगत लाभ योजना जैसे टांके हैं, टीनशैड हैं, अगर वे काम दिये जाएंगे तो वे नजर आएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम मद में आप अकाल राहत के व्यकितगत लाभ योजना के काम कर दें, सामग्री मद व्यक्ति खुद उठाने के लिए तैयार है। अकाल राहत के अंदर प्लांटेशन के कार्य भी अगर आप कराएं तो प्लांटेशन से भी अच्छा कार्य होगा।

अभी आपने जोधपुर जिले के लिए 17 हजार लेबर पक्के कार्यों में डवटेल करने के लिए दी है। उस 17 हजार में से केवल मात्र 4 हजार श्रमिक अभी लगे हुए हैं। वे चार हजार श्रमिक इसलिए लगे हुए हैं कि पूर्व में जितने काम चल रहे थे, जिसमें श्रम मद होता है कुशल और अकुशल श्रमिक का पूरा श्रम मद जिसमें 40-50 परसेंट लम्प सम होता है, पूरा देते थे। इस वजह से लेबर लगती थी। अब आपने उसमें अकुशल को कम कर दिया, अकुशल दे रहे हैं और कुशल को नहीं दे रहे हैं इस कारण से चार हजार है। अगर कुशल और अकुशल दोनों श्रमिक देते तो 17 हजार पूरी लेबर अभी काम कर रही होती।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पिछले जितने अकाल राहत के कार्य हुए हैं...(व्यवधान)...डेगाना से आने वाले माननीय विधायक महोदय, यह गंभीर मुद्दा है, मंत्रीजी बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप बाद में बात करना, आपका भी इसमें मुद्दा शामिल है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 2005-06 में मेरे पास 18 लाख रुपये एमएलए लैड में थे, अब 18 लाख की 31 दिसम्बर तक डवटेल करके स्वीकृतियां पूर्व की भांति निकाल दी गई। उसमें कुल लागत 30 लाख के कार्य निकाले। 30 लाख में 12 लाख रुपये के डवटेल किये गये थे। आपके यहां से एक पत्र गया, वह पत्र 18.1.2006 का है, वह आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग से है, ''राहत कार्य संवत 2062, अंतर्गत कुशल श्रमिकों के भुगतान बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कई जिला कलेक्टर वर्तमान डवटेल नीति अंतर्गत चल रहे कार्यों में कुशल श्रमिक निर्माण कारीगर की दरों बाबत विभाग से स्पष्टीकरण चाहते रहते हैं। विभाग द्वारा जारी राहत कार्य निर्देशिका में केवल अकुशल श्रमिकों की दरों बाबत स्थिति दी गई है, वह राहत कार्य नीति में इन्हें भी लाभान्वित करने का प्रावधान है। पक्के कार्यों में कुशल श्रमिक कारीगर को देय राशि संबंधित विभाग द्वारा सामग्री मद से वहन की जाएगी। राहत मद अंतर्गत कुशल श्रमिक को भुगतान देय नहीं है।'' यह पत्र दे दिया और हमारे सैंक्शन निकल गई। उस 30 लाख की कुल लागत में से 3 हजार रुपये अकुशल को देंगे, अब 9 लाख रुपये बच गये। अब उसका भुगतान कहां से होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च का तीन महीने का काम रुका हुआ है। पूर्व की भांति जब अकाल राहत में पूरा डवटेल हो रहा था उसी हिसाब से काम निकाले हैं, उन कामों को बंद कराने के लिए लैटर दे दिया। उसका एक पत्र और जाता है 23.1.2006 को, जिसमें आपदा प्रबंधन सहायता विभाग लिखता है- ''राहत कार्य संवत 2062 अंतर्गत मरम्मत कार्य स्वीकृत करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपदा प्रबंधन एवं सहायता निर्देशिका दिनांक 1.9.2005 के बिन्दु संख्या 3.3.2 के अंतर्गत राज्य की सम्पत्तियां सृजित करने का प्रावधान है। अब उक्त बिन्दु अंतर्गत राजकीय स्कूलों में मरम्मत के कार्य भी कराये जा सकते हैं बशर्ते कि मैटीरियल कंपोनेंट स्कूल या किसी अन्य योजना, चाहे एमएलए, एमपी या दूसरी योजना से स्वीकृत कराएं जाएं, श्रम घटक राहत मद से देय होगा, पूरा श्रम घटक। अब यह और आदेश निकला। पहले आदेश की वजह से हमारे अधिकारी भयभीत हैं और हमने जब इन स्कूलों की मरम्मत के कार्य और स्कूलों में

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कमरे बनाने के काम निकाले हैं, 31 दिसम्बर से पहले उन कामों को इन्होंने रोक दिया। जैसे नाथरू में चारदीवारी फेंसिंग कार्य है, बन्नौ के बास में मरम्मत कार्य है, लोड़ता असलावता में मरम्मत कार्य है, नाथरोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मरम्मत और रंग-रोगन का कार्य है, मरम्मत कार्यों में यह पूरा डवटेल कर नहीं रहे हैं। पहले जितने काम हुए हैं उन कार्यों के अंदर 7.5.2005 को चामू में सार्वजनिक सभा भवन सहित बाबूराम चौधरी स्मारक के पास परियोजना की कुल लागत सवा लाख थी, सामग्री राशि से 71 हजार दिये गये और श्रम राशि से 47 हजार, उसमें कुशल और अकुशल दोनों श्रमिक दिये गये। इस प्रकार के काम हुए हैं। जितने काम पिछले वर्ष हुए हैं आपके समय में पूरे कुशल और अकुशल देते हुए पूरे श्रम मद राहत कोष में से दिये हैं और शेष राशि हमने मैटीरियल कंपोनेंट में एमएलए लैड, एमपी लैड या अन्य योजनाओं में से दी है। यह इतनी लंबी-चौड़ी लिस्ट है इस लिस्ट के माध्यम से हमने पिछली बार अकाल राहत के कार्य कराये हैं। जैसी आपकी मंशा है, मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि स्थायी परिसम्पत्तियां बनें, ऐसी अपील है, ऐसा आह्वान है, इस वजह से हमने सारे काम दिये। उसकी वजह से इतने अच्छे काम हुए, समय पर काम हुए और आपको अकाल राहत का पैसा आज दिख रहा है जिसके अंदर बोर्ड लगता है एमएलए लैड प्लस अकाल राहत। यह आपका काम दिख रहा है। और बाकी कितने काम नाड़ी के नहीं हुए? मैं कहना चाहता हूं, पुरानी जितनी नाडियां हैं उनमें पानी ठहरता है। चिकनी मिट्टी है, उसको खोद दिया गया है, पानी रुकता नहीं है। अब स्थिति नाडियों में बराबर नहीं है। अच्छे तालाब खोदे जाएं। मैं चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा पक्के कार्यों में दें।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जो स्वीकृतियां निकली हैं 31.12.2005 को, अकाल राहत का जो पैसा बचा था उसमें ये स्वीकृतियां निकलीं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चाबा में एक हाल और बरामदा सामग्री राशि 83 हजार, श्रम की राशि 42 हजार। इसी प्रकार से गोस्वामी बाबा मंदिर के पास सामुदायिक सभा भवन सामग्री राशि 80 हजार और श्रम की राशि 45 हजार। सार्वजनिक सभा भवन नाहरसिंहनगर में 79 हजार सामग्री और श्रम में 46 हजार। इस प्रकार के काम काफी हमारे निकले हैं। इसी प्रकार 31.12 को और स्वीकृतियां निकलीं। और कुछ काम ऐसे हैं जो टीएफसी मद से निकाले हैं, एम पी लैड के काम भी निकाले हैं। टीएफसी मद में 31.12.2005 को

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

करीबन 93 कार्य स्वीकृत किये गये और गुरु गोलवलकर में 31 दिसम्बर तक डवटेल होकर कार्य निकाले हैं। अब ये आदेश आने से जो काम चल रहे हैं उन कामों के अंदर कुशल को अलग करके अकुशल को मजदूरी देने का वापस यहां से वायरलैस गया है इसलिए असमंजस की स्थिति हो गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) गंभीर मुद्दा है, आपके जिले में भी अकाल राहत के काम चल रहे हैं, मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात, सारी आ गई।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अकाल राहत के अंदर भी आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने लिखा है, राहत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां तक संभव हो कार्य स्थायी प्रकृति के संपादित हों जिनके लिए सामग्री अंश की व्यवस्था अन्य विभिन्न योजनाओं की राशि से डवटेल करके की जाए क्योंकि राहत प्रबंधन में सामग्री अंश, श्रम अंश की राशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। सामग्री राशि अन्य विभागों, योजनाओं से डवटेल करने से कार्यों की संख्या भी बढ़ जाती है एवं स्थायी प्रकृति के कार्य संपादित किये जाते हैं। डवटेल व्यवस्था में संपूर्ण श्रम राशि जिसमें 25 प्रतिशत नकद श्रम भुगतान एवं शेष 25 प्रतिशत श्रम भुगतान एसजीआरवाई के गेहूं में किया जाता है। इस प्रकार डवटेल में पूरा लिखा है। दूसरा यह भी लिखा है कि स्थानीय निकाय, सहकारिता विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम, अन्य राजक्रीय उपक्रम आदि स्थायी सम्पत्तियां अभावग्रस्त क्षेत्रों में बनायी जा सकती हैं, परंतु इन कार्यों में लगने वाली समस्त सामग्री राशि संबंधित डवटेल अभिकरण को स्वयं के मद से वहन करनी पड़ेगी। राहत कार्यों के अंतर्गत उनके श्रम भुगतान में 76 प्रतिशत भाग गेहूं के रूप में एसजीआरवाई के गेहूं में और 25 प्रतिशत नकद भुगतान दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक और पूर्व में सैंक्शन निकाली गई है कि राहत कार्यों के अंतर्गत पटवार घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय भवनों में पूरी श्रम मद राहत मद में से दी जाती है। 7 नम्बर में यह लिखा है कि सांसद, विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के कार्य जिसमें सामग्री मद हेतु पूरी राशि उक्त योजना से प्राप्त हो सके, श्रम राशि अकाल राहत से व्यय होगी। एक और इसमें लिखा

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

है कि जहां ऊँट गाड़ी हैं उनको श्रम के अन्दर मानते हुए ग्रेवल सड़कें बनाई जाएंगी। उसके अन्दर भी हमारी स्वीकृतियां निकली हैं और उसके अन्दर ऊँट गाड़ी को मानव दिवस मानते हुए ऊँट गाड़ी मानव 133 गुणा दो सौ रुपये के हिसाब से 26,600 और कुल लागत आती है एक लाख 32 हजार, 3 किलोमीटर में 3 लाख 96 हजार यह पूरा का पूरा श्रम में से दिया जाता है। इससे हमारे वहां ग्रेवल सड़कें बनती हैं और नजदीक होने से ऊँट छकड़े लेकर के काम होता है। ऊँट छकड़े की वजह से पूरे श्रम का पैसा देकर वह ग्रेवल सड़कें बनती हैं जहां पर लोगों के चलने का रास्ता आसान होता है। आगे भी लिखा है कि जिन जिला में बैल/ऊँट गाड़ी है, तो ऊँट लिखा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको मौका मिलेगा। आप अकाल पर चर्चा कर लें। ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अकाल राहत का काम है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी तक अकाल राहत के काम गांवों में खुले नहीं हैं, वहां की स्थितियां खराब हैं। वहां पर अनुदान भी मिलता है और लेबर सीलिंग सीमा भी आपको बढ़ानी चाहिए और एक तारीख से आपको अकाल राहत के काम शुरू कराने चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। जो कुछ भी हमारा काम है, अभी एक अप्रैल से एमएलए और एमपी लैड का पैसा और आएगा, अगर आप राजस्थान सरकार के अकाल राहत आपदा कोष में से दे देंगे तो काम ज्यादा हो सकेंगे, पक्के काम होंगे। पूर्व में भी एक बार शून्यकाल में पर्ची लगाई खुशवीर सिंहजी, खारची से आने वाले सदस्य ने, तो आपने कहा कि सीआरएफ के निर्देश आये हैं। अब सीआरएफ के निर्देश तो पहले से हैं। डवटेल तो हमेशा होते रहे हैं, चाहे राज कांग्रेस का रहा है, चाहे बी.जे.पी. का रहा है लेकिन पूरा लेबर कम्पोनेंट देते थे, मैटीरियल कम्पोनेंट यहां से होता था। अगर आप पक्के निर्माण की स्थाई परिसम्पतियां, बनाना चाहते हैं तो पूरी लेबर सीमा आप दें, आपके कोष में से अगर आपके पास पैसा बचा है या कैसे भी व्यवस्था कराएं, यह मेरा निवेदन है। एक और सूचना है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अकाल पर चर्चा होगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अभी यहां पर राजस्थान राज्य राशन विक्रेता महासंघ का बाहर प्रदर्शन और रैली चल रही है, उस रैली के अन्दर डीलर्स आए हैं, वे केरोसिन तेल कमीशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गेहूं पर

प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, अकाल राहत गेहूं पर एक परसेंट छीजत दिलवाने सहित कई मुद्दों पर प्रदर्शन चल रहा है, कई मुद्दे हैं, इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अब बहुत जल्दी एक अप्रैल से ही क्योंकि 5 तारीख को इसकी चर्चा होगी...(व्यवधान)... तो 5 तारीख के बाद में 11 तारीख को पखवाड़ा होगा उससे काम चालू होगा, लेकिन आज ही यहां घोषणा कर दो कि एक तारीख को लेबर सीमा बढ़ेगी, व्यक्तिगत लाभ योजना के काम होंगे और आपके पक्के कार्यों में लेबर मद लेकर कम्पोनेंट पूरा दिया जाएगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, यह तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह सभी माननीय सदस्यों का मुद्दा है, हम दो सदस्यों का ही नहीं है, अगर आप घोषणा करते हैं तो इससे बढ़कर और कोई अकाल राहत के लिए अच्छा कार्य नहीं होगा। ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, कुछ पक्ष में जवाब दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पूरा बहस का समय दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जवाब देना चाह रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय लगेगा मंत्री महोदय विराजमान हैं। ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): योग्य मंत्री हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: कुछ कहना है क्या, मंत्री महोदय? मंत्री महोदय, क्या जवाब देते हैं?...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अगला नाम पुकार लिया आपने और फिर कह रहे हैं जवाब दे रहे हैं। तो सभी माननीय सदस्य जो पर्ची पर बोले हैं, कृपया आप सब का जवाब दिलवा दें। ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, हमारा इतना निवेदन तो स्वीकार करिए आप। आप जो एक पक्ष में आदेश जारी कर रहे हैं, उस आदेश की जानकारी सदन में आ जाए। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, अकाल पर पूरी चर्चा होगी, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक घोषणा तो मैं कर ही देता हूं, बाकी बाद में जवाब दे दूंगा अकाल के दिन। एक अप्रैल से जो लेबर हम लगा रहे हैं वह है संख्या 8 लाख कच्चे कामों के लिए, अजमेर में 50 हजार, अलवर में 4 हजार, बांसवाड़ा में 60 हजार।

श्री उपाध्यक्ष: यह कहीं गड़बड़ हो जाएगी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बारां में 9 हजार 500, बाड़मेर में 71 हजार, भीलवाड़ा में 45 हजार, बीकानेर में 45 हजार, चित्तौड़गढ़ में 33 हजार, चूरू में 45 हजार, डूंगरपुर में 60 हजार और गंगानगर में 4 हजार, हनुमानगढ़ में 3 हजार, जयपुर में 26 हजार, जैसलमेर में 53 हजार, जालौर में 37 हजार, जोधपुर में 60 हजार, नागौर में 38 हजार, पाली में 45 हजार, राजसमंद में 40 हजार, सीकर में 7 हजार, सिरोही में 3500, उदयुपर में 61 हजार, इस ढंग से 8 लाख लेबर एक अप्रैल से काम चालू करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सांगसिंह भाटी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मुख्य बात भी बता दें यह पक्के कामों वाली। हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आप योग्य मंत्री हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): काम रूके हुए तीन महीने हो गये, उनको भुगतान नहीं हुआ।...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): और हमें आप पर पूरा विश्वास है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): तीन महीने से, मंत्री महोदय, काम बंद पड़े हैं, आपसे निवेदन है कि पक्के कार्यों को पूरा करवाया जाए। ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हमारे सोजत से आने वाले सदस्य भी यही चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सभी सदस्य पैसे लिए बैठे हैं, आप इसकी घोषणा करेंगे। लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को जोड़ेंगे तो राशि आपके यहां पर ज्यादा आएगी, सब सहयोग करने को तैयार हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि ..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय जवाब दे दें, हमें आपसे पूरी उम्मीद है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कच्चे काम हैं इनका कोई रिजल्ट नहीं आता जीरो परसेंट भी, तो आप पक्के काम करवाइए ताकि राजस्थान के हित में रहें ये पक्के कार्य।...(व्यवधान)...यह मिट्टी तो हवा में उड़ गई, पानी में बह गई।...(व्यवधान)...यह सारा घोटाला होगा और फर्जी मस्टर-रोल भरे जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं है।...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्के कार्यों के लिए नोटों की बात करें।...(व्यवधान)...तीन महीने से काम बंद पड़े हैं और भुगतान नहीं हो रहा है, पक्के कामों की अगर घोषणा कर देंगे आप...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय घोषणा करें।...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच तारीख को विस्तृत जानकारी देकर घोषणा कर दूंगा।...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह कहा कि एक तारीख को काम शुरू करेंगे और आज कह रहे हैं कि पांच तारीख को घोषणा करूंगा। आपने स्वयं कहा, माननीय मंत्रीजी, कि एक तारीख को कच्चे काम शुरू किए जाएंगे राजस्थान में और आप अपनी बात से मुकर रहे हो कि पांच तारीख से शुरू करेंगे। ...(व्यवधान) एक तारीख को काम क्यों नहीं शुरू करते हो? ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उन्होंने मैटीरियल कम्पोनेंट की बात की है।...(व्यवधान)...देवलजी, ये तो एक अप्रैल से हो ही रहे हैं।...(व्यवधान) आपने बड़ी जिद की थी कि जो दूसरी स्कीम्स हैं उससे आप डवटेल करके काम कर रहे हैं और कच्चे काम नहीं हो रहे हैं। आपकी जिद के कारण हमने यह घोषणा की है कि एक अप्रैल से काम चालू हैं। तो ये तो हो ही गये, आदेश चले गये हमारे। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अभी आपने कहा कि पांच तारीख को करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बाकी जो राठौड़ साहब ने दूसरी बात कही है कि पक्के काम और किस ढंग से हो सकते हैं...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप पक्के काम करें कि नहीं करें, गरीब को मजदूरी मिलनी चाहिए, हमारा मतलब यह है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो आप पक्के काम कराइए। ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यही तो कह रहा हूं। ये खिलाफत कर रहे हैं क्या आपकी? आपकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, न कोई गरीब का भला होगा, फर्जी मस्टर-रोल भरे जाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप जैसे व्यक्तित्व से हमको उम्मीद है। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, न तो पहले कभी हुआ है और न होने वाला है। जो भी काम अकाल राहत के हों, वे स्थाई सम्पत्ति के हों और पक्के कार्य होने चाहिए। फर्जी मस्टर-रोल न भरे जाएं।...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मजदूरी पक्के कामों के माध्यम से ही मिल सकती है इसलिए, माननीय मंत्रीजी, इन बिचौलियों की बात पर ध्यान नहीं दें और आप काम कराएं।...(व्यवधान)

(समय : 14.00 बजे)

सीमान्त क्षेत्र के खेतों में बिछी माइन्स से हुई क्षति का मुआवजा

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक सीमांत क्षेत्र के गरीब किसान परिवार की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज से कम से कम तीन साल पूर्व जब भारत-पाक सीमा पर अशांति पैदा हुई थी, उस समय आर्मी द्वारा सीमांत क्षेत्र में माइंस बिछाई गई, बम बिछाये गये। जब वापस शांति हुई तो बमों को वापस निकाला गया, लेकिन आर्मी की चाहे लापरवाही कह दें, चाहे धोरों की धरती पर रेत आने के कारण आर्मी को नहीं मिले, इस ढंग से एक बम एक किसान के खेत में गढ़ा हुआ पड़ा रहा, खाजूवाला क्षेत्र में चक 25 केवाईडी में। सत्तू सिंह पुत्र प्रेम सिंह कुम्हार, उसका लड़का, ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर के टुकड़े-टुकड़े हो गये, उसका एक हाथ चला गया, हालांकि जान उसकी बच गई। साढ़े तीन वर्ष पहले की बात है, किसान हक की बात करने वाले मेरे साथी, प्रतिपक्ष के नेता उस समय सत्ता में बैठे थे, किसानों की आज हमदर्दी करने वाले। साल-डेढ़ साल उनको किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली। माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं, उपाध्यक्ष

(श्री सांगसिंह भाटी)

महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं आज पर्ची के माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि सीमांत जिले में राजस्थान में ऐसे कितने केस हैं जिसमें माइंस से किसी के पैर टूट गये, किसी के हाथ टूट गये, कोई विकलांग हो गया, कोई खतम हो गया? उनको सहायता आज दिन तक किसी प्रकार की नहीं मिली है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सहायता जिनको नहीं मिली है उनको तत्काल प्रभाव से दिलाई जाए। धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति 2005-06 का प्रतिवेदन (क्र. सं. 134 से 139)

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा डाक्टर बुलाकीदास कल्ला की तरफ से जन लेखा समिति, 2005-06 के 6 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन लेखा समिति, 2005-06 के निम्न 6 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 का अनुच्छेद संख्या 3.7.1.1 से 3.7.1.13 राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 134वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम) अनुच्छेद संख्या 3.7.2.1 से 3.7.2.12 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 135वां प्रतिवेदन।

(3) विनियोग लेखे वर्ष 2001-2002 में बताये गये दत्तमत अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का 136वां प्रतिवेदन।

(4) विनियोग लेखे वर्ष 2002-2003 में बताये गये दत्तमत अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों पर अतिरेक के मामलों पर समिति का 137वां प्रतिवेदन।

(5) वर्ष 2000-2001 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 138वां प्रतिवेदन।

(श्री संयम लोढ़ा)

(6) वर्ष 2001-2002 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 139वां प्रतिवेदन।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा था। वो बेचारे विकलांग हो गये, मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, सहायता आपसे जुड़ा हुआ है।

पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति 2005-06 का प्रतिवेदन (क्र. सं. 1)

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी, पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में दिये जा रहे प्रतिनिधित्व तथा उनके सर्वांगीण विकास के संबंध में किये जा रहे कार्य-कलापों से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति 2005-06 का प्रतिवेदन (क्र. सं. 1)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन मेघवाल, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2005-06 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री मोहन मेघवाल (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्य-कलापों से सम्बन्धित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2002-2003 (11वीं विधान सभा) के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति 'क' समिति 2005-06 का प्रतिवेदन (क्र. सं. 11 से 14)

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क', 2005-06 समिति के चार प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (सभापति, प्राक्कलन समिति 'क'): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति 'क', 2005-06 समिति के निम्न चार प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:-

(श्री कालीचरण सर्राफ)

(1) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित समिति का 11वां प्रतिवेदन।

(2) स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित समिति का 12वां प्रतिवेदन।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित समिति का 13वां प्रतिवेदन।

(4) प्राक्कलन समिति 'क' 2003-2004 के 32वें प्रतिवेदन में समाविष्ट विधि एवं संसदीय कार्य विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 14वां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा 6 याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न 6 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

(1) धौलपुर जिला मुख्यालय पर बाल न्यायालय खोलने बाबत।

(2) धौलपुर जिले की सेपऊ तहसील को क्रमोन्नत कर उपखण्ड बनाने बाबत।

(3) जिला धौलपुर में विपरपुर से मानपुर वाया लंगोटपुरा अधूरी सड़क को मानपुर तक पूरा बनवाया जाकर उस पर डामरीकरण करने बाबत।

(4) धौलपुर जिले की विपरपुर से मानपुर सड़क पर ग्राम ठेकुली के पास पारबती नदी पर वायर कटेस डालकर अस्थायी पुलिया (काजवेज) बनाने बाबत।

(5) धौलपुर जिला मुख्यालय पर श्रम न्यायालय खोलने बाबत।

(6) ग्राम कोलारी आर. आई. सी. (गिरदावर सर्किल) तहसील सेपऊ जिला धौलपुर को उप तहसील बनाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य विधान सभा तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न तीन याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुरनाणा, पंचायत समिति लूणकरणसर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत।

(2) आर.डी. 609 मेन कैनाल से भुजलाई तलाई एवं रावलपुरा उर्फ दुडिया आबादी ग्राम पंचायत केला तहसील छतरगढ़ बीकानेर जिला आबादी के लिए पानी की पाइप लाइन बिछाने बाबत।

(3) राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय खोडाला, तहसील लूणकरणसर को वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत करने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न तीन याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:-

(1) पी.एच.सी. जोजावर जिला पाली को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराने बाबत्।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोले जाने बाबत।

(3) जिला पाली के खिवाड़ा बाईपास सड़क के निर्माण बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मिंया राणी गौ सेवा समिति बाजटा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में गौशाला की चारदीवारी का निर्माण व चारा गोदाम बनाने बाबत् दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जीतराम, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में आई.टी.आई. संस्थान खुलवाने बाबत् पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज बिहार कॉलोनी, मधु पब्लिक स्कूल के पास, गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर में सार्वजनिक हैण्डपम्प लगवाने बाबत् 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के झोटवाड़ा क्षेत्र की लक्ष्मीनगर, महेशपुरी, शांतिनगर, संजय नगर-डी, बाल विहार, राणी कॉलोनी, परमानन्द आश्रम आदि आवासीय कॉलोनी के रिहायशी मकानों के ऊपर से होकर गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनें सरकारी खर्चे पर शिफ्ट करवाये जाने बाबत् पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-16 पुलिस की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 16 एवं 17 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 - पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,67,01,84,000/- (नौ अरब सड़सठ करोड़ एक लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम चौधरी मांग संख्या 17 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या-17 कारागार की प्रस्तुति

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17 - कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,21,10,000/- (अड़तीस करोड़ इक्कीस लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-16 व 17 पर कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 पर चर्चा हो रही है। मैं मांग संख्या 16-पुलिस में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1999 से लेकर 2003 तक हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेसी शासन के दौरान पाँच साल में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति का यदि विवेचन किया जाए तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पांच साल के कांग्रेस के राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बदतर थी कि देश स्वतंत्र होने के बाद 1952 से लेकर आज तक इतनी खराब कानून-व्यवस्था हमारे प्रदेश में कभी नहीं रही। यह बात मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में पाँच साल के दौरान 5590 महिलाओं के साथ प्रदेश में बलात्कार किया गया, प्रदेश में 6830 हत्याएं हुईं, 4508 लूट की घटनाएं हुईं, 351 डकैती की घटनाएं हुईं, 54729 बलवे की घटनाएं हुईं, 36953 नकबजनी की घटनाएं हुईं, 84464 चोरी की घटनाएं हुईं, 587459 अन्य आपराधिक घटनाएं हमारे प्रदेश में कांग्रेस के राज में घटित हुईं और कुल प्रदेश की यदि हम संख्या देखें तो 780884 आपराधिक घटनाएं कांग्रेस के पाँच साल के राज में हुईं।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, जिनके बारे में ये कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के बड़े खैरख्वाह हैं, अनुसूचित जाति का हित हम ही कर सकते हैं, उनके आप आंकड़े देखिये। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित आंकड़ों को देखा जाए तो 30138 आपराधिक घटनाएं केवल शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के साथ इस प्रदेश में घटित हुईं। कांग्रेस के राज में 20 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अनुसूचित जाति के दूल्हों को घोड़ी से उतारने की पिछले पांच साल में 37 घटनाएं घटित हुईं। 2000 से 2003 तक के चार साल के यदि आंकड़े देखें तो 172 अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं की गईं, 508 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और अनुसूचित जनजाति के 47 लोगों की हत्याएं की गईं और 150 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फिरकापरस्त पार्टी है, कांग्रेस का हर नेता अपने भाषणों में इस प्रकार की बात कहकर मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश करता है। अब साम्प्रदायिक घटनाओं की स्थिति देखिये, कांग्रेस के पांच साल के राज में 70 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं प्रदेश में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वक्त ने करवट ली, दिसम्बर, 2003 में प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हुए.....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो करने वाले थे, उन घटनाओं को भड़काने वाले, वे उधर आ गये इसलिए अपने आप बन्द हो गई।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ठीक बात है, जनता समझती है इस बात को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2003 में राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए, हम इधर आ गये, वे उधर चले गये। हमारी सरकार की नीतियां, पुलिस की सक्रियता और सजगता, ये कारण हैं कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था में निरन्तर सुधार आता जा रहा है, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सभी अपराधों में कमी आई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, कुल अपराधों में नौ प्रतिशत की कमी आई है। दहेज मृत्यु, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार और अपहरण जैसे अपराधों में 10 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति अत्याचारों के अपराधों में 12.96 प्रतिशत की कमी आई है और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हुए, उसमें 16.29 प्रतिशत की कमी आई है हमारा राज आने के बाद। प्रदेश में जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस के राज में जहां 70 साम्प्रदायिक घटनाएं में घटित हुईं, हमारा राज आने के बाद 2004 में दो घटनाएं और 2005 में भी केवल दो घटनाएं हुईं। पिछले दो सालों में साम्प्रदायिक दंगा एक भी हमारे प्रदेश में नहीं हुआ, एक भी मौत साम्प्रदायिक दंगों के कारण नहीं हुई। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्र में डकैती, लूट, हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त 12 इनामी डकैतों सहित 33 डकैत हमने दो साल में गिरफ्तार किये।

(समय: 14.13 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): करौली में तो अब भी डकैती पड़ रही है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): जब आपका समय आए, तब आप बोल लेना। मैंने यह नहीं कहा कि सारे अपराध कम हो गये। मैंने कहा है कि अपराधों में कमी आई है। आप जब नम्बर आए तब बोल लेना।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, पुलिस की सजगता के कारण यह पहला साल है 2005 जिसमें प्रदेश में कोई आतंककारी घटना घटित नहीं हुई। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन आतंककारी संगठन के कुख्यात आतंककारी शब्बीर अहमद को अजमेर में एक ट्रक में तीन ए.के.-47 राइफल, 15 डिटोनेटर और 299 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, भारत-पाक सीमा पर 91 व्यक्तियों को अवैध रूप से सीमा पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। छह घुसपैठिये मुठभेड़ में मारे गये। 137 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान जाते हुए पकड़े गये जिनमें से 126 को निष्कासित कर दिया गया। इसी प्रकार से दो वर्षों में महिलाओं के साथ बलात्कार में भी कमी आई है। मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2002 में 1051 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हरिमोहनजी, सुनिये, और 2003 में 1050 महिलाओं के साथ बलात्कार, उस समय कांग्रेस का राज था। 2004 में हमारा राज आने के बाद 1038 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ जो 2002-2003 से कम है। वर्ष 2005 में और कमी आई और हमारे प्रदेश में केवल मात्र 993 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इसी प्रकार से बलवे की जो घटनाएं हुईं, 2002 में 7178, 2003 में 4052 और 2004 में 3101 और 2005 में केवल 2290 । बलवे की घटना में भी कमी हुई। इसी प्रकार से नकबजनी घटनाएं 2002 में 6661, 2003 में 6072, 2004 में 5911 और 2005 में केवल 5227। इसी प्रकार से दहेज मृत्यु की स्थिति देखिये, 2002 में 399 और 2003 में 389। हमारा राज आया, 2004 में 379 और 2005 में केवल 361, इसमें भी कमी आई है। इसी प्रकार से महिलाओं पर उत्पीड़न में 2002 में 2022, 2003 में 1750, 2004 में 1881 और 2005 में 1549। माननीय सभापति महोदय, 2005 में 166782 आपराधिक प्रकरणों में निस्तारण कराया गया, जिनमें से

(श्री कालीचरण सर्राफ)

92099 आपराधिक प्रकरणों में अभियुक्तों को सज़ा मिली जो अपने आप में रिकार्ड है। मैं इस बात पर माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। पिछले दो साल में इतने अपराधों को खोला, उनकी जांच की, अनुसंधान किया जिसके कारण अपराधी पकड़ में आये। उसकी बानगी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। जैसलमेर जिले में सम में 11 किलो हेरोइन बरामद हुई। जालौर में तिहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। बाड़मेर में पाँच लाख के नकली नोट, 15 किलो हेरोइन, हथियार बरामद हुए। बाड़मेर में ही बालोतरा के कविता हत्याकांड का खुलासा हुआ। बाड़मेर में गुजरात के मोस्ट वांटेड दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए। पाली में सुमेरपुर जैन मंदिर में लूट व हत्या के प्रकरण का 12 घण्टे में खुलासा हुआ। पाली शहर में बच्चियों के साथ बलात्कार के अभियुक्त गिरफ्तार हुए। बीकानेर में नकली नोट बरामद हुए, तीन लाख के लूटे हुए हीरे बरामद हुए। हनुमानगढ़ में बैंक लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ। चूरू में राजगढ़ रोडवेज बस डकैती के अभियुक्त गिरफ्तार हुए। 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त सुभाष विश्नोई मुठभेड़ में गंगानगर में मारा गया। पांच वर्षीय बालक प्रांजल के अपहर्ता गंगानगर में गिरफ्तार हुए। जयपुर ग्रामीण में चंदवाजी थाना इलाके में सुपारी लेकर प्रापर्टी डीलर की हत्या करने वाले गिरफ्तार हुए। जयपुर ग्रामीण इलाके में कानोता में बच्ची से बलात्कार व हत्या के अभियुक्त गिरफ्तार हुए। कोटा शहर में वैभव अपहरण कांड का खुलासा हुआ। जयपुर ग्रामीण में दादू जैन मंदिर मूर्ति चोर प्रकरण पकड़ा गया। यदि यह फेहरिस्त पढ़ूं तो इस प्रकार की इतनी घटनाएं हैं जिनमें हमने अपराधियों को पकड़ा। माननीय सभापति महोदय, यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह राज्य सरकार के गृह मंत्रीजी नहीं कह रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन बताया है। मैं बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की पब्लिक आर्डर क्राइम रेट 10 प्रतिशत से घटकर 2.7 फीसदी प्रति लाख रह गई है। क्राइम रेट महाराष्ट्र में 6.8 फीसदी, बिहार में 10.2 फीसदी, असम में 14.09 फीसदी, केरल में 22.11 फीसदी, कर्नाटक में 11.4 फीसदी और हिमाचल में 11.7 फीसदी प्रति लाख है और हमारे यहां 10 प्रतिशत थी वह घटकर 2.7 प्रतिशत प्रति लाख हो गई। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद

कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। अपराधों पर हमने नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में पुलिस बल आवश्यकता से बहुत कम है। हमारा प्रदेश 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान में पुलिस बल का औसत प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र के पीछे केवल 18.7 पुलिसकर्मी का है जबकि आन्ध्र में यह 26.9 प्रतिशत है, बिहार में 55.8 प्रतिशत है, यू.पी. में 65 है और वेस्ट बंगाल में 93 है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि जितना ज्यादा हम पुलिस बल में बढ़ोतरी करेंगे, उतना ही हम अपराधों पर और अंकुश लगा पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जब 1971 में कुल दर्ज अपराध 36743 थे उस समय पुलिस बल की संख्या हमारे यहां 38800 थी। आज अपराध डेढ़ लाख यानि पाँच गुना बढ़ गये जबकि पुलिस बल की संख्या में केवल दुगनी वृद्धि हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि 2005 में आपने छह हजार कांस्टेबल्स के पदों को भरने का निर्णय लिया, 1418 एएसआई के पद बढ़ाये और 90 थानों में महिला डेस्क भी बनाई। मुझे आशा है कि जिस प्रकार पुलिस बल में बढ़ोत्तरी का निर्णय आपने 2005 में लिया, इस वर्ष भी आप पुलिस बल में बढ़ोतरी की घोषणा सदन के माध्यम से करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश में बांगलादेशी घुसपैठियों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरी सूचना के हिसाब से अभी राज्य में लगभग दो लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इनकी वजह से न केवल राजस्थान के शहरों में कच्ची बस्तियां पनप रही हैं अपितु गम्भीर अपराधों में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। इनमें से कई लोग जासूसी, आतंकवादी गतिविधि, मादक द्रव्यों की तस्करी में भी लिप्त पाये गये हैं। अकेले जयपुर में, माननीय सभापति महोदय, 35 हजार से ज्यादा बांगलादेशी निवास कर रहे हैं। जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर यानि हर शहर में आज बांगलादेशी रह रहे हैं। पिछली सरकार ने जयपुर में स्टेशन के पास गोपालबाड़ी कालवाड़ स्कीम में जो बांगलादेशी रहते थे उनको वहां से खाली करवाया, लेकिन उनको यहां से केन्द्र सरकार से बात करके वापस बांगलादेश नहीं भेजा, बस्सी के पास बगराना में उनको बसा दिया। आज बगराना के आस-पास के जो निवासी हैं, जो ग्रामीण जनता है, वह इनके अपराधों से त्रस्त है। माननीय सभापति

(श्री कालीचरण सर्राफ)

महोदय, बांगलादेशी यहां केवल रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, इन्होंने राशन कार्ड भी बनवा लिये, वोटर लिस्ट में नाम भी लिखवा लिया। जब भी कोई बड़ी घटना होती है प्रदेश में और विशेषकर जयपुर में, और जब अनुसंधान किया जाता है तो बांगलादेशियों के नाम उसमें शामिल होते हैं। पिछले दिनों सेठी कालोनी और जवाहर नगर में जो लूट की वारदात हुई हमारे जयपुर में, उसमें भी ये बांगलादेशी शामिल थे। मैं मांग करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से, कि पूरा एक सर्वे करवा कर पूरे राज्य में कितने बांगलादेशी कहां-कहां, किस-किस स्थिति में रह रहे हैं, इसको चिह्नित किया जाए, इनका सर्वे करवाया जाए और केन्द्र सरकार से बात करके इनको किस प्रकार से बांगलादेश भेजा जा सकता है, जितना जल्दी हो सके इनको बांगलादेश भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज इनके कारण जिस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, यह बहुत ही चिंताजनक है। जितना जल्दी हम बांगलादेशी समस्या से छुटकारा पाएंगे, उतना ही प्रदेश के लिए श्रेयस्कर होगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी समस्या, प्रदेश में कुछ लोगों द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं की किताबों के बारे में अनर्गल बातें की जा रही हैं, धर्मान्तरण का षडयंत्र किया जा रहा है। हमारे दलित भाई जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठाकर, उनको सब्जबाग दिखाकर, कई-कई जगह तो यह भी शिकायत मिली है कि बलपूर्वक उनका धर्मान्तरण किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए तो कि अभी परसों केबिनेट की मीटिंग में इस बात का निर्णय हुआ है कि धर्मान्तरण विरोधी विधेयक लाया जाएगा, परंतु मैं माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक इसी सत्र में आए तो उचित होगा।

माननीय सभापति महोदय, कोटा में इमानुअल संस्था गरीब, अनाथ बच्चों का धर्मान्तरण कर रही है। "हकीकत" पुस्तक में हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अभद्र, अश्लील, भद्दी, अनर्गल बातें छापी गई हैं। इसकी जो वेबसाइट है होपगिवर इंटरनेशनल, इंटरनेट पर आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के बिना भारत का नक्शा प्रसारित किया है। यह इस बात का द्योतक है कि ये राष्ट्रद्रोह में भी लिप्त हैं। मैं इस बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आपने इमानुअल संस्था की जांच करवाई है और अनियमितता पाये जाने पर इसका पंजीकरण आपने रद्द किया है। संस्थापक थामस और उसके लड़के

(श्री कालीचरण सर्राफ)

की गिरफ्तारी के आपने आदेश दिये हैं परंतु अभी तक लड़का ही गिरफ्तार हुआ है, वह मेन जो थामस है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं, माननीय गृह मंत्रीजी, आपको यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता अपनी आका सोनिया गांधीजी को राज़ी करने के लिए घड़ियाली आंसू बहायेंगे, थामस को रिहा करने की बात करेंगे, ईसाई मिशनरी पर हमला हो रहा है, इस प्रकार का प्रपोगंडा करेंगे, अन्तरराष्ट्रीय दवाब भी आपके ऊपर बनाएंगे। परंतु आप किसी भी प्रकार के दवाब में नहीं आएं और जो इस प्रकार का जघन्य अपराध कर रहे हैं, जो इस प्रकार के जघन्य अपराधों में लिप्त हैं, उनको निश्चित रूप से कड़े से कड़ा दण्ड मिले, इस बात की आप व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक जयपुर शहर का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद जयपुर शहर की कानून-व्यवस्था में भी सुधार आया है, अपराधों पर अंकुश लगा है। मैं बताना चाहूंगा आंकड़ों के माध्यम से कि 2004 में जयपुर शहर में कुल अपराध दर्ज हुए 13224, 2005 में इसमें कमी आई और 13131 अपराध दर्ज हुए। गम्भीर प्रकृति जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी, 2004 में इनके कुल 4214 अपराध दर्ज हुए और 2005 में 4096, इसमें भी कमी आई। 2003 में जहां 50 हत्याएं हुई जयपुर में, 2004 में 47 और 2005 में 46। सबसे बढ़िया बात यह रही कि जहां 2003 में 50 हत्याओं में से केवल 81 प्रतिशत मामले खोले गये, हमारा राज आने के बाद 2004 में 90 प्रतिशत मामले हमने खोले हत्या के और 2005 में 96 प्रतिशत मामले हत्या के हमने खोले। इसी प्रकार 2004 में जहां 4 डकैतियां हुईं, 2005 में एक भी डकैती जयपुर शहर में नहीं हुई। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। लूट की घटनाओं की स्थिति देखिए, 2004 में जहां 42 लूट की घटनाएं हुई और 68 प्रतिशत लूट की घटनाएं खुलीं, 2005 में केवल 30 घटनाएं हुई और उसमें से 73 प्रतिशत घटनाओं को हमने खोल दिया। इसी प्रकार से नकबजनी की स्थिति देखिए, 2004 में 695 घटनाएं हुईं, 21 प्रतिशत खुलीं और 2005 में 634 घटनाएं हुईं और 49 प्रतिशत नकबजनी की घटनाओं को हमने खोल दिया। इसी प्रकार से चोरी की घटनाएं 2004 में 3370, 17 प्रतिशत खुलीं और 2005 में 3319, 24 प्रतिशत खुलीं। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की स्थिति देखिए, जहां 2004 में 823 अपराध हुए, 2005 में इसकी भी संख्या गिरी और 783 अपराध हुए।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब में जहां 2004 में 181, 2005 में 151 । माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की चेन तोड़ने की घटनाएं आये दिन अखबारों में हमको पढ़ने को मिलती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महिलाओं की चेन तोड़ने की घटनाओं के बारे में आये दिन हमको कांग्रेस के नेताओं का स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, महिलाओं का रास्ते में निकलना दूभर हो गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनकी चेन तोड़ने की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आंकड़ों के माध्यम से कि जयपुर शहर में जब प्रदेश में कांग्रेस का राज था, 2002-03 में महिलाओं की चेन तोड़ने की 131 घटनाएं हुई और उनमें से केवल 36 घटनाओं के अपराधी पकड़े गये। जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया 2004-05 में, 131 की तुलना में घटनाएं हुई 130, यानि एक कम और उनमें से 50 घटनाओं के अपराधियों को हमने पकड़ लिया। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल: आप रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते।

श्री कालीचरण सर्राफ: अच्छा, रिकार्ड नहीं करते, आप रिकार्ड करते थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बैठे-बैठे बातें नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, यदि कुल अपराधों की तुलना में गम्भीर अपराधों का प्रतिशत देखा जाए तो भी जयपुर शहर शांत शहरों की श्रेणी में आता है। यह देखिये आप, कलकत्ता में 614 अपराध हुए टोटल 10714 में से, यानी 5.74 प्रतिशत गंभीर प्रकृति के अपराध। चेन्नई में 525 हुए 8580 में से यानी 6.12 प्रतिशत। बोम्बे में 985 हुए 25866 में से 3.83 प्रतिशत। लखनऊ में 415, 4277 में से, 9.70 प्रतिशत। नागपुर में 449, 7357- 6.10 प्रतिशत। पटना में 1578, 6545 में से 24.11 प्रतिशत। पुणे में 379, 8813 में से, 4.30 प्रतिशत। दिल्ली में आप देखिये 2805 अपराध हुए गंभीर प्रकृति के 41961 में से यानी 6.68 प्रतिशत। और जयपुर में 11579 अपराधों में से गंभीर प्रकृति के अपराध हुए 415 यानी 3.58 प्रतिशत। सबसे कम। कलकत्ता में 5.74, चेन्नई में 6.12, मुम्बई में 3.83, लखनऊ में 9.70, यानी जयपुर में सबसे कम 3.58 । भारतवर्ष का जो एवरेज है वो है 6.29 प्रतिशत, तो उस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि हमारा राज आने के बाद

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जयपुर शहर में शांति रही, कानून व्यवस्था पर हमने अंकुश लगाया, आपराधिक गतिविधियों में कमी हुई।

माननीय, मैं जयपुर शहर की दो सालों में कुछ उपलब्धियां हुईं उनके बारे में बताना चाहूंगा। कार चोर गिरोह से 30 कारें बरामद की गईं। लाखन गिरोह को गिरफ्तार कर 15 अवैध हथियार बरामद किये गये। 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर करीब 6 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किये गये। वन्य जीव तस्कर संसारचंद से चीते की खालें बरामद की गईं। तेज़ाब कांड व बालिका बलात्कार कांड व हत्याकांड के अपराधी पकड़े गये। एटीएम से नौ लाख रुपये की चोरी की वारदात का पर्दाफाश हुआ। होटलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। साइबर क्राइम के तहत पहली बार प्रभावी कार्यवाही, जालूपुरा में जो हुआ था उसको हमने खोला। मगनसिह की हत्या के प्रकरण में मुल्जिमान को नामजद कर गिरफ्तार किया। टैक्सी चालक की हत्या प्रकरण में मुल्जिम गिरफ्तार हुए। दवा व्यवसायी अमित चौधरी की हत्या का दो वर्ष बाद पर्दाफाश हुआ। जेलर चंदकांत गोठवाल पर हमले के अपराधी पकड़े गये। मनीष जौहरी हत्याकांड खुला, उसके अपराधी पकड़े गये। कट्टा दिखा कर व्यापारी से एक लाख रुपये की लूट के अपराधी पकड़े गये। बैंक के चपरासी की हत्या व बाइस लाख रुपये की लूट के अपराधी पकड़े गये। युवराज पांड्या की हत्या जो ट्रांसपोर्ट नगर थाने में हुई थी, उसके अपराधी पकड़े गये। मानसरोवर डकैती का खुलासा किया । पुराने हत्या के प्रकरण खोले गये। विदेशी युवती से छेड़छाड़ प्रकरण में सज़ा करवायी गयी। बालक रोनित के अपहरण को 6 घंटे में खुलासा किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट तो देवें, साहब, आप तो घंटी पर घंटी बजा रहे हो।

श्री सभापति: 25 minutes you have taken.

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अभी तो पहला वक्ता हूं, साहब।

श्री सभापति: डिमाण्ड पर बहुत टाइम होता है इतना। Please sum up.

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अब मैं जयपुर शहर के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पांच मिनट का समय और दीजिये।

श्री सभापति: समअप-समअप, जल्दी करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में जयपुर शहर में कानून व्यवस्था को सुधारने में, अपराधों पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है, सराहनीय प्रयास भी किये हैं। पर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज शहर का जिस तेजी के साथ विस्तार हो रहा है, जहां पहले हमारे शहर का क्षेत्रफल 18 वर्ग किलोमीटर था, वो बढ़कर अब 55 किलोमीटर हो गया है। महानगरीय संस्कृति पनप रही है। राजधानी होने के कारण सैकड़ों सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय यहां पर हैं। चालीस के लगभग कालेजेज और सैकड़ों स्कूल जयपुर शहर में हैं। ट्रेड यूनियनों द्वारा आये दिन आंदोलन की घटनाएं हो रही हैं। 2005 में राजनीतिक, धार्मिक जुलूस और शोभायात्राओं का यदि हम रिकार्ड देखें तो पूरे एक साल में 465 शोभायात्राएं निकाली गयीं। इसी प्रकार से प्रमुख पर्यटन केन्द्र होने के कारण पिछले साल देशी और विदेशी लगभग डेढ़ करोड़ पर्यटक जयपुर शहर में आये। ब्रॉड गेज से यह जुड़ गया इसके कारण अपराधी आता है और अपराध करके ब्रॉड गेज से चला जाता है। पता ही नहीं लगता है। वीवीआइपीज का आना-जाना यहां लगा रहता है, पिछले साल का यदि आप काउंटिंग करें तो 347 बार वीवीआइपीज जयपुर में आये और गये। कभी कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, कभी महामहिम उप राष्ट्रपतिजी आ रहे हैं, यानी वीआईपीज का आना-जाना यहां लगा रहता है। इसी प्रकार से यातायात व्यवस्था में जहां पहले हजारों में वाहन हुआ करते थे, वहीं नौ लाख वाहन हमारे जयपुर शहर में अभी पंजीकृत हुए हैं इस साल। इनके प्रभावी नियंत्रण के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं।

पहला सुझाव तो यह है, माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जानी चाहिए। 1978 में पुलिस राष्ट्रीय आयोग ने भी यह सिफारिश की हुई है कि 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में कमिश्नर पद्धति लागू होनी चाहिए। इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने 2003 में पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए मलीमथ कमीशन का गठन किया था, उसने भी यह सिफारिश की है कि पांच लाख से ऊपर जितने भी शहर हैं उनमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पुलिस

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कमिश्नर सिस्टम लागू होने से धारा 107, 116, 109, 151 और 110 के तहत जो मुक़दमे होंगे, उनके निस्तारण की पावर पुलिस को मिल जाएगी। आदतन अपराधियों को जिलाबदर करने का पावर भी पुलिस को मिल जाएगा। जो हजारों मुकदमे इन धाराओं में आज पैंडिंग हैं उनसे हमारे जयपुर शहर को निजात मिलेगी। आज मद्रास, कलकत्ता, बोम्बे, दिल्ली, बंगलौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम चल रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है, और वहां अपराधों पर अंकुश लगा हुआ है। इस कारण मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आप पुलिस कमिश्नर सिस्टम जयपुर में लागू नहीं कर रहे?

दूसरा सुझाव देना चाहता हूं, जयपुर शहर में आये दिन वीआइपीज का आना, लगा रहता है। आये दिन जुलूस, धरने, आंदोलन शोभायात्राएं होती हैं। तो कानून व्यवस्था और अपराधों के इन्वेस्टिगेशन को अलग-अलग करना चाहिए। आज स्थिति क्या है? कोई वीआइपी आता है और उस समय कोई अपराध घटित हो जाए, फोन करते हैं सांगानेर थाने पर तो जवाब मिलता है कि वीआइपीज आये हुए हैं वहां गये हैं। मालवीय नगर थाने पर फोन करते हैं कि इंचार्ज साहब कहां हैं, तो जवाब मिलता है कि साहब एयरपोर्ट गये हैं। बजाजनगर थाने पर फोन करेंगे तो जवाब मिलेगा कि कोई वीआइपी आये हुए हैं, एयरपोर्ट गये हैं। सारे थाने खाली हो जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जयपुर शहर में वीवीआईपीज तो आते-जाते रहते हैं, 347 बार वीआइपीज आये हैं, तो एक वीआईपी स्क्वॉड का गठन कर लें अलग से। वो वीआइपीज के आने-जाने का काम करे, शोभा यात्राएं, जुलूस निकलते हैं उनके बारे में करे और अपराधों का जो अनुसंधान होता है उसके लिए अलग से व्यवस्था हो।

इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में अधिकारी तो बढ़ा दिये, पहले एक एसपी होता था अब आपने तीन एसपी कर दिये-एक हैडक्वार्टर एसपी कर दिया, एक ट्रैफिक का एसपी अलग कर दिया, एक आईजी उन पर बैठा दिया। परन्तु नीचे जो मेन काम करते हैं कांस्टेबल-हैड कांस्टेबल, उनकी संख्या में आपने बढ़ोतरी नहीं की। इनकी संख्या में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसी प्रकार से जयपुर शहर में थानों की संख्या कम है। जो बाहरी इलाके हैं वहां पांच-पांच, दस-दस किलोमीटर की रैंज में भी एक एक थाना है। जैसे मालवीय नगर थाना है उसका कार्यक्षेत्र पड़ता है खो नागोरियान, आगरा रोड तक और गोनेर के पास तक। वहां यदि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कोई घटना होगी तो मालवीय नगर से पुलिस पहुंचने में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा, इतने में तो अपराधी भाग जाएगा। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए थानों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा किजयपुर शहर में कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पुलिस चौकियां नहीं हैं। पुलिस चौकियां ऐसे संवेदनशील इलाकों में बनें, मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी इस बारे में काग्नीजेंस लें। इसी प्रकार से यहां आये दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाने नौकर ने मकान मालिक अकेला था या गृहिणी अकेली थी, उसका मर्डर कर दिया या उसको लूट कर चला गया। यह बात सही है कि पुलिस ने यह आग्रह किया है लोगों से कि जो भी नौकर रखें उसकी पूरी जानकारी थाने में आप फार्म भर कर दें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

परन्तु यह सब मुकम्मल रूप से नहीं हो रहा है तो मैं गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस को ये सख्त इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि जहां भी इस प्रकार का कोई नौकर रखता है, अपने यहां तो आप अनिवार्य रूप से...

श्री सभापतिः समअप करें प्लीज।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार):...उसका पूरा बॉयोडेटा वहां पर होना चाहिए। मैं बस ट्रैफिक के बारे में दो मिनट और बोलना चाहूंगा, बस दो ही मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं ट्रैफिक पुलिस के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा, 1981-82 में हमारे यहां 81262 वाहन पंजीकृत थे, 1990-91 में ये संख्या बढ़कर हो गयी 2,66,254 और 1999-2000 में हो गयी 5,97,000 और अब 2005 में सब वाहनों की संख्या हो गयी 9 लाख से ऊपर। सड़क दुघटनाओं की आप स्थिति देखें, 2001 में 224 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जयपुर शहर में मरे, 1810 घायल हुए। 2002 में 312 मरे, 1688 घायल हुए। 2003 में 318 मरे 1896 घायल हुए। 2004 में 298 मरे, 1634 घायल हुए। और 2005 में 353 मरे, 1861 घायल हुए। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं यह सारी बात इसलिए कह रहा हूं कि कांस्टेबलों की संख्या 1997 में 600 थी और आज भी उतनी ही है, जबकि वाहनों की संख्या 1997 के कम्पेरिजन में डबल हो

(श्री कालीचरण सर्राफ)

गई। दूसरी बात यह है कि यातायात पुलिस के पास अपना कोई बजट नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी, कि आंध्रप्रदेश में जिस प्रकार का प्रावधान उन्होने कर रखा है कि यातायात पुलिस जुर्माने के रूप में जो राशि वसूल करती है उसका 30 परसेंट पैसा यातायात पुलिस के फंड में जमा हो जाता है, यहां पर भी आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। जयपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस जो दो-ढाई करोड़ का प्रति वर्ष जुर्माना वसूल करती है जनता से, उसका 50 प्रतिशत पैसा यदि ट्रैफिक पुलिस के कोष में जमा कराएंगे तो निश्चित रूप से यातायात की बढ़िया व्यवस्था जयपुर में हो सकती है। यहां ट्रैफिक पुलिस की यह हालत है कि उनके पास वायरलैस के सैट नहीं हैं। 200 पाइंट यहां ट्रेफिक के हैं, उनमें से केवल 90 के पास वायरलैस के सैट हैं, बाकी 110 के पास वायरलैस के सैट नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सारी व्यवस्थाएं मैंने बताई हैं उसके बारे में निश्चित रूप से आप विचार करेंगे।

एक महत्वपूर्ण समस्या जो जयपुर में निरन्तर बढ़ती जा रही है, परकोटे के अंदर के इलाके जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं विशेष रूप से, वहां से धीरे धीरे हिन्दू पापुलेशन का पलायन होता जा रहा है। इससे केवल हिन्दू ही चिंतित नहीं हैं, वहां का जो लोकल मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है वह भी चिंतित है। हो क्या रहा है? कि यूपी, बिहार के मुस्लिम आकर दो गुणे, तीन गुणे, चार गुणे दामों पर यहां प्रोपर्टी खरीद रहे हैं, भय दिखाकर प्रापर्टी खरीद रहे हैं। जब भैरोंसिंहजी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे उस समय रजिस्ट्रियों पर रोक लगी हुई थी। कानूनन तो हम रोक नहीं लगा सकते परन्तु सख्ती के साथ रजिस्ट्री होती थी, इसके कारण खरीद-फरोख्त पर रोक लगी हुई थी। परन्तु पिछले सात साल से रजिस्ट्रियां बिना किसी रोक-टोक के हो रही है उसका यह परिणाम है कि वहां से धीरे धीरे हिन्दू पलायन करते जा रहे हैं। मैं यह मांग करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी से कि एक तो ये जो दो गुणे दामों पर बाहर के लोग आकर प्रापर्टी खरीद रहे हैं उसकी जांच की जाए कि ये किस प्रकार से प्रापर्टी खरीद रहे हैं, यह पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा इसकी जांच होनी चाहिये और रोक लगनी चाहिये, चाहे अघोषित रूप से आप रोक लगाएं। आप यह कहेंगे, क़ानूनन तो हम कोई रोक नहीं लगा सकते परन्तु यदि कोई समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगनी चाहिये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दो साल में आप जो कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाये हैं, अपराधों पर जो अंकुश आपने लगाया है उसके लिये आपको बहुत-बहुत बधाई। इस आशा और विश्वास के साथ कि जिस गति के साथ अपराधों पर अंकुश लग रहा है, उसी हिसाब से आप अपराधों पर और अंकुश लगाएंगे, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति और सुदृढ होगी, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सुंदरलालजी।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, अपराधों में 9 परसेंट की कमी आई इसके लिये गृह मंत्रीजी को धन्यवाद। मैं जैसलमेर और बाड़मेर के दौरे पर तीन बार गया हूं। एक बार महामहिम भैरोंसिंहजी ने एक कमेटी गठित की थी जिसमें राजेन्द्र राठौड, किरोडीलाल मीणा, धर्मपाल चौधरी और मैं था, उस पूरे दौरे में हम देखकर आये। इस बार भी गृह मंत्रीजी के साथ गया, पर वहां कहीं तो तार ढीले पड़े हैं, कहीं ज्यादा मिट्टी आ गई तो तार नीचे दब गये। उसी की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान से घुसपैठ होती है। उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। आप हमारे साथ गये थे। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता कह रहे थे कि बांग्लादेश से लोग आ गये, इसके लिये वहां से आने का रास्ता हमको बंद करना पड़ेगा। वहां पर क्या स्थिति है? कहीं तो तार ढीले पड़े हुए हैं, कई लोग वहां से आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहली व्यवस्था उसकी होनी चाहिये।

इसके अलावा, गृह मंत्री महोदय, हकीकत क्या है कि डीजी 3, एडीजी 5, आईजी 18 और कांस्टेबल वही के वही, इसमें आप तब्दीली कब करोगे? हमें कोई एतराज नहीं, आप आईजी चाहे 40 करा दो परन्तु पुलिस कांस्टेबल भी बढ़ाओ। पहले भी एक थाने में 11 पुलिस वाले थे और आज भी वही हैं। उनकी बंदूकों की यह स्थिति है कि उनमें टाटिये घुस रहे हैं, कई वर्षों से पड़ी हुई हैं, उनके जंग लग रहा है। इसलिए इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा आप कहते हैं कि रिटन टैस्ट में पास होना जरूरी है और रिटन टैस्ट में पास होने के बाद कहते हैं कि छाती कम है। यह फैसला ही गलत है। अगर चोरों को पकड़ना है तो मोटे मजबूत लोगों को लेना चाहिये जो भाग कर चोर को पकड़ लें। हमारे समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हो, आपका फैसला क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी यह कहा है कि

(श्री सुन्दर लाल)

पुलिस में मजबूत सिपाही चाहिये जो जाकर चोर को पकड सके। आप मुझे जवाब दो कि आप क्या करोगे? कल एक लड़का मेरे पास आया, कहा कि मैं रिटन टैस्ट में तो पास हो गया लेकिन वे 50 किलो वज़न मांग रहे हैं, मेरा 40 किलो ही है। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं। इसमें आपने यह जो बात लगाई है, इसमें बडी दिक्कत है। (व्यवधान) मैं कभी बोलता नहीं हूं, आप बीच में व्यवधान नहीं करें। इसलिए आप इस बात पर भी विचार करें।

इसके अलावा आप पुलिस विभाग में 6000 भर्ती की कह तो रहे हो लेकिन इसे जल्दी से जल्दी लगाओ। आपके विभाग में कसूर करते हैं ऊपर वाले और आप सस्पैंड करते हो सिपाहियों को। कसूर क्या सिपाही ही करता है? ऊपर वाले सब ठीक हैं क्या? इसलिए आप इस बात को भी देखो। आप मजबूती लाओ सबके साथ में। आप ईमानदार हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप मजबूती से काम करो। गलत काम में कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिये। पुलिस में नियम मत लगाओ, नियम शिक्षा में लगाओ। पुलिस में इसका क्या काम है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये नियम आप कहां से ले आये? मैं पांचवीं बार एमएलए बन चुका हूं, नियम से मत चलो, इसमें तो जब जिसकी जरूरत हो उसी समय एडजेस्टमेंट करो। इस साल आपने पूरे राजस्थान में 14 जीप खरीदी हैं और दो एम्बुलेंस खरीदी है, कैसे इससे काम चलेगा? क्या तो आपका धंधा है क्या कर रहे हो? आप दो-तीन गाड़ी तो हमारे यहां ठीक दो। मेरे 104 किलोमीटर बार्डर हरियाणा लगता है, वहां पर जाकर आप हालात देखिए, दो दो मण के तो सिपाही और 6-6 फीट उनकी लंबाई है कि क्या बात हुई? कहा कि दो ड्रम रखे हुए है। मैंने कहा, क्यों खड़े हो, बोले कि ऊपर से आदेश आया रास्ता रोकने के लिए। मैंने पूछा किस लिए? बोले चोरी हो गई। तो क्या ड्रम से रूकेगी? आप इस तरह की व्यवस्था फिर कब करेंगे? आप इस बात को मजाक में टालते हैं, इसकी व्यवस्था कब करेंगे?

इसके अलावा सीकर, झुन्झूनू, चूरू में एक नई बात और है। हमारे इन जिलों में विदेश के नाम से चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये एक-एक आदमी से ले लेते हैं। बीजा के नाम से। कहते हैं बीजा दिला देंगे। तीन-तीन मंजिल की कोठियां बना लीं। पुलिस में कहते हैं तो कह देते हैं कि यह बात कानून में नहीं आती। इसके ऊपर आप रोक लगाइये। कई लाखों रूपये ले गये। किसी को धक्के मारकर भेज दें तो वहीं से टेलीफोन आता है, मुझे जेल में भेज दिया। चार-चार लाख रुपये देकर दूसरे देश में जाकर भी जेल में। मजाक नहीं है, मैं

(श्री सुन्दर लाल)

आपको सबूत लाकर दे दूंगा कि लोग जेल में पड़े हैं। इस पूरे कानून में कई ऐसे हैं, जिनको आप सम्भालें। ऐसे कैसे लोगों के पैसे लेकर बैठ गये? चार-चार, पांच-पांच लाख एक-एक आदमी से ले लेता है कि आपको बीजा बना दूंगा। टयूरिस्ट बीजा है, वहां व्यवसाय करने लग जाना। तीन जिलों सीकर, झुन्झूनू, चूरू में तो यह ज्यादा है। ये दो तो मंत्री बन गये इसलिए नहीं बोलते, और कोई बोलता नहीं है, और मैं बोलता हूं तो मेरी बात पर आप विचार नहीं करते। आप इस बात पर व्यवस्था करिये।

गृह मंत्रीजी, आपने दो ही मीटिंग बुलाई। एक-एक महीने में एक बार मीटिंग बुलाकर हमारे सुझाव तो लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। मंत्री तो नहीं बन सके लेकिन सुझाव देने में क्या दिक्कत आएगी। उसमें कोई दिक्कत थोड़े ही आएगी। हम बताएंगे, हमें जानकारी है। फ्री की सलाह। उस दिन के चार सौ रुपये यहां मिलते हैं, वह चवन्नी भी नहीं मिले। आप कंजूसी करें, न तो आप चाय पिलाते हैं न ही बिस्किट, इसलिए दो बार ही बुलाई है। हम बाड़मेर, जैसलमेर गये तो आपसे खर्चा मांगा क्या? हमारे खर्चे से गये। बाड़मेर में भी आपका दो-तीन और चार महीने के बाद में दौरा। उससे फर्क पड़ता है। आपने जाकर वहां जायजा लिया। राजस्थान पुलिस का जो वहां आई.जी. था, उसने जवाब सही दिया। दूसरे पुलिस वाले थे उनको पता ही नहीं कहां है। उनको न तो नक्शा समझ में आया। मैं सारी बात समझता हूं। कहीं यह समझे कि कम पढ़ा-लिखा हूं और समझता नहीं हूं। आंकड़े वाली बात है यह भी पूरी ध्यान में है लेकिन कहां बताएं, ध्यान ही नहीं करते हो।

आप लोगों से एक बात करूं, आपकी ईमानदारी पर विपक्ष वाले भी नहीं कह सकते कि गड़बड़ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गड़बड़ यही है कि आप जो नम्र बोलते हो इससे लोगों को यह लगता है कि धीरे बोल रहे हैं। आप कड़क बोला करिये। ताकत बहुत है। मुक्का करते हो तो हमारी तरफ भी करते हो कई बार। पुलिस वालों की तरफ मुक्का नहीं करते। इन्हें सीधा रखते हो। उधर भी किया करो कि मैं ठीक कर दूंगा आपको। यह बोला करिये, जब जाकर काम जंचेगा, नहीं तो नहीं जंचेगा।

इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंत्रिमण्डल में यह फैसला लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में कभी भी बैन नहीं लगेगा। इस बात को भी देखें कि पुलिस में नीचे से बढ़ाओ। पहले राजस्थान में एक आई.जी. हुआ

(श्री सुन्दर लाल)

करता था, अब 18 कर दिये। सारे डीआईजी थे उन्हें उप सरपंच बना दिया। बताइये डीआईजी का क्या काम है, हमें बताइये तो सही? हम पढ़े-लिखे तो कम हैं लेकिन यह समझाइये कि डीआईजी का क्या काम है? रेंज में तो आई.जी. लगा दिये अब डीआईजी कहता है हमारी जगह भी करो, तो अब जगह कहां कराएं? क्या अब आपका अलग से पाकिस्तान बनवाएं? आप इसको देखेंगे तो, जिलों में डीआईजी लगाइये। सिपाही नहीं, वो ही 11 । आदम के जमाने में भी 11 थे, 12 नहीं कर सके। थाने में एक कुर्सी नहीं मिलती। कोई थानेदार लगेगा और जब जाएगा तो सबको साथ ले जाएगा। बिजली के तार भी उतार लेगा, पंखे भी उतार लेगा। लगता ही नहीं है कि थाना है। इसलिए आप इस बात पर व्यवस्था करिये 1

इसके अलावा, मैंने एक प्रस्ताव भी दिया है। सिवाणा का थाना बिलकुल शहर के बीच में है। अलग से थाना करा दीजिए, वह जमीन पांच करोड़ की बिक सकती है। थाने की जो जमीन है वह पांच करोड़ में ले लेंगे और आपका डेढ़ करोड़ में थाना। यह व्यवस्था कराइये। थाने के बीच में सारे दिन धारा बताते रहते हैं। पुलिस का थाना दूर होना चाहिये ताकि कोई रिपोर्ट करने जाए तो यह सोचे कि क्यों झगड़ा किया, वापस चलना चाहिये। कुआं गांव से दूर होना चाहिये ताकि कुए में गिरना हो तो वापस घर आ जाए। श्मशान भूमि गांव के नजदीक होनी चाहिये, आदमी सोचे कि एक दिन मेरे को यहां आना पड़ेगा। थाना तो दूर ही रहना चाहिये। घर-घर में थाना रहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारा जो थाना है उसे थोड़ा दूर करवाइये।

इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, कि पुलिस की भर्ती में यह लगा रखा है कि जो रिर्टन में पास होगा वह ही होगा। रिर्टन पास होगा तो एक भी चोर नहीं पकड़ेगा, यह तय कर लीजिए। 50 किलो वज़न का पास हो, लड़के में वज़न 38 किलो ही, पास करना पड़ेगा। पढ़ने वालो को अच्छा काम बताइये। आरएएस में, आईएएस में, मास्टर में उसको लगाइये। सिपाही तो लाठी मारने के लिए चाहिये।

महिला आयोग बना दिये, और दूसरे आयोग, ये आयोग भी पुलिस के बैरी हैं। ये आयोग हटाइये, नहीं तो पुलिस कामयाब नहीं होगी। दुश्मन है इन लोगों का। आयोग बिठा दिये। मैं तेरे को मारूंगा तो नहीं। नहीं मारें तो यह काबू में नहीं आएगा। पुलिस मार सकती नहीं फिर होगा क्या? उनको बटेऊ

(श्री सुन्दर लाल)

बनाकर बिठाये रखे तो वह चोरी करने वाला क्यों बताएगा कि मैंने यह चोरी की है? चोरी के मामले में थानेदार कहेगा कि मेरी तो नौकरी का सवाल है, मैं इसके मारूं तो नहीं। तो भई गीत गवा ले, और तो क्या करूं। इसलिए विचार करना चाहिये। एक भी थानेदार, डीएसपी मार नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता, फिर वह बताएगा क्यों, उसका क्या मतलब? आप इन बातों को रद्दोबदल नहीं करोंगे, ये आयोग बिठा दिये, ये आयोग से ऐसे डरते हैं जैसे भूतनी से डरते हैं। आयोग से सारे के सारे थानेदार, डीएसपी, एसपी, सब डरते हैं। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें।

दूसरी चीज यह है कि आपने किसी को भर्ती कर दिया, भर्ती कर दिया ठीक है, वह सिपाही बाड़मेर में भर्ती कर दिया, तो उसमें क्राइटएरिया तय करिये कि पांच साल तक रहेगा। कोई न कोई फैसला तो रखें आप। कई सिपाही हैं जो काम नहीं करते। कल प्रदर्शन देखा, उसमें कई बातें अच्छी थीं। कल वाला प्रदर्शन देखकर सारी पुलिस की बड़ाई करता हूं। गांव में बूढ़े-बूढ़े सिपाही पैंट खींचते देखता हूं तो बुराई करूं, क्या करूं, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, आप ईमानदार आदमी हो, आप भले भी हो पर आप पुलिस के लिए थोड़ी मजबूती से कामयाबी करिये, यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या-17 कारागार पर विचार कर रहा है। अब से कुछ देर पहले जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किन-किन महत्वपूर्ण घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने, अपराधों की गुत्थी सुलझाने का काम किया, जो पुलिस के वार्षिक प्रतिवेदन में हमको आलरेडी आपने वितरित कर दिया है, उनको पढ़कर यहां पर सुनाने का काम किया। और बड़े जोर-शोर से यह बात भी कही कि राजस्थान में जहां पिछले वर्ष 2004 की तुलना में अपराधों में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वहीं गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराधों में कुछ प्रतिशत की कमी हुई है।

सभापति महोदय, मैं इन आंकड़ों की जगलरी में नहीं जाना चाहता। उन्होंने साथ में कलकत्ता, दिल्ली, पूना, मद्रास और दूसरे राज्यों की तुलना

राजस्थान में होने वाले अपराधों से भी की। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन मेरी आदत नहीं कि मैं किसी सदस्य के...

(समय : 15.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसके विचार व्यक्त करते समय टोका-टाकी का काम करूं। लेकिन जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ठीक उस तरह से बात का यहां बखान कर रहे थे कि मेरे पड़ोसी का लड़का 10वीं की परीक्षा में 7 विषयों में फेल हुआ है और मेरा बच्चा तो केवल 4 ही विषयों में फेल हुआ है। दूसरी जगह अपराध ज्यादा हैं या हमारे यहां अपराध दूसरे राज्यों के बनिस्पत कम हैं, यह कहकर क्या हम कहना चाहते हैं कि हमने राजस्थान को बिलकुल अपराध मुक्त कर दिया है? क्या राजस्थान में चोरी, डकैती, अपराध, बलात्कार, बलवे, चेन तोड़ने की घटनाएं समाप्त हो गयी हैं? क्या ऐसे राज्य नहीं हैं जिनमें हमसे भी कम घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं? उन्होंने कुछ बानगी पेश की। आप इजाजत दें तो कुछ बानगी मैं भी पेश करना चाहता हूं।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नो कमेण्ट्स प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, स्थिति साफ है, पुलिस पकड़ती है और कानून छोड़ देता है। चेन तोड़ने वाले शातिर अपराधी विनोद लाम्बा ने जेल से आकर वारदात की। शिनाख्त परेड में जाने से कतराती हैं महिलाएं। आज चेन तोड़ने वाले अपराधियों को सज़ा क्यों नहीं होती है, सभापति महोदय, इस पर हमको गम्भीरता से सोचना चाहिए। इसका कारण है कि चेन तोड़ने की शिकार महिलाएं जेल में अभियुक्तों की पहचान के लिये जाने से कतराती हैं। इससे अभियुक्तों को आसानी से जमानत मिल जाती है। हर बार विनोद को उसके साथी अदालत से जमानत पर छुड़ाकर ले जाते थे, पुलिस हाथ मलती रह जाती थी। चेन तोड़ने की वारदात के चश्मदीद गवाह नहीं मिल पाते थे और उस वजह से उनकी जमानत हो जाती थी। होर्डिंग पर लाश टंगी देख इलाके में सनसनी, गोपालबाड़ी शहर का पॉश इलाका है वहां पर किस तरीके से 19 वर्षीय युवक की लाश टंगी हुई मिली। हत्याओं पर भी हत्याएं, यू.पी., बिहार के नक्शे-कदम पर चल रहा है जयपुर। 3 वर्ष 2 माह में 212 हत्याओं को अंजाम दे दिया गया। अपराध के तरीके भी बदल

लिये गये हैं। जौहरी भयभीत, प्रशासन से खफा हैं, पुराने शातिरों की तलाश जारी है। क्या, माननीय गृह मंत्रीजी, यह सही नहीं कि राज्य में खुले-आम घूम रहे हैं 50 हजार अपराधी? चोरी गये वाहनों की सूची इंटरनेट पर रहेगी, अफसरों को बनाया जाएगा अधिक जिम्मेदार, केवल घोषणाएं कर देने से काम नहीं चलता है। आप उठा कर देख लीजिए, क्या स्थिति है। इस साल आप अपराधों का तो कह दें कि हमने कुछ प्रतिशत की कमी कर ली। लेकिन यह कहने से काम नहीं चलेगा। आज तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों हैं? पानी मांगा गया, देवली और दूनी में, लाठी-भाटा जंग करा दी। एक दर्जन लोग घायल हो गये। भाड़े की कार और सवार पाकेट-मार। आज क्या स्थिति राजस्थान में है? नगर में अवैध हथियारों की फैक्टरी नहीं पकड़ी गयी? क्या हुआ इसमें। माफियाओं ने पनपाया हथियारों का बाजार। आप एक तरफ जहां अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, वहां माननीय गृह मंत्रीजी, आपको हमारी जो कमी रही है उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, जयपुर, जो राजधानी है, जहां पुलिस का सारा अमला रहता है, आपको जिस कालोनी का पट्टा चाहिए उस कालोनी का पट्टा हाजिर। भू-माफिया लालचन्द की निशानदेही पर जामडोली के पास फार्म हाउस पर छपी मिली डुप्लीकेट मोहरें और जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने प्रमाण-पत्र चाहिए। जिसके नाम जमीन है उसको मार देंगे, वारिस की मोहर बना देंगे और आपको पट्टा मिल जाएगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, एक पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है। आज पुलिस पर चर्चा हो रही है। जैसे जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यहां पर इतने वी.आई.पी. आते हैं, इतने बाहर के अतिथि आते हैं। मेरा आरोप है, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि झारखण्ड के 40 एम.एल.ए. को राजस्थान की पुलिस राजस्थान का स्टेट गैस्ट बनाकर बार्डर से रिसीव करके दिल्ली और बहरोड़ के बीच में उनको लायी, मिड-वे बहरोड़ में खाना खिलाया। यहां के संसदीय सचिव और यहां पदों पर बैठे हुए लोग उनकी अगवानी करें, उनको लेकर राजस्थान के फाइव स्टार होटल-आमेर क्लार्क्स में रखने की तैयारी की जाए, उनके माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को बिगाड़ा जाए, उनके लिये +++ यह दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता के लिये...(व्यवधान) 40-40 झारखण्ड के विधायकों को...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये, आप बैठिये, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या राजस्थान की पुलिस झारखण्ड के विधायकों की मेहमाननवाजी के लिये है? क्या राजस्थान की जनता का पैसा इसलिये है कि झारखण्ड के विधायकों को सरकारी मेहमान बनाकर... (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप बैठिये, आप बैठिये। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सभापतिः बैठिये, बैठिये। मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापतिः मैं कर रहा हूं, आप बैठिये। मैं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सभापतिः बैठिये, बैठिये। आप बैठिये, प्लीज। प्लीज बैठिये। मैं खड़ा हूं। आप सुन नहीं रहे हैं क्या? मैं खड़ा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं और आप बीच में। आप बीच-बीच में ही खड़े होकर क्या हो-हुल्लड़ कर देते हो। जब मैं चैक कर रहा हूं उनको, तो आप बीच में क्या बोलते हैं? You are not in the chair. क्या बात है यह। जब आसन पैरों पर खड़ा होता है तो यह सबकी जिम्मेदारी है कि वे बैठ जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, यह पहली बार ही पता लगा है कि आसन पैरों पर खड़ा होता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपने केवल इंफार्मेशन देने की इजाजत मांगी थी, कोई इन्फार्मेशन दी आपने। मैंने रोका नहीं कि आप इंफार्मेशन दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो आरोप लगाये हैं बेवजह, और आरोप की कोई बात होती तो आरोप लगाने का नियमों में प्रावधान है, आप सूचना यहां लिखित में मुझे देते। मैं सरकार से पूछता, मैं आपको इजाजत

(श्री सभापति)

देता समय तय करके कि आप आरोप लगा सकते हैं। इसलिये जो आपने आरोप लगाये हैं, मैं एक्सपंज करता हूं आप इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे। आगे कोई भी माननीय सदस्य, बिना सूचना के आरोप लगाएगा तो आसन उसको इजाजत नहीं देगा। आपने सूचना दे दी। प्लीज कंटीन्यू।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये, देखिये, आप विराज जाइये। आप लिखित में दीजिए इसे। आप लिखित में तो दीजिए, उसके बाद लगाइये आरोप। Nothing will go on record.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: मैं रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं।

(समय : 15.09 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, जब मांग पर चर्चा हो रही है तो झारखण्ड के विधायक कहां से आ गये यह तो बताइये।...(व्यवधान) अंकित नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, देखिये इस समय बहस चल रही है पुलिस की मांग पर, झारखण्ड के विधायक कहां से आ गये उसमें? अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं हो।...(व्यवधान) रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।...(व्यवधान) देखिये, दूसरे प्रान्तों से यहां पर कमेटीज आती रहती हैं, कोई आयी, कोई भी आ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? स्थान ग्रहण करें।...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति जो भी बोलें, अंकित नहीं हो।...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, आप आसन की भी बात नहीं सुनते। मुख्य सचेतक खड़े हैं, कुछ वे अपना नया बता रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनते।...(व्यवधान) सार्थक बहस करें। आज की मांग जो है उस पर बहस करें। उसके बारे में कुछ कहें। कहां बीच में ही आप लोग किसी और प्रश्न पर जाकर यूं ही सदन का समय जाया करते हैं?...(व्यवधान) मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं। अंकित नहीं हो।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका अंकित करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर से आने वाले अतिथि के बारे में राजस्थान की एक विशेष परम्परा है और हिन्दुस्तान में कोई कहीं भी जा सकता है, कोई मंत्री और कोई विधायक हो...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। अंकित नहीं हो इनका।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कल दिल्ली में सरकार थी, ...(व्यवधान) कांग्रेसी विधायक वहां पर गये सोनिया गांधी को बचाने के लिए, उनकी मतलब पूजा करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) उसके बावजूद भी सदन की कार्यवाही रोकी जा रही है। छह-छह माननीय सदस्य निलम्बित हुए हैं। छह-छह माननीय सदस्य निलम्बित हुए और उसके बाद भी ...(व्यवधान) माफियां मांगीं और उसके बाद भी समझ में नहीं आती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बारबार व्यवधान डालकर और आपकी सहृदयता का लाभ उठाकर कि अध्यक्ष महोदय हमको माफ कर देंगी। यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह काम भी आप ही कर रहे हैं। यह काम भी आप ही करते हैं।... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो आपकी बिना अनुमति के यहां कोई काम नहीं करता। आपकी सहृदयता ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप ही प्रस्ताव लाते हैं और आप ही इसे रिवोक करने का कहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने सहृदयता से यहां पर आकर इनको कहा कि आप प्रस्ताव लाओ, अब बहुत हो गया। अब अपनी बहुत उच्च परम्परा रही है कि यहां पर कोई क्षमा मांग ले या कोई यह महसूस कर ले तो उसके बाद उसको माफ कर दिया जाता है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: गुढा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत बड़े नेता हैं, हम सब मान रहे हैं आपको। हर बार खड़े हो जाते हैं, बिना किसी बात के खड़े हो जाते हैं। बात ही नहीं सुनते आप किसी की।

डा. एन. एस. गुर्जर : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यही निवेदन करता हूं कि गृह विभाग पर और लॉ एण्ड आर्डर पर जो आपकी समस्या है, इस पर भी यदि कहीं कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें बोल सकते हैं। पाइंट आफ इन्फार्मेशन करके उत्तेजना पैदा करके सदन न चले, कोई सार्थक चर्चा नहीं हो, यह जो बार-बार प्रयास किये जा रहे हैं, यह अपने सदन व नियमों की परम्परा नहीं है। अपने यहां पर 269 से लेकर 273 तक आचरणीय नियम हैं कि किस प्रकार सदन में माननीय सदस्य आचरण करेंगे, किस प्रकार बोलेंगे, किसी पर आरोप लगाएंगे तो नोटिस देकर परमिशन लेंगे। आसन की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। इन नियमों को कहीं पर भी डाल दो। जो अव्यवस्था हो रही है और जो 273 में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, यदि किसी पर आरोप लगाएं तो ..(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप बात तो कम्पलीट कर लेने दीजिये उन्हें। आप बाद में भी खड़े हो सकते हैं। यह क्या तरीका है कि आप बीच में ही खड़े हो जाते हैं? आज से पूर्व मैंने तो इसी असेम्बली में यह देखा है, इससे पहले कभी कोई खड़ा होकर बोलता था और दूसरा सदस्य बीच में खड़ा होता था तो वह एक ही बात कहते थे I am on the possession of the Floor या यह प्रांगण मेरे कब्जे में है, और दूसरा एकदम बैठता था। अब पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है कि एक के साथ पांच-पांच, सात-सात, दस-दस खड़े होकर बोलते हैं । अंकित भी नहीं होता है फिर भी बोले चले जाते हैं। रिलेवेंट बात करिये। इतनी महत्वपूर्ण मांग है, कानून और व्यवस्था का सवाल है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहीं कोई बात है तो उस पर चर्चा कीजिये। आप जिस चीज की कोई रिलेवेंसी ही नहीं, उस चीज को लेकर बैठे हैं। इतनी देर हो गयी, सदन का समय खामख्वाह में ही गंवा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, 272 (7) में यह है।

श्री अध्यक्ष: मुझे तो मत सुनाइये, सदन के माननीय सदस्यों को सुनाइये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सुनाना चाहता हूं–272(7) में अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मान हानिकारक शब्द नहीं कहेंगे। अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिये नहीं करेंगे। अध्यक्ष को हटाने के मूल प्रस्ताव के माध्यम को छोड़कर उनके आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे। यह 272 के 7, 8, 9 में हैं।

श्री अध्यक्ष: यह पढ़ें जब ना। सवाल तो इनके पढ़ने का है, यह पढ़ें जब ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब 273 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया-किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधात्मक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके। यह इसमें अपने यहां व्यवस्था है। अब व्यवस्था का पालन नहीं करके यह उत्तेजना का वातावरण पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद सबने यह महसूस किया, प्रतिपक्ष के नेता ने या हाउस के नेता ने, सब नेताओं ने यह महसूस किया कि यह कार्यवाही ठीक नहीं हो रही है, और रोज-रोज यहां पर टेलीकास्ट करवाया जाए, इसके लिये तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। अपन यहां सार्थक बहस करें, कुछ निकाले, कुछ निकालकर इस प्रकार का लाएं तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा। सरकार को, यदि कहीं पर लैप्सेज हैं, सरकार की गलतियां हैं, उसके लिये किसने कहा है? अभी एक माननीय सदस्य ने यहां मामला उठाया था तो हमने कहा कि हम इनके साथ हैं। यदि सरकार का विरोध करना पड़े तो करेंगे। गाय कटने का मामला आया तो मैंने कहा, गाय बाद में कटेगी, पहले हम कटेंगे और यदि विरोध में आएगा तो हम करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार अनुचित काम करेगी तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं कि हमें एक ही पक्ष लेकर जबरन उनका घेराव करना ही है । अब यह हमारे राजस्थान की विशेष परम्परा है कि सम्माननीय कोई अतिथि आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिये। इस प्रकार कोई सुनेगा तो क्या कहेगा?

श्री अध्यक्ष: अब छोड़िये इस बात को आप, ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई क्या कहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 273 का हवाला दिया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने रूल 273 का हवाला दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कौनसे रूल का हवाला दे रहे हैं? (व्यवधान) नहीं, आप कौनसे रूल का हवाला दे रहे हैं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 273 का ही मैं कह रहा हूं। इसमें है किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया – मैंने किसी भी व्यक्ति या माननीय सदस्य के ऊपर कोई आरोप की बात ही नहीं की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने सत्यनारायण गुप्ता का नाम लिया है। (व्यवधान) सत्यनारायण गुप्ता का नाम लिया आपने। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): (व्यवधान) पुलिस की मौजूदगी में, संसदीय कार्य सचिव की मौजूदगी में, जन अभाव अभियोग के अध्यक्ष की मौजूदगी में झारखण्ड के विधायकों को यहां लेकर आये। मैंने सरकार पर आरोप लगाया है और सरकार पर आरोप लगाते समय किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। आप भी नौ बार रहकर आए हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) हम हमेशा भाषणों में कहते हैं, मेरा सरकार के ऊपर यह आरोप है, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, न किसी माननीय सदस्य का नाम लिया है। मैंने सरकार के लिये कहा है कि सरकार झारखण्ड के विधायकों को लाई है। माननीय मुख्य सचेतकजी ने कहा हमारी परम्परा है, हमारी यह परम्परा नहीं है कि बाहर के विधायकों को पांच सितारा में लाकर उनको शराब परोसी जाए, जो हमारे संस्कारों में नहीं है, जो हमारे रीति-रिवाजों में नहीं है। इस तरह की पहले भी सी.डी. बन चुकी है। मेरा यह आरोप है कि उनको मेहमान बनाकर शराब परोसी गयी (व्यवधान) यह मेरा आरोप है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सत्यनारायण गुप्ता पर आरोप लगाया था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दारू की पार्टियां कीं, हमने तो नहीं कहा। आप क्यों गये? वहां दारू पी, गाड़ियां भगाई, कुछ भी किया, आप उनकी सेवा में गये। सोनिया गांधीजी को बचाने के लिये गये, उनकी वाहवाही करने गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह तो बची हुई हैं, उनको क्या बचाना?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो पांच सितारा होटल में ला रहे हो उनको। आप तो अपनी धरती पर लाकर, पांच सितारा होटल में लाकर उनसे ऐसी करतूतें कराओगे जिसकी सी.डी. हमारे पास है। पहले भी आप झारखण्ड के विधायकों को लाये थे। (व्यवधान)...+++(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है यह? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमने डाक बंगलों में ही नहीं ठहराया किसी को।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मर्जी आए सो ही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): काल्पनिक बातें विधान सभा में नहीं की जाती हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह कोई नई .. (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अनर्गल आरोप लगाये जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आपका बोलना आवश्यक नहीं है। क्यों बोलते हैं आप? आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्यों को आज इतनी इम्पार्टेन्ट मांग पर बहस करने की इच्छा नहीं हो रही है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आज भाषण देने वाले पहले खुद तो सोच लें कि हम कैसे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): यह बेमतलब की बात करके क्यों समय जाया करना चाह रहे हैं? क्या मतलब है इन सबका? मेरे घर में मेरा मेहमान आया, क्या मतलब है उससे किसी को? समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात हो, कोई इश्यू हो तो आप उसको उठाएं। बेमतलब की बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, जोगेश्वर गर्ग, आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) हाउस में रिलेवेंट बात करनी चाहिये।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर आपने इस विषय पर बहस की अनुमति दे दी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी विषय पर चर्चा होनी चाहिये, इर्रिलेवेंट बहस का कोई मतलब नहीं होता। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह रिलेवेंट नहीं ला रहे? आज सरकार यह कह दे कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सचेतक हैं, आसन पॉवों पर है और आप खड़े हो जाते हैं।(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन पर कभी भी हाउस के अंदर बहस नहीं हो सकती। पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन बहुत ही अचानक कोई घटना घटित हो गयी जिसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना होता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्ड़ौली): अचानक ही तो है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): एक मिनट, आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। आप विद्वान हो सकते हैं लेकिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, हो गयी, इन्फार्मेशन दे दी, खतम हुई बात।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, तो उस पर केवल इन्फार्मेशन देकर माननीय सदस्य बैठ जाते हैं। उस पर कभी बहस नहीं होती सदन में। यह मैं पहली बार इस सदन में देख रहा हूं कि पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन करके उस पर बहस शुरू कर देते हैं माननीय सदस्य। आधा घण्टा इस बात पर खराब हो गया। आपने कोई सूचना थी, दे दी। उसके बाद जब आरोप लगाने लगे तो एक्सपंज कर दिया आसन ने। उसके बाद बात खतम हो जानी चाहिये थी। अब उस पर आप लगातार बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण को समाप्त करके आप बहस शुरू करवाइये। गृह विभाग की मांग है, बहुत-से माननीय सदस्य बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप बहस शुरू करवाइये, यह आपसे मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग, आपका पाइण्ट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक में एक से लेकर 308 नियम बनाये हुए हैं इस हाउस को चलाने के लिए। उन 308 नियमों में एक भी नियम ऐसा नहीं है जिसमें पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन कवर होता हो, लेकिन परिपाटी के तहत हम उठाते रहे हैं। इस प्रकार के व्यवधान, इस प्रकार की परिस्थितियां पहले भी निर्माण हुईं और उस समय मुझे याद आ रहा है, माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा अध्यक्ष विराजते थे, उन्होंने ऐसी परिस्थिति में एक व्यवस्था दी थी कि पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन कोई माननीय सदस्य रेज करना चाहे तो पहले आसन को सूचित करे कि क्या सूचना है उसके पास और फिर आसन उचित समझे कि यह सूचना देने लायक है और तत्काल देने लायक है तभी वह उनको अलाउ करें। ऐसी व्यवस्था वापस निर्माण की जानी चाहिए ताकि इस तरह की अनर्गल बातें पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन के माध्यम से नहीं आ जाएं। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये अनर्गल बातें हैं?

श्री अध्यक्ष: कौन माननीय सदस्य बोल रहे थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अध्यक्ष: आप कन्टीन्यू करें, मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस और कारागर की डिमाण्ड पर मैं अपनी बात कह रहा था। मैं निवेदन कर रहा था आपके माध्यम से कि आज जयपुर राजधानी में फर्जी मोहरों से जिस कॉलोनी का भी आपको पट्टा चाहिए, उसका पट्टा हाजिर करने वाले लोगों का एक बड़ा गिरोह जयपुर में भू-माफिया के रूप में कार्यरत है। इतना ही नहीं, अभी पुलिस की निगाह में एक ऐसे लोगों का गिरोह भी सामने आया है जो फर्जी दस्तावेजों से कुख्यात अपराधियों की जमानत कराता है। आज नहीं कई वर्षों से यह गोरखधंधा चल रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारी भी लिप्त थे जो जमानत देते थे जमीन जायदाद के, स्थाई सम्पत्तियों के फर्जी दस्तावेज बना कर और अपराधियों को न्यायालय की पकड़ से छुड़वाने का काम ये करते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां विराजमान हैं, बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे यहां अपराध कुछ कम हैं। मैंने आपकी गैरमौजूदगी में भी बात कही थी कि आपकी यह बात ठीक उस तरीके से है कि आप यह कहो कि मेरे पड़ोसी का बच्चा दसवीं में सात विषयों में फेल हो गया है, मेरा बच्चा तो कम से कम पांच ही विषयों में फेल हुआ है। यह कोई खुशी की बात है? यह अब

आये हैं इसलिए मैंने कहा, मैं वापस आपको यह बात उद्धृत करके कह रहा हूं।

आज जयपुर में तो स्थिति यह है कि अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं अपहरण महामारी नहीं बन जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उनके तो पोते फेल होंगे। अब इनके अगर फेल होंगे तो पोते होंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने केवल उदाहरण दिया है, माननीय घनश्यामजी। आज भी कानून और व्यवस्था की स्थिति देखिये।

श्री अध्यक्ष: पोते तो होंगे कि नहीं होंगे आप फेल हो रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमें तो पास करना आपके हाथ में है, जंचे तो पास करना जंचे तो फेल करना।

श्री अध्यक्ष: आप पधारो। आप बाहर जा रहे थे, पधारो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बड़ी खाटू में क्या हुआ, भागकर बचे कलक्टर। हत्या के बाद तनाव हो गया, एस.पी. समेत तीन दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गये। पत्थर चले, लाठियां भांजी गयीं, आंसू गैस के गोले छोड़े गये और कलक्टर को भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गये कि दौसा में पुलिस दल पर पथराव कर दिया और आंखों में मिर्ची झोंककर मुल्जिम छुड़ा कर लेकर भाग गये पुलिस से। ट्रेनें रोक रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं। और हद तो यह हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जयपुर में राजस्थान के व्यापारी संविदा खेती के विरोध में जुटे, व्यापारियों को यह गलतफहमी थी कि कांग्रेस तो किसानों की, गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, वीकर सैक्शन की पार्टी है, आ गये महावीरजी, ओम बिड़लाजी और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य के चक्कर में। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर आये और इस गलतफहमी से आये कि यह सरकार तो हमारी है, हमारी जरूर सुनेगी, पर इस सरकार ने जिसके गृह मंत्री भी इसी व्यापारी वर्ग से आते हैं, ऐसी स्थिति की, ऐसी लाठियां भांजीं बेचारों पर कि जूते-चप्पल छोड़ कर भाग गये, कुछ तो आज भी कहीं न कहीं इधर-उधर पड़ी मिली होंगी और ले जाकर अशोक नगर थाने में बंद कर दिया। जब इत्तिला मिली तो हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय कल्लाजी, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और हम कुछ लोग वहां पहुंच गये। जाकर देखा

तो एक छोटा-सा कमरा और उसमें ऐसे खचाखच भर रहे थे जैसे कमेले के अन्दर बकरा-बकरी और भेड़ भरी रहती हैं। कल्ला साहब ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं। कहने लगे कि पानी पीने की छोड़ो, पेशाब तो उतरवा दो, हम को तो पेशाब करने नहीं जाने दिया जा रहा है। यह स्थिति है व्यापारी वर्ग के साथ में। मैं पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान) आप खामोशी से सुन लें।

श्री अध्यक्ष: क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बीच में?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुन लें मेरी बात।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो इन्होंने प्रूव कर दिया न कि भाई, यह तो गरीबों की ही पार्टी है। यह तो प्रूव कर दिया न कि हम कोई व्यापारी की परवाह नहीं करते हैं, व्यापारियों की परवाह नहीं करते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसी की नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका इण्टरप्रिटेशन है, यह तो आपका कयास है।

श्री अध्यक्ष: आप व्यापारियों की पार्टी बता रहे हो और व्यापारियों के प्रति कोई हमदर्दी दिखायी नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने तो यह कह दिया कि हम किसी के सगे नहीं हैं। जिधर देखी भरी परात उधर बितायी सारी रात। यह साबित कर दिया कि हम तुम्हारे भी नहीं हैं। जब तुम से चंदा लेना होगा, वोट लेना होगा, जब तुम्हारे बनने की बात करेंगे, बाकी हम तो किसी के नहीं हैं। यह साबित कर दिया इन्होंने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एकदम बड़े जोर-शोर से यह बात कही गयी कि महिला सशक्तीकरण वर्ष, महिला मुख्य मंत्री, महिला विधान सभा अध्यक्ष और महिला राज्यपाल महोदय, यहां गृह मंत्रीजी विराजमान नहीं हैं, गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, इन्होंने तो सहानुभूति बटोर ली व्यापारियों की। यह कह कर आपने तो जरूर सहानुभूति बटोर ली है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दो दिन पहले इनकी भी हालत आपने यही कर दी। दो दिन पहले इनकी भी हालत यही हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे 90 परसेंट वोट मिले हैं 90 परसेंट, आप आंकड़े उठा कर देख लो। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): न आपको दलित वोट दें और न आपको शिड्यूल्ड कास्ट के लोग वोट दें और न व्यापारी दें।

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं। बीच में व्यवधान नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं तो जीरो वोट पर ही जीत कर आ गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार आये हैं, अभी मैं कुछ कहूंगा तो फिर बुरी लगेगी।

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला तो मैंने एक शब्द कहा? बताइये आप। मैं अब कह रहा हूं तो मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष: सुन लें, बीच में व्यवधान नहीं। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हों। आप मेरे मुह में शब्द नहीं डाल सकते, मैं वो ही कहूंगा जो मैं उचित समझता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा था तो इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया था, परमिशन दें तो आज मैं भी इनको डिस्टर्ब करूं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप कर सकते हो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, नहीं। आप श्रेष्ठ विधायक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसीलिए मैंने इजाजत ली है आपकी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बलात्कार की घटनाएं कम हों ज्यादा हों, मैं इस गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन बलात्कार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज हमारी स्थिति यह हो गयी कि

छह साल से लेकर साठ साल तक की महिला सुरक्षित नहीं। अस्पताल में सुरक्षित नहीं, थाने में सुरक्षित नहीं, और तो और, जोधपुर के रणछोड़दास मन्दिर में सुरक्षित नहीं। कौनसी जगह हमारी मां और बहन जाएगी, कहां उसकी इज्जत सुरक्षित है, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं? गृह मंत्रीजी, जयपुर में तो ऐसी घिनौनी घटना हुई कि साढ़े चार वर्षीय बालिका सना जो कोतवाली थाना क्षेत्र में रहती थी, उसका अपहरण हुआ और तीन दिन बाद उसके साथ रेप करने के बाद उसकी लाश को दरबार स्कूल में छोड़ कर चले गये। ऐसी घटनाएं समाज पर कलंक हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कितना हैवान होता जा रहा है इन्सान। आज बलात्कार के जो दर्ज मुकदमे हैं अजमेर रेंज में 116, जयपुर रेंज प्रथम में 82, जयपुर रेंज द्वितीय में 64, बीकानेर रेंज में 129, भरतपुर रेंज में 168, जोधपुर रेंज में 114, कोटा रेंज में 166, उदयपुर रेंज में 152 और अजमेर रेलवे क्षेत्र में दो, यानि 993 इस तरीके की घटनाएं आज भी राजस्थान में हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कब जाकर इस हैवानियत से राजस्थान को निजात मिलेगी?

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। आतंक से एक विकलांग का पलायन, फागी तहसील के रेनवाळ के एक विकलांग कमरुद्दीन को आतंकवादी और भू-माफियाओं के डर से पलायन करना पडा। सी एम आफिस से भी 23 मार्च, 2005 को ओ एस डी ने, एक चिट्ठी लिखी कि इसका पुनर्वास किया जाए। सब जगह चला गया, यातायात मंत्रीजी ने जयपुर कलक्टर ने, जयपुर एस पी ने, आईजी ने सबने लिखी। आप कहें तो मैं यह इतने पत्रों का पुलिंदा मेरे पास है, मैं इसको टेबल कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: क्या हुआ फिर? चिट्ठी क्यों लिखी, हुआ क्या फिर, यह तो बताइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कोई कार्यवाही नहीं हुई आज तक। उसको कोई वहां बसने नहीं दे रहा है। यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। एफ आई आर 133-043 पुलिस थाना गच्छीपुरा नागौर, प्रार्थी लाल मोहम्मद लुहार, इसको कोई न्याय नहीं मिला। सीकर में एफ आई आर 7805, पुलिस थाना सदर, अलवर-राजेश सैनी की हत्या हो गई,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उसका बूढा बाप न्याय के लिए इधर से उधर रोता फिर रहा है लेकिन आज तक एक भी अपराधी को कोई उसमें सज़ा नहीं मिली, बल्कि उसके अन्दर एफ आर लगाने का काम किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोपालगढ़ थाना क्षेत्र बरखेड़ा में एक हरिराम जो अपने खेत में चने काटने के लिए जा रहा था, जुरेडा के अन्दर उत्तर प्रदेश के कोई बदमाश आए, वायरलैस पर मैसेज आ रहा था कि वे बदमाश सफेद मारूती वैन के अन्दर भगे हैं। यह अपने खेत में चने उखाड़ने के लिए जा रहा था पर कोई अमरूका के लिए सफेद दूसरी मारूति वैन जा रही थी, इसने हाथ दिया कि मुझे मेरा खेत दो किलोमीटर दूर है वहां छोड़ देना। उन्होंने इसको बैठा लिया, यह उतरकर अपने खेत में जाने लगा कि इसको पकड़ने की कोशिश की। न कुछ किया, 19 साल का लड़का था, कोई 107, 116 का कभी इसके खिलाफ मुकदमा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कहीं भी जरा-सी भी किसी को गाली बकने की भी शिकायत हो तो मैं इस सदन की सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैसेज यह आ रहा था कि सफेद मारूति वैन में भगे हैं, यह उतरा और खट उधर से कोतवालजी आ रहे थे, उन्होंने उठाकर गोली मार दी और वहीं का वहीं मर गया। इसकी मां कह रही है चिल्ला-चिल्ला कर कि मेरा बेटा बेकसूर था, कोई उसके खिलाफ मामला नहीं है। गोपालगढ़ बंद हो रहा है, आस-पास के कस्बे बंद हो रहे हैं, लोगों में पुलिस के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। और पुलिस के अधिकारी जाकर उसकी मां को कह रहे हैं, कुछ पैसे लेने हों तो ले ले।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सत्य केस है और एस पी भरतपुर द्वारा पैसे देकर इस मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है । मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसकी सत्यता की जांच कराकर उस मृतक के परिवार को कम से कम सांत्वना मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: गृह राज्य मंत्रीजी, नोट करिए।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ऐसा है, ऐसी घटना अगर घटी है...

श्री विजय बंसल (भरतपुर): इस पर आंदोलन हो रहे हैं, पंचायत हो रही है, लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ने की संभावना है।

श्री अध्यक्षः सुनिए तो सही, क्या कह रहे हैं वह।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): जो कुछ घटना घटी है उसके लिए तो बड़ा दुःख है और यह नोट कर लिया है उसके लिए पूरी कार्यवाही होगी, आप चिन्ता नहीं करें निष्पक्ष रूप से।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल बेकसूर आदमी, आज इस घटना को दस दिन हो गये, होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है, आपके नोटिस में तो नहीं है, उनकी जानकारी में ...

श्री अध्यक्षः वह जांच करा लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उनकी जानकारी में है। मैं उनसे उस रोज भी मिला था, मैंने उनको बताया था, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। लेकिन मैं यह हकीकत बता रहा हूं आपको कि बेवा औरत के पास पुलिस की गाड़ी भरकर गयी और पुलिस वालों ने कहा कि इस कागज पर दस्तखत कर दे कि मुझे कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना। पुलिस से तू एक भी पैसा ले सकती है क्या? हम तेरे को यह टाइम निकल जाए तो कुछ पैसा दे देंगे और तू राजीनामा कर ले। इस तरीके से आप मारने के बाद मारो भी और रोने भी मत दो, यह काहे का न्याय है? यह काहे का कानून है?

श्री अध्यक्षः पुलिस ने थोड़े ही मारा था, पुलिस से थोड़े ही मरा है वह?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पुलिस की गोली से ही तो, पुलिस ने ही तो मारा है, और बात क्या है? पुलिस ने मारा है खुद। बिलकुल इनोसेंट बच्चा था, कोई उसका लेना देना नहीं, कुछ नहीं था।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने फील्ड पोस्टिंग के लिए सब इन्सपैक्टर, सी.आई.डी.वाई. एस.पी., एडिशनल एस पी, एस पी इनकी कोई टर्म तय कर रखी है क्या कि इनको एक निश्चित थाने पर इतनी समयावधि से ज्यादा नहीं रखा जाएगा? एक साल, दो साल, तीन साल, कोई समय तो तय कर रखा होगा कि एक एक जगह एक-एक अधिकारी पांच-पांच साल, चार-चार साल कंटीन्यू बैठा रहेगा। एक तरफ अभी सही कह रहे थे सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कि पुलिस विभाग में आप बैन लगा दें तो यह छूट मिल जाती है उसको कि ट्रांसफर तो मेरा हो नहीं सकता चाहे जितना लूटूं और चाहे जो कर लूं। वहां ए.पी.ओ. करने की तो आपको पावर है। आपके पास शिकायत आए और यह

तस्दीक हो जाए कि हां, इसने गड़बड़ी की है तो उसको बैन की आड़ के अन्दर छूट नहीं मिलनी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के विधायकपुरी थाने को आपने आदर्श थाना घोषित कर रखा है, और हम भी चाहते हैं राजस्थान में हर जिले में एक आदर्श थाना बने ताकि और दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन आदर्श थाने का एस एच ओ भी तो आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। विधायकपुरी थाने में जो एस एच ओ लगा रखे हैं, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ केस जिसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके झुन्झुनूं से ही शुरू है कि थाना झुन्झुनूं में तैनाती के समय एक निर्दोष जो जन्मजात आंखों से अंधा था, नेतराम, एन.डी.पी.एस. एक्ट में गिरफ्तार कर लिया, बाद में उच्च अधिकारियों ने तफ्तीश की और उसको गलत मानकर 179 सी.आर.पी.सी. में उसको रिहाई दी। थाना वैशाली नगर में शिवानी जडेजा कांड में दो निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए, जिनको उच्च अधिकारी ने 169 में छूट दी। ऐसे दस केस हैं जिन दस केसों में उनके उच्च अधिकारी ने यह माना कि मेरे से नीचे वाले अधिकारी ने ये गलत काम किये हैं। आप कहोगे तो मैं इसकी प्रति माननीय मंत्रीजी को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: इसको देने की जरूरत नहीं है, यह तो ठीक है इसमें क्या बात है? सत्यता का पता लग गया तो उन्होंने कर दिया, इसमें क्या बात हुई?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ एस एल) जिस पर सारे अपराध जो आज की तारीख में हो रहे हैं, उनकी जड़ रहती है, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, हिंसा, आगजनी, विस्फोट, मादक पदार्थ, धोखाधड़ी आदि का मामला एफ एस एल की जांच से प्रमाणित होता है । आज स्थिति क्या है ? एफ एस एल में आपके पास स्वीकृत पद हैं 366, मैं डिटेल में नहीं जाता कि डायरेक्टर के कितने हैं औरों के कितने हैं, लेकिन 366 में से मात्र 137 पदों पर वर्तमान में आदमी काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी 199 पद रिक्त थे और इस साल भी 199 पद रिक्त हैं। यानि एक भी पद आप भर नहीं पाये। पिछली साल जो आपके मामले थे पैण्डिंग, इस साल वर्ष 2005 में 18,344 नये प्रकरण आपको प्राप्त हुए हैं जांच के लिए जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 263 ज्यादा हैं। इसकी पैण्डेंसी बढ़ रही है, आप कितनी भी त्वरित गति से कार्यवाही

करें। लेकिन फिर भी आपकी जो तीनों प्रयोगशालाएं हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि इनमें जो रिक्तियां हैं इनको भरा जाना चाहिए और इसमें आपने बेशकीमती मशीनें और उपकरण मांग रखे हैं, उनका सही मायने के अन्दर आपको इस्तेमाल करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एंटी करप्शन डिपार्टमैंट के बारे में तो यह कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवादों का निपटारा होने लगा है लेकिन फिर भी जिस गति से होना चाहिए, कहीं न्यायालय के मामले आ जाते हैं, कहीं सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है। जो कुछ भी हो, त्वरित गति से कार्यवाही करके भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि राजस्थान से हम भ्रष्टाचार को जड़-मूल से खतम कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक सुरक्षा होम गार्ड के बारे में भी एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा। हमारे यहां राजस्थान में तीन तरीके के होमगार्ड हैं-बार्डर होमगार्ड, अरबन होमगार्ड और ग्रामीण। बार्डर में जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर चार जिले आते हैं और अरबन और रूरल..

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: आज बोलने वाले बहुत हैं, थोड़ा आप कन्क्लूड करने की कोशिश करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं कर रहा हूं। हां, आधा घंटा तो लगेगा। मैं निवेदन कर रहा था अरबन और रूरल होमगार्ड प्रत्येक जिले में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब एक हजार होमगार्ड की प्रशिक्षित महिलाएं हैं, जो पुरूष होमगार्ड हैं उनकी तो महीने में लगभग बीस दिन ड्यूटी बराबर लगती रहती है लेकिन जो महिला होमगार्ड हैं उनकी नियुक्ति केवल चुनाव के समय होती है। बाकी समय में वे क्या करें? इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे जनाना अस्पताल, महिला छात्रावास, महिला कालेज, महिला नर्सिंग होम, महिला थाने, सेण्ट्रल जेल की महिला भी, रोड़वेज वर्कशाप की महिला भी, इन जगहों पर आपको चुनावों के अलावा भी महिला होमगार्डस की ड्यूटी देने का काम करना चाहिये ताकि उनकी आर्थिक तंगी भी दूर हो और दूसरी जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी होम गार्ड के प्रति प्रेरणा मिले, वे होमगार्ड के प्रशिक्षण की तरफ आगे बढ़ पाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस के बारे में एक और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में जाकर हम पुलिस के थानावार काम काज की समीक्षा करेंगे। यह एक अच्छा कदम था। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अभी जैसा मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, हमारे भरतपुर में भी आये और एक बार मीटिंग ली और कहा कि हर तिमाही में मीटिंग होगी। लेकिन एक बार मीटिंग नहीं हो पायी। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी कहा था कि पुलिस का जन सहभागिता अभियान चलाया जाएगा और इस जन सहभागिता अभियान में पुलिस के साथ समन्वय के लाभों से अवगत कराया जाएगा। पुलिस के मददगार लोगों को चिंहित किया जाएगा। बदमाशों की गतिविधियों की जानकारी कर तस्दीक की जाएगी। छोटी-छोटी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। आपसी झगड़ों और विचाराधीन मामलों के निपटारे का प्रयास किया जाएगा। लोक अराजकता के मामलों का निपटारा किया जाएगा। स्कूल, कालेज एवं अन्य संस्थानों में अभियान की जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के अच्छे परिणाम आ रहे थे, लेकिन इस अभियान का क्या हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी जब भी अपना जवाब देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में भी कहेंगे।

मैं, माननीय गृह मंत्रीजी, आपको सुझाव और देना चाहता हूं कि जो बयान होते हैं, उन बयानों की नकल का भी आपको प्रावधान करना चाहिये। इसकी नकल नहीं मिल पाती है। बयानों की नकल का प्रावधान एफ.आई.आर. की तरह किया जाए क्योंकि आई.ओ. बयान लिखता है, उसके बाद दस्तखत करा देता है। उसकी नकल मिले, बाकायदा हो, ताकि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और न पेचीदगी आगे रहे...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय माहिर आजादजी, आप तो वकील हैं, कब दस्तखत होते हैं उस पर ? 161 के बयान हैं और उसमें नहीं होते, आपको थोड़ा ध्यान नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): होते हैं, लेकिन वह लिखता वही है। 161 में नहीं होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष: अब आप प्लीज कनक्लूड करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट नहीं, अब बहुत देर हो गयी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सिर्फ पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: बहुत सदस्य हैं बोलने वाले।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे एक तो कारागार पर बोलना है और कुछ बहुमूल्य सुझाव देने हैं।

श्री अध्यक्ष: 45 मैम्बर्स, अभी बाकी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पांच मिनट तो बोल लूं मैं। मेरा तो सारा समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्टर्बेंस में चला गया। सिर्फ पांच मिनट, आप घड़ी देख लें।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्बेंस में तो आपके पांच-दस मिनट गये हैं, बाकी बोल भी लिये काफी आप। बोले भी काफी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पांच मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जरा देखिये। उत्तर प्रदेश में एक लाख लोगों पर 77 अपराध हैं। एक लाख लोगों की आबादी पर सतहत्तर अपराध और राजस्थान में एक लाख लोगों पर दो सौ पच्चीस अपराध। उत्तर प्रदेश के एक थाने में 40 से लेकर 70 तक पुलिस कर्मी हैं...(व्यवधान) फिर आपके बीमारी हो रही है कुछ। पता नहीं आपको क्या, समझ में नहीं आती बात मेरे। कुछ दिमाग घर रखकर आते हो क्या?...(व्यवधान) आप पूरा सुनोगे। फिर टाइम...(व्यवधान) सुनिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान जितना ही डालोगे उतना ही यह अधिक समय कंज़्यूम करेंगे। क्या फायदा ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिलकुल। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख पर 77 अपराध और राजस्थान में 1 लाख पर 255। यू.पी. में एक थाने में 40 से लेकर 70 तक सिपाही और राजस्थान में एक थाने में 12। 15, 16 भी नहीं। उत्तर प्रदेश में एक थाने में चार-पांच व्हीकल और राजस्थान के अन्दर एक की भी कैसी स्थिति है, वह सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बता दिया। हरियाणा हमारा सीमावर्ती राज्य है, हरियाणा में एक थाने पर 30 से 40 सिपाही, 3 व्हीकल और आधुनिकतम हथियार भी। हरियाणा में 30 किलोमीटर के ऊपर एक हाइवे पैट्रोलिंग और राजस्थान में 70 जिले के सौ किलोमीटर तक एक हाइवे पैट्रोलिंग। मुझे बताइये, कैसे राजस्थान की पुलिस अपराधियों का जो यू.पी. में अपराध करके

यहां आ जाते है, जो हरियाणा में अपराध करके यहां आ जाते हैं, मुकाबला कर पाएगी ? न उनके पास नफरी ज्यादा, न उनके पास आधुनिकतम हथियार, न उनके पास व्हीकल्स। हमारे यहां तो स्थिति यह है कि 14 का थाना है, एक चला जाता है कोर्ट ड्यूटी में, दो रहते हैं एल.सी. की ड्यूटी में। चार संतरी, दो वायरलैस में, दो तफ्तीश कुनिंदा के साथ और तीन छुट्टी पर। क्या बीट में किसी की ड्यूटी लगेगी? सम्मन की तामील कराने कौन जाएगा? वी.आई.पीज. की ड्यूटी में कौन जाएगा? इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अंत में कारागार विभाग के बारे में अपनी कुछ राय देना चाहूंगा। मेरे कटमोशन भी हैं..

श्री अध्यक्ष: अब आप कारागार को तो रहने ही दो। अब बहुत हो लिया। बहुत हो लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शार्ट में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब क्या शार्ट में कहेंगे आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यही है कि पैरोल के लिये और जेलों के निरीक्षण के लिये जो जेलों में कमेटी बन रही है उस कमेटी की समय पर मीटिंग होनी चाहिये। जेलों में जो आजीवन कारावास के कैदी हैं उनका साम्राज्य रहता है, उस साम्राज्य को आपको रोकना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने एक हिडन एजेंडे पर चल रही है। आपने पहले अल्पसंख्यकों/मुसलमानों के खिलाफ कर्जा लिया। मांडल, भीलवाड़ा, खानपुर, इकलेरा, मलारना डूंगर, सबलाना, धोलेड़, कामां, वहां आपने प्रयास किया उनका हेरेसमेंट करने का। लेकिन जब मुसलमान आपके वश में नहीं आये तो अब आपने ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करने का, आतंक करने का काम शुरू कर दिया है। हकीकत की आड़ में। जिसने भी हकीकत पुस्तक के अन्दर जो कुछ भी गलत टिप्पणी की है हमारे देवी देवताओं के प्रति, आप उनको सज़ा दें, उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक पूरे समाज की शिक्षण संस्थाओं पर जिनमें वी.आई.पीज. के बच्चे पढ़ते हैं, आपमें से भी अधिकांश के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सारी शिक्षण संस्थाओं पर केवल इस बात के लिये आप कुठाराघात करने का काम करें कि इनका ताल्लुक ईसाई समुदाय

से है। इस हिन्दू एजेंडे के ऊपर आप चलेंगे तो राजस्थान की कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी। किसी भी स्थिति में कानून और व्यवस्था की स्थिति को नहीं सुधार सकते।

आपने, माननीय गृह मंत्रीजी, पिछली साल भी इस सदन में छाती ठोक कर कहा था कि हम धर्मान्तरण विरोधी विधेयक लाएंगे, लाये क्या आप? अब आप ला रहे हैं। दूसरी जगह कोई धर्म सम्मेलन करे तो उसका आप विरोध करते हैं और सख्ती से कुचलने का काम करते है। लेकिन जब आपके के.सी. सुदर्शनजी ब्यावर के अन्दर आते हैं तब आप वहां पर काठात और चीतामेराज में शुद्धिकरण के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं...(व्यवधान) पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप दूसरों को तो नसीहत दें और खुद आप अमल करने का काम नहीं करें, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसलिये... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हिन्दू एजेंडे का नाम लेकर इस प्रकार का यह माहौल किया जाता है, इनसे कहा जाए कि अपने कटमोशन पर सही बोलें, वर्ना यह हम सहन नहीं करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक मिनट आप बैठो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सहन करो, या नहीं करो, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन यहां कर रहा हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, बोलने का अधिकार नहीं है हिन्दुओं के ऊपर। हिन्दुओं के ऊपर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने वालों का आप सपोर्ट कर रहे हो और यह बात आप यहां बोलने जा रहे हो, कोई रोक नहीं रहा। आपका क्या यहां कोई धणी धोरी नहीं है? हम कहते हैं ... (व्यवधान) हिन्दुओं पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हिन्दुओं का अपमान करने के ऊपर, हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान किया है, उसका समर्थन कर रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिये।...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यही कर रहा हूं, समान सख्ती का काम करना चाहिये, समान व्यवहार करना चाहिये। अगर दोहरे मापदंड अपनाओगे, दोहरी नीतियां अगर आप अपनाओगे तो मैं...(व्यवधान) उससे आपकी कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ नहीं रह सकती...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है हिन्दुओं के खिलाफ बोलने की?...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजस्थान में इन्हीं दोहरे मापदंडों के कारण...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य कृपा करके बताएं कि अपने जीवन में आपने कितनी बार नाम बदला, यह कृपया आप सदन के सामने स्पष्ट करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मेरे मौलवी साहब और पंडित जी से पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप अपना बता दें अपने बारे में। आप केवल अपने बारे में बता दें कि आपने अलग–अलग नामों से कितनी बार कुकृत्य किये, आपने अलग-अलग नामों से क्या-क्या कारनामे किये? कितनी बार अपने नाम बदले।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): छोड़ो आप। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, अध्यक्षजी से बात कर रहा हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): पहले अपने गिरहबान में झांक कर देखो, ईश्वर का नाम लो...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): पार्टियां भी कितनी बदलीं, यह भी बता दें।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपकी सरकार है, जांच कराओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अपना नाम कितनी बार बदला? नाम कितनी बार बदला, कृपया यह आप सदन में स्पष्ट कर दें। आप पर तो आरोप लगे है, जरा आप अपने गिरहबान में झांक कर देखो...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह भी कहा गया कि आप सदन में बढ़ाओ बात...(व्यवधान) माननीय सदस्य को यहां सचेत कर रहे हैं कि ऐसी कोई भावना, हमको ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कहें। यह खुला कह रहे हैं, हिन्दू एजेंडे पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया कनक्लूड कर दें।...(व्यवधान) राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, हर बात पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। आप क्यों टिप्पणी करते हैं हर बात पर? शांति से बैठे रहा करें। जब समय, मौका आए, आपका अवसर आए बोलने का, तब बुलाएंगे। ऐसे क्यों खड़े होते हैं आप बीच-बीच में?... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): भाग जाते हैं यह। तब तो सुनने के लिये तैयार नहीं होते, भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न डालें आप। अब आपको दो मिनट का समय दे रही हूं, Within two minutes please conclude your speech.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है। दो मिनट के बजाय अभी एक मिनट में ... (व्यवधान)

(समय : 16.00 बजे)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, पता नहीं क्या-क्या कारनामे करे थे। नाम बदल लेते हैं ताकि पुलिस को पता नहीं चले। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जांच कराओ जांच। जांच करा लो।...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप तो सदन के अंदर बता दो कि आपने नाम कितनी बार बदले...(व्यवधान) मैं दूंगा सबूत ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जांच करा लो जांच ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहले आप बोलें कि कितनी बार आपने नाम बदले हैं और हर नाम पर आपने क्या-क्या किया है, यह भी बताएं सदन में। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: इसकी भी जांच होनी चाहिए ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गृह मंत्रीजी बैठे हैं, आप जांच करा लें।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): खास कारनामे हैं आपके...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा समय अभी शुरू नहीं हुआ है...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह बहुत गंभीर मामला है, आपसे अनुरोध करते हैं कि यह पूरी बात सदन के सामने आनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या इस्लाम धर्म से परिवर्तन करता है तो उसे सज़ा ए मौत होती है?

श्री अध्यक्ष: सज़ा ए मौत?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सज़ा ए मौत का प्रावधान है इस्लाम में।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह देखें, मैं तैयार हूं। आप कुछ करें तो सही।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): है कि नहीं है, आज ही अख़बार में आपने पढ़ा होगा, आज ही आया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पढ़ना आता है आपको? बड़ी खुशी की बात है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई यदि इस्लाम से परिवर्तन करता है तो उसको सज़ा ए मौत है और उसको सज़ा सुनायी गयी है मौत की।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, आप खुद देखें, यह दो मिनट कैसे खतम होंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सज़ा ए मौत ही क्यों? आप तो इनको पैदा ही मत होने दें जो झगड़ा ही नहीं रहे।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो उसकी बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या बोल देते हैं? आपको खुद को ही पता नहीं है कि आप क्या कह गये।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह क्या बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो क्या कहता हूं और यह इसका क्या अर्थ लगाने लग गये? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह निवेदन कर रहा हूं कि दोहरे मानदंड अगर हम रखेंगे तो कानून व्यवस्था नहीं रह सकती है। हमें मानदंड एक रखने पड़ेंगे। चाहे हम ईसाइयों को कनवर्जन

करने से रोकें, चाहे हम मुसलमान को रोकें, चाहे हम हिन्दू धर्म के लोगों को रोकें, कोई भी करे, कनवर्जन करना अगर कानूनन अपराध है तो आपको एक मानदंड रखना पड़ेगा और एक डंडे से सबको हांकना पड़ेगा। अगर आप गलत-गलत मानदंड अपनाओगे, दोहरे मानदंड अपनाओगे तो आप कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते हैं। मैं अंत में एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करना चाहूंगा, एक शायर ने सही कहा है।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब यह देखें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, अब इसमें प्रावधान यह है कि यदि कोई कानून...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह शेर सुना रहे हैं और आप बीच में प्रावधान बता रहे हैं।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शेर आता है तो गीदड़ तो भागते ही हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शेर तो सुनूंगा, लेकिन कोई पहले गलती से धर्म परिवर्तन कर लिया, मजबूरी में या दबाव में तो वह वापस आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने किया है क्या? इन्होंने किया है क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बहुत ठीक है, बिलकुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आखिर में शेर सुनाकर अपनी बात खतम कर रहा हूं-एक जाम मोहब्बत का भी पीने नहीं देंगे, यह आप पर कह रहा हूं मदन दिलावरजी। एक जाम मोहब्बत का भी पीने नहीं देंगे, रोना भी अगर हम चाहें तो रोने नहीं देंगे। जीना है अगर तुमको तो हालात बदल दो, हरिमोहनजी, वर्ना तुम्हें ये लोग चैन से जीने भी नहीं देंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: अब आपने सुना दिया। लेकिन इस विधान सभा की जो इस समय हालत हो गयी है उसमें मुझे भी याद आ गया, एक शेर सुना देती हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इरशाद, इरशाद।

श्री अध्यक्ष: कभी पीकर जितना छोड़ देते थे पैमाने में,

अब तो उतना भी नहीं रहा तेरे मयखाने में।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, अब इसका तो जवाब सुनिये आप,

आंसू से कहो टपके मगर रोए नहीं,
शबनम से कहो बरसे मगर खोए नहीं,
पीने का मजा तो तब है यारों,
मयखाने में सभी झूमें मगर पिएं नहीं।

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस और 17-कारागार पर चर्चा हो रही है। पुलिस महकमा राज्य प्रशासन की दाहिनी भुजा है । प्रशासन की व्यवस्था में एक ऐसा महकमा जिसमें यदा-कदा अवसरों को छोड़कर सर्वत्र आलोचना का शिकार होना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले नगर से आने वाले माननीय सदस्य और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य पुलिस पर चर्चा करते समय विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संदर्भ व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में जोड़कर उसका वर्णन कर रहे थे। मैं यहां उल्लेख करना उचित समझता हूं कि हम पुलिस को उसके कामकाज और व्यवहार के कारण आलोचना का शिकार तो बनाते हैं, लेकिन आज हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि हमने 1974 में पुलिस पुनर्गठन योजना बनायी और उसको रिफ्रेमेशन 1994 में किया, उसके बाद क्या हम इस दिशा में सार्थक रूप से आगे बढ़े हैं? जहां 1971 में 664 व्यक्तियों पर एक पुलिस कर्मी हुआ करता था, आज उसकी संख्या बढ़कर 2004 में लगभग 950 व्यक्तियों पर एक पुलिस कर्मी है । इतना ही नहीं, लोकतंत्र की इस व्यवस्था में वैलफेयर कंसैप्ट को लागू करने के लिए पुलिस की भुमिका को हमने बढ़ाया है, लॉ इंर्फोमेशन एजेंसी के रूप में हम पुलिस को उपयोग में लाते हैं। पुलिस का काम खाली कानून व्यवस्था पर नियंत्रण, शांति और सौहार्द बनाना ही नहीं है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अध्यक्ष महोदय, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, वीआईपी की ड्यूटी हो तो पुलिस का महकमा जाएगा, समाज में होने वाले तमाम प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम आज इसके लिए भी पुलिस जरूरी हो गयी है। नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक तरफ तो हमने नफरी बढ़ायी नहीं और दूसरी तरफ पुलिस के काम इतने बढ़ गये, कानून व्यवस्था के नियंत्रण से लेकर 50 प्रकार की ड्यूटी पर आज पुलिस को काम करना पड़ता है। लेकिन इन हालात में जब हम कभी यह चर्चा करते हैं, देश के अन्य प्रांतों में अपराध का ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कानून-व्यवस्था और समाज में शांति-व्यवस्था की बात पर जब चर्चा करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत सुखद स्थिति है कि हमारा प्रांत आज भी देश के शांतिपूर्ण प्रांतों में गिना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस अवसर पर राजस्थान के गृह मंत्री और उनके महकमे को बधाई देना चाहता हूं। अपराध और अपराध की प्रवृत्ति जब बढ़ती है वह तब बढ़ती है जब समाज में अपराध घटित हो जाए और अपराध घटित हो जाने के बाद उस पर सख्ती से कार्यवाही नहीं हो। अपराधी के खिलाफ गंभीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं हो, उसको दंडित नहीं किया जाए। कानून प्रक्रिया की शिथिलता के कारण जब न्याय प्रक्रिया के विलंब से अपराधी दोषमुक्त हो जाता है तो उसका हौसला बढ़ता है। लेकिन इस दिशा में राजस्थान की पुलिस ने पिछले सालों में बहुत उल्लेखनीय काम किये हैं और उसका नतीजा रहा है कि 2005 में महत्वपूर्ण काम हुए। 24.11.2005 विधायक पुरी में विदेशी महिला से छेड़छाड़ मामले में घटना के तीन दिन में चालान और उसी दिन न्यायालय ने 6 माह का कारावास किया। 26.12.2005 को अमेरिकी महिला के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में त्वरित कार्यवाही करके अभियुक्तों को सात-सात साल का कारावास। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनमें एक सप्ताह के अंदर फैसला हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखायी और इस बात का संदेश सारे समाज में गया। राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार हर तरीके से अपराधों पर नियंत्रण करके आपराधिक मानसिकता को कुचलना चाहती है और इस दिशा में यह पहला अवसर होगा कि जब एक नहीं, एक साथ दर्जनों मुकदमों में पुलिस ने दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह के भीतर-भीतर चालान किया। त्वरित गति से न केवल न्यायालय में चालान पेश किया, बल्कि प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही को भी पूरा कराकर अपराधियों को दण्डित करवाया। इस दिशा में लगातार सरकार के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रयासों के बाद हालात ये बने कि आंकड़ों में अपराधों में गिरावट आई है, अपराधियों में भय पैदा हुआ, अपराधियों की मानसिक स्थिति में पुलिस का भय पैदा हुआ। हम देखते हैं कि पिछले सालों की तुलना में इस बार अपराधों में नौ प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन इसके बाद भी समाज में जिस प्रकार से पुलिस के व्यवहार को लेकर चर्चा होती है, मैं आज उसके बारे में कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पुलिस के व्यवहार और कार्यप्रणाली के बारे में आज समाज में किसी भी प्रकार से जाकर चर्चा कर लें, कोई व्यक्ति संतुष्ट नजर नहीं आएगा। थानों में जब फरियादी जाता है तो उसको एफ आई आर दर्ज करवाने का पैसा देना पड़ता है। मुल्जिम को पैसा देना पड़ता है। समाज में पुलिस के बारे में इस प्रकार की धारणा बन गई कि पुलिस का महकमा इतना शक्तिशाली बन गया कि इस महकमे में काम कराना है तो यहां कोई राजनीतिक सिफारिश काम नहीं आएगी, यहां तो केवल पैसे को आधार बनाकर ही काम कराया जा सकता है। लेकिन पुलिस के इस व्यवहार को, पुलिस की समाज में आलोचना को दूर करने के लिए पिछले सालों में राजस्थान पुलिस ने सराहनीय कदम उठाये हैं और एक कार्यक्रम चलाया है-जन सहभागिता कार्यक्रम। डाइरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने राजस्थान के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाज में पुलिस की आलोचना कम होनी चाहिए, इसके लिए पुलिस जाकर गांव के दरवाजे पर पहुंचे और गांव की चौपाल पर बैठकर अपने व्यवहार और काम के बारे में लोगों के साथ पारदर्शी व्यवहार करे। जब इस प्रकार का कार्यक्रम समाज के बीच में हो तो उस इलाके के अधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हों और उनकी उपस्थिति के अन्दर समाज के गरीब तबके को थाने में होने वाले व्यवहार की जानकारी मिले। यह जानकारी जब पुलिस के आला अधिकारियों के ध्यान में आए तो पुलिस के व्यवहार को सुधारने के बारे में आवश्यक कदम उठाए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा करने से पुलिस के आचरण की पोल खुलती है। डी जी साहब के आदेश के बाद कुछ दिनों तक तो इस प्रकार की कार्यवाही चली, लेकिन बाद में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। आज इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस संवेदनशीलता के साथ आपने यह कार्यक्रम चलाया था, उसका

ईमानदारी से पालन होना चाहिए था। ईमानदारी से पालन होने के साथ-साथ यह तय किया जाना चाहिए कि जब आप जन सहभागिता सभा का आयोजन करें उस सभा में सी आई के साथ-साथ उस जिले का सुपरिन्टेण्डेण्ट ऑफ पुलिस मौजूद रहे, उस इलाके का एडीशनल एस पी मौजूद रहे जो गांव के व्यक्ति को स्वच्छंदता के साथ अपने साथ होने वाले बर्ताव के बारे में कहने का अवसर प्रदान करें। जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से गांव में पुलिस के बारे में धारणा बदलने लगेगी। आम व्यक्ति की, फरियादी की पुलिस के बारे में धारण बदलेगी। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कभी-कभी पुलिस को केवल उसके व्यवहार के कारण दोषी ठहराते हैं। आज हमें यह भी चिन्ता करनी पड़ेगी कि उसके सामने किस प्रकार की तकलीफें हैं। 24 घण्टे की हार्ड ड्यूटी पर काम करने वाला व्यक्ति...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, बोलने वाले 41 माननीय सदस्य हैं इसलिए 10 मिनट से अधिक बोलने का समय किसी को नहीं दिया जाएगा। आपके 10 मिनट तो हो गये हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य 40 मिनट बोले हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए तो मेरी बात। यद्यपि आपके 10 मिनट हो गए हैं लेकिन आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 10 मिनट और बोलूंगा। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य 40 मिनट बोले हैं, मैं आपका को-आपरेशन चाहूंगा, मैं 10 मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसीलिए मैं दो मिनट आपको दे रही हूं एक्स्ट्रा। आप दस मिनट तो बोल लिए लेकिन दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। 41 माननीय सदस्य और अभी बाकी हैं बोलने वाले, अब यदि दस-दस मिनट भी दिए जाएंगे तो कितना समय होगा, आप बताइए?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): थोड़ी देर में कनक्लूड कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आलोचना को आधार बनाकर उस एजेन्सी के बारे में जिस पर समाज में सारी व्यवस्था कराना हाथ में है, केवल चर्चा करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। हमको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस दिशा में भी चर्चा करनी पड़ेगी कि उसके सामने कौनसी मौलिक समस्याएं हैं। वह 24 घण्टे की हार्ड ड्यूटी समाज के बारे में देते हुए अपना सामाजिक दायित्व और अपना पारिवारिक दायित्व ठीक प्रकार से निभा पाए। उसके सामने यह तकलीफ रहती है कि उसके बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो, उसके रहने की व्यवस्था अच्छी हो। इस दिशा में पहली बार राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने सोचा और पिछले बजट में एक हजार आवास बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन कई प्रकार की विसंगतियां हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे बड़ी भारी पुलिस के जवानों की नफरी। मैं अभी पिछले दिनों पुलिस के कुछ अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक बात कही कि जो पुलिस के महकमे में रात दिन जान लड़ाकर सुबह से शाम तक ड्यूटी करता है, अपनी जान की बाजी लड़ाकर जो सिपाही बड़ी-बड़ी मुठभेड़ों में डाकुओं से झगड़ा करता है, अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी जान को जोखिम में लगाता है, वह सिपाही जिसकी नौकरी को बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल हो गये और जिसको ए एस आई के बराबर तनख्वाह मिल रही है, हैड कांस्टेबल के बराबर तनख्वाह मिल रही है, उसके प्रमोशन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ रहा है, जाब्ते की संख्या में कोई घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा। मैं समझता हूं, गृह मंत्रीजी, जो कांस्टेबल बीस साल की नौकरी करके हैड कांस्टेबल का वेतन पा रहा है, ए एस आई का वेतन पा रहा है, ऐसे कांस्टेबल के प्रमोशन के बारे में नीति निर्धारित करनी चाहिए। नीति निर्धारित करने से उसका मनोबल बढ़ेगा और काम की क्षमता बढ़ेगी।

(समय : 16.17 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार जाने-अनजाने इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं जिनसे पुलिस जाब्ते के बड़े भारी मनोबल गिरने की स्थितियों का निर्माण होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी के ध्यान में यह मामला लाना चाहता हूं। पुलिस में जो बहादुरी का काम करते हैं उनके लिए गैलेण्ट्री प्रमोशन का तरीका रखा गया है। 14 नवम्बर, 2005 को राजस्थान के गृह सचिव महोदय ने एक आदेश जारी किया कि गैलेण्ट्री प्रमोशन एक साल में एक को देंगे। उसका आधार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बनाया-कुख्यात डकैतों के साथ मुठभेड़ की हो, कानून और व्यवस्था के लिए जान को जोखिम में डाला हो, अन्तरराष्ट्रीय स्मगलिंग गैंग का पर्दाफाश किया हो। लेकिन क्या हुआ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस आदेश के बाद आपने 2005 में ही 3 दिसम्बर को दुबारा आदेश दे दिया कि दो व्यक्तियों को प्रमोशन दिया जा सकता है। फिर कुछ दिन बाद आपने फिर दुबारा आदेश और जारी कर दिया कि दो व्यक्तियों को प्रमोशन और कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए क्या आधार बना? थाने में साफ-सफाई एक इन्सपेक्टर बहुत अच्छे तरीके से करा रहा है, जे डी ए के अतिक्रमण दस्ते में बहुत बढ़िया काम कर रहा था। क्या थाने की साफ सफाई करना और अतिक्रमण दस्ते में रूटीन में काम करना पुलिस की जिम्मेदारी में नहीं आता? इसमें कौनसा ऐतिहासिक वीरता का काम हो गया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप दो प्रमोशन, कोई तकलीफ नहीं है, मनोबल बढेगा। लेकिन यह पद्धति मत डालो कि पुलिस जाब्ते में यह संदेश चला जाए कि मुझे प्रमोशन लेने के लिए वीरता का काम करने की जरूरत नहीं है, नेताओं की गणेश परिक्रमा करने की आवश्यकता है। फिर पुलिस का कोई जवान और पुलिस का कोई अधिकारी, जब उसके मन में यह संशय हो जाएगा कि गणेश परिक्रमा के आधार पर पद्दोन्नति मिलती है तो वह फिर किसी भी सूरत में वीरता का काम हाथ में लेगा नहीं।

कोटा में कई प्रकार के केस हुए-वैभव अपहरण काण्ड हुआ, हकीकत के अपराधियों को गिरफ्तार करने का मामला हुआ। यहां तक कि जिस विषय को लेकर पिछली बार सदन में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ कि बाघों के शिकार करने के कारण रणथम्भौर खाली हो रहा है, सरिस्का खाली हो रहा है, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए कोटा की पुलिस ने ऐतिहासिक काम किया। किन्तु न आज तक उनको प्रमोशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं उनको सम्मानित किया गया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वैभव अपहरण काण्ड में पुलिस ने तत्परता के साथ ऐतिहासिक काम किया, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दस घण्टे में सम्मानित किया, उनको दिल्ली पुलिस ने एक सप्ताह में सम्मानित किया, उस वैभव अपहरण काण्ड में वैभव को बरामद किया, तीन करोड़ रुपए की राशि बरामद हुई, एक साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक विचार नहीं किया। इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रकार जान जोखिम में डालकर वीरता का काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, उनके विषय में कोई कदम उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस के साथ-साथ आज जेल की मांग है, जेलों की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों के कट मोशन पढ़ रहा था, जेलों में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो गया। अपराधी जेल में बैठकर गैंग का संचालन करते हैं, वहां बैठकर बाहर अपराध की गतिविधियों पर नियंत्रण करते हैं। इस व्यवस्था में सुधार कब आएगा? इस व्यवस्था में सुधार के लिए कौन चिन्ता करेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं? आज जेल के कैडर में सुधार करने की आवश्यकता है। जेल के कैडर में सुधार करने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि जेल अधीक्षक स्तर का अधिकारी डीआईजी रैंक का व्यक्ति हो। राजस्थान की जेलों को डीआईजी रैंक के अधिकारियों के सुपुर्द किया जाना चाहिए। सेंट्रल जेलों में डीआईजी रैंक के अधिकारी लगाये जाने चाहिए ताकि वहां बैठकर अपराधियों पर अंकुश लग सके, जेल में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी जब मैं पुलिस डिमाण्ड पर चर्चा कर रहा था, एक गंभीर मामला आपके माध्यम से रखा था कि जेल के सिपाही और पुलिस के सिपाही के बीच में वेतन विसंगति है। 1998 से पहले जेल के सिपाही और अधिकारी राजस्थान पुलिस के सिपाही और अधिकारी के बराबर वेतन पाते थे, लेकिन 1998 में एक परिपत्र जारी करके इनके बीच में वेतन विसंगति पैदा कर दी गयी। आज उनके वेतन की स्थिति यह है कि अन्य प्रांतों की जेल की पुलिस की तुलना में राजस्थान के सिपाही की तनख्वाह कम है, राजस्थान के अधिकारी की तनख्वाह कम है। जब वे इस बारे में अपने काम का मूल्यांकन करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके पारितोषिक के रूप में राजस्थान की सरकार मुझे पुलिस से कम तनख्वाह दे रही है, अन्य प्रान्तों की जेल के प्रहरियों से मुझे तनख्वाह कम मिल रही है तो निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। पिछली बार भी माननीय गृह मंत्रीजी ने इस सदन में सार्थक कदम उठाने का आश्वासन दिया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेलों की स्थिति के बारे में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं किन केवल जेलों में अपराधी बढ़ रहे हैं, जेलों में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मादक पदार्थ भेजे जा रहे हैं, जेलों के अंदर अपराधी गुटों के झगड़े होते हैं, धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था के लचीलेपन को कब तक दूर नहीं करेंगे? इस व्यवस्था के लचीलेपन को दूर करने के लिए जब तक हम कठोर कदम नहीं उठाएंगे, जब तक हम ताकत के साथ अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए और जेलों में जिस प्रकार से अपराधियों को पनाह देने की रीति-नीति स्थापित हो गई, जेल के प्रहरी आज अपराधियों को मादक पदार्थों की सप्लाई करते हैं, उनके खाने और कपड़ों के साथ उनको नाना प्रकार की चीजें पहुंचाते हैं, जब तक इस व्यवस्था में तब्दीली के लिए सार्थक कदम नहीं उठाये जाएंगे और सख्ती के साथ लागू नहीं करेंगे तब तक अपराधी जेल में बैठकर भी एक माफिया तंत्र का संचालन करते रहेंगे। आज जेलों में उनको मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, जेल से वे पूरे हिन्दुस्तान में अपने नैट पर सम्पर्क करता है। यह चिन्ताजनक स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। इस दिशा में हमने आगे बढ़ने के लिए एक तंत्र विकसित किया है, कई सारे उपकरण खरीदे हैं। मैं आज आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो उपकरण पुलिस ने अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए, मोबाइल वार्ता के जरिये अपराधियों को पकड़ने के लिए खरीदे हैं वो कितने उपकरण हैं, उनका संचालन किस स्तर के अधिकारी कर रहे हैं? आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिन उपकरणों को हमने केवल अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए खरीदा हैं उन उपकरणों का कहीं राजनीतिक दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। कहीं उस आधार पर नेताओं की फोन टेपिंग का कार्यक्रम तो नहीं चल रहा है? कहीं पुलिस के अधिकारियों ने अपनी लाबीइंग के आधार पर उन उपकरणों का इस्तेमाल करना तो प्रारंभ नहीं कर दिया है? इन सारी मौलिक व्यवस्थाओं के बारे में चिन्तन करके सरकार को एक सार्थक कदम उठाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जेल की क्षमता 700 की है और 700 के विरुद्ध उसमें 1300 कैदी बंद हैं। रामगंजमण्डी जेल की क्षमता 30 की है, उसके विरुद्ध 60 कैदी हैं। जब किसी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

को गिरफ्तार करके जे.सी. होती है तो उसको झालावाड़ भेजा जाता है। जगह नहीं होने पर झालावाड़ से मना करने पर उसको कोटा भेजा जाता है। इसलिए राजस्थान की जेलों की कोटा की जेल के साथ-साथ रामगंजमण्डी जेल की क्षमता बढ़ायी जानी चाहिए यह मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस जाब्ते में अपने काम को लेकर मनोबल बना रहे, उसके लिए उसके प्रमोशन की, सिपाही कैडर तक के प्रमोशन के बारे में कोई रीति-नीति निर्धारित की जानी चाहिए। जेल का सिपाही अपने काम को उत्साहित तरीके से कर सके उसके लिए उसकी वेतन विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। जब तक हम इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाएंगे, हम बहुत सार्थक प्रयास करने के बावजूद भी अपेक्षित सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। पिछले ढाई साल में राजस्थान की सरकार इस बारे में मौलिक चिन्तन कर रही है सिपाही की तकलीफ को दूर करने के लिए, प्रहरी की तकलीफ को दूर करने के लिए, अपराध की मानसिकता को कुचलने के लिए, ये कदम अनवरत जारी रहने चाहिए और इसमें जो मौलिक चिन्तन चर्चा में निकलकर आये हैं उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, यही बात मैं आपके माध्यम से कहता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल। माननीय सदस्य, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): थोड़ा टाइम लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में माननीय गृह मंत्रीजी ने अनुदान की मांगें पारित करवाने का प्रस्ताव रखा, उसके समर्थन में मैं तथ्यों पर आधारित कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसे अभी पूर्व के माननीय सदस्य ने बताया, पुलिस सरकार का बायां हाथ है, किसी सरकार की सफलता या असफलता जितनी वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है उससे कहीं अधिक न्याय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की शांति व्यवस्था पर निर्भर है।

यहां पर आज सुबह से कई माननीय सदस्यों ने अपने कई सार्थक सुझाव दिये। ज्यादातर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आलोचनात्मक रूप में पुलिस की आलोचना करने का प्रयास किया और साथ-साथ यह कहने का

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रयास किया कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आईपीसी में लें या भारत सरकार द्वारा निर्धारित जितने भी कानून लें या किसी भी राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून लें, दो तरह के अपराध होते हैं- Offence against the properties and offence against the persons. अगर इनको डिफाइन करके हम जज करना चाहें या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें या यह देखें कि पिछले वर्षों से इस वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपराध में वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है या अपराध में कमी हो रही है तो क्यों हो रही है या अपराध घटित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ये सारे विषय विचार करने के योग्य हैं।

मैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पुलिस के बारे में क्या कहा था वह उद्धरण आपके सामने रखना चाहूंगा। ''जहां तक पुलिस के कार्य का संबंध है वे न तो मुसलमान हैं, न हिन्दू और न ही सिक्ख। वे केवल भारतीय हैं जो धर्म की ओर ध्यान दिये बिना दुखियों को पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं।'' इतनी पुरानी बात, जिस परिप्रेक्ष्य में आज आलोचना की जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी। उसी परिप्रेक्ष्य में, जैसे अभी माननीय प्रतिपक्ष के साथियों ने जिस तरह से पुलिस की आलोचना करने का प्रयास किया उसके संबंध में भारत के सर्वप्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो टिप्पणी उस समय की थी, मैं उसका भी उद्धरण आपके सामने देना चाहूंगा। ''कृपया जरा सोचिए कि यह पुलिस किसकी है, किसके आदेशों के अधीन यह पुलिस बल कार्य कर रहा है। यह सब कोई विदेशी अभिकरण नहीं है, यह आपका अपना बल है, यदि हम इसके गुणों को नहीं पहचानेंगे और बराबर इसके दोषों का ही राग अलापेंगे तो क्या इससे पुलिस का अपना कार्य उत्तम तरीके से करने की प्रेरणा मिलेगी।'' मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आलोचना करना बहुत आसान है, किसी भी चीज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन कोई सार्थक बात कही जाए या कोई सार्थक आलोचना की जाए या कोई व्यक्ति या समूह या पुलिस या सरकार कोई सार्थक कार्य कर रही है उसकी प्रशंसा नहीं की जाए तो कार्य करने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि कितना भी कार्य कर लो ये तो आलोचना ही करेंगे।

(श्री जोगाराम पटेल)

मैं इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान कितना बड़ा भूभाग है, आप सबको विदित है। इस बड़े भूभाग में कितनी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आपको विदित हैं। उस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, दूसरे प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं, कितने तरह के लोग आते हैं, कितने तरह के अन्तरराष्ट्रीय कुख्यात अपराधी आते हैं। वर्तमान समय में संसार छोटा होता जा रहा है कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्टेशन या अपराधों से। किस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करके अपराधी तरह-तरह के अपराध करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए, इस मांग पर विचार करते समय यह विचार किया जाए कि राजस्थान की पुलिस किस दिशा में जा रही है। सब नतीजों के बाद यह पता लगे कि राजस्थान की पुलिस अपराध रोकने में सक्षम नहीं है या राजस्थान की पुलिस अपराधी को पकड़ने में सक्षम नहीं है। या यह राजस्थान की पुलिस अपराधी को पकड़ कर उसको सज़ा दिलवाने में सक्षम नहीं है तो आलोचना किया जाना वाजिब है। और अगर सारे आंकड़ों से यह लगे कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस अपराधी को पकड़ती है, सज़ा भी दिलाती है और निरंतर दिनों दिन अपराध में कमी लाती जा रही है, उसके उपरांत भी अगर उसकी आलोचना की जावे तो मेरा निवेदन रहेगा कि सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना है, वह समालोचना नहीं है। आंकड़े अभी बताये गये, मेरे एक बहुत वरिष्ठ साथी ने अख़बार में साल भर की कटिंग इकट्ठी कर इस सदन में बतलाने का प्रयास किया। मैं आपके सामने कुछ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा बहुत संक्षेप में जिससे यह लगेगा कि राजस्थान की पुलिस का निरंतर प्रयास रहा है अपराधों को घटाने में, अपराधियों को सज़ा दिलाने में और समाज में यह भय व्यय व्याप्त करने में, कि अगर अपराध करेगा तो अपराधी तुरन्त सज़ा पाएगा।

सबसे पहले 2003, 2004, 2005 के जो आंकड़े हैं, चाहे हत्या के हों, डकैती के हों, लूट के हों, बलात्कार के हों, बलवा के हों, नकबजनी के हों, या अन्य कोई आफेंसेज हों जैसे अभी बताया पूर्व में माननीय सदस्यों ने कि 9 प्रतिशत की कमी हुई है। इन सारे अपराधों में पिछले 3 सालों में जो घटित हुए हैं, दिनों दिन घटते-घटते 9 प्रतिशत तक कमी हुई हैं। अपराध कम होने का कारण? अपराधी द्वारा अपराध करना अपने आप कम नहीं किया गया है बल्कि पुलिस की सक्रियता की वजह से अपराधियों के मन में भय पैदा हो

(श्री जोगाराम पटेल)

गया है कि राजस्थान की पुलिस सक्रिय है, राजस्थान की सरकार सक्रिय है, अपराध करेंगे तो अपराधी पकड़ा जाएगा, इस वजह से अपराध कम हुए हैं। अपराधी को पकड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना अपराधी को पकड़ कर उसको सज़ा दिलाना महत्वपूर्ण है। आप मुलाहिजा करेंगे कि जितने अपराध हुए हैं, उनमें सालाना चालानी प्रतिशत क्या रहा है। आप पिछले 10 सालों के, 20 सालों के, 30 सालों के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो चालानी प्रतिशत रहा है, हत्या के मामले में 93 प्रतिशत चालान हुए हैं, डकैती के मामले में 88 प्रतिशत, बलात्कार के मामले में 99 प्रतिशत, बलवा के मामले में 98 प्रतिशत, चोरी के मामले में अपेक्षाकृत कम हुए हैं, इस तरह से मिलावें तो कुल 82-83 प्रतिशत चालानी प्रतिशत है। अगर सौ अपराध हुए और सौ में से 98, 99, 80, 88 अगर अपराधों को न्यायालय के पास भेज दें तो पुलिस की सक्रियता मानी चाहिए कि पुलिस ने सक्रिय कार्य करके तुरन्त ही अपराधी को सज़ा दिलाने का कार्य कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी की किस्म के जो अपराध होते हैं, ये सामान्यतया किसी भी समाज में पाये जाते हैं और यह जनसंख्या और समाज की मानसिकता पर निर्भर करता है। इनमें जो बरामदगी हुई है, आप देखिए, ताज्जुब करेंगे, भारत के किसी भी स्टेट के आंकड़े मेरे पास हैं, किसी भी प्रदेश के पुराने जमाने के आंकड़े मेरे पास हैं, कोई भी सार्थक अगर एक दिन की बहस रखी जावे तो राजस्थान की पुलिस हण्डरेड परसेंट प्राप्त करेगी कि इतनी बरामदगियां की हैं। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, 2003 में डकैती में बरामदगी 69 परसेंट थी, 2005 में 83 परसेंट है। लूट के मामले में 2003 में 41 परसेंट थी 2005 में 71 परसेंट है। नकबजनी के मामले में 2003 में 38 परसेंट थी, अब 40 परसेंट है। चोरी के मामले में 2003 में 58 परसेंट थी, अब 57 परसेंट है। अपराधियों ने अपराध किया, जो माल ले गये, सामान ले गये उसे इस तरह से वापस बरामद किया गया है, यह प्रतिशत बताता है। यह अपने आप अपराधी देकर नहीं गये हैं, राजस्थान के गृह मंत्री के निर्देश पर, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस के सभी अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से यह सफलता मिली है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, अदर दैन आईपीसी जो अपराध हैं, अदर दैन प्रॉपर्टी जो आफेंस हैं चाहे आबकारी का हो, चाहे जुआ का हो, चाहे एनडीपीएस का हो, चाहे एक्सप्लोजिव एक्ट हो, चाहे एससी एक्ट हो, चाहे कोई भी हो,

(श्री जोगाराम पटेल)

इसमें भी निरंतर बराबर घटत होती रही है। एक विशेष स्थिति जो राजस्थान सरकार ने या राजस्थान की पुलिस ने प्राप्त की है जिसके संबंध में आप बार बार आरोप लगाये जा रहे हैं, पिछले दिनों के अख़बार पढ़े होंगे, अभी माननीय भारत के मुख्य न्यायाधिपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान में आये थे और कई जगह उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद जब राजस्थान की उन्होंने कानून स्थिति के बारे में जानकारी की और जब उनको यह मिला कि किसी विदेशी युवती के साथ कोई अनहोनी घटना हुई, बलात्कार हुआ और मात्र 14 दिन के अन्दर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला तो वह बहुत सरप्राइज हुए उन्होंने राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा की खुले रूप से और उसको धन्यवाद दिया। मान्यवर, पिछले 2005 के वर्ष में करीब तीन घटनाएं विदेशी युवतियों के साथ हुई, एक हुई जोधपुर में, उसमें करीब 14 दिन में चालान और सज़ा का हो गया। एक अभी दो-तीन दिन पहले जर्मन की जो आपने अख़बार में पढ़ी, उसमें तीन दिन में चालान पेश हो गया है। और एक घटना और हुई, उसमें सात दिन में सज़ा हो गई। एक अभी माननीय सदस्य मन्दिर में अपराध की बात बता रहे थे, जोधपुर में रणछोड़जी के मन्दिर में जो गैंग रेप केस हुआ उसमें 21 दिन में 4 अपराधियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो क्या इसके बावजूद भी यह कहेंगे कि नहीं, राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार कोई कार्य नहीं करती है? मेरा आपसे निवेदन है, मान्यवर, कि इसी परिप्रेक्ष्य में यह देखा जाएगा, यह परखा जाएगा, यह जांचा जाएगा, यह कम्पेयर किया जाएगा कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस क्या कोई कार्य कर रही है या नहीं।

तुलनात्मक स्थिति जिनको घृणित अपराध बोलते हैं, बलात्कार 2003 में 1050 हुए और 2005 में 994 हुए। छेड़छाड़ के मामले जिसका हमेशा आप आरोप लगाते हैं, अभी आपने अख़बार में कटिंग पढ़ी, 2003 में 2715 हुए और अभी 2500 हुए। इसी तरह अपहरण के मामले 1750 थे 2003 में, अब 1599 हुए। इतना ही नहीं, इन सब में तुरन्त गिरफ्तारी और सज़ा हुई। राजस्थान में महिला अत्याचार के संबंध में बहुत आरोप लगाये जाते हैं कि रोजाना चैन लूटी जा रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकतीं, महिलाओं के प्रति बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। आप उसकी स्थिति देखेंगे तो दहेज के मामले में हंडरेड परसेंट चालान। दहेज जो सबसे घृणित अपराध है,

(श्री जोगाराम पटेल)

उसमें हंडरेड परसेंट चालान। दहेज दुष्प्रेरणा 98.99 परसेंट चालान। महिला उत्पीड़न 99 परसेंट चालान। बलात्कार 99 परसेंट चालान। छेड़छाड़ 99 परसेंट हंडरेड परसेंट। अपहरण 71 परसेंट चालान। अन्य अभियोग में 98 परसेंट चालान। तो ये सारे तथ्य यह साबित करते हैं, मान्यवर, कि राजस्थान की पुलिस अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है। भारत और पाकिस्तान के इन देशों के मैं बता सकता हूं कि पुलिस का कार्य अपराध घटित होने से पहले लागू नहीं होता है। सिर्फ सीआरपीसी के 4 सैक्शन हैं जो 107 से लगाकर 111, 112 तक हैं, ये किसी को रोक सकते हैं अशांति फैलाने से। लेकिन आईपीसी के offence against property & offence against person, अपराध घटित होने के बाद ही उसकी कार्यवाही प्रारंभ होती है। जो अपराध घटित हुए उनमें हंडरेड परसेंट सरकार ने और राजस्थान की पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, उसके बावजूद भी कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये। इतना ही नहीं, मान्यवर, एससी और एसटी के जो अपराध घटित होते हैं, आप उनको भी देखें, उनमें भी निरंतन घटोतरी होती गई है, कमी होती गई है। और उनमें भी गंभीर किस्म के अपराध तो और भी कम होते गये हैं। उनका चालान, उनकी सज़ा का देखेंगे, वह भी निरंतर 98 परसेंट, 99 परेंसट होता गया है। ये सारे आंकड़े इस बात को शो करते हैं कि राजस्थान की पुलिस बहुत सक्रियता से, जिम्मेदारी से, लगनता से, ईमानदारी से कार्य कर रही है। आप देखिए, एससी और एसटी जाति के विरुद्ध जो केसेज हुए, हत्या में 98 परसेंट चालान, गंभीर किस्म की चोट में हंडरेड परसेंट, बलात्कार में हंडरेड परसेंट, गंभीर क्षति में हंडरेड परसेंट, पीसीआर एक्ट में हंडरेड परसेंट, अन्य भारतीय संहिता में हंडरेड परसेंट एससी/एसटी के केसेज में हंडरेड परसेंट और अन्य एक्ट में 97 परसेंट चालानी केसेज हैं उसके बावजूद भी किस बात की आलोचना की जा रही है, किस स्थिति के लिए आलोचना की जा रही है? इसीलिए जैसा कि सरदार पटेल ने उस वक्त कहा था, यह पुलिस आपकी है, जिसके आदेशों के अधीन ही पुलिस बल कार्य कर रहा है। यह सब कोई विदेशी अभिकरण नहीं है, यह आपका अपना बल है। अपना ही कोई भाई पुलिस है, अपना ही कोई बेटा पुलिस में है। अपना ही कोई पति पुलिस में है, अपना ही कोई सहयोगी पुलिस में है, मात्र उसकी आलोचना करने से काम चलने वाला नहीं है। एक तो यह तथ्य था।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण दूसरा तथ्य भी है कि क्या सरकार भी इस ओर कोई कार्य कर रही है या किसी भी परिस्थिति में मात्र पुलिस ही कर रही

(श्री जोगाराम पटेल)

है? सरकार का काम आप जांचना चाहें, सरकार की परीक्षा करना चाहें, सरकार का कार्य देखना चाहें तो सरकार के जिम्मे जितने कार्य हैं वो आप देखें। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 के जो बजट प्रावधान हैं उनको आप देखें तो 2003-04 में 718 करोड़ का प्रावधान था, 2004-05 में 878 का हो गया, 2005-06 में 918 का हो गया और अब इससे भी ज्यादा होने की सम्भावना है। तो पुलिस को सहयोग देने के लिए, उसके निमित्त जितने भी कार्य हैं उनको करने के लिए बजट का प्रावधान दिनोंदिन बढ़ रहा है। यह सम्भव नहीं है कि एक दिन में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यह कमी क्यों पैदा हुई, इस परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। मेरे साथियों को इस सम्बन्ध में आत्मलोचन करना होगा। अगर 1947 से या 1950 में जब से राजस्थान बना है, उसके बाद जनसंख्या के अनुसार निरंतर अगर पुलिस की भर्ती की जाती, प्रमोशन किये जाते, सुविधाएं दी जातीं तो आज यह आलोचना का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन किया नहीं और जब हम करने लगे हैं उसमें भी नुक्ताचीनी करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ, अपराधों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उसके अनुसार पूर्ववर्ती सरकार ने न तो साधन बढ़ाये, न बजट प्रावधान बढ़ाया इसलिए अपराध बढ़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पांच मिनट का समय और लूंगा, मान्यवर।

यह जो बजट प्रावधान है, पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में और यहां तक भी मैं निवेदन करना चाहूंगा मौजूदा सरकार, माननीय गृह मंत्रीजी से कि बजट प्रावधान अभी भी सही नहीं हो रहा है। 94 प्रतिशत बजट तो वेतन-भत्तों इत्यादि में चला जाता है। जितना बजट है उसका 94 प्रतिशत अगर वेतन-भत्तों में चला जाता है तो पीछे जितने भी आइटम हैं चाहे वह आफिस खर्चा हो, मशीनरी हो, औजार हो, वर्दियां हों, कार्यालय खर्चे हों, लेखन एवं मुद्रण हो, अन्य सारे में कुल मिलाकर 6 प्रतिशत बजट मिलता है। अलग-अलग हैड में लें तो आफिस एक्सपेंसेज में सिर्फ 1.53, मशीनरी में 0.59, वर्दियों में 1.32, कार्यालय खर्चे में 2.22, लेखन एवं मुद्रण में 0.11 और अन्य में 0.26 है। तो बजट एलोकेशन बढ़ाना और एलोकेशन भी सही करना, यह दूसरा मेरा निवेदन रहेगा माननीय गृह मंत्रीजी से।

(श्री जोगाराम पटेल)

एक अभी यहां बताया गया कि वर्ष 1971 में आई.पी.सी. के आफेंस 36 हजार थे और 38 हजार पुलिस थी। अब 2004 में एक लाख 54 हजार अपराध हो गये हैं, अपराध पांच गुना बढ़ गये हैं लेकिन पुलिस दुगुनी ही बढ़ी। यह सत्य है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को, अभी पुलिस की भर्ती के आंकड़े आपके सामने आये हैं, उन आंकड़ों के अनुसार पुलिस की भर्ती होगी तो धीरे-धीरे हर साल ज्यों-ज्यों पुलिस की भर्ती की जाएगी, ज्यों-ज्यों प्रमोशन किये जाएंगे, यह जो पीछे का बैकलाग है वह धीरे-धीरे पूरा हो जाएगा। फिर भी इस सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। जितना जल्दी हो सके, यथासंभव सरकार के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चाहे कांस्टेबल हो, चाहे हैड कांस्टेबल हो, चाहे कोई अधिकारी हों, उनकी तुरंत भर्ती की जानी, प्रमोशन किया जाना भी आवश्यक है। वर्तमान में 5253 कांस्टेबल, 519 हैड कांस्टेबल, 1574 ए एस आई, 548 एस आई और 131 सी आई की पोस्ट वेकेंट हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी भर्ती यथाशीघ्र की जाए। ये जो वेकेंट पोस्ट हैं इनके अलावा जनसंख्या और आफेंस के अनुसार जो पुलिस की भर्ती करनी है, जो प्रमोशन करना है, वह अलग मुद्दा हो सकता है लेकिन ये वेकेंट पोस्ट हैं इनकी जल्दी भर्ती की जाए। सरकार ने जो 6 हजार कांस्टेबलों की भर्ती, 1418 ए एस आई के पद स्वीकृत किये हैं उसके लिए तो सरकार विशेष धन्यवाद की पात्र है, मैं मेरी ओर से विशेष धन्यवाद भी देना चाहूंगा, पर एक विषय जो मैं आपके सामने विशेष रूप से रखना चाहूंगा वह विषय है इस सरकार का काम करने का तरीका, काम करने की मानसिकता। जनता को किस तरह से भयमुक्त, अपराध मुक्त करना है, वह एक दिन में नहीं हो सकता।

अपराध संसार में किसी भी प्रदेश में समाज की, समुदाय की मानसिकता के साथ चलता है और कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी राज्य हमेशा-हमेशा के लिए कभी भी पूर्ण रूप से भयमुक्त या अपराध मुक्त नहीं हो सकता। महाभारत के काल में, रामायण के काल में और सतयुग में भी अपराध होते थे। तो यह परिकल्पना करना कि एक चेन आज बहन की टूटी ही क्यों, यह कभी संभव ही नहीं है। प्रयास यह हो सकता है कि कम से कम अपराध घठित हों, कम से कम अपराधी छूटें। अपराधी भयमुक्त नहीं हों, हंडरेड प्रतिशत भय से ग्रस्त हों, यह प्रयास किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पुलिस बल का पुनर्गठन एक अनुकरणीय कार्य है। इस सम्बन्ध में

(श्री जोगाराम पटेल)

समितियों का गठन अनुकरणीय कार्य है। 2004-05 में शांति सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में संतोषजनक स्थिति के सम्बन्ध में दो रिपोर्ट मेरे पास हैं, उनमें जो राजस्थान सरकार की प्रशंसा की गई है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा। कोई भी ऐसी बड़ी सामुदायिक घटना नहीं हुई जिससे सरकार को कुछ कह सकें। छोटी-मोटी सराड़ा की हो, मांडल की हो या दूसरे जिले की जो घटना हुई उस पर तुरंत नियंत्रण किया गया, सभी पार्टियों को साथ ले जाकर नियंत्रण किया गया, सदभावना से नियंत्रण किया गया, सामंजस्य बिठाया गया, इसके लिए भी सरकार बहुत-बहुत धन्यवाद की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में करता हूं। कोई भी बोर्डर क्रासिंग की विशेष ऐसी घटना नहीं हुई और जितनी भी हुई उसमें वो पकड़े गये। 110 बांग्लादेशियों का निष्कासन हुआ। 45 सीमा इंटेलीजेंस यूनिट और 5 केन्द्रों की स्थापना की गई। मान्यवर, एक विशेष प्रयास किया गया विधि प्रयोगशाला का, कम्प्यूटर का, साइबर फोरेन्सिक्स का। तीस जिलों में जो विधि प्रयोगशाला स्थापित की गई इससे अपराध को कंट्रोल करने, तुरंत चालान पेश करने, अपराधी को सज़ा दिलाने में सहायता मिलेगी। पाक नागरिकों को पकड़ा गया। ये सभी कार्य इसलिए किये गये कि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके।

पुलिस का आधुनीकरण एक विशेष आवश्यक मुद्दा है। अपराधी के पास तरह-तरह के हथियार मिलते हैं, अपराधी के पास तरह-तरह के साधन मिलते हैं, अपराधी के पास तरह-तरह के वाहन मिलते हैं। उन्हीं तथ्यों के अनुसार, अपेक्षाकृत अधिक उन्नत हथियार दिलाना भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सरकार ने 2004-05 में दो करोड़ 33 लाख 3 हजार का प्रावधान किया है वह विशेष उल्लेखनीय है। 344 मोटर साइकिल, 238 लाइट मोटर व्हीकल, 8 मीडियम मोटर व्हीकल, 11 हैवी मोटर व्हीकल, 224 फोटो कापीयर, 392 हाथ के मैटल डिटेक्टर्स, 350 वायरलैस सैट के जो उपकरण उपलब्ध कराये हैं, वे सारे के सारे साबित करते हैं कि सरकार पूरी तरह से सजग है कि पुलिस को यथासंभव सभी उपकरण उपलब्ध कराये जाएं। पुलिस समुदाय और जनता में सामंजस्य बिठाना, पुलिस कार्यक्रम, इस सारी कार्यवाही के लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। दो नये पुलिस थाने गंगानगर और जयपुर, 34 नये पुलिस थाने बिजली की चोरी को कंट्रोल करने के लिए 90 थानों में 180 महिला डैस्क का पद, 10 नई पुलिस चौकियां, जो 9 डिवीजनल हैडक्वार्टर हैं

(श्री जोगाराम पटेल)

वहां पर 48 पद की स्वीकृति, 7 नई पुलिस चौकियों पर 48 पद, 7 पुलिस चौकी में 82 पद, 114 पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, इस तरह से ये कार्य गिनाये जाएं तो रात भर बीत जाए इतने पुलिस और सरकार के कार्य हैं। उसके बावजूद भी मेरे प्रतिपक्ष के साथी, मेरे वरिष्ठ साथी, माननीय साथी मात्र आलोचना ढूंढ करके, एक अख़बार की कटिंग पढ़कर यह कह दें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, यह पूर्ण रूप से गलत है। पिछले दो सालों की अवधि के दौरान सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय गृह मंत्रीजी ने, माननीय गृह राज्य मंत्री ने पूरी सक्रियता से अपराधों को कंट्रोल करने का कार्य किया है, अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है, अपराधियों को सज़ा मिली है, इसके लिए ये बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, पुलिस कर्मियों का वेतन, पुलिस कर्मियों को साधन, पुलिस कर्मियों को सुविधा, इस सब में सारी बात आ जाती है। अनेक माननीय सदस्यों ने इसमें सुझाव दिये हैं। साथ ही साथ पुलिस के परिवार कल्याण का विषय है, वह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। चाहे शिक्षा से सम्बन्धित हो, चाहे मेडिकल सहायता से सम्बन्धित हो और चाहे पेंशन वगैरह से सम्बन्धित हो, इस विषय पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

उसके अलावा जो दूसरा विषय है, कारागार के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। जोधपुर का केन्द्रीय कारागार भारत का पहला कारागार है। कहीं भी कोई घृणित से घृणित या सबसे बड़ा अपराधी होता है, वह सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर जेल में भेजा जाता है। पर जोधपुर जेल में सुरक्षा की दृष्टि से जितने कैदी हैं, उसकी अपेक्षा उतने कर्मचारी, अधिकारी भी नहीं हैं। इसके लिए तो धन्यवाद है सरकार को कि वहां महिला जेल का निर्माण कार्य चल रहा है। परन्तु वह जेल बहुत पुरानी है और उस जेल में अभी तक आधुनिक किस्म के कोई साधन नहीं है। जेल के कैदी जिस तरह से रहते हैं वह अभी वर्तमान सोच के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी व्यवस्था सुधारी जाए। अंत में मैं मेरे क्षेत्र की भी बात निवेदन करना चाहूंगा। एक, बोरानाड़ा में पुलिस थाना आवश्यक है। वह पूरा इण्डस्ट्रियल एरिया है, अनेक वहां अपराध घटित होते हैं। इसके सिवाय लूणी पुलिस थाना की एक चौकी धुंधाड़ा में और एक खीस में कायम किया जाना आवश्यक है। सबसे अधिक अपराध मेरे यहां घटित होते हैं चाहे शराब के हों चाहे अफीम के हों या और

(श्री जोगाराम पटेल)

किसी तरह के भी हों, सबसे अधिक अपराध यदि घटित होते हैं तो मेरे यहां होते हैं। मैं इस बात का साक्षी हूं कि पिछले दो साल में इस सरकार के कार्यकाल में अपराधों में 80 से 90 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसके लिए मैं मेरी ओर से तहे दिल से सरकार और पुलिस को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह और कारागार की मांग पर सार्थक बहस की जा रही है। मैं जितना भी समझ पाया हूं, उस बुद्धि के अनुरूप कुछ बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देता हूं और लूणी से आने वाले माननीय सदस्य को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने गांधीजी के द्वारा अभिव्यक्त सिद्धान्तों पर चलने का मानस बनाने का इरादा बनाया। बेहद प्रसन्नता है। अगर गांधीजी के विचारों पर ही हम चलें, केवल किताबों में लिखने से ही नहीं, मन-वचन-कर्म से अगर हमने गांधीजी के सिद्धान्तों की अनुपालना की तो जिस प्रकार से साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने का लोग प्रयास करते हैं, उनके वे प्रयास विफल हो जाएंगे। मैं आभारी हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, कि अन्य लोगों ने तो फिर भी इस बात का प्रयास किया है कि कहीं किसी नेता का नाम हो तो नामकरण बदला जाए लेकिन आपने वही पुस्तक जिसमें नियमित रूप से गांधीजी के सिद्धान्तों के साथ ही राजस्थान की पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें महात्मा गांधी को उसी स्थान पर रखा है, इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। आपने प्रयास किया है इस बात का, अपराध राजस्थान में निरन्तर घटते जा रहे हैं और आपके शासनकाल में आने के बाद वे निरन्तर घटते हुए दिख रहे हैं इसलिए यह आपने 2003-2004-2005 का एक आकलन प्रस्तुत किया है। सही है, कितने ही स्थानों पर अपराध घटे हैं, कितने ही स्थानों पर अपराध बढ़े हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, माननीय गृह मंत्रीजी, एक जमाना था जब पुलिस वाले किसी की एफ. आई.आर. को दर्ज नहीं करते थे। आप सत्ता में हो तो एक मंत्री के रूप में उसको गलत मानते थे और विपक्ष में अगर हम

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हैं तो उस एफ.आई.आर. को दर्ज नहीं करना गलत मानते थे। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आत्म-विश्लेषण करें, अपराध घटना राजस्थान में बहुत अच्छी बात है लेकिन आप विश्लेषण तो करें कि घटे हैं या नहीं घटे हैं। केवल कहने मात्र से घटना या बढ़ना नहीं माना जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सी.एल.जी. का जो सिस्टम कायम किया, उस सी.एल.जी. के सिस्टम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करना बन्द हो गया। उसको वे लेते हैं, दर्ज नहीं करते हैं। दर्ज नहीं करने की संख्या को बताकर अगर आप राजस्थान की जनता को और राजस्थान के नागरिकों को यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान में अपराध घटे हैं तो अपने आपके साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने दिमाग के साथ एक बड़ी गलती हो जाएगी और हम वास्तविकता से मुंह मोड़ने की बात करेंगे। मैंने एक प्रश्न लगाया था, आपको याद है, माननीय गृह मंत्रीजी, कि कोटा संभाग में कितनी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको आपने सी.एल.जी. में डाला है और उनको आपने पंजीबद्ध नहीं किया है? कोटा डिवीजन में एक साल का एवरेज 1400-1500 आया है। पांच डिवीजन हैं, बड़े-बड़े डिवीजन हैं, अगर आप उस संख्या को उसमें जोड़ते हैं जिनको आपने वैधानिक रूप से उस थानेदार को, डीवाई.एस.पी. को यह अधिकार दे दिया कि इनको सी.एल.जी. में डाल दो, एफ.आई.आर. मत करो, अगर आप उस संख्या को पूरे राजस्थान से जोड़कर देखें तो, माननीय, आप खुद मान जाएंगे इस बात को कि अपराधों की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं हुई। अब आप इसको नहीं देखना चाहें, आप संतोष करना चाहें, यह आपके मन की बात है। आप अपने स्तर पर इसीलिए जनता को भ्रमित करके शांत करना चाहें कि हमारे कार्यकाल में अपराधों में कमी आई है तो मैं विनम्र शब्दों के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस सारी व्यवस्था का पुनरावलोकन करके यह देखना चाहिए, हमें यह बताना चाहिए, पुलिस प्रतिवेदन में भी यह बताना चाहिए था कि पूरे डिवीजन में कितने-कितने सी.एल.जी. के माध्यम से मुकदमे दर्ज नहीं करके उन बातों को बातचीत के आधार पर ही वैसे ही निपटा दिया और यह आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया राजस्थान की जनता के सामने कि अपराधों में कमी आई है। आप इसको ठीक मानते हैं तो मुझे नहीं कहना। अगर यही प्रक्रिया है तो आपने एक वैधानिक अधिकार सी.आई. और थानेदार को इस बात का दे दिया कि वह चाहे तो इसको सी.एल.जी. में डाल दे, वह चाहे तो उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कर ले। स्थानीय स्तर पर जो होता है

व्यावहारिक रूप से, आपकी भावना ठीक हो सकती है, सी.एल.जी. बनाने की भावना ठीक हो सकती है, आपका उद्देश्य ठीक हो सकता है, गृह विभाग के सोच का तरीका ठीक हो सकता है लेकिन व्यावहारिक रूप में जिस प्रकार की परिस्थितियां गांवों में बन रही हैं, आप उसको भी देखें, उस पर भी पता लगाएं कि किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके ही आंकड़ों से, आप उदयपुर डिवीजन को रिप्रजेंट करते हैं, राजवी साहब वहां से मंत्री हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी कोटा डिवीजन को रिप्रजेंट करती हैं, आपने देखा होगा, जो अपराध इस देश को, इस राजस्थान को पूरे को निगल जाएगा, आदमी को बेमौत मार डालेगा, इसमें एन.डी.पी.एस. के जितने भी आफेंसेज हैं, आप कह रहे हैं कि कम हुए हैं, जहां से आप मंत्री हैं, जहां से आदरणीय मुख्य मंत्री हैं, वहां इन अपराधों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप नौ प्रतिशत कम बता रहे हैं। एन.डी.पी.एस. में स्मैक है, अफीम है और इस प्रकार के काम हैं, इसमें आपके दोनों ही डिवीजनों में जो सर्वोच्च पदों पर बिराजे हुए हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं माफी चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अधिक से अधिक मुकदमे बने, जिसके कारण से अपराधी को कसा जा सकता है। अगर वह इस तरह से तस्करी करते हैं, सट्टाबाजी करते हैं या इस प्रकार के मुकदमे हैं या शराब की तस्करी करते हैं, ऐसे मुकदमों की संख्या बढ़ना तो राज्य के हित में है, राज्य को नुकसान देने वाले नहीं हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं यह नहीं कह रहा हूं। अपराध बढ़ने की प्रवृत्ति को अगर गृह मंत्रीजी राज्य में अच्छा, प्रशंसनीय कदम मानें तो उस घटाने वाली प्रक्रिया की तो फिर आपको निंदा करनी पड़ेगी। आप एक पक्ष की एक स्थान पर निंदा नहीं करना चाहते, दूसरा जहां अपराध बढते हैं तो आपकी एफिशियंसी बताना चाहते हैं। मैं इस तर्क में नहीं जाना चाहता, यह आपको ही आत्म-विश्लेषण करना है, आपको ही सोचना है। अगर आपका तर्क यह है कि 14 प्रतिशत तो आपने शिकंजा खींचा इसलिए बढ़ते हैं, तो आप सारे अपराधों पर शिकंजा खींचो और इनको और अधिक बढ़ा दो, यह स्वागत योग्य कदम है आपका। आप आबकारी अधिनियम को देख लीजिये, आप स्मगलिंग को देख लीजिये, आप शस्त्र अधिनियम को देख लीजिये, इनमें सबमें आपके हिसाब से, आपकी इस पुस्तक के हिसाब से अपराध बढ़े हैं या नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): वे कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग पकड़ तो लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं एक्साइज की बात नहीं बोलूंगा, मैं एक्साइज वाली बात नहीं बोलूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। एक्साइज की बात तो छोड़ो, एक्साइज का काम तो हमने तभी छोड़ दिया जब से एम.एल.ए. बने हैं। ये अपराध ऐसे हैं जो कांग्रेस के राज में मिलीभगत से होते थे। अब हमारी सरकार इनको पकड़ रही है।

(समय : 17.00 बजे)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बधाई के पात्र हैं। आप अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह पुस्तक आपकी है, यह राजस्थान पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन आप ही के द्वारा दिया गया है, अनुसूचित जाति के अपराधों में हत्या के मामले में 11.67 प्रतिशत की वृध्दि हुई है। अनसुचित जाति के लोगों के अपराधों में कत्ल के मुकदमे में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप यह दूसरी बात देखो। अनुसूचित जाति की महिलाओं के बलात्कार में 9.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह अनुसूचित जाति के साथ ही क्यों? अनुसूचित जाति के साथ ही हत्या के अपराधों में बढ़ोतरी क्यों, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार में वृद्धि क्यों? इसी के साथ आपको अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमों की मैं बात बताऊं कि क्या हालात हैं। आपने कहा है कि पूरे 2005 में 4658 मुकदमे दर्ज हुए-हत्या के हुए, गंभीर चोट के हुए, बलात्कार के हुए, गंभीर क्षति के हुए, पीसीआर एक्ट व अन्य उसके तहत हुए, नतीजा क्या निकला? नतीजा आप देखो, 4658 अपराधों की जो आपने कायमी की उसमें से 2223 अपराधों में आपने खुद ही एफ.आर. लगा दी कि कोई जुर्म नहीं बनता है। यह अपराधों में तो क्या हुआ, इधर एफआईआर दर्ज कर ली तो आपने दूसरा तरीका निकाल लिया, आधे मुकदमों को तो बंद कर दिया और आधों में यह किया कि अपराधों में कमी हुई है। यह आप ही के द्वारा दिया गया है।

मैं इसके साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने कुछ समय पहले मीटिंग ली थी डीजी के यहां और उसी के बाद यह हुआ था कि लगभग पचास हजार अधिकारी जयपुर के बाजार में वैसे ही घूम रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हैं। उसी का परिदृश्य देख लो, हर हफ्ते एक डकैती, रोज तीन हत्याएं, रोज दो लूट, रोज तीन बलात्कार, रोज सात बलवे, रोज पन्द्रह नकबजनी, रोज इक्यावन चोरियां। महिलाओं के मामले में देख लो आप। यह आपकी मीटिंग के हवाले से है। आपने डीजी के यहां बैठकर मीटिंग की थी उसके बाद जो प्रेस नोट वहां से निकला उस हिसाब से रोज एक दहेज हत्या, एक हफ्ते में एक महिला के द्वारा आत्महत्या, रोज महिला उत्पीड़न की सत्रह घटनाएं, हर घंटे बाद छेड़छाड़ का एक मामला, हर घंटे बाद एक महिला का अपहरण। यह आप ही के द्वारा, जो आपने असैसमेंट किया डीजी आफिस में बैठकर उसका एक दृश्य है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि अभी कुछ ही समय पहले एक नई किस्म के अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ी है। मैं इसमें दो मिनट बाद निवेदन करूंगा, उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं अभी कुछ ही समय पहले की, आप देखिए। लालसोट में तीन तारीख को एक आदमी की मौत हुई। मौत होने के बाद उसका मुकदमा दर्ज कब हुआ? दूसरे दिन रात को साढ़े आठ बजे, लालसोट में। तब हुआ जब जन आंदोलन हुआ, भीड़ वहां पहुंची। भीड़ वहां पहुंचने के बाद जब वातावरण बिगड़ा तो कत्ल के मुकदमे की रिपोर्ट दूसरे दिन-रात को साढ़े आठ बजे दर्ज की गयी उसके पिता के द्वारा। हुआ क्या? वहां आंदोलन इस बात का हुआ कि मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वह गलत रिपोर्ट है। वहां पर यह आरोप लगाया गया कि यह करंट से मरा है और बिजली विभाग ने लिख कर दिया है, घटना है रात को ग्यारह और बारह बजे की, बिजली विभाग ने यह लिख कर दिया है कि हमारी बिजली बंद थी। जब बिजली बंद थी तो करंट कहां से आया? मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं वकील के, कानून के दृष्टिकोण से भी और उस दृष्टिकोण से भी, यह फोटो है उस आदमी का, जिसको अगर आप देखें और जिस किस्म की इसमें ब्लीडिंग की इंजरीज बता रखी हैं, आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछ लें, यह जो चोट है, यह करंट से नहीं आ सकती। करंट से आएगी, हाथ में आएगी, सर पर आएगी, पैर में आएगी लेकिन गुप्त स्थान पर खून ही खून हो रहा है। उस स्थान पर यह जो चोट बताई गई है, यह जान बूझ कर इस मसले को दबाने के लिए, अपराधियों को नहीं पकड़ने के लिए, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के उद्देश्य से की है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को जिससे समाचार पत्र भरे पड़े हैं, जहां की वास्तविकता है, इन सब को देखकर जो नामजद मुल्जिम हैं, अगर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आप यह महसूस करें, मेडिकल एक्सपर्ट से जानकारी ले लें, बिजली की नहीं होने की बात करें, करंट आएगा हाथ पर, माथे पर, बदन पर, गुप्त स्थान पर करंट बता कर उस स्थान पर ब्लीडिंग के चारों तरफ निशान है, यह आप देख लें।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बांसवाड़ा थाना लोहारिया का, वहां पर आगजनी की रिपोर्ट हुई। तफ्तीश हुई, तफ्तीश होने के बाद वह सीआईडी(सीबी) में आई। सीआईडी(सीबी) के बाद वापस इस फरवरी में भेज दी गई एसपी के पास। क्या जरूरत थी? जब आपने सीआईडी(सीबी) से जांच कराकर वहां भेज दी थी, तो क्या जरूरत थी इस प्रकार के डाइरेक्शन देने की या दिलवाने की कि मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाए? यह कोई न्यायसंगत बात है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में, एक्सप्लोजिव के माध्यम से लोगों ने एक मकान को उड़ा दिया, खुले आम मकान को उड़ा दिया। जांच हो गई, जांच होने के बाद जिस दिन उस मुल्जिम को पकड़ने के लिए एसपी वगैरह वहां गये, न जाने किन कारणों से आपने फाइल ही मंगवा ली। न कोई जांच। आप ही का लगाया हुआ एसपी, आप ही का पुलिस प्रशासन, आपको अधिकार है तफतीश चेंज करने का, इसको मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन परिस्थितियां तो देखो, क्या भावनात्मक रूप से आप बात कर रहे हैं। आप इस बात को भी देखो कि एक ओर तो आप गांधीजी वाली बात को अपना आदर्श मानना चाहते हैं और दूसरी ओर अपनी सोच में परिवर्तन करके अपने-अपने दृष्टिकोण से, अपने-अपने विचारों को, आदमियों को बचाने के लिए अगर आप भावनात्मक रूप से इधर से उधर करें तो इसको तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। मेरा इसके साथ ही आपसे निवेदन करना है, इकलेरा में एसडीम पर वहां के एक कंवरलाल मीणा ने गोली चलाई पंचायत चुनाव के टाइम पर। मुझे कहना नहीं चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन वह आपकी विचाराधारा से संबंधित पार्टी का नेता है, एसडीएम पर गोली चलाने वाले का आज तक भी आपने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप शिड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ बोल रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा: मैं ट्राइब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपराधी और अपराध के खिलाफ बोल रहा हूं। आप ट्राइब के नाम से बचाना चाहो आपके नेताओं को...

श्री महावीर प्रसाद जैन: हम तो किसी को नहीं बचाते और न कोई सहारा लेते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: धौलपुर में क्या हुआ? धौलपुर में क्या हुआ?

श्री महावीर प्रसाद जैन: शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, यह हमारे उसमें है ही नहीं, हम तो सब को अपना मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आपकी फ्लुएंसी को तोड़ना चाहते हैं, यह आपके धाराप्रवाह को तोड़ना चाहते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: धौलपुर में क्या हुआ, आपको याद है? धौलपुर में आपके द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी इस बात की जांच करने के लिए गये, कि यह बजरी अवैधानिक रूप से कौन यहां से इस नदी से ले जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आपकी मजबूरी थी, गोली चलाई। रिवाल्वर छीन लिया पुलिस वाले का, आपने क्या किया? ये सवालात हैं जो आपके विचारों, आपके काम करने के तरीके, आपकी बात की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप जैसे सज्जन और किसी प्रकार का भी लांछन नहीं लगा अभी तक भी, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार के अपराधियों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी-अपनी सोच के हिसाब से बचाने का प्रयास करेंगे, तो राजस्थान की जनता ने जिस भावना के साथ आपको शासन करने का अधिकार दिया है, जो आपने शपथ ली है, क्या उसके साथ आप न्याय करेंगे?

मैं एक और गंभीर बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं और वह बात यह है कि अपराधों की किस्म में परिवर्तन आ गया है। आईपीसी के ठीक हैं, सब बातों के अलग-अलग दृष्टिकोण से वह बात है, लेकिन धार्मिक उन्माद के अपराध अलग ढंग से चल गये। आपने नहीं देखा, कल से ई टीवी पर एक सीडी प्रसारित की जा रही है जिसमें राम को डांस करना बता दिया, सीता को गाना सुनाना बता दिया। फिल्मी स्टाइल से सारी बात चल रही है, आपने अभी तक नहीं देखा। अगर किसी अल्पसंख्यक के द्वारा लिखी हुई किताब होती तो रात को आपको नींद नहीं आती। माननीय गृह मंत्रीजी, हमारी आस्थाओं के साथ जो कुठाराघात उस सीडी में किया जा रहा है, आपने अभी तक सोचा उसके मामले में कि यह क्या हो रहा है? इसी सीडी को जब्त करूं? आप चाहते हैं कि इस विचारधारा से संबंधित आदमी आंदोलन करें, आपके आदमियों को तंग करें और इधर-उधर जुलूस निकालें, फिर आप समझौता

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कराने जाओ और फिर आप उस सीडी को जब्त करें। आप खुद भी तो सोचें। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को, चाहे राम के द्वारा पुस्तक लिखी गयी, हम आपके साथ हैं, जिस भी आदमी ने लिखी और हमारी आस्थाओं पर चोट की, उस भावना के लिए आप त्वरित काम करो। जहां यह मामला है, जहां हिन्दू राइटर है और हिन्दुओं के देवी-देवताओं के लिए लिखा, वहां पर आप हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और हमारे से प्रेम-मोहब्बत से बात करते हो, यह दोहरा अपना आचरण चलने वाला नहीं है। आपने आश्वस्त किया कि चाहे किसी भी समुदाय का हो, आप न्याय करेंगे। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह इसलिए बैठे हैं कि आप न्याय करके जनता को समानता के रूप में अधिकार देकर उनके हितों की रक्षा करेंगे। आपने हितों की रक्षा की, क्या हुआ निवाई में? सवेरे घटनाक्रम हुआ, उनको पीटा, रिपोर्ट कब दर्ज हुई? साढ़े सात बजे, क्यों? जब पुलिस वहां थी, सब बातें वहां थी। आपने विश्वास दिलाया। इसके पीछे एक सोच है। आपकी सोच ईमानदाराना हो सकती है, आपका वक्तव्य अल्पसंख्यकों के साथ यहां के कहने में ठीक हो सकता है माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच ठीक हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के सोच और आपके सोच के खिलाफ अगर आपने मंत्रिमंडल के सदस्य दूसरा सोच सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करें, माननीय मुख्य मंत्रीजी देखती रहें, आप देखते रहें और देखने के बाद में आप, हँसने की बात नहीं है जिस प्रकार का टीवी के माध्यम से सरकार के सोच के खिलाफ आपके मंत्रिमंडल का सदस्य आपकी भावना और आपके विश्वास को तोड़ता है और आप हंस कर...।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज तो गृह मंत्रीजी पहली बार हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, नहीं तो बड़े गुस्से में बात करते हो। अच्छा लग रहा है आपको जो समाज कल्याण मंत्रीजी की हकीकत बयान हो रही है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): हकीकत की हकीकत तो बयान करो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप देर से आये, मैंने कर दी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जब राम और सीता की कलाकृति कर रहे थे न तो वैसे लग रहे थे जैसे उत्तरप्रदेश का आई.जी. राधा बनकर कर रहा था एक्शन, इसलिए सब हंस रहे थे वो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चलो, आपने मुझे आई.जी. तो बनाया। राधा बनने में कौनसा एतराज है ।

श्री जोगाराम पटेल: एक बार बन ही जाओ भगवान के नाम पर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राधा बनने में तथाकथित हिन्दुओं को हो सकती है नाराजगी, मुझे तो नहीं है, राधा मान लो।

श्री जोगाराम पटेल: एक बार कैसे लगते हो, बनाओ तो सही, देखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब ये कुछ भी बनें, कुछ नहीं फर्क पड़ता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हरिमोहनजी, जिनकी पसंद के रूप में आप जैसी राधा हो उनको तो खुद को म्यूजियम में रखना पड़ेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो और एनसीआरबी का हवाला दे रहे थे, आपने दिसम्बर,05 को पढ़ा? क्या कहा उन्होंने? "National Crime Research Bureau places Rajasthan at the 3rd spot in order of overall incidents of atrocities on women." यह क्यों नहीं पढ़ा आपने? यह भी पढ देते तो न्यायसंगत लगता। अगर आप पढ देते न तो आप इम्पार्शल नजर आते। आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैंने पढ़कर आपने जो इम्पार्शलिटी नहीं बरती उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आप यह देखिये, वूमन राइट वॉयलेशन इन इंडिया डॉ. सोबिया निशार ने क्या लिखा है? Dr. Sobia Nissar reports that violation of women rights is the highest in the State run by women Chief Minister, the State of Rajasthan. जो रिपोर्ट है वो सब इसमें लिखी हुई है।

मैं इसके अलावा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, एक ओर तो आप यह कह रहे हैं कि बिलकुल ठीक, क्राइम रेट कम। राजस्थान बिलकुल शांत। शुरू से ही अपन खुशकिस्मत लोग हैं, राजस्थान की अन्य स्टेटों से तुलना करना राजस्थान की इंसल्ट करना है अपराधों के मामले में। यूपी से आप तुलना करें वो इन्सल्ट है, कहां यूपी और कहां राजस्थान, अपनी कोई कल्चर ही मेल नहीं खा रही। कहां बिहार कहां राजस्थान। अपन आदतन राजस्थान के लोग एक अलग प्रवृत्ति के, एक अलग दृष्टिकोण के हैं। इसलिए जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपा करें राजस्थान को राजस्थान रहने दें, राजस्थान को बिहार और उत्तरप्रदेश मत बनाओ तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके वहां कंट्रोल कर लो तो सब ठीक हो जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं इसके साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक और आप कह रहे हो कि राजस्थान का ग्राफ नीचे आया, अपराध कम हुए। वो कारण मैंने आपको बता दिये। आप एक ओर अपराधों की प्रवृत्ति में कमी होने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप एक बिल ला रहे हैं राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, वो काला कानून ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जो आपने बनाया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, मैं उसका जवाब दूंगा। घनश्यामजी, आप लॉ मिनिस्टर हैं इसलिए मैं उसका भी दूंगा। हमने बनाया था लेकिन हमने पास नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जनमत उसके खिलाफ था, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ था। हमने भी सोचा था। हमारी क्यों आलोचना की? अगर यही कानून ठीक है तो 1977 में इमरजेंसी की क्यों आलोचना की? कानून था, हमने ही बनाया था उसकी तो आपने आलोचना की। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो और लोगों को एक साल तक बिना किसी अदालत में जाये हुए बंद करना चाहते हैं, उनको जेल की सींख़चों में डालना चाहते हैं, कोई उनके साथ वकील नहीं जा सकता, कोई उनकी पैरवी नहीं कर सकता। जज बनाएंगे तो ऐसा जो रिटायर हो जाएगा। अपाइंट करोगे ऐसा कोई वकील क्वालिफिकेशन वाला जो आपके दल का होगा, उठाओ अन्दर रखो। लेकिन एक कमी रख दी जबरदस्त कमी है वो। आपने उसमें प्रापर्टी ग्रैबर्स को भी डाला, आपने उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी डाला, शराब माफियाओं को भी आपने उसमें डाला, और उनको भी डाल दिया जो उनको कोई गाड़ी देगा तो वो भी साल भर के लिए बिलकुल अन्दर। बहुत अच्छा है लेकिन एक कमी रह गयी। यह कानून जो भी है जिसमें आप हमको उलझाना चाहोगे तो उलझा दोगे सफलता के साथ, आपने उस किसान को भी डाला जो खेती करता है। आप परिभाषा ठीक करके देख लीजिये, कहीं ऐसा नहीं हो दिल्ली में जैसे अपने पुराना कानून वापस होकर आया। आप उस पर गंभीरता से सोच लें। हम तो चाहते हैं कि वो कानून आप लाएं और आदमियों को अन्दर रखें तो हमको कुछ नहीं करना पड़े। आपने उसमें जबरदस्त कमी रखी। आपने अपने हिसाब से उस कानून को बना डाला, उसमें कमी रखी आपने। जो इस राजस्थान के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं, जो साम्प्रदायिक सदभाव को तोड़ना चाहते हैं, जो अराजकता के आधार पर दंगा-फसाद करके अपना वातावरण बनाना चाहते हैं, आपने उन लोगों को क्यों नहीं शामिल किया? उन लोगों को आपने शामिल इसलिए नहीं किया, करना चाहिए था वो लेकिन आपने भविष्य के हिसाब से सोचा कि उसमें तो सारे ही हमारे दल के जो भी उग्रवादी आदमी हैं वो, सभी उठाकर कांग्रेस का राज आएगा तो धर देंगे। तो न्याय नहीं किया।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह सपना है। आपका राज नहीं आना। बिलकुल सपना ही देख रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़):...(व्यवधान)...इनके कार्यकर्ता ज्यादातर जेलों में चले जाएंगे इनका प्रचार कौन करेगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ये अमैंडमेंट आप कर लेना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम तो चाहते थे कि आप ही इसको परिपूर्ण और पक्का कानून बनाकर लाओ। आप तो ब्राह्मण आदमी हो, सदबुद्धि वाले हो, ज्ञानी हो, आपको तो जिमाने वाला स्वर्ग में सीधा जाता है तो आप ही यह बढ़िया काम क्यों नहीं करके जा रहे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप एक और तो गांधी का उद्धरण दे रहे हो और दूसरी और तत्काल यह कह रहे हो उलझाने का काम और इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए तो कानून हम बनाएंगे? काहे को गांधी जी का फोटो इसमें छापकर यह कलाबाज़ी हमको दिखा रहे हो? वो फोटो छापना बंद करो। राजीव गांधीजी का तो, माननीय घनश्यामजी, आपने कर ही दिया, अब आप गांधीजी का जो छाप रहे हो, माननीय कटारिया जी को सलाह दो वो भी उसको छापना बंद कर दें। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके विचारों का आपके केबिनेट मंत्री समर्थन नहीं करें टीवी पर, आप क्या विश्वास दें, मुख्य मंत्रीजी क्या विश्वास दें? आपकी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से, वैधानिक रूप से शपथ के आधार को तोड़कर आदमियों को भड़काने का काम करें। और माफ करना, उनकी स्पीड बहुत तेज बढ़ रही है, आज उन्होंने एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पागल बता दिया, यह खतरा बना रहेगा, कल आपके लिए भी कह सकते हैं। इसलिए ऐसे मंत्रिमंडल के जो सदस्य आपके वादों और इरादों और आपकी भावना और आपके निर्देशों के अनुसार

सार्वजनिक रूप से बाजार में जाकर उलटे स्टेटमेंट दें तो यह तो खतरे की घंटी है। आज उन्होंने किसी दूसरे स्टेट के मुख्य मंत्रीजी को पागल कहा है तो आप यह मान कर चलना कि आगे आने वाले समय में आपके लिए और आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए कोई भी अगर उधर से हो जाए तो मैं आपको समय से पहले ही चेतावनी दे रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जिस एक्ट की, जिस कानून की और क्रिमिनल राइट्स वालों की बात की तो उस पर एक हलका-सा एक गाना याद आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो तरन्नुम में सुनाना पड़ेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय गृह मंत्रीजी, वो गाना बहुत पापुलर है, गाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन वर्डिंग्स बोल देता हूं।

श्री जोगाराम पटेल: गाना गायें तो राधा बन कर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कि 'अपनों पे करम गैरों पे सितम ए जाने वफा ये जुल्म न कर।' हमने क्या किया था? आप जो कानून बनावें उसमें दुर्भावनावश, सदभावना से हट कर, शपथ के मूल सिद्धांतों से हट कर गांधीजी की फोटो छाप कर आप उस कानून में भी इस प्रकार की व्यवस्था करोगे तो कृपा करके आप मेहरबानी करके जो स्थितियां हैं उस हिसाब से निर्भीकता से ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर आप चलते रहें।

और आखिर में झारखंड आ गया था बीच में । झारखंड की संस्कृति को आप ठीक मानते हो? जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई उस चैलेंज को आप ठीक मानते हैं? जिस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके सामने राजस्थान सरकार ने कीं, जिस प्रकार से सरकारी साधन जुटाये, जिस प्रकार से मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने वहां हाज़िरी दी, जिस प्रकार के नाच गाने वहां कराये, जिस प्रकार से वहां शराब परोसी गई, यह क्या आप अच्छा मानते हो? आप उस स्थिति को देख लो कि उस स्थिति के कारण राजस्थान की विधान सभा में कितना हडकंप हुआ था। आपसे कृपापूर्वक विनम्र अनुरोध है, माननीय गृह मंत्रीजी, कि

इस प्रकार की व्यवस्थाएं सार्वजनिक रूप से आप नहीं करें। आप जिस आचरण की शिक्षा देना चाहते हो और जिस संस्कृति में आप फले फूले और बडे हो रहे हो, क्या आपकी संस्कृति है यह? आपको खुशी है कि इस प्रकार होना चाहिये, लेकिन राज चलाने के बाद चाहे दिल्ली में आपका राज हो, आपको 370 भूलना पडता है, राम मंदिर भूलना पडता है, सिविल कोड भूलना पड़ता है। तो राज चलाने के लिये, मजे लेने के लिये जो व्यवस्थाएं आप कर रहे हो, मेहरबानी करके यह तो कह दो कि नहीं, राज चलाने के हमारे सिद्धांत अलग है और जनता में भाषण देने के सिद्धांत अलग हैं। इस प्रकार की जो राजस्थान में आप परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, आज की तारीख में अपराध बढे हैं, अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। आप जिस प्रकार के भ्रम जाल में जनता को उलझाना चाहते हो, वह 100 प्रतिशत धोखा देने के लिये है।

इन सब बातों के बाद मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं एंटी करप्शन के बारे में। तरकीब से इस पुलिस प्रतिवेदन में चालान पेश करने का जो परसेंटेज था वह किताबों में पढकर लूणी से आने वाले माननीय विधायक ने हमको सुना दिया। सज़ा कितने को हुई, कहां कहां चालन पेश हुए, कितनों को प्रोसीक्यूट किया और प्रोसीक्यूशन के बाद आप कन्विक्शन कितना करा पाये, कहीं बताया आपने? पुलिस प्रतिवेदन में हमेशा आता है, मैंने ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं। फिर मुझे ग़लतफ़हमी हुई कि कहीं मेरे पढने में नहीं आया हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एग्जामिनेशन के समय यह बात इन्होंने कमेटी में कर ली थी । जब एस्टीमेट का एग्जामिनेशन किया था उस समय इन सारी बातों की चर्चा आपने कर ली जिसकी आप यहां नहीं कर सकते।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वैसे तो हम आपको सर्वगुण सम्पन्न और पूरी बुद्धि के धनी मानते हैं लेकिन कभी कभी तो अधिक बुद्धि वाले से भी चूक तो हो ही जाती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वही चूक हो रही है आपसे। यदि आपने नहीं किया हो तो आप बता दो। सारी बातें एस्टीमेट कमेटी में नहीं की हों तो कह दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं मैं । एक नई किस्म का क्राइम साइबर क्राइम चल रहा है । परिस्थितियां बदल रही हैं, युग बदल रहा है, अपराधों के ढंग बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदल

रहे हैं। राजस्थान की पुलिस कुल मिलाकर संतोषजनक कह सकते हैं कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर, जो हर संस्था में जहां भी रहेंगे भ्रष्टाचार भी है, इस बात से भी आप इंकार नहीं कर सकते। आपने कहा था कि अगर कहीं सट्टा चलाया और अगर आम नेशनल हाई वे पर कोई वेश्यावृत्ति के अड्डे मिलेंगे तो आप गृह मंत्री नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो उस थानेदार को हटा देंगे। आप उदयपुर जाते हैं कार से रास्ता देखा आपने? आप कोटा जाते हैं, रास्ता देखा, थाने से 5-7 किलोमीटर पर? आपने एक ही मामले में किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह जगह देखने की आदत नहीं रही इसलिए नहीं देखी।

श्री शांतिलाल चपलोत : आज आप मात खा गये हो। आज आपकी बोलती बंद हो गई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गृह मंत्रीजी की उन स्थानों पर जाने की आदत नहीं होगी, लेकिन आप के जो मुख्य सचेतकजी हैं उसी जिले के हैं उनसे पूछ लेते। आपकी आदत उस जगह पर जाने की नहीं होनी चाहिये, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन सड़क पर क्या अपराध हो रहे हैं आप वहां पर आँख मींच कर रखोगे तो काहे के गृह मंत्री हो आप? फिर काहे के गृह मंत्री हो आप, आँख मींच लेते हो अपराध देखकर, उस पर ध्यान नहीं देते और हंसी में यह कहकर डालना चाहते हो कि मेरी तो वहां जाने की आदत ही नहीं है? आपकी कोई कत्ल करने की आदत है क्या? आपकी कोई डकैती करने की आदत है, उनको कैसे देखते हो आप? उसको भी देखो। आपने बिना देखे ही उनके लिये काहे को कमिटमेंट कर लिया यहां विधान सभा में कि हम ऐसा कर देंगे? सट्टा होगा तो बंद कर देंगे, सट्टा कहीं बंद हुआ? सट्टे के आधार पर कहीं कोई डीवाईएसपी, एसपी या कोई आदमी हटा या कोई सीआई हटा? खुले आम सट्टा नेशनल रूप में है जिसकी बातें आप कर सकते हो, यह वेश्यावृत्ति की बात आप कर सकते हो। सिद्धांत, आचरण अपनी बात के लिये तो ठीक है, व्यावहारिक रूप में इन बातों को समाप्त करने में आप शत प्रतिशत असफल रहे हैं इस बात को स्वीकार कीजिए।

आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राजस्थान बना रहे, हम आपके साथ है। राजस्थान में अपराध कम हों, हम आपके साथ

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हैं। राजस्थान का वातावरण अनुकूल बना रहे और राजस्थान हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में अग्रणी रहे कानून व्यवस्था के मामले में, हम आगे रहें, यह परिकल्पना आप कीजिए। यह मत कीजिए कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि साहब अपन यूपी से तो ठीक हैं, अपन बिहार से तो ठीक हैं। बिहार और यूपी से तो जिंदगी में पहले से ही ठीक हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इन सब बातों पर आप गंभीरता से विचार करें। जो मैंने अच्छे सुझाव दिये हैं उनको स्वीकार करें और इरादतन भावनात्मक रूप से जिस विचारधारा के आप मूल रूप से पोषक हैं उसको गृह मंत्री के रूप में अलग रखें। जब गृह मंत्री नहीं रहे तो वह विचारधारा और जब गृह मंत्री आ जाए तो गांधीजी की विचारधारा। इस परिकल्पना के साथ कि आप इन सिद्धांतों पर चलेंगे, मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम प्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की डिमांड पर चर्चा हो रही है, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के गृह मंत्री माननीय गुलाब चन्द जी के आँचल पर कहीं काई धब्बा नहीं है, इनके काम करने की नीयत पर कोई शक नहीं है। रहा सवाल राजस्थान में जुर्मो का चोरी, डकैती, बलात्कार, इनके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बडे विस्तार से आंकडों के साथ यह साबित कर दिया कि इन दो ढाई वर्षों में पहले के बनिस्पत हर मामले में जुर्मों में गिरावट आई है। अब एक एक बात का मैं बखान नहीं करूंगा, पर मोटे रूप में सही बात कहने की माननीय सदस्य कह रहे थे, सही बात यह है कि आज से पहले जितने भी गृह मंत्री हुए हैं उनमें सबसे ईमानदार गृह मंत्री यह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, कडवी हो सकती है। यह हमारे कोई गृह मंत्रीजी का दोष हो, ऐसी बात नहीं। वर्षों से जो परम्परा चली आ रही है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बहस बडी जोरों शोरों से होती है कि लोगों को न्याय मिले, गरीब को न्याय मिले। इस बात से सब लोग परिचित हैं कि सर्वप्रथम जिसके खिलाफ कोई जुर्म होता है वह थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिये जाता है और 10-20 प्रतिशत अपवाद स्वरूप छोडकर मैं यह बात धड़ल्ले से कहना चाहूंगा, थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद मुस्तगीस से जीप मंगाई जाती है। यह सच्चाई है। यह देश आजाद हुआ

(श्री रामप्रताप कासनिया)

तब से लेकर आज दिन तक है। 10-20 प्रतिशत की तो मैंने छूट दी है । मैं मेरे जिले के हिसाब से ही बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान का मुझे इतना पूरा ज्ञान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: कासनियाजी, पहले थानों में गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं तब था, यह अब कमी आई है थोड़ी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समय की बात कर रहा हूं, जैसे थानों के अंदर एएसआई को, एसआई को अलग-अलग एरिया दे रखा है, उस एरिया में एक साइड की 6 जांच हो एक एएसआई के पास, तो चार-चार, पाँच-पाँच पार्टियों से जीप के तेल के नाम से, मजदूरी के नाम से पैसे वसूल किये जाते हैं, यह हकीकत है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस थानों को मंदिर बनाने की बात चल रही है, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि पुलिस थानों के अंदर कोई आदमी अपनी फरियाद लेकर जाए तो वहां नेताओं की सिफारिश की क्यों जरूरत पड़ती है? बिचौलियों की जरूरत क्यों पड़ती है? पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की तो हर हालत में आवश्यकता है। आपने काफी हद तक जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एसटी, एससी के मामले में इस सदन में बहुत चर्चा होती है। दहेज हत्याओं के प्रति भी। पर कभी भी किसी भी माननीय सदस्य ने इस बात पर गम्भीरता से विचार नहीं किया कि एससी,एसटी, के मुकदमे क्यों होते हैं। इसमें सवर्ण जाति के लोगों का, 70 प्रतिशत हाथ हमारा ही होता है। जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं इनमें 35-40 प्रतिशत सही हो सकते हैं, मैं इससे मना नहीं कर रहा, पर ज्यादातर हम आपस में एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए, उन गरीब लोगों को हथियार के रूप में पूरे राजस्थान में यूज करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से दहेज हत्याएं हैं, ये भी 25-30 प्रतिशत तक तो सही हो सकती हैं, पर पूरा हाउस इस बात का साक्षी है कि हत्याएं इस तरह से दर्ज करवा दी जाती हैं कि अमुक महिला को जलाकर मार दिया। कोई बहुत ही दरिंदा व्यक्ति, कोई हजारों केसेज में एक इस तरह की घटना घट जाए तो मुझे पता नहीं, बाकी हो सकता है वह स्त्री दुःखी होकर आत्महत्या कर ले। वह सुखी तो नहीं होती, इस बात से तो मैं सहमत हूं, पर यह आरोप लगाना कि दो आदमियों ने पकड़कर, सास ने पकड़कर और ससुर

(श्री उपाध्यक्ष)

ने पकड़कर, देवर-जेठ ने सबने मिलकर उसे तेल डालकर आग लगा दी, तो उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के संवेदनशील मामले, जो दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाए चाहे एसटी, एससी का हो चाहे दहेज हत्या का मुल्जिम हो। पर कई लोगों को वैसे ही घसीट लिया जाता है। 50-50 वर्ष की औरतें, और मरने के बाद दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। हालांकि नियम है, अनपढ़ तो जरूर हूं पर मुझे पता है 6-7 साल शादी के हों, इस तरह का कोई प्रोविजन भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मोटा-मोटा मेरा यह निवेदन है कि ये जो दो तरह के जुर्म हैं दहेज हत्या और एसटी,एससी वाला प्रकरण, इनमें काफी लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं। पुलिस का आजकल एक चलन बन गया है। पहले पुलिस तफ्तीश बड़ी बारीकी से करती थी, आजकल तो सिर्फ एफआईआर के अंदर चार गवाह लिख दिये और उन गवाहों के बयान ले लिये, गवाह सच्चे हों या असत्य वह बयान दे रहा है, उसी के आधार पर कार्यवाही हो जाती है। तफ्तीश पुलिस अधिकारी मेहनत नहीं करता कि अमुक आदमी ने कोई अपराध किया है तो उस समय इर्द-गिर्द कोई आदमी था, अपराध करने के बाद में कहां गया, किसके घर खाना खाया, खाना खाया तो सब्जी किस चीज की थी, पापड़ की थी या आलू की थी, उसने रात को पेशाब किया तो कौनसी जगह किया, उसको रात को कोई आदमी मिला तो कैसे मिला, उसके बाद में कहां गया, पुलिस इतनी लंबी-चौड़ी तफ्तीश में नहीं पड़ना चाहती। आजकल तो पुलिस ने इतना सरल तरीका निकाल रखा है कि चाहे कितना ही बड़ा जुर्म करके कोई आ जाए, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा 302 का मुल्जिम है और उसने हत्या कर दी, पता है, वह गिरफ्तार हो गया, उसने बंदूक से गोली मारी है, अब जिस बंदूक से गोली मारी है वह बंदूक, उपाध्यक्ष महोदय, मानवाधिकार बीच में रखेंगे तो वह बरामद कराएगा नहीं। जिस किसी की भी थोड़ी बहुत एप्रोच हो या और कोई आजकल थानों में, एक बात बीच में, लाइन से तो भटक जाऊंगा, पर हर थाने में वर्षों से 5-6 व्यक्ति पुलिस के मुखबिर होते हैं जिनके माध्यम से लेन देन किया जाता है और उनको कुछ प्रतिशत हिस्सा भी होता है। क्योंकि, वैसे तो एन्टीकरप्शन से डर लगे, पकड़े जाने से डर लगे, इसलिए हर थाने में इस तरह के 5-6 व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से जो मुल्जिम होते हैं वे भी सांठ-गांठ कर लेते हैं।

तो मैं यह कह रहा था कि पुलिस वाले को जब कहते हैं कि आपने

इस मुल्जिम से हथियार बरामद नहीं किया, तो वह कह देते हैं मानवाधिकार। आजकल आप जानते हैं कि पीट तो सकते नहीं। यह बात भी सही है, मानवाधिकार है, पीट नहीं सकते। पीट नहीं सकते तो चोर-डकैत और कत्ल करने वाला, उसके आगे हाथ जोड़कर आप पूछेंगे कि भइया, बता दे कौनसी बंदूक से आदमी को गोली मारी है वह दे दे? तो हाथ जोड़ने से कभी भी मुल्जिम वह बंदूक नहीं देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत पुराना किस्सा है, गृह मंत्री महोदय, आप यह मत सोच लेना, मेरे टाइम का है। 302 के केस में दूसरे फर्जी हथियार पुलिस ने अपने पास से लेकर उस मुल्जिम का नाम लगाया है और हवाई फायर करके, खोखा बरामद करके लेबोरेटरी में भेजा, इस तरह के उदाहरण देखे हैं। वे उदाहरण खतम हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। बड़ी-बड़ी बात तो आ गई।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप पुलिस के पास बहुत बड़ा पावर है। यहां राजनीतिक इन्टरफियर की बातें आती हैं कि ट्रांसफर, पोस्टिंग के अंदर लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही हो सकती है पर जहां कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो वहां तो कम से कम सुधार होना चाहिये। सुधार नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई पीड़ा के रूप में नहीं कह रहा, मेरे पीलीबंगा के अंदर मेरे छोटे भाई की बहू आज से सात दिन पहले लड़की को परीक्षा के लिए स्कूल छोड़ने गई तीन बजे, उसके गले से तीन आदमी आकर लॉकेट ले गये और आज तक अता पता नहीं है। दूसरी घटना पीलीबंगा के अंदर, आज से डेढ वर्ष पूर्व मेरे घर के आगे से मोटरसाइकिल में से 50,000 रुपये बैग में रखे हुए थे किसी के, वे भी निकालकर ले गये। मैं सक्षम था, गृह मंत्रीजी से मिल भी सकता था और कह भी सकता था पर मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं मेरी बात तो कह दूंगा पर इस तरह की घटनाएं तो पूरे राजस्थान में घट रही हैं। इसमें कोई गृह मंत्रीजी का दोष नहीं है। कोई सरकार का दोष नहीं है। मैं

उदाहरण के तौर पर यह बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि जब मेरे साथ, यानि मेरा विधान सभा क्षेत्र है फिर भी इस तरह की घटना घट गई तो दूसरे आदमियों के साथ जिस तरह का न्याय हो रहा है वह आप स्वयं देख लें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम सारा का सारा दोष पुलिस के मत्थे मढ़ दें, यह भी न्याय संगत बात नहीं है। पुलिस के पास साधनों का अभाव है। हमारे पास ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं जिससे हम यह पता कर लें कि जुर्म करने वाले ने कैसे जुर्म किया, किस तरह से किया। पर इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस वाले जब चाहते हैं तो मानवाधिकार एक साइड में रखकर, हर थाने में, देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज दिन तक, एक-एक पट्टा रहता है, सबने देखा होगा। ये जो चक्कियों में पट्टे चलते हैं, लक्कड़ लगाकर, उस पर लिखा हुआ होता है अलग-अलग तरह से, 'आन मिलो सजना', फलां-फलां, इस तरह से उस पट्टे पर अक्षर भी लिखे हुए होते हैं। अगर इनको बरामदगी करनी हो तब तो उस 'आन मिलो सजना' के माध्यम से सब कुछ उगलवा सकते हैं। बहुत तरीके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि अगर कोई मुल्जिम मान नहीं रहा है पीटने से, तो मकोड़े जो होते हैं, एक घड़े के अन्दर गुड़ डालकर और दुनिया भर के मकोड़े इक्ट्ठे करके उस मुल्जिम के नाड़ा खोलकर अन्दर डाल दिये, उसने बात उगल दी जो पीटने से नहीं बतायी। तो इस तरह के प्रैक्टिकल उदाहरण, एक नहीं पचासों हैं। पर मुझे पता है, समय का अभाव है। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बता दो, एडिशनल आई.जी. साहब लिख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आई.जी. साहब को मालूम है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आई.जी. साहब लिख रहे हैं तो मैं एक निवेदन और कर रहा हूं कि आपका ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): चूहे बांट देना, अपने आप निकाल देंगे। चूहों से अपने आप बता देते हैं। डरता कौन है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एकदम वैज्ञानिक तरीके बताये जा रहे हैं, इसलिये महत्वपूर्ण हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आजकल एक प्रथा चल रही है अण्डर-ट्रेनिंग लगाने की। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस हो। हमारे बागड़ी में एक कहावत है कि 'पढ़े जाट को, सीखे नाई को' तो आपको क्या हो गया कि सभी सीखने वालों को आप गांव ही गांव में भेजते हो। यानि आपके कोई डी.एस.पी. अगर आई.पी.एस. लगा हुआ है और वह नया है, उसको पता नहीं जांच करने का, उसने जांच कर दी। कोई गलत जांच कर दी तो उसके नीचे का अधिकारी, सी.आई. या एस.एच.ओ. यह कहे कि बात तो यह है पर अब क्या करें, साहब अण्डर-ट्रेनिंग आई.पी.एस. हैं, इनका ठप्पा लग गया, हम कैसे करें। यह एक उदाहरण नहीं है मेरे पास, 2-3 उदाहरण हैं, मैं उन केसों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, परन्तु यह बात सही है। यह एक पुलिस विभाग की बात नहीं है, दूसरा भी मैं निवेदन कर दूं, चाहे आई.ए.एस. भी हो, यानि इनके आगे ये अक्षर लगते ही, इनका ठप्पा जहां लग गया तो चाहे कितना ही ईमानदार कोई सी.आई. या एस.एच.ओ. हो, वह हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिये नहीं कर सकता है कि डी.एस.पी. हो तो वह कहता है कि हम बदल दें, पर यह तो आई.पी.एस. हैं। यह पता नहीं, क्या बीमारी है, मेरे समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: सीनियर आफिसर हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सीनियर आफिसर तो हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो पता है, मैं इतना अनपढ़ तो नहीं हूं, कुछ तो हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धड़ल्ले के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान पुलिस पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रान्तों की बनिस्पत बहुत अच्छी है। न्याय-प्रिय है। पर फिर भी और सुधार करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक सुधार और किया, गृह मंत्रीजी को उसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा, कि अभी जो जवानों की भर्ती हो रही है उसमें वाकई में सुधार हुआ है, साढे पाँच फीट के जवान, सीना चौड़ा। पहले की तरह मरियल लोगों की भर्ती नहीं हो रही है। पहले टी.बी. के मरीजों को भी भर्ती कर लेते थे। वह कम से कम नहीं हो रहा है। भर्ती जवानों की एक नम्बर सही हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि सच्चाई सुनना बड़ा कड़वा होता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर..

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी कि न्याय करना बड़ा कठिन हो गया है। पिछली बार एक हरिजन... (व्यवधान)..सुनो तो सही।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अभी भी गृह मंत्रीजी के आँचल पर कोई सन्देह है क्या? मैं इस्तीफा दे दूं, इनके ऊपर चार्ज लगा दो तो। और मुझे बाकी पता नहीं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इन्होंने पुलिस में शत-प्रतिशत सुधार कर दिया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सुनो तो सही आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आँचल तो महिलाओं का होता है, गृह मंत्रीजी आदमी हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आपने कहा, इनके आँचल पर छींटे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कौन कह रहा है? कौन कह रहा है?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप उकसा रहे हैं। आप इसलिये उकसा रहे हो कि यह भोला-भाला आदमी है, कुछ भी कह देगा। मैंने जो मेरे मुंह से बात कही है वह मेरे ध्यान में है। मैं पुन: रिपीट करना चाहता हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गृह मंत्रीजी आदमी हैं, महिला नहीं हैं, आँचल तो महिलाओं का होता है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): गृह मंत्रीजी की ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कह रहा हूं, काकाजी, सन 1993 से जानता हूं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, पर सुनाना क्या चाहता हूं, वह तो सुनें पहले। (व्यवधान) पिछली बार मैंने एक बात कही थी कि सवर्ण जाति के लोगों ने हरिजन की जमीन पर कब्जा कर लिया था और साहब ने आदेश दिया था कि कल वह खाली हो जाएगी। आज तक खाली नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कल की घटना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): चिड़ावा में, लिखकर दे रहा हूं, 2 लड़कों ने जबरदस्ती एक सवर्ण की जमीन पर कब्जा कर लिया और पुलिस आज तक नहीं हटा रही है। वह कह रहे हैं, एक लाख रुपया लेंगे, क्यों पुलिस के

(श्री श्रवण कुमार)

पीछे घूम रहे हो। एक लाख रुपया लेने से खाली करेंगे। मैं आपको यह पक्का ईमानदारी का उदाहरण दे रहा हूं। (व्यवधान) पुलिस तो नाम पर नहीं बैठी है, और मैं आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आपको मेरे को डिस्टर्ब करना था, कर दिया। ठीक है।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और 17 पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा हो रही है। तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में अपराधों में किस प्रकार से नियंत्रण किये तथा हम क्या-क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी प्रान्त की जितनी अच्छी शासन व्यवस्था होगी, पुलिस तंत्र जितना अच्छा होगा, शांति व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, उतनी उस प्रान्त की अर्थ-व्यवस्था भी अच्छी होगी। क्योंकि जिस प्रदेश में शांति रहती है वहां पर सभी प्रकार के उद्योग-धंधे, व्यवसाय करने वाले आकर उस प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की हमारी परिस्थिति है, हमको हमारे प्रदेश की पुलिस की तुलना करने से पहले उन परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे यहां की पुलिस को किस प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। इतने कम हमारे पास साधन होते हुए, इतनी विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी हमने किस प्रकार से यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी प्रकार से की है। हमको पुलिस विभाग के बजट के बारे में तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें इस पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि यहां की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से भी बढ़िया से बढ़िया शांति व्यवस्था हम बनाये रख सकते हैं, उसकी भरपूर कोशिश की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्रदेश में संख्या बल पुलिस का, आरक्षियों का बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार के अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण से हमको इसको लगातार बनाये रखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है उसके बाद भर्तियां भी हुई हैं, भर्तियां जिस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से की जा रही हैं, पहले हमेशा आरोप लगाया करते थे भर्तियों के समय में, उन सब परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद यहां पर बहुत अच्छी प्रकार से भर्तियां करके कानून

(श्री रामकिशोर मीणा)

व्यवस्था को अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहां पर एक मान्यता थी कि पुलिस में कर्मचारी है या अधिकारी है, विकट परिस्थितियों में यदि उसको प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं मिलेंगे तो अच्छी तरह से वह ईमानदारी से कार्यवाही नहीं कर पाता है। हमें यह खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रमोशन देकर हमारे अधिकारियों का बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ाया है। लगातार उसमें पूर्णरूपेण पालना करके और उनके मनोबल को बहुत आगे बढ़ाकर अपना योगदान उन्होंने बनाया है।

(समय : 17.50 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आधुनीकरण की स्कीम्स हैं उनको अब यह अच्छी तरह से बढ़ाने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यता है उसको उसी स्थान पर लगाकर उसको अच्छे काम करने का भी जिम्मा दिया गया है। इससे जहां अपराधों के प्रतिशत में कमी आयी है वहीं हमारे आधुनीकरण के जो उपाय हैं उनको भी लगातार हमने किया है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बिन्दु हैं जिनके ऊपर माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार की विषमभौगोलिक परिस्थितियों में हमारा पुलिस का कार्यबल काम करता है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। पहले कानून व्यवस्था के हिसाब से ही पुलिस बल काम में लिया जाता था लेकिन आज जगह-जगह चाहे जब ही आन्दोलन हो जाते हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो असल हमारा काम है उसको छोड़कर कई अन्य मामलों में पुलिस को काम देना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है, देश-विदेश के यात्री वहां पर लगातार आते हैं, उनकी संख्या मेलों के अवसर पर विशेष ज्यादा हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार की हमारे वहां पर व्यवस्था है, बहुत कम वहां पर पुलिस बल रहता है जिसके कारण से जेबकतरी की तथा अन्य प्रकार की घटनाएं आये दिन होती हैं। पिछले समय भी हमने यह मामला उठाया था, मुद्दा उठाया था कि वहां पर एक सब-इंस्पेक्टर के लेवल पर थाना या चौकी कायम की जाए और उसकी संख्या भी लगभग 20 के करीब बढ़ाई जाए तो उसके आधार पर वहां कानून-व्यवस्था बनाये रखने में हमको

(श्री रामकिशोर मीणा)

आसानी रहेगी। इसी प्रकार से वहां आये दिन विशिष्ट व्यक्ति, वी.आई.पीज. आते रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था करने में भी हमको समय-समय पर दिक्कतें आती हैं, उनके लिए भी वहां पर संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।

इसी प्रकार से सिकन्दरा कस्बा है, वहां पर पत्थर व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी इसको इण्टरनेशनल लेवल पर भी एक पत्थर का दर्जा विशेष तौर पर दिया जा रहा है। इस दृष्टि से सिकन्दरा में थाना बनाये जाने की बहुत लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है, उसको भी किया जाना बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मूर्ति तस्कर जैसे अपराधी थे उनको हमारी पुलिस ने बखूबी पकड़ा है। माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि विशेष परिस्थिति में अपने अदम्य साहस के आधार पर ऐसा जो काम करते हैं, ऐसे अधिकारियों को समय-समय पर गेलेण्ट्री प्रमोशन देकर आगे बढ़ाया जाए।

माननीय गृह मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की एक शाखा वायरलैस विभाग, पूरी तरह से टैक्निकल डिपार्टमेंट है, यहां पर कांस्टेबल, ड्राइवर...(व्यवधान) कांस्टेबल, इनको वायरलैस सेप्लेटर जो है, उनके बराबर जो पुलिस में है उनके और उनके दोनों में काम करने की सारी शर्तें एक ही हैं, पूरी तरह से ट्रेंड होते हुए भी उनके वेतनमानों में बहुत ज्यादा असंगति है, उसको दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रमोशन के एवेन्यूज बहुत कम हैं, इसके कारण से उनमें एक काम के प्रति जो लगन होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस कांस्टेबल में जगह-जगह घटनाएं हो रही हैं।...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कनक्लूड करिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): उनसे ज्यादा ड्यूटी काम में ली जाती है और छुट्टी समय पर नहीं मिलती, इस कारण से आत्महत्या की और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो उन परिस्थितियों का अध्ययन करके उनको दूर किये जाने की कोशिश की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं जेल विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अलग अलग प्रकार की जो अपराध की प्रवृत्ति होती है उसके तहत कई तो हत्या के अपराधी होते हैं और कई साधारण जुर्म के भी अपराधी होते हैं, उनको अलग-अलग बैरकों में रखा जाना चाहिए। लेकिन उनको अलग-अलग

बेरकों में नहीं रखने के कारण से मार-पीट की घटनाएं होती हैं। मेरी कांस्टीट्युएंसी का एक मामला सामने आया था जिसमें हत्या के जघन्य अपराधियों द्वारा एक साधारण कैदी को बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा गया। उसकी हालत यह हो गयी, वह कोई ऐसा मौका तलाश में था कि यदि वह उससे बच जाता तो आत्महत्या करने के लिए भी उकसाने की स्थिति में आ गया था। तो ऐसी परिस्थिति पर विशेष तौर से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

माननीय गृह मंत्रीजी ने कई बार अपने वक्तव्य में भी कहा है कि आर.पी.एस. से आई.पी.एस. के अन्दर प्रमोशन काफी समय से लम्बित हैं। उनको यदि यू.पी.एस.सी. से भेजें और उनके लिए इण्टरव्यू की जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाए तो पूरी लगन के साथ वे अपना काम कर पाएंगे।

श्री सभापतिः वाइण्ड-अप करें प्लीज।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, माननीय गृह मंत्रीजी पूरी टीम के साथ जिस बखूबी के साथ पूरे देश में राजस्थान का एक गौरवपूर्ण स्थान बनाये हुए हैं, वह लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखें। विशेष परिस्थितियों के होते हुए तथा कम साधन होते हुए भी जिस तरीके से वे राजस्थान को एक अच्छा स्थान दिला रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापति महोदय, हमारा नम्बर भी है क्या?...(व्यवधान) नहीं, इनसे पहले हमारा नम्बर है। रामकिशोरजी से पहले मेरा था।...(व्यवधान)

श्री सभापतिः देखिये, जो मेरे पास मुख्य सचेतकजी ने लिस्ट दी है उसी के अनुसार बुलवा रहा हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): जो लिस्ट दी है उसमें हाथ से लिखा हुआ है। उसमें रामकिशोरजी के आगे मेरा नाम लिखा हुआ है तो फिर मेरे को तो केवल चार मिनट बात करनी है। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक बार माननीय सदस्य को पुकार लिया है, उनके बाद आपका।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): कोई बात नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, जब से राजस्थान में हमारी सरकार बनी है तब से गृह मंत्रालय ने जो उपलब्धियां अर्जित कीं उसके आंकड़े कई माननीय सदस्यों ने रखे हैं, मैं समझता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनके पास उनकी काट थी ही नहीं। उनको काटने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं था इसका बहुत बड़ा कारण तो यह है कि एक बहुत अच्छा संयोग अभी बना है। हमारी मुख्य मंत्रीजी राजस्थान को अपना एक परिवार मानकर चल रही हैं और इसमें अनुशासन कायम रखना उनका प्रयास रहता है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और दूसरा संयोग यह है कि जो गृह मंत्री बने हैं वे बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत अनुभवी हैं और अपने अनुभवों का लाभ राजस्थान की जनता को शांति के लिए, अमन-चैन के लिए देना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और संयोग है कि इस समय जो डी.जी. हैं वे भी एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सेवा को समर्पित व्यक्ति हैं। ध्येय को समर्पित व्यक्तित्व उनका है, और यह बहुत अच्छा संयोग है। इसी के कारण से राजस्थान में हम कई उपलब्धियां अर्जित कर पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस का बहुत बड़ा काम है कि आम जन में तो विश्वास और अपराधियों में भय का वातावरण रहना चाहिए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही ध्येय वाक्य है पुलिस का। जनता में विश्वास कायम रहे, जनता यह माने कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। हमारे हितों की रक्षा करने का काम करेगी। अपराधी साथ में भय खाता रहे, अपराधी डरता रहे। अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए उसको मजबूर होना पड़े। इस प्रकार का प्रयास पुलिस कर रही है, यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पुलिस ने जन सहभागिता का काम अपने हाथ में लिया और जन सहभागिता के लिए इन्होंने बहुत से कार्यक्रम आयोजित किये कि जनता के बीच में बैठकर पुलिस और जनता के बीच में समन्वय स्थापित करें। जनता हम से दूरियां बनाकर नहीं रखे। हमारे साथ में मिलकर अपनी कोई और बात भी रखे, हमारा सहयोग करे।

(श्री मदन राठौड़)

बिना जनता के सहयोग के पुलिस भी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार का प्रयास जन-सहभागिता के माध्यम से हमारे अधिकारियों ने किया है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

(समय : 18.00 बजे)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अधिकारियों की नियुक्ति में भी विशेष ध्यान रखा गया। चार कैटेगरी इन्होंने तय कीं- ऑनेस्ट एण्ड एफिशिएंट, इसको नम्बर एक कैटेगरी पर रखा। नम्बर दो पर रखा एफिशिएंट बट नाट ऑनेस्ट, नम्बर तीन पर रखा ऑनेस्ट बट नोट एफिशिएंट और नम्बर चार पर रखा नाट ऑनेस्ट एण्ड नाट एफिशिएंट। इस प्रकार का प्रयास रहा, यही कारण है कि राजस्थान में हम व्यवस्था सुधारने में कामयाब हो सके। सभापति महोदय, पुलिस ने यह प्रयास भी किया कि कहीं कोई इंचार्ज लगा हुआ है वहां जो टोप टैन हार्ड कोर क्रिमिनल हैं उन पर विशेष ध्यान रखे, उनको पकड़ने का प्रयास करे, उनको दण्डित करने का प्रयास करे। जो छोटे-मोटे आम अपराधी होते हैं केवल उन्हीं को पकड़कर आंकड़े बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। कई बार ऐसा देखने में आया, पहले की सरकारें थीं जब हार्ड कोर अपराधी पुलिस के इंचार्ज से अपनी दोस्ती गांठ लेते थे, उनसे सम्पर्क बना लेते थे और छोटे-छोटे अपराधियों को दण्डित करने का प्रयास करते थे। इससे व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया। हम जो सुधार लाने में कामयाब रह सके उसका बहुत बड़ा कारण यही रहा। एक और कारण है कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिये। उनको सज़ा मिलने तक अधिकारी उसके पीछे लगाया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही, यह बहुत बड़ा प्रयास रहा और इसके कारण समाज में एक ऐसा उदाहरण बना कि अब अपराधी की खैर नहीं और निश्चित रूप से समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सकेगी।

सभापति महोदय, सुर्खियों में कुछ अपराधी हैं, कुछ मुकदमे हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये। यदि इसमें विलम्ब हो गया तो जनता में ऐसा मैसेज जाएगा कि अपराध कर लिया, लेकिन इसका हमने क्या बिगाड़ लिया। इस प्रकार का प्रयास हो कि सुर्खियों में जो अपराध आए उस पर त्वरित कार्यवाही हो, तुरन्त उसको सज़ा मिले। इसमें मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि भावुकता में नहीं आना चाहिये। अभी सात

(श्री मदन राठौड़)

-आठ दिन पहले एक दृष्टान्त देखने को मिला, एक जर्मन लड़की दिल्ली से आई, अलवर में आई, लड़के के साथ आई, किसी होटल में ठहरी, पास-पास में कमरा लिया, रात को शराब भी पी और कुछ अनहोनी उन्होंने की। उसके बाद उस लड़की ने अपनी मित्र को एस.एम.एस. से मैसेज कर दिया। उसके मित्र ने उसके परिवार को मैसेज कर दिया। परिवार ने अपने दूतावास में मैसेज कर दिया। वहां से फिर बाद में वही लड़की और लड़का सवेरे ट्रेन में जा रहे थे, उनको पकड़ा। मैं यह कहता हूं कि पुलिस ने तुरन्त बहुत अच्छी कार्यवाही की, मुझे जानकारी मिली कि तीन-चार दिन में ही चालान कर दिया। चालान कर दिया, यह अच्छी बात है, लेकिन इसमें भावुकता नहीं होनी चाहिये। केवल सुर्खियों में आ जाए कि हमने बहुत जल्दी कार्यवाही कर ली है, इसलिए निरपराध को कभी भी फंसाने का प्रयास नहीं करें। पुलिस का एक यह भी मोटो है कि अपराधी भले ही बच जाए लेकिन निरपराध नहीं फंसना चाहिये, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिये। इस प्रकार का भी पुलिस का प्रथम संदेश है, यह भी विशेष ध्यान में रखा जाना चाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तुरन्त कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। कार्यवाही तुरन्त हो लेकिन भावुकता में बहकर केवल सफलता का ढिंढोरा पीटने के लिये कर दें, यह भी ठीक नहीं रहेगा।

सभापति महोदय, थानों में आज मालखानों की स्थिति बहुत खराब है, इस पर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। वहां अम्बार भरे पड़े हैं। थानों में जैसे शराबखाना बन गया हो। शराब पकड़ी जाती है और थाने में मालखाने में बंद कर दी जाती है, वहां पर रख दी जाती है। लेकिन उसका निस्तारण नहीं होता है। दुर्घटना में कई गाड़िया दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, उनको लाकर थाने में रख लेते हैं। परन्तु वहां जगह नहीं है, भरमार पड़ी है। इसका निस्तारण भी शीघ्र हो सके, इसके बारे में भी हमें थोड़ी चिन्ता करनी चाहिये, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जब आज सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कम्प्यूटर व्यवस्था है तो आपके पास यह रिकार्ड प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिसकी वह गाड़ी है, साधन है उसका पता हम तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं। कई थानों में अनट्रेस व्हीकल्स की समस्या रहती है, कई थानों में अनक्लेम्ड व्हीकल भरे पड़े रहते हैं। इस समस्या का भी समाधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिये।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, आज झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, ये आंकड़े हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कई आंकड़े ऐसे है...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नहीं, सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। मुझे आप कृपया बोलने दें।

श्री सभापति: आप तो आंकड़ों के चक्कर में मत पड़ो, मुद्दे की बात कहो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आंकड़ों के चक्कर में नहीं जा रहा, लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अधिकांश मुकदमे झूठे पाये जाते हैं। आज कई मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। बलात्कार के कई मुकदमे झूठे हैं। कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाए तो आपके पास में 182 धारा और 211 आई.पी.सी. है, इसके तहत आप कार्यवाही करते हैं। यदि माननीय गृह मंत्रीजी बता सकें तो बताएं कि आज तक 182 में कितने लोगों को दण्डित किया, 211 में कितने लोग दण्डित हो पाये? इस धारा को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। झूठे मुकदमे भविष्य में कोई दर्ज नहीं करवाएगा। आंकड़े बढ़ते हैं झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के कारण से, इसके बारे में भी थोड़ी चिन्ता करने की आवश्यकता है कि भविष्य में कोई झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करवा सके। इस पर हम कैसे अकुंश लगा सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। लोग झूठी गवाही दे देते हैं। कई गवाह पक्षद्रोह घोषित हो जाते हैं। आप हम देखते हैं कि जेसिका लाल हत्याकाण्ड, जो सर्वविदित है, सबके सामने हुआ, लेकिन अपराधी बच गये। क्यों बच गये? क्योंकि गवाह पक्षद्रोह घोषित हो गये। गवाह पक्षद्रोह यदि घोषित हो जाए, उसको दण्डित करने का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिये। वहां पर मानिटरिंग करने की आवश्यकता है। आज मुझे नहीं मालूम दिल्ली में यह मुकदमा किस कानून के तहत वापस खोला गया। उच्च न्यायालय से, बड़ी कोर्ट से यदि सज़ा हो जाए तो उसके बाद में फिर से मुकदमा खोला गया, बहुत अच्छी बात है, निश्चित रूप से खोला जाना चाहिये, लेकिन पक्षद्रोही जो गवाह होता है, उसको दण्डित करने का प्रावधान भी निश्चित रूप से किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, आपने केस आफिसर स्कीम लागू की। यह हमारी सरकार ने लागू की। यह बहुत खुशी की बात है कि उसमें आपने अधिकारी को नियुक्त कर दिया कि केस चालान होने के बाद भी सज़ा होने तक वह

(श्री मदन राठौड़)

निगरानी रखे। आज आप जानते हैं कि कोई गवाह गवाही दे देवे, हार्ड कोर क्रिमिनल के खिलाफ उसने गवाही दे दी, कोर्ट में वह गवाह शाम तक पेशी का इन्तजार करता है, पेशी का इन्तजार करते समय कई दलाल लोग भी घूमते हैं, कई धमकियां देने वाले लोग भी होते हैं, उस गवाह को दबा देते हैं, उसको डरा देते हैं कि तुम्हारा हम यह बिगाड़ देंगे। वह गवाह घबरा जाता है। लेकिन आपने केस निस्तारण होने तक जो अधिकारी नियुक्त किया है, निश्चित रूप से इसमें सार्थक लाभ मिलने वाला है।

संगठित अपराधियों के गिरोह और आदतन अपराधियों को बंद करने के लिये आपने प्रावधान किया है, उस पर जब चर्चा होगी तो उस पर मैं बोलूंगा। अभी, सभापति महोदय, समाज में इस प्रकार के भी कई मामले आते हैं, आज कोई कहे, मैं बहुत सीधा हूं, बहुत भला आदमी हूं, लेकिन मौहल्ले के अंदर कोई लड़की को छेड़ रहा है, उस समय जो व्यक्ति अपने मकान की खिड़की बंद कर देता है, मकान का दरवाजा बंद करके यह कहता है कि मैं तो सड़क के बायें-बायें चलने वाला हूं, सीधा हूं, ईमानदार आदमी हूं, झगड़े-फसाद नहीं करता, मैं सोचता हूं कि यह शर्मनाक कृत्य है। सबसे ज्यादा अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम वह सीधा व्यक्ति ही कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में उसे यदि कानून को हाथ में लेना पड़े तो भी लेना चाहिये। आप लोग जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो गृह विभाग है, ये परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सहयोग देने की भावना रखें। इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सभापति महोदय, कई जमानती हैं, कई बड़े अपराधी हैं वे जमानती को उतनी राशि दे देते हैं। वह जमानत दे देता है और वे फरार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पुन: पकड़ने की व्यवस्था होनी चाहिये और कठोर दण्ड और जमानत का प्रावधान भी। जमानती पैसा भर दे, यह पर्याप्त नहीं है। उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये ताकि वह भी भविष्य में फर्जी जमानत नहीं देने पावे। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि कई ऐसे जमानती होते हैं जो पेशेवर जमानती हैं, जो कई बार जमानत दे चुके होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों पर भी निश्चित रूप से अकुंश लगाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, कई अपराधी फरार हैं जो अन्य छ्दम नाम से रहते हैं। मैंने अभी एक बात भी रखी थी कि कई ऐसे लोग भी हैं जो कई बार नाम बदल लेते हैं और नाम बदलकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। दूसरी जगह

(श्री मदन राठौड़)

जाकर टिक जाते हैं। लेकिन कम्प्यूटर प्रणाली इसके लिये निश्चित रूप से लाभप्रद रहेगी। प्रत्येक थाने को कम्प्यूटराइज करने का जो प्रयास किया है, मैं निश्चित रूप से इस निमित्त प्रशंसा करना चाहूंगा। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप वाइंड-अप करें, प्लीज।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, पुलिस के पास में तेज वाहन भी होने चाहिये और इनको सुविधाएं भी निश्चित रूप से दी जानी चाहिये। एक दृष्टान्त है कि एक बार नकली सिंथेटिक दूध से भरा हुआ टैंकर भाग रहा था। पुलिस पीछे जा रही थी। टैंकर के ड्राइवर को जब पता चल गया तो खलासी को उसने ऊपर से पीछे भेजा। उसने सीढियों से नीचे उतरकर उसका वाल्व खोल दिया, वह सिंथेटिक दूध गिरता रहा और पुलिस का अधिकारी पीछे रह गया, क्योंकि उसकी गाड़ी उसका पीछा नहीं कर पा रही थी और वह अपराधी बच गया। इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस को साधन उपलब्ध करवाएं, उपकरण उपलब्ध करवाएं। अपराधियों के पास आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं और उनकी तुलना में पुलिस को भी सुसज्जित करना चाहिये, इस प्रकार का प्रयास करें।

सभापति महोदय, यह थार एक्सप्रेस जो चालू हुई है, मैं उसके बारे में सावधान करना चाहूंगा। बहुत खुशी की बात है कि थार एक्सप्रेस चालू हुई। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में समन्वय, प्रेम का (व्यवधान)... आप बोल देना न, उसमें क्या तकलीफ है? लेकिन यह बीच में रोकने का प्रयास नहीं करें। टाइम की तो वैसे ही कमी है। वह बीच में घंटी बजाते रहेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन इसके माध्यम से करना चाहूंगा कि वहां चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वहां से कई नकली नोट लेकर आने वाले हैं, कई अपराधी आने वाले हैं। कई आतंकवादी आने की और बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके बारे में भी जागरुक रहने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गृह मंत्रीजी को और डी.जी. साहब को भी, हम यहां जब भी जयपुर में आते थे और जब सिग्नल पर हम को गाड़ी रोकनी पड़ती थी तो हमारा ध्यान तो रहता था कि कब ग्रीन सिग्नल हो जाए और इतने में कोई गाडी में से सामान पार कर लेता था, कांच साफ करने के निमित्त कोई आ जाता था। लेकिन आजकल यह देखने को

(श्री मदन राठौड़)

नहीं मिलता है, आपने अंकुश लगाया है। मैं इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, विपक्षी सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बलात्कार के आंकड़े पढ़े, मैं उनके सामने सात वर्षों के केवल कुछेक आंकड़े देना चाहूंगा। 1999 में 1198 बलात्कार के केस हुए, 2000 में 1242, 2001 में 1049, 2002 में 1051 और हमारे समय में 999, अपराध कम हुए हैं। इसके अलावा और भी जैसे डकैती, हत्या, नकबजनी सब अपराधों की संख्या में कमी आयी है। यह बात भी इनको ध्यान रखनी चाहिए। यह पता नहीं किस प्रकार से यह बात रख लेते हैं।

अनुसूचित जाति के अत्याचार के बारे में यह बोल रहे थे कि बलात्कार की संख्या बढ़ी है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 8.33 परसेंट अनुसूचित जाति के और बलात्कार के अपराधों में कमी आयी है। यह इनको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, गम्भीर चोट के मामलों में कमी आयी है, पी.सी.आर. एक्ट में कमी आयी है और अन्य भारतीय दण्ड संहिता में कमी आयी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने केसेज दर्ज हुए हैं उसमें हमारा चालान का प्रतिशत भी बढ़ा है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप प्लीज बैठिये, समय की सीमा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह निश्चित रूप से है और हमारे समय में गृह मंत्रीजी ने इसके लिए बहुत सराहनीय काम किया है, इसके लिए निश्चित रूप से इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आप मेरे जिले के हैं, मैं आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी हूं वहां का, थोड़ा मुझे टाइम दे दें। मैं कोई बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा तो थोड़ा-सा...(व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप विराजें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, यह पक्षपात नहीं चलेगा।

श्री सभापतिः ऐसा है मेरे पास कोई पक्षपात नहीं होता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और ऐसे अपराध हैं स्थानीय, विशेष जिसमें आबकारी हुआ, एन.डी.पी.सी. एक्ट है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, यह तो आपकी सद्भावना का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपकी सद्भावना का नाजायज लाभ उठा रहे हैं यह।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा एक मिनट आप ले रहे हैं, माननीय सदस्य। एक मिनट मेरा आपने खराब कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह तो यों कह रहे हैं आसन को कि मैं जिलाध्यक्ष हूं, यह आसन को प्रभावित करना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: मैं किसी से प्रभावित नहीं होता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, माननीय सदस्य, मैंने केवल निवेदन किया।

श्री सभापति: प्लीज, अब आप विराजो। माननीय बाबूलालजी नागर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि लेबोरेटरी की जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी जालौर में कुछ मुकदमे दर्ज हुए, मैंने अखबारों में पढ़ा कि एन.डी.पी.सी. के मुकदमे दर्ज हुए, बाद में समाचार पत्रों में आया कि वह कोई लाइन का पाउडर मिल गया। बहुत आश्चर्य की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुलिस को ऐसे उपकरण उपलब्ध करवाएं कि पुलिस खुद ही निर्णय कर सके कि यह शराब है कि नहीं है, या यह किस प्रकार का पाउडर है। ऐसे कई निरपराध लोगों को बचाने में आपको सहयोग मिलेगा, आप यदि इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवा सकें पुलिस को। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस को आप मोबाइल भी उपलब्ध करवाएं। उनके पास निश्चित रूप से वायरलैस सैट तो है।

श्री सभापति: अब आप रिपीट नहीं करें, आप विराज जाएं प्लीज।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनको आप डीजल कितना देते हैं, इनको पैट्रोल कितना देते हैं, इसके बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आप लिमिटेड पैट्रोल देते हैं फिर आप कहेंगे यह पूरी गश्त कर ले, पूरी मानिटरिंग कर ले, यह संभव नहीं है। अधिकारियों की भी, मंत्रियों की भी और कई नेताओं की भी इनको एस्कोर्टिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा मैं आप से यह

(श्री मदन राठौड़)

और निवेदन करूं कि पुलिसकर्मियों को आप जब बसों में भेजते हैं, आप वारंट तो देते हैं उनको लेकिन कई बार वो घर जाते हैं, वारंट नहीं देते। इनका फ्री पास इनको निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा कई सुझाव हैं लेकिन आप बहुत आज तो मौका नहीं दे रहे और थोड़ा-सा उकसा भी दिया माननीय सदस्य ने, तो आज मेरी सारी तैयारी धरी की धरी रह गयी।

श्री सभापति: ऐसा है मेरे को तो उकसाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमा है करीब 30 माननीय सदस्य और बोलने हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभी कारागार पर बोलना बाकी था, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: नहीं, अब ठीक है। धन्यवाद।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, पुलिस की मांग पर मुझे आपने बोलने का समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। इस सदन के अधिकतर माननीय सदस्य चर्चा करते हुए बात करते हैं कि हमारा राज आया तो अपराध बढ़ गये या घट गये। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह समय अपराध बढ़ गये या घट गये इसकी चर्चा करने का नहीं है, यह समय आत्म चिन्तन करने का समय है। 58 साल से ज्यादा समय हमारे मुल्क को आजाद हुए हो गया, आज किसी भी पार्टी का राज हो, चाहे राजस्थान में किसी का हो चाहे भारत में किसी का हो, क्या आज भी कोई महिला मन्दिर जाना चाहे तो वह आराम से मन्दिर जा सकती है? कोई बालिका, कोई छात्रा कॉलेज पढ़ने जाना चाहे तो कॉलेज पढ़ने जा सकती है? या बाजार में कोई महिला सामान खरीदने जाए तो वह सकुशल घर लौट कर आ सकती है? मैं समझता हूं इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए।

माननीय गृह मंत्रीजी का निश्चित रूप से इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं, पिछले 15-20 साल से कई गृह मंत्री और कई सरकारें मैंने भी देखी हैं लेकिन यह बात सत्य है, सभापति महोदय कि वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं, कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर राजस्थान में इनके लिए एक भी व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि गृह मंत्रीजी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या आपके स्तर पर कोई भ्रष्टाचार होता है। लेकिन गृह मंत्रीजी पूरी नेक-नीयत से, ईमानदारी से काम करें तो भी पूरे राजस्थान का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो

(श्री बाबूलाल नागर)

सकता है। प्रश्न यह है, आज यह भी हमें चिन्तन करना चाहिए, कि जिस मंशा से गृह मंत्रीजी पुलिस विभाग को चलाना चाहते हैं क्या उस मंशा से उस स्तर के अधिकारियों को फील्ड में पोस्टिंग दे सकते हैं? क्या जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर थानों में चयन करके मैरिट के आधार पर कोई अधिकारी को लगा सकते हैं? पिछले चार-पाँच साल से मैं देख रहा हूं, जब से, गृह मंत्रीजी डेढ़-दो साल से गृह मंत्री बने हैं तब से नियमित रूप से सुबह और शाम जनता से मिलते हैं। यह बात सही है। सुबह भी आपका निश्चित समय है, कोई भी आए अपनी बात कहे। शाम का भी निश्चित समय है, कोई भी आए, अपनी बात कहे। परन्तु, गृह मंत्रीजी, यह चिन्तन करने का मामला है कि जो आदमी आप से आकर मिल लेता है, आपने सम्बन्धित अधिकारी को, जिले के एस.पी. को या आई.जी. को फोन कर दिया, उसकी जांच करने की बात की उसको न्याय करने की बात की, क्या हम आत्म चिन्तन करते हैं कि आपके दूरभाष से फोन करने के बाद भी कितने मामलों में पुलिस उस मामले को गम्भीरता से लेती है, कितने मामलों में न्याय हो पाता है? कई बार तो, सभापति महोदय, ऐसा होता है कि एक-एक प्रकरण की दस-दस बार तफ्तीश बदल जाती है, दो-दो, तीन-तीन बार आई.जी. ऑफिस से उस प्रकरण के सम्बन्ध में मुल्जिमान को अरेस्ट करने के आदेश होते हैं, जैसे ही पुलिस फाइल सम्बन्धित डिप्टी के यहां पहुंचती है, गृह मंत्रीजी, फिर उसकी तफ्तीश बदल जाती है। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भी, सभापति महोदय, पुलिस की ज्यादा जरूरत किस को है? गरीब आदमी को है, दु:खी आदमी को है, परेशान आदमी को है।

ऐसे समय आपने पुलिस की बुकलैट उपलब्ध करायी, इसमें जो आंकड़े लिखे हैं, इस वर्ष अपराध कम हुए हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हत्या में 2002 से 03 में 11 परसेंट बढ़ोतरी हुई, 2003 से 04 में 46 परसेंट बढ़ोतरी हुई। 2003 में 31 अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की हत्या हुई, 2004 में 60 हुई, 2005 में 67 हुई। यह आपको मानना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ हत्या के अपराध बढ़े हैं, ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुआ है। 2003 और 2005 तक हत्या के अपराध की अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति 63.41 परसेंट बढ़ोतरी हुई है।

सभापति महोदय, सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार

(श्री बाबूलाल नागर)

निवारण कानून का प्रोविजन कर दिया और कई जिलों में आपने सी.ओ. कार्यालय भी खोल दिया। मैं चाहूंगा, एक तो राजस्थान के तमाम जिलों में ये अत्याचार के कार्यालय होने चाहिए। अभी राजस्थान में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर आपके कार्यालय नहीं हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको प्राथमिकता से लें और तमाम जिलों में आपके ये कार्यालय होने चाहिए।

अब मैं एस.सी., एस.टी. एक्ट की बात करता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण का मेरा अनुभव है पिछले दो साल का, कम से कम दस, पन्द्रह, बीस बार तो हमारे आई.जी. साहब के, हमारे एस.पी. साहब के, हमारे गृह मंत्रीजी के मैंने पत्र लिख-लिख कर भिजवाया है कि यह प्रकरण हमारा अनुसूचित जाति अत्याचार का है, यह दर्ज नहीं हो रहा है।

उनके हस्तक्षेप से थानों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वर्ना एस सी एस टी के लोगों के थानों में मुकदमे दर्ज नहीं होते। 2003 में पूरे राजस्थान में 203 मुकदमे दर्ज हुए, 2004 में 173 दर्ज हुए, 2005 में 122 दर्ज हुए, पूरा प्रयास करते हैं तथा बहुत मुश्किल से मुकदमा दर्ज होता है। माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाह रहा हूं, एस सी एस टी एक्ट में तफ्तीश की पोजीशन देखिए, 2004 में 173 मुकदमे दर्ज हुए पूरे राजस्थान में। आपने 117 पर एफ आर लगा दी, 74 प्रतिशत मुकदमे झूठे पाये गये। मेरा आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, कम से कम गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं करें। इतने अत्याचार होते हैं आए दिन, मेरे पास अखबारों की कटिंग है, कहां कहां दलितों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहां कहां घोड़े से उतार रहे हैं, कहां कहां दलितों की हत्याएं कर रहे हैं, कहां कहां दलितों की जमीन छीन ली है, कहां कहां उनके मकान छीन लिए, कहां कहां उनको गांव से भगा दिया है, ऐसे समय आपका अन्वेषण विभाग 74 प्रतिशत मुकदमे झूठे मानता है। 2005 में 122 मुकदमें दर्ज हुए पूरे राजस्थान में, 83 मुकदमों में एफ आर लग गयी। पहले 74 प्रतिशत मुकदमे झूठे पाए गए 2004 में और 2005 में 74.11 प्रतिशत, और बढ़ा दिये गये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाह रहा हूं कि एस सी एसटी, गरीब लोगों के साथ आप तो खुद इस बात के साक्षी होंगे, आप जनता से इतना मिलते हैं, मेरा दावा है कि जितना आप मिलते हैं राजस्थान के मंत्रिमण्डल में एक भी व्यक्ति, एक भी मंत्री इतना जनता से नहीं

मिलता होगा, नियमित आपकी सिटिंग है। पचास आदमियों से अगर आप मिलते हैं तो बीस आदमी अनुसूचित जाति जनजाति के इसलिए आते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज करवाइये। उनमें अधिकतर लोग इसलिए आते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो गया और अन्वेषण अधिकारी अभी तक हमारी तफ्तीश करने ही नहीं आया। मेरा निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है ..

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मैं तो मुश्किल से दो मिनट ही लूंगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आपने बजट पेश किया, उस बजट में एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, अपराधी नये नये तरीके अपना रहे हैं, मुझे तो कहीं ऐसा देखने को ही नहीं मिला कि पुलिस को इस वर्तमान समय में इतनी ज्यादा कहीं भर्ती की आवश्यकता है या साधनों की आवश्यकता है या गाड़ियों की आवश्यकता है या उनको अधिक अलग अलग हथियारों की आवश्यकता है। पूरे हिन्दुस्तान में अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं। मेरे नेशनल हाई-वे पर थाना है दुदू पुलिस स्टेशन नेशनल हाई-वे पर है, गृह मंत्रीजी खुद साक्षी हैं, एक प्रोग्राम में आप किसी गांव में गये, दो ट्रकों ने सत्तर-अस्सी भेड़ों को दबा दिया। गृह मंत्रीजी के साथ जो पुलिस चल रही, उसने उस ट्रक को बंद कर दिया। लेकिन जिस क्षेत्र का थाना पड़ता था वह थाने का इन्चार्ज एक डेढ़ घंटे तक इसलिए नहीं पहुंचा कि नेशनल हाई-वे के थाने पर खाली एक गाड़ी थी, वह गाड़ी और किसी गांव में चली गई और उस एस एच ओ को घटना स्थल पर आने के लिए व्हीकल नहीं था इसलिए डेढ़ घंटे तक नहीं पहुंचा। कम से कम नेशनल हाई-वे के थानों पर आपकी गश्त की जो भी गाड़ी होती है वह अलग होनी चाहिए। ऐसे थाने जो नेशनल हाई-वे पर हैं, कम से कम दो-दो जीप तो हर थाने में होनी चाहिए जिससे तुरंत गति से पहुंचा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे रिलायंस पैट्रोल पम्प पर एक डकैती हो गई दूदू में, पुलिस वालों को फोन कर दिया गया समय पर। रिलायंस पैट्रोल पम्प जहां मुल्जिमों ने फायर किये, कट्टे चलाये, पुलिस ने अपनी आंखों से मुल्जिमों को देख लिया, वे डंडा कूदकर नरैना की साइड में चले गये। नरैना जो पुलिस स्टेशन है उस समय उनके पास जीप नहीं थी। रिलायंस पैट्रोल पम्प लूटने वाले वो डकैत लोग आज तक पकड़ में नहीं आए। अगर

(श्री बाबूलाल नागर)

पुलिस के पास साधन हों, पूरी व्यवस्था हो, हथियार हों, जो पुलिस वाले आये उनके पास कोई हथियार ही नहीं थे, उनके पास कट्टे थे, उनके पास कई तरह के हथियार थे, उन्होंने हिम्मत ही नहीं जुटाई।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री जीतमल खांट ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं दो मिनट ही लूंगा। मैं कोई आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को ही नहीं पूरे सदन को निवेदन करना चाह रहा हूं, आज गरीब आदमी मुश्किल से मजदूरी करके रोजी रोटी कमाता है और उसको शादी ब्याह करने का भी एक तरह से सरकार ने अधिकार नहीं दिया है वह कहीं घोड़े पर बैठ नहीं सकता है।

श्री सभापति: अब आप रिपीटीशन नहीं करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मेरा निवेदन है, अगर आत्म चिंतन करना है, पुलिस की सफलता आंकनी है तो हम लोगों को यह चिन्तन करना पड़ेगा कि बेकसूर आदमी, गरीब आदमी जो दुःखी आदमी है, क्या वह मजदूरी करके भी चैन से दो वक्त की रोटी कमा सकता है। आपके माध्यम से मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपने संबोधनों में माननीय गृह मंत्रीजी की कार्य प्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए आपको बेदाग व्यक्तित्व का धनी बताया है। मैं आपके माध्यम से उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। वाकई राजस्थान के पुलिस प्रशासन को किस तरीके से चुस्त-दुरूस्त किया जाए, गरीब व्यक्ति को किस तरीके से सस्ता न्याय दिलाया जाए, आपने अपने कार्य में एक नया ढंग अपनाकर राजस्थान की गरीब जनता का विश्वास जीतने का जो काम किया है, आप वाकई प्रशंसा के पात्र हैं ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पुलिस प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी वाकई काफी संवेदनशील, पारदर्शी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और त्याग और सेवा भावना के साथ में काम करने वाले हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। समय समय पर जहां पर भी अपराध प्रवृत्ति

(श्री जीतमल खांट)

के लोग आम जनता में खौफ पैदा करना चाहते हैं, अपनी पारदर्शिता के साथ में आम जनता में जो विश्वास बना है उस विश्वास को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों और गांवों के इलाकों में पुलिस का कार्य करने का जो तरीका है, उसमें थोड़ा-सा फर्क है। माननीय सभापति महोदय, आप राजस्थान के उस दक्षिणी हिस्से से आते हैं राजस्थान का जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, उस उदयपुर संभाग के चप्पे चप्पे का आपको ज्ञान है। जनजाति क्षेत्र में रहकर राजनीतिक जीवन का अनुभव लिये आप इस राजस्थान का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक छोटा-सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा।

श्री सभापतिः आप तो उदाहरण के चक्कर में मत पड़ो, अपनी बात बता दो फटाफट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): फटाफट ही बता रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, घटना 11 नवम्बर 2005 की है, मेरे बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र का सलोबाड़ कस्बा पुलिस थाना गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। उस सलोबाड़ का पास का कस्बा, गुजरात की सीमा पर बिलकुल सटा हुआ मोनाडूंगर और उस स्थान पर जय महाकाली पैट्रोल पम्प की जगह, पुलिस विभाग और आबकारी के संयुक्त तत्वावधान में उस पैट्रोल पम्प पर रेड डाली गयी। वहां कम से कम 15 लाख रुपये की शराब पकड़ी गयी। मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिये तो कि वहां के एस.पी. महोदय ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया। जो शराब पकड़ी उसके पैकिटों पर दमन लिखा था और चंडीगढ़ की निर्मित शराब थी जिसका नाम था एट पी.एम., रिडको गोल्ड, व्हाइट हाल, सिल्वर स्टार। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण इसलिये दे रहा हूं कि गुजरात-राजस्थान की सीमा जहां पर 24 घंटा पुलिस स्टेशन है और वहां पर 15 लाख की शराब पकड़ी जाती है, यह 11 नवम्बर की घटना है, अपराधी आज दिन तक नहीं पकड़ा गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि आदिवासी लोग पीकर अपना जीवन बर्बाद करें। लेकिन दो बोतल कहीं लेकर जाते हैं, चलते हुए रास्ते में पकड़े जाते हैं। कहीं दो बोतल दारू निकालता है, पुलिस उसी समय उसको गिरफ्तार करके सलाख में डाल देती है। मैं आपके माध्यम से गृह

मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, सीमावर्ती थाने पर सिपाही से लगाकर थानेदार तक दिन रात अपराधी के वहां अपनी पार्टियां करते हैं और सारे के सारे उस इलाके के अन्दर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से, संगठित अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से मिलकर कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा आदिवासी क्षेत्र है, चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झाड़ोल, फलासियां का मामला हो, अपराध हमारे क्षेत्र में इसलिये भी बढ़े हैं कि शराब की नीति ऐसी है। खुली शराब की नीति के चलते। जितने भी राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री रहे, हमारे उदयपुर संभाग को ड्राई एरिया हमेशा रखा गया था, इसलिये अपराधों के अन्दर ग्राफ नहीं बढ़ा। इस समय शराब के संगठित माफिया गिरोह पूरे आदिवासी इलाके के अन्दर योजनाबद्ध तरीके से अपने कई कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर में आये दिन ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि हमारा पुलिस प्रशासन पूर्णतया पारदर्शिता के साथ काम करे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जितना भी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति फरियादी के तौर पर वहां पहुंचता है, सभापति महोदय, जो मार खाकर जाता है, वहां सबसे पहले फरियाद करता है। उस पुलिस थाने के अन्दर पहले से एक सिपाही या एस.आई. इस तरीके के लोग तैयार और तैनात है कि जो लोग फरियाद करने के लिये आते हैं, उसके आधा घंटे या एक घंटे के बाद क्रास मुकदमा उस व्यक्ति के लिये तैयार हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जलील हुआ है, जिसने मार खायी है, जो उसके मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर वह थाने पर पहुंचता है और चंद घंटों के अन्दर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर उसके पास में पैसा नहीं है तो उसका सही तरीके से अनुसंधान नहीं होगा। उसके पास पैसा अगर नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करा सकता। अगर उसके पास में पैसा नहीं है तो अच्छी धारा नहीं लग सकती। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं...

श्री सभापतिः अब आप समाप्त कर दें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उदयपुर संभाग के अन्दर जितना भी

ट्राइबल क्षेत्र है, पुलिस महकमे के द्वारा सबसे ज्यादा आदिवासी को लूटा जा रहा है। गृह मंत्रीजी बेदाग व्यक्तित्व के धनी हैं, हमें मालूम है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। आप 24 घंटे जहां कहीं भी टेलीफोन मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, बात करने के लिये तैयार रहते हैं, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को लूटा जा रहा है, आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण हो रहा है। पुलिस महकमे की संगठित अपराधियों के माध्यम से इस तरीके की प्रवृत्तियां फैलती जा रही हैं। उदयपुर संभाग के अन्दर आप नेतृत्व करते हैं, माननीय कटारियाजी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने उदयपुर संभागवार और जिलेवार एक अभियान चलाया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तो आपकी गोद में हैं, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो लम्बे समय से एक जगह पर बैठे हुए हैं, वहां पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिये रुपया लेते हैं, धारा लगाने के लिये पैसा लेते हैं, मेहरबानी करके ऐसे अधिकारियों को, समय-समय पर हम आपके नोटिस में भी डालते रहते हैं...

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री हीरालाल।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आप ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए, जहां भी फील्ड पोस्ट पर लगा रखा है इनको तुरन्त हटाओ। राजस्थान में पुलिस महकमे में जो आपने पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है इसके लिये मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द, जयभारत।

श्री सभापति: माननीय श्री हीरालाल। (अनुपस्थित) श्री नवनीत लाल नीनामा। (अनुपस्थित) श्री अर्जुन लाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री नवरतन राजोरिया।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

आज सवेरे से ही मांग संख्या 16-पुलिस प्रशासन और मांग संख्या 17-कारागार पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने आज पुलिस बल और कारागार पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को छोड़ दें तो आज सदन सर्वसम्मति से इस बात पर एकमत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार

(श्री नवरतन राजोरिया)

आने के पश्चात् पिछले दो वर्षों में बढ़ते हुए अपराधों को कम किया गया है, अपराध कम हुए हैं। कोई से भी अपराध, विविध अपराधों की जो भी श्रेणी है, वे अपराध कम हुए हैं। इस बात के लिये माननीय गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब से आपने गृह विभाग संभाला है पुलिस प्रशासन की बदौलत, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बदौलत अपराध राजस्थान में कम हुए हैं। राजस्थान में अपराध कम हुए हैं लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो राजस्थान की जनता को सुखी और शांति से देखना नहीं चाहते हैं, वे ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं राजस्थान की आम जनता की सुख-शांति भंग हो, माहौल खराब हो। अभी कुछ दिनों पहले ही हकीकत की हकीकत सामने आयी। कोटा में तनाव उत्पन्न हुआ। कोटा में तनाव उत्पन्न होने के साथ-साथ पूरे राजस्थान में भी माहौल खराब हुआ। यही नहीं, इस सदन के माननीय सदस्यों ने बार-बार ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि चार दिन तक यह सदन हकीकत की हकीकत के कारण चल नहीं सका।

सभापति महोदय, कल मैं ई टी.वी. पर समाचार सुन रहा था, उस पर एक सी.डी. दिखायी जा रही थी। आज यह एक प्रचलन चल पड़ा है, प्रचलन इस रूप में कि कोई भी प्रसिद्ध लेखक हमारे देवी-देवताओं पर अश्लील भाषा का उपयोग करते हुए कोई पुस्तक छाप देता है। कोई चित्रकार हमारे देवी-देवताओं के अश्लील चित्र प्रकट कर देता है। उसी प्रकार कल ई.टी.वी. पर जो दिखाया जा रहा था उसमें रामायण की एक सी.डी. बनाकर उसमें अश्लील गानों के साथ राम और सीता के चरित्र को, हनुमान को इस प्रकार से किया जा रहा था जैसे कि फिल्मी हीरो करते हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सी.डी. क्यों आती है, टी.वी. पर क्यों आती है। आने से पहले ही जिसने भी यह दोष किया है, वह अपराध करता है, उसको वहीं रोक देना चाहिए ताकि आम जनता में जो मैसेज जाता है वह माहौल खराब नहीं हो। एक गलत संदेश के साथ में यह जान-बूझकर किया जा रहा है । इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। आज आईपीसी में प्रावधान होंगे लेकिन नये-नये तरीके खोजकर अपराधों को बढ़ावा देने वाले लोग वह अपनी थोथी प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं ऐसे आचरण करने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए । उन्हें ऐसे अपराध से रोकने के लिए, ऐसे कृत्य करने से रोकने का प्रावधान करना चाहिए ।

(श्री नवरतन राजोरिया)

सभापति महोदय, आज मैं इस बात के लिए माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बलात्कार, डकैती, लूट, हत्याएं पूर्ववर्ती सरकार की बनिस्पत इस सरकार के आने के बाद इनमें कमी आयी है। पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ है लेकिन कम हुई हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हम हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से बाल अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। खुल्लम-खुल्ला पुलिस संरक्षण में निहत्थे लोगों को अपराध में फंसाया जाता है, उसकी ओर भी माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अपराध जो करता है वह कितनी ही पहुंच वाला हो लेकिन वह अपराधी है। उसके प्रति आज पुलिस अधिकारी, उच्चाधिकारियों की मैं नहीं कहता लेकिन जो थानों में बैठे हैं वे अपराधियों से मिलीभगत करके उन लोगों को संरक्षण देते हैं। अगर कोई पीड़ित पक्ष जाता है या तो उसकी एफ.आई.आर. लॉज नहीं की जाती है और अगर कर ली जाती है तो उस पर एफ.आर. लगा दी जाती है या अपराधियों को संरक्षण देने के हिसाब से उसमें कोई कमी रख दी जाती है। चालान पेश ही नहीं होता है। जब तक सज़ा नहीं मिल जाए अपराधी को, पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल जाए जल्दी से जल्दी तब तक पुलिस विभाग का काम पूरा नहीं हो जाता। इसमें आज सुधार की आवश्यकता है। सभापति महोदय, बोलना ही प्रारंभ किया है, पाँच मिनट तो मुझे अवसर देवें।

श्री सभापति : बोलें, बोलें।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): सभापति महोदय, मैं तो निवेदन यह कर रहा था कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार की घटना का जिक्र किया, चार दिन में चालान पेश हो गया। उसी प्रकार से अगर पुलिस विभाग सात दिन, पंद्रह दिन या ज्यादा से ज्यादा एक महीना करे, आप समय सीमा बांधेंगे, अगर अपराधियों के खिलाफ चालान पेश करने के लिए कार्य करते हैं तो पीड़ित पक्ष को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सकता है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में आप आये, किशनगढ़-रेनवाल थाने का आपने उदघाटन किया, नवनिर्मित थाने का आपने उदघाटन किया। इसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उदघाटन के समय में आपने जो घोषणाएं की थीं कि पुराना जो किशनगढ़-रेनवाल शहर में थाना था उसको चौकी बना दिया जाए, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, लगभग 70 हजार की आबादी का वह कस्बा है और उसके अंतर्गत 20 पंचायतें हैं । लगभग डेढ़

(श्री नवरतन राजोरिया)

लाख आबादी को वह थाना संभालता है, कानून और सुरक्षा की व्यवस्था करता है। लेकिन वहां आज स्टाफ में मात्र एक एस.आई. और पांच सिपाही कार्यरत हैं। सभापति महोदय, यह एक ही थाने की स्थिति नहीं है। हर थाने की यह स्थिति हो गयी है। आज स्टाफ की कमी हो रही है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आपने कोशिश भी की है, पिछली बार चार हजार सिपाहियों की भर्ती करके आपने नियुक्ति दी है, लेकिन और भी आवश्यकता है, नफरी बढ़ाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जयपुर महानगर है, लगभग 50 लाख की आबादी है। उसमें मात्र 140 पुलिस हैं, कंट्रोल जो करते हैं 12 गाड़ियों में। जयपुर महानगर में 50 ऐसे पुलिस कंट्रोल चिह्नित कर रहे हैं और जो स्टाफ की कमी होने के बावजूद 50 जिप्सियां, पुलिस की गाड़ियां खड़ी करते हैं। छेड़छाड़ के मामले हों, कोई चोरी-चकारी का मामला हो, संवेदनशील स्थान होते हैं वहां पुलिस की कंट्रोल जिप्सियां खड़ी होना आवश्यक है। अगर 50 स्थानों पर जिप्सियां खड़ी करने की आवश्यकता है तो 600 पुलिस के पद जिसमें एक ड्राइवर, एक जिप्सी का इंचार्ज और दो सिपाही, चार व्यक्तियों की आवश्यकता है।

तीन बार भी ड्यूटी देते हैं तो 12 लोगों की आवश्यकता होती है, अगर अपन 50 चिह्नित करते हैं तो लगभग 600 सिपाहियों की जयपुर महानगर में आवश्यकता होती है, अन्य शहरों में भी आवश्यकता हो सकती है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): मैं कारागार विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आपने सांभर में उप कारागार बनाने के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको फुलेरा और सांभर की जनता की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन आज अगर कारागार की स्थिति देखें तो वहां स्टाफ की बहुत कमी है, सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रकार का वर्णन आता है, वहां पर अपराधियों को सुविधाएं मिली हैं लेकिन स्टाफ को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अपराधियों के लिए बाहर से शराब, सिगरेट जो भी आवश्यकता होती है वहां तक पहुंच जाती है। आज उसको रोके जाने की आवश्यकता है। जेल जेल ही रहनी चाहिए, अपराधियों के लिए सुविधा का क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। मैं माननीय

गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस स्टाफ के लिए, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आपके मन में संवेदनशीलता की भावना है, संवेदनशीलता है, आपने उनके प्रति सोचा है, पिछले दिनों का आपका एक निर्णय इस बात का द्योतक है, कि पुलिस के अधिकारी हों या कर्मचारी हो या सिपाही हों, उनको तनाव मुक्त रखने के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलना आवश्यक है। इस बात का एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। जिस प्रकार आपने उनके परिलाभों के लिए सोचा है उसी प्रकार मैं कारागार विभाग की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पंजाब, बिहार और अन्य स्थानों पर उनको जो परिलाभ मिलते हैं वे राजस्थान के कारागार विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं मिल पाते हैं। मैं वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन आप उनको भी देखें। इनको भी उसी प्रकार के परिलाभ दिए जाने चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): जम्मू कश्मीर और पंजाब के आतंकवादी यहां पर जेलों में रहने के लिए आते हैं, यहां के जेल स्टाफ को किस प्रकार के आतंक के साये में और कठिनाइयों में रहना पड़ता है। इनको भी वे सुविधाएं जो अन्य राज्यों ने मुल्ला कमीशन लागू करके दी हैं, राजस्थान में भी मुल्ला कमीशन को लागू करके वे परिलाभ दिए जाने चाहिए। मैं तो वर्णन करना चाहता था संक्षेप में कि उनकी जो स्थिति सामने आई है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दें। अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम लाभ इनको मिल पा रहा है। साथ ही नफरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। अराजपत्रित कर्मचारियों के कारागार विभाग में 619 पद रिक्त हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, अगर इन सभी खाली पदों को ही भर दिया जाए तो काफी सुधार हो सकता है।

सांभर में आपने जेल बनाने की स्वीकृति दी है, उसके लिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए ताकि वहां लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए एक बार पुन: आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय,

आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का आदेश किया है। काफी कुछ विषय आ गये हैं, आंकड़े भी खूब आ गये हैं इसलिए उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ...(व्यवधान)... आदत से मजबूर हैं।

श्री सभापति: आप तो मुद्दे की बात पर आ जाएं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार में जितने भी जनता के उपयोग में आने वाले विभाग हैं, मैं समझता हूं कि उन सारे विभागों के साथ गृह विभाग जुड़ा हुआ है। सभी विभागों में कोई न कोई कमी या कसर होती है, कहीं जनता के द्वारा आन्दोलन हो गया या जनता को कोई तकलीफ हो गई तो तुरन्त वहां गृह विभाग का काम हो जाता है।

पहले कई विषय बीच में आए तो यह कहा गया कि यह गृह विभाग का नहीं है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हर विभाग में गृह विभाग का कहीं न कहीं हस्तक्षेप होता है या करना पड़ता है। आज पूरे सदन ने माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी की कार्य कुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इसके लिए मैं पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं। असलियत में प्रतिपक्ष के बन्धुओं ने सही बात कहने की हिम्मत की है, इसके लिए भी मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। यह वास्तविकता है कि गृह विभाग के माध्यम से पूरे राज्य के अन्दर जो स्थिति बनी है, चाहे वह अपराधों का नियंत्रण हो, चाहे किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो जिससे पूरा प्रदेश हिल जाता है, उन घटनाओं में कमी हुई है। जैसे अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया कि मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकवादियों को पकड़ने की हिम्मत की है, इसके कारण से पूरे राजस्थान के जन मानस में गृह विभाग और पुलिस विभाग के प्रति स्नेह बढ़ा है, इसके लिए मैं गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुलिस ने अवैध शिकार और खालों का व्यवसाय करने वालों की धरपकड़ की है, उसके लिए भी वह बहुत-बहुत तारीफ के काबिल है।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के माने हुए अर्थशास्त्री और माने हुए ज्योतिषाचार्य हैं, पिछली सरकार के गृह मंत्री और इस सरकार के गृह मंत्री, जिनके कारण एक सरकार डूबी है और जिनके कारण एक सरकार तरी है, उन्होंने पांच शब्दों का एक मंत्र बताया था। वह पाँच शब्दों का मंत्र बहुत जोरदार मंत्र है। अगर प्रतिपक्ष के बन्धु चाहें तो मैं वह मंत्र बता सकता हूं

जिन पाँच शब्दों के कारण वह पूरी सरकार गिरी।...(व्यवधान)...नहीं, वह तो आप चाहें तो। देखो, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुम्बई में हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलोजर इकट्ठे हुए, उन्होंने भी बताया, इसलिए मैं कह रहा हूं। पाँच शब्दों में उन्होंने दो गृह मंत्रियों का माप तौल किया कि इन पांच शब्दों के मंत्र का दुरुपयोग हुआ उसके कारण से कांग्रेस की सरकार डूबी। जिस गृह मंत्री ने उन पाँच शब्दों का उच्चारण किया, उस कारण से यह वसुन्धराजी की सरकार तर गई है। अपने आप में एक अच्छा लाभ प्राप्त कर रही है, एक अच्छी इमेज खड़ी कर रही है। वह पांच शब्दों का मंत्र है, बाद में कहूंगा, जरा इनके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए। (व्यवधान) बताए क्या? हमारे भगवान अगर कुछ कहें, ब्राह्मण देवता बृजकिशोरजी को आवश्यकता हो तो बताऊं? (व्यवधान) आपका आदेश हो तो बता दूं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सदस्य, मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, लेकिन आपने कहा है यह पाँच शब्दों का मंत्र है, वह आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): नहीं, वह चार शब्दों का मंत्र था। वह मैं बता देता हूं। हम राजपुरोहित हैं, हम कोई पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, हम तो आपको हकीकत चीज बताते हैं। हकीकत मैं आपको बताऊंगा, वह पाँच शब्दों का मंत्र था, 'सी डी काण्ड' और यह भूतपूर्व गृह मंत्रीजी के साथ जुड़ गया जिसके कारण से कांग्रेस की सरकार को एक कठघरे में खड़ा होना पड़ा। हमारे गृह मंत्रीजी ने इसका अच्छा उच्चारण किया, वह पाँच शब्दों का मंत्र है 'खुली किताब'। इन पांच शब्दों के फर्क से एक सरकार गई और एक सरकार तर गई। माननीय गृह मंत्रीजी, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्वरूप इस सरकार ने पैदा किया और जो काम हुए उन सभी बिन्दुओं को दोहराया गया है। मैं उन बिन्दुओं को दोहराता नहीं हूं लेकिन इस देश की संस्कृति, इस राज्य की सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें कुछ हकीकत के बिन्दुओं पर आना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति यह कहती है, जब पारसी विदेश से आये और हमारे शासक के पास पहुंचे तो हमारे शासक ने एक गिलास में दूध और एक गिलास में शक्कर, अलग-अलग भेजा। उन पारसी बंधुओं ने शक्कर को दूध में घोलकर भेजा और यह कहा कि समाज के साथ हम इस प्रकार से घुलमिल जाएंगे। पूरे समाज ने उन्हें गले लगा लिया। यह इस देश का हिन्दू चिन्तन है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने ठप्पा लगाया है

कि हिन्दू एक जीवन पद्धति है, हिन्दू एक चिन्तन है, यह कोई धर्म नहीं है। बाकी सभ्यता, संस्कृति बाहर से आयी हैं, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे मुस्लिम हो, हमने उनको गले लगाया है। लेकिन मैं गृह मंत्री महोदय को इस बात के लिए सचेत करता हूं इस 'हकीकत' के विषय पर कि वास्तव में इस देश के आराध्य प्रमुख श्रीराम पर अगर कोई अंगुली उठाएगा तो निश्चित रूप से इस देश का एक-एक बंधु गूंजेगा, एक-एक बंधु के मान और सम्मान को ठेस पहुंचेगी। बृजकिशोरजी, आपको भी निश्चित रूप से ठेस पहुंची होगी। हमें भी पहुंची है। लेकिन मैं गृह मंत्री महोदय को आगाह करता हूं कि जिस हकीकत के जरिये थामस के इंस्टीट्यूट पर छापा मारा है और जिन बच्चों के स्टेटमैंट लिये हैं, उन बच्चों के स्टेटमैंट में बच्चों ने कहा है कि हमें गाय का मांस खिलाया है, उन इंस्टीट्यूट के बच्चों को वे कहीं गायब न कर दें। यह मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन बच्चों की सुरक्षा की जवाबदेही भी आप पर होगी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अननेसेसरी मेरा नाम न लें तो ज्यादा अच्छा है। सभापति महोदय, आप इसको एक्सपंज कर दें, मेरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): क्षमा करें।

श्री सभापति: ऐसा क्या है? आप मुद्दे की बात करें, रिपीटीशन करने की आपको क्या आवश्यकता है?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं इनके नाम को वापस लेता हूं ..(व्यवधान).. माननीय गृह मंत्री महोदय, बच्चों के स्टेटमैंट हैं, उनको बिलकुल रिकार्ड में रखें और उन बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था करें, उन बच्चों को कहीं गायब न कर दें। बच्चों के जरिये इस देश के अंदर जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के अंदर हमें कई प्रकार की गुफाएं मिलेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, इस देश की सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगती है, सीमान्त क्षेत्र में रहने वाला बंधु भी कभी आशा, अपेक्षा करता है कि कोई सरकार हमारे द्वार पर आएगी, यह पहली बार हुआ कि गृह मंत्री ने स्वयं सीमान्त क्षेत्र का दौरा किया। चाहे वहां कार्य करने वाले सुरक्षाकर्मी हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, सीमान्त क्षेत्र में रहने वाले बंधु हों, उनमें आत्मविश्वास जगाया है, इसके लिए मैं गृह मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। माननीय श्री बनवारीलाल शर्मा।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक मिनट में। मैं मेरे एक-दो मुद्दे और ले लेता हूं, फिर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: अभी कोई दूसरा विषय था क्या?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, एक विषय अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि जयपुर में कमिश्नर पद्धति होनी चाहिए। वास्तव में यह देश के बड़े-बड़े शहरों में हो रही है। कलक्टर के पास इतना बड़ा लोड होता है कि तीन-तीन हजार उसके पास प्रकरण होते हैं, दो परसेंट प्रकरण भी निस्तारित नहीं हो पाते हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं कर पाते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, बहुत बड़ा जौहरी मार्केट है, कई व्यवस्थाएं पुलिस को लेने के लिए कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, उतने समय में पीछे अंधेर नगरी हो जाती है इसलिए कमिश्नर व्यवस्था यहां पर लागू करना अपने आप में उपयोगी रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, बार्डर पर जो गोवंश की तस्करी होती है, मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि यह कानून पशुपालन विभाग बनाएगा, लेकिन गृह मंत्रालय और पशुपालन विभाग दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि गोवंश ऐसा विषय है, अभी जैसे फुलेरा के पास नरेना में हुआ, वहां पर हम लोग तुरंत नहीं पहुंचते, माननीय मुख्य मंत्री महोदया फोन करके तुरंत प्रशासन को नहीं पहुंचातीं तो शायद कोई न कोई आगजनी की घटना हो जाती। इसलिए गोवंश का विषय ऐसा है कि इसमें अवैध गोवंश को तस्करी के लिए उपयोग लाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाएं और 69(4) के अंतर्गत इस प्रकार की कार्यवाही करें कि कम से कम आधी कीमत डिपोजिट हो जाए जिससे गोवंश की तस्करी में वाहन उपयोग में नहीं लाये जाएंगे या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मेरे एरिये का विषय तो कह दूं।

श्री सभापति: अब और क्या विषय है?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे एरिये आहोर के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जालौर जिले में क्राइम अधिक हैं, कोतवाली में सीआई पोस्ट है। उसके बाद में सांचोर में दो नम्बर पर क्राइम है और तीसरा नम्बर क्राइम में आहोर का आता है,

लेकिन वहां सीआई पोस्ट नहीं है। चौथे नम्बर पर भीनमाल आता है वहां सीआई पोस्ट है। मोदरा का नौवां नम्बर आता है जालौर जिले में, वहां सीआई पोस्ट है। तीसरे नम्बर पर क्राइम में आहोर है वहां सीआई पोस्ट नहीं है। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आज जैसी स्थिति बनी हुई है, दो स्टेट हाईवे के मध्य आहोर आया हुआ है, बार्डर के थाने लगते हैं, क्राइम इतना बढ़ गया है, आप यहां सीआई पोस्ट करें। साथ में एक नोसरा थाना और भाद्राजून जो चौकी है, भाद्राजून स्टेट हाइवे पर है, बाड़मेर, पाली, जोधपुर तीन जिलों के बीच में आया हुआ है, वहां चौकी है और नोसरा थाना है नोसरा की कोई उपयोगिता नहीं है, उस नोसरा थाने को भाद्राजून पर शिफ्ट करके भाद्राजून चौकी को नोसरा में शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई वित्तीय भार नहीं होगा। मोदरा सीआई की पोस्ट को भी आप आहोर कर दें तो भी कोई वित्तीय भार नहीं होगा, यह मेरा निवेदन है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): माननीय सदस्य, सीआई की तो मांग कर लो, लेकिन मोदरा को वहां आहोर ले जाओ, यह गलत है। नये की मांग कर सकते हो आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं, मैंने तो कहा, मोदरा में क्राइम नौवें स्थान पर है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): हम भी गृह मंत्री को कह रहे हैं कि रामसेन में है वह शिफ्ट कर दीजिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं किक्राइम का ग्राफ बहुत नीचे आया है, राजस्थान में जो साम्प्रदायिक तनाव थे उस रेशो में भी बहुत गिरावट आयी है। जितने भी साम्प्रदायिक दंगें हुए हैं सिर्फ राजनैतिक धरोहर और राजनैतिक स्वार्थों के कारण हुए हैं। आपने अपनी पारदर्शिता को कायम रखते हुए साम्प्रदायिक तनावों में कमी की है जिसके कारण राजस्थान में बाहर के लोग आने लगे हैं, ट्यूरिज्म विकास हुआ। ट्यूरिस्ट लोग इतने आये इसका एक ही कारण है कि आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में अमन और चैन की स्थिति है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। पुलिस में एक अच्छी व्यवस्था हो, पुलिस वैलफेयर पर आप ध्यान दें।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज। अब आप समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): पुलिस लाइन जो जिला हैडक्वार्टर पर होती है, इंटीरियर थानों में जो भी अधिकारी रहते हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो पुलिस लाइन में कैम्पस बहुत बड़ा है वहां एक आवासीय छात्रावास बनाएं जिसमें पुलिस अधिकारियों के लड़के पढ़ सकें। पुलिस वैलफेयर के लिए यह सोचें। सबसे बड़ी चीज है कि आज जो हैड कांस्टेबल हैं, नौ साल के बाद वे हैड कांस्टेबल की पगार लेते हैं मगर उनको हैड कांस्टेबल बना दें तो उनके सम्मान में भी वृद्धि होगी और वे तफ्तीश कर सकते हैं। इसका हमारे ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा, पुलिस के बार्डर के थानों को अच्छी पिक अप गाड़ियां दें जिससे शराब की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लग सके, क्योंकि उसमें जो तस्कर लोग होते हैं उनके पास क्वालिस और अच्छी गाड़ियां हैं उनको आपकी जीप पकड़ नहीं पाती है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): उनको हाई पिक-अप की गाड़ियां उपलब्ध कराएं। मैं फिर से गृह मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्री महोदय को इस राजस्थान में अमन-चैन होने के कारण पूरी जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, जयहिन्द।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग व कारागार विभाग की मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है। दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और कानून-व्यवस्था पर अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आंकड़ों के हिसाब से कुछ अपराधों में कमी आई है। आंकड़ों में अगर फंसे तो आंकड़े पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, लेकिन हमको और आप सबको मिलकर यह चिन्ता करनी है कि इन अपराधों में किस प्रकार से और कमी की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक अपराधियों में भय व्याप्त नहीं होगा तब तक इन आंकड़ों में कमी नहीं आएगी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज अपराधियों में भय कम होता जा रहा है, इस पर हमको और आप सबको मिलकर चिन्ता करनी चाहिए।

राजस्थान की अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी अलग-अलग समस्या है। पश्चिमी राजस्थान की कुछ अलग समस्या है, पूर्वी राजस्थान की अलग समस्या है, भरतपुर संभाग के धौलपुर जिले की अपने एक अलग समस्या है?

(श्री बनवारी लाल)

हालांकि मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं किउन्होंने हर जिले की समस्याओं की जानकारी लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा जिलों का भ्रमण किया, वहां जाकर मीटिंग लेकर वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निःसंदेह यह आपका बहुत ही सराहनीय कदम था।

इस अवसर पर मैं खास तौर पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले की मुख्य समस्या है डकैतों की समस्या। माननीय गृह मंत्रीजी, धौलपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पांच किलोमीटर पर मध्य प्रदेश है, 12-14 किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है और सैंडविच होने के नाते अपराधियों की चाहे वह उत्तर प्रदेश की गैंग में काम कर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहां पर आकर शरणस्थली बन जाती है। मैं आपको निवेदन करूं, इस समय धौलपुर जिले में करीब 15 इनामी डकैतों की गैंग काम कर रही हैं-कुछ मध्य प्रदेश के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के हैं। जैसे कि अभी जगजीवन परिहार का गिरोह है, वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है, आप जब धौलुपर पधारे थे उस समय भी आपकी जानकारी में लाया गया था कि इस गिरोह ने वहां से तीन पकड़ें की थीं-एक भगेली की, एक ब्राह्मण की और एक गुर्जर की। तीन व्यक्तियों की पकड़ करके दो पकड़ों को तो एक माह बाद छोड़ा और एक पकड़ को करीब पांच माह बाद छोड़ा। यह वैसे ही नहीं छोड़ दिया, आप भी काफी प्रयास करने के लिए वहां के पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करके आये थे, लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, शायद आपको बताया गया या नहीं गया हो, ये साढ़े 10 लाख रुपये देकर पकड़ छुड़ाकर आये हैं। मैं आपको निवेदन करूं, जब पुलिस से कहीं पार नहीं पड़ी तो लोगों ने समझौता किया और अपने पैसे देकर छूटकर आये। इसी तरीके से मुरैना जिले का एक रामराय व चन्ना ठाकुर का गिरोह है, इसका है क्या कि यहां पकड़ करते हैं और उधर दे देते हैं, उधर के लोग इधर की गैंग पकड़ करते हैं और इधर के लोगों को दे देते हैं। इन्होंने पकड़ की, पुलिस थाना मथुरमनिया का है, एक पथरोली का ब्राह्मण का लड़का था, उसकी पकड़ की है। ढाई महीने तक उसको तंग किया, परेशान किया और बमुश्किल जब कहीं नहीं छुड़ा पाये तो उसको दो लाख रुपये देकर के पकड़ छुड़ानी पड़ी। पुलिस इसको मानती नहीं है, पुलिस कहती है किसी होटल पर चला गया। उसने आकर अपना स्टेटमेंट भी दिया, बयान भी दिये, लेकिन उन बयानों के आधार पर पुलिस यह मानती है कि नहीं, यह डकैत ने नहीं किया, यह तो खुद चला गया

(श्री बनवारी लाल)

था, घर छोड़कर, भाग कर चला गया था। लेकिन यह गलत है। अभी हाल ही में मैं आपको निवेदन करूं, दुःख इस बात का है कि धौलुपर जिला मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के डकैतों की शरणस्थली बन रहा है, इन्होंने अभी भूतपूर्व एमपी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अम्बाकेसरी राधाकृष्ण शर्मा उनका लड़का डाक्टर था, अभी उन्होंने पकड़ की। एक महीने तक उन्होंने धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के इलाके में रखा, राजाखेड़ा के इलाके में रखा, फिर सेवरपाली के इलाके में रखा। जब पुलिस का दबाव आया, हालांकि धौलपुर की पुलिस ने दबाव दिया, राजाखेड़ा क्षेत्र में लेकिन आपका मुखबिर तंत्र कमजोर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो मुखबिर तंत्र है वह बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी वजह से आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। आपकी पुलिस चक्कर लगाती रही राजाखेड़ा की तरफ और वह पकड़े रहे सेवरपाली की तरफ और उन्होंने पकड़ लेकर तीन किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में जाकर छोड़ दिया। यह जो रामराय और चन्ना ठाकुर का गिरोह है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के ही जगन मोहन गुर्जर जिसका गिरोह बहुत एक्टिव है, इसमें 10 मैम्बर्स इनके साथ हैं, इन्होंने पुलिस के एएसआई बाबूलाल की हत्या की। इसके 5 सदस्यों पर इनाम है। इसी प्रकार ले का गिरोह है, इसमें 10 आदमी से ज्यादा हैं, 3-4 पर इनाम है। मोहरसिंह गिरोह, राजेन्द्र का गिरोह है, हरिया का गिरोह है। अवतारी का गिरोह से तो अभी सरेंडर करा लिया लेकिन अवतारी के सरेंडर होने के बाद में उसके जितने भी सदस्य हैं वे सब हरिसिंह के गिरोह में शामिल हो गये हैं। कमला मीणा का गिरोह, लोटई मीणा का गिरोह, रामविलास का गिरोह, वकीला का गिरोह और इसके अलावा वहां पर कल्लू दीना कांची का गिरोह जिसमें दीना को तो अभी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कल्लू का गिरोह बदस्तूर वहां पर आतंक फैला रहा है। राजकुमार गुड्डन का गिरोह, अब भी यह यूपी का गिरोह है, इस पर 50 हजार रुपये का इनाम है, इसने वहां पर आतंक फैला रखा है। मैं आपको निवेदन करूं कि लोगों के खेतों में काम करने, लोगों के रहने, आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। मुकेश कुशवाह का गिरोह। ये लोग करते क्या हैं? पत्थर की खदानों में जो काम करने वाले हैं मजदूर, उनको तंग करते हैं, चौथ वसूल करते हैं। इसके अलावा कोई चिन्ह दे जाते हैं और चिन्ह से अगर कोई काम नहीं करता है, उनकी नहीं मानता है तो गरम पानी से सब्जी फैला देते हैं, उनको हाथों में पंजों में कीलें ठोंकते हैं, वहां पर जेसीबी जो काम करती हैं उन जेसीबी के पार्टस को खोल ले जाते हैं, ट्रैक्टर जो काम करते हैं उन ट्रैक्टर

(श्री बनवारी लाल)

के पार्टस को खोल ले जाते हैं और चौथ वसूली करने की बात करते हैं। इसी प्रकार से निहाला कांची और रामबाबू का गिरोह है, इन गिरोहों का इतना ज्यादा आतंक है, लोग भयभीत हैं। आपकी ही पार्टी के जिला प्रमुख हैं उन्होंने मुख्य मंत्री से पत्र लिखकर मांग की है कि राजाखेड़ा क्षेत्र में या धौलपुर जिले में सब जगह डकैतों का आतंक है, बसेड़ी क्षेत्र में आतंक है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके इस पर कोई भी अभियान चलाकर किसी प्रकार से नियंत्रण करें। क्योंकि मुश्किल क्या है कि आपके ये बता देते हैं, 17 महीने में उन्होंने सात बार एनकाउंटर कराने की बात कही है, सात बार एनकाउंटर कराने की। हां, पुलिस का एक एएसआई तो मारा गया है लेकिन एक भी डकैत मारा नहीं गया, एक भी डकैत को गोली नहीं लगी। मेरी यह समझ में नहीं आता कि यह कैसा एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर बताते हैं लेकिन एक भी डकैत नहीं पकड़ा जाता, एक भी डकैत नहीं मारा जाता है, क्या कारण है? अगर कोई पकड़ में आ जाता है तो वह नहीं पकड़ पाते हैं। ग्रामवासी पकड़ कर उनको दे देते हैं और वह बता देते हैं, अपनी फाइल में पूरा कर देते हैं कि इस तरीके से हमने छापा मारा, इस तरीके से हमने पकड़ की। एक आदमी पकड़ा गया बाकी अंधेरे का लाभ उठा कर निकल गये। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके पुलिस तंत्र को वहां पर मजबूत करिये, कोई भी अभियान चलाइए।

अब नेशनल हाइवे पर एक नया गिरोह आ गया है, वह क्या करता है कि जो ट्रक आते हैं, कीलें डाल देते हैं, मनिया थाने के और सदन थाने के बीच में कीलें डाल देते हैं। ट्रक पंक्चर हो जाते हैं और अपने पहियों को बदलने की कोशिश करते हैं और वे वहां पर आकर लूटमार कर लेते हैं। मात्र 30 किलोमीटर राजस्थान का टुकड़ा है वहां पर आपकी पैट्रोलिंग है, मेरी समझ में नहीं आता है कि नेशनल हाइवे पर घटना हो रही है आपकी पेट्रोलिंग क्या कर रही है? यह तो आप इसमें जानकारी प्राप्त करें।

इसके अलावा, मेरा आपसे निवेदन है कि धौलपुर शहर काफी फैल रहा है, 30-35 कालोनियां नई बस गई हैं और वहां पर चोरों का आतंक है। आपके जो फीगर्स आते हैं कि चोरियों में कमी हुई है, डकैतियों में कमी हुई है, वास्तव में धौलपुर जिले में ऐसी परिपाटी बनी हुई है माननीय गृह मंत्री जी, कि वहां पर आसानी से मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। आप इससे अंदाजा लगाइए, जब आदमी परेशान होता है तो कोर्ट में जाता है। पहले परिवाद देता

(श्री बनवारी लाल)

है, एसपी को परिवाद देने के बाद फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो कोर्ट में जाता है, कोर्ट के आदेश करा कर मुकदमा दर्ज करने की बात आती है। कोर्ट के आदेशों के बाद भी मुकदमा-दर्ज प्रकरण नहीं होते हैं, महीनों पड़े रहते हैं। इसके संबंध में धौलपुर डीजे ने एसपी को दो पत्र लिखे हैं। 392 के मुकदमे को, 395 के मुकदमे को 389 में बदल दिया जाता है। ये चोरी और डकैती को तो मानते ही नहीं हैं, 147, 148, 149 के बजाय 143 में दर्ज कर लेते हैं। अभी बाड़ी में जनवरी, 2004 से लेकर फरवरी, 2006 तक एक साल में इस्तगासा से 122 मुकदमे प्रकरण दर्ज किये गये हैं, अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। अगर आसानी से मुकदमे दर्ज हो जाते तो इस्तगासा कोर्ट के जरिए 122 मुकदमे दर्ज हुए एक बाड़ी सर्किल में। धौलपुर सर्किल और दूसरे सर्किलों की बात करें तो आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह महज इसलिए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा बोलता ही नहीं, कम बोलता हूं और अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं।

मेरा आपसे निवेदन है कि चोरों का इतना ज्यादा आतंक है कि पुलिस चौकी बाड़ी में वायरलैस सैट चोरी चला गया। प्रदीप एएसआई है जो सीआईडी का है, सरकारी मोटरसाइकिल थी वह चोरी चली गई। उन्होंने तो पता लगा लिया। अब बता दें कहीं नहीं हुआ, तो मुझे मालूम है कि बरामद कहां से हुई है, पुलिस को भी जानकारी है, लेकिन दिखा दिया कि जाटोली के मोड़ से उसको बरामद किया गया। केला कालोनी में महिला सिपाही के यहां चोरी हुई है। जीटी रोड पर से दुकान के ताले तोड़कर ट्रक लाकर पांच लाख के टायर ले गये। तलैया मोहल्ले में 3-4 लाख रुपये का सामान घर का ताला तोड़कर ले गये। मालानी खुर्द में पीएस कोलारी में एक घर से चोरी की और बंदूक को ले गये। एसएचओ साहब ने बताया कि मैं चोरों तक पहुंच गया हूं बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लूंगा। लेकिन 6 महीने हो गये, अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, कोई बंदूक बरामद नहीं की गई है। शास्त्री नगर में यह हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार से जो चोरियों का आतंक हो रहा है, उसके लिए मेहरबानी करके कोई व्यवस्था कीजिये।

इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं वे क्षेत्र में ठीक है, कई भूमि ऐसी है जो बगैर गोपालों के नहीं रह सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा अभियान चलाकर सख्ती करें और उनमें भय पैदा करें तो हो सकता है कि इससे वहां की जनता को कुछ राहत मिल सकेगी।

(श्री बनवारी लाल)

इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि ए डी एफ के लिए वहां पर आप अलग से सैल बनाइये। ए डी एफ के लिए वहां पर इसीलिए रोड्स बनाई गई थीं कि इस डकैती की समस्या पर कुछ कामयाबी मिल सकेगी। सड़कों का हाल यह है कि जिस समय बना दी उस समय सेण्ट्रल का फण्ड था, लेकिन उनकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है। सारी सड़कें टूट गई हैं। अगर उन सड़कों की आप मरम्मत करा देंगे तो पुलिस फोर्स को आने-जाने में, फोर्स जल्दी पहुंचाने में आपको सफलता मिलेगी। पहले ए डी एफ की योजना हुई थी, मैं आपको निवेदन करूं कि आप ए डी एफ का एक अलग सैल बनाएं और उसको आधुनिक हथियार व वाहनों से सुसज्जित करके वहां पर आर ए सी के जवान रखें, लोकल सिपाही नहीं रखें। कम से कम 50 आदमियों की कम्पनी बनाकर उनको अलग एरिया में फैलाएं, वे क्षेत्र में भ्रमण करें और पैट्रोलिंग करें।

दस्यु प्रभावित क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आप पुलिस चौकी बनाएं, गार्ड लगाएं क्योंकि आप हथियार तो दे नहीं रहे हैं और हथियार इतने दे भी नहीं सकते हो। मैं आपको निवेदन करूं, इसीलिए वहां के लोगों की नीयत हो रही है कि किसी तरीके से अवैध हथियार बनाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि हथियारों के लाइसेंस देने में आपको क्या आपत्ति है? अवैध हथियारों से तो क्या है कि कट्टे ले लिये तो वो साबित भी नहीं हो पाते हैं, कम से कम हथियार होंगे तो अपनी सुरक्षा तो कर पाएंगे। आपके पास इतनी फोर्स भी नहीं है, आप इतना कर भी नहीं सकते हैं हथियारों के मामले में। लाइसेंस की प्रक्रिया का आप सरलीकरण कराइये। जिनके बाप मर जाते हैं उनको लाइसेंस नहीं देते हैं। हालांकि आपने आदेश दे दिया है कि चार दिन में डिस्पोजल कर दें और 90 दिन के अन्दर पूरा लाइसेंस बना दें, पर लाइसेंस की प्रक्रिया वहां सरल नहीं है। आप मेहरबानी करके वहां के लोगों को बताइये।

सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रोसीक्यूशन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज आपने चालान कर दिया लेकिन प्रोसीक्यूशन में ए पी पी, पी पी के पोस्टिंग होते हैं, पॉलिटिकल आधार पर होते हैं और पोलिटिकल आधार पर होने के कारण पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो लोग पार्टी से मिल लेते हैं, अपराधियों से मिल लेते हैं और उसमें ढील दे देते हैं इसलिए इतनी कड़ाई नहीं हो पाती है। तो मेरा यह निवेदन है कि अगर पी पी या ए पी पी पर पुलिस कंट्रोल हो जाए तो मेरे खयाल से इसमें आपको सफलता मिलेगी।

(श्री बनवारी लाल)

तीसरा, मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके आत्म समर्पण कभी नहीं कराएं। यह सरेंडर कराने की जो परम्परा बन गई है, जब एक जगह का प्रैशर होता है तो दूसरी जगह का अफसर कामयाबी लेने के लिए उसको सरेंडर करा देता है। यह ओतारी गिरोह का जो सरेंडर हुआ था वह इसलिए हुआ था कि धौलपुर पुलिस ने थोड़ा दबाव दिया तो करौली में जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर यहां का दबाव देते हैं तो मुरैना में जाकर सरेंडर कर देते हैं, आगरा में जाकर सरेंडर करते हैं।

(समय : 19.23 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो सरेंडर की प्रक्रिया है इसमें आप बिलकुल सख्त हो जाएं, बिलकुल आत्म समर्पण नहीं करावें क्योंकि आत्म समर्पण कराने से क्या होता है कि उसकी नीयत में, जो लोगों को पैसा कमाने की नीयत है-वो अपराध करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, हथियार ले लेते हैं और सरेंडर होकर उनके रौब की वजह से कोई गवाह मिलते नहीं हैं और उसके बाद 2-3 साल में छूटकर आकर समाज में अपना अलग ही दबदबा रखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस सरेंडर की प्रक्रिया को आप बन्द करें।

धौलपुर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बगैर पुलिस की तहरीर के शायद राजस्थान में कहीं नहीं होगा, एक धौलपुर जिला है, आप पधारे थे उस समय भी मैंने आपसे निवेदन किया था, आपने निर्देशित भी किया लेकिन आपको गलत इत्तिला दे दी है। आपको निवेदन करूं कि कोई लिखित में आर्डर्स तो हैं नहीं लेकिन बगैर पुलिस की तहरीर के कोई भी रिपोर्ट दर्ज मेडिकल नहीं किया जाता है। यह बड़ी परम्परा है। किसी भी आदमी का झगड़ा हो जाए, पुलिस से ही झगड़ा हो जाए तो जब तक पुलिस की तहरीर नहीं जाएगी तब तक वहां पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। पूछताछ के बहाने से उसको बिठा लेते हैं। उसके घर पर कभी इत्तिला नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी फिर अदालत में भी जाता है और वहां से कमिश्नर अपाइंट होता है तो कमिश्नर को उस थाने से हटाकर दूसरे थाने में पहुंचा देते हैं। तो लोग बहुत परेशान होते हैं यह पुलिस के व्यवहार की वजह से हो रहा है।

सबसे बड़ी बात एक और निवेदन करता हूं कि उस इलाके में मवेशी चोरी की घटनाएं भी बहुत होती हैं। आज डकैती, चोरी होती है तो किसी

मालदार के होती है। मवेशी चोरी, आज 10-15 हजार की एक भैंस आती है और दूसरा पशु आता है, उनको चोरी करके तीन किलोमीटर के बाद में चम्बल पार करके मध्य प्रदेश में भेज दिया जाता है। आप सोचिये कि एक गरीब विधवा, एक गरीब परिवार जो अपने मवेशी चराकर उससे अपना लालन-पोषण कर रहा है, उसकी अगर वह भैंस चोरी चली गई तो उसके लिए तो डकैती से ज्यादा है। वहां की पुलिस मवेशी चोरी को ज्यादा मानती नहीं है, वहां पर हत्याओं पर, डकैती पर, चोरियों पर ज्यादा जोर देते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मवेशी की जो वहां समस्या है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका बोलते हुए 17 मिनट हो गये हैं, बहुत लोगों को बोलना है।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): मैं दो मिनट में खतम कर दूंगा। चैकिंग के नाम पर आपकी पुलिस नेशनल हाइवे पर लूट कर रही है। अभी जैसा हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, हाई कोर्ट के आर्डर के बाद में अवैध रेता की पकड़ के लिए थानेदार जी राजाखेड़ा क्षेत्र में गये और वहां की पार्टी के उपाध्यक्ष ने पुलिस की रिवाल्वर छीन ली। चैकिंग के नाम पर पुलिस खड़ी हो जाती है और खड़े होकर लूट-पाट करती है। यह दिखाइये, वह कागज दिखाइये, कह कर लूटती है। आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से कोई भी आदमी दिल्ली से ग्वालियर तक जाएगा तो शायद उसको उतनी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी जितनी उस 20 किलोमीटर के एरिया में उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। चैकिंग के आधार पर उनको परेशान किया जाता है। कुछ ऐसे कारणों से पुलिस की बदनामी होती है। उनको आप कंट्रोल करिये और धौलपुर के लोगों में जो भय और आतंक फैला हुआ है उनको कुछ सांत्वना दीजिये, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करिये जिससे कि हमें कुछ राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत लाल नीनामा। श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 16 और 17 पुलिस और कारागार पर चर्चा में भाग लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के पुलिस प्रशासन ने तत्परता और कार्य कुशलता से पूरे प्रदेश में शांति-व्यवस्था बहाल की है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार आदि प्रकरणों में 2003 और 2004 के मुकाबले इस वर्ष जितनी

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

कमी आई है, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन और माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल एक लाख 40 हजार 917 अभियोग रजिस्टर हुए और उसमें 88847 में चालान हुआ, 82.2 प्रतिशत की चालानी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ्तारी और सज़ा में जो तत्परता से पुलिस ने काम किया है, पुलिस प्रशासन ने जिस तत्परता से जनता में विश्वास कायम किया है, निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-ढाई साल के शासनकाल में माननीय गृह मंत्री महोदय ने अपने विभाग में पुलिस बल की भर्ती की है, लगभग 6 हजार कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उस भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद में फिजिकल फिटनैस और फील्ड में भाग-दौड़ कराकर जिस तरह से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, मैं निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। पुलिसकर्मियों के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था की है, लगभग 10 हजार क्वार्टर पिछले सत्र में बनाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के आधुनीकरण में गति लाई जाए, इसके लिए मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना सलूम्बर में मेरे विधायक कोटे से एक कम्प्यूटर दिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने-अपने पुलिस थानों में इस तरह से अगर वहां कम्प्यूटर हो जाता हैं तो निश्चित रूप से अपनी पुलिस की कार्यवाही में शीघ्रता आएगी और फील्ड में काम करने का उनको और ज्यादा अवसर मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र उदयपुर जिले के खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर नाम से एक बटालियन काम कर रही है। जिस तरह से आर.ए.सी. की बटालियन है, उसी तरह से मेवाड़ भील कोर की भी बटालियन है, लेकिन दोनों बटालियनों के नार्म्स एक होते हुए भी उनकी जो नफरी है उसमें भिन्नता है। बटालियन के नार्म्स में एकरूपता होते हुए एम.बी.सी. बटालियन में नफरी कम है और आर.ए.सी. की जो बटालियन है उसमें नफरी ज्यादा है, ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहता हूं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि दिनांक 26.11.2005 को उदयपुर के एस.पी. और गुजरात की पुलिस के सहयोग से संदिग्ध आतंकवादी लश्कर-ए-तोएबा का जो आतंकवादी सोहराब था,

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

उसको मार गिराया गया और उसके सहयोगी कुख्यात अपराधी तुलसीराम उर्फ प्रफुल्ल को गिरफ्तार किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उदयपुर में आर.ए.सी. का मुख्यालय बनाया जा रहा है। दक्षिणी अंचल में जहां ट्राइबल का बाहुल्य है, यदि वहां आर.ए.सी. का मुख्यालय होगा तो वहां के जिलों का विकास होगा, वहां सेन्ट्रल स्कूल खुलेंगे, अन्य विभाग खुलेंगे, वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से मेरे क्षेत्र सलूम्बर के लिए दो-तीन बातों की मांग करना चाहता हूं। पहली मांग, अस्थाई पुलिस चौकी मेरे विधान सभा क्षेत्र के गींगला में चल रही है, मैं उसको स्थाई रूप से क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। दूसरा यह है कि उदयपुर जिले की खैरवाड़ा तहसील में जो गुजरात से लगता हुआ पाटिया और बलीचा गांव हैं, बलीचा के नाम से पाटिया में चौकी स्थापित है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चौकी पाटिया में स्थित है, पाटिया के नाम से ही उसका नामान्तरकरण किया जाए ताकि गुजरात बिलकुल नजदीक है, शराब की तस्करी होती है और लकड़ियों की तस्करी होती है, उसको रोका जा सके। अत: निश्चित रूप से पाटिया चौकी के नाम से उसका नामान्तरकरण किया जाए।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरोडा और ग्राम पंचायत भैडावल जंगल का एरिया है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां नई चौकी खोलने की कार्यवाही की जाए। अंत में मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर कस्बे में जो उप कारागृह है, वह कारागृह कस्बे के भीड़भाड़ वाले इलाके में है, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो हमने दूसरी भूमि उपलब्ध कराई है, थोड़ी दूर भूमि उपलब्ध कराई है, वहां स्थापित किया जाए, वहां स्थानान्तरित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जयहिन्द धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, पुलिस और कारागार की मांग पर आज सुबह से सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। हम जो नये सदस्य हैं, सुबह से देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे वरिष्ठ सदस्य पुलिस के बारे में अपने-अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

यह सब मांगों को रखने से पहले हमें खुद को यह सोचना होगा कि हम पुलिस से चाहते क्या हैं। हम लोगों ने पुलिस की जो छवि बना रखी है, पुलिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम भ्रष्टाचार को सबसे पहले याद करते हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार के लिए कुछ न कुछ हम लोग भी जिम्मेदार हैं। मेरा यह मानना है कि जो हम बात करते हैं कि थाने में जब हम जाएं सिपाही हमको स्वागत करके अन्दर बैठाएं, हमारे को चाय के लिए पूछे और जब हम अरेस्ट हों तो खाना खिलाए, लेकिन उसके लिए क्या हमने पुलिस को ऐसी सुविधा दी हैं? हम थानों में 12 या 15 की नफरी रखते हैं। आबादी के हिसाब से जब 1974 में नार्म्स बनाये गये थे, उसमें 710 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी हुआ करता था लेकिन आज भी वही के वही नार्म्स हैं, अब 950 पर एक पुलिसकर्मी है। इस नफरी से उनको इतना काम दे दिया गया है कि उनको थाने में बैठने तक की फुर्सत नहीं होती है। तो वह किस तरह से आपका स्वागत करेगा? 24 घंटे हम उसको सुबह से लेकर शाम तक काम में पीस देते हैं। हम चाहते हैं कि वह सिक्योरिटी का भी काम करे, वह लॉ एण्ड आर्डर भी मेंटेन करे, वह सम्मन भी पहुंचाए, वह जो वहां पर रिकार्ड है, उसको रखे और उसके बाद जब हम वहां जाएं, तब मुस्कुराकर वह हमारा स्वागत करे। हम यह चाहते हैं कि वह हमको चाय पिलाएं। क्षेत्र में जाने के लिए, जब वह ड्यूटी पर जाता है, 30 रुपये हम लोग देते हैं महीने में। पुलिस की जीप के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं जब विधायक बना, उसके पहले से और विधायक बनने के बाद में भी कम से कम 500 लीटर डीजल मुझे अपने क्षेत्र में घूमने के लिए चाहिए और पुलिस वालों को तो मेरे ख्याल से 1000 लीटर भी कम पड़ेगा, लेकिन हम देते कितना हैं? 150 लीटर। हम लोग पुलिस को अलग-अलग काम पकड़ा रहे हैं। जब वह काम अच्छा करता है, आज सुबह एक वरिष्ठ सदस्य ने एक उदाहरण दिया था कि हम दूसरे राज्यों से कम्पेयर कर रहे हैं और हम यह कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। 10.33 प्रतिशत की कमी आई है महिला उत्पीड़न में तो उन सदस्य ने यह कहा कि हम दूसरे राज्य से कम्पेयर करके यह कह रहे हैं कि हमारा बच्चा पहले सात में फेल था दूसरे राज्य में, हमारा बच्चा पाँच में फेल है। मैं कह रहा हूं कि वह उदाहरण थोड़ा गलत तरीके से उन्होंने दे दिया। उदाहरण यह होना चाहिए कि हमारा बच्चा फेल हो रहा था, मां-बाप कह रहे थे कि तू पढ़ेगा तो भी पास नहीं होगा, तुम्हारे पास किताब है तो भी तू पास नहीं हो सकता। लेकिन अब मां-बाप यह कहने लगे कि तू अच्छा पढ़ रहा है,

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

तू कोशिश कर। तेरे को हम किताब भी लाकर देंगे, तेरे को सी.डी. भी लाकर देंगे और तू पढ़। वह बच्चा पढ़कर पास हो गया। और जो 33 प्रतिशत भी नहीं ला रहा था, वह 52 प्रतिशत लाने लग गया। उसका हौसला इतना बुलन्द हो गया कि वह अगली बार फर्स्ट डिवीजन तक की भी सोच सकता है। तो पुलिस का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, पुलिस को जरूरत है कि हम उसका साथ दें। जब हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अभी हमारे साथी ने कहा कि सोहराब को मार गिराया, आतंकवादी था, लेकिन क्या हमने उनके लिए कोई स्पेशल इंतजाम किया था? मारने के लिए जब पुलिस को भेजा था तो क्या उसके पास ऐसे स्पेशल व्हीकल्स थे, कोई हथियार थे? जी नहीं। जिन हथियारों से आम आदमी लड़ भी नहीं सकता, उन हथियारों से-आतंकवादी के पास जो हथियार होते हैं उनका कहां मुकाबला कर सकता है पुलिस वाला? लेकिन वह फिर भी वहां गये, उन्होंने लश्कर-ए-तोएबा के आतंकवादी को मार गिराया और उन अधिकारियों को हमने शाबासी दी। हमें उनको प्रोत्साहित करना, वह बहुत लम्बी आगे की बात है लेकिन ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी।

कुछ बातें जो हमारे गृह मंत्रीजी ने की हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जैसे कि केस आफिसर्स की स्कीम है। अपराधी पकड़ा जाए, जब तक कोर्ट से उसको सज़ा नहीं हो, तब तक अगर हम उसके पीछे नहीं लगे रहेंगे तो जिस तरीके से हमारी न्याय की व्यवस्था है, उस न्याय की व्यवस्था में हम लोग उस अपराधी को सही तरीके से सज़ा नहीं दिला पाएंगे। लेकिन अब जो केस आफिसर नीयत करने की जो स्कीम लगाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी को।

अब पुलिस के लिए मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, ड्यूटी के साथ-साथ इनको और भी काम करने पड़ते हैं, जैसे सोशल इनएक्टमेंट है, जिसमें एन.डी.पी.एस. वगैरह में इनको पकड़ना पड़ता है। वी.आई.पी. सिक्योरिटी है। मैं बताऊं आपको, मेरा वल्लभनगर जो सी.ओ.सर्किल है। उसके एरिया में पड़ता है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा तो मेरा सी.ओ. तो वहीं बैठा रहता है। इतने वीआईपी उदयपुर आते हैं कि वह प्रोटोकाल ड्यूटी करता रहता है। क्यों नहीं उसके लिए अलग प्रोटोकाल आफिसर लगाया जाए जो वह ड्यूटी करे और हमारे जो काम वहां पर लटके रहते हैं वे काम हों। पुलिस दो तरह के काम करती है, ला एण्ड आर्डर और जांच जिसको इनवेस्टीगेशन कहते हैं। अब हमारे सदस्यों में भी बहुत-से ऐसे हैं जो अच्छा बोल लेते हैं, हमारे सदस्यों

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

में बहुत-से ऐसे हैं जो विचार अच्छा रखते हैं। तो पुलिस में भी इसी तरीह के अधिकारी हैं। कुछ ऐसे हैं जो डंडे बजा सकते हैं तो उनको ला एण्ड आर्डर में ही रखना चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको जांच करने का, परीक्षण करने का एक्सपीरियंस है उनको जांच करने का काम दिया जाना चाहिए ताकि जिस केस में कुछ निकालना हो, वह परीक्षण करके अच्छी तरह से उस बात को कर सके। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए अलग-अलग दल बने। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल पुलिसकर्मी भर्ती करने के लिए बजट दिया था, अभी भर्ती चल रही है करीब-करीब सभी जिलों में, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की नफरी बहुत कम पड़ रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि नफरी बढ़ाने के लिए और प्रयास किये जाएं। हमारे यहां पर जो आवास हैं पुलिसकर्मियों के लिए, वे आवास और बढ़ाये जाएं क्योंकि अभी तो बहुत कम आवास हैं। क्योंकि पुलिसकर्मियों को न तो हम त्यौहार पर छोड़ते हैं। होली, दीवाली जब सभी विभाग छुट्टियां मनाते हैं, पुलिस वाले उस टाइम भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो उनके लिए कम से कम आवास तो हो ताकि वे अपने परिवार वालों को साथ रख सकें, मिल सके। जो और सुविधाएं हैं, जैसे टेलीफोन का बिल है, टेलीफोन का बिल हम दो महीने के दो हजार रूपये देते हैं और मुझे ध्यान है कि हम जितनी भी बार थाने में जाते हैं तो हर व्यक्ति यह कोशिश करता है कि हम थाने में से ही फोन ठोक दें। तो इसमें भी बढ़ाया जाना चाहिए। खाने का अलाउंस उनको नहीं मिलता है, चालानी गार्ड की नियुक्ति हर जगह नहीं है। और कुछ बातें जो सरकार के सामने विचाराधीन हैं जैसे कि पुलिस पुनर्गठन योजना 1994 में बनाई गई थी, अब तक लागू नहीं हो पाई है, उसे लागू किया जाए। पुलिस एक्ट जो 1861 के स्थान पर नया बनाने की कमेटी बनी हुई है, उसने भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। कंट्रोल आफ आर्गेनाइज्ड क्राइम इन राजस्थान का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रीवेंशन आफ एंटी सोशियल एक्टिविटीज, हर तरह के माफिया गिरोह से निपटने का कानून भी विचाराधीन है। जघन्य अपराधों में भी जमानत जब मिल जाती है तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं तो उनको भी सख्त बनाने की जरूरत है। आजकल तो कोर्ट ने हथकड़ी नहीं लगाने का जो फैसला दिया है उससे भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत होती है। तो इन सब बातों को सरकार ध्यान में रखे। अब चूंकि सभी विधायक यह तय कर चुके हैं कि हर थाने को हम कम्प्यूटर से जोड़ें तो मेरा निवेदन है

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

कि इसके साथ-साथ ही इसको इंटरनेट से भी जोड़ा जाय ताकि किसी भी अपराधी के बारे में सूचना तुरंत पूरे राज्य में फैल जाए। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर नगरपालिका है उन कस्बों में ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए। हर सी.ओ. सर्किल पर कम से कम चार-पाँच महिला कांस्टेबल हों क्योंकि जब भी जरूरत होती है तो जिला हैडक्वार्टर से इनको बुलाना पड़ता है। इसी तरह से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दस मिनट हो गये, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : बस, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं मैं। कारागार मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में तो छोटी जेल है, लेकिन वहां जेल की बिलकुल अव्यवस्था है। एक तो वहां पर कर्मचारी पूरे नहीं है, इसके अलावा जेल बहुत पुरानी बनी हुई है मेरे ख्याल से 1960-65 के आस-पास बनी हुई है, उसको रिपेयर की जरूरत है। यहां तक कि उसके बाउण्ड्रीवाल भी नहीं है। यह सब आप करवाएं। बड़ी जेलों में लोगों को टीवी भी देखने को मिल जाता है, खेल-कूद भी करते हैं, हमारे वहां पर तो पैटी थीव्ज होते हैं जो कि बकरी चोरी करने के इल्जाम में, मुर्गा चोरी करने के इल्जाम में पकड़े जाते हैं। ऐसे छोटे-मोटे लोग उसमें होते हैं, तो कम से कम उनको कुछ सुविधा दें आप। क्योंकि वे बड़े-बड़े अपराधी नहीं हैं, यह सब आप करवाएं।

श्री अध्यक्ष: अब कनक्लूड करें आप।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : इसके साथ ही मेरा आप सब से अनुरोध है, माननीय गृह मंत्रीजी के बारे में, करीब-करीब सभी लोगों ने कहा है कि यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, फिर भी हमारी जो आदत पड़ गई है कि पक्ष और प्रतिपक्ष में उलटा-सीधा बोलना ही पड़ता है, तो यह हम छोड़ें और जो अच्छी चीज है उसकी हर समय बड़ाई करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यगण के लिए लाउंज का निर्माण

श्री अध्यक्ष : इससे पूर्व कि मैं दूसरा नाम पुकारूं, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि आपके लिए पश्चिमी द्वार पर, जहां से आप एन्ट्रेंस करते हैं, वहां पर लाउंज बना दिया गया है। जैसे सेंट्रल हाल बना है

(श्री अध्यक्ष)

पार्लियामैंट में, उसी तरीके से बना दिया है, आप उसका उपयोग करना चाहें, जब करियेगा। लेकिन वह केवल माननीय सदस्य, और पूर्व सदस्य, पार्लियामैंट के मैम्बर्स और पूर्व सांसद, केवल इन्हीं के लिए होगा। बाकी किसी और को मेहरबानी करके आप वहां नहीं ले जाएं, यह मुझे निवेदन करना है।

श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा (व्यवधान) सॉरी। इन्होंने दुर्गाप्रसाद शर्मा लिखकर भेजा है तो मेरे मुंह से शर्मा ही निकला।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): हम अग्रवाल हैं,सर।

श्री अध्यक्ष: I am sorry. Sorry. लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष ने शर्मा लिखा है, मेरी गलती यह हो गई कि जैसा लिखा था, पढ़ दिया। (व्यवधान) कोई बात नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी: वह तो शर्मा ही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: इतना भूलते नहीं, साहब, इतनी तो इनकी बुद्धि है। नहीं, आप देख लो साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, शर्मा लिख रखा है उन्होंने, दुर्गाप्रसाद शर्मा। मेरी गलती यह हुई कि मुझे ध्यान नहीं रहा और जैसा लिखा था, मैंने पढ़ दिया। यह मेरी गलती है।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यह तो इनका काम करते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आई...

श्री रामनारायण चौधरी: यह तो पार्लियामैट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं न?

श्री नरपत सिंह राजवी: सभी माननीय सदस्य जेल बड़ी करने के लिए मांग कर रहे हैं, पता नहीं क्या आंदोलन कराना चाहेंगे, क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। प्रहरी कम हैं, वह तो समझ में आ रहा है लेकिन जेल अच्छी, बड़ी हो, ज्यादा संख्या में जाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, जब नेता प्रतिपक्ष ने अपने सदस्य का नाम यह लिख दिया, उनको बदलने का अधिकार आपको नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी: आपको पूरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए तो मैंने शर्मा पढ़ा। इसीलिए मैंने शर्मा पढ़ा, उन्होंने लिखा ही शर्मा है।

श्री रामनारायण चौधरी: आप अध्यक्षीय शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल: मुझे शर्मा और अग्रवाल दोनों बना दीजियेगा।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्षीय व्यवस्था को आप चुनौती नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: रिलीजन कन्वर्जन में तो नहीं बैठेगा न मामला आपका?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: रिलीजन कन्वर्जन में नहीं है, यह आजकल आगे जो आपरेशन होते हैं, उस आपरेशन का खतरा और है।

श्री रामनारायण चौधरी: उसमें शर्मा हो सकता है क्या?

श्री अध्यक्ष: आपरेशन से तो शर्मा और अग्रवाल नहीं बनाया जा सकता, माफ करना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नहीं, वह आदमी और लुगाई में फर्क होता है, आजकल वे आपरेशन होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: हो जाता है, लिंग परिवर्तन होता है।

श्री अध्यक्ष: इर्रिलेवेंट बात है आपकी यह।

मांग संख्या- 16 व 17 पर विचार

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिमाण्ड की चर्चा में भाग लेते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी देश या प्रदेश की शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विभाग यदि कोई होता है तो पुलिस विभाग होता है। आप शासन व्यवस्था से पुलिस विभाग को हटा दीजियेगा, सब शासन व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, चारों तरफ अफरा-तफरी हो जाएगी, असामाजिक तत्व सिर उठा लेंगे। शासन चलाना तो क्या, हम इस विधान सभा को भी नहीं चला पाएंगे। यहां पर भी आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी घुस जाएंगे। यह तो पुलिस वाले ही हैं जो उनको बाहर रोकते हैं और हम बदस्तूर इस विधान सभा को चला पाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी कहीं लड़ाई-झगड़ा होता है, मारपीट होती है, कवि सम्मेलन होते हैं मुशायरा होता है या और कोई कार्यक्रम होते हैं तो इन सब में पुलिस वाले आकर व्यवस्था करते हैं और कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि पुलिस का कार्य चहुंमुखी होता है और पुलिस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यह तो तस्वीर का एक पक्ष है और इसके साथ साथ में दूसरा पक्ष भी है।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

दूसरा पक्ष यह है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारे देश को आजाद हुए 59 साल हो गये और इसके उपरांत भी हम अपनी पुलिस को आजाद भारत की, हमारे देश की हमदर्द पुलिस नहीं बना पाये। आज भी हमारी पुलिस में वो ही संस्कार हैं जो कि अंग्रेज़ों के जमाने में थे। अंग्रेजों ने पुलिस में अंग्रेज़ियत के संस्कार और हैवानियत के जो संस्कार डाल दिये थे वो आज भी हमारी पुलिस में विद्यमान हैं। पुलिस अपने को शासक समझती है। पुलिस अपने आपको इस देश के निवासियों का हमदर्द नहीं मानती, सेवक नहीं मानती। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब कोई व्यक्ति थाने में जाता है तो पुलिस वाले उससे हमदर्दी से व्यवहार नहीं करते, बल्कि उसको इस निगाह से देखते हैं जैसा खा जाएंगे। चबा जाने वाली शैली में उससे बात करते हैं। यदि व्यक्ति उनसे यह कहे आकर कि साहब मुझे एफआईआर दर्ज करानी है तो पहले पूछेंगे, भई क्या बात है। वो कहेगा कि साहब मैं ऊपर छत पर सो रहा था, परिवार समेत सो रहा था, नीचे मेरे सब ताले तोड़ लिये गये और चोरी हो गयी, तो पहली प्रतिक्रिया उनकी यह होगी कि साले तेरे बाप के नौकर लग रहे थे क्या हम कि बाबूजी तो ऊपर सो रहे थे, हम तेरे नीचे पहरा देते। ये भुक्तभोगी बातें हैं, जब मैं एमएलए नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था एक-दो बार मैं थाने में गया हूं रिपोर्ट दर्ज कराने, तो जो उनकी प्रतिक्रिया होती थी वो बता रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि साहब मेरी लड़की के साथ में ज्यादती हुई है तो पहले तो वो यही कहेंगे कि साले दोस्ती होगी, अब पकड़ी गई तो इल्जाम लगा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि पुलिस का कार्य करने का तरीका सही, नहीं है। यह तरीका कैसे सही हो इस पर विचार करने की बात है। मेरा यह सोचना है कि यदि पुलिस ईमानदारी से, सही ढंग से भ्रष्टाचार से दूर रह कर निष्पक्ष रूप से कार्य करती है तो देश का कायाकल्प हो सकता है। कोई प्रदेश में दुःखी नहीं रहेगा, किसी के साथ में अत्याचार नहीं होगा, सब कानून की पालना करेंगे और प्रदेश का हर नागरिक सुखी, सम्पन्न और खुशहाल हो जाएगा। हमारे गृह मंत्री महोदय, मैं इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता। इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे माननीय सदस्यों ने, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने आपकी तारीफ की है, आप तारीफ के काबिल हैं। एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, पर आप विनम्र हैं। विनम्र नहीं होना पड़ेगा, देखिये साहब पुलिस का आपका महकमा है, आपको तो कठोर भी होना पड़ेगा, आपको सख्ती से आदेश

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

भी देने होंगे और यह बात आपको देखनी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि अकसर यह कहा जाता है कि पुलिस की मदद आम जनता को भी करनी चाहिए। अभी हाल में एक घटना घटी, चार पाँच दिन पहले एक प्रतिष्ठित अख़बार में यह घटना आयी। घटना यह थी कि होम करते जले हाथ। अध्यक्ष महोदय, विधायकपुरी थाना पुलिस को वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के बारे में सूचना देना एक व्यापारी को महंगा पडा। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त थाना पुलिस ने सूचना देने वाले को ही दलाली के आरोप में थाने में बैठा लिया। उसके साथ चार घंटे तक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। इसी दौरान वह जैसे-तैसे थानाधिकारी के कमरे में घुस गया जहां सामुदायिक सहयोग ग्रुप की बैठक चल रही थी वहां उसने अपना दु:खड़ा रोया।

श्री अध्यक्ष: आप अख़बार पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूं अख़बार की खबर ही पढ़ रहे हैं न आप?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अख़बार नहीं पढ़ रहा हूं, जो फैक्ट अख़बार में छपे हैं उसको मैं बता रहा हूं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है वो बयान कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अख़बार की बात नहीं, आप अपनी पर्सनल जानकारी से तो कह सकते हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): हकीकत बयान करूंगा तभी तो आपकी समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि पुलिस मदद चाहती है आम जनता से, मदद क्या होगी जब चार घंटे तक उसको बैठाये रखा? जब उसने देखा कि यहां पर कोई मीटिंग चल रही है, जन प्रतिनिधि उसमें बैठे हुए हैं तो भाग कर वह मौका देख कर अन्दर घुसा और अन्दर घुस कर अपनी आपबीती बताई कि साहब मुझे ही दलाल मान लिया गया है, मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, चार घंटे हो गये और मुझ पर ही केस बनाने की योजना बनाई जा रही है। जब जन प्रतिनिधियों ने बात को सुना तो उसको छोडा। आईएसओ धारी वो थाना है, विधायकपुरी थाना है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको छोड़ दिया गया परन्तु यह नहीं देखा गया कि जिन लोगों ने उसके साथ में ज्यादती की थी, एएसआई हो चाहे और पुलिसकर्मी हों, उनके साथ में क्या किया गया। उनको भी सस्पैंड किया जाना चाहिए, उनको भी लाइन हाजिर किया जाना चाहिए।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना घटी, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने ध्यान दिया मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरा ध्यान दिया। एक आदमी जीवित था उसको मृत घोषित कर दिया गया। बेचारा तीन साल तक तड़पता रहा। पुलिस में उसने एफआईआर दर्ज करायी, पुलिस ने उसकी एफआर लगा दी कि नहीं तू तो मरा हुआ ही है, जिन्दा नहीं है। हार कर वो कोर्ट में गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ध्यान देकर गुनाहगारों को उसी दिन पकड़वा दिया रात को। पर मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने एफआर लगायी थी उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? जरूरत तो इस बात की है, एफआर जिन्होंने लगायी थी उनको सस्पैंड किया जाना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहूंगा, नौकरी से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। आप कुछ तो काम करियेगा। आदरणीय, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं, आप विनम्र स्वभाव के आदमी हैं, आपका स्वभाव जा नहीं सकता, परन्तु बिना सख्ती के शासन नहीं चलता। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, आप पर वास्तव में कोई अंगुली नहीं उठा सकता और मैं तो हमेशा से आपका प्रशंसक रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बात तो बहुत गंभीर है कि जीवित को ही आप मृत बता दें। बात तो गंभीर है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): तीसरी बात बता दूं, अभी 23 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट की गई, तीन पुलिस वाले उसको जांच करने के लिए गये। जांच करने के लिए गये तो वो आदमी भगा, उसको पकड़ कर इतना मारा कि स्पाट पर ही मर गया।

श्री अध्यक्ष: आपको नौ मिनट हो गये हैं एक मिनट में कृपया समाप्त करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): महोदया, आप कहेंगी जैसे मैं पालना करूंगा। मैं तो आसन की व्यवस्था को मानता हूं परन्तु थोड़ा मेरे पर रहम करें। मैं तो कभी कभी बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मेरे माननीय सदस्य कई बोलने वाले हैं इसलिए उन्हें भी आप अवसर दें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): पांच मिनट तो दीजिये मुझे आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो उस आदमी को स्पाट पर मार दिया गया।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

अब ये कहते हैं कि वो तो ठोकर खाकर मरा। आदमी ठोकर खाकर भी मर जाता है? चलो मर भी जाता है, पर हार्ट फेल हो तो मर जाता है। परन्तु जब पुलिस ने वहां पर पोस्टमार्टम कराया तो उसमें हार्ट फेल की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी। पता नहीं क्या है रिपोर्ट परंतु इतना मैं कन्फर्म हूं कि हार्ट फेल की रिपोर्ट नहीं है। दर्ज यह है कि तीन पुलिस वालों ने एक आदमी को इतना मारा कि वो स्पाट पर मर गया। इसके खिलाफ उन लोगों को केवल लाइन हाजिर करने से ही फैसला नहीं होता, न्याय नहीं होता। मैं आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप इसकी पूरी जांच करावें और सख्त से सख्त कदम उठावें। मुझे आपने कहा है कम टाइम के लिए, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पुलिस को सक्रिय बनाने के लिए और अपराधों पर मुस्तैदी से रोकथाम करने के लिए मेरे पास में कुछ सुझाव हैं जो मैं निवेदन करना चाहूंगा। पहली चीज डीजीपी साहब भी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप डीजीपी साहब को संबोधित नहीं कर सकते हैं आप तो मुझे ही करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान)... आपने डीजीपी साहब को संबोधित कैसे कर लिया? ये ऑफिसर गैलेरी में बैठे अधिकारियों को अगर इस तरह संबोधन सीधा होने लग जाएगा...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने कह दिया है। कह दिया मैंने कि आप आसन को संबोधित करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मैंने संबोधित नहीं किया है, मैंने केवल यह कहा है बैठे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, वापस लीजिये शब्द अपने आप।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): चलिये, आपको अगर बुरा लग रहा है तो मैं होम मिनिस्टर साहब को संबोधित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बुरा नहीं नियमों के विपरीत है, यह कहा है । आप आसन को ही संबोधित करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन है कि मोटे व थुलथल व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा मोटे हो गये हैं और पेट जिनका चौड़ा हो गया है, उनको पुलिस में या तो ऑफिशियल पद दिया जाना चाहिए, पुलिस में चोरों और डकैतों को पकड़ने के लिए उन्हें नहीं रखना

चाहिए, पहली चीज। मैंने यह अक्सर देखा है, थानों में कुछ मोटे पुलिस वाले ज्यादा हो गये हैं, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए । दूसरा...

श्री अध्यक्ष: आप ऊट-पटांग, ऊल-जुलूल बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप ऊल जुलूल?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): देखिये, अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने हिसाब से बोलूंगा। अब मैं किसी और के हिसाब से क्या बोलूं? दूसरी बात, शराब पीकर कोई भी व्यक्ति थाने में ड्यूटी करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। तीसरी बात ...

श्री अध्यक्ष: अब समय समाप्त हो गया आपका, जल्दी करें आप।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): चलिये, साहब, लास्ट बात कह दूं जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। पुलिस के पास केवल कानून व्यवस्था बनाये रखने का ही बोझ होना चाहिए। बोझ है इनके पास में। इनका इन्क्वायरी करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। इन्क्वायरी करने के लिए दूसरा डिपार्टमेंट होना चाहिए, दूसरे पुलिस कर्मी होने चाहिए। जो इन्क्वायरी में वे आदमी होने चाहिये जिनका रिकार्ड बहुत अच्छा हो, जो शालीन हों और जो स्वच्छ छवि के हों। अगर कुछ ये बातें की जाती हैं तो मैं सोचता हूं कि पुलिस व्यवस्था अच्छी होगी और जनता को राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

(समय : 20.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एसी कम कराओ।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है जब आपके एक माननीय सदस्य अभी-अभी बोल चुके हैं तो दूसरे सत्ता पक्ष की ओर से बोलेंगे।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मैं तो यह कह रहा हूं यह एसी कम कराओ।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह एसी कम कराने के लिये कह रहे हैं, बोलने के लिये नहीं कह रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर आज चर्चा चल रही है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं कह रहा हूं, एससी कम नहीं करेंगे, एससी का तो बैकलाग पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थान से बोलो। वह एससी है और यह एसी है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): गांधीजी ने हमारी पुलिस के लिये कहा है कि जहां तक पुलिस के कार्य का संबंध है न तो वह मुसलमान हैं, न हिन्दू हैं, न ही सिक्ख हैं, वह केवल भारतीय हैं जो धर्म की ओर ध्यान दिये बिना दु:खियों को पूरा का पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं। यह गांधीजी ने कहा है। इतना पवित्र काम पुलिस के हाथ में दिया हुआ है और पुलिस करती भी है। आज की तारीख में जिस तरीके की पुलिस की ड्यूटी है मैं कोई बहुत ज्यादा आंकडों में नहीं जाना चाहता, आंकडे खूब पढ़ रखे हैं और सारे के सारे मार्क भी कर रखे हैं पर समय कम है, अपराध का प्रतिशत घटा है उसके लिये मैं गृह मंत्रीजी को और उनके पूरे विभाग के सभी पुलिस कर्मियों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बडी विडंबना यह है कि इस आजादी के पश्चात् भी पुलिस थानों में कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। आज की तारीख में उनकी गाडियां, पुलिस की जीपें, जिप्सियां और जो शस्त्र हैं वे बहुत ही पुराने हैं। आज कम्पीटिशन में वह आगे नहीं जा सकते हैं । कई बार बड़े-बड़े तस्कर या बड़े बड़े डकैत जिस फास्ट गति से भागते हैं, उनके पास जो फास्ट गाडियां हैं, पुलिस उसका पीछा नहीं कर सकती, उनके साथ मिलान नहीं कर सकती। मैं भी मंत्री रहा और आप भी अध्यक्ष हैं, आपकी गाड़ी तेज गति से चलती है और आपको एस्कोर्ट करने वाली या पायलेट करने वाली गाड़ी पता नहीं कहां रह जाती है, इस प्रकार की गाड़ियां हैं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उसमें आप आमूल चूल परिवर्तन करें। अत्याधुनिक शस्त्र आज उनके पास नहीं है, वेपन्स अच्छे नहीं हैं, उसके लिये भी आप थोड़ा प्रयत्न करें। आज आप कह रहे हैं कि साढ़े नौ सौ पर एक पुलिस कांस्टेबल है या एक पुलिस का व्यक्ति है। गृह मंत्री महोदय, ये आंकडे आपने दिये हैं मैं उसको चैलेंज नहीं करता पर मेरे तीन थाने हैं और एक-एक थाने में 12-12 आदमी है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर 36 आदमी है और ढाई लाख की

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पापुलेशन है, उस हिसाब से सात हजार व्यक्तियों पर एक कांस्टेबल हुआ। आप जो कांस्टेबल बता रहे हैं वह शहर के हिसाब से और कम्पनियों के हिसाब से बता रहे हैं । मैं जो बता रहा हूं वह यह कह रहा हूं कि गांव में सात हजार की पापुलेशन पर एक कांस्टेबल पडता है। कैसे वह व्यवस्था करेगा? छोटी कोर्टों का सम्मन भी वह लेकर जाएगा, दूसरे काम भी वह करेगा। और जैसा कि भीण्डर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, हमारे वहां के डबोक और वल्लभनगर दोनो थाने तो एयरपोर्ट पर ही लगे रहते हैं। आप जानते हैं कि एयरपोर्ट वहीं पडता है, आधा उसमें और आधा उसमें, सारे दिन उनकी ड्यूटी रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी ड्यूटी के लिये कोई न कोई और व्यवस्था भी आप करने की कृपा करें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने आपका यह पढ़ा कि 8 अरब 31 करोड़ तो आप वेतन पर कर रहे हैं। तो वेतन तो देना ही है। यात्रा व्यय भी कर रहे हैं। और बाद में मैंने वाहनों का क्रय का देखा। इस हैड में 2006-07 में एक लिख रखा है आपने, एक का मतलब एक हजार रुपये। एक हजार रुपये में आप क्या वाहन खरीदेंगे? नये वाहन के लिये आपने एक हजार लिखा है, क्या खरीदेंगे आप? क्या आप उसमें प्रगति कर पाएंगे? और जैसा कि हमारे सारे सदस्य बता रहे थे, आप थानों में कम से कम 5-10 हजार रुपये तो इस प्रकार के रखो। आपका कोई मुखबिर है, वह आपको कोई सूचना दे रहा है कि फलाना आदमी वहां है, वह अपनी जान को जोखिम में डालकर सूचना दे रहा है, आप उसको क्या देते हैं? आपका थानेदार कहां से लाकर देगा? आपका व्यक्ति कहां से लाकर देगा? आप उस पर किसी प्रकार का हजार दस हजार का बजट भी रखते हैं। कोई टूट-फूट हो जाए उसका क्या बजट रखते हैं? गाडी में पैट्रोल नहीं है। मैं गया तो मेरे को कहना पडेगा, थानेदार साहब, आप मेरी गाडी में बैठो, मैं अपनी गाडी से ले जाऊंगा। नहीं तो वह कहेंगे, शांतिलालजी चपलोत, आप गाडी में पैट्रोल या डीजल डलवाओ। कम से कम उतने डीजल-पैट्रोल की व्यवस्था तो आप करो। हम एक्सपैक्ट करते हैं अच्छेपन की, 12-15 घंटे उनकी ड्यूटी लेते हो आप, नींद भी आएगी उसको। और परिवार साथ नहीं रहने देते। सबसे बडी विडंबना यह है, आदमी चिड़चिड़ा इसलिए हो जाता है कि उसकी बीबी बीमार, बच्चे बीमार, 700 किलोमीटर दूर आपने पोस्टिंग कर रखी है एक हैड कांस्टेबल की या कांस्टेबल को। मेरा तो यह निवेदन है कि उनको कम से कम उस तहसील में तो रखो जिससे ज्यादा दूर उसे नहीं जाना पड़े। बहुत ज्यादा दूर होगा तो कभी भी उसकी एफीशिएंसी

नहीं आ सकती। ये जो आप 10 हजार मकान बना रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें भी कुछ और तरक्की करके और कुछ मकान मुहैया करवाएं। हमने तो करवाए हैं। मैने तो तीनों थानों पर विधायक फंड से कम्प्यूटर भी दिये हैं। मैंने थानों पर बाउंड्री वाल के लिये भी पैसा विधायक फंड से दिया है। मैं सभी विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी इस बारे में सोचें। यदि हम वास्तव में वैल इक्विप करना चाहते हैं तो अपने सांसद फंड या विधायक फंड से कुछ न कुछ रुपया उनको मुहैया कराएं। आज की तारीख में किसी को पकडा और रात को उसे रोटी देनी है, गृह मंत्रीजी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि पांच रुपये शायद आप खाने का देते हो, 10 आदमियों को गिरफ्तार किया, आपको रोटी तो खिलानी ही है। यदि आपने उसको भूखा रख दिया तो आपकी बदनामी अलग होगी। 10 जनों के लिये 50 रुपये में खाना पड़ सकता है क्या? वह थानेदार कहां से लाएगा? वह इंचार्ज कहां से लाएगा?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): आप उस समय अध्यक्ष रहे थे थोड़ा बहुत बढ़ा देते तो आपको यह कहने की नौबत नहीं आती।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): सही कह रहे हैं आप, मैं अध्यक्ष था, अध्यक्ष तो यह काम करता नहीं है यह तो होम मिनिस्टर करते हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): आप गृह मंत्री भी रहे हुए हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप गृह मंत्री भी थे।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): राज्य मंत्री था। गृह मंत्रीजी जो छोटे छोटे मुक़दमे हैं, जैसे 107 के हैं, 283 के हैं जिसमें 100-50 रुपया फाइन है, मोटर व्हीकल के हैं, उन केसेज को तो आप विथड्रा करो या एक मुश्त उनका फैसला करो जिससे कोर्टों में भी बर्डन कम रहे, आपके पुलिस कर्मियों पर भी जांच का जो बर्डन बना रहता है वह बर्डन कम हो जाए। आपकी कोर्टों में जो मुकदमे हैं उसमें से कम से कम 2-3 लाख मुकदमे कम हो जाएंगे। इसके बारे में भी थोडा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं बहुत अधिक बातें नहीं कहते हुए आपने मुझे ध्यान पूर्वक सुना और समय दिया, उसके लिये मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। थोडा बैरको में भी काम करिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश मीणा ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, आसन से मेरा नाम पुकारा था उसके बाद तीन लोग और बोल लिये ।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि आपकी पार्टी ने जो नाम भेजे हैं उसमें आपका नाम नहीं है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आपने आसन से बोला है नाम। आपने रणधीर सिंह भीण्डर और मेरा दोनों का नाम बोला है।

श्री अध्यक्ष: सुनिए तो सही, पहले जो लम्बी चौडी लिस्ट भेजी थी उसमें आपका नाम था फिर काट दिया गया।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैं बोर्डर के उन जिलों से आता हूं जहां लॉ एंड आर्डर सबसे जयादा विषय है। मेरा बिलकुल अलग से हटकर विषय है।

श्री अध्यक्ष: इनके बाद बुला दूंगी आपको। समय सीमा में रहें, मीणा जी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मेरी और से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से मैं पुलिस विभाग पर सारे माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा हूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है लेकिन मैं तो सबसे बड़ी बात एक मानकर चलता हूं कि जिसकी सरकार होती है, पुलिस कठपुतली की तरह उसके आदेश की पालना करती है।

श्री अध्यक्ष: अपना मुंह इधर रखिये ताकि मैं सुन सकूं।

श्री सुरेश मीणा (करौली): आज हम पुलिस अधिकारियों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये इस तरह का काम करते हैं लेकिन इन कामों को, अध्यक्ष महोदय, सारा हम ही लोग करवाते हैं। कोई भी अपराध होता है, किसी का मर्डर होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आदमी मर्डर करके चला जाता है तो उसका एमएलए या मिनिस्टर जरूर होगा जिसका फोन एसपी को जाएगा। चाहे मर्डर हो गया लेकिन उसको बचाने के लिए मिनिस्टर पूरा जोर लगाएगा कि यह आदमी नहीं फंसना चाहिये, इसके बजाए कोई दूसरा फंस जाए। इस तरह से ये मामले बहुत ज्यादा हैं। मैं अभी 15 दिन पहले करौली की जेल का निरीक्षण करने चला गया, वहां पर हकीकत में कुछ लोग निर्दोष फंसे हुए हैं, जिनका कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन उनको आज जेल की हवा खानी पड़ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो भी अधिकारी लगता है चाहे थानेदार, चाहे डीएसपी, चाहे एसपी, वह बगैर नेता की मर्जी के, वहां के

एमएलए, मिनिस्टर की मर्जी के नहीं लग सकता। जब उसके कहने से कोई भी एसपी लग रहा है तो वह उसकी बात जरूर मानेगा। वह एक गरीब की बात नहीं मानेगा। सारे कानून, नियम गरीब के ऊपर लागू होते हैं। अमीर के ऊपर कोई भी नियम, कानून लागू नहीं होता। मैं ज्यादा नहीं बोलकर, जो मांग करता चला आ रहा हूं वही मांग हमारे मंत्री महोदय के सामने रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो मांग ही कर दीजिए, ठीक है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): हमारे तो बैकलाग का मामला है। मेरे से बहुत-से माननीय सदस्य कहते हैं कि आप इसीलिए सदन में आये हो। मैंने कहा इसीलिए आया हूं चाहे कुछ भी कहो आप। जिन लोगों का आज तक बोलने वाला पैदा नहीं हुआ, जिनकी बात आज तक पूरी नहीं हुई उनको पूरी कराने के लिए, निवेदन करने आया हूं इस सदन में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एडीशनल एसपी से एसपी के, प्रमोशन में एसटी, एससी का बैकलाग पडा हुआ है वह आज तक राजस्थान सरकार ने पूरा नहीं किया। चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आज तक बैकलाग पूरा नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन में माननीय मंत्रीजी से एक बात पूछी थी कि इस राजस्थान में एक सिपाही से लगाकर एसपी तक एसटी और एससी के कितने फील्ड पोस्टिंग पर लगा रखे हैं? उस वक्त माननीय मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया था कि 750 थाने हैं उनमें से 37 पर एसटी, एससी के इंचार्ज लगे हुए हैं। मंत्रीजी ने मुझसे कहा था कि वह कांग्रेस के समय का मामला है। लेकिन मैंने निवेदन किया था, माननीय मंत्रीजी, कांग्रेस तो जिस पटरी पर चली है उसने वह सज़ा भोग ली लेकिन आप इस पटरी पर मत चलिए जिसकी सज़ा आपको मिले।

मैंने परसों भी यह बात कही थी कि इस राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में राज को बदलता है यह कमजोर समाज। यह एसटी, एससी समाज जिधर मुंह कर लेता है राज उसका बन जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर आज जरूर आशीर्वाद रखें। आप ऐसा मत कीजिए कि कांग्रेस ने नहीं किया तो हम भी नहीं करें। हमारे इन गरीब लोगों ने 42 एमएलए आपकी पार्टी को दिये हैं जिससे आप आज राज में बैठे हुए हैं। वह इसलिए दिये कि जब कांग्रेस ने उनकी पूर्ति नहीं की उसके बदले की भावना से आपको वोट दिये। (व्यवधान)

(श्री सुरेश मीणा)

अब आगे देखा जाएगा। ये उसी पटरी पर चलेंगे तो इधर आ जाएंगे और आप उधर चले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप तो यहीं रहेंगे क्या?

श्री सुरेश मीणा (करौली): हम तो बीच में बैठेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जब तक सरकार के नकेल नहीं होगी वह सरकार मनमर्जी करेगी, इसलिए नकेल का काम हम करेंगे आने वाले समय में। चाहे कांग्रेस का मुख्य मंत्री बने चाहे बीजेपी का बने लेकिन बीएसपी, नकेल का काम करेगी राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): इसलिए मेरा आपसे, माननीय गृह मंत्रीजी,...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पहले भी दो आये थे, 1993 में दो ही आये।(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): ऐसा है दो तो कभी बीजेपी के भी आते थे जो आज सेंटर में भी राज कर रहे हैं, राजस्थान में भी राज कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सुरेशजी, हर बार दो जीतते हैं फिर चुनाव तक वह इधर-उधर हो जाते हैं और फिर दो जीत जाते हैं।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : चक्कर ऐसा है कि आप जैसे सैठ साहूकार, जब तक हैं, इन लोगों का भला नहीं हो सकता, माननीय सदस्य। आप जैसे सैठ साहूकारों के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब समझ चुके हैं और आने वाले समय में दिखा देंगे कि हमारे साथ अत्याचार करने का नतीजा क्या होता है। जय भीम, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। श्री रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17-कारावास के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सुबह से सदन में चर्चा हो रही है मौटे तौर पर विपक्षी सदस्यों ने माना कि उनके राज की तुलना में वसुन्धराजी के नेतृत्व में चलने वाले इस राज में कानून और व्यवस्था की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। ये केवल अपने कर्तव्य का निवर्हन कर रहे हैं विरोध की भाषा बोलकर।

अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तथा लालू प्रसाद जी यादव ने थार एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया मेरे विधान सभा क्षेत्र में। उससे हमारे बार्डर का क्षेत्र अति संवेदनशील की श्रेणी में आ गया है। हम सभी जानते हैं कि 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत अखण्ड भारत के अंग थे। नेहरूजी की तथा कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के कारण देश का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप दो टुकड़े हुए। 1947 से 1965 तक दोनों देशों के नागरिक यह नहीं जानते थे कि हम अलग-अलग देशों के रहने वाले हैं लेकिन 65 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद से तस्करी, राष्ट्रविरोधी गतिविधियां बढ़ने लगीं। उसके बाद खास तौर से 1980 से 1988 तक का काल सम्पूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाने लगा। कश्मीर समस्या, असम समस्या, पंजाब समस्या उसी समय ज्यादा बढ़ी। उसी समय पश्चिमी राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में अराष्ट्रीय गतिविधियों का केन्द्र बना। 1980 से 1988 तक का पीरियड राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का रहा। उस समय जो बड़ा तस्कर था, बड़ा राष्ट्रविरोधी था, प्रतिपक्ष के नेता विराजमान हैं, वह कांग्रेस से विधायक बना, सांसद बना या जिला प्रमुख बना या प्रधान बना। मैं अपनी मूल बात पर आना चाहता हूं कि वर्तमान में जो थार एक्सप्रेस चालू हुई है उससे हमारे क्षेत्र की जो अति संवेदनशील स्थिति हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का प्रवास हुआ है, माननीय गृह मंत्रीजी पूरे बार्डर का दौरा कर चुके हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार्डर इंटेलीजेंस को हर हिसाब से बढ़ाया जाए। खास तौर से जो रेल आती है पाकिस्तान की, उसमें हमारा जीरो पाइण्ट रेलवे स्टेशन मुनाबाव से डेढ किलोमीटर अन्दर है। वापस जब रेल जाती है उस समय सुरक्षा के हमारे कर्मचारी साथ में रहने चाहिए, क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति वस्तु डाल सकता है, कोई व्यक्ति उसमें चढ़ सकता है। इस स्थिति पर ध्यान देने की जरुरत है। दूसरा, मेरा पाइण्ट है कि वह जो पाकिस्तान का इंजन जाता है, वापस मुड़कर जब पाकिस्तान की तरफ लगता है तो दो से ढाई किलोमीटर के उस पीरियड में कुछ गतिविधियां हो सकती हैं जो अप्रिय हों। उसके लिये भी सुरक्षा अधिकारी हमारा साथ में रहना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे स्टेशन जो खोखरापार है, वहां 8 घण्टे तक रेल रुकी रहती है, हमारे यहां तो 28 करोड़ का रेलवे स्टेशन बना है, पता लगा है कि वहां केवल एक छपरा लगा हुआ है और

उसमें कोई सुविधा नहीं है। यात्री परेशान होते हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के माध्यम से पाकिस्तान को सावचेत करें कि वहां व्यवस्थाओं में सुधार हो। मुनाबाव में पुलिस चौकी और टेलीफोन और आवास की सुविधा होना बहुत जरुरी है। बी.एस.एफ. के जवानों को जिस तरह की सुविधा मिलती है, वैसी ही हमारे बार्डर के थाने के कर्मियों को देनी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिव और फतेहगढ़ दो जगह सी.ओ. की जरुरत है। मायला और बीहड़ में पुलिस स्टेशन की और बाड़मेर हैड-क्वार्टर पर एस.सी.,एस.टी. के लिये डी.एस.पी. सैंक्शन किया जाए। बाड़मेर के हीथाना सेड़वा, बिजड़ा और घेड़ा तथा जैसलमेर के झुंझानी को टेलीफोन से जोड़ा जाए। जैसलमेर पुलिस ने 11 किलो हेरोइन बरामद की, बाड़मेर पुलिस की नकली नोट, हेरोइन तथा हथियार पकड़ने तथा बालोतरा के कविता हत्याकाण्ड में शानदार सफलता, पर्दाफाश करने की जो कार्यवाही हुई है उसके लिये पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि कई तरह की बार्डर की समस्याएं हैं, उनके बारे में माननीय गृह मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी उनके राज्य में डकैती, बलात्कार, नकबजनी और दहेज-मृत्यु में जबरदस्त कमी हुई है 1999 की तुलना में, उसके लिये माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पुलिस का जो रिसर्च वर्क है और इंवेस्टीगेशन वर्क और पुलिस का जो ड्यूटी वर्क है, उनको दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी घण्टे और पुलिस कर्मियों को जो अवकाश मिलता है उसमें उनको पर्याप्त सुविधा देनी चाहिए। वाहनों और पीओन की सुविधा में भी वृद्धि किया जाना बहुत जरुरी है। थार पुलिस के गठन की बात चल रही है। केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, उसके बारे में कुछ किया जाना बहुत जरुरी है। पासपोर्ट जारी करने के बारे में नियम यह है कि कलक्टर और एस.पी. के द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ही पासपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन कोई तस्कर, कोई राष्ट्रद्रोही यू.पी.ए. की सरकार में बाड़मेर एस.पी. और कलक्टर और हमारे डी.जी. पुलिस के मना करने के बावजूद पाकिस्तान चला जाता है, यह बहुत शर्म की बात है। इसके लिये मैं यू.पी.ए. सरकार की कड़ी आलोचना करता हूं। (व्यवधान) रोशन खान गया, आपकी पार्टी का तीन बार ब्लाक अध्यक्ष रहा। आपकी यू.पी.ए. सरकार ने उसको पासपोर्ट दिया। हमारी पुलिस ने मना किया, मना करने के बावजूद आपकी यू.पी.ए. सरकार ने दिया। माननीय गृह मंत्रीजी का इस बात के लिये

(डा. जालम सिंह रावलोत)

आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह की उनकी छवि है ईमानदार की, वह ईमानदार छवि पुलिस के अन्दर निखर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैं दावे के साथ कह सकता हूं पुलिस के आई.जी. लेवल के आफिसर, पुलिस के बाकी एस.पी. पूरी तरह से ईमानदार हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह तो जसवंत सिंहजी साथ गये थे, जसवंत सिंहजी के साथ गया था तस्कर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, आप विराजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, यह बोले थे, गांधीजी और नेहरूजी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, मेरा निवेदन है कि उसको तो कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ले जाने वाले कौन थे, इस बात को भी जाना जाए।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आपके एक्स. एम.पी. ने मदद की है, अमृत नाहटा, वृद्धिचन्द जैन ने, ऐसे तस्करों को बढ़ावा देकर। ऐसे रिकार्ड हैं मेरे पास। यह हाई-कोर्ट का रिकार्ड है, बार्डर इंटेलीजेंस का है, बी.एस.एफ. का है, यह सारा मैं सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हूं जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने समय-समय पर तस्करों को संरक्षण दिया। मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं। बार्डर में जो भाई-चारे का भाव है, उस भाई-चारे का भाव बढ़ाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन गुजरात और यू.पी. से जो मुल्ला-मौलवी आते हैं उनके बारे में हमारे माननीय गृह मंत्रीजी ने जो आह्वान किया है पुलिस अधिकारों को, नीचे वालों को कि वे समय-समय पर रिपोर्ट दें, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और माननीय गृह मंत्रीजी से पुनः आग्रह करता हूं कि उस पर कड़ी निगरानी रखें ताकि कोई व्यक्ति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में अवांछित गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयत्न करे तो उसकी वहीं जबान खेंच दी जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे कारागार विभाग की समस्याओं के बारे में। हमारे जो जेल कर्मी हैं उनकी बहुत समस्याएं हैं। सभी सदस्य उस पर

बोलना चाहते हैं लेकिन समय की कमी रह जाती है। खास तौर से जो कमेटी है उसने सिफारिश की है कि हमारे पुलिसकर्मियों को जिस तरह से वेतन मिलता है, उसी तरह का वेतन जेल के कर्मियों को दिया जाए। हमारे यहां जेल कर्मियों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है, चाहे जेलर हो, चाहे सब जेलर हो, अधीक्षक हो, उप अधीक्षक हो, उनको दूसरे राज्यों और पुलिस की तुलना में वेतन और सुविधाएं बहुत कम दी जाती हैं। उनको बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में आपके माध्यम से राजस्थान सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि सवा दो साल के राज में हर हिसाब से राजस्थान के लॉ-एण्ड-आर्डर में सुधार हुआ है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की जो लोकप्रियता है तथा हमारे माननीय गृह मंत्रीजी की जो शानदार छवि है, उसके कारण पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार कम हुआ है। वह भ्रष्टाचार आई.पी.एस. अधिकारियों में काफी कम हुआ है, नीचे तक कम हो, उसके प्रयत्न किये जाने चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक नागपाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है आपसे। माननीय सदस्य ने जो अपनी बात की, उसमें एक सेन्टेंस कोट किया है, भारत और पाकिस्तान के पार्टिशन पर उन्होंने गांधीजी और नेहरूजी को यहां पर...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, कि इन शब्दों को देख लिया जाए और उनको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देख लूंगी। हां, देख लूंगी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के दो और एक बी.एस.पी. के बोल चुके, मेरे ख्याल से अब कांग्रेस का नम्बर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दो उनके और उसके बाद आप। एक और बोलेंगे, उसके बाद आपका आएगा। (व्यवधान) दो नहीं बोले हैं, एक ही बोले हैं।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से मांग संख्या 16...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये तीसरे हैं।

श्री अध्यक्ष: सुरेश मीणा बोले हैं, उसके बाद केवल जालमसिंहजी रावलोत बोले हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): शांतिलालजी चपलोत साहब बोले हैं।

श्री अध्यक्ष: शांतिलाल चपलोतजी के बाद तो सुरेश मीणा बोले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उसके बाद भी दो आते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, ऐसा नहीं करें आप। एक ही बोले हैं। पूरा ध्यान रखती हूं इस बात का । एक ही बोले हैं, दो नहीं बोले हैं।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16-पुलिस पर और मांग संख्या 17-कारागार पर बड़ी सारगर्भित चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय गृह मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में थानों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, उसके मद्देनजर हमारा सीमान्त जिला श्रीगंगानगर जिसके सभी थानों में विधायक कोष से कम्प्यूटर दे दिये गये हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन पुलिस थानों में कम्प्यूटर लगा दिये गये हैं उनमें अलग से कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण करवाएं और जो भी वहां इंचार्ज हैं, वहां का जो स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग दिलवाकर उनमें एफ.आई.आर. की सुविधा ई-मेल के माध्यम से मुहैया करवाएं। पूरे गंगानगर जिले में कोई भी थाना बिना कम्प्यूटर के नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिसमें 7 थाने तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में और 2 डी.एस.पी. हैडक्वार्टर हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ई-मेल से एफ.आई.आर. एक भी दर्ज नहीं हुई है अभी तक।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): मैं डिमाण्ड कर रहा हूं। मैंने यह कहा है कि कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): डाक्टर साहब, मैं नया हूं, बीच में नहीं टोकें तो ठीक रहेगा थोड़ा।

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): आप उधर से बोलते हैं तो हम थोड़ा हिल जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने सम्भाग स्तर पर पुलिस अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन करके आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश की। क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी काम हो, आपस में मिलजुलकर करने के लिए आपने जो बैठक ली, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आये हैं। जब हमारी बीकानेर सम्भाग की बैठक हुई थी उसमें कुछ प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखे थे, उसमें घड़साना थाने के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत कराकर जो भिजवाये हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अनूपगढ़ में सवा दो करोड़ रुपया नई जेल के लिए आपने जो स्वीकृत करवाया है उसके लिए भी मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सभी जगह महिला पुलिस थाने खोले जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में श्रीगंगानगर में भी महिला थाने की स्थापना कर दी गयी है। एक बात और भी कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से कि जो सट्टा पर्ची होती है वह एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए। जो भी सट्टा लगाता है, जो भी सट्टे का कारोबार करता है, पचास या सौ रुपये उसके पैनल्टी लगाकर उसको छोड़ दिया जाता है। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि इसको सामाजिक अपराध मानते हुए इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग बात करते हैं कि पुलिस हमें सहयोग नहीं करती। मेरा गंगानगर जिला जो सीमावर्ती इलाक़े में है, इसमें जो वाहन थानों में हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। उन थानों को जो डीजल दिया जाता है वह 100-150 लीटर प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है, उसकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। वह सीमावर्ती इलाका है, आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना हो, उसको रोकने के लिए उनको डीजल, पैट्रोल और गाड़ियां पूरी अच्छी तरीके की मुहैया करायी जाएं। पुलिस थाने में वजह सबूत रखने के लिए पृथक से मालखानों का निर्माण है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से

(श्री अशोक नागपाल)

माननीय गृह मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां पर मालखाने हैं वहां मालखानों का आकार पर्याप्त नहीं है एवं जहां पर थानों में मालखाने नहीं हैं वहां मालखानों का निर्माण करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जब उनका वहां से स्थानांतरण हो जाता है, कहीं अन्यत्र चले जाते हैं तो इनको अपनी तारीख पेशी में जाने के लिए कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। इस हेतु उनको या तो यात्रा भत्ता दिया जाए या उस कार्य दिवस के बदले में जो सी.एल. होती है वह दी जाए।

एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान होता है, मान लीजिए मेरे विधान सभा क्षेत्र रावला कस्बे में हुआ तो चालान होने के बाद उसको कम्पाउंड करने का जो अधिकार है वह डीवाई.एस.पी. के पास होता है जो कि वहां से 70 किलोमीटर दूर है। इस तरह के जो अधिकार हैं वे वहां के थानाधिकारी को भी मिलने चाहिए ताकि जनता का आने-जाने का समय और उनके ऊपर जो अलग से पैसा लगता है वह नहीं लगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय गृह मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खूब विकास कार्य हुए हैं और हमारी पुलिस में बदलाव आया है। प्रतिपक्ष के काफी माननीय सदस्य शुरू में जब उठते थे तो प्रशंसा करते थे लेकिन बाद में उनको कुछ याद आता था कि हम प्रतिपक्ष के हैं तो अन्त में एक दो लाइनें हमारे खिलाफ भी बोलते थे। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसी भी बात की आलोचना-प्रत्यालोचना करें तो वास्तविकता जो है उसको जरूर इस सदन के अन्दर कहें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इन दो लाइनों से अपनी बात को खतम करना चाहूंगा, न आंधियों का डर है, न खतरा हवाओं का। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, सुनिये। न आंधियों का डर है, न खतरा हवाओं का।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर मेरी भी सुननी पड़ेगी।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): हां, सुन लूंगा।

न आंधियों का डर है, न खतरा हवाओं का,

हमने तो दीपक जलाये हैं, सूरज को तोड़कर,

हमने तो दीपक जलाये हैं, सूरज को तोड़कर।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो देना पड़ेगा, उन्होंने मुझे इंगित किया है।

श्री अध्यक्ष: उर्दू में दीपक होता ही नहीं है, क्या जवाब देंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अजी, साहब, जवाब तो देता हूं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उर्दू में दीपक होता ही नहीं है।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सुन लीजिए। संख्या के अन्दर इतना ग़रूर मत करो। शेर सुन लीजिए।

आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी

बस वही शाख़ बचेगी जो लचक जाएगी

तुम्हे आसमान छूने का अन्दाज भी हो जाएगा

जब कुर्सी तुम्हारे नीचे से खिसक जाएगी।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): वह तो समय बताएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको जवाब दे दिया मैंने, अब आप सोचते रहो कुछ भी। ... (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आंधी के क्षेत्र में रहने में लचक अपने आप आयी हुई है। इन्हें जानता नहीं कोई। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह शेर तो आपने अन्तिम समय में अपना ही कह दिया। कोई शेर पूरा बताया नहीं आपने। चलिये, खैर, कोई बात नहीं। ... (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह तो एक बार पहले हाउस में बोल चुके, दूसरा बताते कोई। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दूसरा सुना दूं। बाकी रह गया हो तो और सुना दूं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नीचे की दो लाइनें तो खुद की कर लीं। ऊपर का शेर तो ठीक है, नीचे की दो लाइनें खुद की कर लीं।...(व्यवधान) श्री बृजकिशोर शर्मा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं एक बात पूछ लूं आपसे कि आपने मेरे को छह पर्चियां भिजवायी हैं और अलग-अलग में अलग-अलग बात लिखी है। मैं आपके क्रम से चलूं या कैसे चलूं, यह भी बता दें आप जरा?...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी कृपा हो जैसे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मेरी कृपा नहीं, आपने छह पर्चियां भिजवाई हैं मुझे।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी कृपा पर छोड़ दिया हमने। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे झगड़ने में कोई फायदा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपने मुझे लिखा है कि जो क्रम मैंने दिया है उसे चेंज नहीं किया जाए, मेरे सदस्यों में इस बात को लेकर आक्रोश है। इसलिए मैं क्रम से ही चल रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो चले गये, सभापतिजी के वक्त की बात है। आप ऐसी भूल नहीं कर सकतीं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह आपने लिखकर भेजा है इसलिए मैंने कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह सभापतिजी को भेजा था। जिनका क्रम कटा उनको बहुत रोष हुआ। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा। नहीं, मैं बिलकुल क्रम से चल रही हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्रम में नम्बर तो आ जाएगा?

श्री अध्यक्ष: आपका तो लास्ट नम्बर है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कहीं भी दे दो, इनको तो बुला दो आप।

श्री अध्यक्ष: आपका लास्ट है। श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17-पुलिस और कारागार पर चर्चा हो रही है। माननीय

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री बहुत काबिल और ईमानदार हैं लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे यह भी पूछना चाहूंगा और आज इस सदन में यह चर्चा करनी ही पड़ेगी कि ऐसे कौनसे कारण थे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनसे करवाओ। आपने दिया मोशन, उनसे सिफारिश करवाओ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बुलवा दो इनको भी।... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौनसे कारण थे.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने खुद ने कहा है अभी। आपने शुरू में ही तारीफ कर दी अब पूछना क्या पड़ा है ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठें नहीं, शुरू में कर दी तारीफ आपने।... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब आप मुझे आगे तो बात बोलने दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौनसे कारण थे जिनकी वजह से माननीय मंत्रीजी को यह कहना पडा कि मैं दु:खी और कुंठित गृह मंत्री हूं? मेरी यह समझ में नहीं आता, माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहते वक्त शायद यह नहीं सोचा कि कि दु:खी और कुंठित मंत्री हूं किपुलिस डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय पर इसका क्या असर होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात इसलिए और भी गम्भीर हो जाती है जब इसी के साथ-साथ मंत्री महोदय यह कहें कि वह पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत महसूस करते हैं। तो क्या यह तो नहीं कि माननीय मंत्रीजी दु:खी और कुंठित पुलिस व्यवस्थाओं से हैं? या किसी और कारण से? या किन-किन कारणों से हैं, यह तो माननीय मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तब यह बताएं, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष: आपका कटौती प्रस्ताव थोड़े ही है इस संबंध में, जो बताएंगे? आपका कटौती प्रस्ताव तो है नहीं, जो बताएंगे वह। ..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूंगा। इस चर्चा में यह भी एक इम्पार्टेन्ट इश्यू है कि पुलिस डिपार्टमेंट को माननीय हाई कोर्ट का यह निर्देश सुनना पड़े कि प्रदेश की पुलिस नकारा और निकम्मी है। यह बहुत गहरी सोच है, हमको सोचना पड़ेगा कि माननीय हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी क्यों की। आखिर कहीं न कहीं कोई कमी तो है। हमें इस बात पर विचार करना ही पड़ेगा कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर डी.जी.पी. को हाई कोर्ट के अंदर जाकर यह कहना पड़े कि जजों की सुरक्षा के लिये पुख्ता इन्तजाम किये जाएंगे। माननीय मंत्रीजी, एक बात और, इन बातों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि माननीय हाई कोर्ट को पुलिस डिपार्टमेंट के लिये यह कहना पड़े, पुलिस वालों, रंग-ढंग सुधारो। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, माननीय मंत्रीजी, कि जिसमें हमको विचार करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य जो यहां पर विराजमान हैं, सुबह कह रहे थे कि जयपुर में अपराधों की संख्या में कमी हुई है। मैं नहीं मानता कि माननीय मंत्रीजी का यह स्टेटमेंट सही है या माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार से आते हैं, उनका कथन सही है। गृह मंत्रीजी खुद मानते हैं कि जयपुर में वाहन चोरी, मोबाइल चोरी आदि में बढ़ोतरी हुई है। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने, सरकार ने मुझे जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, प्रश्न नम्बर 97/2003 के अंदर कुल अपराधों की संख्या जो मुझे बताई है वह 14502 है। इसी तरीके से 2004 में यह संख्या घटी नहीं है, यह संख्या बढ़कर 16161 हो गयी है और 2005 के अंदर इस संख्या में कमी नहीं आई है, यह 16054 हो गयी है। यह तो उसके बावजूद है जबकि मेरे विद्वान साथी हरिमोहनजी जो हिण्डौली से आते हैं, वह ठीक ही कहते हैं ..(व्यवधान) विद्वान आपकी तरह नहीं, ..(व्यवधान) हां, विद्वान हैं। आप अपने आपको विद्वान मत मानिये, यह वाकई विद्वान हैं। अगर आपको गलतफहमी हो तो करैक्ट कर लीजियेगा। यह ठीक कह रहे थे कि इसके अंदर वे आंकड़े शामिल नहीं हैं जो सी.एल.जी.के माध्यम से इस आंकड़े में जुड़ने से रह गये। माननीय सदस्य को एक बात और बताना चाहता हूं कि जयपुर में छह एस.पी. होने के बावजूद 12 जुलाई, 2006 तक 8351 अपराधों ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): 2006 तक आपको पता है कितने अपराध होंगे?..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 2005 तक। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): जुलाई तक आपको पता है कितने होने वाले हैं? ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 2005 बोला है उन्होंने। ..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): बाद में बोला है।..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: जुलाई, 2005 बोला है, आप फिर से सुन लीजिये।..(व्यवधान)..

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपकी समझ में नहीं आवे, उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है।..(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): इतने बड़े राज में एक-आधी गलती चाले, कोई दिक्कत कोनै।..(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): बीच में मत बोलो, विद्वानों की बात हो रही है।..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से कहकर राज़ी हों, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन राजस्थान में किस तरह से अपराध हो रहे हैं, उसके कुछ आंकड़े मैं आपको पेश करना चाहता हूं। राजस्थान में हर चौथे मिनट के अंदर एक अपराध होता है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह गृह मंत्रीजी का खुद का स्टेटमेंट है। प्रति दिन छह चोरियां और दो सेंधमारी हो रही हैं जयपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर 2003 में जहां कुल 2553 चोरियों के मुकदमे दर्ज हुए थे, वहां 2004 में 3371 मुकदमे दर्ज हुए हैं और तारीख 22.9.2005 तक 2246 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस बात के लिये मैं कहना चाहता हूं कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जयपुर में अपराधों में कमी आई है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपके पास आंकड़े पूरे नहीं हैं, मेरे से ले लेना।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): कोई बात नहीं। ये जो आंकड़े सरकार ने मुझको प्रस्तुत किये हैं वे गलत है या आपके आंकड़े ज्यादा सही हैं, पता नहीं। शायद आपको गृह मंत्रीजी ने डायरेक्ट दिये होंगे। यह जवाब पृष्ठ संख्या 97 तारीख 24 का है, हर महीने में 40 हत्याएं जयपुर शहर में हो चुकी हैं पिछले 10 महीनों में। एक बहुत बड़ा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपने इतनी हत्याएं क्यों करवाईं? ..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड के आंकड़ों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हर तीसरे घण्टे में एक महिला का यौन शोषण होता है और आठ घण्टे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, रोजाना एक महिला की दहेज के मामले को लेकर हत्या कर दी जाती है। वहीं प्रति दिन 15 महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इतना ही नहीं रोजाना छह महिलाओं का अपहरण होता है। पूरे प्रदेश में जितने अपराध होते हैं उसमें से 36 प्रतिशत अपराध महिलाओं के प्रति होते हैं। ये उस वक्त के अपराध हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिस साल हम महिला सशक्तीकरण साल मना रहे हैं। तब हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि राजस्थान की मुख्य मंत्री महिला है और आप मुझे माफ करेंगी, सदन की नेता भी महिला है और उस वक्त राजस्थान के अंदर अगर 36 प्रतिशत महिलाओं पर अत्याचार होता है तो एक सोचने का विषय है। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पुरुष की मानसिक परिस्थिति विकृत हो गयी है, उसका नतीजा है यह। ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इससे ज्यादा गृह मंत्रीजी क्या रिमार्क हो सकता है आपके लिये? ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मानसिक तौर से विकृत हो गया है पुरुष, बिलकुल।.. (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आप तो पुरूष की गिनती में नहीं आते हो ना?...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब आपके पास में योग्य केबिनेट मंत्री बैठे हैं तो उनका नम्बर कहां से आने वाला है?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कहते हो आप भी इस तरह से, थोड़ा संयम रखो। हां, बोलिये। वैसे आपको दस मिनट हो गये हैं इसलिए कृपया कनक्लूड करिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं बहुत जल्दी कनक्लूड करूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा चैलेंज माननीय मंत्री महोदय को और होने वाला है क्योंकि जब हैलमेट और बैल्ट जैसी मामूली-सी बात के खातिर आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: जीवन रक्षा के लिए हैलमेट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि यह कानून गलत है लेकिन मैं जो इंगित करना चाहता हूं उसको मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी तो इस सदन का भी सत्रावसान भी नहीं हुआ है, इसी सत्र के अन्दर एक एक्ट पास किया है जिसके अन्दर थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन जाना...

श्री अध्यक्ष: क्या ताल्लुक है इस बात का इससे, क्या ताल्लुक है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): क्यों नहीं है इससे ताल्लुक? अगर इस पर आपने अधिकार पुलिस को दे दिया तो आम आदमियों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ अपनी सोच का विषय है, जिस दिन यह कानून बाजार के अन्दर लागू होगा और जिस तरीके से लोगों को इसकी परेशानी को...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिए नहीं बोलूंगा कि माननीय सदस्य मेरे से बहुत नाराज हैं, बाकी आप जो बोले उसमें आपस में तालमेल बैठा नहीं।

श्री अध्यक्ष: हां, कोई रेलेवेंस ही नहीं है इसके साथ। पुलिस के साथ इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): इस कानून को रोकेगा कौन?... (व्यवधान) नहीं, एक्ट को रोकेगा कौन?

श्री अध्यक्ष: लागू नहीं हुआ है। एक मिनट। अभी कहां लागू हुआ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया है, पुलिस डाइरेक्ट इसमें एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है इसलिए पुलिस से रिलेटेड है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): बिलकुल ठीक है। ...(व्यवधान

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): लेकिन हैलमेट का और पेशाब का साथ, लघु शंका का कहां ...(व्यवधान) और उसमें जानवर शरीक नहीं हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जानवरों के लिए तो आप समझ रहे हो, वह पुरुषों के लिए है और वह अपराध महिला भी करे तो उसके लिए भी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऐसे लोगों को आप जानवर समझोगे?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अब आप समाप्त करें। हां, प्लीज।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहता था। सदन के अन्दर गेहूं के घोटालों की बहुतचर्चा हुई, पिछले दो-सवा दो साल से हम यही सुनते आये कि गेहूं के घोटाले हो गये लेकिन शायद इससे बड़ा घोटाला गेहूं का कभी नहीं देखा होगा न सुना होगा, जो मैं बताने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 16 मिनट ले लिये आपने।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 475 क्विंटल गेहूं जो कैदियों के लिए आया था, सी.ए.जी. रिपोर्ट में उन्होंने इसको दर्शाया है, यह घोटाला इसी समय का है, यह 30 जनवरी, 06 को सी.ए.जी. की रिपोर्ट में आया है।

श्री अध्यक्ष: 2001?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2006, 30 जनवरी, 2006.

श्री अध्यक्ष: हां, यूं बोलिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): वैसे कहने को तो बहुत बड़ी बात है। आज जयपुर शहर अपराधियों के लिए एक स्वर्ग बन गया है। यहां पर तो दुनियाभर के अपराध चाहे नकली हथियार बनाने का कारखाना हो, चाहे नकली घी बनाने का कारखाना हो, चाहे नकली नोट छापने का कारखाना हो,

यहां तो सब तरह के अपराध, यूं कह दें, जयपुर एक अपराध स्थली बन गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। श्री धर्मेन्द्र मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 16 व 17 पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस थानों का कम्प्यूटरीकरण व जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण करवाया जिसके कारण पुलिस विभाग के कार्यों में कुशलता बढ़ेगी। आपके नेतृत्व संभालने के बाद, गृह मंत्रालय का पद संभालने के बाद जो पुलिस में भ्रष्टाचार था उस पर अंकुश लगा। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, बलवा, नकबजनी, चोरी जैसी वारदातों में गत वर्षों की तुलना में काफी कमी आयी। राजस्थान प्रदेश की कानून और व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही सराहनीय रही है, इसके लिए मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कांस्टेबलों की भर्ती का भी आपने सराहनीय कार्य किया है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण रहा जिसके कारण प्रदेश में अमन-चैन रहा।

गृह मंत्रीजी, पहले तारांकित प्रश्न के माध्यम से मैंने पर्ची सट्टे के सम्बन्ध में कुछ बातें रखी थीं, उस वक्त आपने यह कहा था कि पर्ची सट्टे पर कठोर कार्यवाही के तहत एक कानून लाया जाएगा। आपके प्रयासों से पर्ची सट्टा पर खूब अंकुश लगा है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अन्दर या जिस सर्कल के अन्दर सट्टा लगता हुआ पाया वहां पर सीधी कार्यवाही करके आपने छापे लगवाये, उस सी.आई. को या थाना इन्चार्ज को आपने सस्पैंड करवाया और मुकदमे भी खूब हुए, परन्तु इसके कारण कोई ऐसी गारंटी नहीं मिली कि इस पर कोई नियंत्रण हो सके। क्योंकि इसके अन्दर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। सज़ा का प्रावधान नहीं होने के

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

कारण टेलीफोन के माध्यम से या अन्य यंत्रों के माध्यम से ये कार्य होते रह्ते हैं। इसमें सबसे बड़ी मार गरीब को होती है, गरीब का बच्चा खाने से वंचित रह जाता है, गरीब का चूल्हा नहीं जलता, गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें अमैंडमेंट करके कठोर कार्यवाही का प्रावधान लाया जाए ताकि आम आदमी को उसका लाभ मिल सके।

इसके साथ-साथ, गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रावतसर क्षेत्र में डीवाई.एस.पी. कार्यालय की स्थापना करवायी जाए क्योंकि इसका जो हनुमानगढ़ जिले के अन्दर डीवाई.एस.पी. कार्यालय है, संगरिया है, नोहर है, हनुमानगढ़ है और रावतसर क्षेत्र जो पल्लू एरिया है, वह 150-200 किलोमीटर की दूरी में है। हनुमानगढ़ जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रावतसर के अन्दर पीलीबंगा-रावतसर का कुल क्षेत्र मिलाकर एक डीवाई.एस.पी. कार्यालय खोला जाए ताकि वहां के क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ रावतसर सी.आई. थाना और टिब्बी में सी.आई. थाने की मैं आपसे मांग करता हूं। रावतसर मध्य स्थान पर पड़ता है, दोनों राष्ट्रीय राज मार्ग से जुडा हुआ है, काफी आना-जाना रहता है और आमजन का भी वहां काफी दबाव रहता है अत: रावतसर को सी.आई. थाना बनाया जाए। इसके साथ-साथ टिब्बी हरियाणा राज्य के साथ अटैच है, वहां पर मादक पदार्थों का व अन्य चीजों का या अपराधियों का आना-जाना अधिक है और जो वाच स्टॉफ है वह पर्याप्त नहीं है, थाने का क्षेत्राधिकार भी अधिक है तो मेरा आपसे निवेदन है कि टिब्बी को सी.आई. पुलिस थाना बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल जीनगर। (अनुपस्थित) श्री राव राजेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित) श्री सुशील कटारा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, शोभा तो हम बढ़ा रहे है आपके सदन की।

श्री अध्यक्ष : संख्या देख रही हूं मैं कितनी बढ़ा रहे हो।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। पिछले सवा दो साल के सरकार के कार्यकाल में...

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप स्वयं तो शोभा बढ़ा रहे हैं बाकी पार्टी तो नहीं बढ़ा रही है शोभा। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बोल कर चाय पीने गये हैं अब। आपकी सीमा में ही हैं। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है क्या?

श्री अध्यक्ष: आपका नाम आपकी पार्टी ने नहीं भेजा। आपका नाम नहीं भेजा है आपकी पार्टी ने।

(समय 21.00 बजे)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल के...

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी ने भेजा नहीं है, मैं क्या करूं।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मेरा तो है?

श्री अध्यक्ष: अब आपका भी नहीं भेजा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): नहीं, नहीं, कैसे नहीं है, मैंने कटमोशन दिए हैं। आपने ही कहा था कट मोशन जो देंगे उनको बुलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं केवल उन्हीं को बुला रही हूं देख देखकर जिनके कट मोशन हैं। जिनके कट मोशन नहीं हैं उनका तो मैंने अभी नाम ही नहीं पुकारा है।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): जो व्यक्ति यहां बैठे रहते हैं उनको तो आप बुलाते नहीं हैं जो व्यक्ति बोलकर चले जाते हैं उनको बुलाते हो।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए। प्लीज बैठिए, मैं मजबूर हूं। मैं मजबूर हूं।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): पिछले सवा दो साल के कार्यकाल में राजस्थान सरकार में जितनी अपराधों की कमी हुई है उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का और मुख्य मंत्री महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आंकड़ों के मायाजाल में मैं नहीं जाना चाहता, विधान सभा में पहली बार आया हूं फिर भी माननीय गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने

(श्री सुशील कटारा)

जन सहभागिता कार्यक्रम चलाया। उदयपुर संभाग में जहां जनजाति क्षेत्र का एरिया है वहां थानों में लोग जाने से काफी घबराते हैं, डरते हैं, यहां तक कि गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है फिर भी थाने में जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। जन सहभागिता कार्यक्रम के माध्यम से काफी मामलों का निपटारा वहां हुआ है और पुलिस और जनता का आमने-सामने मेल जोल हुआ है। थानाधिकारी और उससे वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी भले ही डी.वाई.एस.पी. हो या एस.पी. हो, समय-समय पर उन्होंने जाकर जो जनसहभागिता के कार्यक्रम कराये, उसमें बहुत सफलता मिली है, उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में वर्ष 2005 में कुल 1151 के आस पास में पुलिस सेवा के कर्मचारियों, पदाधिकारियों की जो पदोन्नति माननीय गृह मंत्री महोदय ने की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। साथ में 2006 में 1023 मुख्य आरक्षी के पदों की पदोन्नति हेतु चयन किया गया है, चार हजार पुलिस कांस्टेबलों की और दो हजार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की है। कुल मिलाकर छह हजार के आस पास कर्मचारियों/कांस्टेबलों की भर्ती की है। और प्रक्रिया अभी चल रही है। राजस्थान में पुलिस विभाग में काफी समय से भर्ती नहीं हो पा रही थी, वहां पर अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो भर्ती प्रक्रिया की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मांग संख्या 16 और 17 पर सारे वरिष्ठ सदस्य पक्ष और प्रतिपक्ष के जब बोल रहे थे, एस सी एस टी के अत्याचारों की बात यहां आ रही थी, माननीय गृह मंत्री महोदय ने अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा (14) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई हेतु लगभग 18 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जिला डूंगरपुर जहां पूरा ट्राइबल बैल्ट रहता है, एस सी एस टी के लोग ज्यादा निवास करते हैं, वहां भी ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाए, तो निश्चित रूप से वहां पर अपराधों में काफी कमी आएगी।

मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा गुजरात बाडर पर पड़ता है। मेरी पंचायत समिति सीमलवाड़ा उप खण्ड सीमलवाड़ा है वहां पर कुल 58 पंचायतें आती हैं और आठ-आठ पंचायतें पंचायत समिति डूंगरपुर और पंचायत समिति बिछीवाड़ा की पड़ती हैं। तीन थाने उसके अन्दर आते हैं और उन तीन थानों में बहुत लम्बा-चौड़ा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से एरिया है, डूंगरपुर जिले का सबसे

(श्री सुशील कटारा)

बड़ा उप खण्ड है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस उप अधीक्षक की पोस्ट रखी जाए, पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खोला जाए तो निश्चित रूप से एम पी प्रतापगढ़, चित्तौडगढ़ से जितने भी तस्करी और शराब के बड़े-बड़े ट्रक भरकर रातों रात गुजरात बोर्डर से निकलते हैं, उन तस्करी करने वाले अपराधों में काफी कमी आएगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि सुराता ग्राम पंचायत, मालचुकी ग्राम पंचायत पंचायत समिति डूंगरपुर में है और उनका विधान सभा क्षेत्र चौरासी पड़ता है, तहसील सीमलवाड़ा पड़ती है। दो पंचायतों को अपने थाने का कार्य करने के लिए वरधा थाना क्षेत्र लगता है, तो उन दो पंचायतों को जहां पंचायत समिति है उसी पंचायत समिति में जो थाना आता है उसमें रखा जाए। तहसील सीमलवाड़ा का जो थाना धमोला है वह बिलकुल उनके पास में पड़ता है, इन दो पंचायतों का जो कार्य क्षेत्र है वह थाना धमोला में दिया जाए तो काफी लोगों को हर मामले में काफी सुविधा मिलेगी। काफी लम्बे समय से...

श्री अध्यक्ष: अब कृपया समाप्त करें।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): दूसरी बार बोल रहा हूं। पहली बार बोल रहा था तो अख़बार वालों ने सदन का सितारा...

श्री अध्यक्ष: आप ऐसे क्यों कह रहे हैं?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): आप भी अपने ममत्व की बौछार करें दो मिनट।

गोधरा काण्ड हुआ था उस समय हमारे सीमलवाड़ा में केस नं. 48/02 दो समुदायों के बीच में काफी लम्बे समय से लड़ाई-झगड़े का हुआ था। काफी लम्बे समय से यह केस उलझा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, दोनों सम्प्रदाय अभी मिलकर बिलकुल चल रहे हैं और अच्छा एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, आप दुबारा उस केस की जांच करवाकर उस केस को वापस उठाने में सहयोग प्रदान करें तो निश्चित रूप से दोनों सम्प्रदाय आपके आभारी रहेंगे। लगभग 48 लोग

(श्री सुशील कटारा)

उसमें हैं। काफी लम्बे समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरासी में रामसगड़ा थाना प्रस्तावित है, पूरा गुजरात बार्डर का एरिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रामसागड़ा थाना जो प्रस्तावित है उसकी स्वीकृति दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहादुर सिंह गोदारा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): माननीय अध्यक्षजी, आज सुबह से ही मांग 16 और 17 पर बहस चल रही है। दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। बोलने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस प्रशासन में काफी सुधार भी हुआ है, विस्तार भी हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत-सी कमियां आज भी बरकरार हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जुर्म हुआ हो, वह आज भी अकेला पुलिस थाने में जाने से डरता है। महिला का जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी पुलिस की यह स्थिति है। इस स्थिति में आपको बदलाव लाना चाहिए।

रहा सवाल भ्रष्टाचार का, अभी बहुत-से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं यह चर्चा तो नहीं करना चाहता लेकिन आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। आज जितने भी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के ट्रक चलते हैं उनके ड्राइवरों के पास एक डायरी होती है, इनवेरियेबली हर ट्रक ड्राइवर के पास वह डायरी मिलती है, आप उसमें से हिसाब देख लें कि कहां क्या-क्या करना पड़ता है ट्रक ड्राइवरों को ट्रक चलाने के लिए। जो लांग रूट की प्राइवेट बसें चलती हैं, जिन्होंने परमिट तो ले रखे हैं पर्यटन के, लेकिन लम्बे रूटों के ऊपर गाड़ियां चलती हैं उन ड्राइवरों के पास भी ऐसी डायरियां मिलेंगी, उन डायरियों से आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया धीरे बोलें, बात धीरे करें, यहां तक सुनाई दे रहा है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर पुलिस की हकीकत जानना चाहते हैं तो आप इन डायरियों को जरूर देखें।

मेरे क्षेत्र का जहां तक सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे जिप्सम के पैचेज हैं खेतों के अन्दर, अगर कोई काश्तकार घर के उपयोग के लिये भी अपने ट्रैक्टर या किसी पड़ौसी के ट्रैक्टर या गाड़ी में डाल लेता है उसे पुलिस पकड़ लेती है और जो ट्रांसपोर्ट कम्पनी रेगुलर इस जिप्सम का नाजायज धंधा करती हैं उनके ट्रक और ट्रैक्टर रात और दिन चलजते रहते हैं, उन्हें कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। काश्तकार अगर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह तो पुलिस की मिलीभगत ... (व्यवधान) पुलिस की मिलीभगत से करेंगे तो पकड़ेगा कौन?

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): अपने खेत में अपने घरेलू उपयोग के लिये ले आए, आरे पर ले जाता है चिराने के लिये, उसे उपयोग के काबिल बनाने के लिये, उसको पकड़ लिया जाता है। जबकि सैकड़ों हरे दरखत काट कर नाजायज तौर पर बेचने वाले के खिलाफ नोहर थाने में मुकदमा भी दर्ज है, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की हरकतों को आप नोट करके पता लगाएं।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, यह मैं मानता हूं कि पुलिस के सामने विशेष परिस्थितियां भी हैं, पुलिस की बड़ी हार्ड ड्यूटी है और पुलिस पर दवाब भी पड़ता है। पुलिस को कई बार जुडीशियल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। उनका आधे से ज्यादा काम जुडीशियरी का होता है, प्रशासन का होता है। उनके ऊपर दवाब भी पड़ता रहता है और विपरीत परिस्थितियों में उनको रहना पड़ता है। इसलिये जो सुविधाएं आप जुडीशियरी में दे रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स में दे रहे हैं, मेरा आपको सुझाव है कि इसी तरह की सुविधाएं आप पुलिस को भी दें ताकि पुलिस में कुछ सुधार आए। उनको अच्छा रहने का वातावारण भी दें ताकि अच्छे ढंग से रहकर अपने कार्य-कलापों कुछ में सुधार कर सकें।

मेरा आपसे आखिरी सुझाव है कि पुलिस प्रशासन के ट्रांसफर का जो पिछले कई सालों से एक उद्योग बना हुआ है, एक धंधा बना हुआ है, उस उद्योग को, धंधे को बंद करवाएं। पुलिस प्रशासन का आप अपने हिसाब से ट्रांसफर करें। अगर किसी अधिकारी की शिकायत हो, आप जांच करके उसे सज़ा दे दें। लेकिन यह जो आपने डिजायर्स का एक उद्योग-धंधा पनपा कर छोड़

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

दिया है, यह बहुत खतरनाक है और यह करप्शन की जड़ है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस ट्रांसफर के उद्योग को बंद किया जाए। माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है..

श्री अध्यक्ष: बोल तो लिये अब क्या महत्वपूर्ण रह गया?

श्री सुरेश मीणा (करौली): बोलने वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तो अब क्या महत्वपूर्ण है?

श्री सुरेश मीणा (करौली): महत्वपूर्ण यह है कि हमारे राजस्थान के बहुत बड़ा किसान नेता श्योपत सिंहजी का निधन हुआ है, सुबह जब यह बात सदन में आयी उनके लिये दो मिनट का मौन नहीं रखा गया जबकि....

श्री अध्यक्ष: अब कल बाकायदा शोक प्रस्ताव पास किया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो?

श्री सुरेश मीणा (करौली): सिद्धराजजी साहब का जिस दिन हुआ...

श्री अध्यक्ष: मेरी सुनिये आप पहले। आप स्थान ग्रहण करें। कायदा यह है कि...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

जब तक कलक्टर के यहां से यहां पर इनफोर्मेशन नहीं देते हैं तब तक पता लगने के बाद भी शोक प्रस्ताव पास नहीं होता है। कलक्टर की आयी लेट, अभी चार बजे के आस-पास आयी है। कल शोक प्रस्ताव पास हो जाएगा, अभी आवश्यकता नहीं है उसकी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): ठीक है।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महसेदय, आज पुलिस और कारागार की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं उसमें सम्मिलित होते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का काम जान और माल की रक्षा करना है लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत हो गयी है। लोग-बाग़ यह सोचते हैं कि पुलिस से कैसे रक्षा उनकी खुद की की जाए। इसके बारे में मैं सोचने पर मजबूर हूं। आज देश आजाद हो गया लेकिन पुलिस का व्यवहार उसी प्रकार से है जैसे अंग्रेजों की पुलिस थी। जब तक पुलिस और आम आदमी के बीच में यह दूरी कम नहीं होगी तब तक काम चलने वाला नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका दें, यह तो बोले हुए हैं। इनका क्या है, यह तो बड़ाई ही करेंगे। सही बात तो हम बताएंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): आज हर आदमी थाने में जाने से डरता है। जो वारदात है उसके बारे में सूचना देने से डरता है और यह सोचता है पता नहीं पुलिस वाले किस प्रकार उसको प्रताड़ित करेंगे। आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पताल तक ले जाने के लिये कोई आदमी साहस तक नहीं जुटाता। हो सकता है पुलिस वाले कहीं उसको नहीं फंसा दें। यह स्थिति पैदा हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज इस व्यवस्था को नहीं बदला गया तो काम चलने वाला नहीं है।

आप देखिये, पिछले साल किसानों पर कितने अत्याचार हुए? रावला को ले लीजिये, घड़साना की घटना को चाहे आप ले लीजिये, बेकसूर किसानों पर अत्याचार हुए। वे गोली का शिकार हुए। उनका क्या दोष था? वे निर्दोष थे। उनका दोष यह था कि उन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिये पानी मांगा था। उन्होंने यह कहा था कि हमारे खेत सूखे हैं, हमें सिंचाई के लिये पानी दीजिये ताकि हम हमारे बच्चों का पेट पालकर उनकी रक्षा कर सकें। उनको गोली मिली, पानी तो नहीं मिला। ऐसी इस सरकार की करतूत है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजगढ़ थाने में पिछले दो-तीन साल में पांच ब्लाइंड मर्डर हुए। एस.पी. ने विशेष टोलियां भी गठित कीं, लेकिन एक केस टैस आउट करने के अलावा बाकी कोई उपलब्धि नहीं हुई। मै. पुलिस के इनवेस्टिगेशन पर सवालिया निशान लगाता हूं। कहीं न कहीं कोई कमी है, पुलिस में कमी है, तब ही तो यह जांच पूरी नहीं हो सकी। आज इसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनवेस्टिगेशन के तौर-तरीके बदलिये ताकि आज जो अपराधी सीधे घूम रहे हैं, खुले रूप से घूम रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वे उनकी गिरफ्त में आ सकें और पुलिस अपने इनवेस्टिगेशन से उनका चालान करके उन्हें सज़ा दिला सके। ऐसी व्यवस्था आप कीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने कुछ उपलब्धियां भी की हैं। मेरेक्षेत्र राजगढ़ में बस की डकैती हुई, डकैतों ने लोगों के मोबाइल छीन लिये,

(श्री नन्दलाल पूनिया)

पैसे छीन लिये। हरियाणा के वे अपराधी थे और वे वहां से हरियाणा में भाग गये। लेकिन हमारी राजस्थान पुलिस की सूझ-बूझ और हरियाणा पुलिस के सहयोग से उनको गिरफ्तार किया गया, उनका चालान हुआ, मैं इसके लिये राजस्थान पुलिस को बधाई देता हूं।

मैं इसके साथ-साथ सुझाव भी देना चाहता हूं। राजगढ़ क्षेत्र हरियाणा बार्डर से चिपका हुआ है और आज सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहे हैं तो बार्डर के इलाके में हो रहे हैं। आज हरियाणा के अपराधी राजगढ़ में वारदात करके वापस हरियाणा में चले जाते हैं जिसके कारण वे पकड़ से बाहर रहते हैं। इतनी घटनाएं वहां हो गयीं, कि वहां से बस-जीप के ड्राइवर को पटक कर जीप को ले जाते हैं, हरियाणा में जीप का पता नहीं लगता। आम आदमी तो अपने घर से बाहर अपने साधन से जाने की हिम्मत नहीं जुटाता। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि बार्डर के जितने भी इलाके हैं वहां पुलिस बल की एक्सट्रा व्यवस्था की जाए, या स्टेट बार्डर पुलिस के नाम से अलग कोई फोर्स खड़ी की जाए ताकि वहां पर अपराधियों से रक्षा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव चांदगोठी में 30.10.2005 को आसपास के किसान अपनी बिजली की मांग के लिए और अन्य जो मांगें थीं उनके लिये धरने पर पावर हाउस के सामने बैठे। मैं स्वयं भी धरने में शामिल था। लोगों की मांग यह थी कि पांच घंटे के बजाय छह घंटे बिजली दी जाए। जो तार ढीले हैं उन तारों की खिचाई की जाए। ट्रांसफार्मर 48 घंटे में, 72 घंटे में डल जाए। जायज मांगें थीं। उन मांगों को लेकर धरने पर बैठना कोई नाजायज बात नहीं है। प्रजातंत्र में अपनी बात मनवाने और धरना पर बैठना कोई बुरी बात है, यह प्रजातंत्र का तरीका है। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों की मांग पर जब वे धरने पर बैठे तो पुलिस ने हमीरवास थाने में धारा 143, 283 के तहत मुकदमा दर्ज किया और सात-आठ आदमियों का चालान किया- यादराम, रतनसिंह, ईश्वर सिंह, सुल्तान सिंह, जगत सिंह, रामसिंह, नेतराम आदि। मैंने इस संबंध में जिला कलक्टर से बात की थी कि ऐसे-ऐसे काश्तकार बैठे हुए हैं, उनकी जायज मांग है, आप आइये या आपके किसी प्रतिनिधि को भेजिये। उन्होंने कहा कि मैं अधिशासी अभियंता को भेज रहा हूं, आप उनसे बैठकर काश्तकारों की बात करा दीजिये। मैं स्वयं था, सात आदमी काश्तकारों के थे, डीवाईएसपी थे, एसडीओ थे,

तहसीलदार थे और अधिशासी अभियंता चूरू थे। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता हुआ और काश्तकारों की अधिकांश बातें मान ली गयीं। लेकिन उसके बाद में उन लोगों के पास सूचना आयी कि आपके खिलाफ मुकदमे हैं, आपका चालान किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी की प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं इसलिए इस प्रशंसा में शामिल होकर कहना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों के खिलाफ में नाजायज, झूठे मुकदमे दर्ज करके उनका चालान किया गया है, सरकार कृपया उन मुकदमों को विथड्रा करे। यही आपसे गुजारिश है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, कृपया समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नौ मिनट हो गये हैं आपको बोलते हुए।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने शराब के ठेकों को बड़े-बड़े समूहों में न करके छोटे-छोटे समूह में किया है।

श्री अध्यक्ष: अब शराब का क्या तुक है इससे?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): इससे तर्क यह है कि इसके कारण पुलिस विभाग को 14 करोड़ का घाटा हुआ है। सात सौ थाने हैं।

श्री अध्यक्ष: पुलिस विभाग का क्या मतलब है इससे?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): सात सौ थाने हैं और हर थाने को दो लाख रुपये की प्रति माह पगार मिलती थी वह बंद हो गयी है। 14 करोड़ का घाटा हो गया।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, इसकी पूर्ति के लिए पुलिस ने दूसरा तरीका ढूंढा, जिस प्रकार से एक वीआईपी को एक थानेदार अपने क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक ले जाता है उसी प्रकार डोडा-पोस्त के ट्रकों को एस्कार्ट करके एक थानेदार अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। एक परमिट पर तीन-तीन बार उस ट्रक को ले जाया जाता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उस पर अंकुश लगाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस बल की जो सुविधाएं हैं वे अपर्याप्त हैं। उनकी 24

घंटे की ड्यूटी है और 24 घंटे की ड्यूटी में उनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनकी तनख्वाह कम हैं...

श्री अध्यक्ष: कर दी सिफारिश औरों ने।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाए और उनकी सुविधाओं में इजाफा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहूंगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): दो मिनट का समय नहीं दिया आपने। हर बार आप हमारे साथ यही करते हो।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे सुझाव दूंगा खाली मेरे क्षेत्र के लिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिये पहले..(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मैं मेरे क्षेत्र के लिए सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपके जो कटमोशन हैं, उन कटमोशन का...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, हर बार यही करते हो क्या आप ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें आप।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): मैं कह दूंगा आपके कटौती प्रस्ताव...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज रिज्यूम योअर सीट्स। देखिये, ऐसा है, वैसे तो बोलने के लिए अभी भी कई माननीय सदस्यों के नाम हैं लेकिन 9.25 हो गये हैं, दो मंत्रीजी जवाब देंगे ...(व्यवधान) बात तो सुनिये आप । आप लोगों ने जो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं इनका बाकायदा आपके पास जवाब पहुंच जाएगा।

एक माननीय सदस्य: लिखित में आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बाकायदा जवाब पहुंच जाएंगे।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): हां, हां, पहुंच जाएंगे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या जवाब आ जाएंगे। बार-बार यही बात कहते हो कि जवाब आ जाएगा, अब तक जवाब आया क्या ? (व्यवधान) बोलने के लिए खड़े होते हैं उससे पहले बुला देते हो मंत्रीजी को।

श्री अध्यक्ष: 9.25 हो गये हैं, कोई समय है, कोई तो समय होना चाहिए...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बोलने का मौका देते नहीं हो। हर समय यही बात करते रहते हो। क्या जवाब आ जाएगा? कोई जवाब आया है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई एक तो है नहीं जिसे कि बुलवा दूंगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आज तक कोई जवाब आया है? (व्यवधाप)

श्री अध्यक्ष: आपको बुलवाऊंगी तो फिर इधर से भी बुलवाना पड़ेगा, आई एम सॉरी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पुलिस जैसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट पर हम बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): सुझाव हैं ओनली सुझाव...(व्यवधान) दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सरकार की चमचागीरी कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, ऐसे में क्या इजाजत दूंगी ? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मैं दूसरी बार तो बोल रहा हूं इस सदन में...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सरकार की चमचागीरी से क्या व्यवस्था बन जाएगी? ये सारे लोग सरकार की चमचागीरी कर रहे थे, अपराध कम हुए हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बोलें। अब नहीं...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप बार-बार एक बात कहते हो, जवाब आ जाएगा, एक बार बोलने का मौका देते नहीं हो, जवाब कहां से आ जाएगा?

श्री अध्यक्ष: आपका नाम आपके नेता ने लास्ट में भेजा है । जब आपने यहां आकर उनसे अनुनय-विनय की है, लास्ट में भेजा है ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या दो मिनट बोलने का मौका नहीं देंगे?.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लास्ट में पर्ची आयी है...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उससे पहले मंगलाराम गोदारा है । उससे पहले ममता शर्मा है इसलिए आप कितनों को बुलवाओगे ? (व्यवधान) कुछ नहीं, अब मैं किसी को नहीं बुलवाऊंगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप यह भी कह दें, मैंने तो कटौती प्रस्ताव भी दिया था। उसके बाद भी आप कह्ते हो बोलने का मौका नहीं देंगे।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतकजी, कंट्रोल करें अपने माननीय सदस्यों को।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्यों को कंट्रोल करें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है क्या? मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष आप अपने सदस्यों को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें ...(व्यवधान)

श्री मंगला राम गोदारा: अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां चोरियां हो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्यों को नियंत्रित करें... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बैठें, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): फिर काहे की तैयारी करें? दुनिया भर की तैयारी की। अब लास्ट में कह रही हैं कि मौका नहीं देते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय जो सदस्य हैं...(व्यवधान)

श्री मंगला राम गोदारा: अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां तो धरना लग रहा है 15 दिन से चोरियां हो रही हैं, धरने पर लोग बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं ।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मंत्रीजी को भी पता है, मैंने बार-बार मंत्रीजी को कहा भी है ...(व्यवधान) उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने हमें निर्देशित किया है कि कट मोशन के सबको जवाब भेज दिये जाएंगे तो भेज देंगे। कटमोशन का जवाब आने वाले 48 घंटे में भेज देंगे...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या भेज देंगे? अब तक कोई जवाब भेजा है क्या आप लोगों ने? क्या जवाब भेज देंगे?...(व्यवधान) हम अव्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अव्यवस्था के बारे में तो आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 17- जेल के संबंध में ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप सही बात सुनने के आदी नहीं हो, केवल चमचागीरी सुनने के आदी हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के जो कोई बोलेगा वह अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): 37 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): उन्हें जवाब भेज दिये जाएंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): आज इस बहस के दौरान जेल के बारे में माननीय सदस्यों ने, कम से कम 6-7 वक्ताओं ने अपने क्षेत्र की जेलों के बारे में जो सुझाव दिये, उन अमूल्य सुझावों के बारे में जो भी निर्णय लिये जाएंगे मैं उनको विश्वास दिलाता हूं अपराधी केअपराध करने के बाद में जब पुलिस कस्टडी में या न्यायालय में पेश करते हैं तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलने दो तो बिगड़ जाएंगे, यह सुनेंगे नहीं... (व्यवधान) और उसके बाद उन अपराधियों को, उन व्यक्तियों को जुडीशियल कस्टडी के लिए...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि के अनुसार न्यायालय के आदेश से जो व्यक्ति अभिरक्षा के लिए जेल के अन्दर आता है, उन कैदियों को अच्छी तरह से रखना, उनको शिक्षित करना और उनको हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध करवाकर अच्छा व्यक्ति बनाकर वापस समाज की धारा से जोड़ने के लिए हमारे कारागृह काम कर रहे हैं ताकि अपनी सज़ा काटने के बाद वापस जब वह समाज में जाए, ताकि वह समाज में अपने आपको पुनर्स्थापित कर सके और वह राष्ट्र के लिए एक अच्छा और उपयोगी नागरिक बन सके।

राजस्थान में हमारी 104 जेलें हैं, उनमें 10 सेण्ट्रल जेल हैं। 10 सेण्ट्रल जेलों में 1 महिला जेल जयपुर में है और 1 महिला जेल का भवन जोधपुर में करीब-करीब तैयार होने वाला है। इसके अलावा घूघरा में हमारा किशोर सुधार गृह बना हुआ है। हमारे पास 3 ऐसी जेल हैं जो 'ए' श्रेणी की हैं और 22 ऐसी जेल हैं जो 'बी' श्रेणी की हैं। इनके अलावा हमारे पास सब जेल करीब 59 है। इस प्रकार कुल 104 जेलें हमारे पास हैं। एक हमारी संस्था ऐसी है जहां हमारे प्रहरियों और जेलर्स को हम प्रशिक्षण देते हैं, यह अजमेर में स्थित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने खास तौर से जेलों की व्यवस्था के बारे में और कैदियों की फरारी के बारे में बताया और नए कारागार भवनों के बारे में बताया। हमारे जो पुराने जेल भवन बने हुए हैं वे रियासत के समय के हैं, उनकी आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था है। उनका नवीन निर्माण करने के बारे में भी उन्होंने चिन्ता जाहिर की है। उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि शहर के अन्दर ऐसी सब-जेल हैं जो आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। एक नीति बनाकर उन जेलों को जो घनी आबादी में हैं, कैदियों की संख्या बढ़ने के कारण से बहुत ही छोटी पड़ रही हैं, भूमि का आबंटन जब शहर के बाहर हो जाएगा तो ऐसी सम्पत्ति को दूसरे कामों के लिए बेच कर भवन निर्माण करा दिए जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त आज हमारी 10 जेलों का निर्माण हो रहा है। बीकानेर की जेल भी बहुत जल्द ही तैयार होने वाली है। सांभर की जेल के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उसमें 2 करोड़ 25 लाख उन्होंने बताया, लेकिन यह 2 करोड़ 29 लाख है। इसके अलावा जो जेलें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनके नवीनीकरण के

(श्री अमराराम चौधरी)

लिए हमने पांच साल की एक योजना बनाई थी, 2002 से 2007 तक 65 करोड़ 15 लाख की, उसमें हमने काफी काम कर लिया है। 2007 तक हम इसके धन का उपयोग कर लेंगे, हर साल 13 करोड़ रुपए का हम प्रावधान रख रहे हैं और नवीनीकरण के लिए भी उन जेलों का जगह-जगह काम हो रहा है।

जेलों के निरीक्षण के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अपने समय में करीब 18 जेलों का निरीक्षण किया है, हमारे जेल के डी जी ने 60 जेलों का निरीक्षण किया और हमारे जेल के आई जी ने करीब 44 जेलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जो अनियमितताएं पाई गईं या प्रहरी अनुपस्थित मिले उनके खिलाफ सी सी ए रूल्स के तहत कार्यवाही जारी है।

जयपुर ग्रामीण से आने वाले हमारे माननीय सदस्य शर्माजी ने सेण्ट्रल जेल में करीब 400 क्विंटल गेहूं के घोटाले के बारे में बताया। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि यह गेहूं का मामला 1.4.2003 से 31.3.2004 का मामला है और इस सम्बन्ध में जब आडिट हुई तो जो स्टोर कीपर था उसके खिलाफ लालकोठी थाने में मुकदमा नम्बर सी आर 19/2006, तारीख 31.1.2006 जो उन्होंने बताई, उस दिन मुकदमा दर्ज करवाया है। यह घोटाला अभी नहीं हुआ है, यह पहले का घोटाला है।

इसके अलावा जिन जेलों का हमने निरीक्षण किया है, उनके निरीक्षण के समय जो अनियमितताएं पाई गईं, उन लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है। हमारे विभाग का जिस प्रकार का ढांचा है उसको सुधारने के लिए, कैदियों के लिए कई प्रकार के सुधार के कार्यक्रम जेलों में चल रहे हैं। हमारे कर्मचारियों के लिए भी हमने कल्याण कोष बनाया है। उनके आश्रित हैं, उनके बच्चे हैं, मान लीजिए कोई भी हमारा प्रहरी है या कर्मचारी है वह अपनी नौकरी के समय में अपंग हो जाता है या कोई डिसएबिलिटी का शिकार हो जाता है तो ऐसे हमारे जो कर्मचारी है उनके लिए धन की, कोष की व्यवस्था की गई है और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए भी किया गया है। जेल के अंदर कैदियों के सुधार के लिए भी कई कार्यक्रम हैं, उद्योग-धंधे भी चल रहे हैं। इसके अलावा जयपुर जेल के अंदर डिप्लोमा कोर्स है, फिटर तैयार करने के लिए है, वायरमैन के लिए भी हम इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस प्रकार डिप्लोमा वगैरह का काम भी हमारे यहां हो रहा है।

(श्री अमराराम चौधरी)

आपको जानकर हर्ष होगा कि हाल ही में इग्नू यानी इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के तहत हम एक कोर्स चला रहे हैं बैचलर एंड प्रिपरेटरी प्रोग्राम, यह हमारा कोर्स है, सीटीएस है, सीएचआर, सीआरडीए है, सीडीएम है और सीसीपी है। इसी प्रकार हमारी जेल के अंदर लोगों को साक्षर करने के लिए एनजीओ वगैरह संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी सेंट्रल जेलों के अंदर साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा है, वह बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके साथ-साथ हायर एजुकेशन के लिए कोई सैकण्डरी करना चाहता है, कोई हायर सैकण्डरी करना चाहता है, बीए करना चाहता है, तो हम इस प्रकार की परीक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। कई हमारे कैदी हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा हम उनके जीवन में परिवर्तन लाएं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सबसे पहले प्रवेश आपका ही होगा उसमें।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): कैदियों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए, उनका मानसिक संतुलन कैसे ठीक रहे, उसके लिए हम जेल के अंदर योगासन धार्मिक उपदेश, संगीत वगैरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले साल और उससे पहले 2004 और 2005 में जयपुर केन्द्रीय जेल में संभागवाइज कैदियों के टूर्नामेंट हुए। और उदयपुर में पिछले दिसम्बर के अंदर टूर्नामेंट हुए। कैदियों में मेहंदी प्रतियोगिता, जो महिला कैदी हैं उनके लिए संगीत वगैरह की प्रतियोगिता रख रहे हैं। आप इस प्रकार का वातावरण वहां देखेंगे, जब टूर्नामेंट होते हैं तो ऐसा लगता है यह जेल नहीं है बल्कि अपना एक परिवार है, एक घर है। इस प्रकार हमारी जितनी भी जेल हैं वे एक घर की तरह ही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अहमदाबाद की साबरमती जेल को भी देखा है, वहां ओपन जेल की व्यवस्था है, लेकिन कोई फैमिली नहीं रख सकता। आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अपनी खुली जेल एक उदाहरण है। हमारे यहां जो भी कैदी हैं, जिन्होंने वन थर्ड सज़ा पूरी कर ली है उन लोगों को विद-रेमिशन खुली जेल के अंदर भेजा है। शर्त यही है कि वे शादीशुदा हों और अपने बच्चों के साथ में आराम से रहकर सारा दिन शहर के अंदर कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं दुकानों पर अपना काम करके अपने खुद का जीवन-यापन करने के लिए धन अर्जित कर लें ताकि वे अपने परिवार व खुद

का पालन-पोषण कर सकें। इस प्रकार की स्वतंत्रता एक कैदी के लिए आज हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं नहीं है, वह उदाहरण राजस्थान में है।

मैं अहमदाबाद के बारे में कह रहा था, अहमदाबाद की खुली जेल खुली जेल नहीं है, खुली जेल इतनी ही है कि उनके अलग-अलग कमरे बने हुए हैं, जेल बाउण्ड्री के अंदर ही वे रहते हैं। उनको 20 रुपये मिलते हैं वे कोई काम करते हैं। वहां एक गौशाला है उसमें वे दूध निकालने व खेती का काम भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अपना कहो अहमदाबाद की क्यों कहो?

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): मेरा निवेदन यह है कि वहां कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन यहां पूरे शहर के अंदर दिन-भर घूम सकते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे दो-तीन कैदी तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेयर हैं। कैदी रहते हुए इनकम टैक्स पेयर होना बड़ी बात है, अपने आप वे इतने सबल हो गये हैं। इस प्रकार का वातावरण हमारे अधिकारियों ने, हमारी जो टीम है, हमारे जेल के जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने तैयार किया है।

श्री अध्यक्ष: आप भी चले जाओ, आप भी इनकम टैक्स पेयर हो।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उड़ीसा का उदाहरण दूं, राजस्थान की तर्ज पर उन्होंने कोशिश की मकान बनाकर देने की, लेकिन, आज उड़ीसा में मकान खाली पड़े हैं, वे इसमें सफल नहीं हुए हैं। इसी प्रकार आंध्र में भी सफल नहीं हुए हैं। लेकिन राजस्थान हिंदुस्तान और दुनिया में एक उदाहरण है जहां खुली जेल है। हमारे यहां 10 जेलें हैं, और भी हम खुली जेल के बारे में विचार करेंगे। बहुत-से माननीय सदस्यों ने तुलनात्मक वेतन के बारे में कहा ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो जेल की खूबियों को ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई अपने किसी ब्रांड की तारीफ करता है। ऐसे करके आप क्यों प्रेरित कर रहे हो सब लोगों को कि वे जेल में जाएं?

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): आजाद साहब, आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। आपके कटौती प्रस्ताव का जवाब आ जाएगा, आपने कोई शब्द यहां नहीं बोला है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्षजी ने कहा, कारागार की मत कहिए, मैं बोलना चाह रहा था। मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि आप और हम जयपुर की सेंट्रल जेल देखने गये थे उसमें जो कमियां थीं वे आपने दूर कर दीं तो वो ही बता दो आप।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ऐसा है, जिस समय आप वह कह रहे थे यह जो इग्नू का कोर्स है वह उस समय शुरू नहीं हुआ था। उस समय हमारे आईटीआई कालेज था वह तैयार हो गया और अधूरा भवन था वह भी तैयार हो गया। उसमें 19 व्यक्ति फिटर बने हैं, 19 वायरमैन बने हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम इस जेल के अंदर आजकल चल रहे हैं। इसके अलावा जगह-जगह, उदयपुर में हमारे लूम्स लगे हुए हैं वहां पर कपडा भी बुनते हैं और यहां पर हमारे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब तो माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाएं, नहीं, ब्रांड का और कुछ करेंगे।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जेलों के अंदर डैजर्ट कूलर वगैरह करते हैं, जगह-जगह बाहर मेलों वगैरह में करते हैं। उद्योग-धंधों के अलावा हम उसको सरल भी बना रहे हैं। हमारी जेल का बैण्ड भी प्रसिद्ध है-जोधपुर बैण्ड है, जयपुर बैण्ड है। उस बैण्ड की जो आय होती है उसमें आधा जो बैण्ड बजाते हैं उनको देते हैं, बाकी दूसरे उन्हीं के साज-सामान खरीद रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए उसी में काम में लेते हैं। इस प्रकार से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यहां भी 5-7 लोग हैं उन्हें भी आप सामाजिक बना दो, बड़ी कृपा होगी आपकी।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): मैं यह कह रहा था, वेतन के बारे में बहुत-से माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। मामला विचाराधीन है इसलिए इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आपने जितने भी सुझाव दिये हैं कटौती प्रस्ताव के जरिये, वे आपको शीघ्र ही भेज दिये जाएंगे। पैरोल पर छोड़ने के लिए जो मीटिंग है सज़ा माफ करने के बारे में है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि जेलों के अंदर जो भी मामले पैण्डिंग होते हैं उसके लिए कमेटी का अध्यक्ष जिले का सीजेएम होता है। बहुत-से मुकदमे जो कई दिनों से पैण्डिंग होते हैं, उसमें दो जन-प्रतिनिधि होते हैं, उसके अलावा कलक्टर का नोमिनी होता है, एसपी का नोमिनी होता है

(श्री अमराराम चौधरी)

और प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, वो मिलकर डिसाइड करके जल्दी किस तरह से इसका ट्रायल हो वैसा भी करते हैं, बाकी जो अण्डर ट्रायल होते हैं उनसे भी हम काम नहीं कराते हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, हो गये सब संतुष्ट।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-से माननीय सदस्यों ने कहा, ऐसे खूंखार अपराधी जेल के अंदर जो कैदी बनकर आते हैं, उनके साथ में जो दूसरे कैदी हैं, ये घटनाएं मैं आपको बताऊं, घर के अन्दर दो बर्तन होते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह सदन पूर्ण पर्याप्त संतुष्ट है आपसे।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): वे भी आपस में खड़खड़ाते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में हम जो आज सेंट्रल जेल में कैदी रख रहे हैं और उसमें कोई छुटपुट घटना हो जाए तो हो सकता है। लेकिन उसमें भी कायदे से कोशिश यह करते हैं कि जो अण्डर ट्रायल है उनको अलग रखें, सज़ायाफ़्ता को अलग रखें और दूसरे जो भी अन्य कैदी हैं ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, संतुष्ट हो गया सदन।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): टी.बी. के पेशेंट्स हैं या बीमार हैं उनको अलग रखने की व्यवस्था है।...(व्यवधान) मैं बहुत-बहुत माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस मांग को पारित करवाएं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस और कारागार की मांग पर गृह मंत्रीजी का उत्तर और उसको पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-16 व 17 पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कटमोशंस दिये-205 कटमोशन और 75 माननीय सदस्यों ने अपनी जो भी शंकाएं मुझे दी हैं, मैं कोशिश करूंगा उनमें से अधिकांश अपनी बात से कह दूं और अगर कुछ बच जाएंगी तो लिखित उत्तर से मैं आपके पास पहुंचाऊंगा और अगर उसके बाद भी आपको कोई संदेह किसी प्रकार का रहता है तो भी मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा।

आप सब लोगों ने आज इस मांग में भाग लेते हुए बताया कि पुलिस के अपराध जिस प्रकार से थोड़े बहुत घटे हैं, मैं आंकड़ों के आधार पर न अपने आपको बहुत अच्छा साबित करना चाहता हूं, न उससे मैं यह कहना चाहता हूं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि निःसंदेह भले ही माननीय सदस्यों ने मुझे धन्यवाद दिया, लेकिन इस धन्यवाद का वास्तव में जो अधिकारी है वह तो मेरा सारा काम करने वाला अधिकारी है, चाहे वह थाने पर है, चाहे वह किसी और जगह पर है। निश्चित रूप से उन सब लोगों की मेहनत से यह उपलब्धि प्राप्त हुई है, सच में अधिकारी वो ही हैं कि जिनके प्रयास से इस काम को हम कर पाये हैं।

श्री अध्यक्ष: विभाग को धन्यवाद किसी ने नहीं दिया, आपकी पर्सनेलिटी को दिया, आपको एज ए पर्सन दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं, मुझे धन्यवाद दिया तो अपराधों में जो कमी आई, विभाग की जो कमियां रहीं, विभाग ने जो काम किये उसके बारे में दिया। मेरा व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं था, सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से हुआ है। मैं सोचता हूं कि लगभग 54 माननीय सदस्यों के कटमोशंस केवल इस बात के हैं कि थाने खुलने चाहिए, चौकी खुलनी चाहिए, सीआई का दफ्तर कायम होना चाहिए, हमारे यहां सीओ का दफ्तर बनना चाहिए। वास्तव में आपकी मांग वाजिब है, लेकिन मेरे पास जब वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे उसके बाद ही मैं इसको कार्य रूप में परिणत कर सकूंगा। लेकिन आपके जो सुझाव हैं वे निश्चित रूप से मैं अपने साथ रखकर प्रयास करूंगा कि आपकी उन मांगों को मैं पूरा कर सकें। यह बात भी सच है कि राजस्थान की जनसंख्या जिस ढंग से बढ़ी है, राजस्थान में अपराध जिस ढंग से बढ़े हैं और आजकल अपराध के जो नये तौर-तरीके निकले हैं और जिस प्रकार का एकदम बहुत फास्ट मूवमेंट जो शुरू हुआ है, आवागमन के

साधन बढ़े हैं, उन सब को देखते हुए निश्चित रूप से पुलिस की आज की हमारी जो संख्या है वह कम है। वैसे टोटल राजस्थान के हिसाब से एक हजार पर एक पुलिसकर्मी आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, से जैसे मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सच है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या और वहां के थानों के आधार पर जो पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से निकालें तो निश्चित रूप से पांच हजार से लेकर सात हजार पर एक पुलिसकर्मी आता है, जो बहुत ही उसके लिए ...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): हमारे यहां सात हजार पर एक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कई जगह भिन्नता होगी। ज्यादा आंकड़ों में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता हूं क्योंकि आप स्वयं ने, कई लोगों ने अपने प्रस्ताव में इस बात को कहा है कि अपराध निश्चित रूप से घटे हैं। कहीं-कहीं आपने बाल की खाल निकालने की कोशिश की। यह बात सही है कि चोरियों में जो परसेंटेज घटना चाहिए, वह नहीं घटा है। उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो पुस्तक दी है उसमें भी स्वीकार किया है कि अगर चोरियों बढ़ी हैं तो निश्चित रूप से बढ़ी हैं, पर बाकी जो हैड्स हैं उनमें निरंतर अपराध का ग्राफ घटा है। मैं केवल आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। इस विभाग में जो बजट हमको मिलता है उसका भी साल के अंत में हम ठीक प्रकार से कई बार उपयोग नहीं करते, पैसा बच जाता है। लेकिन हमने इन दो साल में इस बात की पूरी कोशिश की कि जो कुछ भी बजट हमारे पास उपलब्ध है उसका हम ठीक प्रकार से उपयोग करें। पिछली सरकार के पांच वर्ष में केवल एक वर्ष ऐसा है 1999-2000 वाला, जिसमें बजट एस्टिमेट 660 करोड़ रुपये था और 703 करोड़ रुपये खर्च हुए, 43 करोड़ अधिक खर्चा हुआ है। उसके बाद में हर साल के आप आंकड़े उठाएंगे, 2000-01 में जितना बजट एस्टिमेट था उससे जितना एक्चुअल खर्चा था 38 करोड़ कम हुआ, 2001-02 में 57 करोड़ कम हुआ, 2002-03 में 51 करोड़ कम खर्च हुआ और 2003-04 के लास्ट के चार महीनों में हम लोगों ने यह काम संभाला। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी विभाग इस बारे में ध्यान नहीं देता है कि हमें जो बजट उपलब्ध हुआ वह समय पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इस बात की कोशिश की, उस लास्ट के चार महीनों में भी 10 करोड़ रुपये हमने बजट एस्टिमेट से जरूर कम खर्च किया लेकिन जो 50 करोड़ का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो क्रम चल रहा था वैसा नहीं रहा। लगभग 4 साल में 157 करोड़ रुपये जो बजट आपको उपलब्ध था, वह भी आप खर्च नहीं कर पाये। इन दो वर्षों 2004 और 2005 में हमने 2.36 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया जितना हमको मिला था और उसके बाद यह जो साल है 2005-06 इसमें 24 करोड़ अतिरिक्त खर्च हुआ। आपको यह सुनकर प्रसन्नता ही होगी कि वर्ष 2006-07 में हमको 1007 करोड़ रुपये मिले टोटल पुलिस के लिए जो पिछले साल से हमको लगभग 52 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिला। हमको जो कुछ बजट मिलता है वह सारा सैलेरी हैड में ही चला जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत भी जो बचता है हम उसको ठीक खर्च करें।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि बजट में हमने जो घोषणाएं कीं, मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि बजट की घोषणाओं का पालन सेंट-परसेंट हो। मैं आज इसलिए आपको गिनाना चाहता हूं कि 4 हजार कांस्टेबल की भर्ती का काम था, वह हमने भर्ती शुरू कर दी। कई लोगों के मन में संदेह था।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं सोचता हूं कि पुलिस भर्ती बहुत परफैक्ट्ली हुई। यह सुन्दर लालजी का एक भ्रम था कि वे शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं होंगे। शारीरिक टैस्ट जिसके लिए उसको शारीरिक रूप से पास होना है, या तो 20 में से 20 आएंगे या बाहर जाएगा। कहीं छूट नहीं दी, उसको चाहे सौ नम्बर का, चाहे दो सौ नम्बर का कर लो। मैं कह सकता हूं कि केवल 10 नम्बर का इंटरव्यू है जिसमें कहीं थोड़ा बहुत एक-दो नम्बर का अंतर हो सकता है। वह टोटल सौ नम्बर के बाद में होगा। उसमें भी जो परीक्षा में रिजल्ट शीट है वह बंद मिलेगी, जब तक यह 50 नम्बर का उनका कम्प्लीट नहीं होता तब तक वह नहीं खोल सकता। दोनों में टोटल बोर्ड बैठकर करता है। एक तरह से फेयर मैं कह सकता हूं पुलिस कांस्टेबल का हुआ। इसके कारण से आपको भी तकलीफ नहीं हुई और मुझे भी नहीं हुई। नहीं तो एक कांस्टेबल भर्ती के लिए 50 लोगों के 50 टेलीफोन, 50 लोगों का आग्रह-दुराग्रह आता था। भगवान की कृपा से उस सब से भी मुक्त हो गये और लोगों को भी यह विश्वास था कि नहीं, हमारी भर्ती में हमको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि पहली बार एएसआई के 1418 पद अपग्रेड किये बिना किसी पैसे के। वही जो आपने सुझाव दिया था कि जब 9,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

18, 27 का लाभ मिलता ही है तो क्यों न हम इन पोस्टों को रेज करें जिसके कारण से इंवेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी हमको मिले। तो 1418 हमने एएसआई लिए। इसी तरह से मेवात में हमने आपसे 10 चौकियां ली थीं-5 अलवर में, 5 भरतपुर में, उसकी जगह 15 भरतपुर में और 7 अलवर में चौकी स्थापित की हैं क्योंकि वहां की समस्या इस प्रकार की है। इसी तरह से दो महिला थाने थे, वे हमने पूरे कर दिये। 90 थानों में महिला डैस्क जो बननी थी, हमने पूरी की। कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल के ये तो सारे हैं ही। हमने 7 हजार मकान बनाने की पिछली विधान सभा में घोषणा की थी और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि विभाग ने इसकी कोशिश की और सरकार ने 10 हजार क्वार्टर्स बनाने की स्वीकृति दी। तो मैं सोचता हूं जो कुछ हमने कहा, उसको हमने पूरा करने का भी प्रयास किया।

इसी प्रकार से गत वर्ष में हमने कुछ नवाचार लिए थे, केस आफिसर का जो काम है वास्तव में इस तरह का एक विश्वास हमने जगाया कि केवल चालान पेश करने से ही हम मुक्त नहीं होंगे। ऐसे अपराध जिनका पीछा करना जरूरी है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और सारे राजस्थान में 2042 केस हमने थाने के अनुसार सलेक्ट किये कि इनको तो हमें केस आफिसर को देना चाहिए। केस आफिसर ने प्रारंभ से लेकर, बयान कराने से लेकर सज़ा तक इसमें पीछा किया और उसके कारण से आपने देखा कि 475 प्रकरण में हम सज़ा दिला सके और सज़ा का प्रतिशत 67.9 प्रतिशत पर पहुंचा जो सामान्यतया 34 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत के बीच में रहता है। ये भी वो संगीन केस हैं जिनका जैसे ही ध्यान में आता है तो एक अफसोस होता है।

(समय 22.00 बजे)

इसी तरह से 48 घंटे में केस डायरी बंद करके सी ओ के पास पहुंचनी ही चाहिए, तो 48 घंटे में केस डायरी मंगाई ताकि किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन होने का जो हमको अक्सर अंदेशा रहता है, उसमें कमी लाई जाए। ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 100% हमने उसको खतम ही कर दिया, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश की है।

इसी तरह से 6 संभागीय केन्द्रों पर हमने पुलिस परामर्श सहायता केन्द्र खड़ा कर दिया। इमरजेंसी रेस्पोंस टीम का गठन किया। इसमें 7 के बाद दो जिले अलवर और गंगानगर और मिलाये। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

308 लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं कराई, मुख्य मंत्रीजी जब पिछली बार पुलिस परेड में गई थीं तो इनको 300 रुपये महीने का एक्स्ट्रा भत्ता भी दिया। इनकी ट्रेनिंग इसी बात की है कि कोई झगड़ा, दंगे होते हैं तो उसमें काम करें।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमने एस ओ जी को कई मुकदमों को सुपुर्द किया और उनकी उपलब्धि वास्तव में आपको और मुझे दोनों को ही संतोष देती है। मैं उन सारे केसेज का वर्णन यहां नहीं कर रहा हूं लेकिन जो 22 लाख की बैंक की लूट हुई इसको खोलने में एस ओ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार से हार्ड कोर क्रिमिनल्स को हमने चिह्नित किया, प्रत्येक थाने के हिसाब से चिह्नित किया। उनकी सूची बनाई, उनको हमने संख्या के हिसाब से देखा तो 1356 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और उनके पीछे लगने की कोशिश की। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 223 जो घोषित अपराधी थे 2005 में, उनको हमने आइडेंटिफाई करके उनके साथ किया। 703 जो भगोड़े भाग रहे थे कई दिनों से, उनको कब्जे में लिया। इसी तरह से 6075 जो स्थायी वारंटी थे, यह बात सही है, आपने जो फीगर कहा है, कि आज भी 50 हजार वारंटी हैं जिनकी कोर्ट को जरूरत है लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गये हैं, लेकिन इस साल हमने कोशिश करके इस संख्या को घटाने का प्रयास किया है। इसी तरह से बीट प्रणाली विकसित की है ताकि पुलिस कांस्टेबल अपने एरिया की सारी जानकारी रखे, उसे भी लगे कि मैं खाली यहां खड़ा रहने के लिए नहीं, मेरे जिम्मे भी कोई क्षेत्र है और उसमें होने वाले अपराध की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो यह जो बीट का है उसको हमने फिर से ठीक किया है।

इसी प्रकार से पुलिसकर्मियों के व्यवहार के लिए आपने कहा कि बहुत मोटा पेट है, हमने इसके लिए सब को समय दिया कि आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, अच्छा रखें ताकि हम फील्ड पोस्टिंग में आपका ठीक लाभ ले सकें और आप अपराध को कंट्रोल करने में सफल हों। मैं आज यह कह सकता हूं कि कहीं 5-7 प्रतिशत अब कुछ रह गये हों भले ही, बाकी तो आपको लगेगा कि जो फील्ड में लगे हुए हैं वे फिजिकली बिलकुल फिट हैं। उनको सब प्रकार से फिजिकली फिट करने के लिए योग हो सकता है या और प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, उन सबको किया है। 35 प्रशिक्षण 1000 के लगभग लोगों को लाकर हमने कराये हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपने देखा होगा कि जयपुर में हमने जो घोषणा की थी कि हम इंटरनेट और ई-मेल के माध्यम से एफ आई आर दर्ज करेंगे, जयपुर में हमने करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से जयपुर और जोधपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जैसे ही हमको इस बारे में आगे बढ़ना होगा, निश्चित रूप से हम बढ़ेंगे।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि सी एल जी के माध्यम से हमने जनता से संवाद करके पुलिस और जनता को नजदीक लाने का प्रयास किया। जब तक हम सब लोग प्रयास करके पुलिस को मदद नहीं करेंगे, पुलिस अकेले इस पर काबू पा लेगी, यह संभव नहीं है। सच बात यह है कि अगर हम सब लोगों का मन हो, सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहने की अगर इच्छा हो और हम सब लोग अगर बिलकुल मन, वचन, कर्म से इसका साथ दें तो मैं सोचता हूं कि आज की जो स्थिति है इससे भी हम चार कदम आगे जाने की स्थिति में हैं। कई बार हम भी जाने-अनजाने किसी सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया और उसको सही मान लिया। कह देना कोई हर्ज नहीं, सिफारिश करना भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब उसकी वास्तविकता का पता लग जाए उसके बाद भी हठधर्मी करना, यह किसी भी दृष्टि से लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है।

आपने देखा होगा कि हमने इस बात की कोशिश की है, एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई। उस राज्य स्तरीय कमेटी में भी आपने देखा होगा कि पुराने रिटायर्ड डी. जी. हैं, चीफ सैक्रेटरी हैं, राजस्थान के बढ़िया से बढ़िया एडवोकेट हैं, कोई पत्रकार है, कोई महिला प्रतिनिधि है, ऐसी कोई बी जे पी की टीम नहीं बना ली जो हमको राय देगी। हम चाहते हैं कि अगर अच्छे लोग हमारे साथ जुड़कर हमको राय दें तो हम विभाग में और सुधार कर सकेंगे। उस राज्य स्तरीय कमेटी की तीन महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं और जब अगली मीटिंग में जाते हैं तो उनके सुझावों को हम कहां तक कर पाये, नहीं कर पाये उसकी रिपोर्ट भी देते हैं। हो सकता है उन्होंने 40 सुझाव दिये हों और अभी हम केवल 12 ही कर पाये होंगे, तो अगली बार फिर करने का प्रयास करेंगे। जिला स्तरीय कमेटियां सभी जिलों पर बनाई हैं। केवल तीन जिले अजमेर, कोटा ग्रामीण और जयपुर पूर्व ऐसे रह गये हैं जिनमें जिला कमेटी नहीं बनी, बाकी सारे के सारे जिलों में कमेटियां बनी हैं। यह जो सी एल जी हमने बनाई है, पंचायत और पंचायत के नीचे भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

छोटे-छोटे गांवों तक सी एल जी कमेटी बनाकर 4 हजार प्रकरण दर्ज किये। आपने कहा कि एफ आई आर ही दर्ज नहीं होगी। हमारी मंशा यह नहीं है कि एफ आई आर दर्ज नहीं हो, पर मैं सोचता हूं कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, साइकिल थोड़ी-सी अड़ गई और उसके कारण से मुकदमा दर्ज करके वो चार साल तक कोर्ट में घूमता रहे तो इसमें कोई समझदारी का काम नहीं होगा। अगर आपसी समझाइश के कारण से इस प्रकार के छोटी किस्म के मुकदमों को सुलझाया जा सकता है तो प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मर्डर केस सी एल जी में निपटा दिये या कोई बलात्कार की घटना को निपटा दिया या कोई बलवा निपटा दिया। ऐसा नहीं है। जो छोटी किस्म के थे उनको निपटाया है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमने प्रत्येक जिले में एक मॉडल थाना बनाया है। 36 जिलों में मॉडल थाना बन गया, एक भरतपुर का अभी भी बाकी है जो नहीं बना है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सी एल जी की जो हमने मीटिंग की, 1-2 जगह नहीं, राजस्थान में 14 हजार स्थानों पर हमने सी एल जी की मीटिंग की और उसका परिणाम आया। उसका परिणाम यह आया कि हम 5700 अवांछनीय तत्वों को गिरफ्तार करने में सफल हुए इस सी एल जी की मीटिंग के कारण। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 1600 नये अपराध भी वहां दर्ज हुए सी एल जी की मीटिंग में। यानि यह जो आपका भ्रम है कि हम संख्या घटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं। मुकदमे अगर एक हजार बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं। मुकदमों की संख्या के आधार पर किसी भी स्टेट की कानून व्यवस्था की वकालात करने से मतलब नहीं है। हमने 1600 अपराध वहां दर्ज किये और 1900 वहां राजीनामे हुए। आपको आश्चर्य होगा कि यह जो बिलाड़ा वाला केस जिसमें लगभग 200 मोटर साइकिलें पकड़ीं, वो सबसे बड़ा कांड था और वो सी एल जी की मीटिंग में पकड़ा गया, सी एल जी के द्वारा पकड़ा गया। तो मैं सोचता हूं कि अगर इसमें अपने को लाभ मिलता है तो करना चाहिए।

इसी तरह से मैंने संभागीय केन्द्रों पर जन प्रतिनिधियों के साथ, अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठकर आपस में सुनकर किस तरह से हम इस डिपार्टमेंट को और अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए प्रयास किया। आप सब लोगों का भी साथ रहा। पहले तो मुझे लगा कि शायद वहां तो बाल की खाल खींची जाएगी। लोगों ने मुझे कहा कि कहां इस झंझट में पड़ते हो पर मैंने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहा कि कोई बात नहीं है, अगर बुराई है और सामने आएगी तो कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। जिस मीटिंग में भी मैं गया हूं, मुझे पूरा यह संतोष हुआ कि नहीं, जन प्रतिनिधियों का सोच बहुत पाजिटिव है। सकारात्मक सोच दिखाई दिया। कहीं भी इस प्रकार का नहीं हुआ कि उसके कारण से कोई टकराव हुआ।

पुलिस आधुनीकरण की दृष्टि से हमको 60 प्रतिशत केन्द्र देता है, 40 प्रतिशत हम राजस्थान का अपनी तरफ से मिलाते हैं। अब तक हमने 419 करोड़ रुपये की जो स्वीकृतियां निकाली हैं और इसमें से जो अधिकांश काम हुआ है, उसमें लगभग हम लोगों ने 380 करोड़ रुपया काम में ले लिया। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मेरा यह प्रयास रहेगा कि 31 मार्च, 2006 तक ही मैं इस सारी की सारी राशि का उपयोग पूरी तरह से कर लूं, इसमें भी कोई पैसा नहीं बचेगा। इसमें हमने 60 थाने बनाये हैं, यह सारी की सारी चीज है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि वाहन भी खरीदे हैं। हमने मोटर साइकिल भी खरीदी है, 678 हल्के वाहन, 616 मध्यम वाहन। यह जो मॉडर्नाइजेशन के तहत हमको पैसा मिला, निश्चित रूप से हमने साधनों की दृष्टि से भी अपने पुलिस बल को मजबूत करने का प्रयास किया है। इसी तरह से जो बाकी साधन हैं, वीडियो कैमरा है, फैक्स मशीनें हैं, बाकी सारे हैं, वो भी हम लोगों ने खरीदे हैं, पैसा पूरा किया है।

पुलिस बल की वृद्धि की दृष्टि से भी मैं सोचता हूं कि वर्ष 2005 अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। पिछले सालों के रिकार्ड को देखें तो यहां चार हजार कांस्टेबल की भर्ती हुई, 1418 ए एस आई का मैंने कहा। 90 थानों में 180 महिला डैस्क की सिपाहियों की भर्ती का मिला, 6 मुख्यालयों पर 48 पद जो ये परामर्श केन्द्र हैं ये मिले, 7 पुलिस चौकियों पर 48 पद हमको मिले, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के लिए हमको 82 पद मिले, झालावाड़ में नवसृजित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के 114 पद हमको मिले। इसी तरह इमरजेंसी रेस्पांस टीम के 306 लोगों की हमने भर्ती की। स्पेशल क्राइम ब्रांच में 48 मिले। इस तरह से आपने देखा होगा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहली बार 10 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की भर्ती हुई, 30 मोबाइल यूनिट हमने स्थापित कीं। पूरी की पूरी स्थापित नहीं हुई पर मैं सोचता हूं कि एकदो महीने में हम सारी यूनिट स्थापित करेंगे, इसलिए 92 पद इसके पूरे भरे हैं। अभियोजन में भी हमको सैकण्ड ए.पी.पी. के 30 पद मिले, एल.डी.सी. के 40

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पद मिले। जेल प्रहरियों के लिए हमने 250 पदों की स्वीकृति तो दी लेकिन विधिवत सलेक्शन के द्वारा भर्ती हो या विभाग की तरफ से जो बाकी लोग हैं, उनमें से कुछ को लिया जाए, यह चल रहा है।

मैं सोचता हूं, पुलिस का मनोबल बढ़े इसके लिए पुलिस के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी। जिससे हमें काम लेना है, वह अगर संतुष्ट नहीं रहा तो हम कितना भी प्रयास करें, सफलता नहीं मिल सकती। मैं सोचता हूं कि केवल यही एक ऐसा बल है जो दबाव में काम करता है, जिस ढ़ंग से काम करता है। अगर आपको भी कभी ऐसा मौका आए, दिन भर आप यहां बैठे हो और कभी शाम को आप घर जाओ और चार लोग आपसे मिलने वाले आ जाएं और वे कहें कि हमारी यह बात सुनो, तो आपका भी चिड़चिड़ा स्वभाव बनता है। ये आखिर 16 से 18 घंटे काम करते हैं, इनका न खाने का पता, न इनके परिवार का पता है, न इनके बच्चों का पता। स्वाभाविक है। जिस दबाव में काम करते हैं, उस दबाव को भी ध्यान में रखकर हमने कोशिश की। मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले पांच-छह साल में जो डी.पी.सी. पैंडिंग पड़ी थी, उसको हमने पूरा किया है। डी.जी. के दो पद हमने डी.पी.सी. से भरे हैं, आई.जी. के 11 पद भरे हैं, डी.आई.जी. के नौ पद भरे हैं। एडिशनल एस.पी. तो पिछले लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे अपने प्रमोशन का, इसमें हमने 99 पद अलग-अलग ग्रेड में, सलेक्शन, सीनियर और सुपरटाइम, इन सबमें मिलाकर पदोन्नति से भरे। डीवाई.एस.पी. के 74 प्रमोशन हमने किये, सी.आई. के 29 किये, एस.आई. के 145, ए.एस.आई. के 1118 और हैड कांस्टेबल के 1379 डी.पी.सी. करके। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि केवल जहां कोर्ट में कुछ केसेज हैं उनके अलावा शत-प्रतिशत, किसी की कोई डी.पी.सी. बाकी नहीं है। यह पहली बार आपने देखा होगा। जिस गारंटी प्रमोशन के बारे में माननीय सदस्य रामगंज मण्डी से आने वाले ने एक सवाल खड़ा किया, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे घीया और उसको पकड़ने में पुलिस की अहम भूमिका रही, 100 करोड़ से अधिक की मूर्तियां जिन लोगों ने बरामद कीं, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनकी कोशिश की। अब की बार तो हमने इस बात की भी कोशिश की कि भविष्य में यह टुकड़ों-टुकड़ों में गारंटी प्रमोशन नहीं मिलेगा। साल में एक निश्चित समय पर उनकी दरख्वास्त आएगी, उसके सारे काम आएंगे। हमारे पास जितने पद खाली होंगे प्रमोशन के, उसका केवल 10 प्रतिशत उसमें से कम कर लें, कुल अगर 40 सीट हैं तो उनके चार होंगे और उन चार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पद पर जो बैस्ट चार होंगे, उनके सलेक्शन होंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो जल्दी आ जाए, वही लेकर चला जाता है। तो जो अच्छा होता है वह बाद में रह जाता है। वह नहीं रहे, अब एक नियम बनाया है उसके लिए। गारंटी प्रमोशन सिफारिशी प्रमोशन नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा है।

स्थानान्तरण पालिसी तो नहीं कह सकता हूं पर स्थानान्तरण की कुछ गाइड लाइन्स बनाई हैं। यह बात जरूर है कि इसके कारण से कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन हमने कोशिश की है कि नहीं, किसी न किसी रोटेशन के आधार पर, किसी न किसी काम के आधार पर अगर स्थानान्तरण होंगे तो निश्चित रूप से उसका सुधार आएगा। आप लोग इसमें और मदद करेंगे। यह भी शायद पहली बार इन पांच सालों में हुआ होगा कि जिनका खराब रिकार्ड था उनको भी हमने चिह्नित करने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने राजस्थान पुलिस सेवा के जो लोग हैं, उन्हीं की स्क्रूटनी की, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी नहीं आया जिसको हम सेवानिवृत्ति दे सकें। इस बात को जैसा मैंने कहा था, मेरे यहां कोई कांस्टेबल हो चाहे कोई किसी भी पद पर हो, उसका अगर रिकार्ड खराब है तो निश्चित रूप से उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति होनी चाहिए। आपने देखा कि 76 लोग तो सहायक निरीक्षक और निरीक्षक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मंत्रालयिक कर्मचारी तक, यह मिलाकर 91 लोगों को हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। पुलिस प्रशिक्षण के लिए भी हमने प्रयास किया है, हमारे छह पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनकी कैपेसिटी तो केवल 2750 लोगों की है लेकिन इसके पिछले वाले साल में जहां 7000 लोगों की ट्रेनिंग हुई, अबकी बार हमने कोशिश करके 17971 लोगों की ट्रेनिंग करवाई। अगले वर्ष से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर दो वर्ष में, जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है, 50-60 हजार हैं तो लगभग 25,000 लोगों की भी ट्रेनिंग करानी पड़े, निश्चित रूप से हर साल ट्रेनिंग में आएंगे और फिर से रिफ्रैश होकर अपने काम के लिए जाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की है।

मैं सोचता हूं कि पुलिस के कल्याण की दृष्टि से भी पुलिस हितकारी निधि बनायी है जिसमें वह स्वयं भी पैसा देता है, अपने-अपने वेतन के अनुसार देता है। जैसे हमारे डी.जी. के जहां 1000-800 रुपये होंगे, वहीं कांस्टेबल के 30 रुपये होंगे। यह सारा मिलाकर टोटल जो फण्ड बनता है, इस फण्ड में से हमने 176 पुलिस के मृतक हैं उनके परिजनों को 28.57 लाख रुपये दिये, और टोटल पुलिस के जितने लोग हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

65,78,811 रुपये हमने बच्चों को छात्रवृत्ति देकर आगे बढ़ाया है। इसी तरह से हमारी पुलिस कल्याण निधि है उसमें हमने 54 लाख रुपये दिये। पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास अलग बना रखा है, उसमें 172 मृतक कर्मचारियों को 26 लाख रुपये दिये हैं। सामूहिक बीमा योजना है जिसमें सरकार देती है और पुलिस वाले भी अपनी तरफ से मिलाते हैं, उसके तहत भी अगर कोई डैथ हो जाती है तो दो लाख रुपये मिलते हैं। हमने हर दृष्टि से कोशिश की है कि हमारा पुलिस का जो जवान है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसको संकट के समय में कोई मदद मिल सके। यही नहीं, अनुकम्पात्मक नियुक्ति में भी हमने इस वर्ष में 117 लोगों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का काम किया है।

अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में राजस्थान 2004 में-यह जो आपकी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है, दर्ज हुए अपराध प्रकरणों के निस्तारण में राजस्थान का दूसरा स्थान है। 80 प्रतिशत से ज्यादा जिनका निस्तारण है उनमें मध्यप्रदेश है 97.3 पर और राजस्थान है 96.8 प्रतिशत पर, यानी हम दूसरे स्थान पर हैं, अपने केसेज को निपटा रहे हैं। राजस्थान देश के उन 11 राज्यों में है जहां चालानी प्रतिशत 80 प्रतिशत से ज्यादा है। इसी तरह से आपने देखा होगा, हत्या, डकैती और लूट में भारत में जो नोर्म्स हैं, एक लाख की पापुलेशन पर, आल इण्डिया 3.1 प्रतिशत है, हमारा है 2.1 प्रतिशत। डकैती में आल इण्डिया का 0.5 और हमारा है 0.1, लूट में आल इण्डिया का है 1.7 प्रतिशत और हमारा 1.1 प्रतिशत है। मैं सोचता हूं, इस दृष्टि से एक अच्छी उपलब्धि इसमें कह सकते हैं। अपराधों पर नियंत्रण की दृष्टि से इन आंकड़ों को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है लेकिन मैं उस बात को जरूर पढ़ना चाहता हूं कि अपराध ही नहीं घटे हैं, वास्तव में इनका चालानी प्रतिशत भी देखें तो चालानी प्रतिशत भी बढ़ा है। अगर आप हत्या में लेंगे तो 2003 में 89 प्रतिशत था, वह 2004 में 92 प्रतिशत हुआ और 2005 में 93.5 प्रतिशत हुआ। इसी तरह से हत्या के प्रयास में 96 था, 97 हुआ फिर और 97.98 यानी 98 प्रतिशत हुआ। डकैती में 84 था, बीच वाले साल में घटा 78 और इस बार 88 प्रतिशत है। लूट में भी 65-63-69 प्रतिशत। बलात्कार में 98.65, 99.37 और 99.42 प्रतिशत। मैं सोचता हूं, ये आंकड़े कोई हमने एक दिन में घटा-बढ़ा नहीं दिये होंगे। तो हमने इस बात की कोशिश की कि, चालानी प्रतिशत भी बढ़े। यह बात सही है यद्यपि कि चोरी में जो हमारा आंकड़ा है वह निश्चित रूप से बढ़ा है। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी उसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सच्चाई है। लेकिन आपने केवल वही बाल की खाल निकाली, बाकी गिरा उसको आपने छुआ नहीं। यह डिबेट का पाइण्ट हो सकता है लेकिन यह हकीकत नहीं हो सकती। 43 करोड़ रुपये आपके समय में भी बजट अधिक खर्च हुआ, उसको छिपाने की कोशिश नहीं की क्योंकि छिपाने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो यह होगा, हकीकत को सामने रखकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ निकलेगा। फिर भी आपने देखा होगा, चोरी में हमारा चालानी प्रतिशत जहां 2003 में 25.32 था, 2004 में 25.96 हुआ और अब की बार हमारा चालानी प्रतिशत है 28.30 प्रतिशत। तो हमने इस बात की भी कोशिश की कि हमारा चालानी प्रतिशत कैसे बढ़े।

इसी तरह से माफियाओं के विरुद्ध जो केस थे, आपने बताया था कि इसमें आपने केस बनाये हैं। इस तरह के तो बनने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर पुलिस पकड़ सके चाहे वह एक्साइज का शराब माफिया हो, चाहे वह सट्टा-जुआ हो, चाहे आर्म्स एक्ट हो चाहे एन.डी.पी.एस. एक्ट हो। इसमें निश्चित रूप से मुकदमों की संख्या बढ़ी है और बढ़नी चाहिए। जितने बढ़ेंगे उतना ही मैं सोचता हूं कि उसको कंट्रोल करने में हम निश्चित हैं। एक जरूर वास्तव में बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के एक उस हिस्से में है जहां डाकुओं की समस्या है। सारे प्रयास करने के बाद में भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती। अभी बनवारी लालजी ने जिस प्रकार की बात कही, वास्तव में है। उस बारे में हम प्रयासरत जरूर हैं। 100 प्रतिशत हम उसको समाप्त कर पाएंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन आपने देखा होगा कि 25,000 का इनामी डकैत रामावतार गुर्जर जो अमेरिका से निर्मित हथियारों को रखकर काम करता था, उसको हमने पकड़ा है। एक-एक हजार के इनामी डकैतों को, जिसमें विजय सिंह, लटूरी, सुखवीर सिंह, काला उर्फ असगर है, छोटू है, मय हथियारों के गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के डकैत हरप्रसाद को वारदात करते हुए भरतपुर पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया जिसकी गिरफ्तारी पर एसएसपी मथुरा ने पांच हजार रुपये के इनाम की घोषणा कर रखी है। इसी तरह से हम और भी, आपके धौलपुर में ही पन्द्रह डकैतों को भी गिरफ्तार करने में सफल हुए। एनकाउंटर में भी कुछ डकैतों को मारा है।

महिला अपराध की दृष्टि से भी अगर लें तो मैं सोचता हूं कि उसमें भी घटा है। किसी-किसी में, विशेषकर दहेज और आत्महत्या का जो है 306 वाले में, निश्चित रूप से इसमें नहीं घटा, इसमें अपराध बढ़ा है, लेकिन सारों को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिला कर देखें तो निश्चित रूप से अपराध घटा है। इसमें चालानी प्रतिशत भी हम 99 प्रतिशत तक ले गये हैं ताकि कम से कम यह सारा हो। इसमें भी आपने देखा होगा कि पुलिस ने वास्तव में जो कुछ भी काम किया, वह भी एक्सीलेंट है। उनकी जितनी तारीफ करो, कम पड़ती है, विशेषकर बलात्कार के केस में। यह पता नहीं कौन-सा काल खण्ड आया कि चार साल और पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद उसका गला घोंट कर मार दिया जाता है। जघन्य अपराध हुए हैं, इसमें मैं कोई न नहीं कर सकता हूं, निश्चित रूप से हुए हैं चाहे वह पाली में भी हुआ, यहां भी हुआ, और कई जगह इस प्रकार के हुए। यह अमानुषी वृत्ति जिस तरह की पैदा हो रही है, इसको तो मैं यह कहूं कि मैं कल से रोक दूंगा, यह तो सम्भव नहीं, लेकिन अपराधियों को दण्ड दिलाने का मेरा और मेरे सारे साथियों का जो काम है, उसको हमने बखूबी करने की कोशिश की। इसमें मैं आपको कुछ नमूने प्रस्तुत करना चाहूंगा। 24.11.2005 को विधायकपुरी थाने में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ हुई, इसका हमने चालान समय पर किया, और छह महीने में कारावास की सज़ा अभियुक्त को सुना दी गयी। इसी तरीके से 26.12.05 को जालूपुरा थाना क्षेत्र में अमेरिकन महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, इसमें तत्काल पेश हुआ और इसको सात-सात-साल की सज़ा हो गई। जोधपुर में जर्मन लेडी का मामला आपने देखा होगा, केवल पन्द्रह दिन में उसको आजीवन कारावास करवाया। यह एक तरह से पुलिस को वास्तव में बधाई देनी चाहिए, जिसने भी यह काम किया। यह मैंने नहीं, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आये थे उन्होंने भी अपने मुंह से यह बात कही थी कि हम जहां कहीं भी जाते हैं तो राजस्थान का उदाहरण देते हैं। इस दृष्टि से राजस्थान ने काम किया जो अब तक देश के किसी भी हिस्से में नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि नवलगढ़ में एक घटना हुई थी 17.1.2006 को बच्ची के साथ बलात्कार की, इसमें भी अभियुक्त को एक वर्ष की सज़ा सुनाई गयी। इसी तरह से कानोता में हुआ, इसमें भी आजीवन कारावास मिला उसको। बरवाड़ा थाना सवाई माधोपुर में तेरह साल की बच्ची के साथ में जो बलात्कार हुआ, इसमें हमने केवल पांच दिन में चालान पेश कर दिया, जो अभी हुआ। इस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हैं, निश्चित रूप से इसमें पुलिस ने अच्छी कार्यवाही की जिसको एक संतोषप्रद कार्यवाही कह सकते हैं।

इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े आपने बताये हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अत्याचार किसी-किसी में कहीं बढ़ा है, बाकी टोटल में मिलाकर निश्चित रूप से घटा है। चालानी प्रतिशत इसमें भी बढ़ा है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो एसओजी बनी इसके बाद तीव्र गति से जांच के कारण से कई केसेज खुले। सम्पूर्ण प्रदेश में कुछ ऐसे केसेज हैं जिनको मैं आपको बताऊं। पाली की बच्ची का जो बलात्कार हुआ था, लम्बे समय तक, साल-डेढ़ साल तक हम उसको ढूंढ नहीं पाये सब कुछ पुलिस बल लगाने के बाद भी। एक-एक घर हमने छान लिया, उसके बाद भी हम अभियुक्त को नहीं पकड़ पाये। पर ईश्वर योग था उसके कारण से वह गिरफ्तार भी हुआ और उसको आजीवन कारावास भी हुआ। नकली नोट बरामद हुआ बीकानेर में। इसी तरीके से चंदवाजी थाने में सुपारी देकर प्रापर्टी डीलर अग्रवाल की हत्या हुई, उसको हमने नाकाबंदी में ही चार घंटे में पकड़ लिया। अगर थोड़ा-सा भी चूक जाते और अगर वह सीमा पार कर जाता तो शायद हम इस बात का पता भी नहीं लगा पाते कि किसने इस प्रकार का कार्य किया। वैभव अपहरण कांड जो कोटा शहर का था, अपने आप में एक रिकार्ड है। इसके लिए तो आप पुलिस का जितना भी मनोबल बढ़ाएं कम है, कि किस तरह से तीन करोड़ की फिरौती वाला था, हमारी पुलिस का व्यक्ति उसके पीछे लगा, उसमें सफलता प्राप्त की। दूदू के जैन मंदिर की जो 22 मूर्तियों की चोरियां हुईं, वे सारी की सारी मूर्तियां बरामद हुईं। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ बारां में। आतंककारी सोहराब को गुजरात जाकर उदयपुर की पुलिस ने मुठभेड़ में मारा। इसी तरह से दिल्ली जाकर एसओजी वाले, मैं सोचता हूं यह तो एक ऐतिहासिक घटना थी, बघेरे की 34 खालें बरामद करके लाये। संसारचन्द्र जो मैं सोचता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर है जंगली जानवरों की तस्करी करने वाला, वहां की हमारी जो सीबीआई है उसने इनवेस्टिगेशन कर लिया, सब कुछ उसके पास रहा। लेकिन जब हमारे सुपुर्द हुआ, तो हमने उससे सारी की सारी चीजें बरामद कीं। मैं सोचता हूं यह जो काम हुआ है यह रिकार्ड काम हुआ है, जो वास्तव में राजस्थान की पुलिस का एक तरह से गर्व से सीना ऊंचा करता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, एटीएम की नौ लाख की चोरी है, वैशाली नगर वाली, वह हुआ है। जेलर चन्द्रकांत गोठवाल को मार दिया, पांच दिन तक तड़पते रहे, पता नहीं किसने मारा, क्या किया, नहीं किया, लेकिन उसके अभियुक्त को पकड़ा। मनीष जौहरी का जो आदर्श नगर का है, वह है। बैंक चपरासी वाला 22 लाख का है, युवराज जैन का है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मानसरोवर डकैती है। दो केस ऐसे रहे जो वास्तव में आज भी उद्वेलित कर रहे हैं जिनमें हम सफल नहीं हुए। जिसमें एक नेशनल हैण्डलूम में तीन मर्डर एक साथ हुए, उसको हम अभी तक भी ट्रेस आउट नहीं कर सके। इसी तरह से अपना बालिका हत्याकांड जो यहां कोतवाली थाने में जयपुर में हुआ, अभी तक उसके अभियुक्त को हम नहीं पकड़ पाये।

इसी तरह से जिसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, हमारे भाग्य में तो हमेशा गाली ही लिखी है कि हम तो साम्प्रदायिक हैं, पर मैं यह कह सकता हूं कि इन दो वर्षों में साम्प्रदायिकता की दृष्टि से जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, यह आपके पांच साल के रिकार्ड के आधार पर भी नहीं रहा। मेरे पास वे सारे आंकड़े हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं और जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा लांछन लगाते हैं। हमारे टाइम पर केवल दो साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं 2002 में और 2005 में भी दो हुईं। उसके बाद आपके समय में 99 में तीन हुईं, 2002-पांच, 22, 1 और साम्प्रदायिक तनाव 38, 50, 54, 62, 37, हमारे टाइम पर 15 और 19 हुई। यही नहीं, जो मरे हैं उनकी संख्या को भी अगर आप देखें कि इन साम्प्रदायिक उपद्रव में कितने लोग मरे, वे सारे के सारे आंकड़े मेरे पास हैं। हमने इस बात की कोशिश की है, मुस्लिम समाज के मन में जो आप लोगों ने बरसों तक प्रयत्न करके हमारे खिलाफ एक बात बैठा दी, हम इसको किस तरह से दूर कर सकें और उनको यह विश्वास दिला सकें कि कानून के सामने न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्यवाही करना हमारा धर्म है और उसको हमने करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मेवात बोर्ड, हमने सारे के सारे लोगों को इस काम में जुटाया कि वे लोगों की समस्याओं को हल करें। इसी तरह से आपने देखा होगा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला का हमने पिछले 2005 वर्ष में काफी काम किया है। उसके कारण से साल 2003 में हम 17 हजार प्रकरणों का निस्तारण कर सके और पिछले साल हमने 22 हजार 600 प्रकरणों का निस्तारण किया। सारी की सारी हमको सुविधाएं जो अब पूरी हुई हैं, अब अपने जयपुर में कम्प्यूटर और साइबर कैफे अनुभाग तैयार हो गया, वीडियो-आडियो टेप और सीडी रिकार्डिंग वेरिफिकेशन अनुभाग तैयार हो गया, वन्य जीव अपराध सैक्शन तैयार हो गया। डीएनए परीक्षण लैब लगभग फाइनल तैयारी की स्थिति में है। ध्वनि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

परीक्षण, यह सारी की सारी जयपुर में हमको सुविधा मिली। इसी तरह से पिछले साल 2005 में हमने 10 करोड़ रुपये खर्च किये बाकी उपकरणों के लिए 3.5 करोड़ रुपये व्यय किये, प्रयोगशाला भवन निर्माण के लिए कोटा और उदयपुर में 3.75 करोड़ रुपये खर्च हुए अगले साल तीन स्थानों पर होंगे, और तीस मोबाइल यूनिट तैयार किये जिस पर 3.6 करोड़ खर्च हुए। उदयपुर में लगभग तैयारी की स्थिति में हैं, कोटा में बनकर तैयार हो गई और अगले दो-तीन महीनों में हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भरतपुर, अजमेर, बीकानेर में नई क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को तैयार कराएंगे ताकि वहीं पर सारे के सारे टैस्ट हो जाएं। ये जो तीस मोबाइल यूनिट हैं ये सारी की सारी हम एकाध महीने में कर लेंगे जिससे छोटी-मोटी जांच उसी जगह समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कि इस एफएसएल की जांच के कारण से ही सलमान खान जो अपने आप को समझता था कि उसको कौन सज़ा दे सकता है, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट के कारण से वह कहीं बचकर निकलने की स्थिति में ही नहीं रहा और उसको सज़ा मिली। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं सामान्यत:। इसी तरह से आपने देखा होगा, वृध्द दम्पत्ति जगन, डेढ़ किलो सोना लूट प्रकरण थाना फलौदी वाला केस वह खोला है। वैभव अग्रवाल वाला जो कोटा वाला है, यह भी एफएसएल की इस टीम ने जाकर खोला। बालिकाओं के साथ घिनौना अपराध नरैना में, यह सारी की सारी एफएसएल की जो टीम है उसने अपना काम करके निश्चित रूप से अपराधी को सज़ा दिलाने में हमारी काफी मदद की है।

इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे यहां दो वर्ष में किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। हमारी 1040 किलोमीटर लम्बी बार्डर है पाकिस्तान के साथ लेकिन उसके बाद भी एक तरह से शांति का वातावरण रहा। विधायक समिति में हम लोग गये थे, आपने देखा होगा, तारबंदी भी लगभग पूरी हो गयी केवल 27 किलोमीटर जैसलमेर बोर्डर पर अभी होना बाकी है। एक बात जो आपने बतायी थी कि हमारी ट्रेन्स आती हैं और जाती हैं, उसके कारण से हमारे ध्यान में भी आ रहा है कि कहीं स्टेशन के कारण से कोई अवांछनीय तत्व न आ जाएं। इसलिए हम बैठकर विचार करेंगे कि इसको और किस तरह से सख्त किया जा सकता है जिसके कारण से किसी भी प्रकार का हमारे देश और प्रदेश को खतरा न हो। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसलमेर में हमने 85 बांग्लादेशियों को निष्कासित करके वापस बांग्लादेश

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भेजा। लेकिन जो बांग्लादेशी बाकी राजस्थान में रह रहे हैं, उनका सर्वे और बाकी काम तो हम कर लेते हैं लेकिन आप-हम में से ही कई लोग भी हैं जो उनके राशनकार्ड बनाने में दस्तख्त करते हैं कभी उनको वोटर लिस्ट में डालने पर दस्तख्त कर देते हैं। तो हम चला करके ही अपने गले में मुसीबत का फंदा डाल रहे हैं। अगर हम सब लोगों का मन हो तो हम निश्चित रूप से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जब तक बांग्लादेश के लोग इसको एक्सैप्ट नहीं करें, हमें बॉर्डर पर ले जाकर भी वापस लौट कर आना पड़ता है, ऐसी स्थिति बन रही है। हम प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से उन लोगों को किसी तरह से यहां से भेज सकें।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ छोटे-छोटे मुक़दमे हैं इन मुक़दमों को आप निपटाएं। हमने इसका बराबर प्रयास किया। जो बहुत ही सामान्य किस्म के हैं जिसमें कोई सज़ा ही नहीं है, कोई जुर्माना है, एकाध-दो महीने की सज़ा है, वो लंबा केस है, मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि इस विषय पर ध्यान नहीं गया। हम लोगों ने ध्यान दिया। 2000 में केवल 103 केस हटे, 2001 में 110, 2002 में केवल 7, 2003 में 183, 2004 में 201 और 2005 में हमने 7284 केस किये। बराबर जिला कलक्टर को इस बात के लिए कहा कि आप मीटिंग करें और मीटिंग करके इस तरह के जो केसेज हैं उनको खतम करें। तो पहली बार एक गति पकड़ी है। यही नहीं, जो हमारे जनजाति क्षेत्र हैं-चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही इसमें 12 बोतल शराब की और मुकदमा बना हुआ है, वर्षों तक चल रहा है, वो पेशी पर जा रहा है, होना-जाना कुछ नहीं। तो हमने कोशिश करके उन सारे प्रकरणों को ढूंढने का प्रयास किया और मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के जो मुकदमे है उन सारे मुकदमों को भी हम वापस लेंगे। इसी तरह से जिला स्तरीय जो कमेटी थी पहले उसमें जिला कलक्टर था, जिला कलक्टर को समय मिलता ही नहीं है मीटिंग कई बार हो ही नहीं पाती और उसके कारण से उन केसों का डिस्पोज ऑफ नहीं होता। तो हमने सीजेएम को उसका अध्यक्ष बना दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर उसका सदस्य है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो वहां होगा वो सदस्य है और सहायक निदेशक (अभियोजक) एडीबी उसका सचिव होगा। यह नयी कमेटी का गठन किया ताकि जो इस प्रकार के छोटे किस्म के मुकदमे हैं उन सारे मुकदमों को हम समाप्त कर सकें। 2006 में आप सब लोगों को मैंने पत्र लिखा कि आप मदद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करें कि हम अपने सारे थानों को कंप्यूटराइज कर सकें और मैं आज आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे पत्र के आधार पर सब जगह मुझे मदद की और मैं अब यह कहने की स्थिति में आया हूं कि आने वाले दो-तीन महीनों में ही राजस्थान के सारे के सारे 711 जो थाने हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज हो जाएंगे और सारा रिकार्ड रखने में एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।

इसी तरह से हमने मॉडल थाने को आईएसओ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। दो अभी हुए हैं, सारे मॉडल थाने जो प्रत्येक जिले में एक है, उन सारों को आईएसओ में परिवर्तन करने का कार्यक्रम हम लोग करेंगे।

वास्तव में एक बात है, यातायात की दृष्टि से जिस प्रकार की स्थिति है वो संतोषप्रद नहीं कही जा सकती क्योंकि व्हीकल इतने बढ़ रहे हैं और हमारे पास मैन पावर इतनी कम है कि हम कितनी भी कोशिश करें। उसमें आप जो आरोप लगाते हैं, कुछ सीमा तक सही भी हैं। हम लोगों ने सस्पैंड भी किया, लेकिन मैं सोचता हूं कि केवल इसके आधार पर तो मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकूंगा। इस प्रकार के पार्किंग प्लेस भी नहीं हैं, सड़कें जिस प्रकार की हैं, व्हीकल इतने हैं, अगर किसी का पार्किंग में से उठाकर ले जाएं तो 10 टेलीफोन धड़ाधड़ आते हैं कि मेरे को तो छोड़ दो। अब आपको छोड़ दें तो मैं किसे पकड़ूं? लोगों ने कहा कि आपकी पत्नी की गाड़ी ले गये मैंने कहा ले गये होंगे, क्या हुआ? अगर उसने गलती की है, चालान बन गया तो बन गया इसमें क्या हर्ज है? अगर मैं चाहता, गृह मंत्री का अगर कोई चालान बना दे तो मैं उसको उलटा लटका देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको शाबाशी दी कि कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं किसी भी पद पर क्यों न होऊं लेकिन कानून की पालना तो उसे करनी पड़ेगी। इस दृष्टि से हमने पिछली बार मोटर व्हीकल एक्ट के 5 लाख 76 हजार केस बनाये और जुर्माना वसूल किया करीब 9 करोड़ 20 लाख रुपये। इसी तरह से हमने बिना हैलमेट के भी केस बनाये। निश्चित रूप से यह थोड़ा अटपटा तो लगता है लेकिन अगर इससे भी जिन्दगी बचा सकें, साल में अगर हम दस लोगों को भी मरने से बचा सकें तो मैं सोचता हूं कि हमारा यह सब बुरा बनने का जो है, वो ज्यादा उपकारी होगा कि किसी दस परिवार को हम बर्बाद होने से बचा सके। और इसके लिए हमने।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कुछ आपने सवाल खड़े किये हैं, विशेषकर यह कहा कि जुआ, सट्टा के बारे में आपने क्या किया। ऐसा नहीं है, कोई चीज करके भूले नहीं हैं। मेरे पास यह सूची है दस लोगों की जिनका जुआ सट्टा उनके क्षेत्र में किसी दूसरे ने जाकर पकड़ा है। जैसे यह सीताराम मिश्रा है इंस्पेक्टर, एसएचओ, नोहर, इसको मैंने सस्पैंड किया है। कइयों के खिलाफ 16 और 17 की कार्यवाही की है, ट्रांसफर किया है लाइन हाजिर किया है जहां-जहां जितना संभव हो सका। हो सकता है, सेंट परसेंट में सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन आज आप में से कुछ लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से सट्टा-जुआ के ऊपर और वेश्यावृत्ति पर तो अंकुश लगा है। मैं इसको बिलकुल खतम कर पाया, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं पर मैं सोचता हूं कि थोड़ा बहुत इसमें जो कुछ किया है उसका अच्छा परिणाम आया है।

इसी तरह से आपने लालसोट वाली घटना के बारे में कहा। निश्चित रूप से लालसोट की घटना जिस ढंग से बतायी गयी और आपने जैसा वर्णन किया, मैंने आपके यहां आने के पहले ही इस सारी की सारी जांच को एडिशनल एसपी को दे दिया। यद्यपि उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है वो हमारे पक्ष की नहीं है, उसकी बिजली के करेंट से डैथ होना बताया, लेकिन फिर भी मैंने आपके यहां बोलने के कारण नहीं, इससे पहले ही जैसे ही मेरी जानकारी में आया मैंने इस केस को ट्रांसफर करके एडिशनल एससी को जांच के लिए दिया।

जो बांग्लादेशियों की समस्या के बारे में मैंने कहा, हम निश्चित रूप से उनका सर्वे कर लेंगे, बाकी सब कर लेंगे लेकिन आप सब लोगों की मदद करने की इच्छा होगी तो। इसी तरह से सुन्दरलालजी ने कहा कि विदेश भेजने के नाम से भी कुछ ठगी के मामले सीकर में, झुंझुनूं में हुए। उसमें एक झुंझुनूं में हमने जरूर केस पकड़ा और उसमें अन्तरराष्ट्रीय गिरोह हमारे हाथ में आया जो महाराष्ट्र में यह काम करता है। हमने उसको पकड़ने का प्रयास किया। और भी हो सकते हैं जिनको अभी हम नहीं पकड़ पाये। इसी तरह से नगर के माननीय विधायक ने गोपालगढ़ की घटना के बारे में कहा। हमने इसकी पूरी की पूरी जानकारी की है, इसके खिलाफ केस दर्ज करके इसकी वास्तविकता को हम जानेंगे। अगर किसी ने, पुलिस ने भी गलती की है तो हम कोई बचाना नहीं चाहते। उनको बचाने से हमें क्या मिलेगा? अगर किसी का एक निर्दोष आदमी मर जाए और उसका अगर हम ठीक प्रकार से परिमार्जन नहीं कर सकें

तो यह हमारे लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं होगी। लेकिन मैं जबर्दस्ती भी किसी को लटकाना नहीं चाहूंगा। जांच के बाद जैसी स्थिति आएगी उसमें।

इसी तरह से ईसाइयों का हमला। मैं रोज-रोज आपको कह रहा हूं कि यहां मैं किसी राजनीतिक पार्टी को मानता होऊंगा, मेरी कुछ विचारधारा होगी संघ की, लेकिन मैं राजस्थान का गृह मंत्री हूं, यहां मेरा अपना कर्तव्य, अपना दायित्व है। यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी देना मेरा धर्म है और उसको मैंने करने का प्रयास किया। मैं यह कह सकता हूं कि जिस किसी ने उन पर हमला किया, हकीकत पर जो कुछ हुआ, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई और आगे भी होगी, लेकिन अगर किसी ने उनकी भावना को ठेस पहुंचायी या उन पर हमला किया तो मैंने उनके सारे के सारे ग्यारह केस बनाकर साठ लोगों को गिरफ्तार किया। चार लोग तो आज भी जेल में पड़े हैं 18-20 दिन से। हमने तो उसमें कोई पक्षपात नहीं किया। वो भी झालावाड़ जिले के हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अपराध करे और हम उसको छोड़ दें। यह जो आपके मन का संदेह है, ऐसा नहीं है। हमने बांसवाड़ा में भी जो घटना हुई, उसके खिलाफ केस बनाया और उनको गिरफ्तार किया है। सलोपर थाने में हमारे बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, 15 लाख की शराब पकड़ी यह एक्साइज डिपार्टमेंट ने पकड़ी है। इसमें रमेश कलाल है जो फरार था, वो अभी कुछ समय पूर्व गिरफ्तार हो गया है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): नहीं हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे को इसमें लिखकर भेजा है। यह वैसे हमारा नहीं है, यह सीधा-सीधा एक्साइज वालों का काम था, उसमें मुझे जो आया। अगर कोई गलत रिपोर्ट होगी तो निश्चित रूप से मैं इसका आपको उत्तर दूंगा और जिसने भी गलत रिपोर्ट दी है मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

रहा सवाल जयपुर में कमिश्नर प्रणाली का, आपकी कई बार इस पर बातचीत होती है। कोशिश भी की, कुछ विचार भी हुआ, लेकिन अभी किसी फाइनल दौर पर नहीं पहुंचे। मैं पिछली बार भी दो बार इस विषय पर बैठा था, पर बैठने के बाद भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से इसमें विचार करेंगे।

धौलपुर के माननीय सदस्य शर्मा जी ने और यह कहा था कि 156(3) के आपके केसेज ज्यादा हैं, वास्तव में हम इस बात की कोशिश करते हैं। और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एफआईआर दर्ज नहीं करने का सवाल ही नहीं है। हमने यहां से डाइरेक्शन दिया है कि अगर किसी ने एफआईआर दर्ज करने में किसी भी प्रकार की गलती की या कोई किया तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर उसको दण्डित करने का प्रयास करेंगे। हमने हमारी तरफ से, डीजी साहब ने स्वयं अपनी तरफ से भेजा है। हमको केस की गिनती कम होने से कोई तोहफा मिलेगा, ट्राफी मिलेगी और उसको लेकर हम घूमेंगे, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमको तो अपराध को कंट्रोल करना है यह हमारा काम है चाहे हमारी संख्या बढ़ जाए तो बढ़ जाए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके कारण दिया। इसी तरह से धौलपुर में डकैती के बारे में भी हमने 2005 में 14 डकैतों को पकड़ा है।

आरक्षित वर्ग के बारे में सुरेशजी चले गये, ऐसा नहीं है। हमने पूरा का पूरा बैकलोग भरने का प्रयास किया है। अभी जो हमने कांस्टेबल की भर्ती निकाली उसमें स्पेशली विज्ञापन में दिया है, 269 एससी के और 682 एसटी के कैंडीडेट के लिये हमने स्थान रखा है। इसमें से कितने सलैक्ट होकर आएंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता। इसी तरह से आपने देखा होगा हैड कांस्टेबल में भी। इसके आधार पर हमारे कांस्टेबल में कोई बैकलाग नहीं रहना चाहिये। परीक्षा में ही सब फेल हो जाएं, इंटरव्यू में ही नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हैड कांस्टेबल प्रमोशन की पोस्ट है लेकिन इसमें एससी के 48 पद आज भी खाली हैं और एसटी के 107 पद खाली हैं। इसी तरह से एएसआई के 215 और एसटी में हैं 287। उप निरीक्षक के 104 और 134, पुलिस निरीक्षक में 65 और 49 और उप अधीक्षक पुलिस में 7 और एक है । यह बैकलाग जरूर चल रहा है। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह बैकलाग नहीं रहे।

मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से आप सब लोगों का अगर एक तरह से सहयोग रहे तो राजस्थान की कानून-व्यवस्था अच्छी होगी। उसमें आपको भी प्रसन्नता होगी, मुझे भी प्रसन्नता होगी। मैं आप आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री को जो वाहवाही मिली, वह सच में नहीं है। मुझे कुछ भाग्य से ऐसी अच्छी टीम मिली है जिस पर कोई दाग नहीं लगा सकता, यह मेरा सौभाग्य है, चाहे मेरे सैक्रेटरी हों, चाहे मेरे डीजी हों, चाहे उनके नीचे काम करने वाली टीम हो। मैं निश्चित रूप से एसपी और वहां तक की स्थिति में काफी अच्छी स्थिति में पहुंचा हूं। कुछ थोडी बहुत कमीखामी है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थाने तक का जो रिजल्ट आना चाहिये,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उस रिजल्ट को लाने में अभी तक उतनी सफलता नहीं मिली है। मिली तो जरूर है लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। जो पहले थाने नीलाम होते थे, लोग कहते थे बोलियां लगती हैं, मैं सोचता हूं बोलियां नहीं लग सकतीं। कुछ लोगों को शायद मेरे व्यवहार के कारण से तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं इस बात की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिलकुल ठीक प्रकार से, सही ढंग से इस विभाग में काम करूं। मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता है कि मेरे सैक्रेटरी और डीजी मुझे ऐसे मिले हैं कि उनकी मेहनत के कारण ये सब उपलब्धियां मेरे खाते में गई हैं। सच में इसमें मेरा बहुत कम काम है, अधिक से अधिक उन्होंने काम किया है और सारी की सारी टीम मिलकर काम कर रही है। भगवान ने चाहा तो आगे आने वाले 6 महीने में हम इससे भी अच्छा परिणाम देकर आपको बताएंगे और जो 2006 के 9 लक्ष्य तय करके हमारे डीजी साहब ने भेजे हैं, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से इसमें और आगे बढेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 जो मंत्रीजी ने रखी, इन दोनों को आप पास करें। (व्यवधान) घोषणाएं रह गईं, एक मिनट।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आप यह और बता दें कि ई.टी.वी पर राम और लक्ष्मण की जो सीडी चल रही है, उसके मामले में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से हमने उसकी कार्यवाही के लिये अपना पत्र भेजा है। हम निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही करेंगे। उसमें कार्यवाही करने का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। उसी का नहीं, जो किताबें आपने दी हैं उन किताबों को भी हमने सारी की सारी को भेजा है। चाहे वह कोई भी लेखक हो, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाएगा, सबके साथ एक सरीखे का बर्ताव होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ बताया है, मैं जानना चाहता हूं कि जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में क्या दिक्कत आ रही है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा निवेदन है कि एक तो पुलिस पदक मिलता है और एक राष्ट्रपति पदक मिलता है। इसके अलावा उत्तम सेवा चिह्न 9 वर्ष की सेवा पर और अति उत्तम सेवा

चिह्न 18 वर्ष की सेवा और सर्वोत्तम सेवा चिह्न 25 वर्ष की सेवा पर मिलता है। पहले की जो दो सेवाएं हैं पुलिस पदक, और राष्ट्रपति पदक उसमें कुछ आर्थिक पुरस्कार भी होता है। बाकी की ये जो तीन पुलिस कर्मियों की हैं, चाहे जो आप रखें लेकिन इसमें कुछ न कुछ मोनेटरी अवार्ड भी होना चाहिये, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से रखेंगे। मैंने तो जो भी अच्छे केसेज खोले हैं, मैंने सबको अपना व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की है, उनको धन्यवाद दिया है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, जिस केस में भी उसने अपनी मेहनत से कुछ निकालने का प्रयास किया है। मैं कोशिश करुंगा मेरे अधिकारियों के साथ बैठकर कि सारे राजस्थान में ...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आपने यह नहीं बताया है कि कितने भरेंगे और कितनी स्ट्रेंथ बढाएंगे। आप स्ट्रेंथ बढाइए और व्हीकल पर एक हजार रुपये..।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वैसे बजट जो कुछ आपने देखा होगा, वह हैड के लिये है एक हजार रुपये, बाकी माडर्नाइजेशन में जो पैसा मिलता है उससे हम व्हीकल खरीदते हैं। वह तो एक हैड बना रखा है जिस हैड में वह पैसा आकर एडजेस्ट हो जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): गृह मंत्रीजी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जयपुर शहर में क्राइम इन्वेस्टिगेशन और ला एण्ड आर्डर के लिये अलग अलग कोई व्यवस्था करने का विचार है क्या आपका?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके सुझाव को हम बैठकर करेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं, हमारे साधन क्या हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): पुलिस कमिश्नर पद्धति के लिये आप जब भी मीटिंग करें तो जयपुर के जन प्रतिनिधियों को जरूर बुलाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जरूर बुलाएंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसको लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? माननीय गृह मंत्रीजी, यह मामला काफी समय से पैंडिंग चल रहा है। यह आपका मामला नहीं है, जयपुर शहर का मामला है। आखिर जयपुर

शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति यह होती है, माननीय गृह मंत्री महोदय बताएं। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के कल्याणपुर पुलिस थाने में .. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज विपक्ष संतुष्ट है और पक्ष संतुष्ट नहीं है। आज नजारा उलटा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): संतुष्ट-असंतुष्ट की बात नहीं है, हम पूर्णत: संतुष्ट हैं गृह मंत्रीजी के जवाब से। उसके बाद हम यह कहना चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम जयपुर में लागू करने के बारे में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में जरा बताएं। आखिर हम सब जयपुर शहर के लोग चाहते हैं कि जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर):...सिपाही के परिवार की गोली से हत्या हुई है उसको शहीद घोषित कराने की कृपा कराएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर मान लो कोई चीज जो आपने कट मोशन में दी है और उसका मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं कटमोशन के सारे जवाब आपको भेजूंगा, जिसमें आपके थानों पर टेलीफोन नहीं लगा वह भी होगा।

मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 25 लाख रुपये, उत्सव फंड में 10 लाख रुपये। मोटर साइकिल भत्ता, यह हमने पहली बार शुरू किया है, जो अपना स्वयं का वाहन रखते हैं और काम में लेते हैं उनको 5 लीटर, जिस पर 60 लाख रुपये देने होंगे। इसी तरह से जो बिगुल वाले हैं उनको जो भत्ता था पिछली बार हम चूक गये, केवल उनको ही 50 रुपये मिलता है बाकी सबको डेढ सौ मिलता है, इनको भी बराबर किया है। 1 लाख 20 हजार रुपये इसमें जाएंगे। क्वार्टर मास्टर का जो भत्ता था वह 100 रुपये से बढाकर हमने डेढ सौ रुपया किया है। पुलिस, जेल, होम गार्ड विभाग में कर्मियों का मैस भत्ता 600 रुपये देते हैं उसकी जगह 625 रुपये देंगे। 25 रुपया इसमें बढाया है। लगभग 1 करोड 91 लाख रुपया इसमें देना होगा। बंदी कल्याण कोष में 5 लाख रुपया जेल में, जेल कर्मचारी कल्याण कोष में 5 लाख रुपया, जेल कर्मियों की वर्दियों की धुलाई में जो अंतर था 35 रुपये से बढ़ाकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

50 रुपये किया है। होम गार्ड स्थाई कार्मिक कल्याण कोष में 5 लाख रुपया। होम गार्ड स्वयं सेवक ड्यूटी का जो पिछली बार हमने 75 से बढाकर 90 किया था, इस बार 90 से भी बढाकर 100 रुपये किया है जिसमें 43.88 लाख रुपया होगा । होम गार्ड जो घर से आते हैं जिनको अभी हम 4 रुपया देते हैं, अब 6 रुपया उनको आने का भत्ता होगा। होम गार्ड के प्रशिक्षण में जो पहले 25 रुपये देते थे उसकी जगह अब 35 रुपये देंगे। होम गार्ड अधिकारियों की वर्दी के रख रखाव भत्ते में 40 रुपये की जगह 55 रुपये देंगे। इसी तरह से होम गार्ड को 60 रुपये की जगह 70 रुपये देंगे। ऐसे सारे मिलाकर 3 करोड़ 77 लाख 93 हजार रुपये ये सारे के सारे दिये हैं।

मैं सोचता हूं, आप सबके माध्यम से सदन में अपने साथियों को जो कुछ भी संभव हुआ वह उनको देने का मैंने प्रयास किया है। आप इस मांग को पास कराएं, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ।

मांग संख्या-16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16- पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,67,1,84,000 (रुपये नौ अरब सढ़सठ करोड़ एक लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,21,10,000 (रुपये अड़तीस करोड़ इक्कीस लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 28 मार्च, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनंतर सदन की बैठक 22.49 बजे बुधवार, दिनांक 28.3.06 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नवीन पैट्रोल पम्प स्थापना हेतु जारी आदेश/निर्देश

264. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नये पट्रोल पम्प स्थापित करने के नियमों में दो पेट्रोल पम्पों के मध्य न्यूनतम दूरी 300 मीटर होने का प्रावधान है? यदि हां, तो सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में नये पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिये न्यूनतम 30x20 फीट साईज का भूखण्ड होना आवश्यक है? यदि हां तो नवीन पेट्रोल पम्प स्थापना करने में नियमों की पालना नहीं करने के कितने मामले कार्यवाही हेतु सरकार के पास लम्बित हैं?

(3) क्या यह सही है कि नवीन पेट्रोल पम्प स्थापित करने से पूर्व सरकार सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करती है? यदि हां तो किन-किनसे ?

(4) क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नये पेट्रोल पम्प स्थापित करने के मानदण्ड निर्धारित करने के सरकार को वर्ष 2005 में कोई दिशा-निर्देश दिये गये हैं? यदि हां तो क्या सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की जा रही हैं? इन आदेशों की पालना हेतु सरकार द्वारा क्या आवश्यक निर्देश जारी किये गये ? उच्च न्यायालय के आदेश एवं सरकार द्वारा जारी निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य में नवीन पेट्रोल पम्प स्थापित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी निर्धारित मानदण्डों व नियमों की पालना कर रहे हैं? यदि नहीं, तो इसमें कौन-कौन दोषी हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती हैं?

(6) क्या यह भी सही है कि राज्य के सभी प्रमुख शहरों के राष्ट्रीय राजमार्ग व मुख्य मार्गो पर नये पेट्रोल पम्प स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री मदन मोहन सिंघल)

(7) क्या यह भी सही है कि राज्य में विभिन्न कम्पम्नियों के पेट्रोल पम्प के रिकार्ड की जानकारी प्रतिदिन अथवा साप्ताहिक रसद विभाग/सब-डिविजन कार्यालय में दी जाती है? यदि हां, तो कितने दिन में व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दो पेट्रोल पम्पों के मध्य नयूनतम 300 मीटर की दूरी रखने का प्रावधान है तथा यदि विशेष कारणवश किन्हीं विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक पेट्रोल पम्प साथ दिया जाना हो तो पहुंचने हेतु सर्विस रोड़ का प्रावधान होना आवश्यक होगा । सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्टि ''अ'' पर संलग्न है।

(2) मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 में पैट्रोल पम्प हेतु 30x20 मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान है।

नवीन पेट्रोल पम्प स्थापना करने के बारे में ऐसे तीन प्रकरण लम्बित हैं, जिनके उक्त मापदण्डों की परिधि में आने के बारे में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के पश्चात् ही नियमों की पालना की स्थिति स्पष्ट होगी।

(3) राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 एवं नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के अन्तर्गत भूमि के नियमन/रूपान्तरण के लिये विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), नगर नियोजन विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाते है। पैट्रोल पम्प स्थापित/चालू करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी विस्फोटक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जाते हैं।

(4) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने दलपत सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य में डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1548/2005 में निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थापित होने वाले पैट्रोल पम्पों के बार में तकनीकि मानदण्ड़ों को ध्यान में रखा जाए तथा सरकार की नीति के विरूद्ध काई भी पैट्रोल पम्प स्थापित नहीं किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति ध्वज ''ब'' पर संलग्न है। माननीय उच्च

(स्वायत्त शासन मंत्री)

न्यायालय के निर्देशों की पालना सदैव सुनिश्चित की जाती है। इस संदर्भ में पृथक से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

(5) जी हां। राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के अन्तर्गत भू-रूपान्तरण से पूर्व मानदण्डों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जाती है। इस विषय मे किसी विशिष्ट जांच का औचित्य नहीं है।

(6) जी हां। राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के अन्तर्गत भू-रूपान्तरण के लिये भूमि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो नेशनल हाईवे अॅथोरिटी ऑफ इण्डिया से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

(7) राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के क्लाज 4(1)(बी) में जारी लाईसेन्स में वर्णित शर्तो में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी जिला रसद अधिकारी को माहवार फार्म ''डी'' के अंतर्गत स्टॉक प्राप्ति एवं डिलीवरी की सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद 5 दिवस में प्रस्तुत करेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

देशी मदिरा विक्रय नीति में परिवर्तन

265. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में जिलेवार वर्ष 2005-06 में देशी मदिरा की कितनी-कितनी दुकानें संचालित हुई एवं इनसे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006-07 में संशोधित आबकारी नीति में जिलेवार कितनी-कितनी देशी मदिरा की दुकानें संचालित होंगी एवं इनसे कितने राजस्व की प्राप्ति होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) देशी मदिरा विक्रय नीति में वर्ष 2006-07 से परिवर्तन के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 में मूल रूप से देशी मदिरा की 7000 दुकानें लगाने की अनुमति थी तथा इसके अतिरिक्त निश्चति राशि अदा कर अतिरिक्त

(आबकारी मंत्री)

दुकानें भी लगाई जा सकती थी। वर्ष 2005-06 में राज्य में मूल देशी मदिरा दुकानें 6544 तथा 318 अतिरिक्ति देशी मदिरा दुकानें संचालित हुई थी। इन दुकानों की जिलेवार संख्या तथा वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का विवरण (परिशिष्ट-1) में संलग्न है।

(2) वर्ष 2006-07 में लगाई जा सकने वाली दुकानों की संख्या तथा उनके लिये निर्धारित वार्षिक राशि का विवरण भी परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 में ही भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों का निश्चित लाईसेन्स फीस पर आवेदन आमंत्रित कर व्यवस्थापन करवाने का निर्णय लिया था। इसी अनुरूप देशी मदिरा व्यवसाय में कुछ व्यक्तियों के एकाधिकार को समाप्त करने एवं ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से वर्ष 2006-07 हेतु देशी मदिरा दुकानों के ग्राम पंचायत/नगर पालिका वार्डवार समूह बनाकर निश्चित वार्षिक राशि पर आवेदन आमंत्रित कर व किसी समूह के लिये एक से अधिक व्यक्ति के आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी प्रक्रिया द्वारा सफल आवेदक का चयन करने का निर्णय लिया गया है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2005-06 में संचालित तथा वर्ष 2006-07 में संचालित होने वाली देशी मदिरा की दुकानों की संख्या व राशि

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 2005-06 में मूल दुकानों की संख्या जो लगाई जा सकती थी	वर्ष 2005-06 में वास्तविक रूप से संचालित मूल दुकानें	वर्ष 2005-06 में देशी मदिरा की अतिरिक्त संचालित दुकानों की संख्या	वर्ष 2005-06 में संचालित कुल दुकानें (मूल व अतिरिक्त)	वर्ष 2005-06 में संचालित दुकानों से प्राप्त राजस्व (राशि लाखों में)	वर्ष 2006-07 में संचालित होने वाली देशी मदिरा की दुकानों की संख्या	वर्ष 2006-07 में संचालित होने वाली दुकानात से प्राप्त होने वाला राजस्व (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	449	444	-	444	3575.54	444	3234.19
2.	अलवर	302	259	-	259	3057.00	259	3900.57
3.	बांसवाड़ा-डूंगरपुर	69	66	5	71	1080.00	71	1460.05
4.	बारां	155	155	17	172	1478.55	172	1645.68
5.	बाड़मेर– जैसलमेर	223	221	45	266	1371.56	266	1888.67
6.	भरतपुर	141	140	-	140	1622.01	140	1956.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	भीलवाड़ा	274	271	-	271	2111.11	271	2157.64
8.	बीकानेर	202	202	1	203	1852.77	203	1908.38
9.	चित्तौड़गढ़	276	276	-	276	2005.55	276	2010.63
10.	चूरू	204	191	-	191	1571.78	191	1459.91
11.	धौलपुर	68	61	-	61	805.55	61	860.57
12.	हनुमानगढ़	377	348	-	348	2882.75	348	2863.28
13.	जयपुर	723	462	-	462	9107.78	462	10309.45
14.	दौसा		122	-	122		122	998.97
15.	झालावाड़	147	143	15	158	1557.55	158	1608.57
16.	झुंझुनूं	326	322	-	322	2522.82	322	2797.20
17.	जोधपुर	309	308	-	308	2727.75	308	3092.84
18.	कोटा	413	210	1	211	3804.00	211	3134.78
19.	बून्दी		196	-	196		196	1378.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	नागौर	261	243	-	243	2008.00	243	2094.31
21.	पाली	283	229	-	229	2164.55	229	1957.48
22.	सवाई माधोपुर- करौली	168	168	-	168	1475.76	168	1634.06
23.	सीकर	320	310	-	310	2745.00	310	2956.93
24.	सिरोही	273	135	16	151	2177.56	151	1411.33
25.	जालौर		136	-	136		136	697.68
26.	गंगानगर	473	371	-	371	3655.78	371	3790.57
27.	टोंक	170	161	-	161	1157.53	161	1225.83
28.	उदयपुर- राजसमंद	394	394	218	612	3655.78	612	2764.90
	योग :-	**7000**	**6544**	**318**	**6862**	**62356.03**	**6862**	**67200.00**

ब्यावर से भीम, नाथद्वारा सड़क मार्ग का चार लेन में परिवर्तन

266. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निमार्ण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नेशनल हाईवे नं.8 किशनगढ़-ब्यावर को चार लेन सड़क में परिवर्तित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ब्यावर से भीम, नाथद्वारा, उदयपुर को भी चार लेन में परिवर्तित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। नेशनल हाईव नम्बर-8 किशनगढ़-ब्यावर मार्ग को चार लेन सड़क में करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा चिन्हित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ब्यावर-भीम-उदयपुर मार्ग को चार लेन करने का विचार रखती है। उक्त कार्य की स्वीकृति हेतु मुख्य मंत्री महोदया द्वारा केन्द्रीय मेत्री पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को दिनांक 25.6.05 को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। जिसके जवाब में केन्द्रीय मंत्री महोदय ने उक्त मार्ग की बी.ओ.टी. आधार पर राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति जारी करने के लिये दिनांक 20.3.06 को पत्र लिखा है।

गंगानगर जिले में सैन्य गतिविधियों से प्रभावित कृषकों का मुआवजा प्रकरण

267. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आपरेशन पराक्रम के दौरान सैन्य गतिविधियों से प्रभावित फसल के मुआवजे के रूप में कितनी राशि कब-कब केन्द्र सरकार से श्रीगंगानगर जिले के लिऐ राज्य सरकार को प्राप्त हुई ?

(2) मुआवजे के रूप में प्राप्त उक्त राशि का वितरण किस वर्ष में कितना-कितना किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(3) क्या यह सही है कि कुछ प्रकरणों में कमियों के रहते मुआवजा के वितरण में देरी हुई ? यदि हां, तो कितने प्रकरण थे तथा इनकी कुल राशि कितनी थी?

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

(4) अवितरित मुआवजे की राशि के बैंक में जमा रखे जाने पर कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई?

(5) क्या देरी वाले प्रकरणों में किसानों को ब्याज का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार अवितरित मुआवजे से प्राप्त ब्याज का सम्बन्धित किसानों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आपरेशन पराक्रम के दौरान सैन्य गतिविधियों से प्रभावित फसल के मुआवजे के रूप में केन्द्र सरकार से जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	**राशि रुपये (करोड़ों में)**
2002	47.00
2004	29.32
2005	10.77
योग	**87.09**

(2) मुआवजा राशि का वितरण वर्षवार निम्नप्रकार है :-

वर्ष	**(राशि करोड़ों में)**
2002	23.41
2003	14.58
2004	25.43
2005	15.95
	79.37

(3) जी हां। कमियों के चलते प्रकरणों की संख्या 1164 है। इनकी मुआवजा राशि रुपये 7.72 करोड़ है।

(4) मुआवजा राशि को वितरण से पूर्व बैंक में रखा गया, जिस पर बैंक ने राशि रुपये 64.00 लाख ब्याज पेटे दिये।

(5) जी नहीं। वितरण प्रक्रिया में कुछ समय लगना स्वाभाविक हैं। कई मामलों में मौके की जांच आदि भी करनी पड़ी।

(6) जी नहीं। केन्द्र सरकार से मुआवजा वितरण बाबत प्राप्त निर्देशों में किसानों को ब्याज देने का प्रावधान नहीं है।

किशनगंज (बारां) में दोषपूर्ण एनीकट निर्माण

268. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में 20 लाख रुपये एनीकट निर्माण के लिये आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थान पर एनिकटों का निर्माण करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शाहाबाद क्षेत्र में एनीकटों का निर्माण गलत तकनीक से किया गया है, जिससे पानी का भराव नहीं रहता? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सरकार द्वारा एनीकट निर्माण के लिए वर्ष 2005-06 में रुपये 20.00 लाख आवंटित किये गये है। इस राशि के विरूद्ध स्वीकृति हेतु पंचायत समिति शाहाबाद में दुधिया नाला (बमनगवां) एवं दतिया नाला (भरौली) एनीकटों के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। शाहाबाद क्षेत्र में पूर्ण किये गये सभी एनीकटों में पानी का भराव रहता है।

सीकर के श्री कल्याण अस्पताल में ट्रोमा यूनिट की स्थापना

269. श्री अमराराम (धोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा श्री कल्याण अस्पताल सीकर में ट्रोमा यूनिट स्थापित करने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(2) सरकार द्वारा ट्रोमा यूनिट हेतु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत किये गये?

(3) क्या यह सही है कि श्री कल्याण अस्पताल सीकर में ट्रोमा यूनिट की सुविधाएं शुरू कर दी गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक शुरू कर दी जावेंगी?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा 150 लाख रुपये की राशि उच्चीकृत/सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत की गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) ट्रोमा यूनिट हेतु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के नवीन पद स्वीकृत नहीं किए गए है।

(3) जी नहीं, आगामी वित्तीय वर्ष 2006-07 से ट्रोमा यूनिट की सेवाएं प्रारंभ की जा सकेगी।

बीकानेर शहर हेतु रेल बाइपास परियोजना

270. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान हेतु 61 करोड़ रुपये की लागत से ए.डी.बी. परियोजना के माध्यम से डिपोजिट वर्क के रूप में रेल बाई पास योजना मंजूर हुई थी?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना की क्रियान्विति के लिये ए.डी.बी. परियोजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये रेलवे को जमा करवा दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ? इसके लिये कौन दोषी हैं?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य हेतु रेलवे से एम.ओ.यू. करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा यह रेल बाई पास का काम कब तक पूरा हो जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा रेलवे को रेल बाई पास से संबंधित जमा कराई गई एक करोड़ रुपये की राशि वापस लेने हेतु कोई पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी। हां। यह सही है कि बीकानेर शहर रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान हेतु 60.24 करोड़ रुपये की लागत से ए.डी.बी. परियोजना के माध्यम से डिपोजिट वर्क के रूप में रेल बाईपास योजना मंजूर हुई थी।

(2) जी हां। यह सही है कि इस योजना की क्रियान्विति के लिये सर्वेक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु एक करोड़ रुपये ए.डी.बी. परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रेल्वे को दिनांक 27.05.03 को जमा कराये गये थे। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एम.ओ.यू. पर रेल्वे द्वारा हस्ताक्षर होना शेष है। एम्.ओ.यू. के बाद कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रेलवे द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके लिये कोई भी दोषी नहीं है।

(3) उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार एवं रेलवे के मध्य किये जाने वाले एम.ओ.यू. को दिनांक 18.12.04 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था एवं राज्य सरकार की सहमति भी प्रदान की गई थी। परन्तु रेल विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एम.ओ.यू. पर सहमति प्रदान नहीं की गई। चूंकि यह कार्य रेलवे द्वारा ही किया जाना है अत: जब रेलवे द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित इस एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो जायेंगे तब ही ज्ञात हो पायेगा कि यह कार्य कब शुरू होगा व कब पूर्ण होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा रेलवे को जमा कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उनसे मांगा गया है एवं उपयोग के बाद कोई राशि शेष रहती है तो इसे लौटाने हेतु लिखा गया है। भेजे गये पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 मार्च, 2006)

काश्तकारों को आबंटित कृषि भूमि की ब्याज राशि में छूट

115. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा काश्तकारों को आवंटित कृषि भूमि की राशि चुकाने हेतु ब्याज माफी की छूट का आदेश जारी किया गया था? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश जारी करते समय जिला बीकानेर के कृषकों की कितनी मूल एवं कितनी ब्याज राशि बकाया थी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश की क्रियान्विति में ऐसे सहृदय काश्तकारों को ब्याज माफी की छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं, जिन्होंने अपनी अपनी किस्तों की राशि तो जमा करवा दी थी मगर ब्याज राशि उनके खाते में बकाया थी? यदि हां, तो जिला बीकानेर के काश्तकारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(4) जिला बीकानेर के ऐसे कितने काश्तकारों की कितनी ब्याज राशि बकाया थी? क्या सरकार ऐसे सहृदय काश्तकारों को बकाया ब्याज राशि माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश दिनांक 6.2.04 की प्रति परिशिष्ट-1 संल्गन है।

(2) आदेश दिनांक 6.8.04 जारी किये जाने के समय जिला बीकानेर उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों में किश्तों की मूल राशि 4180.19 लाख एवं ब्याज 1802.40 लाख रुपये बकाया थे।

(3) जिला कलक्टर के अधीन क्षेत्र में 272 एवं आयुक्त, उपनिवेशन के क्षेत्र में 593 ऐसे काश्तकार हैं। सूची परिशिष्ट 2 व 3 संलग्न है।

(4) जिला कलक्टर, बीकानेर के 272 काश्तकारों से 11.01 लाख रुपये तथा आयुक्त, उपनिवेश क्षेत्र के 593 काश्तकारों पर 37.34 लाख रुपये ब्याज के बकाया है। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की छूट निश्चित अवधि के लिये थी वित्तीय छूट भूतलक्ष्यी मामलों में लागू नहीं होती है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भीलवाड़ा जिले में चेजा पत्थर एवं रेती पर वसूल रायल्टी

271. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र जहाजपुर एवं भीलवाड़ा जिले में खनन उत्पाद रेत एवं चेजा पत्थर पर बिक्री कर वसूली का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो इन खनन उत्पादों पर बिक्री कर वसूली के नियम एवं आधार क्या हैं तथा ठेकेदार द्वारा प्रति ट्रेक्टर, डम्पर एवं ट्रक पर कितनी-कितनी राशि किन नियमों के तहत वसूली जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा नियमों के विपरीत अधिक राशि वसूली की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में रेत (बजरी) एवं

(वित्त मंत्री)

चेजा पत्थर पर कर वसूली का ठेका ठेकेदार द्वारा ठेका राशि जमा कराने की शर्तों पर दिया हुआ है। इन वस्तुओं पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 56 (बी) के अन्तर्गत कर की वसूली की जाती है। कर एवं मुक्ति शुल्क राशि की दरें प्रति ट्रेक्टर, डम्पर एवं ट्रक पर राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ.4(1) एफ.डी.टेक्स/01-पी.टी./146 एवं 147 दिनांक 15.01.2003 के अनुसार विहित की गई है जो निम्न प्रकार है :-

बजरी पर प्रति टन के आधार पर कर राशि/मुक्ति शुल्क राशि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नदी का नाम	कर प्रति टन	मुक्ति शुल्क	विशेष विवरण
1.	बनास खारी व खरका	रु. 18.00	रु. 240 /- प्रति ट्रक	मुक्ति शुल्क ट्रोला व ट्रबों ट्रक के लिये रु. 120/- होगा।
2.	अन्य नदियां	रु. 6.00	रु 120/- प्रति ट्रक	मुक्ति शुल्क ट्रोला व ट्रबो ट्रक के लिये रु. 240/- तथा ट्रेक्टर ट्रोली के लिये 60/- होगा।

क्र.सं. वाहन का प्रकार कर की राशि/मुक्ति शुल्क राशि निम्नानुसार देय है।

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	कर की राशि	मुक्ति शुल्क राशि
1.	ट्रक	10/- रुपये प्रति टन	140/- रुपये
2.	ट्रोला व ट्रबो ट्रक		280/- रुपये
3.	ट्रेक्टर ट्रोली		50/- रुपये

(2) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुईहै।

पीतुपुरा-गुढाकर ग्राम (करौली) में सड़क निर्माण

272. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया गया है?

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मिसिंग लिंक सड़क ग्राम पीतुपुरा से गुढाकर (जिला करौली) के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। यदि हां, तो उपरोक्त लिंक रोड़ का अब तक निर्माण नहीं करवाये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

मोटी बस्सी ग्राम पंचायत (बांसवाड़ा) के राजस्व ग्राम योग्य मजरे

273. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत मोटी बस्सी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा की कुल आबादी कितनी है और उसमें कितने मतदाता हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत मोटी बस्सी में कुल कितने राजस्व गांव और मजरे हैं? प्रत्येक गांव एवं मजरों में कुल कितने-कितने मतदाता हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितनी आबादी के मजरों को सरकार द्वारा राजस्व गांव बनाये जाते हैं? उक्त आबादी के कितने मजरों को अभी तक राजस्व ग्राम नहीं बनाया गया? क्या सरकार गांव मोटी बस्सी के मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मोटी बस्सी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा की कुल आबादी जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 3054 है ओर अन्तिम रूप से तैयार की गयी मतदाता सूची अनुसार 2364 मतदाता है।

(2) ग्राम पंचायत मोटी बस्सी में 3 राजस्व ग्राम व 2 मजरे हैं। पंचायत मतदाता सूची के अनुसार गांव तथा मजरों के मतदाता की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम गांव	राजस्व गांव/मजरा	मतदाता संख्या
1.	मोटीबस्सी	राजस्व गांव	1041

(राजस्व मंत्री)

2.	चौहान माता	राजस्व गांव	240
3.	बस्सीछोटी	राजस्व गांव	646
4.	डामोरपाड़ा	मजरा मोटीबस्सी	208
5.	बारोड़ी	मजरा मोटी बस्सी	229

(3) सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी वाले मजरों/ढ़ाणियों तथा पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 200 की आबादी वाले मजरों/ढाणियों को भौगोलिक/भौतिक परिस्थितियों के अनुसार नवीन राजस्व गांव बनाया जाता है। गांव गोटीबस्सी के पात्रता रखने वाले मजरे चौहानमाता एवं बस्सीछोटी जो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.2.06 द्वारा राजस्व गांव घोषित कर दिया गया है।

बल्लभनगर के माड़ा योजनान्तर्गत चयनित ग्राम

274. श्री रणधीर सिंह भिण्डर (वल्लभनगर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के कितने गांव माडा योजना में चयनित हैं?

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2003 के बाद माडा योजना के अन्तर्गत उक्त गांवों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(3) सरकार की उक्त गांवों के विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के माड़ा योजना में 103 ग्राम चयनित हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 के बाद माड़ा के अन्तर्गत उक्त गांवों के लिए विभिन्न योजनाओं में कुल राशि रुपये 115.135 लाख स्वीकृत की गई है।

(3) सरकार द्वारा उक्त गांवों के विकास के लिए संचालित की जा रही योजना की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

माडा क्षेत्र में संचालित की जा रही योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना
1.	जनजाति व्यक्तियों को सहकारी समितियों की अंशपूंजी खरीदने के लिए सहायता
2.	आश्रम छात्रावासों का संचालन/संस्थापन
3.	आश्रम छात्रावासों का आधुनिकरण एवं रख रखाव
4.	उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन
5.	प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन
6.	खेल छात्रावासों का संचालन
7.	बी.एड प्रशिक्षण
8.	प्री बी.एड कोचिंग
9.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण
10.	आश्रम छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को कोचिंग
11.	कृषि कुओं के विद्युतीकरण हेतु अनुदान
12.	हैंडपम्प स्थापना
13.	आश्रम छात्रावासों के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण
14.	उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन
15.	सड़क एवं सी.डी. निर्माण
16.	बैफ केन्द्रों का संचालन
17.	कृषि कुओं को गहरा कराना
18.	डीजल पम्प सैट/विद्युत पम्पसैट क्रय हेतु अनुदान
19.	फव्वारा सिंचाई सैट हेतु अनुदान
20.	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम
21.	दुधारू पशुओं पर अनुदान
22.	उन्नत बीज/खाद वितरण
23	स्वरोजगार योजना
24.	पावर थ्रेसर पर अनुदान

क्र. सं.	नाम योजना
25.	जनजाति कृषकों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन
26.	जनजाति महिलाओं को आय वृद्धि योजना हेतु प्रशिक्षण
27.	एनिकट निर्माण
28.	ट्यूब वैल स्थापना
29.	जल ग्रहण विकास
30.	आंगन बाड़ी भवन निर्माण
31.	उप स्वास्थ्य केन्द्र
32.	विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण

भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय का चिकित्सा महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

275. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला भीलवाड़ा के ''अ'' श्रेणी के महात्मा गांधी चिकित्सालय में वर्तमान में स्वीकृत 393 शैय्याओं के स्थान पर 500 शैय्याओं की स्वीकृति देने का विचार रखती हैं यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा को मेडिकल कालेज में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में 325 एवं जनाना चिकित्सालय भीलवाड़ा में 39 शैय्याऐं स्वीकृत हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में वर्ष 2005 में स्वीकृत शैय्याओं का लगभग 90 प्रतिशत उपयोग हुआ है। इन शैय्याओं का शत प्रतिशत उपयोग होने पर तथा शैय्याओं में वृद्धि हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर शैय्याओं में वृद्धि किए जाने पर विचार किया जाना समुचित होगा।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा को मेडिकल कालेज में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभाग

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के विचाराधीन नहीं है। नया मेडिक्ल कालेज खोलने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है।

निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र में भू-रूपान्तारण के लम्बित प्रकरण

276. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र की कृषि भूमि का आवासीय व व्यावसायिक रूपान्तरण नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2004-05 व 2005-06 में नगरपालिका निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी द्वारा कितनी भू-रूपान्तरण की पत्रावलियों का निस्तारण किया गया तथा कितनी पत्रावलियां लम्बित हैं?

(2) क्या दोनों नगरपालिकाओं में लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण कर दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004-05 व 2005-06 में नगर पालिका निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में भूमि रूपान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण एवं लम्बित की सूचना निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम पालिका	वर्ष	निस्तारित	शेष
1.	छोटी सादड़ी	2004-05	14	शून्य
		2005-06	21	16
2.	निम्बाहेड़ा	2004-05	51	32
		2005-06	55	47

(2) शेष सभी प्रकरणों का निस्तारण धारा-90बी की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात तथा भूमि का पालिका को समर्पण होते ही शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

अन्य राज्यों से क्रय विद्युत में छीजत

277. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) राज्य में वर्ष 2005-06 में कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी बिजली का उपभोग किया जाता है व कितनी प्रतिशत बिजली की छीजत व चोरी होती हैं?

(3) प्रदेश में कितनी मेगावाट बिजली अन्य राज्यों से किस दर पर क्रय की जाती है व क्रय की गई बिजली में कितने प्रतिशत छीजत व चोरी होती है?

(4) जनवरी, 2004 से अब तक प्रदेश में कितनी मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया गया? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2005-06 (फरवरी, 06 तक) में 274967.33 लाख यूनिट की उपलब्धता रही है। माहवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) माह अप्रैल, 05 से दिसम्बर, 05 तक उपलब्ध में से 134638.04 लाख यूनिट बिजली का बिलिंग किया गया तथा राज्य में औसतन छीजत व चोरी 38.53 प्रतिशत रही।

(3) राज्य में विद्युत आवश्यकता व उपलब्धता के अन्तर को कम करने के लिए अन्य राज्यों/एजेन्सियों से द्विपक्षीय आधार पर बिजली क्रय की जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 5635 लाख यूनिट बिजली 3.60 रु. प्रति यूनिट की औसत दर के आधार पर क्रय की गई है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है। इसमें 4.6 प्रतिशत छीजत अनुमानित है।

(4) माह जनवरी, 2004 से जनवी, 2006 तक राज्य की अधिष्ठापित क्षमता में 390.56 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की गई है। इसमें से 192.75 मेगावाट राज्य में, 149 मेगावाट साझेदारी परियोजनाओं से तथा 196.32 मेगावाट केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों से राजस्थान को आवंटित हिस्से के फलस्वरूप है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केकड़ी में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

278. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोपाल लाल धोबी)

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में कौन-कौनसी योजना में कौन-कौनसी सड़कों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

(2) स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कें पूर्ण हो गई व कौन-कौनसी अपूर्ण हैं एवं कौन-कौनसी सड़कों का कार्य आरम्भ नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण एवं प्रारम्भ नहीं हुई सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सड़कों एवं उन पर स्वीकृत राशि की सूची परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) स्वीकृत सड़कों में से पूर्ण हुई सड़कों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर एवं अपूर्ण (प्रगतिरत) सड़कों का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। सभी सड़कें प्रारम्भ कर दी गई हैं।

(3) जी हां। प्रगतिरत सड़कों को सितम्बर, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

भवन रहित पटवार मण्डल मुख्यालय

279. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में स्थित सभी पटवार मण्डल मुख्यालयों के भवन निर्मित हैं? यदि नहीं, तो पटवार भवन रहित पटवार मण्डलों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पटवार भवन रहित मण्डलों पर भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित भवनों की लम्बे समय से मरम्मत नहीं हुई है व कई पटवार भवनों में आवश्यक सुविधाएं यथा

(श्री राकेश मेघवाल)

बिजली, पानी नहीं है? क्या सरकार उक्त भवनों में मरम्मत एवं बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। पटवार भवन रहित पटवार मण्डलों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) जी हां। बजट की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं तथा अकाल राहत आदि के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार प्राथमिकता देते हुये निर्माण कराये जायेंगे।

(3) जी नहीं। पूर्व निर्मित पटवार भवनों के रख-रखाव/मरम्मत हेतु प्रतिवर्ष राशि स्वीकृत की जाती है। गत पांच वर्षों में स्वीकृत राशि परिशिष्ट 'ब' संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व निर्मित 625 पटवारघरों में पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि रुपये 50.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर संभाग के जनजाति आश्रम छात्रावास/आवासीय विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

280. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर संभाग में आवासीय विद्यालयों एवं जनजाति आश्रम छात्रावासों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उदयपुर संभाग में आवासीय विद्यालयों एवं जनजाति आश्रम छात्रावासों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग में आवासीय विद्यालयों में एवं जनजाति आश्रम छात्रावासों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आगामी सत्र में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जायेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनपुरा ग्राम (चौमूं) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

281. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत किशनपुरा की आबादी पांच हजार से अधिक है तथा किशनपुरा से 20 किलोमीटर की परिधि में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत किशनपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाये जाने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार के द्वारा निर्धारित निम्नांकित मापदण्डों के अनुरूप स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

संस्थान	मापदण्ड (प्रति केन्द्र ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर)	
	सामान्य	जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000

मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। ग्राम किशनपुरा की वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 3616 जनसंख्या है। ग्राम किशनपुरा के दक्षिण में लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तेड़ा, पूर्व में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़, दक्षिण पूर्व में लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालाडेरा एवं लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रींगस स्थित है।

(3) जी नहीं। ग्राम किशनपुरा पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में ग्राम किशनपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरूद्ध 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस प्रकार कुल 10 चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं। इस प्रकार निर्धारित मापदण्डों से अधिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थानीय निकायों का प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण

282. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थानीय निकायों का प्रशासन विकेन्द्रीकरण करने एवं समस्त सदस्यों के सहयोग से संचालित करने हेतु स्थानीय निकायों में समितियों का गठन किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से निकाय हैं जिनमें ऐसे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त निकायों के प्रमुखों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस हेतु स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी नियत की गई है? यदि हां, तो नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि संविधान के भाग 9(ए) के प्रावधानों को दिनांक 1 जून, 1993 से 31 मई, 1994 की अवधि में लागू किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो अभी तक इन्हें लागू नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका अधिनियम की धारा 73 व 88 के तहत स्थानीय निकायों में समितियों का गठन किये जाने का प्रावधान है। जिन निकायों में उक्त समितियों का गठन अब तक नहीं हुआ है उनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। समितियों का गठन अभी तक नहीं करने के संबंध में निकाय प्रमुख के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) जी हां। ऐसे अधिकारियों को शीघ्र समितियों के गठन हेतु पुन: निर्देशित किया गया है गठन की कार्यवाही शीघ्र करवायी जावेगी। निर्देशों के बावजूद भी गठन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) संविधान के भाग 9(ए) के प्रावधानों को नियत अवधि में लागू किया जा चुका है।

परिशिष्ट "अ"

जिन निकायों में समितियों का गठन नहीं हुआ है की सूची

सम्भाग	क्र.सं.	नाम निकाय	क्र.सं.	नाम निकाय
उदयपुर	1	राजसमन्द	2	भीण्डर
	3	डूंगरपुर	4	सागवाड़ा
	5	देवगढ़	6	फतहनगर
	7	बेगूं	8	निम्बाहेड़ा
	9	बड़ी सादड़ी	10	चित्तौड़गढ़
	11	छोटी सादड़ी	12	प्रतापगढ़
	13	कुशलगढ़	14	कपासन
	15	सलूम्बर	16	रावतभाटा
जोधपुर	17	बिलाड़ा	18	पीपाडशहर
	19	पाली	20	सुमेरपुर
	21	सदड़ी	22	सोजत
	23	जैतारण	24	रानी खुर्द
	25	खुडला-फालना	26	जालौर
	27	सांचौर	28	बाड़मेर
	29	पिण्डवाडा	30	आबूपर्वत
	31	आबूरोड	32	शिवगंज
	33	बाली	34	सिरोही
कोटा	35	नगर निगम, कोटा	36	कैथून
	37	सांगोद	38	बारां
	39	अन्ता	40	मांगरोल
	41	बून्दी	42	केशवराय पाटन
	43	कापरेन	44	इन्द्रगढ़
	45	झालावाड़	46	भवानीमण्डी
	47	झालरापाटन	48	पिण्डावा

सम्भाग	क्र.सं.	नाम निकाय	क्र.सं.	नाम निकाय
	49	अकलेरा	50	सवाईमाधोपुर
	51	गंगापुरसिटी	52	करौली
	53	हिण्डौनसिटी	54	टोडाभीम
अजमेर	55	नगर परिषद, अजमेर	56	विजयनगर
	57	किशनगढ़	58	केकड़ी
	59	सरवाड़	60	भीलवाड़ा
	61	गुलाबपुरा	62	गंगापुर (भीलवाड़ा)
	63	आसीन्द	64	माण्डलगढ़
	65	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	66	जहाजपुर
	67	मकराना	68	डीडवाना
	69	मेड़तासिटी	70	नावां
	71	कुचेरा	72	मूण्डवा
	73	निवाई	74	मालपुरा
	75	देवली	76	टोडारायसिंह
	77	उनियारा	78	श्रीगंगानगर (बीकानेर संभाग)
बीकानेर	79	रायसिंहनगर	80	गजसिंहपुर
	81	करणपुर	82	केसरीसिंहपुर
	83	श्रीविजयनगर	84	अनूपगढ़
	85	पदमपुर	86	सूरतगढ़
	87	चूरू	88	रतनगढ़
	89	सुजानगढ़	90	राजगढ़
	91	सरदारशहर	92	छापर
	93	बीदासर	94	रतन नगर
	95	तारानगर	96	राजलदेसर
जयपुर	97	अलवर	98	खैरथल
	99	खेडली	100	राजगढ़

सम्भाग	क्र.सं.	नाम निकाय	क्र.सं.	नाम निकाय
	101	बहरोड़	102	भरतपुर
	103	बयाना	104	डीग
	105	कामा	106	नदबई
	107	वैर	108	कुम्हेर
	109	भुसावर	110	नगर
	111	दौसा	112	बांदीकुई
	113	लालसोट	114	राजाखेड़ा
	115	सांभर	116	चाकसू
	117	कोटपूतली	118	फुलेरा
	119	जोबनेर	120	किशनगढ़-रैनवाल
	121	शाहपुरा	122	विराटनगर
	123	बगरू	124	नवलगढ़
	125	चिड़ावा	126	बग्गड़
	127	खेतड़ी	128	मण्डावा
	129	मुकुन्दगढ़	130	पिलानी
	131	सूरजगढ़	132	उदयपुरवाटी
	133	फतहपुर	134	लक्ष्मणगढ़
	135	रामगढ़	136	श्रीमाधोपुर
	137	खण्डेला	138	रींगस
	139	लौसल	140	बाड़ी
	141	धोलपुर		

जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में पार्किंग लिफ्ट

283. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर में पार्किंग लिफ्ट लगाई गई थी? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि व्यय की गई?

(श्री एमादूद्दीन अहमद खान)

(2) क्या यह सही है कि अब उक्त पार्किंग लिफ्ट को भारी पार्किंग समस्या के बावजूद आज दिन तक कार्य में नहीं लिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अब लिफ्ट पार्किंग सिस्टम को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं उस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है?

(4) क्या पार्किंग लिफ्ट सिस्टम लगाने का पूर्व स्थान अनुचित था? यदि हां, तो पूर्व स्थान को निर्धारित करने वाले कौन-कौन अधिकारी थे? उनके गलत कार्य पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जविप्रा कार्यालय परिसर में मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल कार पार्किंग सिस्टम लगाया गया है। इस पर 45,20,000 राशि व्यय की गई है।

(2) जी नहीं। उक्त पार्किंग सिस्टम कार्य में लिया गया है।

(3) जी हां। वर्तमान में निर्माणाधीन भवन की सीमा में आने के कारण इस सिस्टम को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर होने वाले व्यय का आंकलन किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल कार पार्किंग लगाते समय वर्तमान निर्माणाधीन भवन की योजना नहीं थी। उक्त स्थान मुख्य द्वार के समीप होने के कारण पार्किंग सिस्टम लगाये जाने के लिए उचित समझा गया। तत्पश्चात भवन की आवश्यकता के कारण नये भवन की योजना बनाई गई एवं उक्त सिस्टम को अन्य जगह स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया। अत: पांर्किग सिस्टम को उक्त स्थान पर लगाया जाना उचित था। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

कुचामन सिटी नगरपालिका (नागौर) द्वारा कृषि भूमि का नियमन

284. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुचामन सिटी (नागौर) द्वारा कृषि भूमि का नियमन कर पट्टे जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से आज तक कितनी कृषि भूमि का नियमन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री महादेव सिंह)

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुचामन सिटी (नागौर) में कृषि भूमि नियमन हेतु कोई नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कृषि भूमि नियमन में नगरपालिका कुचामन सिटी (नागौर) भेदभाव कर रही है? यदि नहीं, तो क्या ऐसे सभी प्रकरणों के प्लाटों में समान रास्ते छोड़े जाकर कृषि भमिक का नियमन किया जा रहा है यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका कुचामन सिटी द्वारा कृषि भूमि का नियमन कर पटटे जारी किये जा रहे है।

दिनांक 01.02 से आज तक कुल 237 कृषि भूमि के भू-खण्डों का नियमन किया गया है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। नगर निकायों में कृषि भूमि नियमन के संदर्भ में जारी नियमों/ परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। कृषि भूमि नियमन में पालिका कुचामन सिटी द्वारा कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। सभी प्रकरणों में मौके की स्थिति अनुसार समान रास्ते छोड़े जाकर नियमन की कार्यवाही की जाती है।

नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प. 5(3) नविवि/399 दिनांक 06.07.02 के अनुसार जिन आवासीय कालोनियों में 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है, उन क्षेत्रों में सुविधा क्षेत्र, रास्ते आदि में शिथिलता का अधिकार स्थानीय निकायों को दिये हैं, जिनके अनुसार मौके की स्थिति के अनुसार शिथिलता प्रदान की जा रही है।

(सूची व प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त विदेशी सहायता

502. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार को विदेशी सहायता के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी परियोजनाओं के अन्तर्गत? वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा दिनांक 30 जनवरी, 2006 तक विभिन्न परियोजनाओं में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार को विदेशी संस्थाओं से सहायता केन्द्र सरकार के माध्यम से ''अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता'' के नाम से प्राप्त होती है। राज्य सरकार ने विदेशी संस्थाओं से अब तक सीधा ऋण प्राप्त नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में तथा 2005-06 में (जनवरी, 2006) तक विभिन्न परियोजनाओं में प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि का परियोजनावार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

राज्य सरकार द्वारा विदेश संस्थाओं से प्राप्त सहायता का विवरण

(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण दाता संस्था	प्राप्तियां		व्यय	
			2004-05	2005-06 (जनवरी, 06 तक)	2004-05	2005-06 (जनवरी, 06 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	वर्ल्ड बैंक	132.93	46.32	128.94	47.88
2	राज. ऊर्जा क्षेत्र पुनर्सरंचना कार्यक्रम	वर्ल्ड बैंक	92.18	85.08	108.04	156.20
3	राज. जल क्षेत्र पुनर्सरंचना कार्यक्रम	वर्ल्ड बैंक	82.75	66.58	117.50	118.36
4	ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेज-I चूरू	FRG जर्मनी	10.26	7.92	14.53	10.09

1	2	3	4	5	6	7
5	आवासीय विद्यालय	KFW जर्मनी	7.29	0.22	12.63	4.11
6	शहरी आधारभूत विकास कार्यक्रम	एशियन विकास बैंक	216.62	115.40	325.78	174.95
7	सिद्धमुख नहर परियोजना	यूरोपियन कमीशन	13.29	0.00	0.00	0.00
8	जयपुर हेतु जल प्रबंध योजना	FRGL फ्रांस	4.60	0.78	0.00	0.00
9	राज. वानिकी एवं जैव विविधता योजना	JBIC जापान	67.45	0.03	73.38	58.18
10	राज. स्वास्थ्य विकास परियोजना	वर्ल्ड बैंक	0.70	9.19	12.63	23.51
11	जयपुर-बीसलपुर परियोजना	JBIC जापान	0.00	1.29	0.00	3.97
12	140 MW मथनिया परियोजना	KFW जर्मनी	0.00	0.00	2.00	0.08
		योग	**628.07**	**332.81**	**795.43**	**597.33**

विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त ऋण का उपयोग

503. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में ऋण प्राप्त किये हैं? यदि हां, तो किन-किन कार्यक्रमों के लिए कितना ऋण प्राप्त किया गया तथा उसमें से दिनांक 30 जनवरी, 2006 तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में वित्तीय संस्थाओं यथा नाबार्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण प्राप्त किया है। 2004-05 तथा 2005-06 (30 जनवरी, 2006) तक प्राप्त ऋणों एवं किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों का विवरण

(राशि करोड़ों में)

संस्था का नाम	कार्यक्रम	प्राप्त ऋण		व्यय राशि	
		2004-2005	2005-2006 (30 जनवरी, 08 तक)	2004-2005	2005-2006 (30 जनवरी, 06 तक)
नाबार्ड					
(क) दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि (L.T.O.)	सहकारी ऋण संस्थाओं में हिस्सा पूंजी के अंशदान हेतु	2.81	0.00	0.00	2.81
(ख) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (R.I.D.F.)	सिंचाई परियोजनाओं हेतु	51.71	86.11	75.41	154.53
	सड़क परियोजनाओं हेतु	112.22	76.58	115.21	73.38
	जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु	0.00	2.89	0.40	6.35
भारतीय जीवन बीमा निगम	अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूर्व में लिये गये अधिक ब्याज दर वाले ऋणों को चुकाने हेतु	893.90	0.00	893.90	0.00
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	सहकारी संस्थाओं हेतु	12.62	9.33	12.62	9.33
योग :-		**1073.26**	**174.91**	**1097.54**	**246.40**

राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा पुनर्भरण सुविधा

504. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात मिलने वाली चिकित्सा सुविधा बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वे सुविधाएं मिलेंगी, जिनके वे हकदार हैं।

राज्य सरकार एवं कर्मचारी संघ के मध्य वर्ष 1998 में हुए समझौते की क्रियान्विति

505. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में लिपिकों के वेतनमानों में रह गई विसंगित के निवारणार्थ तत्कालीन भाजपा सरकार की ओर से उप शासन सचिव विनोद पण्डाया एवं तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ श्री लल्लू सिंह राजावत एवं राज्य सरकार के बीच दिनांक 28 अक्टूबर, 98 को एक लिखित समझौता हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समझौते में दिनांक 1 सितम्बर, 96 के मंत्रालय संवर्ग के बुनियादी पद कनिष्ठ लिपिक के तत्कालीन प्रवर्तिति वेतन श्रृंखला (3050-4590) को परिवर्तित कर (4000-6000) किया जाना स्वीकृत करते हुए तदनुसार इसी क्रम में मंत्रालयिक संवर्ग के इससे ऊपर के सभी पदों की वेतन श्रृंखलाओं का संशोधन भी स्वीकार किया गया?

(3) क्या यह सही है कि निर्णित शुदा प्रकरण में दिनांक 28 अक्टूबर, 98 को हुए इस समझौते को सरकार ने जान-बूझ कर ठंडे बस्ते में डाल दिया? यदि हां, तो क्या अब सरकार इस पर दिनांक 1 सितम्बर, 96 से प्रभावशीलता दर्शाते हुए लिपिकों के लिए समझौते के अनुसार वेतन श्रृंखला परिवर्तित करने का आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा किसी संघ के साथ किये जा चुके किसी समझौते के क्रियान्वयन न किए जाने की देरी की इस स्थिति में संबंधित जवाबदेही निर्धारित की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। समझौते में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की वेतन श्रृंखलाएं संशोधित करने संबंधी प्रकरण वेतन विसंगति निराकरण समिति को रैफर करने हेतु उल्लेख किया गया था।

(3) जी नहीं। कनिष्ठ लिपिक के पद का वेतनमान 3050-4590(6) के स्थान पर 4000-6000(9) करने का मामला एवं मंत्रालयिक संवर्ग के अन्य वेतनमानों में संशोधन संबंधी प्रकरण विधानसभा चुनावों के पश्चात सरकार ने वेतन विसंगति निराकरण समिति को परीक्षण हेतु संदर्भित किया। वेतन विसंगति निराकरण समिति ने इन कर्मचारियों के वेतनमानों में उक्त संशोधन को उचित नहीं माना है क्योंकि कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान केन्द्र सरकार के अनुरूप हैं।

राज्य कर्मियों को राजकीय आवास आबंटन हेतु पात्रता

506. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य कर्मचारियों को जयपुर में राजकीय आवास आबंटन के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारी का स्वयं का आवास जयपुर शहर में स्थित होते हुए भी वह राजकीय आवास में रहने की सुविधा प्राप्त कर सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में स्वयं का आवास खरीदने के कितने समय तक राज्य कर्मचारी राजकीय आवास में रह सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों को आवास आबंटन बाबत राजकीय आवास आबंटन नियम 1958 है। नियम की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्वयं का निजी आवास होने की स्थिति में राजकीय आवास आबंटन नियम 1958 के नियम 9(4)(I) के तहत पात्रता नहीं बनती है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) राज्य कर्मचारी यदि राजकीय आवास में निवास नहीं कर रहा है तथा स्वयं का आवास खरीद लेता है उस स्थिति में बिन्दु संख्या 2 में वर्णित नियम के अनुसार कर्मचारी आबंटन हेतु अपात्र है। लेकिन राजकीय आवास में कर्मचारी निवास करते हुए स्वयं आवास खरीदता है तो लिखित सहमति राज्य सरकार को भिजवाने पर राजकीय आवास आबंटन नियम 1958 के नियम 9(4)(111) के प्रावधानानुसार साधारण को तीन गुणा किराया भुगतान करने की शर्त पर जयपुर मुख्यालय पर पदस्थापित रहने तक आबंटित आवास में निवासरत रहने हेतु पात्र है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधायकों को मुख्य सचिव स्तर की प्रोटोकोल सुविधा

507. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा सदस्यों को प्रोटोकोल के स्तर से मुख्य सचिव के बराबर माना जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार माननीय सदस्यों को उक्त सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

आर्डर आफ प्रेसीडेंस में माननीय विधायकों को क्र.सं. 21 पर रखा है। मुख्य सचिव को क्र.सं. 23 पर रखा है। (प्रति संलग्न)। नहीं। आर्डर पर आफ प्रेसीडेंस केवल राजकीय समारोहों में अनुपालना (observe) करने हेतु लागू है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नई दिल्ली/राज्य स्थित विश्राम गृहों के पुनर्निर्माण/मरम्मत पर व्यय

508. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस एवं राजस्थान हाउस की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं रख-रखाव के

(श्री जुबेर खान)

लिए राशि का आबंटन किया गया हैं? यदि हां, तो वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में स्थित विभिन्न सर्किट हाउसों एवं डाक बंगलों के पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भी वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में राशि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि विभिन्न स्थानों के लिए आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्षवार मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निम्न प्रकार बजट का आबंटन किया गया है।

वर्ष	**राजस्थान हाउस, नई दिल्ली**	**जोधपुर हाउस, नई दिल्ली**
2004-05	4.00 लाख रु.	2.00 लाख रु.
2005-06	4.00 लाख रु.	2.00 लाख रु.

वर्षवार पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु निम्न प्रकार बजट का आबंटन किया गया है।

वर्ष	**राजस्थान हाउस, नई दिल्ली**	**जोधपुर हाउस, नई दिल्ली**
2004-05	12,25,800/-	51,500/-
2005-06	24,08,000/-	-

(2) जी हां। सर्किट हाउसों के पुनर्निर्माण, रखरखाव व मरम्मत हेतु वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये किये गये आबंटन की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। डाक बंगलों के नाम से अलग से कोई राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आबंटित नहीं की जाती है तथा विभागीय खण्डों को राशि आबंटित की जाती है जिसे वे आवश्यकतानुसार डाक बंगलों पर भी व्यय करते हैं।

परिशिष्ट 'क'

सर्किट हाउसों के रखरखाव व मरम्मत हेतु वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये किये गये आबंटन की सूची

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विश्राम भवन	2004-05	2005-06
1.	अजमेर	2.00	2.00
2.	अलवर	0.50	0.50
3.	बांसवाड़ा	0.50	0.50
4.	बारां	0.30	0.30
5.	बाड़मेर	0.40	0.40
6.	भरतपुर	0.70	0.70
7.	भीलवाड़ा	2.04	1.23
8.	बीकानेर	1.20	2.00
9.	बूंदी	0.60	0.60
10.	चित्तौड़गढ़	0.50	0.90
11.	चूरू	0.50	0.50
12.	डूंगरपुर	1.00	1.00
13.	दौसा	0.31	0.35
14.	धौलपुर	0.25	0.30
15.	श्री गंगानगर	0.50	0.50
16.	हनुमानगढ़	0.40	0.40
17.	जयपुर	3.00	3.00
18.	जैसलमेर	0.40	0.40
19.	जालौर	0.40	0.40
20.	झालावाड़	2.00	1.50
21.	झुंझुनूं	0.50	0.50

क्र.सं.	विश्राम भवन	2004-05	2005-06
22.	जोधपुर	1.50	2.00
23.	कोटा	1.00	1.20
24.	नागौर	0.50	0.50
25.	पाली	0.50	0.50
26.	सवाईमाधोपुर	1.30	0.40
27.	सिरोही	0.50	0.70
28.	सीकर	1.72	0.60
29.	टोंक	1.55	0.50
30.	उदयपुर	2.50	4.00
31.	राजसमन्द	0.40	0.40
32.	करौली	0.40	0.40
33.	माउन्ट आबू	3.40	3.70

सर्किट हाउसों के पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये किये गये आबंटन की सूची

क्र.सं.	विश्राम भवन	2004-05	2005-06
1.	अजमेर	-	3.00
2.	भीलवाड़ा	-	2.05
3.	डूंगरपुर	-	3.09
4.	जालौर	-	0.39
5.	जैसलमेर	-	3.42
6.	नागौर	-	3.12
7.	माउन्ट आबू	-	2.06
8.	उदयपुर	-	1.32
9.	सीकर	0.83	5.00

विद्याधर नगर, जयपुर स्थित राजकीय आवासों के रखरखाव पर व्यय

509. श्री धर्मेन्द कुमार मोची (टिब्बी) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मियों हेतु विद्याधर नगर में आवास आबंटित किये हुए हैं? यदि हां, तो कितने आवास किस-किस संस्था/एजेन्सी से कब-कब किन-किन शर्त/नियम एवं सुविधा के साथ लिए गए हैं? क्या वर्तमान में उक्त सुविधा दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवास के रखरखाव हेतु गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस संस्था/एजेंसी को दी गई एवं उक्त आवासों में कब-कब क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस कार्यकारी एजेन्सी से करवाये गये एवं उक्त हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या उक्त के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब एवं किस-किस की निविदा प्राप्त हुई? क्या ठेकेदार द्वारा उक्त सभी आवासों में कार्य पूर्ण करवा दिये गये? यदि नहीं, तो किस-किस आवास में क्या-क्या कार्य बकाया है? क्या उक्त कार्यों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो उक्त कार्य बकाया होते हुए भी भुगतान क्यों किया गया? किस सरकारी अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र दिया गया? कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996 में राजस्थान सहकारी आवासन संघ लि. से तृतीय श्रेणी के 106 एवं पंचम श्रेणी के 85 आवास क्रय किये गये थे। ये आवास जैसी स्थिति में थे। उसी अनुसार क्रय किये गये थे। सुविधा संबंधी कोई शर्त नहीं थी। क्रय करने के बाद पानी एवं कामन सुविधाएं आवासन संघ द्वारा ही उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया था, जिसके बदले प्रति आवासी से 100/- प्रति माह वसूल करने का निर्णय किया गया था, जिसे जनवरी, 06 से 150/- रु. प्रतिमाह कर दिया गया है। यह राशि राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा ही ली जाती है।

(2) उक्त आवासों के रखरखाव हेतु राजस्थान आवासन मण्डल को गत पांच वर्षों में निम्न प्रकार राशि दी गई :-

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

राशि लाखों में

01-02	02-03	03-04	04-05	05-06
14.98	14.98	-	14.98	14.98

इस विभाग द्वारा इन आवासों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु इन आवासों की लागत की 1.75 प्रतिशत राशि अर्थात 14.98 लाख प्रतिवर्ष राजस्थान आवासन मंडल को उपलब्ध कराई जाती है।

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा उनकी विभागीय प्रक्रियानुसार निविदाएं आमंत्रित कर मरम्मत एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2004-05 तक सभी रखरखाव से संबंधित कार्य पूर्ण करवा दिये गये थे तथा वर्ष 2005-06 में ठेकेदारों को करने का आदेश माह मार्च, 06 में दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। रखरखाव का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2005-06 में ठेकेदारों को आबंटित कार्यो का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाता है एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-द्वितीय, जयपुर द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य में लोकायुक्त का रिक्त पद

510. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्तमान में लोकायुक्त का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्यों?

(2) पूर्व के लोकायुक्त के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात लोकायुक्त कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त, 2005 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई?

(3) क्या यह सही है कि लोकायुक्त नहीं होने से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग को जांच करने हेतु नहीं भेजा जाता है?

(4) क्या सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति शीघ्र करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि पूर्व लोकायुक्त द्वारा लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करने हेतु सुझाव दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या उन सुझावों पर

(श्री बाबूलाल नागर)

सरकार द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हां, तो सुझावों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लोकायुक्त का पद दि. 27.11.04 से रिक्त है। वह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(2) दि. 27.11.04 को लोकायुक्त का पद रिक्त होने के पश्चात दिनांक 31.8.05 तक 907 परिवाद प्राप्त हो चुके हैं।

(3) जी हां।

(4) यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(5) लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार को मा. लोकायुक्त महोदयों द्वारा सुझाव दिये गये थे। सुझावों पर नीतिगत विचार किया जा रहा है।

चित्तौड़गढ़ जिले में आबकारी दल द्वारा दर्ज प्रकरण

511. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि आबकारी निरोधक दल ने राज्य में वर्ष 2004-05 में दर्ज 8512 अभियोगों में 7013 व्यक्तियों को व वर्ष 2005-06 में अक्टूबर, तक 5198 अभियोगों में 4541 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2004-05 व 2005-06 अक्टूबर, माह तक चित्तौड़गढ़ जिले में कितने अभियोग दर्ज कर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। यह सही है कि आबकारी विभाग में राज्य में वर्ष 2004-05 में दर्ज हुये 8512 अभियोगों में 7013 व्यक्तियों को व वर्ष 2005-06 में अक्टूबर तक 5198 अभियोगों में 4541 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2004-05 व 2005-06 में माह अक्टूबर तक चित्तौड़गढ़ जिले में निम्नानुसार अभियोग दर्ज कर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया :-

2004-05	451 अभियोग	448 गिरफ्तार
2005-06	212 अभियोग	209 गिरफ्तार
(अक्टूबर, 05 तक)		

द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों को स्वीकृत पेंशन

512. श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों को ब्रिटिश फौज का सिपाही, भारत सरकार का सिपाही या राजस्थान का सिपाही माना गया है?

(2) क्या यह सही है कि उन्हें पेंशन दी जा रही हैं? यदि हां, तो किस स्तर पर सिपाही की व नहीं, तो क्यों?

(3) द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं की संख्या कितनी-कितनी किन-किन जिलों में है?

उत्तर

(1) द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को ''भारतीय सैनिक'' माना गया है।

(2) जी हां। द्वितीय विश्वयुद्ध के नोन पेंशनर पूर्व सैनिकों को 300/- रुपये व विधवाओं को 16.6.2005 से 600/- रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की पेंशन को बढ़ाकर 800/- रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।

(3) द्वितीय विश्वयुद्ध के नोन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

द्वितीय विश्वयुद्ध के नान पेंशनर पूर्व सैनिक एवं विधवाओं की जिलावार सूची

क्र.सं.	जिला कार्यालय	पूर्व सैनिक	विधवाएं	योग
1.	अजमेर	201	808	1009
2.	अलवर	329	485	814
3.	भरतपुर	184	249	433
4.	बीकानेर	41	112	153
5.	बाड़मेर	8	22	30
6.	चूरू	247	580	827

क्र.सं.	जिला कार्यालय	पूर्व सैनिक	विधवायें	योग
7.	जयपुर	82	220	302
8.	टोंक	37	122	159
9.	जोधपुर	483	186	669
10.	झुन्झुनूं	104	368	472
11.	चिड़ावा	212	395	607
12.	जैसलमेर	7	32	39
13.	कोटा	78	150	228
14.	नागौर	223	685	908
15.	पाली	113	257	370
16.	करौली	96	188	284
17.	सीकर	195	461	656
18.	उदयपुर	140	392	532
19.	श्रीगंगानगर	212	378	590
	योग	**2992**	**6090**	**9082**

राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र (चूरू) की सीवरेज व्यवस्था

513. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजगढ़ (चूरू) नगरपालिका की वर्तमान में आबादी कितनी है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की अत्यधिक आबादी एवं नागरिकों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका राजगढ़ की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 51,604 है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नगर पालिका में वर्तमान उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

नवलगढ़ नगरपालिका द्वारा क्रय कचरा पात्र

514. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में दिनांक 10 फरवरी, 2006 तक कचरा पात्र खरीदे गये हैं? यदि हां, तो कितने, कहां से, किस दर पर व कुल कितनी राशि के कब खरीदे गये? इस हेतु निविदा प्रक्रिया किस तरह अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो कचरा पात्र खरीदे गये वे बहुत ही घटिया किस्म के हैं तथा बहुत ऊंची दर पर खरीदे गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 35 (लेखा) (डी.एल.बी) (90) (लूज)/10778-10966 दिनांक 30 नवम्बर, 1999 के अनुसार नगरपालिकाएं कचरा पात्र एग्रो इण्डस्ट्रीज से ही क्रय कर सकती है? जबकि नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करके नियम विरुद्ध कार्य किया गया है? यदि हां, तो क्यों? नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान 38 लौहे के कचरा पात्र 3960/- रुपये प्रति नग की दर से 1,50,480 रुपये में क्रय किये गये थे। इन कचरा पात्रों को क्रय करने हेतु राजस्थान नगरपालिका (क्रय एवं संविदा) नियम, 1974 के प्रावधान अनुसार दिनांक 22.11.05 व 25.11.05 को नियमानुसार निविदा प्रकाशित कराई जाकर दिनांक 07.12.05 को निविदाएं प्राप्त कर, न्यूनतम निविदा दाता से दिनांक 14,12.05 को नेगोशियेशन कर दरें स्वीकृत की जाकर कचरा पात्र क्रय किये गए हैं।

(2) जी नहीं। खरीदे गए कचरा पात्र घटिया किस्म के नहीं हैं। निर्धारित स्पेसिफिकेशन एंगल 35x35x3 एम.एम. चद्दर 18 गेज 4x3x2 फीट

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

मय एनामल पेन्ट के क्रय किये गए हैं। अत: कोई जांच कराने का औचित्य नहीं है।

(3) विभाग के आदेश एफ. 35(लेखा) (डी.एल.बी.) (90) लूज/10778-10966 दिनांक 30.11.99 प्लास्टिक के कचरा पात्र व्हील बैराज क्रय किये जाने से संबंधित है, जबकि नगरपालिका द्वारा लोहे के कचरा पात्र क्रय किये गये हैं। ऐसी स्थिति में विभाग के उक्त आदेश की कोई अवहेलना नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

तीन लाख एवं अधिक आबादी वाले शहरों में वार्ड समितियां

515. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका, अधिनियम, 1959 की धारा 73-ए में 3 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर में वार्ड समिति गठित करने का प्रावधान है?

(2) राज्य में 3 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं और उन शहरों में से किस-किस शहर में वार्ड समितियां गठित हैं?

(3) क्या सरकार शेष रहे तीन लाख से अधिक वाले क्षेत्रों में वार्ड समितियां गठित किए जाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य में 3 लाख अथवा 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कुल 6 है, जिनमें से जोधपुर शहर को छोड़ कर अन्य किसी भी शहर में वार्ड समिति का गठन नहीं हुआ है।

(3) जी हां। इस संदर्भ में शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 41 के आवासीय क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां

516. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम सीमा में आवासीय एवं

((श्री समाराम गरासिया)

व्यावसायिक भवन निर्माण करने के लिये निगम बने हुए हैं यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत किये गये निर्माण या निर्मित हिस्से को तोड़ दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के वार्ड नं. 41 के मकान नं. 85 से 92 तक में आवासीय निर्माण-परिवर्धन हेतु नक्शा स्वीकृत कराया गया था व स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कितना तथा सरकार इस अवैध निर्माण को कब तक हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या आवासीय मकान का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम हैं? क्या यह सही है कि उक्त मकानों को आवासीय के स्थान पर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा है एवं इस पर कुछ व्यक्तियों अथवा संस्थाओं ने आपत्ति दर्ज करवाई है? यदि हां, तो किस-किसने व कब?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त आपतियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही की जायेगी तथा व्यावसायिक गतिविधियां कब तक बन्द करवा दी जावेंगी?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर नगर निगम सीमा में चार दीवारी क्षेत्र के लिये आवासीय एवं व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति हेतु ''नगर परिषद जयपुर भवन उप विधियां, 1970'' बने हुए है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण से हस्तान्तरित कालोनियां/क्षेत्रों के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम, 2000 लागू है। नियमों की प्रतियां (परिशिष्ट ''अ'') पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत नक्शे के विपरीत किये गए निर्माण या निर्मित हिस्से को नियमानुसार नोटिस देकर नोटिस में अंकित मियाद निकलने के पश्चात तोड़ने की कार्यवाही की जा सकती है परन्तु यदि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण भवन उप विधियों के पैरामीटर्स के अनुसार है तथा प्रार्थी कम्पाउन्डिंग हेतु आवेदन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम्पाउन्डिंग भी किया जा सकता है।

(3) जयपुर के वार्ड नं. 41 के मकान नम्बर 85 से 92 तक में

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

श्री पवन कुमार, अनिल कुमार पुत्र श्री आर.जे. भुखमारिया रास्ता झालानियों, चौ. तोपखाना देश के द्वारा जी-2 का आवासीय निर्माण हेतु, नक्शा स्वीकृत करवाया गया था लेकिन प्रार्थीयों द्वारा स्वीकृति के विपरीत आन्तरिक परिवर्तन कर जीने (सीढ़ी) का निर्माण दक्षिण कोने में किया है तथा स्वीकृति के विपरीत उत्तरी पश्चिमी हिस्से में 2 मंजिलों का अतिरिक्त निर्माण किया गया है। उक्त अवैध एवं स्वीकृति के विपरीत हुए निर्माण के संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 170/251 के तहत नोटिस दिया जाकर चालान प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृति के विपरीत हुए निर्माण के शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन करने के उपरान्त ही आवासीय मकान का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। नियमों की प्रति ''ध्वज ब'' पर संलग्न है। प्रश्नगत मकान आवासीय उपयोग में ही लिया जा रहा है तथा इस संबंध में किसी संस्था/व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है।

(5) चूंकि इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा भवन का आवासीय उपयोग हो रहा है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सुशीलपुरा, सोडाला (जयपुर) में नाली निर्माण एवं सीवरेज व्यवस्था

517. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सुशीलपुरा सोडाला, जयपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के दोनों और नालियां बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सुशीलपुरा सोडाला, जयपुर में सीवर लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा कालोनी की उपेक्षा कर इससे नीचाई में बसी कालोनियों यथा जमना नगर, गायत्री नगर में सीवर लाइन डाल दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में सुशीलपुरा सोडाला, जयपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के दोनों और नालियां बनाये जाने की योजना विचाराधीन नहीं है। सामान्यत: निर्माण कार्य नगर निगम की विधि समितियों/जन प्रतिनिधियों अथवा कोष की उपलब्धता के आधार पर विविध मानदण्डों के तहत स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) सुशीलपुरा सोडाला अमानीशाह नाले के सहारे स्थित निचले क्षेत्र की बस्ती है यह बस्ती मुख्य सीवर लाइन से निचले धरातल पर है, जिस कारण मौजूदा मुख्य सीवर लाइन से जोड़कर यहां सीवर लाइन डाला जाना फिजिबल नहीं है।

(3) जी नहीं। सुशीलपुरा कालोनी से नीचे बसी जमुना नगर, गायत्री नगर कालोनियों में केवल जो स्थान सीवर लाइन से उच्च स्तर पर ''फिजिबिलिटी'' में आते थे उन्हीं क्षेत्रों में सीवर लाइन डाली गई है।

जनता नगर, जयपुर की आवासीय कालोनी का नियमन

518. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जल महल हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर द्वारा जनता नगर आवासीय योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब? उक्त योजना के प्लाट आबंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी ने इस कालोनी की सूची मय रिकार्ड नियमितीकरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को सुपुर्द कर दी है, यदि हां, तो कब? उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? सोसायटी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय योजना के पास जनता नगर ''डी'' का नियमितीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(4) क्या सरकार उक्त आवासीय योजना का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? नियमितीकरण के क्या दिशा -निर्देश हैं? योजना का नक्शा भी सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त आवासीय योजना का वास्तुविद द्वारा सर्वेक्षण कराया जा चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक सर्वेक्षण करवा लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में क्रमांक 26 दिनांक 31.08.85 को समिति द्वारा प्रस्तुत की गई। यह योजना सोसायटी द्वारा बनाई गयी है। समिति द्वारा योजना कब बनाई गई, इसका रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है। योजना के आबंटियों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजना क्रमांक 26 दिनांक 31.08.05 को प्रस्तुत की गई। योजना की 90-बी की कार्यवाही निर्णय दिनांक 10.4.2000 के तहत हो चुकी है। दिनांक 06.01.03 को जोनल स्तरीय कमेटी बी.पी.सी. की बैठक में खातेदार (विक्रेता) के राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय इकरारनामें में फर्क होने के कारण योजना निरस्त कर दी गई। सोसायटी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की प्रति परिशिष्ट ''ब'' एवं मानचित्र ''स'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। दिनांक 18.12.02 को जनता नगर ''डी'' का नियमितीकरण कर दिया गया है।

(4) जी नहीं। योजना दिनांक 06.01.03 को जोनल स्तरीय कमेटी बी.पी.सी. की बैठक में खातेदार (विक्रेता) के राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय इकरारनामें में फर्क होने के कारण निरस्त कर दी गई है। योजना का मानचित्र परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(5) जी हां। योजना के नियमन के निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरस्ती से पूर्व दिनांक 22.03.02 को सर्वे कराया गया था।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सत्य कालोनी, अजमेर रोड, जयपुर की सैक्टर रोड पर अतिक्रमण

519. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में अजमेर रोड़ पर स्थित सत्य कालोनी, ग्राम हीरापुरा का नियमन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था? यदि हां, तो कब? सैक्टर प्लान व प्लाट होल्डर्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सत्य कलोनी व हीरापुरा गांव के मध्य से टैगोर नगर तक सैक्टर रोड़ स्वीकृत थी? यदि हां, तो कितने फीट? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत सैक्टर रोड़ पर कुछ व्यकितयों द्वारा चारदीवारी निर्माण व अन्य अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण की शिकायतें जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि शिकायतों के बावजूद भी उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(6) सरकार अब उक्त अतिक्रमण को कब तक हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर रोड़ पर स्थित सत्य कालोनी हीरापुरा का नियमन किया जाकर दिनांक 06.10.04 को कैम्प लगाया गया था। सेक्टर प्लान (परिशिष्ट-अ) व प्लाट होलडर्स की सूची (परिशिष्ट-ब) संलग्न है।

(2) जी हां। सैक्टर रोड़ स्वीकृत थी। 40 फुट रोड़ स्वीकृत थी। सैक्टर प्लान (परिशिष्ट–अ) संलग्न है।

(3) जी हां। रोड़ की सीमा में ग्राम हीरापुरा में गै.मु. आबादी में श्री रामेश्वर दयाल, चौधरी चेम्बर, श्री राजेन्द्र कुमार जैन, श्री कल्याण यादव, बाबा मार्बल्स, श्री सत्यनारायण बागड़ा एवं सरस्वती पुण्यार्थ ट्रस्ट आबाद है। मौके पर पूछताछ दौरान इन लोगों ने लम्बे समय से मौके पर निवास करना एवं आबादी भूमि के पट्टे के आधार पर काबिज होना बताया है।

उपर्युक्त आबाद व्यक्तियों के अलावा सरस्वती पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा खसरा नं. 178 में चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है। खसरा नं. 178 के संबंध में माननीय जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण, जयपुर में रेफरेन्स संख्या 133/02 में निर्णय दिनांक 14.2.2003 के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि ''उक्त खसरा नम्बर की भूमि का नियमानुसार शुल्क लिया जाकर लीजडीड प्रार्थी ट्रस्ट के पक्ष में जारी करें एवं विद्यालय निर्माण स्वीकृति प्रदान की जावे। खसरा नं. 178 में पट्टा किसी अन्य व्यक्ति अथवा समिति को जारी नहीं करें।''

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 178 के संबंध में रेफरेन्स संख्या 133/02 के जयपुर विकास प्राधिकरण के जवाब में भूमि को अवाप्ति में बताया गया था उक्त निर्णय दिनांक 14.2.2003 के विरुद्ध अपील/रिट माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये जाने का निर्णय पत्रावली पर विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त सैक्टर रोड़ हीरापुरा राजस्व ग्राम की गै.मु. आबादी में पुराने कब्जेधारी है एवं सरस्वती पुण्यार्थ ट्रस्ट का कब्जा माननीय अपीलीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 14.2.2003 के अधीन है।

(4) जी हां। शिकायतों के संबंध में मौके से जांच करवायी गयी, जांच पश्चात श्री रामेश्वर दयाल, चौधरी चेम्बर, श्री राजेन्द्र कुमार जैन, श्री कल्याण यादव, बाबा मार्बल्स, श्री सत्यानारायण बागड़ा एवं सरस्वती पुण्यार्थ ट्रस्ट को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 72 क नोटिस दिनांक 24.3.2006 को जारी किये गये।

(5) जी हां। इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। चूंकि कब्जे पुराने है एवं सरस्वती पुण्यार्थ ट्रस्ट का निर्माण माननीय जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 14.2.2003 के अनुसार है। इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1982 की धारा 72 के तहत जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये, जवाब अपेक्षित है।

(6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 72 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं, नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर परीक्षण कर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना

520. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय की जनहित याचिका सं. 1887/91 के निर्णय के अनुसरण में दैनिक पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी?

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) उक्त संबंध में प्राधिकरण में आगरा रोड़ के किन-किन प्रभावित रजिस्ट्रीशुदा एवं पट्टे शुदा भूमि, भवन, स्वामियों द्वारा मुआवजे की मांग की गई? भूमि, भवन स्वामी का नाम एवं स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त संबंध में किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना मुआवजा दिया गया?

(4) प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्राधिकरण में आगरा रोड़ के किसी भी भू-स्वामियों द्वारा मुआवजे प्राप्त करने हेतु दावे प्रस्तुत नहीं किये गये।

(3) प्राधिकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री घनश्यामदास बनाम राज्य सरकार याचिका संख्या 1887/91 के पारित निर्णय की अनुपालना में कार्यालय क्रमांक 971 दिनांक 02.08.96 जारी किया गया जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इसके अलावा सर्वसाधारण के हितार्थ हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक :- 4-3(17-25)   दिनांक 2.8.96

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा घनश्यामदास बनाम राज्य सरकार याचिका संख्या 1887/91 में पारित निर्णय कि अनुपालना में राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 160 फीट रखते हुये राजमार्ग का चिन्हीकरण करने एवं आवश्यक भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में निम्न समिति गठित की जाती है। यह समिति दुर्गापुरा में सड़क की चौड़ाई अपेक्षित स्तर की करने बाबत श्री अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करेगी।

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर   संयोजक
2. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।   सदस्य

3. निदेशक अभियान्त्रिकी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर सदस्य
4. प्रभारी अधिकारी-भूमि शाखा, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर सदस्य

जयपुर विकास आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण
सूचना
साधारण के हितार्थ सार्वजनिक सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने दिनांक 1.7.1996 को एक महत्वपूर्ण फैसला राष्ट्रीय राज्य मार्ग व राज्य के प्रमुख राज्य मार्गों के रख-रखाव के सम्बन्ध में जनहित याचिका संख्या 1887/91 घनश्याम द्वारा बनाम सरकार में किया है। फैसले में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण निम्नारूप प्रकाशित करता है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग न्यूनतम 160 फीट सड़क की चौड़ाई का होगा।
2. राज. उच्च मार्ग अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत राज्य उच्च मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई सड़क की केन्द्र रेखा से 80 फुट होगी।
3. पूर्वोक्त अधिनियमों के आधार पर प्रावधानों के तहत सम्बन्धित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई अक्षुण्ण रखनी होगी। तदनुसार उक्त चौड़ाई को छोड़कर विधि अनुसार विकास कार्य सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति से सम्भव होंगे।
4. वो समस्त कार्य जो उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये गये है उन्हें ध्वस्त किया जायेगा।
5. वो समस्त निर्माण जो किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के भूखण्ड पर उक्त चौड़ाई पर कराये गये हैं। परन्तु विकास अनाधिकृत अर्थात सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना हुआ है उन्हें विधिनुसार ध्वस्त कर भूमि अधिग्रहण उचित मुआवजे के भुगतान पर किया जायेगा।

6. वो समस्त निर्माण जो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से स्वयं के भूखण्ड पर कराये गये हैं परन्तु उक्त निर्माण उपरोक्तानुसार न्यूनतम चौड़ाई सीमा लाभान्वित मार्ग के अन्तर्गत प्रभावित है, को सक्षम प्राधिकार विधि अनुरूप मुआवजा प्रदान कर अधिगृहीत करेगा एवं आवश्यकतानुसार निर्माण ध्वस्त किये जायेंगे तथा सम्बन्धित राज्य मार्ग की चौड़ाई को निहित मापदण्डानुसार चौड़ा रखा जायेगा।

7. राज्य उच्च मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई बनाये रखने की दृष्टि से सड़क से दोनों तरफ उच्च मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई पर पत्थरगढ़ी करवाई जा रही है। अत: सड़क के मध्य से 80-80 फीट की दूरी में जिन व्यक्तियों के निर्माण स्थित है वे दिनांक 31.8.96 तक उनके कब्जे की भूमि व निर्माण के सम्बन्ध में अपने-अपने दावे ज.वि.प्रा. के सम्बन्धित क्षेत्रीय उपायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें। राज्य मार्ग की उक्त चौड़ाई में यदि किसी के होर्डिंग्स, क्योस्क, स्टाल या थड़ी आती है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं हटा लें अन्यथा उन्हें जयपुर विकास क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हटा दिया जायेगा व जब्त कर लिया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय के क्रियान्वयन हेतु 'ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड' की बैठक में भी समुचित विचार-विमर्श किया जाकर सभी सम्बन्धित विभागों (सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित) द्वारा सुस्पष्ट एवम समबद्ध कार्य योजना बनाई जाकर तदनुसार स्थल कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

अत: सभी सम्बन्धित नागरिकों से इस विषय पर आग्रहपूर्वक अपील की जाती है कि प्रस्तावित क्रियान्वयन-योजना में वे अपना वांछित सहयोग प्रदान करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय के प्रासंगिक आदेशों की वास्तविक अनुपालना अमल में लाई जा सकें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को आबंटित भूमि

521. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम तथा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर में किन-किन स्थानों पर किस-किस समाज/संस्था को किस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी भूमि का आबंटन किया गया? भूमि आबंटन की शर्तें तथा भूमि का मूल्य संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दी राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 15 के अनुसार सार्वजनिक तथा चेरीटेबल ट्रस्ट संस्थाओं को राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आबंटन दिया जाता है (परिशिष्ट-1 संलग्न है) इसी प्रकार पब्लिक, चेरीटेबल संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं को आबंटन के संबंध में उक्त नियमों के नियम 18, 18-ए तथा नियम 19 में प्रावधान किया गया है जिनकी प्रति परिशिष्ट-2, 3 व 4 पर संलग्न है। अस्पताल हेतु भूमि के आबंटन के विषय में राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(300)निवि/3/95 दिनांक 24.11.01 की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। सार्वजनिक एवं चेरीटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर आबंटन के संबंध में जारी निति परिपत्र क्रमांक प.3(55)नवि/3/2002 दिनांक 14.02.05 की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। विनियोजन के आधार पर कतिपय परियोजनाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटन के विषय में परिपत्र क्रमांक प.3(28)नविवि/3/96 पार्ट दिनांक 17.11.01 भी प्रसारित किया गया था जिसकी प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। राज्य के राजकीय विद्युत निगमों को भूमि आबंटन के विषय में परिपत्र क्रमांक प.3(208)नविवि/3/95 दिनांक 03.01.02 प्रसारित किया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-8 पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समाज एवं संस्थाओं को आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-9 पर अंकित है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न समाज/संस्थाओं को आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-10 एवं शर्तों का विवरण परिशिष्ट-11 संलग्न है।

नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में किसी समाज/संस्था को भूमि आबंटन नहीं किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नीलाम की गई भूमि का कब्जा

522. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर भूमि नीलाम की जाती है? यदि हां, तो नीलामी की शर्तों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित शर्तों के अंतर्गत बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि नीलाम कर दी जाती है और उसे बकाया राशि जमा कराने का नोटिस देकर राशि जमा हो जाने के पश्चात भूमि का कब्जा सौंप दिया जाता है?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल में निर्धारित शर्तों के तहत बोली लगाने वाले कुछ ऐसे भी बोली दाता हैं जिनके नाम भूमि नीलाम होने के बाद भी मण्डल द्वारा अग्रिम कार्यवाही न कर उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से बोलीदाता हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल ने नीलामी तिथि से कब्जा संभालने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो कितनी समयावधि निश्चित की हुई है व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार आवासन मण्डल द्वारा बरती जा रही इन अनियमितताओं को सुधारने के लिए समुचित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर भूमि की नीलामी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीलामी की शर्ते जो कि राजस्थान आवासन मण्डल के आदेश क्रमांक 255 दिनांक 20.8.02 द्वारा निर्धारित की गई है, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में सक्षम स्वीकृति होने पर भूमि का आबंटन पत्र जारी किया जाता है। आबंटन पत्र के अनुसार बकाया राशि निर्धारित समय पर जमा कराने के पश्चात भूमि का कब्जा सौंप दिया जाता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। ऐसे प्रकरणों की सूची, भूमि का कब्जा नहीं देने के कारणों सहित परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस के अन्दर बोली दाता द्वारा शेष राशि निर्धारित समय पर जमा कराने के पश्चात कब्जा दिया जाता है।

(5) जी नहीं। कोई अनियमिततायें नहीं बरती जा रही हैं, नीलामी की कार्यवाही राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात जारी आवासन मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2(3) लागत 2002-03/255 दिनांक 20.8.2002 के अनुसार ही नीलामी की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा आबंटित भू-खण्डों का नियमन

523. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा शहर का मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2001 से पूर्व के कटे हुए भूखण्डों, जिनका नगर विकास न्यास में नियमन हेतु आवेदन कर रखा है, के नियमन की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा शहर का अभी केवल प्रारूप मास्टर प्लान ही दिनांक 28.11.05 को प्रकाशित किया जाकर जन साधारण से इस पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। प्रारूप मास्टर प्लान के प्रकाशन की तिथि तक जिन क्षेत्रों में आवासीय कालोनियां विकसित हुई है यथासंभव उनका समायोजन प्रारूप मास्टर प्लान में कर दिया गया है। शहर के ऐसे क्षेत्रों में कटे हुए भूखण्ड जिनका नगर विकास न्यास में नियमन हेतु आवेदन किया गया है तथा जिन्होंने प्रारूप मास्टर प्लान के प्रकाशन पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये हैं ऐसे प्रकरणों में प्रारूप मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते समय गुण दोष के आधार पर मास्टर प्लान में समायोजन की कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर गांधी नगर में सड़क व नाली निर्माण

524. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गांधी नगर, जयपुर के सभी मार्गों पर नवीन सड़कों का निर्माण अथवा डामरीकरण का कार्य करवाया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि गांधी नगर के चौधरी चौक क्षेत्र एवं न्याय दीप बजाज नगर मार्ग के ''जी'' श्रेणी आवासों वाले मार्ग पर सड़क का निर्माण अथवा डामरीकरण का कार्य नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि नाली को ढ़कने हेतु किए गए निर्माण के कारण सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो गई है एवं नाली का स्तर भी सड़क से ऊंचा हो गया है जिससे वहां मिट्टी एवं पानी भरा रहता है?

(4) क्या सरकार अब उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण अथवा डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु गांधी नगर में कुछ सड़कों पर आवश्यकतानुसार नवीनीकरण कार्य करवाया गया है।

(2) जी हां। उक्त सड़कों पर डामरीकरण का कार्य नहीं करवाया गया है।

(3) जी नहीं। बरसाती पानी के नाली में प्रवेश हेतु स्थान-स्थान पर मोखें छोड़े गये हैं एवं मिट्टी व पानी भरने की कोई समस्या नहीं है।

(4) जी हां। कार्य की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्मिकों को उपलब्ध दूरभाष/ वायरलैस सुविधा

525. श्री अर्जुन सिंह व श्री संयम लोढ़ा (दानपुर एवं सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल/वायरलैस एवं निवास स्थान पर दूरभाष की सुविधा प्रदान की गई हैं? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त तीनों सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

(2) उक्त सुविधाओं में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को कितनी-कितनी काल्स/राशि का प्रतिमाह भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है?

(श्री अर्जुन सिंह)

(3) क्या उक्त सुविधाएं सरकार के नियमों के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो उक्त सुविधाएं देने का क्या तात्पर्य है?

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितने वायरलैस सैट लिए गए? प्रतिमाह उनका कितना भुगतान किया जा रहा है?

(5) क्या यह सही है कि पूर्व में भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिटी मोबाइल खरीदे गये थे? यदि हां, तो कितने व कितनी राशि के? वर्तमान में सिटी मोबाइल का क्या उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निवास स्थान पर टेलीफोन 94 मोबाइल 113 तथा वायरलैस सैट 58 अधिकारी/कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही है। जिन अधिकारी/कर्मचारियों को उपरोक्त तीनों सुविधायें दी जा रही हैं उनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) निवास स्थान पर टेलीफोन काल्स की सीमा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	पदनाम	दो माह हेतु काल्स सीमा
1.	कनिष्ठ अधिकारी (जोन उपायुक्तगण/ जोनल अभियन्ता तथा समकक्ष)	900
2.	वरिष्ठ अधिकारी (सर्किल अभियंतागण/ वरिष्ठ नगर नियोजक तथा समकक्ष)	1800
3.	निदेशकगण/अतिरिक्त आयुक्तगण	3000
4.	आयुक्त/सचिव	कोई सीमा नहीं

मोबाइल सुविधा हेतु काल्स की सीमा नहीं है बल्कि प्रतिमाह भुगतान हेतु राशि निर्धारित है जो निम्न प्रकार है :-

1.	निदेशकगण/अति. आयुक्तगण तथा समकक्ष अधिकारी	1500/- प्रतिमाह
2.	उपायुक्त/जोनल अभियन्तागण एवं समकक्ष अधिकारी	1100/- प्रतिमाह
3.	आयुक्त/सचिव	कोई सीमा नहीं

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के निर्णयानुसार उक्त सुविधाएं दी जा रही हैं। अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सुविधाएं आपसी समन्वय एवं कार्य के तीव्र निस्ताकरण हेतु प्रदान की गई है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 58 वायरलैस सैट ले रखे हैं। जिनका मासिक किराया रुपये 1250/- एवं 1350/- प्रति सैट की दर से भुगतान किया जा रहा है। उक्त दरें दो अलग-अलग माडल्स की है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिटी मोबाइल सैट क्रय किये गये थे। कुल 40 सेट्स राशि रु. 3,20,000/- में क्रय किये गये थे। वर्तमान में सिटी मोबाइल्स को उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिन्हें मोबाइल फोन/ वायरलैस एवं निवास स्थान पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम
1.	श्री हनुमानसिंह भाटी	सचिव
2.	श्री लोकनाथ सोनी	अति. आयुक्त-पश्चिम
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	उपायुक्त जोन-2
4.	श्री इकबाल खान	उपायुक्त जोन-5
5.	श्री गिर्राज अग्रवाल	उपायुक्त जोन-7
6.	श्री राजेश सिंह	उपायुक्त जोन-11
7.	श्री सुखबीर सैनी	उपायुक्त जोन-12
8.	श्री गिरधारीलाल शर्मा	मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन)
9.	श्री विशाल कुमार शर्मा	उप नियंत्रक (प्रवर्तन)
10.	श्री ताराचन्द खींची	उप नियंत्रक (प्रवर्तन)
11.	श्री प्रद्युम्न कुमार शर्मा	उप नियंत्रक (प्रवर्तन)
12.	श्री कुन्दन लाल वासवानी	सहायक आयुक्त-(सतर्कता)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धित टैक्सी वाहन

526. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में कितनी टैक्सी गाडियां अनुबन्ध पर हैं? किस-किस अधिकारी को कौन-कौन सा वाहन आबंटित है?

(2) निविदा में प्रतिमाह कम से कम कितने किलोमीटर तक वाहन चलाने व कितनी राशि का भुगतान करने की शर्त हैं?

(3) किस-किस अधिकारी को तय सीमा से कितने किलोमीटर तक अधिक चलाने की अनुमति प्रदान की गई एवं उनका जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वयं की कितनी गाड़ियां है एवं वे किस-किस अधिकारी के पास हैं? यह गाड़ियां प्रतिमाह कितने किलोमीटर चलती हैं तथा पैट्रोल का प्रतिमाह कितना भुगतान होता है?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 103 टैक्सी गाड़ियां अनुबंध पर है। जिन अधिकारियों को वाहन आबंटित हैं उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निविदा में प्रतिमाह कम से कम 1200 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने की शर्ते हैं एवं राशि के भुगतान की शर्त निम्नानुसार है :-

1.	जीप	7449/- प्रतिमाह
2.	इण्डिका	8599/- प्रतिमाह
3.	एफ.सी.	5940/- प्रतिमाह
4.	एम्बेसेडर	8000/- प्रतिमाह
5.	टाटा 207	16000/-प्रतिमाह (हैल्प लाइन हेतु)

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन अधिकारियों को अनुबन्धित वाहन आबंटित किए गए हैं उन्हें 1500 किलोमीटर तक सभी को वाहन उपयोग की स्वीकृति है तथा जिनका कार्यक्षेत्र बड़ा है उनके वाहन उपयोग की किलोमीटर सीमा परिशिष्ट-2 पर संलग्न है एवं क्षेत्राधिकार से संबंधित विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में स्वयं के 22 वाहन हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

इन गाड़ियों के डीजल/पैट्रोल/आयल आदि पर 1,76,242/- रुपये का व्यय होता है। जिन अधिकारियों को गाड़ियां आबंटित हैं, उनकी सूची एवं गाड़ियों के प्रतिमाह चलने का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन/अधिसूचनाओं पर व्यय

527. श्री राईया मीणा व श्री संयम लोढ़ा (आसपुर एवं सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में विज्ञापन/अधिसूचना एजेन्सियों के माध्यम से प्रकाशित करवाई जाती हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि विज्ञापन/अधिसूचना प्रकाशन हेतु आकार/क्षेत्रफल निर्धारित हैं?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतुल पब्लिसिटी एण्ड एडवरटाइजिंग प्रा.लि. एजेन्सी को तय सीमा से अधिक सीमा में विज्ञापन अधिसूचना प्रकाशन पर अधिक राशि का भुगतान किया गया? यदि हां, तो क्यों और कितना भुगतान किस दर से दिया गया? विज्ञापन/अधिसूचना कितने समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ उनकी सीमा में कितना-कितना अन्तर था? क्या इससे जयपुर विकास प्राधिकरण को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो अधिक भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त एजेन्सी को भुगतान से पूर्व उनके द्वारा बिल जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किए गए भुगतान के बिलों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्या यह वित्तीय नियमों की अवहेलना नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण में विज्ञापन/अधिसूचनाएं एजेन्सियों के माध्यम से प्रकाशित करवाई जाती हैं।

(2) जी नहीं। इस संदर्भ में आकार/क्षेत्रफल पूर्व में तय नहीं होता है। इसके लिए विज्ञापन में दिये गये विज्ञापन सामग्री के आधार पर एजेन्सी को न्यूनतम आकार में ही विज्ञापन प्रकाशित करवाने का आदेश दिया जाता है।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतुल पब्लिसिटी एण्ड

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

एडवरटाइजिंग प्रा.लि. एजेन्सी को तय सीमा से अधिक सीमा में विज्ञापन/अधिसूचना प्रकाशन पर अधिक सीमा का भुगतान नहीं किया गया। अतुल पब्लिसिटी एण्ड एडवरटाइजिंग प्रा.लि. को किया गया भुगतान एवं दर संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नारायण विहार कालोनी, जयपुर का नियमन

528. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टाउनशिप, निजी खातेदार योजना, ग्रुप हाउसिंग स्कीम तथा सहकारी समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?

(2) जयपुर में गोपालपुरा बाइपास से अजमेर बाइपास को जाने वाली सड़क पर नारायण विहार कालोनी का क्या स्टेटस है?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के ''वाई'' एवं ''ओ'' ब्लाक सहित सभी ब्लाकों की 90-बी की कार्यवाही की जाकर योजना का अनुमोदन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? इससे संबंधित आदेश एवं इस स्कीम के सभी ब्लाकों के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। इस योजना के बारे में अब क्या कार्यवाही लम्बित है? यह कब तक सम्पन्न कर ली जाएगी?

(4) सरकार द्वारा निजी खातेदारों द्वारा ''ओ'' एव ''वाई'' ब्लाक के भूखण्डधारियों को पट्टे दिये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम के सभी ब्लाकों (''ओ'' एवं ''वाई'' ब्लाक सहित) के पट्टे कब तक जारी कर दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) टाउनशिप, निजी खातेदार योजना एवं सहकारी समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं के संबंध में नियमों में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन नगर नियोजन के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार इनकी परिभाषाएं निम्नानुसार है :-

टाउनशिप – टाउनशिप योजना में आवासीय उपयोग के साथ अन्य आधारभूत उपयोग जैसे व्यावसायिक, संस्थानिक, रिक्रिएशनल एवं वर्क सेंटर आदि योजना में प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निजी खातेदार योजना – निजी खातेदार द्वारा स्वयं की भूमि में आवासीय ले-आउट राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप-विभाजन/पुर्नगठन एवं भूखण्डों के सुधार) नियम 1975 के अन्तर्गत प्रस्तुत योजना।

सहकारी समितियों की योजनाएं – सहकारी समिति जो राजस्थान कापरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उन सहकारी समितियों द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप विभाजन/पुर्नगठन एवं भूखण्डों के सुधार) नियम 1975 के तहत प्रस्तुत ले-आउट प्लान।

ग्रुप हाउसिंग – ग्रुप हाउसिंग/फ्लेट्स के भवन विनियम-2000 में निम्नानुसार परिभाषित है :-

एक ही भूखण्ड पर यदि एक से अधिक निवास इकाई बनाना प्रस्तावित है तो ग्रुप हाउसिंग/फ्लेटस हेतु भवन माना जाएगा लेकिन इन विनियमों में किए गए उपयोग के अनुसार केवल ऐसे आवासीय भवन अथवा भवनों की उंचाई (उंचाई की गणना योग्य) स्टील्ट के बिना 12 मीटर तथा स्टील्ट के साथ 12 मीटर से अधिक (15 मीटर) भवन की प्रस्तावित होने की दिशा में ऐसे भवनों का फ्लेटस/ग्रुप हाउसिंग का भवन माना जाएगा।

(2) गोपालपुरा बाइपास से अजमेर रोड़ पर नारायण विहार कालोनी निजी खातेदारी की आवासीय योजना है। जिनकी 90-बी की जाकर अनुमोदित की गई है।

(3) इस योजना के वाई एवं ओ ब्लाक के रूप में सृजित है लेकिन ब्लाक डी.ई.जी.एफ. पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में होने से इनमें कोई कार्यवाही नहीं की गई वर्तमान में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र अवाप्ति में होने एवं माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्यवाही नहीं की गई है।

स्कीम का नाम	90-बी के आदेश की दिनांक	अनुमोदन की दिनांक	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
नारायण विहार-सी	12.03.06	22.05.05	10.51 है.	आदेश एवं मानचित्र की प्रति संलग्न है।
नारायण विहार-आर	19.12.02	25.12.02	10.96 है.	मानचित्र जारी नहीं हुआ

स्कीम का नाम	90-बी के आदेश की दिनांक	अनुमोदन की दिनांक	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
नारायण विहार-के	15.04.04	16.12.02	6.44 है.	मानचित्र जारी नहीं
नारायण विहार-क्यू	16.07.03	10.10.03	9.72 है.	मानचित्र संलग्न
नारायण विहार-बी	09.03.03	07.06.03	5.26 है.	मानचित्र संलग्न
नारायण विहार-जे	90-बी की कार्यवाही नहीं	-	-	-
नारायण विहार-पी	29.08.03	15.10.03	10.92 है.	मानचित्र संलग्न
नारायण विहार-ए	28.08.03	28.08.03	7.44 है.	मानचित्र संलग्न
नारायण विहार-एस	07.04.04	06.11.03	6.34 है.	मानचित्र जारी नहीं
नारायण विहार-टी	04.11.04	17.11.05	13.79 है.	मानचित्र जारी नहीं
नारायण विहार-ओ	17.09.05	6,7.12.05	19.04 है.	मानचित्र जारी नहीं

वाई ब्लाक में जिसमें 219 बीघा भूमि की 90-बी की कार्यवाही हो चुकी है व 90 बीघा की 90-बी विचाराधीन है। कुल रकबा 154 हैक्टेयर है योजना का अंतिम अनुमोदन विचाराधीन है। संबंधित आदेश की प्रति परिशिष्ट -अ एवं ब्लकों के मानचित्रों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) योजना में विकास कार्य एवं डिमार्केशन के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर भूखण्डधारियों को ''ओ'' ब्लाक के पट्टे दिये जायेंगे। शेष में योजना अंतिम रूप से स्वीकृत होने पर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में नियमानुसार राशि जमा करवाये जाने के पश्चात ही पट्टे जारी किये जायेंगे।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2004 में मानसरोवर योजना जयपुर हेतु लाटरी

529. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी 2004 से मई, 2004 के मध्य मानसरोवर योजना में आवासन मण्डल द्वारा मकान आबंटन हेतु लाटरी निकाली गई थी? यदि हां, तो उसमें योग्य पाये गये आवेदकों की वर्गवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निकाली गई लाटरी में कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन प्रार्थियों के प्रकरण सही पाये गये उनसे शीघ्र पुन: लाटरी अपेक्षित कर मकान आबंटित करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो अब तक पुन: लाटरी नहीं निकालने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब पुन: लाटरी निकाल कर मकान आबंटन करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल द्वारा मानसरोवर योजना में दिनांक 31.01.2004 को 111 आवास एवं दिनांक 28.02.2004 को 31 आवासों के आबंटन की दो लाटरियां निकाली गई थी, जिनकी वर्गवार संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

दिनांक	आय वर्ग	आवेदकों की संख्या
30.01.2004	उच्च आय वर्ग	23
	मध्यम आय वर्ग ''ब''	30
	मध्यम आय वर्ग ''अ''	24
	अल्प आय वर्ग	30
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	4
	कुल	**111 आवेदक**

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

दिनांक	**आय वर्ग**	**आवेदकों की संख्या**
28.02.2004	उच्च आय वर्ग	19
	मध्यम आय वर्ग ''ब''	6
	मध्यम आय वर्ग ''अ''	2
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	4
	कुल	**31 आवेदक**

(2) जी हां। उक्त दोनों लाटरियां में प्राथमिक जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण आबंटन लाटरी निरस्त कर तीन कार्मिकां का तत्काल निलम्बन किया गया तथा कुल 8 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है जिसमें से तीन कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील विनियम 1976 के नियम 11 एवं शेष पांच कार्मिकों के विरुद्ध नियम 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। जांच कार्य प्रगति पर है। निलम्बित कार्मिकों को विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया जा चुका है।

(3) जी हां। पूर्व सूची के योग्य आवेदकों की पत्रावलियों का परीक्षण एवं जांच उपरान्त जो आक्षेप पाये गये। उक्त आक्षेपों के संबंध में संबंधित आवेदकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। संबंधित से प्राप्त प्रत्युत्तरों के परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। यह प्रक्रिया पूरी होने पर पुन: लाटरी आयोजित की जा सकेगी।

(4) जी हां। उक्त दोनों लाटरियों में सही पाये जाने वाले प्रकरणों की आवास आबंटन लाटरी माह अप्रैल 2006 में किया जाना नियत है।

भू-प्रबन्ध कार्यालय, अलवर का स्थानान्तरण

530. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे कब किया गया?

(2) क्या सरकार अब पुन: सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिला अलवर से भू-प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) कार्यालय को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिलेवार अलवर की कुल 12 तहसीलों के भू-सर्वेक्षण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम तहसील	प्रथम भू-प्रबन्ध अवधि संवत में	द्वितीय भू-प्रबन्ध अवधि संवत एवं सन् में
1.	अलवर	2014-2033	2051-2070 संवत
2.	राजगढ़	2014-2033	2046-2065 संवत
3.	बहरोड़	2015-2034	2042-2061 संवत
4.	थानागाजी	2026-2047	129 ग्राम 26.6.04 से 25.6.2024 सन् 16 ग्राम 28.6.05 से 27.6.2025 सन्
5.	रामगढ़	2014-2033	138 ग्राम 9.8.01 से 8.8.2021 सन् 19 ग्राम 31.1.02 से 30.1.2022 सन् 6 ग्राम 13.8.02 से 12.8.2022 सन् 2 ग्राम 24.11.03 से 23.11.2023 सन्
6.	बानसूर	2015-2034	119 ग्राम 25.11.03 से 24.11.2023 सन् 12 ग्राम 26.4.04 से 15.4.2024 सन्
7.	कोटकासिम	2029-2040	-
8.	लक्ष्मणगढ़	2028-2047	-
9.	किशनगढ़वास	2029-2048	-
10	मण्डावर	2029-2048	-
11.	तिजारा	2029-2040	-
12.	कठूमर	2028-2047	-

(राजस्व मंत्री)

(2) राज्य में 29 तहसील ऐसी हैं जिनमें राजस्थान बनने के बाद भू-सर्वेक्षण नहीं दिया गया है। प्रथमत: उक्त 29 तहसीलों में भू-सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ दिये जाने की अधिसूचनाएं जारी की गई है। वर्तमान में विचाराधीन तहसीलें एवं उक्त 29 तहसीलों के भू-सर्वेक्षण पश्चात ड्यू हुई सबसे पुरानी तहसीलों में प्राथमिकता के आधार पर सर्वे की कार्यवाही की जानी है।

(3) जी नहीं।

सहाड़ा की तहसीलों में रिक्त पद

531. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसीलों में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं जिनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में तहसील सहाड़ा मु. गंगापुर व तहसील रायपुर विद्यमान है। तहसील सहाड़ा एवं तहसील रायपुर में विभिन्न संवर्ग में स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों की सूची तह्सीलवार परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों पर पदस्थापन कर्मचारियों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

तहसील क्षेत्र सहाड़ा

क्र.सं.	विभाग का नाम	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त पद	दिनांक
1.	तहसील सहाड़ा	तहसीलदार	01	-	-
		नायब तहसीलदार	01	01	23.7.2005
		टी.आर.ए.	01	01	29.11.2005
		वरिष्ठ लिपिक	02	-	-
		कनिष्ठ लिपिक	03	01	21.7.2005

क्र.सं.	विभाग का नाम	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त पद	दिनांक
		च.श्रै. कर्म.	16	02	10.12.2005
		आ.कानूनगो	01	-	-
		अति.ओ.के.	01	01	01.07.2004
		भ.अ.नि.	03	-	-
		पटवारी	31	02	01.11.2004
		च.श्रै. कर्म.	03	01	01.08.2002

परिशिष्ट 'ब'

तहसीलदार, रायपुर (भीलवाड़ा)

क्र. सं.	कार्यालय विभाग का नाम	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्त का विषय कब से
1.	तहसील कार्यालय रायपुर	तहसीलदार	1	1	-	-
		नायब तहसीलदार	1	1	-	-
		राजस्व लेखाकार	1	1	-	-
		वरिष्ठ लिपिक	2	2	-	-
		कनिष्ठ लिपिक	3	2	1	3/04 विधायक महोदय के यहां प्रति नियुक्ती
		प्रर्वतन निरीक्षक	1	-	1	6/03 से
		कनिष्ठ लेखाकार	1	-	1	5/03 से
		आफिस कानूनगो	1	1	-	-
		अति. ऑ. कानूनगो	1	-	1	7/04 से
		भू. अभि. निरीक्षक	3	-	3	रायपुर 1/02 से. मौखुन्दा 7/01 से, आशाहोली 3/04 से
		पटवारी	26	19	7	सगरेव 1/08 से नाथडीयास 12/04 से बागड़ 1/06 से पिथा का खेड़ा 8/01 से दुगंच 4/03 से सरेवड़ी 7/05 से पालरा 7/05 से
		चतुर्थ श्रेणी	17	14	3	9/04, 7/05, 7/05
		योग	58	41	17	

करमीसर ग्राम (बीकानेर) में लम्बित भू-प्रबन्ध कार्य

532. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के ग्राम करमीसर की अन्तिम जमाबन्दी सम्वत 2045 में बनी है तथा इसके पश्चात् पिछले 17 वर्ष में कोई जमाबन्दी नहीं बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु चालू वर्ष की जमाबन्दी आवश्यक है एवं इसके अभाव में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों को नहीं मिल रही हैं? यदि हां, तो सरकार किसानों को किस प्रकार से राहत दिलाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम करमीसर भू-प्रबंध के अधीन है एवं 17 वर्षों से आज तक भू-प्रबंध का कार्य पूरा नहीं हुआ है? यदि हां, तो सरकार इसे पूरा करवाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम करमीसर, तहसील बीकानेर की अन्तिम जमाबंदी सम्वत 2045 की बनी हुई है। ग्राम भू-प्रबन्ध कार्यवाही के अधीन होने तथा विभिन्न विसंगतियों के कारण अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है जिसके कारण जमाबन्दी नहीं बनाई जा सकी है।

(2) जी हां। परन्तु ग्राम करमीसर भू-प्रबन्ध कार्यवाही के अधीन होने एवं सम्वत् 2045 के पश्चात् कोई जमाबन्दी नहीं बनने के कारण सम्वत् 2045 की जमाबन्दी ही चालू जमाबन्दी के रूप में मान्य है जो सहअभिलेखों के साथ किसानों को क्रेडिट कार्ड के प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। इसके अभाव में किसान, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से वंचित नहीं है।

(3) ग्राम करमीसर वर्ष 1971 में राजस्व क्षेत्र से उपनिवेशन क्षेत्र में गया था। तत्पश्चात् वर्ष 1987 में उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने पर राजस्व विभाग को पुन: हस्तान्तरित हुआ। वर्ष 1987 तक उपनिवेशन विभाग द्वारा इसका अभिलेख संधारित किया गया। परन्तु इस गांव की राजस्व जमाबन्दी तैयार नहीं की गई तथा गांव भू-प्रबन्ध विभाग को भू-सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया।

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 में भू-सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने पर जिला कलक्टर द्वारा जो अभिलेख उपलब्ध करवाया गया वह अपूर्ण एवं

(राजस्व मंत्री)

अप्रमाणित होने से अभिलेख पुन: जिला कलक्टर को लौटाते हुये अंकित किया कि रिकार्ड को अपडेट कर तथा उपनिवेशन विभाग द्वारा शेष रखे गये तरमीम एवं इन्द्राज की पूर्ति कर अन्तिम जमाबन्दी प्रमाणित कर उपलब्ध करावें।

राज्य स्तर से जिला कलक्टर, बीकानेर को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे समस्त उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर ग्रामों का रिकार्ड एक माह में पूर्ण कर भू-प्रबन्ध विभाग को उपलब्ध करायेगा एवं भू-प्रबन्ध विभाग अगले छह माह में भू-सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर रिकार्ड तैयार कर जिला कलक्टर को उपलब्ध करायेगा।

आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों द्वारा रहन भूमि की नीलामी पर भूमि के खातेदारी अधिकार

533. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी कृषि भूमि अन्य जातियों के व्यक्तियों को स्थानान्तरण करने का अधिकार है?

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खातेदारों को कृषि भूमि के विकास आदि के लिए अपनी कृषि भूमि को विभिन्न बैकों को रहन रखकर कर्जा लेने का अधिकार है?

(3) क्या समय पर ऋण अदायगी नहीं होने की स्थिति में उस खातेदार की कृषि भूमि को बैंक द्वारा नीलामी कर किसी अन्य जाति के व्यक्तियों को दी जा सकती है और उस पर खरीददार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या-534

(स्थगित)

बबाई ग्राम (झुंझुनूं) में हवाई पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण

535. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दाताराम गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं में सरकार ने हवाई पट्टी हेतु भूमि का आबंटन किया था? यदि हां, तो कब तक कितनी भूमि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर?

(3) क्या सरकार इन अतिक्रमियों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जब ग्राम बबाई में प्रश्नगत भूमि है ही नहीं, तो अतिक्रमण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) खण्ड-2 के अनुसार कोई अतिक्रमण हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न संख्या-536

(स्थगित)

रतनजोत एवं जोजोबा फसलों हेतु लीज पर भूमि का आबंटन

537. श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या रतनजोत एवं जोजोबा आदि फसलों के लिए लीज पर कृषि भूमि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो राज्य में कहां-कहां लीज पर भूमि दी गई। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में भी इन फसलों के लिए लीज पर भूमि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान-भू राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1996 में लीज पर दिये जाने का प्रावधान है। अब तक केवल मात्र एक प्रकरण में मै. राजटेक प्लांटेशन प्रा.लि. जयपुर को जयपुर जिले में तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम पापड़ में 120 बीघा भूमि जोजोबा प्लांटेशन हेतु दिनांक 03.03.2003 को 20 वर्ष की लीज के लिये आबंटन किया है।

(राजस्व मंत्री)

(2) रतनजोत व बायोडीजल से संबंधित विचाराधीन नीति का परीक्षण कर अनुशंसा करने/सुझाव देने हेतु एक मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया है। जिसकी नोडल एजेन्सी ग्रामीण विकास विभाग है।

कूचा उपाड मालियों का मंदिर, जयपुर में अवैध निर्माण प्रकरण

538. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसी भी व्यक्ति को निजी मन्दिर (परिसर जिसमें ठाकुरजी बिराजते हैं) के धार्मिक स्वरूप/उसके धार्मिक एसेन्सीयलिटीज को समाप्त कर/विकृत कर अपने व्यक्तिगत उपयोगार्थ/लाभार्थ निर्माण कराना कानून/शास्त्र द्वारा अनुमत नहीं है? यदि हां, तो तद्विषयक उद्धरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर के जयलाल मुंशी के रास्ते के दूसरे चौराहे के उत्तरी पूर्वी कोने पर जयपुर बसा जब का कूचा उपाड़ मालियों के मन्दिर जिसमें ठाकुरजी विराजते है उस निजी मन्दिर के धार्मिक स्वरूप को/उसके धार्मिक एसेन्सीयलिटीज को समाप्त कर/विकृत कर रिसेन्टली जो निर्माण कराये गये है, क्या उनकी पूर्व स्वीकृति दी गई? यदि हां, तो अनुमति की प्रति व अनुमोदित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि अगस्त और सितम्बर, 2005 में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिला कलक्टर जयपुर कार्यालय में प्रार्थना-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये थे।

(4) क्या यह भी सही है कि नगर निगम जयपुर मुख्यालय में भी इस बारे में जनता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये गये थे? यदि हां, तो उनमें उठाये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) यह सही है कि नवीन सार्वजनिक धार्मिक भवन के निर्माण/किसी निजी या सार्वजनिक भवन को सार्वजनिक धार्मिक भवन में परिवर्तित करने/किसी धार्मिक भवन को समाप्त कर या विकृत कर अपने व्यक्तिगत लाभार्थ निर्माण कराना या हस्तान्तरित करने के लिये धार्मिक भवन एवं परिसर अधिनियम, 1954 की धारा 6 के अन्तर्गत जिला कलक्टर की अनुमति लिया जाना आवश्यक है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जी नहीं। न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर उत्तर), जयपुर के मुकदमा नम्बर 173/05 के निर्णय 25.2.2006 में मंदिर श्री मुरली मनोहरजी, जयलाल मुंशी वालों का रास्ता, जयपुर को मालियों का मंदिर नहीं माना है। उसमें हुये कार्य को जीर्ण भवन की मरम्मत की श्रेणी का मानकर उसके लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं बतलायी है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में हो रहे सत्संग भवन के निर्माण को नगर निगम से अनुमति लेने की अपेक्षा की है। निर्णय 25.2.2006 की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-क)।

(3) जी हां। एक शिकायती प्रार्थना पत्र अगस्त-सितम्बर, 2005 में श्री जुगल किशोर वगैरा माली समाज के लोगों ने माननीया मुख्यमंत्री महोदया को प्रस्तुत किया, जिसे मूल ही जिला कलक्टर, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया (परिशिष्ट-ख)। अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर उत्तर) ने जिला कलक्टर, जयपुर को पूर्व में भी प्राप्त सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 173/05 दर्ज कर दिनांक 25.2.2006 को निर्णय कर दिया है। (परिशिष्ट-क)

(4) जी हां। नगर निगम, जयपुर को शिकायती पत्र प्राप्त होने पर निर्माणकर्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्रीनाथ शर्मा को निर्माण कार्य बन्द करने हेतु नियमानुसार नोटिस दिया जाकर दस्तवेज तलब किये गये थे किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम, जयपुर को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चिकित्सालयों में पदस्थापित प्रशिक्षित विद्युत कर्मियों के वेतन विसंगति प्रकरण

539. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में आई.टी.आई. प्रशिक्षित इलैक्ट्रिशियन के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों की समान वेतन श्रृंखला नहीं है, यदि हां, तो कहां-कहां पर क्या-क्या वेतन श्रृंखलाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी आई.टी.आई. प्रशिक्षित इलैक्ट्रिशियन की समान

(श्री शांतिलाल चपलोत)

वेतन श्रृंखला लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर उक्त वेतन श्रृंखला के विवाद के कारण प्रभावित कर्मचारियों को 9-18-27 (ग्रेड अपग्रेडेशन) का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सभी को समान वेतन श्रृंखला प्रदान कर योग्य कर्मचारियों को 9-18-27 का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आई.टी.आई. प्रशिक्षित इलैक्ट्रीशियनों को उनके नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा वेतन श्रृंखला 950-1680/3050-4590 तथा 910-1520/2950-4475 स्वीकृत की गई हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) पुनरीक्षित वेतनमान में चिकित्सा विभाग के इलैक्ट्रीशियन की वेतन श्रृंखला 910-1520/2950-4475 दर्शायी हुई है इस कारण जब तक नियमों में संशोधन नहीं हो पाता तब तक वर्तमान स्थिति के अनुसार ही वेतन देय होगा।

(3) जी हां। इन कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण एवं चयनित वेतनमान के संबंध में कुछ न्यायिक विवाद लम्बित होने एवं वेतन श्रृंखला संबंधित विवाद होने के कारण, चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं दिया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) नियमों में संशोधन के उपरान्त ही सभी योग्य इलैक्ट्रीशियनों को समान वेतन श्रृंखला एवं चयनित वेतन मान 9, 18 व 27 का नियमानुसार लाभ दिया जाना संभव हो पायेगा।

परिशिष्ट 'अ'

चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित इलैक्ट्रीशियनों के देय वेतन मान एवं वेतन श्रृंखला

संस्थान का नाम	देय वेतनमान एवं वेतन श्रृंखला
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयुपर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, महाराणा भुपाल चिकित्सालय, उदयपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, टी.बी. अस्पताल, उदयपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, जे.के. लोन, जयपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, जयपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
निदेशक, पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र, एसएमएस, चिकित्सालय, जयपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, जोधपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, जे.एल.एन. चिकित्सालय, अजमेर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, अजमेर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
अधीक्षक, सम्बंध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)

संस्थान का नाम	देय वेतनमान एवं वेतन श्रृंखला
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, करौली	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डूंगरपुर	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	3050-75-3950-80-4590 (950-1680)
प्रधानाचार्य, आर.एन.टी. मेडीकल कालेज उदयपुर	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
अधीक्षक, जनाना चिकित्सालय, जयपुर	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
अधीक्षक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय, जयपुर	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगानगर	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरू	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बूंदी	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाई माधोपुर	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़	2950-75-4075-80-4475 (910-1520)

परिशिष्ट 'ब'

वेतन श्रृंखला विवाद के कारण प्रभावित इलैक्ट्रीशियनों के नाम व जिले जिनमें 9, 18 एवं 27 (ग्रेड-अप ग्रेडेशन) का लाभ नहीं दिया जा रहा।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान
1	श्री सुरेन्द्र माथुर	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर
2	श्री सुरेश भण्डारी	जनाना चिकित्सालय, जयपुर
3	श्री राम सिंह राजावत	जनाना चिकित्सालय, जयपुर
4	श्री शिवनारायण सक्सैना	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर
5	श्री कृष्णकुमार शर्मा	एमबीएस चिकित्सालय, कोटा
6	श्री गोपाल भैया श्रीवास्तव	एमबीएस चिकित्सालय, कोटा
7	श्री बनवीर प्रसाद सक्सैना	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बूंदी
8	श्री सुखाराम	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर
9	श्री सेवा सिंह	अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर

रामगंजमण्डी सामुदायिक चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

540. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सैटेलाइट अस्पताल में मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत पदों का पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय, रामगंज मण्डी में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सामुदायिक चिकित्सालय, रामगंजमण्डी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 50 रोगी शैयाओं युक्त सैटेलाइट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्डानुसार निम्नलिखित स्टाफ के पद स्वीकृत करवाये जाने का प्रावधान है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, स्त्रीरोग, बालरोग, नैत्र)	5
वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी	1
चिकित्सा अधिकारी	5
नर्स श्रेणी प्रथम	2 (1 महिला व 1 पुरुष)
नर्स श्रेणी द्वितीय	14 (4 महिला व 10 पुरुष)
रेडियोग्राफर/सहा. रेडियोग्राफर	1
लैब टैक्नीशियन	1
दन्त टैक्नीशियन	1
फार्मासिस्ट	1
नैत्र सहायक	1
वरिष्ट लिपिक	1
कनिष्ट लिपिक	1
वार्ड बाय	10
सफाई कर्मचारी	2

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंज मण्डी में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, नैत्र, स्त्री रोग, बाल रोग)	5
2.	वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी	2
3.	चिकित्सा अधिकारी	3
4.	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1
5.	चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन)	1

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंज मण्डी में 50 रोगी शैय्याऐं स्वीकृत है। वर्तमान में 50 रोगी शैय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सैटेलाइट अस्पतालों में प्रश्न के भाग एक में दर्शाए गए मापदण्डानुसार ही

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्टाफ के पद स्वीकृत कराये जाने का प्रावधान है। इसलिए 50 शैयाओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सैटेलाइट अस्पताल एक समान है।

राजकीय चिकित्सालयों में तकनीकी/पैरामेडिकल कर्मियों के रिक्त पद

541. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ऐसे भी चिकित्सालय हैं, जहां गत 3 माह से एक भी चिकित्सक नहीं है? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के कई चिकित्सालयों में एक्सरे मशीन या सोनोग्राफी मशीन तो लगी है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ या आपरेटर्स भी नहीं है? यदि हां, तो उनकी कब तक नियुक्ति हो जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि पैरामेडीकल स्टाफ की कमी के कारण राजकीय चिकित्सालयों में नर्सिंग सेवाएं नहीं हो पा रही हैं जिसके कारण मजबूरन मरीज को निजी चिकित्सालयों में भर्ती होना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका समाधान करने का विचार रखती है?

(4) पाली जिले में विभिन्न अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा उन्हें कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। चिकित्सा संस्थानों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें एक्सरे मशीन उपलब्ध है परन्तु तकनिशियन का पद स्वीकृत नहीं है उन मशीनों के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर के पद स्वीकृत करवाये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर के पद स्वीकृत करवाये जाना सम्भव हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य चिकित्सालय जिनमें सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है, परन्तु रेडियोलाजी विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है, ऐसी सोनोग्राफी मशीनों के संचालन हेतु उस चिकित्सा संस्थान में पदस्थापित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सकों में से एक चिकित्सक को प्रशिक्षण दिलवाकर मशीनों को चालू करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। जिले के किसी भी चिकित्सा संस्थान में पैरामेडीकल स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को अन्यत्र रैफर नहीं किया गया।

(4) पाली जिले में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड बाय के 47 पद रिक्त हैं। जिन्हें प्राथमिकता से भरने के प्रयास किए जाऐंगें।

परिशिष्ट ''अ''

राज्य के चिकित्सा संस्थान जहां गत तीन माह से एक भी चिकित्सक नहीं है का विवरण निम्न प्रकार है

जिला	चिकित्सा संस्थान का नाम
अजमेर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अराई
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कादेड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ाखेड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवलीयाकलां
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेठाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया
भीलवाड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्करगढ़
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्दराय
नागौर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीबालाजी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भडसिया
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडी खाटू (खाटूकला)
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दूगोली
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाखली
टोंक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुंआकलां
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छान

जिला	चिकित्सा संस्थान का नाम
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांखना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काबरा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लवादरा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डारडा हिन्द
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेठा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानेर
चूरू	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाय
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरसला
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ददरेवा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमासी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धीरवास
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनासर
हनुमानगढ़	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिब्बी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्तरदावास
बारां	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीसवाली
बूंदी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुगारी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बासोली
झालावाड़	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगधार
कोटा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोद
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चारचोमा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सातलखेड़ी
करौली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केमरी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलादेवी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर
सवाई माधोपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ईसरदा

जिला	चिकित्सा संस्थान का नाम
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाडोती
बांसवाड़ा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरथूना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोलाना
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आनन्दपुरी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपीनाथ का गड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बदरेल
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिड़ियावासा
चित्तौड़गढ़	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्बोरी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भदेसर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अचनेरा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थडा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरडिया
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काटून्डा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चित्तौड़गढ़ दुर्ग
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीछोर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसरोडगढ़
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घटियाली
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहपुर
डूंगरपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुनाली
राजसमंद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारगढ़
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिवेर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लसानी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिलुण्ड
उदयपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थामला
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिकराणी

जिला	चिकित्सा संस्थान का नाम
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोरिया
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसारों की ओबरी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिडी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारांपाल
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओडवाडिया
बाड़मेर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दांखा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगांव
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसोल
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गागरिया
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सवाई पदम सिंह
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोखड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हूड्र
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनड़ी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओगला
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरातरा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवातला
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाखरपुरा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराली
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसिन्धरगांव
जैसलमेर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़
जालोर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालवाड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागोड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाथेडी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दासपा

जिला	चिकित्सा संस्थान का नाम
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुडाबालोतान
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितलवाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरत
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाद्राजून
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केशवाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसिन
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कागमाला
जोधपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सावरेज
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरडिया
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलवा
पाली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पावा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरलाई
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साण्डेराव
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोवी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतपुर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारण
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजापुर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलाड़
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपाड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा
सिरोही	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वराड़ा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानदिया
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाडिव
दौसा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडला
धौलपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर

जिला	चिकित्सा संस्थान का नाम
अलवर	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोहराना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ोदा गांव
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जखराना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निमूचाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तराई
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जागूवास
भरतपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहज
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूण्डिया
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घाटा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोली छार
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्द बरेठा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अजान
जयपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेनवाल मांजी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बघाल
झुन्झुनूं	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उदामण्डी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचलंगी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांट
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीबा बसई
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पातुसरी
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किडवाना
सीकर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गाडोदा
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबला
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डासरोली
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आभावास
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाय

कुन्दन नगर, अजमेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र

542. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र अजमेर पूर्व के कुन्दन नगर क्षेत्र में भी नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करवाये जाने के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार के द्वारा निर्धारित निम्नांकित मानदण्डों के अनुरूप स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

संस्थान	**मापदण्ड (प्रतिकेन्द्र ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर)**	
	सामान्य	जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र
उप स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। शहरी क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी में नवीन चिकित्सालय

543. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2005-06 में नवीन सबसेन्टर/डिस्पेन्सरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में नवीन सबसेन्टर एवं डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य में 125 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) खोले गये हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी में मापदण्ड से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

आगामी वित्तीय वर्षो में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति बस्सी में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना समुचित हो सकेगा।

परिशिष्ट 'अ'

वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य में खोले गए उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जिलेवार संस्था विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	जिले का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)
1.	अजमेर	6	1	-
2.	अलवर	5	2	-
3.	बारां	15	2	-
4.	बांसवाड़ा	4	1	-
5.	बाड़मेर	20	3	-
6.	भरतपुर	4	4	-
7.	भीलवाड़ा	1	1	-
8.	बीकानेर	1	-	-
9.	बूंदी	1	-	-
10.	चित्तौड़गढ़	3	1	-
11.	चूरू	4	2	-
12.	दौसा	2	-	-
13.	धौलपुर	1	1	-
14.	डूंगरपुर	4	1	-

क्र. सं.	जिले का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)
15.	गंगानगर	2	-	-
16.	हनुमानगढ़	2	1	-
17.	जयपुर	-	2	2
18.	जैसलमेर	10	1	-
19.	जालौर	3	1	-
20.	झालावाड़	4	2	-
21.	झुन्झुनूं	-	-	-
22.	जोधपुर	5	-	-
23.	कोटा	3	1	-
24.	करौली	1	1	-
25.	नागौर	4	-	-
26.	पाली	6	2	-
27.	राजसमंद	3	1	-
28.	सवाई माधोपुर	-	1	-
29.	सीकर	4	1	-
30.	सिरोही	-	1	-
31.	टोंक	-	1	-
32.	उदयपुर	7	-	-
33.	प्रतापगढ़	-	-	-
	योग	**125**	**35**	**2**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर (जयपुर) हेतु एक्स-रे सुविधाएं

544. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर

(श्री लालचन्द कटारिया)

(जयपुर) में सोनोग्राफी मशीन एवं डेंटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर (जयपुर) में शिशु रोग, स्त्री एवं दंत रोग चिकित्सक नियुक्त है? यदि हां, तो क्या सोनोग्राफी मशीन एवं डेंटल एक्स-रे मशीन के अभाव में इन चिकित्सकों की सेवाओं का पूर्ण लाभ क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल रहा है?

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर, (जयपुर) में सोनोग्राफी एवं डेंटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 50 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाये जाने के मापदण्ड नहीं है। 50 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेन्टल एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाये जाने हेतु समुचित वितीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेर (जयपुर) में डेन्टल एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी।

(2) जी हां। परन्तु यह सही नहीं है कि सोनोग्राफी मशीन एवं डेन्टल एक्सरे मशीन के अभाव में उक्त चिकित्सकों की सेवाओं का पूर्ण लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

(3) राजस्थान हैल्थ डवलपमेंट सिस्टम परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर (जयपुर) में डेन्टल एक्सरे मशीन वित्तीय वर्ष 2006-07 में उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। 50 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाये जाने के मापदण्ड नहीं है।

निजी चिकित्सालयों की प्रसुताओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ

545. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये कितना बजट प्रावधान रखा गया और उन बजट प्रावधानों में से कितनी-कितनी राशि अब तक किस-किस जिले में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) क्या आबंटित बजट राजस्थान के विभिन्न जिलों में दिया गया था? यदि हां, तो किस-किस जिले को कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस उद्देश्य से माता के लिये तथा कितनी-कितनी राशि आया, दाई व नर्स के लिये दिये जाने का प्रावधान है? प्रसव के दौरान सीजेरियन प्रसव होने पर कितने रुपये दिये जाते हैं?

(4) क्या यह सही है कि इस योजनान्तर्गत प्रसूता अगर निजी चिकित्सालयों में सीजेरियन से अथवा सामान्य रूप से डिलीवरी करवाती है, तो यह सुविधा उनको भी दी जाती है?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना राज्य में लागू की गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2005-06 से शुरू की गई है। अत: जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सन 2004-05 में कोई बजट प्रावधान नहीं था। सन् 2005-06 में कुल 3 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि इस योजना के लिए आबंटित की गई है। इस राशि से 284.00 लाख रु. की राशि जिलों में आबंटित की गई है। व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु जननी सुरक्षा योजना को आबंटित बजट कुल 3 करोड़ 32 लाख रुपये में से 284.00 लाख की राशि सभी 32 जिलों को आवश्यकतानुसार आबंटित की गई। आबंटित राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 19 वर्ष एवं अधिक उम्र की गर्भवती बी.पी.एल. माता को प्रथम दो जीवित जन्मों तक संस्थागत प्रसव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 700/- रुपये एवं शहरी क्षेत्र में रुपये 600/- प्रति प्रसव का लाभ देय है एवं प्रसव घरेलू होने पर रुपये 500/- देय है। तीसरे बच्चे के जन्म के तत्काल बाद महिला अथवा उसका पति यदि नसबन्दी करवा लेता है तो भी उसे इस योजना के तहत लाभान्वित किया जावेगा। महिला को प्रसव हेतु आपरेशन की जरूरत पड़ने पर निजी चिकित्सालय की सेवाएं ली जा सकती है यदि उस सरकारी चिकित्सालय में आपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नहीं है, इस स्थिति में रुपये 1500/- की अतिरिक्त सहायता भी देय होगी। उपरोक्त सभी लाभ बी.पी.एल. कार्डधारियों को देय है किन्तु सरंपच द्वारा इस योजना हेतु यदि महिला को गरीब प्रमाणित कर दिया जाता है तो उसे भी उपरोक्तानुसार सभी लाभ दिये जाएंगे। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने हेतु आशा, पंजीकृत दाई, जनमंगल दम्पत्ति की महिला कार्यकर्ता को ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 600/- देय होंगे जिसमें उसकी प्रतिपूर्ति राशि एवं गर्भवती माता को प्रसव हेतु संस्था तक लाने के लिए रैफरल परिवहन राशि भी सम्मिलित है। शहरी क्षेत्र में यह राशि रुपये 200/- होगी।

(4) जी हां। घरेलू प्रसव की तरह ही यदि बी.पी.एल. माता का प्रसव किसी निजी चिकित्सालय में सम्पन्न होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 700/- और शहरी क्षेत्र में रुपये 600/- देय होंगे। सिजेरियन प्रसव कराने हेतु बी.पी.एल. माता को उनके क्षेत्र में पड़ने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा उस निजी पंजीकृत संस्थान के लिए जननी सुरक्षा योजना कार्ड पर रैफर कराना होगा। तभी उसे रुपये 1500/- का लाभ देय होगा।

परिशिष्ट 'अ'

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में जिलों को आबंटित की गई राशि एवं व्यय राशि का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है

क्रमांक	जिलों के नाम	बजट आबंटन (लाखों में)	व्यय की गई राशि रुपयों में (वास्तविक-जनवरी, 2006 तक)
1.	अजमेर	9.50	3540
2.	अलवर	11.50	-
3.	बारां	6.50	-
4.	बांसवाड़ा	10.50	16750
5.	बाड़मेर	7.00	-
6.	भरतपुर	9.50	9900
7.	भीलवाड़ा	7.50	13021

क्रमांक	जिलों के नाम	बजट आबंटन (लाखों में)	व्यय की गई राशि रुपयों में (वास्तविक-जनवरी, 2006 तक)
8.	बीकानेर	5.00	-
9.	बूंदी	7.00	13018
10.	चित्तौड़गढ़	9.00	3856
11.	चूरू	9.50	-
12.	दौसा	7.00	12109
13.	धौलपुर	8.50	-
14.	डूंगरपुर	6.50	23500
15.	गंगानगर	7.50	2260
16.	हनुमानगढ़	10.50	-
17.	जयपुर	20.50	25592
18.	जैसलमेर	6.50	-
19.	जालौर	5.50	-
20.	झालावाड़	8.00	9156
21.	झुन्झुनूं	10.50	-
22.	जोधपुर	14.50	5200
23.	कोटा	9.50	-
24.	करौली	8.00	-
25.	नागौर	11.50	2500
26.	पाली	9.00	141700
27.	राजसमंद	5.50	7729
28.	सवाई माधोपुर	9.50	2940
29.	सीकर	8.00	6100
30.	सिरोही	5.00	4362
31.	टोंक	6.50	-
32.	उदयपुर	13.50	-
	योग	**284.00**	**302333**

सिरोही जिले में विभिन्न स्वास्थ्य योजनान्तर्गत व्यय राशि

546. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आर.एच.एस.डी.पी) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व यूरोपीय मिशन के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम व स्वास्थ्य योजनाएं संचालित है? उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक व ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल हास्पिटल, जिला अस्पताल के माध्यम से उक्त योजनाओं में वर्ष 2005-06 में अब तक क्या सेवाएं प्रदान की गई? प्रत्येक केन्द्र का बिन्दुवार, लक्ष्यवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में प्रत्येक केन्द्र को किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि चालू वर्ष में आबंटित की गई व कितना व्यय किया गया? कितने-कितने लोग किस-किस योजना में किस-किस केन्द्र पर लाभान्वित किये गये? केन्द्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रोजेक्टों व योजनाओं के अन्तर्गत सिरोही जिले में वर्ष 2006-07 में लोगों को लाभान्वित करने के क्या प्रस्ताव है? कितना धन कहां-कहां दिया जाना है, एवं कहां-कहां का क्या लक्ष्य प्रस्तावित है? उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला अस्पताल प्रत्येक का आगामी लक्ष्य सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरएचएसडीपी) के अन्तर्गत सिरोही जिले में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है। परियोजना के तहत वर्ष 2005-06 में सिरोही जिले में निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं:-

	सुविधाएं	चिकित्सा संस्थानों की संख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर में रिनोवेशन, एडीशन एवं आल्ट्रेशन का कार्य	1
2	कचरा निस्तारण हेतु पिटस का निर्माण (रेवदर, पिण्डवाडा, आबू पर्वत, शिवगंज, आबू रोड़, कालीन्द्री)	6

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

3	हास्पिटल सप्लाई (सिरोही) आबू पर्वत, पिण्डवाडा, शिवगंज, रेवदर)	5
4	दवाइयां (सिरोही, आबू पर्वत, पिण्डवाडा शिवगंज, रेवदर)	5
5	उपकरण एवं फर्नीचर मरम्मत (सिरोही, आबू पर्वत, पिण्डवाडा, शिवगंज, रेवदर	5

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति :- जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।

2 आशा कार्यक्रम :- जिले में 524 आशा कार्यकर्ताओं के चयन के विरुद्ध 501 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया हुआ है। जिला स्तरीय व ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण दल का प्रशिक्षण दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण गैर सरकारी संगठन के माध्यम से करवाया जाना है इस हेतु चयन कार्यवाही चल रही है।

3 अनटाइड फण्ड :- जिले में 187 उप केन्द्रों में से 182 उप केन्द्रों पर खाते खोले जा चुके हैं तथा प्रति उपकेन्द्र 10000 रुपये की राशि आबंटित की जा चुकी है।

4 बेसिक इमरजेंसी आब्सट्रेटिक केयर :- इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का फेसीलिटी सर्वे करवा लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दातराई एवं रोहिड़ा का चयन हुआ है उपकरण एवं दवाइयां क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।

5 माडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना :- इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बराड़ा का चयन किया गया है उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीड एसिसमेंट सर्वे करवा लिया गया है पीडब्ल्यूडी को राशि हस्तान्तरित करवा ली गई है। उपकरण एवं दवाइयों के खरीद की कार्यवाही की जा रही है।

6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुदृढ़ीकरण योजना :- इस योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड व कालन्द्री का चयन किया गया। सिविल एसिसमेंट का कार्य पूर्ण करवा लिया गया है।

7. जननी सुरक्षा योजना :- माह अक्टूबर 2005 में जननी सुरक्षा योजना का जिले में शुभारंभ किया जा चुका है। उपकेन्द्र स्तर पर खुलवाये गये

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अनटाइड फण्ड खातों में प्रति खाता 1300 रुपये की राशि 182 उपकेन्द्रों पर भिजवायी जा चुकी है। माह फरवरी 2006 तक 40 बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत कर लिया गया है।

8 आयुष योजना :- यह योजना भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद यूनानी, होम्योपैथी, योग व सिद्वा आदि) के चिकित्सकों को मुख्य धारा में लाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही उनकी सेवाऐं उपलब्ध कराने का प्रयास है। इस योजना के तहत जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त चिकित्सकों के बैठने आदि की व्यवस्था से संबंधित सर्वे करवाया जा रहा है। अब तक 14 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बैठने हेतु स्थान उपलब्ध करवा दिया गया है।

9 आरसीएच कैम्प योजना :- आरसीएच कैम्प में परिवार कल्याण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से उनकी आवश्यकताओं का आंकलन कर आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर ली गई है। निर्धारित 90 कैम्पों के विरुद्ध 88 कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं।

(2) राजस्थान हैल्थ सिस्टम डेवलैपमेन्ट प्रोजेक्ट परियोजना में इस प्रकार का वित्तीय विभक्तीकरण नहीं है। जिला सिरोही में वर्ष 2005-06 में उक्त किये कार्यों पर 53.98 लाख रुपये व्यय किये।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानवार राशि आबंटित नहीं की गई है। जिला सिरोही में वित्तीय वर्ष 2005-06 में 87.44 लाख रुपये का आबंटन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया गया है। जिसमें से 41.60 लाख रुपये अग्रिम राशि दी गई है उसमें से 17.06 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

यूरोपियन कमीशन

सिरोही जिले के केन्द्रों को राशि नहीं दी गई है यह राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही को दी गई है। सिरोही जिले को माह फरवरी, 2006 तक 170 लाख रुपये का आबंटन किया जा चुका है। जिसके विरुद्ध 131.78 लाख रु. का व्यय किया जा चुका है।

उक्त योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हो सकेगी।

(3) राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में सिरोही जिले में प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष 2006-07 के प्रावधान

1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवदर के भवन में रिनोवेशन, एडीशन एवं आल्ट्रेशन का कार्य पूर्ण कर माह अप्रैल, 2006 में आम जनता को समर्पित किया जाना प्रस्तावित है।

2 सामान्य चिकित्सालय सिरोही के भवन में 38.00 लाख रुपये की लागत से रिनोवेशन, एडीसन एवं आल्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ कराकर पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

3 पांच चयनित चिकित्सा संस्थानों को दवाइयां, हास्पिटल सप्लाई, हास्प्टिल फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

4 चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर अस्पताल द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सुधार किया जायेगा।

जिला सिरोही में उक्त परियोजना के अन्तर्गत कुल रुपये 58.67 लाख व्यय किये जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सिरोही जिले को वर्ष 2006-07 में 1,06,55,180 रुपये विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2006-07 की कार्ययोजना तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यूरोपियन कमीशन

यह योजना दिसम्बर 2006 में समाप्त होने जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। जिले की स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन बाद ही कार्य-योजना का क्रियान्वयन होता है अनुमोदित जिला कार्य-योजना का क्रियान्वयन जून 2006 तक सुनिश्चित किया जाना है।

10 दाई प्रशिक्षिण योजना :- माह फरवरी, 2006 तक 120 दाइयों के लक्ष्यों के विरुद्ध 110 दाइयों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

11 24 घण्टे प्रसव सेवा योजना :- इस योजना के अन्तर्गत रात्रि कालीन प्रसवों की संख्या 930 है।

12 पिटस निर्माण :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पिटस निर्माण हेतु पीडब्ल्यूडी को राशि 0.44 लाख हस्तन्तिरित की जा चुकी है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

यूरोपियन कमीशन

यूरोपियन कमीशन के अन्तर्गत सिरोही जिले में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम व स्वास्थ्य योजनाएं संचालित है।

1 उप स्वास्थ्य केन्द्र- सिरोही जिले में 15 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति गृह निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गए। 16 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरम्मत कार्य पूर्ण किये गये तथा 32 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरम्मत कार्य जारी है, यह समस्त कार्य जिला परिषद द्वारा कराये गये।

2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सिरोही जिले में 3 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जावाला, चनार व कैलाशनगर का चयन किया गया। इनकेन्द्रों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग सिरोही द्वारा मरम्मत व नवीनीकरण कार्य करवाये जा रहे हैं।

3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिरोही में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड़ व पिण्डवाडा को आपातकालीन प्रसव केन्द्र के रूप में चयन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड़ पर आपरेशन थियेटर व प्रसूति गृह निर्माण पूर्ण किये तथा आवश्यक उपकरणों की सप्लाई की गई। रक्त संग्रहण इकाई में आवश्यक उपकरण क्रय करके उपलब्ध करवाये गये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिण्डवाडा पर मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग सिरोही द्वारा करवाया जा रहा है। दोनों केन्द्रों पर एक-एक चिकित्सा अधिकारी को रक्त संग्रहण इकाई का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।

4 गैर सरकारी संस्थाएं :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिरोही जिले में परिवार कल्याण तथा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार करने हेतु तीन गैर सरकारी संस्थाओं को आबूरोड़, पिण्डवाडा व रेवदर क्षेत्र के 100 गांवों का कार्य दिया गया है। गैर सरकारी संस्थाओं के नाम निम्न प्रकार है :-

1.	जनचेतना संस्थान, आबूरोड़ (30 गांव)	1 वर्ष
2.	चिओश एज्यूकेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी पिण्डवाडा 40 गांव	1 वर्ष
3.	सारद संस्था, रेवदर 30 गांव	9 माह

यूरोपियन कमीशन

सिरोही जिले के केन्द्रों को राशि नहीं दी गई है यह राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही को दी गई है। सिरोही जिले को माह फरवरी, 2006 तक 170 लाख रुपये का आबंटन किया जा चुका है। जिसके विरुद्ध 131.78 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। जक्त योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हो सकेगी।

बारां राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी सफाई निविदाएं

547. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय चिकित्सालय, बारां में किस-किस कार्य की पिछले एक वर्ष में एक से अधिक बार निविदाएं जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निविदा में अंकित मूल्य से 25 प्रतिशत कम दरें प्राप्त होने के बाद भी क्या सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत नेगोशियेसन के प्रावधान हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राजकीय चिकित्सालय, बारां की सफाई की माह दिसम्बर, 2005 में खोली गई निविदा में अयोग्य संवेदकों की निविदाएं खोलने एवं नेगोशियेशन में बुलाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय बारां में वर्ष 2005-06 में मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी बारां द्वारा केवल दो ठेकों क्रमश: सफाई कार्य एवं साइकिल स्टैण्ड ठेके हेतु दो-दो बार निविदाएं आमंत्रित की गई।

(2) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट द्वितीय नियम 59 (ख) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले विशेष सामान के लिये निविदादाताओं के समूह मूल्य उद्वत किये जाने अथवा निविदा दरों में पर्याप्त अन्तर होने व निविदा खोलने के समय बाजार में चालू मूल्यों से अत्यधिक ऊंचा समझे जाने की स्थितियों में न्यूनतम निविदादाता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) नियमानुसार निविदाएं ''दो कवर प्रणाली द्वारा'' आमंत्रित की जाती है। प्रथम कवर में ''तकनीकी बोली'' जिसमें निविदाकार के बारे में सूचना जो निविदाकार की ''पूर्व योग्यता'' से सुसंगत समझी जावे, अन्तर्विष्ट होगी तथा द्वितीय कवर में ''वित्तीय बोली'' अंकित होगी।

सफाई ठेके की निविदा दिसम्बर 2005 में तकनीकी व वित्तीय बिड एक ही सील्ड में होने के कारण निविदा पत्र सभी निविदादाताओं के खोले गए परीक्षण उपरान्त ही योग्य व अयोग्य निविदादाताओं की जानकारी मिल पायी एवं किसी भी निविदादाताओं को नेगोशियेशन में नहीं बुलाया गया। फरवरी, 2006 में उक्त कार्य की पुन: निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर प्राप्त सभी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

तीन निविदाएं योग्य पायी गयी तथा न्यूनतम दरदाता को ही नेगोशियेशन हेतु बुलाया गया।

परिशिष्ट 'अ'

सामान्य वित्तीय एवं लेखानियमों में नियम 59 भाग द्वितीय/119 अनुभाग चार में वर्णित नेगोशियेशन (बातचीत) का अक्षरश: नकल निम्न प्रकार है।

नियम 59) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-द्वितीय/1919

अनुभाग-VI

[1][नियम 59. बातचीत (Negotiation) का उद्देश्य : (1) बातचीत आपवादिक परिस्थितियों में की जाएगी। बातचीत निविदादाता द्वारा किए गए मूल प्रस्ताव को अप्रभावी नहीं करेगी। क्रय समितियों को मूल प्रस्ताव पर विचार करने का विकल्प होगा। यदि निविदादाता मूल्य रूप में दी गयी दरों को बढ़ाने का या नई शर्तें आरोपित करने का निश्चय करे।

(2) निम्नलिखित मामलों में बातचीत की जा सकेगी :-

(क) निविदाओं से पहले बातचीत :- निविदा हेतु विज्ञापन देने से पहले निम्नलिखित मामलों में बातचीत की जा सकती है :-

(i) जहां क्रय इन नियमों में दी गयी परिभाषा के अनुसार स्वत्वाधिकार वाली वस्तुओं से सम्बन्धित हो;

(ii) जहां क्रय के सामान का निरन्तर कम प्रदाय हो रहा है;

(iii) यदि गैर-स्वत्वाध्कार वाली वस्तुओं के क्रय के लिए आदेश छोटा हो;

(iv) यदि इन नियमों के नियम 30 में यथा वर्णित निविदा आमंत्रित किए बिना ही क्रय करना आवश्यक समझा गया हो।

(ख) निविदाओं के बाद बातचीत :- साधारण तौर पर निविदाओं के बाद बातचीत नहीं की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में केवल निम्नतम निविदादाता से बातचीत की जा सकती है;

(i) जब क्रिय किए जाने वाले विशेष सामान के लिए निविदादाताओं ने समूह मूल्य (Ring Prices) उद्वत किया हो;

(ii) जब निविदत्त दरों में पर्याप्त अन्तर हो तथा उन्हें निविदा खोलने के समय बाजार में चालू मूल्यों से अत्याधिक ऊंचा समझा गया हो।

---

[1] आदेश सं.पं. 1(7)वित्तसा.नि.ले.नि./98 , दिनांक 8.2.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

जोधपुर शहर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

548. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर में चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) जोधपुर शहर में गत दो वर्षों में पदभार ग्रहण कर कार्य नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज जोधपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है :-

संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
क्षय निवारण केन्द्र, जोधपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (टीबी)	1	11।/04
अन्धता निवारण ईकाई, जोधपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	11।/06
सैटेलाईट अस्पताल पावटा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	11।/05
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	11।/05
राजकीय चिकित्सालय नचोकिया पजोधपुर	चिकित्सा अधिकारी	1	11।/05

(2) जी हां। चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उक्त कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने के उपरान्त भरने के प्रयास किए जाएंगे।

(3) जोधपुर शहर में गत 2 वर्षों में पदभार ग्रहण कर कार्य नहीं करने वाले चिकित्सकों की सूचना शून्य समझी जावे शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट 'अ'

आर्युविज्ञान महाविद्यालय जोधपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को सूची

क्र. सं.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद होने की दिनांक
1.	प्रोफेसर इन माईक्रोबायलोजी	एक	1.3.2005
2.	प्रोफेसर इन सर्जरी	एक	19.7.2005
3.	प्रोफेसर इन आफ्थलमोलोजी	एक	20.6.2002
4.	प्रोफेसर इन रेडियो-थेरेपो	एक	1.10.2003
5.	प्रोफेसर इन फोरेन्सिक मेडिसन	एक	2.1.2003
6.	प्रोफेसर इन मेडिसन	दो	19.7.2005, 25.10.2005
7.	प्रोफेसर इन ऐनाटोमी	एक	1.1.2006
8.	एसोसियेट प्रोफेसर इन पी.एस.एम.	दो	22.11.2004, 1.3.2006
9.	एसोसियेट प्रोफेसर इन माईक्रोबायलोजी	एक	30.9.2003
10.	एसोसियेट प्रोफेसर इन पेडियाट्रिक्स	एक	
11.	एसोसियेट प्रोफेसर इन रेडियो-थेरेपी	एक	1.10.2003
12.	एसोसियेट प्रोफेसर इन साईकेट्री	एक	25.5.2005
13.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन फिजियोलोजी	एक	2.10.2004
14.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन बायोफिजिक्स	एक	19.5.2003
15.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन बायोकेमेस्ट्री	दो	5.8.99, 18.7.2005
16.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन फार्माकालोजी	दो	6.10.04, 8.7.05
17.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन मेडिसन	चार	1.3.2004, 8.7.2005, 25.3.2005, 29.3.2005
18.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन कार्डियोलोजी	एक	20.8.2004
19.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन न्यूक्लिर मेडिसन	एक	1.7.1993
20.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन सर्जरी	तीन	16.6.02, 3.9.02, 27.5.2005
21.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन न्यूरो सर्जरी	एक	15.3.2005

1	2	3	
22.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन यूरोलोजी	एक	19.1.2005
23.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन पेडियाट्रिक्स सर्जरी	एक	1.7.2003
24.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन कार्डियोथोरासिक सर्जरी	एक	30.9.2002
25.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन ओर्थोपेडिक्स	एक	3.3.2005
26.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन ई.एन.टी.	एक	15.5.2003
27.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन आफ्थलमोलोजी	दो	27.9.2003, 20.8.2004
28.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन पेडियाट्रिक्स मेडिसन	एक	8.7.2005
29.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन रेडियेशन फिजिक्स	एक	20.8.2004
30.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन एनाटोमो	दो	1.10.2005, 28.1.2006
31.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन ऐनाथेसिया	दो	13.1.2002, 3.9.2002
32.	एसिस्टिन्ट प्रोफेसर इन सोईक्रेट्रो	दो	6.6.2000, 22.1.2006
33.	एसिस्टिन्ट प्रोफेसर इन रेडियो-डायग्नोसिस	दो	17.1.2004, 7.3.2005
34.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन आब्स एण्ड गायनी	तीन	30.9.03, 20.8.04, 8.7.05
35.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन प्लास्टिक सर्जरी	एक	19.7.2005
36.	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन डेन्ट्रीस्ट्री (दन्त)	एक	21.10.2005
37.	सीनियर डेमोस्ट्रेटर इन एनाटोमी	एक	25.5.2005
38.	सीनियर हेमोस्ट्रेटर इन फिजियोलोजी	एक	8.7.2005
39.	सीनियर डेमोस्ट्रेटर इन बायोकेमेस्ट्री	दो	28.11.02, 21.3.03
40.	सीनियर डेमोस्ट्रेटर इन पेथोलोजी	दो	4.1.2003, 31.3.2003
41.	सीनियर डेमोस्ट्रेटर इन स्पोच एण्ड ओडियोलोजी (ई.एन.टी.)	एक	8.7.2005
42.	एपिडिमियोलीजोस्ट कम लेक्चरर	एक	8.7.2005

सिरोही जिले के चिकित्सालयों में गठित समितियों की आय-व्यय

549. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले के अस्पतालों में कहां-कहां मेडिकल रिलीफ सोसायटी व कहां-कहां अस्पताल समिति गठित है? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें। इनमें कौन-कौन सदस्य है?

(2) उक्त समितियों में वर्ष 2005-06 में कितनी-कितनी आय हुई? अस्पतालवार, माहवार आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्ष में उक्त समितियों की कब-कब बैठकें हुई एवं उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये? उक्त वर्ष का आय व्यय एवं बकाया भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समितियों के फंड से वर्ष 2005-06 में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को क्या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई? व्यक्तिवार, तिथिवार, अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त समितियों के फंड से अनुसूचित जाति/जन जाति, वृद्ध, अनाथ व जरूरतमंदों को क्या चिकित्सा सहायता उक्त अवधि में उपलब्ध कराई गई?

(6) उक्त समितियों के फंड से संविदा पर कितने कर्मचारी रखे गये व कब से क्या-क्या भुगतान किया गया? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी समस्त उक्त अवधि के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थान जिनमें मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी गठित है उनके नाम एवं उनमें कौन-कौन सदस्य है उनके नामों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सिरोही जिले के चिकित्सा संस्थानों में गठित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के आय का वित्तीय वर्ष 2005-06 का माहवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) वित्तीय वर्ष 2005-06 में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठकों की दिनांक विवरण तथा आय व्यय एवं बकाया भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'स' (पृष्ट-1) पर उपलब्ध है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का विवरण परिशिष्ट 'स' के (पृष्ठ-2 से 24) तक उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) सिरोही जिले के चिकित्सा संस्थानों में गठित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2005-06 में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाई गई चिकित्सा सहायता का चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(5) वर्ष 2005-06 में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के फंड में से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध, अनाथ एवं जरूरतमंद रोगियों को नि:शुल्क दवाइयां व एक्सरे, ई.सी.जी, सोनोग्राफी, लेब जांचे, इत्यादि जांचे व दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाती है। जिनका विवरण प्रश्न के भाग-4 की सूची में दर्शाया गया है। जिसमें अन्य रोगियों के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के रोगी भी सम्मिलित है। चिकित्सालयों में बी.पी.एल. रोगियों हेतु रजिस्टर संधारित है परन्तु उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाबत अलग से कोई विवरण नहीं लिखा जाता है ना ही इस प्रकार के रिकार्ड का संधारित करने के आदेश है। ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोगी जो उपरोक्त (बीपीएल) वर्णित लाभान्वित रोगियों की श्रेणी में नहीं आते उन्हें अलग से कोई नि:शुल्क सुविधा नहीं दी गयी है।

(6) सिरोही जिले में गठित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से रखे गये संविदा पर कर्मचारियों एवं उनके किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'य' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले के राजकीय राज्य मार्ग योग्य सड़कें

550. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या स्टेट हाइवे 51 कोटा-कैथून-सांगोद-छबड़ा-गरनावदा मार्ग को सांगोद से नेशनल हाइवे संख्या 76 से जोड़ने तथा सांगोद-कुन्दनपुर-पलायथा मार्ग को स्टेट हाइवे घोषित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि सांगोद से पलायथा को स्टेट हाइवे घोषित करने पर खानपुर व सांगोद क्षेत्र की जनता को 4 लेन वाली नेशनल हाइवे 76 का लाभ मिल सकेगा? यदि हां, तो क्या वर्ष 2006-07 में इस मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्टेट हाइवे-51 कोटा कोथून, सांगोद, छबड़ा, घरनावदा मार्ग सांगोद से नेशनल हाइवे-76 से दो सड़कों से जुड़ा हुआ है।

1. सांगोद से अन्ता (एम.डी.आर-51)

2. सांगोद से कुन्दनपुर पलायता (एम.डी.आर.-88)

सांगोद-कुन्दनपुर पलायता मार्ग को स्टेट हाइवे घोषित करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

कमालपुरा-नागल पहाड़ी ग्राम (टोडाभीम) की क्षतिग्रस्त सड़कें

551. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम कमालपुरा से ग्राम नागल पहाड़ी तक की सड़क क्षतिग्रस्त है तथा डामर पूरी तरह निकल गई है?

(3) क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोड़ाभीम विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण अनुसूची ''अ'' में अंकित है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम कमालपुरा से ग्राम नांगल पहाड़ी तक की सड़क कि.मी. 12/500 से 13/0 (ग्राम जहांनगर मोरड़ा) में एवं कि.मी. 16/900 से 18/0 तक (ग्राम कमालपुरा) में सड़क क्षतिग्रस्त है। ये सड़क के भाग आबादी क्षेत्र के हिस्से हैं। इस सड़क पर वर्ष 1996-97 में एस.आर. प्रोग्राम के अन्तर्गत रिमेटलिंग का कार्य कराया गया था। परन्तु डामरीकरण कार्य नहीं हो सका।

(3) जी हां। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार की जावेगी।

अनुसूची ''अ''

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

1. कमालपुरा से नांगल पहाड़ी कि.मी 12/500 से 13/0 (ग्राम जहांनगर मोरड़ा) एवं कि.मी. 16/900 से 18/0 (ग्राम कमालपुरा)
2. मूडिया धावन धौलेटा रोड किमी. 16/900 से 18/0 (1.1 किमी.) एवं 12/250 से 13/0 (750 मीटर)
3. श्री महावीरजी लपावली सड़क किलोमीटर 10/500 से 11/0 (500 मीटर) (ग्राम कंजोली) एवं 7/500 से 8/250 (750 मीटर) (ग्राम भौपर)
4. नांगल पहाड़ी सड़क पर किलोमीटर 0/0 से 1/0 (नांगल ग्राम)
5. नागल महस्वा सड़क किलोमीटर 0/0 से 7/200
6. टोडाभीम खेड़ी करीरी सड़क किलोमीटर 0/0 से 6/300
7. सम्पर्क सड़क राजाहेड़ा किलोमीटर 0/0 से 2/0
8. सम्पर्क सड़क पालालसर रोड़ किलोमीटर 0/0 से 8/500

पैट्रोलियम पदार्थों पर प्राप्त ''सेस'' राजस्व का उपयोग

552. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर कितना सेस कब से लगाया जा रहा है? क्या सेस लगाने के पश्चात वसूले जाने वाली राशि में कोई परिवर्तन किया गया? यदि हां, तो कब व क्या-क्या?

(2) उपरोक्त सेस के माध्यम से अब तक राज्य में कितनी राशि एकत्रित की गई? सरकार उपरोक्त एकत्रित राशि को किस प्रकार व्यय करने का विचार रखती है? उक्त राशि में से सड़कों के निर्माण व रख-रखाव पर किये जाने वाले व्यय के लिए क्या प्राथमिकताएं तथा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(3) उपरोक्त राशि में से किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? जिलेवार विवरण/सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दिनांक 7 सितम्बर, 2004 से सेस लगाया जा रहा है। जी नहीं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) सेस के माध्यम से जनवरी 2006 तक 258.03 करोड़ रुपये एकत्रित किये हैं। सेस से एकत्रित राशि का उपयोग राज्य सड़कों के विकास के लिये किया जायेगा। सेसे की राशि के कार्यो की प्राथमिकता एवं मापदण्ड राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 के अन्तर्गत गठित प्रबन्धन बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के लिये राज्य राजमार्गों का विकास बी.ओ.टी. कार्यों के लिये सबसिडी, राज्य राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों पर आबादी क्षेत्र में पूर्व में छोड़े गये सड़क भागों पर सीमेन्ट कंकरीट व स्टोन खरंजे का कार्य, आर.ओ.बी. का निर्माण व विविध प्रकार के सड़क निर्माण हेतु निर्धारित की गई है।

(3) उपरोक्त राशि में से वर्ष 2005-06 में जारी की गई निर्माण कार्यों की स्वीकृति का विवरण जिलेवार परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**सी.सी रोड़**	**सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण**	**आर.ओ.बी.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	अजमेर	363.640		1000
2.	अलवर	171.67		
3.	बांसवाड़ा	-	348.20	
4.	बारां	97.50	337.32	
5.	बाड़मेर	42.59	201.50	
6.	भरतपुर	495.41	304.20	1000
7.	भीलवाड़ा	180.500	322.60	
8.	बीकानेर	39.65	197.70	
9.	बूंदी	723.81	47.00	
10.	चित्तौड़गढ़	128.00	352.20	
11.	चूरू	170.24	576.40	

1	2	3	4	5
12.	दौसा	245.00	62.90	1000
13.	धौलपुर	198.00	183.50	1000
14.	डूंगरपुर	91.88	374.00	
15.	गंगानगर	165.600	354.00	
16.	हनुमानगढ़	156.110	427.30	
17.	जयपुर	343.00		
18.	जैसलमेर	-	139.50	
19.	जालौर	71.20	90.20	
20.	झालावाड़	43.90		
21.	झुन्झुनूं	511.20		
22.	जोधपुर	58.66	45.00	
23.	करौली	106.73	15.00	
24.	कोटा	652.90	371.70	
25.	नागौर	78.30		
26.	पाली	208.25	16.00	
27.	राजसमन्द	88.00		
28.	सवाईमाधोपुर	321.12	30.00	1000
29.	सीकर	226.02	350.90	
30.	सिरोही	3.70	20.00	1000
31.	टोंक	171.550	220.70	
32.	उदयपुर	80.95	237.00	
	योग :-	**6235.09**	**5574.82**	**6000**

कुल योग :- 17809.91 लाख

मेघा हाईवे परियोजना- 14000.00 लाख

महायोग :- 31809.91 लाख

नावां में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

553. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य मंत्री सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्तमान में कौनसा कार्य कितनी राशि का स्वीकृत है तथा वर्ष 2006-07 में कौनसा कार्य कितनी लम्बाई व कितनी राशि का प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. प्रथम द्वितीय व तृतीय चरण में विधान सभा क्षेत्र नावां में कौन-कौन से कार्य कितनी लागत के व कितनी लम्बाई तक के किये गये हैं? ठेकेदार पर इस सड़क के लिए कितने वर्षों तक की टूट-फूट, रिपेयर की जिम्मेदारी है तथा ठेकेदार कौन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एस.आर.एफ.सी.सी. रोड़ योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां में कौन-कौनसी सड़क, कितनी-कितनी लम्बाई व राशि से दिसम्बर, 2003 से फरवरी, 2006 तक निर्माण करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र नावां में एस.आर.एफ.सी.सी. रोड़ योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) माडल रोड़ (नान प्लान) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 2006-07 में कौनसा कार्य कितनी राशि का कराया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री सड़क योजनान्तर्गत नावां विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की सूची मय लम्बाई व स्वीकृत राशि परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। प्रस्तावित कार्य का विवरण भी परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाया गया है।

(2) डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी प्रथम व द्वितीय चरण में स्वीकृत कार्यों की सूची मय लागत राशि, लम्बाई व संवेदक का नाम सहित परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। ठेकेदार पर इन सड़कों के लिए टूट फूट रिपेयर की जिम्मेदारी तीन वर्ष तक की है। इस योजनान्तर्गत तृतीय चरण में एक कार्य प्रस्तावित है। जिसका विवरण परिशिष्ट ''ब'' में दर्शाया गया है।

(3) एस.आर.एफ.सी.सी. रोड योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। इन कार्यों पर दिसम्बर 2003 से फरवरी, 2006 तक कोई राशि व्यय नहीं की गई। कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र नावां में एस.आर.एफ.सी.सी. रोड़ योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। इस योजनान्तर्गत कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत हेतु विचार किया जायेगा।

(5) माडल रोड़ (नान प्लान) के अन्तर्गत नावां विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है। मांडल सड़क पर नावां विधान सभा क्षेत्र में कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा।

परिशिष्ट ''अ''

मुख्य मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि	अन्य विवरण
A	**मेगा हाइवे प्रोजेक्ट**			
	किशनगढ़ से हनुमानगढ़	406.512 किमी.	481 करोड़	नावां विधान सभा क्षेत्र में इस योजना अन्तर्गत किमी. 73/0 से 86/0 कुल 13 किमी. है।
B	**राज्य सड़क निधि (सीमेन्ट कंकरीट सड़क)**			
1	सरवाड़-किशनगढ़-कुचामन-डीडवाना-लाडनू (कुचामन शहर) स्टेट हाइवे नं. 7 (किमी. 78/0 से 78/150, 79/300 से 79/500) में डामर सड़क/सी.सी./स्टोन खरंजा, ड्रेन एवं रोड़ फर्नीचर का कार्य	350 मीटर	20.30 लाख	
2	फलोदी-पांचोड़ी-नागौर-तरनाऊ-खाटू-तोषीना-कुचामन-कालाडेरा सड़क स्टेट हाइवे 19 किमी. 277/0 से 277/200 में डामर सड़क/ सी.सी./स्टोन खरंजा ड्रेन एवं रोड़ फर्नीचर का कार्य	200 मीटर	11.60 लाख	

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि	अन्य विवरण
C	**डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. सड़क**			
	प्रथम चरण			
1	कुचामन, राजलिया, सुरेरा जिला सीमा तक	13.00 किमी.	104.00 लाख	संवेदक शिवरतन मालाकार परबतसर
2	खुशिया से भूणी	2.00 किमी.	15.00 लाख	संवेदक शिवरतन मालाकार परबतसर
3	ए.आर. दीपपुरा किमी. 0/0 से 3/0	3.00 किमी.	24.00 लाख	संवेदक शिवरतन मालाकार परबतसर
4	लूणवा से सीरसी किमी. 0/0 से 2/0	2.00 किमी.	16.00 लाख	संवेदक शिवरतन मालाकार परबतसर
5	सांवतगढ़ किमी. 0/0 से 0/750	0.750 किमी.	6.00 लाख	संवेदक शिवरतन मालाकार परबतसर
	द्वितीय चरण			
1	कांटिया से बर्जन	5.50 किमी.	54.95 लाख	संवेदक मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर
2	मूंडगसोई से देवलीकलां	7.00 किमी.	64.30 लाख	संवेदक मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर
3	ए.आर. नरसिंहपुरा	1.00 किमी.	10.90 लाख	संवेदक मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर
4	श्यामगढ़ से पृथ्वीराजकाबास	3.00 किमी.	30.70 लाख	संवेदक मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर
5	चावन्डीया से परेवड़ी	5.00 किमी.	48.50 लाख	संवेदक मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर
6	ए.आर. कुचामन, साल्ट एरिया रोड	1.00 किमी.	10.90 लाख	संवेदक मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर
	तृतीय चरण (नये प्रस्तावित कार्य)			
1	पांचोता से पांचोता कुण्ड	2.00 किमी.	14.60 लाख	

परिशिष्ट ''ब''

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि	संवेदक	गारन्टी पीरियड
A	**डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. सड़क**				
	प्रथम चरण				
1	कुचामन, राजलिया, सुरेरा जिला सीमा तक	13.00 किमी.	104.00 लाख	शिवरतन मालाकार परबतसर	3 वर्ष
2	खुशिया से भूणी	2.00 किमी.	15.00 लाख	शिवरतन मालाकार परबतसर	3 वर्ष
3	ए.आर. दीपपुरा किमी. 0/0 से 3/0	3.00 किमी.	24.00 लाख	शिवरतन मालाकार परबतसर	3 वर्ष
4	लूणवा से सीरसी किमी. 0/0 से 2/0	2.00 किमी.	16.00 लाख	शिवरतन मालाकार परबतसर	3 वर्ष
5	सांवतगढ़ किमी. 0/0 से 0/750	0.750 किमी.	6.00 लाख	शिवरतन मालाकार परबतसर	3 वर्ष
	द्वितीय चरण				
1	कांटिया से बर्जन	5.50 किमी.	54.95 लाख	मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर	3 वर्ष
2	मूंडगसोई से देवलीकलां	7.00 किमी.	64.30 लाख	मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर	3 वर्ष
3	ए.आर. नरसिंहपुरा	1.00 किमी.	10.90 लाख	मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर	3 वर्ष
4	श्यामगढ़ से पृथ्वीराजकाबास	3.00 किमी.	30.70 लाख	मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर	3 वर्ष
5	चावन्डीया से परेवड़ी	5.00 किमी.	48.50 लाख	मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर	3 वर्ष
6	ए.आर. कुचामन साल्ट एरिया रोड	1.00 किमी.	10.90 लाख	मैसर्स धूंधवाल बदर्स बीकानेर	3 वर्ष
	तृतीय चरण (नये प्रस्तावित कार्य)				
1	पांचोता से पांचोता कुण्ड	2.00 किमी.	14.60 लाख	नाबार्ड में प्रस्तावित	

परिशिष्ट ''स''

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि	अन्य विवरण
A	**राज्य सड़क निधि (सीमेन्ट कंकरीट सड़क)**			
1	सरवाड़-किशनगढ़-कुचामन-डीडवाना-लाडनू (कुचामन शहर) स्टेट हाइवे नं. 7 (किमी. 78/0 से 78/150, 79/300 से 79/500) में डामर सड़क/सी.सी./स्टोन खरंजा, ड्रेन एवं रोड़ फर्नीचर का कार्य	350 मीटर	20.30 लाख	वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।
2	फलोदी-पांचोड़ी-नागौर-तरनाऊ-खाटू-तोषीना-कुचामन-कालाडेरा सड़क स्टेट हाइवे 19 किमी. 277/0 से 277/200 में डामर सड़क/ सी.सी./स्टोन खरंजा ड्रेन एवं रोड़ फर्नीचर का कार्य	200 मीटर	11.60 लाख	वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

खेतड़ी में सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य

554. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि की कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया व कितनी राशि सड़कें पेच वर्क के लिये स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस राशि का उपयोग कहां-कहां पर कितना-कितना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 में कुल 19 सड़कों का निर्माण करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2005-06 में कुल 14 सड़कों का निर्माण करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वर्ष 2004-05 में कुल 7 सड़कों पर पेच रिपेयर कार्य करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वर्ष 2005-06 में 7 सड़कों पर पेच रिपेयर कार्य करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट–द पर संलग्न है।

(2) राशि का उपयोग जिन स्वीकृत सड़कों पर किया गया है, सूची परिशिष्ट ''अ'' से ''द'' में संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2004-05 में योजनावार, सड़क वार विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
	डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. प्रथम चरण	
1	काजोटा से मण्डाना	13.68
2	खेतड़ी जसरापुर लोयल सड़क से किमी. 14 से श्री सरदारपुरा	12.76
3	सम्पर्क सड़क बांकोटी	5.83
4	बसई से जमालपुर	9.54
5	सम्पर्क सड़क झूझारपुर	13.80
	योग :-	**55.61**
	आर.एम.यू.पी. प्रथम	
6	पपुरना से डाबला रोड़	21.57
7	मेहाड़ा-सिहोड़-मावंड़ा रोड़	25.39
	योग :-	**46.96**
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	
8	करमाड़ी से संजय नगर	49.49
9	पपुरना डाबला रोड़ किमी. 7 से रामकुमारपुरा (लियाकतों की ढ़ाणी)	23.32
10	टीबा से किशनपुरा वाया इलाखर	-
11	ठाटवाड़ी से ढोसी	-

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
12	बडाऊ से श्रीकृष्ण नगर	64.03
13	सेफरागुंवार से सुनारी (जामादा जोहड़ी)	47.05
14	स्टेट हाइवे-13 किमी. 81 से सरदारपुरा	16.40
15	चींचडोली से रूपा का बास	42.61
	योग :-	242.90
	मिसिंग लिंक योजना	
16	रसूलपुर से कालोटा किमी. 17/225 से 24/225	48.91
17	दलेलपुरा से सेफरागंवार किमी. 4/0 से 7/0	21.65
18	खेतड़ी निजामपुर सड़क से बांसीयाल किमी. 0/0 से 3/0	21.12
19	खेतड़ी से बीलवा किमी. 0/0 से 2/0	29.05
	योग :-	**120.73**

परिशिष्ट 'ब'

वर्ष 2005-06 में योजनावार, सड़क वार विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
	डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. द्वितीय चरण	
1	सम्पर्क सड़क मोड़ी	5.00
2	शिमला से पचेरी वाया रावां	6.71
3	बसई से निजामपुर	10.93
4	कापर चंवरा रोड़ से बीलवा	2.93
5	बबाई-कांकरिया से जोधपुरा	13.80
6	खेतड़ी-बागोरगढ़-भोपालगढ़	8.72
7	खेतड़ी निजामपुर रोड़ से बांसीयाल	5.25
8	सेफरागुंवार से सुनारी	17.79
	योग :-	**71.11**

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**व्यय राशि (लाखों में)**
	आर.एम.यू.पी. द्वितीय	
9	बड़ागांव-जसरापुर-खेतड़ी-निजामपुर रोड़ किमी. 33/0 से 42/0	-
10	बड़ागांव-जसरापुर-खेतड़ी-निजामपुर रोड़ किमी. 14/0 से 19/0	-
	योग :-	-
	सी.आर.एफ.	
11	सड़क सतह सुधार कार्य स्टेट हाइवे-13 किमी 77/0 से 91/500	134.62
12	नवीनीकरण, सीमेन्ट सड़क निर्माण, नाली निर्माण एवं सीडी कार्य र्य स्टेट हाइवे-13 किमी. 91/ 500 से 110/0	56.11
	योग :-	**190.73**
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	
13	टीबा से किशनपुरा वाया इलाखर	82.39
14	ठाटवाडी से ढोसी	17.48
	योग :-	**99.87**

परिशिष्ट 'स'

वर्ष 2004-05 में पेच वर्क में स्वीकृत राशि व व्यय का विवरण

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि (लाखों में)**	**व्यय राशि (लाखों में)**
1	बड़ा गांव जसरापुर, खेतड़ी, निजामपुर रोड़ किमी. 34/0 पर मरम्मत कार्य	2.47	1.62
2	बड़ा गांव जसरापुर, खेतड़ी, निजामपुर रोड़ किमी. 42/0 पर मरम्मत कार्य	2.00	2.00
3	बड़ागांव-खेतड़ी-निजामपुर सड़क पर मरम्मत कार्य	3.20	3.20
4	राज्य राज्य पथ-13 पर पेच मरम्मत कार्य	5.11	5.11
5	उपखण्ड खेतड़ी में सेक्शन द्वितीय खेतड़ी के अधीन सड़कों पर मरम्मत कार्य	6.38	6.38

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
6	उपखण्ड खेतड़ी में सेक्शन प्रथम खेतड़ी के अधीन सड़कों पर मरम्मत कार्य	7.58	7.58
7	उपखण्ड खेतड़ी में सेक्शन सिंघाना के अधीन सड़कों पर मरम्मत कार्य	1.99	1.99
	योग :-	**28.73**	**27.88**

परिशिष्ट 'द'

वर्ष 2005-06 में पेच वर्क में स्वीकृत राशि व व्यय का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1	शाहापुरा-राजगढ़-खेतड़ी सड़क पर पेच मरम्मत का कार्य	7.23	7.23
2	खेतड़ी निजामपुर सड़क पर मरम्मत का कार्य	1.60	1.47
3	मेहाड़ा से शिमला सड़क पर मरम्मत कार्य	0.50	0.50
4	कोपर से शिमला सड़क पर मरम्मत कार्य	0.41	0.41
5	खेतड़ी से बीलला सड़क पर मरम्मत कार्य	0.24	0.24
6	पपूरना से डाबला सड़क पर मरम्मत कार्य	0.64	0.64
7	कालोटा से माधोगढ़ सड़क पर मरम्मत का कार्य	0.17	0.17
	योग :-	10.79	10.66

धून्धरी टांकावास (केकड़ी) सड़क का डामरीकरण

555. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में धून्धरी से टांकावास तक डामर सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में धून्धरी से टांकावास सड़क की कुल लम्बाई 2.15 किलोमीटर है, जिसमें 1.75 किलोमीटर डामर सड़क एवं 400 मीटर खारी नदी का कच्चा भाग है। डामर सड़क का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संपादित करवाया गया था। 400 मीटर खारी नदी के कच्चे भाग में पुलिया निर्माण का कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

करौली में मिसिंग लिंक सड़कें

556. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में गत तीन वर्षों में सड़क निर्माण के कितने कार्य स्वीकृत किए गए व कितने प्रस्तावित हैं तथा कितने अधूरे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नवीन मिसिंग लिंक सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में गत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं में 41 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 28 कार्य पूर्ण हो गये व 13 कार्य अधूरे हैं जो प्रगति पर हैं। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। विभिन्न योजनाओं में 31 कार्य प्रस्तावित है। जिनका विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) नवीन मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट ''अ''

करौली विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अधूरे/प्रगतिरत कार्यों की संख्या
	वर्ष 2003			
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	7	7	-
2	मिसिंग लिंक	2	2	-

1	2	3	4	5
3	सांसद निधि योजना	1	1	-
	वर्ष 2004			
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3	3	-
2	सी.आर.एफ.	2	2	-
3	आपदा प्रबन्धन	2	2	-
4	विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना	1	1	-
5	आर.एम.यू.पी. प्रथम	1	1	-
	वर्ष 2005			
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	9	3	6
2	आर.एम.यू.पी. द्वितीय	3	3	-
3	आपदा प्रबन्धन	1	-	1
4	एस.आर.एफ.	1	-	1
5	डब्ल्यू बी.एम. टू. बी.टी. द्वितीय चरण	8	3	5
	योग :-	**41**	**28**	**13**

परिशिष्ट ''ब''

करौली विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**प्रस्तावित कार्यों की संख्या**	**विशेष विवरण**
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	26	प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं स्वीकृति अपेक्षित है।
2	डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. तृतीय चरण	5	प्रस्ताव नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं स्वीकृति अपेक्षित है।
	योग :-	31	

चौमूं क्षेत्र में बाइपास हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

557. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चौमूं क्षेत्र के प्रस्तावित बाइपास की लम्बाई कितनी है व इस हेतु अवाप्त भूमि का किन-किन किसानों को मुआवजा दिया गया तथा किस-किस किसान का मुआवजा अभी बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रस्तावित बाइपास का निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) चौमूं क्षेत्र के प्रस्तावित बाइपास की लम्बाई 7.7 किलोमीटर (किमी. 262/700 से 270/400) है। अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा जिन भूमि हितधारियों को कर दिया गया एवं जिनका मुआवजा अभी बकाया है की सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा प्रस्तावित बाइपास का निर्माण पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लालसोट-खटवा (दौसा) सड़क की मरम्मत

558. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार दौसा जिले की लालसोट तहसील के लालसोट से खटवा सड़क जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। लालसोट से खटवा सड़क की कुल लम्बाई 9 कि.मी. है, जिसमें से नगरपालिका क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. लम्बाई में सड़क संतोषप्रद हालत में है। साधारण मरम्मत मद के अन्तर्गत पेच रिपेयर का काम करा दिया गया है। लालसोट नगरपालिका क्षेत्र में 1 कि.मी. लम्बाई में सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य नगरपालिका लालसोट द्वारा विधायक विकास निधि के तहत प्रगति पर है।

बारां-झालावाड़ मेगा हाइवे रोड का निर्माण

559. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां से झालावाड़ मेगा हाइवे रोड़ पर कितनी जगह बाइपास बनाये जाने प्रस्तावित है?

(2) हाइवे में कितनी चौड़ाई का रोड गांवों में निकलने वाली जगह पर बनाया जायेगा व बाइपास पर कितनी चौड़ाई होगी?

उत्तर

(1) बारां से झालावाड़ मेगा हाइवे रोड में कलमंडा, बामला, खानपुर, गोलाना, लडानिया, सुमर, बाघेर, बपावर कलां व मण्डावर (9 जगह) में बाईपास बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) हाइवे में गांवों व बाइपास पर 7 मीटर चौड़ाई का रोड़ एवं रोड़ के दोनों तरफ 1.75 मीटर का पेव्ड शोल्डर व 1.5 मीटर का हार्ड शोल्डर बनाया जायेगा।

बांसवाड़ा जिले के अविद्युतीकृत ग्राम

560. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बांसवाड़ा में गांवों की कुल संख्या कितनी है? क्या सरकार द्वारा उक्त सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया? यदि हां, तो इनमें कितने कृषि कनेक्शन हैं और कितने उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन दिये गये? कितने उपभोक्ताओं को अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बांसवाड़ा में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गांवों की कुल संख्या 1476 है इनमें से 1370 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था किन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की नई परिभाषा के अनुसार 967 गांव ही विद्युतीकृत हैं, 63 गांव राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा तथा शेष अविद्युतीकृत गांवों में से 418 गांव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत होने हैं, 28 गांव गैर आबाद हैं। मार्च 2005 तक जिला बांसवाड़ा में 4146 कृषि एवं 13710 कुटीर ज्योति सहित कुल 48691 घरेलू

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन दिये गये हैं। वर्तमान में घरेलू तथा कृषि कनेक्शन हेतु क्रमश: 813 एवं 800 प्रार्थना पत्र लम्बित हैं जिनका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फलासिया के विद्युतीकृत ग्राम

561. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाकर कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? ग्रामवार लाभान्वित परिवारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में 343 गांव विद्युतिकृत घोषित हैं। इनमें से 231 गांव पंचायत समिति झाडोल एवं 112 गांव कोटड़ा पंचायत समिति के हैं। इन गांवों के 6191 परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। गांववार, श्रेणीवार जारी किये गये कनेक्शनों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आहोर के लम्बित विद्युत कनेक्शन

562. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में वर्ष 2003 से 2006 तक कौन-कौनसी योजनाओं के तहत कितने घरेलू/वाणिज्यिक/औद्योगिक/कृषि कनेक्शनों के आवेदन प्राप्त हुए?

(2) क्या उक्त सभी आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं यदि नहीं, तो कौन-कौन से आवेदक कनेक्शन से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र आहोर के कितने लोगों को कृषि कनेक्शन दिये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला डूंगरपुर में विद्युत चोरी के कितने प्रकरण लम्बित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में माह जनवरी, 2003 से फरवरी, 2006 तक विभिन्न श्रेणियों के तहत घरेलू/वाणिज्यिक/औद्योगिक/कृषि कनेक्शनों हेतु प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्राप्त हुए आवेदनों में से जारी किये गये कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। कनेक्शनों से वंचित आवेदकों की संख्या एवं सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र आहोर में जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	जारी कृषि कनेक्शनों की संख्या
2003-04	14
2004-05	34
2005-06	65

(4) जिला डूंगरपुर में विद्युत चोरी के 352 प्रकरण लम्बित हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में पर्यटन विकास हेतु कार्य-योजना

563. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बीकानेर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है? यदि हां, तो सरकार बीकानेर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजनाएं बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बीकानेर जिला राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है। बीकानेर जिले में पर्यटन विकास हेतु निम्नलिखित योजना/कार्य प्रस्तावित/क्रियाशील है :-

1. बीकानेर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैरीटेज आन व्हील्स का संचालन किया जा रहा है।

2. जिले में पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

(पर्यटन मंत्री)

3. वर्तमान में रायल छतरियां, देवी कुण्ड सागर, बीकानेर के संरक्षण, मरम्मत एवं विकास के अतिरिक्त जिले के पर्यटक स्थलों पर साइनेज लगाने की योजना है तथा इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

पर्यटन पथ प्रदर्शकों हेतु निर्धारित गणवेश एवं नाम पट्टिका

564. श्री अमराराम (धोद) (धोद) **:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा परिचय पत्र धारक पथ प्रदर्शकों के गणवेश का रंग निर्धारित किया गया है, जिससे स्पष्ट पहचाना जा सके कि अमुक गणवेश धारक पथ प्रदर्शक हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पथ प्रदर्शकों द्वारा नाम पट्टिका नहीं लगाई जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इनके लिए नाम पट्टिका जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार गणवेश धारण नहीं करने वाले पथ प्रदर्शकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। पथ प्रदर्शकों द्वारा नाम पट्टिका लगाई जाती है।

(3) जी हां। नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र निरस्त करने का प्रावधान है।

अलवर जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आयोजित मेले

565. श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कौन-कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है?

(2) उक्त मेलों का आयोजन कहां-कहां होता है? क्या सरकार इन मेलों के प्रोत्साहन की कोई योजना रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में निम्नलिखित मेले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आयोजित किये जाते हैं :-

(पर्यटन मंत्री)

1. भृर्तहरि मेला
2. जगन्नाथजी
3. पाण्डुपोल हनुमानजी
4. मालाखेड़ा पशु मेला
5. मत्स्य उत्सव (अलवर)
6. धौलागढ़ उत्सव
7. बीरम की माता

(2) इन मेलों का आयोजन निम्न स्थानों पर होता है :-

1. भृर्तहरि मेला-भृर्तहरि (पंचायत समिति उमरैण)
2. जगन्नाथजी-रूपवास (पंचायत समिति उमरैण)
3. पाण्डुपोल हनुमानजी-पाण्डुपोल (पंचायत समिति उमरैण)
4. मालाखेड़ा पशु मेला-मालाखेड़ा (पंचायत समिति उमरैण)
5. मत्स्य उत्सव-अलवर शहर
6. धौलागढ़ उत्सव-बहतु कला (पंचायत समिति कठुमर)
7. बीरम की माता-बहड़ की कला (पंचायत समिति रैणी)

पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मत्स्य उत्सव का प्रतिवर्ष सरकार द्वारा वृहद आयोजन कर अलवर में अधिक से अधिक देशी/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बाली में आंगनबाड़ी केन्द्र

566. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के आंगनबाडी केन्द्रों में वर्ष 2003, 2004, 2005 व 2006 के दौरान नवीन नियुक्तियां की गई है? यदि हां, तो पदवार, केन्द्रवार, नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं तो अब कब तक किस आधार पर नियुक्तियां की जायेगी?

(2) क्या बाली क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभाव के चलते नवीन केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? इस बाबत क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा सरकार को कहां-कहां के लिए कब से प्रस्ताव प्राप्त हुए?

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(3) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाली के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष 2003 से 2006 के दौरान मानदेय के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनियों के कार्यों हेतु महिलाओं का चयन किया गया है। पदवार, केन्द्रवार व नामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। जिन नवीन स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों पर चयन नहीं हुए हैं, उन केन्द्रों हेतु आगामी ग्रामसभाओं के माध्यम से योग्य महिलाओं का चयन किया जायेगा।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में बाली क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में कम केन्द्र होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने वाले क्षेत्रों में 47 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। इस बाबत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नामर्स के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में नवीन केन्द्र खोलने की कार्यवाही की गई है।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने वाले क्षेत्रों मे केन्द्र स्वीकृत कर दिये गये हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कपासन के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

567. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्व में संचालित है एवं वर्तमान में कितने केन्द्र किस मानदण्डानुसार स्वीकृत किए गये?

(2) क्या सरकार राज्य में अब और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कपासन में कब तक किस प्रक्रिया व मानदण्ड के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोल दिए जावेंगे?

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं? सरकार उनके लिए भवन कब तक बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में पूर्व के कुल 137 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रों की स्वीकृति उपरान्त इस क्षेत्र में 40 आंगनबाड़ी केन्द्र और स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार क्षेत्र में 177 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2005-06 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त राज्य में 11,041 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र नवम्बर, 2005 में खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कपासन विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार 40 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में 105 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन रहित है। बजट भाषण वर्ष 2006-07 में 3000 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण करवाये जाने का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा किया गया है। तदनुसार किराये के भवनों में चल रहे सुविधा रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवनों के निर्माण करवाये जायेंगे। कपासन विधान सभा क्षेत्र में सभी भवनरहित 105 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्माण कार्य सम्पन्न करवाये जाने की समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। यह वित्तीय संसाधनों की आगामी वर्षों में उपलब्धता पर निर्भर करता है।

खैरवाड़ा के विद्युतीकृत ग्राम

568. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में 234 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस क्षेत्र के 16600 विद्युत कनेक्शन देकर परिवारों को लाभान्वित किया गया।

लाभान्वित परिवारों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के 234 गांवों के विद्युतीकरण से लाभान्वित परिवारों को ब्यौरा

क्रम संख्या	दिये गये कनेक्शन ब्यौरा	लाभान्वित परिवार
1	घरेलू विद्युत कनेक्शन	15586
2	कृषि विद्युत कनेक्शन	1014
	योग	**16600**

पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भर्ती

569. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में राज्य में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये एवं उनमें से कितने औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 में 30 नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले गये हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है। इनमें से 10 आयुर्वेद औषधालयों में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त हैं।

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों के 109 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर नियुक्तियां दी जा सकेगी।

परिशिष्ट-क

वर्ष 2005-06 में खोले गये नवीन आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र.सं.	स्थान	जिला
1.	भगवन्तपुरा (भिनाय)	अजमेर
2.	अजमेरजिलामुख्यालय(एकहीछतकेनीचे)	अजमेर
3.	भदीन	अलवर
4.	खेडली	अलवर
5.	लोडदा	बांसवाड़ा
6.	केलवाड़ा	बारां
7.	सहजनपुर	बारां

क्र.सं.	स्थान	जिला
8.	शिव	बाड़मेर
9.	धोलानाडा, पं.स, सिणधारी	बाड़मेर
10.	गुनसारा	भरतपुर
11.	आजऊ	भरतपुर
12.	जिला मुख्यालय (एक छत के नीचे)	भीलवाड़ा
13.	सरदार शहर	चूरू
14.	आसलखेड़ी	चूरू
15.	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर
16.	4 बी 39 जवाहरनगर	श्रीगंगानगर
17.	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बनीपार्क	जयपुर (अ)
18.	एस.एम.एस अस्पताल जयपुर (एक ही छत के नीचे)	जयपुर (ब)
19.	दौसरा तह. फागी	जयपुर (ब)
20.	लुहारकी (तह. पोकरण)	जैसलमेर
21.	खानपुर	झालावाड़
22.	अकलेरा	झालावाड़
23.	भूढाणा (भोपालगढ़)	जोधपुर
24.	घटोली	कोटा
25.	निम्बाज	पाली
26.	गोठड़ा भुकरान	सीकर
27.	साखू	सीकर
28.	गोमावाली	सीकर
29.	बिच्छीदोना	स. माधोपुर
30.	झूडंवा	टोंक

राज्य बीमा ऋण पर ब्याज की अदायगी

570. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या राज्य बीमा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कर्मचारियों को राज्य बीमा पालिसी पर ऋण स्वीकृत करने के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त ऋण गणना करने की क्या प्रक्रिया है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की वर्तमान दर क्या है? एवं वर्ष 2000 के बाद से उक्त ब्याज दर में कब-कब व क्या-क्या परिवर्तन किया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ऋण की अदायगी 36 समान किस्तों में एवं तत्पश्चात उस पर देय ब्याज की अदायगी 10 समान किस्तों में किया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो भूलवश यदि किसी विभाग द्वारा कर्मचारी के वेतन से उक्त ऋण पर देय ब्याज की कटौती मूलधन की पूरी कटौती होने के पश्चात नहीं की जाती तो क्या ब्याज की राशि आगामी ऋण लेने पर ऋण स्वीकृति में से काट कर दी जाती है एवं उक्त देय ब्याज पर आगामी ऋण लेने की अवधि तक का ब्याज भी वसूला जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त ऋण की कटौती वेतन से कर्मचारी स्वेच्छा से असमान राशि की किस्तों में या एकमुश्त भी करवा सकता है एवं क्या कटौती हेतु असमान किस्त की राशि की सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रथम किस्त कटौती शुरू होने से पूर्व ही दिया जाना नियमानुसार अनिवार्य है या कटौती शुरू होने के पश्चात आगामी किसी भी माह में किस्त की राशि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कर्मचारियों को राज्य बीमा पालिसी पर ऋण स्वीकृत करने के नियम बने हुए हैं। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 44 में ऋण मंजूर करने के प्रावधान परिशिष्ट-1 एवं विभागीय कार्य विधि पुस्तिका में वर्णित ऋण गणना की प्रक्रिया की प्रति परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(2) उक्त ऋण पर वर्तमान में ब्याज दर 8.5 प्रतिशत है। वर्ष 2000 के बाद उक्त ऋण ब्याज दर में निम्नानुसार परिवर्तन किया है :-

(राज्य बीमा मंत्री)

वर्ष	ब्याज दर
31.3.2002 तक के ऋणों पर	12.0 प्रतिशत
01.04.2002 से 9.5.04 तक के ऋणों पर	9.5 प्रतिशत
10.05.04 से वर्तमान तक	8.5 प्रतिशत

(3) उक्त ऋण की अदायगी राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 44(2) के अनुसार 36 समान किस्तों में एवं तत्पश्चात् उस पर देय ब्याज की अदायगी नियम 44(3) के अनुसार 10 समान किस्तों में किया जाना अनिवार्य है। यदि भूलवश किसी विभाग द्वारा कर्मचारी के वेतन से उक्त ऋण पर देय ब्याज की कटौती मूलधन की पूरी कटौती होने के पश्चात् नहीं की जाती है तो उस पर बकाया ब्याज की राशि आगामी ऋण स्वीकृति में से काट ली जाती है एवं ब्याज की राशि 10 किस्तों में नहीं काटे जाने पर देय ब्याज पर ब्याज लिये जाने का नियम 44(3) के अन्तर्गत प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(4) कर्मचारी स्वेच्छा से नियम 44(2) के अनुसार कभी भी ऋण कटौती निर्धारित अवधि से कम अवधि में करवा सकता है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न संख्या-35

(दिनांक 2 मार्च, 2006)

विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारियों/परिजनों को राज्य से बाहर चिकित्सा परिचर्या हेतु पुनर्भरण

35. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2004 से अब तक किन-किन विधायकों, पूर्व विधायकों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों तथा उनके परिजनों को राजस्थान से बाहर जाकर इलाज करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों में राज्य से बाहर इलाज कराने हेतु रेफर करते

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

समय कितनी राशि स्वीकृत की गई व उनको कितनी राशि का पुनर्भरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों के रैफर करते समय स्वीकृत राशि से अधिक राशि का भुगतान नियमों में शिथिलता देते हुए किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों में किस आधार पर शिथिलता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त में से किन-किन को किस-किस आधार पर शिथिलता प्रदान करते हुए कितनी राशि का अधिक भुगतान किया गया?

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से अब तक जिन विधायकों, पूर्व विधायकों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं उनके परिजनों को राजस्थान से बाहर जाकर इलाज करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई उनकी सूची परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है। भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी तथा उनके परिजनों के लिए स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। चिकित्सा बोर्ड द्वारा श्री अनिल वेश्य, आई.ए.एस. को सी.ए.डी., एक्यूटइनफिरीयर मायो-कार्डियल इंफ्रांक्शन गंभीर बीमारी से पीड़ित घोषित करने के आधार पर राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियमों के विद्यमान प्रावधानों में शिथिलता प्रदान की गई।

(4) श्री अनिल वेश्य, आई.ए.एस. को चिकित्सा बोर्ड द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित घोषित करने के आधार पर रुपये 3,35,369.79 का अधिक भुगतान किया गया।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-260 की सूची)

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2004-05 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-
1	टोडाभीम बालघाट सड़क से त्रिशूल
2	सम्पर्क सड़क खेडी कि.मी 0/400 से मिर्जापुर
3	सम्पर्क सड़क सलावदा से लोधा
	केन्द्रीय सड़क निधि-
1	नादौती श्री महावीरजी खेडा सड़क एम.डी.आर. 28 कि.मी. 0/0 से 18/0
	आर.एम.यू.पी. फेज ।
1	शहर से बागौर कि.मी. 0/0 से 8/0
2	मूंडिया धावन धौलेटा कि.मी. 18/0 से 23/500
	डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज ।
1	सम्पर्क सड़क जीतकीपुर कि.मी. 0/0 से 2/0 एवं 5/0 से 5/500
2	सम्पर्क सड़क रायसाना से गढ़खेड़ा किमी. 22/100 से 23/600
3	सम्पर्क सड़क रलावता किमी. 0/0 से 3/500
4	सम्पर्क सड़क राजपुर किमी. 0/0 से 2/500
	आपदा प्रबंधन योजना अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें -
1	टोडाभीम बालाजी सड़क में कस्बा टोडाभीम में हायर सैकेण्डरी स्कूल से बस स्टेण्ड एवं पालड़ा रोड़ पर कस्बा टोडाभीम व बालाजी के स्थान में सीमेन्ट कंकरीट सड़क निर्माण कार्य
2	करीरी से मोहनपुरा में ग्राम करीरी व गाजीपुर में सी.सी. निर्माण कार्य एवं डामर सड़क की मरम्मत का कार्य कि.मी. 1 व 2 में नाली निर्माण कार्य
3	गुढाचन्द्रजी टोडाभीम सड़क का मरम्मत कार्य
4	नाहर खोर्रा गाजीपुर टोडाभीम किमी 65,69,71 एवं 72 तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य कस्बा टोडाभीम एवं डामर सड़क का मरम्मत कार्य
5	टोडाभीम गाजीपुर सड़क से कृषि उपज मंडी तक डामरीकरण एवं पटरियों का कार्य

क्र.सं.	सड़क का नाम
6	पाटोली बझेड़ा पाडला टोडाभीम सड़क के ग्राम बझेड़ा, पाडला, टोडाभीम में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य
7	पहुंच सड़क खोर्रा सादपुरा के ग्रामीण खण्ड खोर्रा में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य कि.मी. 2
8	टोडाभीम गाजीपुर सड़क से करीरी पहुंच मार्ग किमी 3 ग्रामीण खण्ड मंडेरू में सी.सी. निर्माण कार्य
9	पहुंच सड़क शहराकर किमी 2 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य
10	करीरी से खेड़ी वाया मेरारा किमी 3 ग्रामीण खण्ड मेरारा में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य एवं श्री रूग्गीपटेल का पुरा तक डामरीकरण कार्य
11	शहर से बागोर सड़क में शहर से खुडा चैनपुरा तक डामरीकरण कार्य 2 किमी.
12	नादौती गढमोरा भाडारेज सड़क पर किमी. 20 में बैन्टेड रपट निर्माण कार्य 6 रो सहित एवं किमी. 19 ग्रामीण खण्ड गढ़मोरा में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य वाया पीर बाबा का स्थान गढ़खेड़ा में हरकेश के मकान तक सड़क निर्माण कार्य
13	मूडिया धावन धोलेटा तिमावा रोड़ किमी. 19 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य
14	सड़क मरम्मत कार्य तिमावा मोड से तिमावा गुफा
	जिला कलक्टर करौली से आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य
15	टोडाभीम बालाजी सड़क किमी 4/400 से 5/0 पर मरम्मत कार्य

परिशिष्ट ''ब''

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में प्रस्तावित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -
1.	मातासुला से पाडली
2.	मोहनपुर से गांवडी
3.	उरदेन से लोहारखेड़ा
4.	महावीरजी लपावली सड़क कि.मी 7/600 से सहजनपुर
5.	रानोली महसवा सड़क किमी. 3/200 से कालवारी

क्र.सं.	सड़क का नाम
6.	आगरा बीकानेर सड़क एन.एस.-11 से करनपुर
7.	सम्पर्क सड़क राजोर किमी. 4/0 से भण्डारी अन्दरूनी
8.	महावीरजी लपावली सड़क किमी. 3/700 से आरेज
9.	राजपुर से गढ़ी
10.	चेनपुरा मीनापट्‌टी सड़क किमी. 2/0 से रामपुरा
11.	लोधा से हरलौदा
12.	बाड़कैमरी से इब्राहिमपुर
13.	मैढ़े का पुरा से महते का पुरा
आर.आई.डी.एफ-XI (अ) डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. (चरण-द्वितीय)	
1.	सम्पर्क सड़क होदा हेली किमी. 0/0 से 1/800
2.	सम्पर्क सड़क जीतकीपुर से लोधा किमी. 0/0 से 2/300
3.	सम्पर्क सड़क गढखेड़ा से बागौर कि.मी. 0/0 से 6/0
	(ब) नई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क योजना द्वितीय चरण (धार्मिक व पर्यटक स्थल)
1.	मिसिंग लिंक धोलाकुआ डोरावली सड़क से कदम कुण्डी

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-261 की सूची)

परिशिष्ट ''अ''

परिसीमन के बाद जिला जैसलमेर में घोषित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	मूल गांव का नाम	प्रस्तावित नये गांव का नाम		राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक
1	2	3	4		5
1.	जैसलमेर	1. धोबा	1.	नीम्ब की ढाणी	23.2.06
			2.	रातडीया की ढाणी	
		2. खाभा	3.	खाभिया	
		3. फलेडी	4.	परताणियों की बस्ती	
2.	पोकरण	4. छायण	5.	गोविन्द सिंह पुरा	
		5. राठौड़ा	6.	नयामलका	
		6. खेलाणा	7.	मालकोट	
			8.	हस्तिनापुर	
3.	फतेहगढ़	7. रासला	9.	नयारासला	
		8. पाबनासर	10.	नागाणां	
4.	जैसलमेर	1. पाखेर	11.	लीला पाखेर	24.2.06
		2. हांसुवा	12.	हसण का गांव	
		3. हडढा	13.	दानपुरा	
		4. तत्ता	14.	विजयनगर	
		5. कुछडी	15.	दिलावर का गांव	
2.	पोकरण	6. नानाणयाई	16.	किशनपुरा	
		7. लूणाकलां	17.	नया लूणाकलां	
		8. बलाड	18.	मुक्नसर	
		9. सांकड़ा	19.	फतेहनगर	
		10. सबलपुरा	20.	गोविन्दगढ़	

1	2	3	4	5
3.	उपनिवेशन तहसील			
	जैसलमेर	11. म्याजलार	21. केसरसिंह का तला	
4.	फतेहगढ़	12. भभारा	22. सुकबा कोट	
			23. चानणगढ़	
		13. डांगरी	24. समेलनगर	
1.	जैसलमेर	1. खुईयाला	25. रतनड़ा गांव	2.3.06
		2. म्याजलार	26. वीरसिंह की ढ़ाणी	
2.	रामगढ़	3. रामगढ़	27. नवलसिंह का गांव	
3.	पोकरण	4. अचलपुरा	28. हीरगढ़	
1.	उपनिवेशन तहसील			
	नाचना-2	1. नाचना	29. रामपुरा	2.3.06
			30. सिंहपुजराजपुरा	
		2. सत्याया	31. श्री भंवरनगर	
			32. अभयनगर	
		3. दादूडेबाला	33. सुल्तानपुर	2.3.06
			34. भावलनगर	
			35. रहीमपुरा	
			36. कलरों की ढ़ाणी	
		4. खारीया	37. टावरीनगर	
		5. शेखोंका तला	38. गोसरसूलनगर	
			39. आमदफजल नगर	
			40. सोनिया नगर	
			41. बरसलनगर	
		6. हरियार	42. करतार नगर	
		7. पावे का तला	43. लालेखां की ढ़ाणी	
			44. हाजी रहीमपुर	

1	2	3	4	5
1.	उपनिवेशन तहसील			
	मोहनगढ़-2	1. अर्जना	45. प्रतापपुर	2.3.06
			46. अर्जनसर	
			47. सैनिक नगर	
		2. सांखला	48. मनुजनगर	
			49. सुखनगर	
			50. अम्बनगर	
			51. करणीनगर	
			52. सम्पतनगर	
		3. मण्डाऊ	53. जोरावरसिंहपुरा	
			54. केसरीसिंह नगर	
			55. भगतसिंह नगर	
			56. गोडेरासर	
			57. कृष्णनगर	
			58. गायत्री नगर	
			59. बाकलसर	
			60. नरेन्द्र नगर	
		4. नेहडाई	61. कल्याणपुरा	
		5. डिग्गा	62. पूर्णनगर	
			63. क्यामनगर	
			64. तिलकनगर	
			65. जवाहरनगर	
			66. रामसिंहपुरा	
			67. ब्रह्मनगर	
		6. सरदाउ	68. जगदीशपुरा	
			69.. समतानगर	

परिशिष्ट ''ब''

जिला जैसलमेर के विभिन्न स्तर पर परीक्षणाधीन 10 राजस्व ग्रामों की सूचना

राजस्व मण्डल अजमेर स्तर पर	संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर स्तर पर	जिला कलक्टर कार्यालय जैसलमेर स्तर पर
1. प्रेमासर	1. केहर फकीर की ढ़ाणी	1. खूमसिंह नगर
2. झूबरखां	2. लखाराम का गांव	
3. दीनासर		
4. धर्मासर		
5. भूरपुरा		
6. सोढासर		
7. पनुवानाड़ा		

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) :

1. विभाग द्वारा पुलिस कार्यवाही में सुधारों पर किये गये प्रयासों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

2. विभाग द्वारा एफ.आई.आर. नं. 615/05 में दर्ज चौमूं थाना जिला जयपुर में मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

3. विभाग द्वारा राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।
4. करौली से सरमथुरा को जाने वाली सड़क पर डाकुओं द्वारा ट्रकों को रोक कर लूटने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. करौली जिले में खानों के क्षेत्र में डाकुओं के आतंक व पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

6. पुलिस प्रशासन के बेड़े में पुलिस कांस्टेबल व अधिकारियों की नई भर्ती करवाकर कानून व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

7. कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. कस्बा कोटपूतली जिला जयपुर में आबादी के बढ़ते दबाव व अपराध एवं राष्ट्रीय राजमार्ग नं.–8 पर होने के कारण एक पुलिस थाना और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

9. सिकन्दरा में थाना खोले जाने की आवश्यकता तथा क्षेत्रों का पुन:निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकिशोर मीणा)

10. विभाग में भारी संख्या में कांस्टेबलों की कमी को देखते हुए नई भर्ती प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

11. राजस्थान की पुलिस व्यवस्था एवं जन धारणा पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

12. तहसील पीलीबंगा के हैड क्वार्टर पर उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) :

13. पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं व्यवहार के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

14. पुष्कर थाने को क्रमोन्नत करने, थाना क्रिश्चनगंज एवं गंज थाना क्षेत्र को व्यवस्थित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित (मकराना) :

15. विधान सभा क्षेत्र मकराना में नया थाना बोरावड़ खोलने, एवं ट्रैफिक सिपाही बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) :

16. राज्य में पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

18. निम्बाहेड़ा में ग्रामीण पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में जलोदा जागीर, बिनोता, ढोरिया, मांगरोल, आदर्श कालोनी निम्बाहेड़ा आदि में नई पुलिस चोकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

20. विधान सभा क्षेत्र निवाई में राहोली, जामड़ोली में नये पुलिस थाने व झिलाय एवं मुन्सी में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र निवाई में रिक्त पदों को भरने व नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

22. बाड़मेर जिले के प्रत्येक थाने में सिपाहियों के लिए सरकारी आवास का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. बाड़मेर जिले के प्रत्येक पुलिस थाने और चोकियों में टेलीफोन की व्यवस्था करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

24. विभाग द्वारा फर्जी दस्तावेजों से जमानत पाकर खुंखार अपराधियों के भागने के गोरखधंधों पर सख्त कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विभाग द्वारा मादक पदार्थों के बढ़ते अपराध तथा युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने हेतु अफीम की खेती को प्रदेश में पूर्ण रूप से बन्द कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. लाईसेंसधारी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिश को पात्र होने पर भी नवीन आर्मस लाईसेंस प्रदान नहीं होने के समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

27. पुलिस थाना, कनेरा के नवीन भवन की बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

28. कृषि उपज मण्डी प्रांगण, निम्बाहेड़ा से एक व्यापारी द्वारा प्रदान की गई सरसों की 225 बोरी की भरी हुई ट्रक के दिनांक 22.2.2005 को चोरी चले जाने पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) :

29. पुलिस थाना राशमी व गंगरार में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी के आवास निर्माण की धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में चोरी, लूटपाट व हत्या की वारदातों का खुलासा कर मुलजिमानों को सजा दिलाने पर चर्चा के लिये।

31. चौकी बस्सी (चित्तौड़गड़) को क्रमोन्नत कर थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में बोरदा, मागी कुण्डिया में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

33. कोटा संभाग में बढ़ते हुए अपराधों के संबंध में चर्चा के लिये।
34. राज्य में बढ़ते हुए सट्टे, नारकोटिक्स, स्मेक आदि से उत्पन्न अपराधों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

35. विभाग द्वारा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

36. हथियारों के लाईसेंस प्राप्त करने में गलत पते देकर लाईसेंस प्राप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

37. थाना खेड़ली (अलवर) में निरीक्षक पद स्वीकृत करने व नफरी की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

38. विभाग द्वारा अपराधों में कमी लाने के लिए जन जागरण चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

39. ट्रेफिक पुलिस जयपुर द्वारा शहर में ट्रेफिक के नाम से हैलमेंट तथा बेल्ट लगाने के मामले में अनावश्यक जनता को परेशान करने के संबंध में चर्चा के लिये।
40. राजस्थान पुलिस में हो रही भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।
41. राज्य के पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।
42. जयुपर शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।
43. पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में निष्क्रिय रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

44. तहसील मुण्डावर के पुलिस थाना खेरथल के गांवों में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको मुण्डावर मुन्सिफ कोर्ट में पेश करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

45. मुण्डावर में अजरका पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

46. पुलिस में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शांति लाल चपलोत (मावली) :

47. पुलिस थानों को अत्याधुनिक हथियार, जीप व अन्य वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

48. पुलिस विभाग द्वारा पीड़ितों को गुमराह कर केस दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

49. जावदा (बेगूं) में पुलिस थाना कायम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

50. चान्दगोठी ग्राम में किसानों द्वारा 6 घंटे बिजली देने हेतु पावर हाऊस के सामने धरना देने पर थाना पुलिस हमीरवास में मुकदमा दर्ज कर चालान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. सीमावर्ती क्षेत्र के थानों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

52. मानवाधिकार आयोग की आड़ में पुलिस को पंगु बनाने से सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. सभी पुलिस थानों को कम्प्युटरीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस प्रशासन देने के लिए उपायों पर कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. आधुनिक साधनों से युक्त अपराधियों पर अंकुश रखने के लिये पुलिस को भी अत्याधुनिक साधन उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

56. विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों के आवास, वेतन व उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में पहल करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

57. सीकर शहर में महिला पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) :

58. जिला मुख्यालय पर नेशनल नं. 8 पर गश्त के लिए हाक वाहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पुलिस थानों हेतु भवन तैयार होने के बाद भी केलवा व कांकरोली में पुलिस थानों की स्वीकृति नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

60. पुलिस द्वारा सट्टा पर्ची रोकने व उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय कस्बा रावतसर में खोलने एवं पुलिस सर्किल सी.आई. कार्यालय कस्बा रावतसर एवं कस्बा टिबी में सी.आई. टेंक सर्किल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

61. राज्य में राजस्थान से खाड़ी देशों में भेजने के नाम पर धोखाधड़ी से राशि लेकर व मौत के घाट उतार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. मुकदमा नं. 412/2005 थाना कानोता व अन्य अधिकारियों की अनदेखी के कारण प्रभु मीणा जेल में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. पुलिस द्वारा मु. नं. 76/2005 थाना फागी जयपुर में भैरू मीणा के हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. निलम्बित डी.आई.जी. मधुकर टंडन 376 के केस में अब तक गिरफ्तार नहीं होने पर भी उसकी सम्पत्ति कुर्क नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. थाना बस्सी से पिछले पांच वर्ष से महिलाऐं, छात्राओं, पुरुषों का अपहरण हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आज तक पता नहीं लगाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

66. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव जगपुरा चौकी में पुलिस की गार्ड बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री नवीनत नीनामा)

67. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव मोरड़ी नीचली में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पीपलखूंट क्षेत्रीय गांव केसरपुरा में पुलिस चौकी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

69. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के उप खण्ड मुख्यालय पिड़ावा में उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के थाना सुनेल में पुरानी जीप को खारिज कर नई जीप आबंटित करने पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के थाना सुनेल में पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

72. राज्य में पुलिस फोर्स को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. जिला अलवर में थानों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

74. प्रदेश में पुलिस के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच में दोषी पाए जाने पर तुरन्त बर्खास्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

75. झुंझुनूं जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों, सट्टा, कालाबाजारी को सह देने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

78. पुलिस सर्किल सी.आई. कार्यालय रावतसर एवं टिबी में सी.आई. सर्किल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. रावतसर में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

80. झुंझुनूं जिले में थानों की संख्या बढ़ाने एवं महिला थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :

81. हनुमानगढ़ में पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

82. विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी थानों में नवीन वाहन (जीप) उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

84. पुलिस थानों में नई गाड़ियां उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

85. पुलिस में आधुनिकरण करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

86. विधान सभा क्षेत्र कपासन के पुलिस थानों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विशेष बजट आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

87. होमगार्ड की महिलाओं को नियमित ड्यूटी नहीं दिये जाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

88. एक पुलिस अधिकारी (सब-इन्सपेक्टर) से ऊपर वाले को एक ही स्थान पर दो वर्ष से अधिक नहीं रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विभाग द्वारा गवाहों के बयानों को पंजीबद्ध कर प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

91. पुलिस कर्मियों की आवश्यकतानुसार भर्ती कर पुलिस को आधुनिक हथियार व अच्छे वाहन उपलब्ध कराकर अपराधों की रोकथाम व अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों का मुकाबला करने योग्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

92. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत पुलिस चौकी चित्रावास नाल, सुरजगढ़ स्वीकृत करने एवं पुलिस थाना सायरा का एरिया ढूढी, करदा, गुन्दाली तिरोल को गोगुन्दा थाना क्षेत्र में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में राजस्व गांव बरवाड़ा (ढूण्ढी) को राजसमंद पुलिस एरिये से हटाकर गोगुन्दा थाने में जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

94. धौलपुर जिले में दस्यु प्रभावित क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा चौकियां पुलिस गार्ड की स्थापित करना तथा मुखवर तन्त्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. धौलपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती चौरियों, लूटपाट की घटनाएं व साईकिल चौरी, मोटर साईकिल चौरी व अन्य वाहनों की चौरियों से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

96. धौलपुर जिले में डकैतों से आतंकित खनिज ठेकेदार पेट्रोल पम्प व्यवसायी व कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शस्त्र लाईसेंस उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. धौलपुर जिले में आसानी से प्रकरणों का दर्ज नहीं होना, इस्तगासों का सहारा लेकर ही प्रकरण दर्ज होना, धौलपुर पुलिस की इस प्रकार की प्रवृत्ति से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

98. धौलपुर नगर पालिका क्षेत्र में विकसित नई कालोनियों में सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस गस्त की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजौरिया (फुलेरा) :

99. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति, थानों के आधुनिकीकरण व उनमें सुविधाएं बढ़ाने तथा पुलिस की नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के जोबनेर पुलिस थानाधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने व उनमें कमी लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

102. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित पुलिस चौकी बसवा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम बैजूपाड़ा या लोटवाड़ा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

104. राजस्थान में गिरती कानून व्यवस्था एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

105. विभाग द्वारा राज्य में गैर कानूनी अफीम, चरस, स्मेक व ड्रग्स की बिक्री नहीं रोकने से युवा पीढ़ी पर पड़ रहे विपरीत असर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. राजस्थान में बढ़ते अपराध एवं महिला अत्याचार पर चर्चा के लिये।

107. राज्य में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं थानों की सीमाएं अव्यवहारिक होने पर चर्चा के लिये।

108. विभाग द्वारा अजमेर शहर में ट्रेफिक व्यवस्था की स्थिति ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

109. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझनूं) में पुलिस विभाग के सभी संवर्गों में कर्मचारियों की कमी पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सभी पुलिस थानों के खराब वाहनों को ठीक कराने एवं नये वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणों के चालान के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के शहर के मध्य में स्थित सिंघाना थाना को बाहर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ तहसील बुहाना के ग्राम भालोठ में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

114. पाली जिले में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

115. नदबई थाने का निर्माण एवं कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र नदबई के ढहरा मोड़ पर पुलिस चौकी का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. गांव अखैगढ़ तहसील नदबई में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

118. जालोर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

119. जालोर जिले के जसवन्तपुरा थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

120. जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. राज्य में जाली नोटों का अवैध कारोबार के संबंध में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. राज्य में गौवंश तस्करी की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

123. राज्य के सीमावृत्ति क्षेत्र से नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में चर्चा के लिये।

124. पुलिस विभाग में भ्रष्ट एवं जांच के दायरे में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

125. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम महला में नेशनल हाईवे पर नया पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

126. अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों को फिल्ड पोस्टिंग नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

127. राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

128. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के पुलिस थानों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

129. पाली जिले में कानून व्यवस्था एवं अपराधों में हो रही बढ़ोत्तरी के संबंध में चर्चा के लिये।
130. पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव कानूजा व कालब कला में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
131. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील के इन्दोकिया ग्राम के श्योजीराम गुर्जर के द्वारा फलासिया के सरपंच को रिश्वत देने के प्रकरण पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

132. थानों को इन्टरनेट सुविधाओं से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।
133. अनुसंधान एवं कानून व्यवस्था के लिए अलग-अलग दल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
134. राज्य के थानों में नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

135. राज्य में पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार रोकने एवं पुलिस कर्मियों को व्यवहार कुशल बनाने के प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
136. विधान सभा क्षेत्र परबतसर मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
137. ग्राम पंचायत मुख्यालय मंगलाना तहसील परबतसर (नागौर) में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

138. पुलिस आन्दोलन 1979 के दौरान जिला पाली व जिला भीलवाड़ा के बर्खास्त पुलिस कर्मियों की दयनीय आर्थिक सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार में विचाराधीन प्रकरणों में पुन: बहाली के आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

139. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की हरसोरा पुलिस चौकी को थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम चतरपुरा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बहरोड़ थाने में पुलिस स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. पुलिस विभाग में अन्य विभागों की तरह ही भर्ती नहीं करने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. पुलिस विभाग में कार्यरत सिपाहियों की सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

144. देसूरी उपखण्ड स्तर पर उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

145. उदयपुर जोन में बीट प्रणाली को समाप्त कर चौकियां व थाना के पूर्ववृत कर्मी को यथावत नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के तहसील मुख्यालय पर स्थायी चौकी कायम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के सीमावृति फलवा में स्थायी चौकी कायम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खेरवाड़ा) :

148. वर्ष 2005 में विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के ग्राम पंचायत पहाड़ा के निर्दोष आम नागरिक बंधुओं के घरों में घुसकर पुलिस उप अधीक्षक एवं संबंधित सम्पूर्ण पुलिस थाने के नेतृत्व में की गई तोड़फोड़, जेवरात चोरी कर जानलेवा हमले के दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा निर्दोष नागरिक के विरुद्ध पुलिस द्वारा द्वेषता से दर्ज पुलिस केसों को वापस लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा की ग्राम पंचायत पाटिया में पड़ने वाले गुजरात बोर्डर पर पूर्व की भांति पुलिस कैम्प या चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

150. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उपखण्ड सीमलवाड़ा एवं बिछिवाड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राम सागड़ा तथा कुआं में नया थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. पुलिस विभाग में कार्यरत राज्य के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के अनुरूप वेतन श्रृंखला बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में थाना धम्बोला में दर्ज मुकदमा नं. 48/02 को वापस लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

154. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के जूड़ा खापा में पुलिस चौकी स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के ग्राम पंचायत महाद को कोटड़ा थाना क्षेत्र में सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के अतिसंवेदशनशील क्षेत्र कोटड़ा में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता स्थायी रूप से लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

157. राज्य में पुलिस बल में आत्महत्या की बढ़ती संख्या पर विश्लेषण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. उच्च योग्यता होते हुए भी वायरलैस आपरेटर के वेतनमान कम होने व ट्रेन्ड सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त वायरलैस आपरेटरों को राजस्थान पुलिस में स्थानान्तरण का प्रावधान किये जाने पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

159. राज्य में पुलिस समाज बलों के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा के लिये।

160. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिये नये थाने व चौकियां नहीं खोलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. तहसील मुख्यालय भादरा में अलग से नया उपअधीक्षक मुख्यालय स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

162. विभाग द्वारा सिरोही जिले में क्रेन व एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. सिरोही जिले के सिलदर में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

164. जालौर जिले में मादक पदार्थों के झूठे मुकदमे बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

165. सिरोही जिले में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

166. सिरोही जिले में पुलिस द्वारा मादक द्रव्य के झूंठे मुकदमे बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

167. ग्राम रियाबड़ी तहसील मेड़ता में थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. मेड़ता (नागौर) में होमगार्ड की गश्त व पुलिस गश्त रात्रि को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

170. पुलिस विभाग कर्मचारियों की भोजन व्यवस्था, छूट्टियों एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. पुलिस विभाग में अन्य विभागों की तरह भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम साजू में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम बुटाटी में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा खण्डार (खण्डार) :

174. जिला सवाई माधोपुर में राजनैतिक संरक्षण में बढ़ रहे अपराध माफिया गिरोह एवं फिरोती, लूटपाट से भ्रष्टाचार से भयभीत जनता को राहत देने एवं बढ़ रहे अपराधों में प्रभावी रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

175. प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ते अपराधों की संख्या के अनुसार पुलिस कर्मियों की भर्ती वं पदोन्नति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. प्रदेश के सभी प्रकार के अपराधों के अनुसंधान के प्रकरण के निर्णय के प्रति संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. प्रदेश के पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति बनाने व लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. वर्तमान के आधुनिकरण के युग में पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार सूचना के यंत्र व वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

179. राज्य में पुलिस थानों में वजह सबूत रखने हेतु पृथक से मालखानों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. एम.वी. एक्ट में जुर्माना कम्पाउड करने के अधिकार के संबंध में चर्चा के लिये।

181. पुलिस थानों के कम्प्यूटरीकरण करने के बाद पृथक रूप से कम्प्यूटर कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के दौरान उन पर दर्ज मुकदमों की पेशी भुगताने जाने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

183. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हत्या, चोरी, नकबजनी, मारपीट के लम्बित मुकदमों तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. जिला बीकानेर के विभिन्न पुलिस थानों में पदों में बढ़ोत्तरी करने नये वाहन आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के पुलिस थाना महाजन लूणकरणसर एवं जामसर में इन्सपेक्टर स्तर के अधिकारी थाना इंजार्च लगाये जाने तथा बीकानेर ग्रामीण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

186. जिला बीकानेर के विभिन्न पुलिस थानों के पुर्नसीमांकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

187. पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात व्यवस्था में कोताही के संबंध में चर्चा के लिये।

188. राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची के संबंध में चर्चा के लिये।

189. पुलिस कर्मियों की शारीरिक दक्षता के पुर्नमूल्यांकन के संबंध में चर्चा के लिये।

190. पुलिस कर्मियों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे सशस्त्र एवं अन्य उपकरण तथा पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

191. जयपुर में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

192. राज्य सरकार जनता की सुरक्षा करने व जनता में विश्वास पैदा करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

193. राज्य सरकार द्वारा सज्जनगढ़ व डूंगरा छोटा में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती इलाका मध्य प्रदेश व गुजरात से सटे इलाके में अस्थायी चौकियां व गश्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

195. राज्य सरकार सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकियों में वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में की गई चोरी में मुलजीमों को पकड़ने व रीकवरी करने में व महिला की सुरक्षा करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

197. थार एक्सप्रेस (मुनावाब-खोखरापार) चालू होने के बाद सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा की स्थिति पर विचार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री जालम सिंह रावलोत)

198. फतेह खण्ड उपखण्ड (जैसलमेर) में वृत्ताधिकारी कार्यालय खोलने तथा म्याजालार (जैसलमेर) एवं भियांड (बाड़मेर) में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. पुलिस कर्मियों के ड्यूटी घण्टे निश्चित करने तथा पुलिस कर्मियों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

श्री जीतराम (मालपुरा) :

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) :

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

200. जिलों में आबादी तथा अपराधों की संख्या के आधार पर थानों की संख्या, चौकियों की संख्या तथा पुलिस बल की कुल संख्या में बढ़ोत्तरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

201. जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. जयपुर शहर में बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए उसके अनुरूप पुलिस बल की संख्या नहीं बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. जयपुर शहर में आये दिन वी.आई.पी. आने के कारण पुलिस विभाग में एक पृथक वी.आई.पी. स्क्वैड बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. जयपुर शहर में बढ़ती जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखते हुए पुलिस थानों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. जयपुर शहर में कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

206. भीम, देवगढ़ में पुलिस कर्मियों के आवास व्यवस्था का सृजन कराना, देवगढ़ पुलिस स्टेशन को सर्कल इन्सपेक्टर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :-

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

1. विभाग द्वारा राज्य के कारागारों के सुधार के प्रयासों पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

2. विभाग द्वारा कारागार कर्मियों को राजस्थान में तुलनात्मक दृष्टि से कम वेतन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

3. विभाग द्वारा जेलों में कैदियों को सुधारे जाने हेतु प्रदेश के कारागारों का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

4. विभाग द्वारा कारागारों की स्थिति में सुधार एवं विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नया जेल परिसर बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

5. साधारण कैदियों को हत्या जैसे जघन्य अपराधियों के साथ बैरक में रखने तथा उनके द्वारा जयपुर जेल में किए जा रहे अत्याचारों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

6. राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

7. राज्य के कारागारों में बन्दियों के साथ हो रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

8. विभाग द्वारा उप कारागृह, निम्बाहेड़ा के नवीन भवन निर्माण के लिये आबंटित भूमि पर नया भवन निर्माण की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

9. बाड़मेर जिला कारागार के कैदियों के लिए हस्तशिल्प कार्यों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

10. कारागार में बन्द खूंखार अपराधियों को पुलिस की मिलीभगत से प्राप्त होने वाली सुविधा की गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

11. राज्य के कारागारों से कैदियों का भागना व कैदियों को आधुनिक सुविधाऐं उपलब्ध कराने एवं उनसे मिलने वालों के साथ तैनात कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार की कार्यवाही करने वालों के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

12. विभाग द्वारा कारागारों की अधिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

13. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कठूमर मुख्यालय पर उप कारागृह स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयुपर ग्रामीण) :

14. राज्य में जेलों में बंद कैदियों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में चर्चा के लिये।

15. राज्य में जेलों से कैदियों द्वारा सेलफोन, भांग, गांजा, स्मेक आदि का उपयोग किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

16. राज्य में जेल कर्मियों के आवास, वर्दी व वेतन सुधार के साथ-साथ आधुनिक सुरक्षात्मक साधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. राज्य में बंदियों को न्यायालय में रिमाण्ड अवधि बढ़ाने के लिए पेशी पर भिजवाने हेतु वीडियो कॉन्फेसिंग सिस्टम पर चर्चा के लिये।

18. कारागार में बन्द अपराधियों को आदर्श आचरण की प्रेरणा देने के प्रयास पर चर्चा के लिये।

19. किशोर बन्दी सुधार गृह में आरोपियों को शिक्षा खेलकूद व अपराध मुक्त जीवन की प्रेरणा पर चर्चा के लिये।

(श्री मदन राठौड़)

20. महिला बंदी सुधार गृह संभागीय स्तर पर खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

21. विभाग द्वारा राजगढ़ कारागार को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. राजगढ़ कारागार में सफाई कर्मचारी का पद सर्जन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

23. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में तहसील हैडक्वाटर बस्सी में उप कारागार बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. राजस्थान के कारागारों में फर्जी तरीके अथवा अनुचित साधनों से कैदियों के फरार हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. केन्द्रीय कारागार जयपुर में आने वाले मुल्जीमों द्वारा जेल कर्मियों को रिश्वत की राशि नहीं देने पर निर्दयता से मारपीट करने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. राजस्थान के कारागारों में गेहूं एवं सिलेण्डर को गायब किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

27. विधान सभा क्षेत्र घाटोल मुख्यालय पर चालानी गार्ड रूम का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

28. सलूम्बर में स्थित कारागार को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

29. अलवर जेल को सेन्ट्रल जेल का दर्जा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

31. प्रदेश के कारागारों में बढ़ती अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं नारी उत्पीड़न के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :

32. हनुमानगढ़ कारागार में बढ़ती अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

33. विधान सभा क्षेत्र कपासन के कारागार में वाचनालय, टेलिविजन आदि हेतु बजट आबंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

34. कैदियों के भोजन आदि पर व्यय की जाने वाली राशि में वृद्धि तथा जन सुविधाओं की सुचारू व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश की जेलों से कैदियों के फरार होने की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. प्रदेश की जेलों में कैदियों (आजीवन सजा वाले) के साम्राज्य व आतंक को प्रभावी ढंग से रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा कारागृहों में रह रहे कैदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की खुली बिक्री की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश के कारागृहों में रह रहे कैदियों को पर्याप्त सुविधायें मुहैया कराने व जेलों की दशा सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

39. धौलपुर जेल में सुविधा शुल्क प्राप्त कर सुविधायें मुहैया करवाना, मुलाकात करवाना अन्यथा समय पर खाना नहीं देना उनकी पिटाई व बदसलूकी करने से कैदियों द्वारा भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. धौलपुर जिले के बाड़ी उप खण्ड में उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा जिला कारागार धौलपुर में सुरक्षा की दृष्टि से भीतर की बाउण्ड्रीवाल की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. धौलपुर जेल में कैदियों के लिए उद्योग शाला खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

43. धौलपुर जेल में महिला वार्ड अलग से होते हुए भी महिला कैदियों को भरतपुर जेल भेजे जाने एवं धौलपुर जेल पर महिला सिपाहियों का नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजौरिया (फुलेरा) :

44. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर स्थित कारागार में कैदियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने व कारागार के विकास व विस्तार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

45. न्यायालय में पेशी पर लाये जाने वाले बंदियों की फरारी की बढ़ रही घटनाओं पर चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. राज्य के कारागारों में माफियाओं को जेल में नियम विरूद्ध जेल अधिकारियों द्वारा सुविधा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा कारागारों में कैदियों द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री करने तथा कैदियों के मनोरंजन का पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

50. जेल भवनों की मरम्मत व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

51. विभाग द्वारा परबतसर शहर में स्वीकृत कारागार निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

52. राज्य के जेल कर्मियों के वेतनमान अन्य राज्यों के जेल कर्मियों के समान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

53. बानसूर में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट खुल जाने पर कारागार स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महीपाल यादव)

54. राजस्थान के कारागृहों में जेल प्रहरियों की कम संख्या के कारण नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. कारागृहों से आये दिन कैदियों के भाग जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. कारागार बंदियों को शिक्षण प्रशिक्षण एवं अपराधियों के सुधार कार्यक्रम लागू करने सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

57. राजस्थान के सभी कारागारों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. राजस्थान के सभी केन्द्रीय कारागारों व अन्य उप कारागारों के भवन के नव-निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) :

59. विभाग द्वारा जेलों के प्रहरियों का संख्या बल बढ़ाने तथा सेवाओं में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

60. प्रदेश की सभी जेलों में एक वर्ग विशेष या पुराने सजायाप्ता कैदियों द्वारा Under Trial के कैदियों पर अत्याचार कर उनसे मर्जी मुताबिक धन या वस्तुएं मंगवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. राजस्थान प्रदेश के सभी केन्द्रीय कारागृहों उप कारागृहों में सभी प्रकार के कैदियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने शुद्ध पौष्टिक खाना देने व दैनिक आवश्यकता की समुचित व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

62. राजस्थान प्रदेश के सभी केन्द्रीय कारागृहों में विडियो कॉन्फेसिंग की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

63. विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों के समान कारागार कर्मियों को वेतन न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

64. मेड़ता (नागौर) की जेल में सुधार व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

65. विभाग द्वारा कैदियों के लिए सुविधा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. कारागार कर्मियों के लिए आवास की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

67. कैदियों को खुली जेल में स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया तथा वर्तमान समय में विभिन्न कारागारों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

68. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ कारागृह की मरम्मत हो जाने के बाद भी कैदियों को बांसवाड़ा कारागृह में शिफ्ट नहीं करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ कारागृह पुराना होते हुये भी अन्यत्र नया कारागृह भवन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

70. विभिन्न कारागाहों में कैदियों की स्थिति एवं कारागार में न्यूनतम सुविधाओं में सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा कारागृहों के कर्मचारियों का वेतन एवं सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

72. राज्य के विभिन्न जेलों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।